ekuuh; vkjñ vkjñ çlkn ,o vkjñ ,uñ oek] U;k;efrx.k

पप्पू यादव एवं एक अन्य (300 में)

मनोज यादव उर्फ मनोहर यादव उर्फ मनोज कुमार यादव एवं अन्य (162 में)

cuke

बिहार राज्य अब झारखंड (दोनों में)

Cr. App. (DB) No. 300, 167 of 1998(P). Decided on 3rd February, 2015

सत्र मामला सं॰ 15 वर्ष 1995/89 वर्ष 1996 में श्री स्वरुप लाल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 27.3.1998 एवं दिनांक 1.4.1998 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

(क) दांडिक विधि–हेतु एवं आचरण–चर्चा की गयी–अपीलार्थीगण ने सूचक को गंभीर परिणामों की धमकी दी, सूचक ने यथाशीघ्र अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल किया और सूचक का अभिसाक्ष्य दर्ज किया गया था और तुरन्त तत्पश्चात सूचक की हत्या भी कर दी गयी थी–अपीलार्थी पप्पू यादव को सूचक की हत्या के पश्चातवर्ती मामले में दोषसिद्ध किया गया है–एक अन्य भाई सियानंद यादव की न्यायालय में उसके साक्ष्य के बाद हत्या कर दी गयी है और उस मामले में भी पप्पू यादव को दोषसिद्ध किया गया है। (पैरा 17)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 34—सामान्य आशय–सामान्य आशय झगड़ा के क्रम में विकसित हो सकता है किंतु उस हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने के लिए स्पष्ट एवं अनधिपेक्षणीय साक्ष्य होना होगा–परिणाम विशेष को सामने लाने का सामान्य आशय व्यक्तियों की संख्या के बीच स्थिति के मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रति निर्देश में घटनास्थल पर विकसित हो सकता है–यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त रूप से अपराध की कारिता से आरोपित अनेक व्यक्तियों के कृत्यों को एक ही अथवा सदृश रूप से समरुप होना ही होगा–कृत्य विभिन्न चरित्र के हो सकते हैं किंतु उन्हें प्रावधान आकृष्ट करने के लिए एक ही और उसी सामान्य आशय से प्रेरित नहीं किया गया हो और धारा 34 लागू करने के लिए प्रत्येक अभियुक्त की ओर से कुछ प्रत्यक्ष कृत्य दर्शाना आवश्यक है–अ॰ सा॰ 2, 3, 4, 5, 7 ने कथन किया है कि जब वे घटनास्थल से 30-40 गज दूर पहुँचे, संजय यादव एवं प्रकाश यादव आग्नेयास्त्र लिए थे और उनको आगे नहीं जाने की धमकी दी अन्यथा उनकी भी वैसे ही हत्या कर दी जाएगी जैसे अभी एक की गयी है, यह साक्ष्य स्पष्टतः अभियुक्तगण की भागीदारी एवं सामान्य आशय के बारे में कहता है। (पैराएँ 18 एवं 19)

(ग) दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–लगभग समस्त गवाहों ने कथन किया है कि मृतक का मुख एवं गर्दन मफलर से लिपटा हुआ था और चूँकि उसके कंधा से खून बह रहा था, मफलर खून से सना हुआ था–न तो रक्त रंजित मफलर को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था और न ही आई॰ ओ॰ ने रक्तरंजित मिट्टी संग्रहित किया–अन्वेषण प्राधिकारी के गलती के कारण अभियोजन मामला, जो तरीका एवं अपीलार्थीगण की सह-अपराधिता पर संगत है, खारिज नहीं किया जा सकता है अथवा इस पर संदेह नहीं किया जा सकता है–उक्त परिस्थितियों में दोषपूर्ण अन्वेषण का लाभ अपीलार्थीगण को नहीं जा सकता

है–अभिनिर्धारित किया गया, विचारण न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश मान्य ठहराया गया एवं अभिपुष्ट किया गया–दोनों अपीलों को खारिज किया गया। (पैराएँ 20 से 22)

निर्णयज विधि.–1991 (1) East Cr. C. 145 (S.C) : 1998 (9) SCC 238; (1972) $ SCC 42—Referred;[(2000) 4 SCC 110]—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Amit Kr. Verma and Manoj Kr. Sinha, Mahesh Kumar Sinha, For the Appellants; Mr. Abhishek Kumar, For the State.

आर॰ एन॰ वर्मा, न्यायमूर्ति.–दोनों अपीलों को साथ सुना गया है और इस एक ही आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है। इन अपीलों में चुनौती छह अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित करते एवं आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश देते हुए सत्र मामला सं॰ 15 वर्ष 1995/89 वर्ष 1996 में श्री स्वरुप लाल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश को दी गयी है।

2. विचारण के दौरान सामने आया अभियोजन मामला यह है कि सूचक परमानंद यादव (अ॰ सा॰ 5) ने दिनांक 21.11.1994 को प्रातः 7.30 बजे पुलिस को रिपोर्ट किया कि दिनांक 20.11.1994 के सायंकाल में उसकी भतीजी ने उससे अपने पेट में दर्द होने की शिकायत की जिसके बाद वह अपने भाई उपेन्द्र यादव (मृतक) को उसकी पुत्री के पेट में दर्द के बारे में सूचित करने उसके कार्यालय ऊर्जा नगर, सी॰ एम॰ पी॰ डी॰ आई॰ गया। तत्पश्चात्, वह उपेन्द्र यादव के साथ अपने घर लौटा और अपने गाँव के किसी चतीश साह से मोटरसाईकिल जो अनिल यादव के दरवाजा के निकट खड़ी थी लेने के बाद डॉ॰ जयकांत भगत को बुलाने गया और जब वे उसके गाँव से लगभग 100 गज की दूरी पर थे, उनकी मुलाकात अनिल यादव (अ॰ सा॰ 2), नंदेश्वर यादव (अ॰ सा॰ 7), प्रकाश यादव (अ॰ सा॰ 4) और स्वयं अपने भाई सियानंद यादव (अ॰ सा॰ 3) के साथ हुई जो चांदसर की ओर से आ रहे थे। उन्होंने सूचित किया कि उन्होंने संजय यादव, प्रमोद यादव, मनोज यादव, सूर्य नारायण यादव, नरेश यादव, पप्पू यादव, समस्त सह-ग्रामीण, को विद्यालय के पश्चिम ओर बैठे देखा है। उन व्यक्तियों के साथ किसी विवाद से बचने के लिए उन्होंने उसे उस ओर नहीं जाने की चेतावनी दी किंतु चूँकि उसकी भतीजी के पेट में तेज दर्द था, वह अपने भाई के साथ डॉक्टर को बुलाने गया और जब वें रात्रि लगभग 8.15 बजे उच्च विद्यालय से 100 गज दूर पहुँचे, उन्होंने मोटरसाइकिल के प्रकाश की चमक में पप्पू यादव को गुप्ती से लैस, संजय यादव एवं प्रमोद यादव को आग्नेयास्त्र से लैस, मनोज उर्फ मनोहर यादव एवं सूर्य नारायण यादव को लाठी से लैस और नरेश यादव को पत्थर से लैस देखा। उनको देखने के बाद, पप्पू यादव एवं संजय यादव ने उनको मोटरसाइकिल रोकने को कहा अन्यथा उनकी हत्या कर दी जाएगी। जिस क्षण उसके भाई ने मोटरसाइकिल रोका, वह जो सवार के रूप में बैठा था, उतर गया और पूर्व दिशा की ओर भाग गया। यह भी अभिकथित किया गया है कि जब वह भाग रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि अभियुक्तगण उसके भाई पर प्रहार कर रहे थे। वह हल्ला करते हुए अपने गाँव की ओर दौड़ा और कुछ दूरी पर उसकी मुलाकात अनिल यादव, प्रकाश यादव, नंदेश्वर यादव एवं सियानंद यादव से हुई और उसने उनको घटना के बारे में सूचित किया जिसके बाद वे उसके भाई को बचाने घटना स्थल की ओर दौड़े किंतु जब वे घटनास्थल से लगभग 30-40 गज दूरी पर पहुँचे, संजय यादव एवं प्रकाश यादव, जो आग्नेयास्त्र लिए थे, ने उनको आगे नहीं जाने की धमकी दी अन्यथा उनकी भी हत्या वैसे ही कर दी जाएगी जैसे अभी एक की पहले की जा चुकी है। अभियुक्तगण उनको धमकी देने के बाद पश्चिम की ओर भाग गए। सूचक और अन्य

व्यक्तियों ने उपेन्द्र यादव का मुख एवं गर्दन मफलर से लिपटा पाया और उपेन्द्र यादव गतिहीन था। टॉर्च के रोशनी में उन्होंने उपहति पाया और मृतक के कंधा से खून बह रहा था और दोनों कनपटी पर भी उपहति पाया। उपेन्द्र यादव मृत पाया गया था। सियानंद यादव के माध्यम से परिवार के सदस्यों को मामले की सूचना दी गयी थी जिसके बाद उसकी माता, भाभी (मृतक की पत्नी), उसकी भतीजी एवं परिवार के अन्य सदस्य वहाँ आए। समस्त व्यक्ति मृत शरीर के निकट रूके रहे और चूँकि रात थी, पुनः प्रहार होने की आशंका करते हुए उन्होंने पुलिस थाना को सूचित नहीं किया था और अगली सुबह दिनांक 21.11.1994 को पुलिस थाना को सूचना दी गयी थी जिसके बाद प्राथमिकी (प्रदर्श 3) दर्ज की गयी थी। घटना के पीछे का हेतु अभियुक्तगण के साथ पुराना भूमि विवाद था।

3. इस मामले के आई॰ ओ॰ ओम प्रकाश सिंह (अ॰ सा॰ 10) ने अन्वेषण के बाद छह अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। तत्पश्चात, मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन समस्त छह अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया था और उनको आरोप पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया गया था जिससे उन्होंने इनकार किया और स्वयं की निर्दोषिता का दावा किया। अभियुक्तगण ने बचाव लिया कि उक्त उपेन्द यादव की मृत्यु वाहन दुर्घटना में हुई और उन्हें पूर्व दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है।

4. विचारण के क्रम में अभियोजन ने कुल दस गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से सूचक परमानन्द यादव का परीक्षण अ॰ सा॰ 5 के रूप में किया गया था जबकि डॉ॰ कलानंद चौधरी जिन्होंने मृत शरीर का शव परीक्षण अ॰ सा॰ 1 के रूप में किया गया और शेष गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 2 अनिल कुमार यादव, अ॰ सा॰ 3 सियानंद यादव, अ॰ सा॰ 4 प्रकाश यादव, अ॰ सा॰ 6 रविन्द्र यादव, अ॰ सा॰ 7 नन्देश्वर यादव, अ॰ सा॰ 8 अनिता देवी, अ॰ सा॰ 9 विरेन्द्र कुमार यादव का परीक्षण भी किया गया था। मामले के आई॰ ओ॰ ओमप्रकाश सिंह का परीक्षण अ॰ सा॰ 10 के रूप में किया गया था।

5. विचारण न्यायालय ने समस्त छह अभियुक्तगण को पूर्वोक्त आरोप का दोषी पाने पर पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया।

6. उक्त निर्णय से व्यथित होकर समस्त छह अपीलार्थीगण द्वारा उक्त दो अपीलों को दाखिल किया गया था किंतु उक्त अपीलों के लंबित रहने के दौरान एक अपीलार्थी सूर्य नारायण यादव की मृत्यु हो गयी जिसके बाद अपील उपशमनित हो गयी जहाँ तक अपीलार्थी सं॰ 3 सूर्य नारायण यादव का संबंध है।

यहाँ यह उल्लेख करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि जब विचारण सत्र न्यायालय में लंबित था, दिनांक 29.7.1995 को न्यायालय से यथाशीघ्र अपने साक्ष्य को दर्ज करने की प्रार्थना करते हुए सूचक अ॰ सा॰ 5 द्वारा सूचना याचिका दाखिल की गयी थी क्योंकि दिनांक 24.7.1995 को अभियुक्तगण ने उसको गंभीर परिणाम की धमकी दी थी जब वह न्यायालय से लौट रहा था जिसके बाद सूचक का साक्ष्य न्यायालय में दर्ज किया गया था। आक्षेपित निर्णय (पैरा 14) से यह प्रतीत होता है कि सूचक परमानंद यादव का साक्ष्य दर्ज किए जाने के तुरन्त बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। वर्तमान अपीलार्थीगण एवं अन्य के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जिसे प्रदर्श 9/1 के रूप में चिन्हित किया गया था। एक अन्य गवाह शिवनंदन यादव की हत्या भी कर दी गयी थी और अपीलार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिसे प्रदर्श 9 के रूप में चिन्हित किया गया था। उक्त अपीलों के लंबित रहने के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग के अधीक्षक ने अपने पत्र सं॰ 240/ मुक्ति/4285 के माध्यम से इस न्यायालय को सूचित किया कि आजीवन दोषसिद्ध पप्पू यादव को आगे तीन अन्य सत्र मामलों में महागामा पी॰ एस॰ केस सं॰ 108 वर्ष 1994 से उद्भूत सं॰ 15 वर्ष 1995 में

भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन, महागामा पी॰ एस॰ केस सं॰ 89 वर्ष 1997 से उद्भूत सत्र मामला सं॰ 46 वर्ष 1998 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अधीन और एस॰ टी॰ सं॰ 47 वर्ष 1998 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन तथा धारा 307/149 के अधीन भी आजीवन दोषसिद्ध किया गया है।

7. आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए यह निवेदन किया गया था कि आरंभ से ही बचाव जिसे लिया गया है यह है कि अपीलार्थीगण को दुश्मनी के कारण झूठा आलिप्त किया गया है और जैसा अभियोजन द्वारा अभिकथित किया गया है, कोई घटना कभी नहीं हुई थी और कि मृतक अपना जीवन गवाँ बैठा, किसी मानववध हमले के कारण नहीं बल्कि इसके विपरीत उसकी मृत्यु वाहन दुर्घटना का परिणाम थी, अत:, अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपीलार्थी के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य अभिकथित नहीं किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया था कि घटना स्थल पर कोई रोशनी अथवा रोशनी का कोई अन्य स्रोत नहीं था और पहचान का एकमात्र साधन जो टॉर्च है जिस पर अभियोजन द्वारा विश्वास किया गया है को अन्वेषण अधिकारी द्वारा जब्त नहीं किया गया है और न ही इसे आई॰ ओ॰ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। घटना स्थल पर खून नहीं पाया गया था। अत:, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से दोषसिद्धि विधि में दोषपूर्ण है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **(2010)8 SCC 407, (2010)2 SCC 91** और **(2013)4 SCC 517** में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास किया है। अंत में यह प्रतिवाद किया गया था कि प्राथमिकी दर्ज करने में दस घंटा से अधिक का विलंब हुआ है। अभियोजन मामला अत्यन्त अनधिसंभाव्य है। अन्य आधारों के साथ इन आधारों पर यह गंभीर रूप से प्रचारित किया गया है कि अवर न्यायालय की दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त किया जाए और अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाए।

उक्त के विरुद्ध, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि गवाह अर्थात् अ॰ सा॰ 2, 3, 4, 7 स्वाभाविक व्यक्ति प्रतीत होते हैं जिन्हें संयोगी साक्षी नहीं कहा जा सकता था और वे आरोप सिद्ध करते हुए अभियोजन मामले के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू पर एक-दूसरे को संपुष्ट करते प्रतीत होते हैं।

8. अब, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के आलोक में हम अभिकथित अपराध में और प्रहार के बिन्दु पर अपीलार्थीगण की सह-अपराधिता के बिंदु पर अभियोजन गवाहों के साक्ष्य का परीक्षण करना चाहेंगे।

9. उठाए गए प्रतिवादों का अधिमूल्यन करने के लिए अभियोजन गवाहों के विवरण को संक्षिप्त रूप से देना आवश्यक है।

अपने पूर्व विवरण को दोहराते हुए सूचक अ॰ सा॰ 5 ने उस चरण से वर्णन दिया है जब वह अपने भाई उपेन्द्र यादव के साथ अनिल कुमार यादव के दरवाजा से किसी चतीश साह से मोटरसाइकिल लेने के बाद डॉक्टर बुलाने गया और रास्ते में उसकी मुलाकात अनिल यादव (अ॰ सा॰ 2), नंदेश्वर यादव (अ॰ सा॰ 7), प्रकाश यादव (अ॰ सा॰ 4) और सियानंद यादव (अ॰ सा॰ 3) के साथ हुई जिन्होंने गवाहों को उस ओर नहीं जाने के लिए कहा क्योंकि अभियुक्तगण अर्थात् अपीलार्थीगण विद्यालय के निकट बैठे हैं किंतु चूँकि उसकी भतीजी के पेट में भयंकर दर्द था, वह अपने भाई के साथ आगे गया और जब वह रात्रि 8.15 बजे उच्च विद्यालय के आगे पहुँचा, उसने मोटरसाइकिल के प्रकाश में अपीलार्थीगण पप्पू यादव एवं संजय यादव को अपने हाथ में आग्नेयास्त्र लिए देखा और उन दोनों ने मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहा अन्यथा उनकी हत्या कर दी जाएगी और इस बीच अन्य अभियुक्तगण भी वहाँ आए। गवाह ने आगे कथन किया है कि ज्योंही उसके भाई ने मोटर साइकिल रोकी, वह उतरा और पूर्व दिशा की ओर भाग गया और भागते हुए जब उसने पीछे देखा, उसने समस्त छह अपीलार्थीगण को अपने भाई पर प्रहार करते

देखा। वह हल्ला करते हुए गाँव की ओर भागा और रास्ते में अनिल यादव, नंदेश्वर यादव, प्रकाश यादव, सियानंद यादव से मिला जिससे इस गवाह ने प्रहार के बारे में सूचित किया। जब वह उक्त व्यक्तियों के साथ घटनास्थल से लगभग 10-15 क्यूबिट दूर पहुँचा, उन्होंने समस्त अभियुक्तगण को लाठी, पत्थर, आग्नेयास्त्र के कुंदा एवं गुप्ती से अपने भाई पर प्रहार करते देखा। संजय यादव एवं प्रकाश यादव ने आग्नेयास्त्र दिखला कर उनको आगे नहीं जाने की धमकी दी अन्यथा उनकी भी हत्या कर दी जाएगी और ऐसी धमकी देने के बाद वे वहाँ से पश्चिम की ओर भाग गए। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि जब वह अन्य व्यक्तियों के साथ उपेन्द्र यादव के निकट आया, जिसका मुँह मफलर से लिपटा हुआ था और मफलर खोलने के बाद उन्होंने कनपटी के निकट सूजन पाया और कंधा से खून बह रहा था। इस गवाह ने गर्दन के निकट गहरी उपहति भी पाया और वहाँ से भी खून बह रहा था। इस गवाह को विस्तारपूर्ण प्रतिपरीक्षण के अध्यधीन किया गया था किंतु उसके प्रति परीक्षण से कुछ भी, अपराध में फँसाने वाली सामग्री की तो बात ही दूर, नहीं निकाला जा सका था जो उसकी सत्यता को झुठला सके और हम उसके साक्ष्य में कोई गंभीर अंतर अथवा विरोधाभास अथवा सुधार नहीं पाते हैं।

अ॰ सा॰ 5 का बयान अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 7 के परिसाक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है जिन्होंने परिसाक्ष्य दिया कि घटना की रात्रि को वे रात्रि 7.30 बजे चांदसर की ओर से लौट रहे थे जहाँ वे दैनिक कर्म से निबटने गए थे और लौटते हुए उन्होंने अपीलार्थीगण को उच्च विद्यालय के निकट बैठे देखा। उन्होंने सूचक तथा मृतक को आगे न जाने की चेतावनी दी क्योंकि अपीलार्थीगण उच्च विद्यालय के पास बैठे हुए थे। प्रथमत: गवाहों ने उनके द्वारा दी गयी चेतावनी को संपुष्ट किया और तत्पश्चात घटना में समस्त अपीलार्थीगण की सह-अपराधिता पर आते हुए गवाहों ने परिसाक्ष्य दिया कि सूचक द्वारा प्रहार की सूचना दिए जाने पर वे सूचक के साथ घटनास्थल के निकट आए किंतु उन्हें संजय यादव एवं प्रकाश यादव द्वारा आगे नहीं जाने की धमकी दी गयी थी अन्यथा उनकी हत्या भी वैसे ही कर दी जाएगी जैसे पहले वाले की गयी है जिसकी हत्या पहले ही कर दी गयी है। उक्त गवाहों ने 20-30 क्यूबिट की दूरी से अपीलार्थीगण को देखने का दावा किया किंतु वे प्रत्येक अपीलार्थी की भूमिका का विवरण नहीं दे सके थे।

10. अ॰ सा॰ 2 अनिल कुमार यादव ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसने पप्पू यादव को गुप्ती से लैस, संजय यादव एवं प्रमोद यादव को आग्नेयास्त्र से लैस, मनोज यादव एवं सूर्य नारायण यादव को लाठी से लैस और नरेश यादव को पत्थर से लैस देखा था क्योंकि यह अंधेरी रात नहीं थी। गवाह ने पैराग्राफ 16 में आगे दावा किया है कि यद्यपि उसके हाथ में टॉर्च था किंतु टॉर्च की रोशनी के बिना भी सब कुछ द्रष्टव्य था।

11. पहचान के संबंध में, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभिकथित घटना दिनांक 20.11.1994 को हुई थी और पहचान के स्रोत की पूरी कमी थी। सामान्यत: नवंबर माह में सायं 5.30 बजे सूर्यास्त होता है।

12. उक्त अपीलों की सुनवाई के क्रम में वर्ष 1994 के पंचांग के प्रासंगिक भाग की छाया प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी थी और पंचांग के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 19 नवंबर, 1994 कृष्ण पक्ष की पहली तिथि थी और घटना की अभिकथित तिथि अर्थात् दिनांक 20.11.1994 कृष्ण पक्ष का द्वितीय दिन था। इसका अर्थ है कि चांदनी रात (अंजोरिया) से यह पूर्ण कृष्ण पक्ष की समाप्ति की ओर जा रही थी, अत: सायंकाल अत्यन्त अंधकारपूर्ण नहीं था।

13. नथुनी यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, 1991 (1) East Cr.C. 145 (SC): 1998 (9) SCC 238, मामले में घटनास्थल पर प्रकाश की गैर उपलब्धता, जिसने भगेलू सिंह यादव की पत्नी सोना देवी की हत्या सुकर बनाया, के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समरुप प्रतिवाद किया गया था निर्णय के पैराग्राफ 9 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिवचन का उत्तर दिया गया था और हम संपूर्ण पैरा 9 को उद्धृत करने के इच्छुक हैं जिसका पठन निम्नलिखित है:–

^^geu bl d leLr dk.kk l mDr çfrokn ij fopkj fd;k gA ;g ekur g, Hkh fd pknuh jkr ugh Fkh] ge lkoèkkuhiod fLFkfr dk n[kuk gkxkA ftl fudVrk l geykojk u ?kk;y dk lkeuk fd;k gkxk] rkjk dh txexkgV l ogk dN çdk'k igpu dh lHkkouk Fkh vkj ;g rF; fd gR;k Nrghu Vjl ij dh x;h Fkh] ;g fu.k; djr g, è;ku e j[k tku oky lc) dkjd g fd D;k geykojk dh lgh :i l igpku dju d fy, ihfMrk d ikl i;kIr n"V0;rk gk ldrh FkhA bu dkjdk d vfrfjDr] ge bl rF; dk Hkh vkx è;ku e j[kuk gkxk fd geykoj =kIn h l f?kj ?kj d lnL;k d fy, vtuch ugh Fk] p'enhn xokg çR;d gR;kj dh 'kkjhfjd ljpuk l HkyhHkkfr ifjfpr FkkA vr%] ge ;g ekuu d fy, vk'oLr ugh fd;k x;k g fd geykojk dk n[kuk ihfMrk d fy, lHko ugh gk ldrk Fkk vFkok fd mudh xyr igpku dju dh lHkkouk FkhA ge bl rF; dk Hkh è;ku e j[k jg g fd geykojk d ikl Hkh ihfMrk dh igpku dju d fy, i;kIr çdk'k Fkk ftUg mUgku Nr ij lk jg ykxk d chp e l fdlh xyrh d fcuk y{; cuk;kA ;fn rc miyCèk çdk'k] pkg fdruk {kh.k gk] geykojk d fy, i;kIr Fkk] ge D;k lkpuk pkfg, fd ?kk;yk d fy, ogh çdk'k i;kIr ugh Fkk ftUgku fu'p; gh viu lkeu [kM ?kl ifB;k d pgj ij viuk vk[k lVhd :i l dfnr fd;k gkxkA What is sauce for the goose is souce for the gander."

जैसा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाया गया था, वास्तविक प्रकाश अथवा प्रकाश जो आकाश में तारों से उद्भूत हो सकता था की अनुपस्थिति में पहचान पर विश्वास किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कारण कि यदि प्रहार करने के लिए पीड़ितों को पहचानना हमलावरों के लिए संभव हो सकता था, पीड़ितों के लिए भी उनकी पहचान करना मुश्किल नहीं हो सकता है।

14. नि:संदेह, कृष्ण पक्ष दिनांक 19.11.1994 को आरंभ हुआ था और घटना की तिथि बिल्कुल कृष्ण पक्ष आरंभ होने का अगला दिन है। हम पाते हैं कि सूचक, गवाह और हमलावर अर्थात् उसी गाँव से आने वाले अपीलार्थीगण एक-दूसरे से परिचित थे और इस दशा में अपीलार्थीगण अभियोजन गवाहों के लिए अजनबी नहीं थे। इसके अतिरिक्त, पहचान के प्रश्न का उत्तर पूर्णत: अ० सा० 5 द्वारा दिया गया है जब उसने दावा किया कि उसने मोटरसाइकिल के प्रकाश की चमक में अपीलार्थीगण को देखा था। अ० सा० 2 ने केवल यह कथन किया है कि यद्यपि उसके हाथ में टॉर्च था, किंतु उस समय पर सब कुछ द्रष्टव्य था। इस गवाह ने कहीं नहीं कथन किया है कि टॉर्च की रोशनी में उन्होंने अपीलार्थीगण को पहचाना था और इस दशा में, टॉर्च प्रस्तुत नहीं किया जाना, जो अ० सा० 2 के हाथ में था, किसी रूप में पहचान को प्रभावित नहीं करता है। हम अ० सा० 2 एवं 5 के साक्ष्य को विश्वसनीय एवं पहचान के उनके दावा को विश्वसनीय पाते हैं और इस दशा में टॉर्च प्रस्तुत नहीं किया जाना अभियोजन मामले के प्रति संदेह सृजित नहीं करता है।

15. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन का संबंध है कि मृतक ने किसी मानववध हमले के कारण अपना जीवन नहीं गवायाँ था बल्कि उसकी मृत्यु वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरुप हुई, हम शव परीक्षण रिपोर्ट एवं डॉ० कलानंद चौधरी (अ० सा० 1) जिन्होंने मृतक के शव का शव परीक्षण किया के साक्ष्य का परीक्षण करना चाहेंगे।

अ० सा० 1 डॉ० कलानंद चौधरी जिन्होंने दिनांक 21.11.1994 को शव परीक्षण किया, निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियों को पाया:

(i) rt ,o Li"V ekftu (f=dk.kh; t[e dk ckgjh Hkkx) d lkFk ck, lçk Dyfodyj {k= d Åij yxHkx 11.5cm vkrfjd :i l xgjk mèo :i l uhp dh vkj tku okyh Hknd migfr] mDr t[e d #V e e[; CyM oly ,o ck, QQM dk mijh Hkkx iDpj ik;k x;kA

(ii) nk, ijkfVM {k= d Åij 8cm x 5 cm dk ,d [kjkpA ck, ijkfVM {k= ij 6cm x 4cm dk le#i [kjkp] nkuk jx e uhyA

(iii) xnu d Åijh Hkkx d Åij ,d [kjkp&çR;d vkj ,d] çR;d yxHkx 5cm x 5cm vkdkj dkA

(iv) ck;h Nkrh ij vkj ck, ppd d bn&fxn yxHkx 8cm x 4cm dk [kjkp ft ld uhp feMDyfoD;yj ifDr e rhljh ,o pkFkh ily dk ÝDpj FkkA

(v) feMyFk e ck, Dyfody dk ÝDpjA

phj&QkM dju ij bl xokg u fuEufyf[kr migfr;k dk ik;k&

migfr l0 1 }kjk ck, QQM d Åijh Hkkx dk iDpj tk fudV e yxHkx 500ml [ku d lxg dh vkj y x;kA

उपहति की प्रकृति के बारे में, इस गवाह ने कथन किया है कि उपहति सं० 1, 4 एवं 5 गंभीर प्रकृति की थी किंतु अन्य उपहतियाँ सरल थी। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उपहति सं० 1 तेज पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी जबकि अन्य उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। मृत्यु का कारण पूर्वोल्लिखित उपहतियों के परिणामस्वरुप आघात एवं हेमरेज के कारण दर्शाया गया है। गवाह ने आगे कथन किया है कि उपहति सं० 1 गुप्ती द्वारा कारित की जा सकती थी और अन्य उपहतियाँ, इँट, पत्थर अथवा ऐसे पदार्थों द्वारा। प्रति-परीक्षण के दौरान, गवाह ने मजबूत रुखड़े सतह पर मोटर साइकिल से गिरने के बाद ऐसी उपहति पाने की संभावना से इनकार किया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसने दुर्घटना के जख्मों को देखा है और इनका इलाज किया है। अत:, इस गवाह ने वाहन दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु की संभावना से इनकार किया है।

16. बचाव पक्ष ने वाहन दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु के संबंध में अपने निवेदन के समर्थन में अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य पर विश्वास किया है जिन्होंने अन्वेषण के दौरान धान के खेत में पड़ी मोटरसाइकिल को जब्त किया था जो घटना स्थल के बगल में थी जो एक पथ है। उक्त के अतिरिक्त, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद के समर्थन में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। शव परीक्षण रिपोर्ट वाहन दुर्घटना में मृत्यु की बचाव पक्ष की कहानी को पूर्णत: झुठलाती है।

17. दांडिक मामलों में हेतु के संबंध में, अब तक यह विधि का सुज्ञात सिद्धांत है कि ऐसे मामले में जहाँ न्यायालय के पास आरोपों के समर्थन में इसको प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, हेतु अपना महत्व गवाँ देता है। हेतु, जैसा सूचक द्वारा अपने फर्दबयान में अभिकथित किया गया है, भूमि विवाद के कारण पुरानी

दुश्मनी था। सूचक ने अपने साक्ष्य के पैराग्राफ 13 में पक्षों के बीच दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 107 कार्यवाही का लंबित होना संपुष्ट किया है। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि लगभग 10-12 वर्ष पहले उसके एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी और उस मामले में, सूर्य नारायण यादव, जो वर्तमान मामले में अभियुक्तगण में से एक है, भी अभियुक्त था। अन्य अभियोजन गवाहों ने अपीलार्थीगण द्वारा रंगदारी की मांग के कारण दुश्मनी दर्शाया है। अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 7 ने कथन किया है कि अभियुक्तगण ठेकेदार जो क्षेत्र में पथ निर्माण कर रहा था से फिरौती मांग रहे थे जिस पर मृतक ने इस आधार पर आपत्ति किया कि काम लोकहित में था। हेतु एवं आचरण अंतर संबंधित विवाद्यक है और अवर न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 14 में यह अभिनिर्धारित करते हुए अपीलार्थीगण के आचरण पर चर्चा किया है कि अपीलार्थीगण ने सूचक को गंभीर परिणामों की धमकी दी, सूचक ने यथाशीघ्र अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल किया और सूचक का अभिसाक्ष्य दर्ज किया गया था। तुरन्त तत्पश्चात इस मामले के सूचक की भी हत्या कर दी गयी थी। अपीलार्थीगण में से एक पप्पू यादव को सूचक की हत्या के पश्चातवर्ती मामले में दोषसिद्ध किया गया है। एक अन्य भाई सियानंद यादव (अ॰ सा॰ 3) की न्यायालय में अपना साक्ष्य देने के बाद हत्या कर दी गयी थी और उस मामले में भी पप्पू यादव को दोषसिद्ध किया गया है।

18. इस प्रतिवाद के संबंध में कि किसी भी अपीलार्थी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य अभिकथित नहीं किया गया है, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की मदद से समस्त अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि विधि में दोषपूर्ण है, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 पर विचार करना अनिवार्य बन गया है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"34. **lkekU; vk'k; dk vxlj dju e db 0;fDr;k }kjk fd, x, dk;-**&tcfd dkb vkijkfèkd dk; db 0;fDr;k }kjk viu lcd lkekU; vk'k; dk vxlj dju e fd;k tkrk g] tc ,l 0;fDr;k e l gj 0;fDr ml dk; d fy, mlh çdkj nkf;Ro d vèkhu g] ekuk og dk; vdy mlh u fd;k gkA**"*

भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 मुख्य अपराध नहीं है बल्कि धारा 34 पुर:स्थापित करके दांडिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत अधिकथित किया गया है। अत:, यह पता लगाने के लिए कि क्या व्यक्ति सामान्य आशय का दोषी है, अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण साक्ष्य का सावधानीपूर्वक एवं आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करना आवश्यक है। **अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1972)4 SCC 42,** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टत: अधिकथित किया है कि सामान्य आशय झगड़ा के क्रम में विकसित हो सकता है किंतु उस हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने के लिए स्पष्ट एवं अनधिक्षेपणीय साक्ष्य होना होगा। परिणाम विशेष प्राप्त करने के लिए सामान्य आशय मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रति निर्देश में अनेक व्यक्तियों के बीच घटनास्थल पर ही विकसित हो सकता है।

सुरेन्द्र चौहान बनाम म॰ प्र॰ राज्य, (2000)4 SCC 110, में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^èkkjk 34 d vèkhu 0;fDr dk vijkèk] ftldh dkfjrk l;Dr vkijkfèkd n%lkgl dk y{; g] ldj cuku vFkok c<kok nu d ç;ktu l vijkèk dh okLrfod dkfjrk d le; 'kkjhfjd :i l mifLFkr gkuk gkxkA mu 0;fDr;k dh ,lh mifLFkfr] tk ,d ;k nlj rjhd l dkeu fMtkbu d fu"iknu dk ldj cukr g] Lo; e nkfMd ÑR; e okLrfod Hkkxhnkjh d rY; gA èkkjk 34 dk lkj ifj.kke fo'k"k çkIr dju d fy, nkfMd dkjokb e Hkkx yu oky 0;fDr;k d food dk lkFk&lkFk erD; gA ,lk erD; ?kVukLFky ij fodflr fd;k tk ldrk g tk*

*mu lck }kjk vk'kf;r gA lkekU; vk'k; dk vfLrRo ekey dh vku"kfxd ifjfLFkfr;k vkj i{kk d vkpj.k l fu"df"kr fd;k tk ldrk gA lkekU; vk'k; dk çR;{k lk{; vko';d ugh gA lkekU; vk'k; d ç;ktu l vijkèk dh dkfjrk e Hkkxhnkjh Hkh leLr ekeyk e fl) dju dh vko';drk ugh gA lkekU; vk'k; ?kVuk d Øe d nkjku Hkh fodflr gk ldrk gA Hkk0 n0 l0 dh èkkjk 34 ykx dju d fy, bl rF; d vfrfjDr fd nk vFkok vfèkd vfHk;Drx.k gku pkfg,] nk dkjdk dk LFkkfir djuk gkxkh (i) lkekU; vk'k; ,o (ii) vijkèk dh dkfjrk e vfHk;Drx.k dh Hkkxhnkjh A ;fn lkekU; vk'k; fl) fd;k tkrk g] fdr çR;d vfHk;Dr dk çR;{k ÑR; ugh crk;k tkrk g] èkkjk 34 vkÑ"V gkxh D;kfd ;g lkjr% çfrfufèkd nkf;Ro vrxLr djrh g fdr ;fn vijkèk e vfHk;Dr dh Hkkxhnkjh fl) dh tkrh g vkj lkekU; vk'k; vuifLFkr g] èkkjk 34 dk voyc ugh fy;k tk ldrk gA çR;d ekey e lkekU; vk'k; dk çR;{k lk{; gkuk lHko ugh gA bl çR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k l fu"df"kr djuk gkxkA***

19. इस मामले के तथ्यों को निर्दिष्ट करते हुए, भा० दं० सं० की धारा 34 की प्रयोज्यता के प्रश्न पर, अ० सा० 2, 3, 4, 7 एवं सूचक अ० सा० 5 जैसे गवाहों ने कथन किया है कि जब सूचक और उक्त गवाह घटनास्थल से लगभग 30-40 गज दूर पहुँचे, संजय यादव एवं प्रकाश यादव जो आग्नेयास्त्र लिए थे, ने उनको आगे नहीं जाने की धमकी दी अन्यथा उनकी हत्या भी उसी तरह जिसकी हत्या पहले ही की जा चुकी है, कर दी जाएगी। यह साक्ष्य स्पष्टत: अभियुक्तगण की भागीदारी एवं सामान्य आशय के बारे में बोलता है। अ० सा० 5 ने अपने साक्ष्य के पैराग्राफ 17 में कथन किया है कि उसने देखा कि अभियुक्तगण लाठी, पत्थर, आग्नेयास्त्र के कुंदा तथा गुप्ती से उसके भाई पर प्रहार कर रहे थे। यह सत्य है कि साक्ष्य प्रत्येक अपीलार्थी द्वारा निभायी गयी भूमिका के संबंध में विनिर्दिष्ट नहीं है किंतु अ० सा० 5 के साक्ष्य से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अपराध की कारिता के साथ संयुक्त रूप से आरोपित अनेक व्यक्तियों के कृत्य को एक ही अथवा सदृश रूप से समरुप होना होगा। कृत्य विभिन्न चरित्र के हो सकते हैं किंतु प्रावधान आकृष्ट करने के लिए एक ही और उसी सामान्य आशय द्वारा प्रेरित नहीं किए गए थे और भा० दं० सं० की धारा 34 लागू करने के लिए प्रत्येक अभियुक्त की ओर से कुछ प्रत्यक्ष कृत्य दर्शाना आवश्यक नहीं है।

20. इस प्रतिवाद के संबंध में कि रक्त जब्त नहीं किया गया था और अन्य जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया था, आई० ओ० अ० सा० 10 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि प्रत्येक कान के नीचे एवं छाती पर प्रहार का निशान था और उसने कंधा पर खून बहने वाली उपहति देखा था। आई० ओ० ने यह कथन भी किया है कि तत्पश्चात उसने मोटरसाइकिल, चप्पल का जोड़ा एवं रक्तरंजित मफलर की अभिग्रहण सूची तैयार किया और समस्त जब्त वस्तुओं को प्रदर्श 8 के रूप में चिन्हित किया गया था। गवाह ने कथन किया है कि उसने मिट्टी पर खून भी पाया किंतु उसने किसी रक्तरंजित मिट्टी को जब्त नहीं किया था।

लगभग समस्त गवाहों ने कथन किया है कि मृतक की गर्दन एवं मुख मफलर में लिपटा हुआ था और चूँकि कंधा से खून बह रहा था, मफलर खून से सना हुआ था। यह सत्य है कि न तो रक्तरंजित मफलर को रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था और न ही आई० ओ० ने रक्त रंजित मिट्टी संग्रहित किया। अन्वेषण प्राधिकारी की गलती के कारण, अभियोजन मामला, जो अपीलार्थीगण के तरीके एवं सह-अपराधिता पर संगत है, अस्वीकार नहीं किया जा सकता है अथवा इस

पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उक्त कथित परिस्थितियों में दोषपूर्ण अन्वेषण का लाभ अपीलार्थीगण को नहीं मिल सकता है। हम इस आधार पर अभियोजन मामले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

21. इस तरीके से, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों के आगे पुन: आकलन पर हमारा दृढ़ मत है कि विचारण न्यायालय अ॰ सा॰ 2 अनिल कुमार यादव, अ॰ सा॰ 3 सियानंद यादव, अ॰ सा॰ 4 प्रकाश यादव, अ॰ सा॰ 7 नंदेश्वर यादव और सूचक अ॰ सा॰ 5 परमानंद यादव के परिसाक्ष्य पर विश्वास करने में न्यायोचित था। अत:, अपीलार्थीगण के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है जो मान्य ठहराया जाता है और अभिपुष्ट किया जाता है। उक्त दोनों दांडिक अपीलों को खारिज किया जाता है।

22. अभिलेख से, यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी सं॰ 1 पप्पू यादव के सिवाए समस्त अन्य अपीलार्थीगण जमानत पर हैं और इसलिए, उनका जमानत बंध पत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है और उन्हें संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय को उनकी गिरफ्तारी के लिए समस्त प्रपीड़क कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है ताकि वे उनको विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश भुगत सके।

आर॰ आर॰ प्रसाद, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

बहादुर महतो (991 में)

दिनेश्वर महतो एवं एक अन्य (921 में)

cuke

झारखंड राज्य (दोनों में)

Cr. App. (D.B.)No. 991, 921 of 2003. Decided on 15th January, 2015.

दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–अपीलार्थीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्ध किया गया एवं आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया–दंडाधिकारी को विशेष रिपोर्ट भेजने में विलंब–बहादुर महतो ने पहले ही अपने संपूर्ण मुख्य दंडादेश को भुगत लिया है एवं कारा से निर्मुक्त किया गया है–अभियोजन मामला धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो के विरुद्ध कमजोर पड़ जाता है और न कि बहादुर महतो के विरुद्ध जो मुख्य हमलावर था क्योंकि उक्त अभियुक्त को झूठा आलिप्त करने के लिए सूचक के पास कारण प्रतीत नहीं होता है–कोई भी मुख्य हमलावर को नहीं छोड़ेगा, शायद मुख्य अभियुक्त के साथ अन्य को आलिप्त करने की सामान्य प्रवृति भी न्यायालय द्वारा ध्यान में ली गयी है–अभियोजन ने अ॰ सा॰ टुनिया देवी को चश्मदीद गवाह के रूप में पुर:स्थापित किया जिसका नाम प्राथमिकी में नहीं आता है, यह विश्वसनीय नहीं है कि यदि वह अपनी सगी बहन (प्रथम सूचक) के साथ थी, वह प्राथमिकी में उसे नामित नहीं करेगी–चश्मदीद गवाह के रूप में टुनिया देवी का बयान त्यक्त किया गया–अभियुक्त बहादुर महतो मुख्य हमलावर होने के नाते टांगी से लैस था और मृतक के शरीर पर अनेक उपहतियाँ कारित किया–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। (पैराएँ 11 से 15)

अधिवक्तागण.–Mr. R.P. Gupta (in 991); M/s. Ajit Kumar, AK. Sahani (in 921), For the Appellant; Mr. S.S. Choudhary, For the Respondent-State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–बहादुर महतो, धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो ने दिनांक 25 मार्च, 1999 को सायं लगभग 5 बजे ग्राम मुरुपिरी में फुलु महतो की मृत्यु अभिकथित रूप से कारित

करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के आरोप के लिए विचारण का सामना किया और उनको विद्वान अपर न्यायिक आयुक्त IX, राँची के दिनांक 30 जून, 2003 के आक्षेपित निर्णय के तहत उक्त आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया। धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो ने दांडिक अपील सं॰ 921/2003 दाखिल किया था और उनके सह-अभियुक्त दोषसिद्ध बहादुर महतो ने दांडिक अपील सं॰ 991/2003 दाखिल किया था। हम उन पर अंतिम विचार के लिए दोनों अपीलों को साथ सुन रहे हैं।

2. यहाँ यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि किसी निर्मल महतो जिसे भी अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया है को पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं जा सका था और उसने विचारण का सामना नहीं किया था। बहादुर महतो पहले ही अपना संपूर्ण मुख्य दंडादेश भुगत चुका है और दिनांक 27 जून, 2014 को कारा से निर्मुक्त कर दिया गया है जैसा विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री चौधरी द्वारा कथन किया गया है। अपीलार्थीगण धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो को वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत प्रदान किया गया था क्योंकि इस न्यायालय द्वारा उनका मुख्य दंडादेश निलंबित कर दिया गया था। उनका प्रतिनिधित्व श्री अजित कुमार, अधिवक्ता द्वारा किया गया था और श्री आर॰ पी॰ गुप्ता, अधिवक्ता दोषसिद्ध बहादुर महतो, तब से कारा से निर्मुक्त, के लिए उपस्थित होते हैं। (इसमें इसके बाद समस्त तीनों अपीलार्थीगण को अभियुक्त के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।)

3. अभियुक्त बहादुर महतो के लिए उपस्थित श्री गुप्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि उसे अपना संपूर्ण मुख्य दंडादेश पूरा करने पर कारा से निर्मुक्त कर दिया गया है किंतु उसके प्रति अभियोजन का मामला पूरी तरह सिद्ध नहीं किया गया है। उन्होंने निवेदन किया कि मृतका की सास अ॰ सा॰ 5 भुखली देवी जो स्वयं के घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करती है के साक्ष्य को छोड़ कर किसी अन्य अभियोजन गवाह ने उसके विरुद्ध अथवा शेष दो अभियुक्तगण अर्थात् धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं किया है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन किसी अ॰ सा॰ 3 टुनिया देवी, सूचक अ॰ सा॰ भूखली देवी की सगी बहन को घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में पुर:स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु उसका साक्ष्य अस्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है क्योंकि प्रथम सूचक भूखली देवी एक शब्द भी नहीं बोलती है कि वह अपनी बहन (अ॰ सा॰ टुनिया देवी) के साथ और अपने दामाद (फुलु जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) के साथ रामनवमी मेला से आ रही थी। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृतक के सगे भाई (अ॰ सा॰ जगन्नाथ महतो) सहित अन्य गवाह वे गवाह हैं जिन्हें बाद में पता चला कि वर्तमान तीन अभियुक्तगण ने निर्मल महतो (गिरफ्तार नहीं किया गया), बहादुर महतो का सगा भाई, के साथ फुलु पर प्रहार किया था।

5. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अन्यथा भी इलाका दंडाधिकारी (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) को विशेष रिपोर्ट भेजने में काफी विलंब हुआ है जिन्होंने दिनांक 27.3.1999 को प्राथमिकी की प्रति प्राप्त किया था जबकि अभियोजन के अनुसार प्राथमिकी उसी दिन रात्रि 9.40 बजे संबंधित पुलिस थाना में दर्ज की गयी थी। विद्वान अधिवक्ता यह विकसित करना चाहते थे कि इलाका दंडाधिकारी को विशेष रिपोर्ट भेजे जाने में अत्यधिक विलंब ने अभियोजन को अपनी कहानी गढ़ने अथवा परिवादी की पसंद का अभियोजन मामला निर्मित करने का अवसर प्रदान किया इसे खारिज नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि शायद वर्तमान मामले में परिवादी पक्ष ने फुलु की हत्या करने के लिए अभियुक्त के पास मजबूत हेतु होने को मजबूती से प्रक्षेपित करने का प्रयास किया है किंतु उक्त हेतु इलाका दंडाधिकारी को विशेष रिपोर्ट भेजने में अत्यधिक विलंब के कारण अभियुक्त को झूठा आलिप्त करने के लिए आधार भी माना जा सकता है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले में किए गए अन्वेषण में कतिपय खामियों को इंगित करते हुए अंत में निवेदन किया कि जब अभियोजन मामले का इसकी संपूर्णता में संवीक्षण किया जाता है। यह संपूर्ण अभियोजन मामले जैसा स्थापित किया गया है के बारे में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करेगा, अत: समस्त तीनों अभियुक्तगण दोषमुक्ति योग्य है।

7. श्री अजित कुमार ने अभियुक्तगण धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो के प्रति अभियोजन मामले का विरोध करते हुए निवेदन किया कि इन दोनों अभियुक्तगण को बहादुर महतो के सगे भाई निर्मल महतो के साथ मृतक को पकड़ने के अभिकथन पर बहादुर महतो के साथ इस मामले में आरोपित किया गया है जिस साक्ष्य को अंतर्निहित रूप से अपनी प्रकृति में कमजोर कहा जा सकता है और सामान्यत: परिवादी की पसंद पर अन्य को अंतर्ग्रस्त करने के लिए बड़ा जाल बुनने के लिए लाया जाता है विशेषत: जब पुलिस के पास कहानी गढ़ने का पर्याप्त समय है।

8. अपने निवेदनों को मजबूत करने के लिए श्री कुमार ने न्यायालय का ध्यान अ॰ सा॰ भुखली देवी के बयान की ओर आकृष्ट किया है, जिसमें अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया कि वस्तुत: वह नहीं जानती थी कि पुलिस ने क्या दर्ज किया था और पुलिस को संपूर्ण सूचना उसके साथ के अन्य व्यक्तियों ने दिया था। इससे विद्वान अधिवक्ता विकसित करना चाहते हैं कि इस मामले में अभियोजन कथा कतिपय अन्य व्यक्तियों द्वारा रची गयी है जो वर्तमान दो अभियुक्तगण जो सगे भाई हैं को झूठा आलिप्त करने में हितबद्ध थे। इस प्रकार, वह दोनों अभियुक्तगण की दोषमुक्ति की प्रार्थना करते हैं।

9. किंतु, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने यह कथन करते हुए कि कम से कम अ॰ सा॰ भूखली देवी पर अविश्वास करने का कारण प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उसकी किसी अभियुक्त से दुश्मनी नहीं है, समस्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है।

10. दोनों पक्षों को सुनने पर एवं संपूर्ण अभियोजन मामले का इसके सही परिप्रेक्ष्य में पुनर्संवीक्षण करने पर हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन अभियुक्त (अपीलार्थीगण धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो दांडिक अपील सं॰ 921/2003) के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है जबकि अभियुक्त बहादुर महतो (दांडिक अपील सं॰ 991/2003 में अपीलार्थी) अपने विरुद्ध विरचित आरोपों से बच नहीं सकता है।

हम इस तथ्य के प्रति जागरुक हैं कि समस्त अभियुक्तगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया है किंतु अभियुक्त बहादुर महतो को मुख्यत: भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध करना असुरक्षित नहीं होगा क्योंकि कम से कम उसके विरुद्ध अभियोजन मामला पूरी तरह सिद्ध किया गया है।

11. अभियोजन मामला करुआ महतो की पत्नी अ॰ सा॰ भूखली देवी के बयान पर आधारित है जिसने अभिकथित किया कि दिनांक 25.3.1999 को सायं लगभग 5 बजे जब वह और उसका दामाद फुलु महतो (मृतक) रामनवमी मेला से अपने घर लौट रहे थे और जब उसका दामाद उससे कुछ दूरी पर था, समस्त तीनों अभियुक्तगण बहादुर महतो के सगे भाई निर्मल महतो के साथ वहाँ पहुँचे। तब यह अभिकथित किया गया है कि धनेश्वर महतो, लोचन महतो एवं निर्मल महतो ने मृतक को पकड़ लिया और अभियुक्त बहादुर महतो जो टांगी (कुल्हाड़ी जैसा तेज धार वाला हथियार) से लैस था ने, मृतक पर प्रहार किया। स्वीकृत रूप से, अभियोजन ने निर्मल महतो को गिरफ्तार नहीं किया है। निर्मल महतो एवं बहादुर महतो दो सगे भाई हैं जबकि धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो भी दो सगे भाई हैं। बहादुर महतो को छोड़कर निर्मल महतो सहित समस्त अभियुक्तगण पर मृतक को पकड़ने का आरोप लगाया गया है। बहादुर महतो ने तीनों अभियुक्तगण द्वारा उसे पकड़े जाने पर मृतक के शरीर पर अभिकथित रूप से

उपहति कारित किया। अत:, बहादुर महतो के सगे भाई निर्मल महतो का मामला धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो के मामले से सुभिन्न किए जाने योग्य नहीं है। यह एक पहलू है जिसे हम अभियोजन मामले का अधिमूल्यन करते हुए ध्यान में रख रहे हैं।

12. अब हम विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य पर आते हैं। अ॰ सा॰ डॉ॰ तुलसी महतो, जिन्होंने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण किया, ने मृतक के शरीर पर कुल तीन कटने की उपहति पाया जो तेज धार वाले हथियार द्वारा कारित की गयी थी और उपहतियों में से एक मृतक के छाती के दाएँ स्कापुलर क्षेत्र पर है। मृतक के शरीर पर उपहतियों के स्थान को देखते हुए यह अति असंभाव्य तथा कृत्रिम प्रतीत होता है कि तीन अभियुक्तों ने मृतक को पकड़ रखा था और तत्पश्चात बहादुर महतो ने मृतक के शरीर के विभिन्न अंगों पर उपहतियाँ कारित किया था। यह अभियोजन मामले का एक अन्य पहलू है जो अभियुक्तगण धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो की भूमिका के मुकाबले हमारे दिमाग में संदेह उत्पन्न करता है।

13. तीसरा पहलू इलाका दंडाधिकारी को विशेष रिपोर्ट भेजने में विलंब है। यह सुनिश्चित है कि दंडाधिकारी को विशेष रिपोर्ट भेजने में विलंब समस्त मामलों में अभियोजन के प्रति घातक नहीं कहा जा सकता है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। नि:संदेह, अभियुक्त बहादुर महतो के लिए उपस्थित श्री गुप्ता ने यह कथन करते हुए अभियोजन मामले को इसकी संपूर्णता में खारिज करने का प्रयास किया कि परिवादी पक्ष के पास समस्त अभियुक्तगण को आलिप्त करने के लिए अपनी पसंद की कहानी बनाने का पर्याप्त समय था किंतु अभियोजन मामले का इसकी संपूर्णता में पुनर्संवीक्षण करने के बाद हमारा सुविचारित मत है कि दंडाधिकारी को विशेष रिपोर्ट भेजने में इस विलंब के कारण अभियोजन मामला अभियुक्तगण धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो के प्रति और न कि मुख्य हमलावर अभियुक्त बहादुर महतो के प्रति कमजोर पड़ जाता है क्योंकि इस मामले के मुख्य अभियुक्त के रूप में बहादुर महतो को झूठा फँसाने के लिए अ॰ सा॰ भूखली देवी के पास कारण प्रतीत नहीं होता है। कोई भी वास्तविक हमलावर को नहीं छोड़ेगा, शायद मुख्य अभियुक्त के साथ अन्य को फँसाने की प्रवृति भी है जैसा इस न्यायालय द्वारा सामान्यत: ध्यान में लिया गया है। अपने दामाद के साथ अ॰ सा॰ भुखली देवी की उपस्थिति बिल्कुल अनधिसंभाव्य नहीं प्रतीत होती है। गाँवों में जो अक्सर होता है यह है कि सामान्यत: पुरुष साथ मेला जाते हैं और महिलाएँ पृथक रूप से जाती हैं किंतु वर्तमान मामले में अ॰ सा॰ भूखली देवी विधवा होने के नाते अपने दामाद के साथ थी जो गाँव में था। इसमें कुछ भी असामान्य प्रतीत नहीं होता है। वर्तमान में मृतक की पत्नी मृतक के साथ मेला नहीं जा रही थी और वह अपने घर पर थी जैसा उसके बयान से स्पष्ट है जब वह कठघरे में आयी और कथन किया कि जब वह घटना स्थल पहुँची, अभियुक्तगण घटना स्थल से भाग रहे थे और उसने अपनी माता से हमलावरों का नाम जाना। यह पुन: स्वाभाविक है।

14. हम इस तथ्य के प्रति जागरुक हैं कि अभियोजन ने अ॰ सा॰ भूखली देवी की सगी बहन अ॰ सा॰ टुनिया देवी का चश्मदीद गवाह के रूप में परिचय करवाया जिस पर समस्त तीनों अभियुक्तगण की दोषसिद्धि अभिनिर्धारित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास किया गया है किंतु हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में इस साक्ष्य पर कम से कम इस कारण से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसका नाम प्राथमिकी में नहीं आता है। यह विश्वसनीय नहीं है कि यदि वह अपनी सगी बहन (प्रथम सूचक) के साथ थी, उसका नाम प्राथमिकी में छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार हम चश्मदीद गवाह के रूप में अ॰ सा॰ टुनिया देवी का बयान अस्वीकार करते हैं। उस तथ्य के बावजूद हम अ॰ सा॰ भूखली देवी के

साक्ष्य को खारिज करने का कोई कारण नहीं पाते हैं जहाँ तक अभियुक्त बहादुर महतो का संबंध है, जो मुख्य हमलावर था और अभिकथित रूप से टांगी से लैस था और मृतक के शरीर पर अनेक उपहतियाँ कारित किया था। वर्तमान मामला स्वयं अपने तथ्यों पर जाँचे जाने पर अपनी संपूर्णता में अस्वीकार किए जाने योग्य मामला मात्र दंडाधिकारी को विशेष रिपोर्ट भेजने में विलंब के कारण नहीं कहा जा सकता है। किंतु मृतक को पकड़ने के अभिकथन पर अभियुक्तगण धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो (दोनों सगे भाई) को झूठा फँसाए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है जब सही परिप्रेक्ष्य में मामले का अधिमूल्यन किया जाता है। शुद्ध परिणाम यह है कि अभियोजन अभियुक्तगण धनेश्वर महतो एवं उसके सगे भाई लोचन महतो के प्रति युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है जबकि अभियुक्त बहादुर महतो के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध कर सका था, ऐसी दशा में, उसके प्रति विचारण न्यायालय द्वारा पहले से ही दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया जाता है जबकि धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है। तद्नुसार, आदेश दिया गया।

15. परिणामस्वरुप, अभियुक्त बहादुर महतो द्वारा दाखिल दांडिक अपील सं॰ 991/2003 एतद्द्वारा खारिज किया जाता है जबकि अभियुक्तगण धनेश्वर महतो एवं लोचन महतो द्वारा दाखिल दांडिक अपील सं॰ 921/2003 एतद् द्वारा अनुज्ञात की जाती है। इन दोनों अपीलार्थीगण को अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर बताया जाता है। उन्हें अब उनके जमानत बंधपत्रों से उन्मोचित किया जाएगा।

---

ekuuh; lfjr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

देवमनि तिवारी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 6300/2014. Decided on 19th January, 2015.

सेवा विधि–अवकाश नगदकरण–याचीगण क्रमशः दिनांक 28.2.2010 एवं दिनांक 30.11.2008 को सहायक शिक्षक के रूप में गुरूनानक उच्च विद्यालय, साकची से सेवानिवृत्त हुए, उक्त विद्यालय सरकारी मान्यता प्राप्त सहायित अल्पसंख्यक विद्यालय है–याचीगण को अर्जित अवकाश पर अवकाश नगदकरण राशि का भुगतान नहीं किया गया–किंतु मरियम तिर्के के मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में विवाद्यक अब सुलझा दिया गया है–प्रत्यर्थी सं॰ 2 डी॰ ई॰ ओ॰ को मरियम तिर्के मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में और प्रासंगिक सेवा अभिलेख के सम्यक संवीक्षण के बाद याचीगण को अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में निर्णय लेने के निर्देश के साथ याचिका निपटायी गयी। (पैरा 4)

निर्णयज विधि.–2014(1) JBCJ 465—Followed.

अधिवक्तागण.–Mr. Madan Mohan Pan, For the Petitioner; JC to G.P. I., For the Respondents.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

इन दो याचीगण को क्रमशः दिनांक 28.2.2010 एवं दिनांक 30.11.2008 को सहायक शिक्षक के रूप में गुरुनानक उच्च विद्यालय, साकची (पूर्वी सिंहभूम) से सेवानिवृत्त होता बताया जाता है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त विद्यालय सरकारी मान्यता प्राप्त सहायित अल्पसंख्यक विद्यालय है।

2. वर्तमान रिट आवेदन में याचीगण की शिकायत उनके व्यक्तिगत नाम के विरुद्ध बकाया अर्जित अवकाश पर अवकाश नगदकरण राशि के गैर–भुगतान से संबंधित है। उन्होंने यह कथन भी किया है कि याचीगण को पहले ही अन्य सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान किया जा चुका है और कि इन याचीगण का वेतन एवं सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ का भुगतान भी राज्य द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदान में से किया जा चुका है। याचीगण के अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पहले प्रत्यर्थी राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत याची के दावा का प्रतिरोध किया गया था किंतु अब **मरियम तिर्के बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 506/2013,** मामले एवं अन्य सदृश मामलों में दिनांक 3 जनवरी, 2014 को इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की दृष्टि में विवाद्यक सुलझा लिया गया है जिसे **2014 (1) JBCJ 465,** में प्रकाशित भी किया गया है। याचीगण के अनुसार, विद्वान खंडपीठ द्वारा पूर्वोक्तानुसार दिए गए निर्णय की दृष्टि में प्रत्यर्थीगण को याचीगण को अर्जित अवकाश नगदकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर याचिका निपटायी जा सकती है।

3. राज्य के अधिवक्ता विवादित नहीं करते हैं कि गैर–सरकारी/सहायित अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नगदकरण राशि की ग्राह्यता से संबंधित पूर्वोक्त विवाद्यक **मरियम तिर्के मामले (ऊपर)** में दिए गए निर्णय की दृष्टि में विनिश्चित कर दिया गया है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर, ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं॰ 2 जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) को **मरियम तिर्के (ऊपर)** मामले में दिए गए निर्णय की दृष्टि में और व्यक्तिगत याची के प्रासंगिक सेवा अभिलेख के सम्यक संवीक्षण के बाद अवकाश नगदकरण राशि के प्रदान के मामले में व्यक्तिगत याची की ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से दस सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निपटायी जाती है।

तद्नुसार, रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

जयकांत मंडल

cuke

झारखंड राज्य

Cr. App. (S.J.) No. 33 of 2005. Deccided on 16th January, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 77 वर्ष 1992 के संबंध में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 18.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 20.12.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

(क) दांडिक विधि–अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन मामले के प्रति घातक नहीं होता है विशेषत: जब अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव कारित होने की संभावना नहीं है–चूँकि मूल प्राथमिकी अभिलेख पर मौजूद नहीं है और छाया प्रतिलिपि भी द्वितीयक साक्ष्य के रूप में चिन्हित नहीं की गयी है, गैर–परीक्षण के कारण कुछ प्रतिकूलता कारित हुई है।

(पैरा 17)

(ख) दांडिक विधि–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 364 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील–विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए कतिपय परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास किया कि जयकांत मंडल ने नरेश चंद्र मंडल को अपने साथ झग्राही से जाने के लिए प्रेरित किया और तब से नरेश मंडल का पता नहीं है; ये परिस्थितियाँ सुझाती हैं कि या तो उसकी हत्या कर दी गयी थी अथवा हत्या किए जाने के खतरे में उसको डालने के लिए ठिकाने लगा दिया गया है–इस प्रभाव का साक्ष्य नहीं है कि प्रेरण अथवा प्रपीड़न अथवा प्रवंचनापूर्ण साधन अथवा तथ्य का दुर्व्यपदेशन था अथवा कि अपीलार्थी एवं नरेश मंडल के बीच संबंध कटु थे बल्कि साक्ष्य अन्यथा है, स्वीकृत रूप से, उक्त नरेश मंडल जीवित या मृत नहीं पाया गया है। (पैराएँ 18 एवं 19)

(ग) दांडिक विधि–परिस्थितिजन्य साक्ष्य–यह सुनिश्चित विधि है कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है–प्रत्येक अपराध में फँसाने वाली परिस्थिति को विश्वसनीय एवं निर्णयकारी साक्ष्य द्वारा स्पष्टतः स्थापित करना होगा और इस प्रकार सिद्ध की गयी परिस्थितियों को घटना की श्रृंखला से होनी चाहिए जिससे केवल अभियुक्त के दोष के बारे में एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष विशेषतः निकाला जा सके और दोष के विरुद्ध कोई अन्य हाइपोथेसिस संभव नहीं है–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 364 के अधीन उसको दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध विधिक एवं तर्कपूर्ण तथा सकारात्मक साक्ष्य नहीं हैं–दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया गया–अपील अनुज्ञात की गयी। (पैराएँ 19 से 21)

निर्णयज विधि.–2013 (6) SCC 418—Relied upon; (1996) 2 SCC 317; (2009)9 SCC 153; AIR 1984 SC SC 911—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s J. Majumdar, Rajesh Kumar, For the Appellant; Mr. T.N. Verma, For the State.

आदेश

एकमात्र अपीलार्थी जयकांत मंडल ने सत्र विचारण सं॰ 77 वर्ष 1992 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 18.12.2004 के आक्षेपित निर्णय को चुनौती दिया है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने और 3000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और व्यतिक्रम में आगे छह माह की अवधि का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. अभियोजन मामला, जो दिनांक 23.4.1991 को दर्ज मणिलाल मंडल के फर्दबयान पर आधारित है, संक्षेप में यह है कि दिनांक 23.3.1991 को जयकांत मंडल, वर्तमान अपीलार्थी, ग्राम झग्राही में अपने घर आया और सूचित किया कि उसके पुत्र नरेश मंडल की पत्नी को शेखपुरा में उच्च विद्यालय परीक्षा में उपस्थित होना है, अतः नरेश को वहाँ जाना होगा। चूँकि जयकांत मंडल संबंध में नरेश मंडल का साढ़ू था, सूचक ने अपने पुत्र नरेश मंडल को जयकांत मंडल के साथ जाने की अनुमति दी। दिनांक 10.4.1991 को उसका समधी कैलाश चंद्र मंडल उसके घर आया और सूचित किया कि उसके पुत्र नरेश मंडल को कुत्ता ने काट लिया था और वह पागल हो गया और भाग गया। तत्पश्चात, सूचक ने विनोद मंडल एवं परशुराम मंडल के साथ समस्त संभव स्थानों पर अपने पुत्र का तलाश किया किंतु उसका पुत्र नहीं पाया गया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि उसके समधी द्वारा दी गयी सूचना के मुताबिक वह शेखपुरा मुंगेर में केदार प्रसाद कुर्मी के घर भी गया जहाँ उक्त केदार प्रसाद की पत्नी ने सूचित किया

कि नरेश मंडल 5-6 व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने स्वयं को साला, साढ़ू एवं ससुर के रूप में प्रकट किया, उसके घर आया था और नरेश की पत्नी भी उनके साथ थी और नरेश मंडल एवं उसके साला के बीच नरेश मंडल की पत्नी की अंतिम परीक्षा के 2-3 दिन पहले मारपीट हुई। आगे अभिकथन यह है कि उसकी पुत्र वधु का नूनधन मंडल, जयकांत मंडल, निरंजन मंडल के साथ अवैध संबंध था जिसे उसके पुत्र नरेश मंडल द्वारा भी देखा गया था और दिनांक 8.4.1991 को अभियुक्तगण ने उसके पुत्र को कुछ नशीला पदार्थ दिया था और उसको पीटने के बाद अज्ञात स्थान पर ले गए थे और तब से उसके पुत्र को देखा नहीं गया है। यह भी अभिकथित किया गया है कि उक्त व्यक्तियों ने उसकी हत्या करने के आशय से उसके पुत्र पर प्रहार किया था और जानबूझ कर गलत सूचना दिया था।

3. प्राथमिकी में, कॉलम 'तिथि एवं घटना का समय' में, दिनांक 25.3.1991 और दिनांक 9.4.1991 के बीच की अवधि दी गयी है।

4. उक्त सूचना के आधार पर सात, अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364/34 के अधीन सरथ पी॰ एस॰ केस सं॰ 58 वर्ष 1991 संस्थित किया गया था। अन्वेषण के बाद, पुलिस ने समस्त सात अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया और तद्नुसार मामला विचारण एवं निपटान के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। जिसके बाद आरोप विरचित किए गए थे और जब इसे अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं स्पष्ट किया गया था, उन्होंने निर्दोषिता का अभिवचन किया।

5. आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने अ॰ सा॰ 5 के रूप में मणिलाल मंडल सहित दस गवाहों का परीक्षण किया। अन्य गवाह अ॰ सा॰ 1 गाजो मंडल, अ॰ सा॰ 2 भोला मंडल, अ॰ सा॰ 3 युधिष्ठिर मंडल जिसे प्रति परीक्षण के लिए दिया गया था, अ॰ सा॰ 4 उपसी देवी, अ॰ सा॰ 5A विनोद मंडल, अ॰ सा॰ 6 झगरु मंडल, अ॰ सा॰ 7 गोपाल मंडल, अ॰ सा॰ 8 परशुराम मंडल एवं अ॰ सा॰ 9 रूपलाल मंडल हैं। अभियोजन द्वारा मामले के अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है।

6. विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी जयकांत मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया किंतु अन्य अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया गया था।

7. दोषसिद्धि के निर्णय का विरोध करते हुए एकमात्र अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह ऐसा मामला है जिसका अभियोजन विलंब से आरंभ किया गया था और अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा हैं कि सूचक के पुत्र को बलपूर्वक अथवा किसी प्रवंचनापूर्ण साधन से शेखपुरा ले जाया गया था। अभियोजन यह भी सिद्ध करने में विफल रहा है कि नरेश मंडल की हत्या की गयी थी अथवा हत्या किए जाने के खतरे में डाला गया था। अभियोजन मामला अत्यन्त अनधिसंभाव्य है क्योंकि इस मामले के आई॰ ओ॰ का परीक्षण नहीं किया है और मूल प्राथमिकी भी अभिलेख पर मौजूद नहीं है और प्रदर्श के रूप में चिन्हित कभी नहीं किया गया है बल्कि केवल प्राथमिकी की छाया प्रतिलिपि अभिलेख पर मौजूद हैं। यह प्रतिवाद भी किया गया है कि अ॰ सा॰ 5A एवं 8 ने अपने साक्ष्य में स्पष्टत: कथन किया कि नरेश मंडल को अंतिम बार दिनांक 9.4.1991 को शेखपुरा में परीक्षा केंद्र पर देखा गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि **1984 East Criminal Cases 117 (SC)** एवं **1995 (2) East Criminal Cases 127 लाखन रविदास बनाम बिहार राज्य** में प्रकाशित निर्णय के आलोक में पोषणीय नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध गठित करने के लिए जिम्मेदार अवयवों को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है किंतु अभियोजन अपनी बाध्यता का निर्वहन करने में पूर्णत: विफल रहा है। प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब के बिंदु पर विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 1976 SC 2423 ईश्वर सिंह बनाम**

उत्तर प्रदेश एवं **2011 (7) SCC 421 भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य** में निर्णयों पर विश्वास किया है। अन्य के साथ इन आधारों पर अभियोजन मामला अत्यन्त अनधिसंभाव्य है। यह प्रतिवाद किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय अपास्त किया जाए और अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए।

8. इसके विपरीत, विद्वान लोक अभियोजक निवेदन करते हैं कि अभियुक्त के दोष की ओर इंगित करने वाली परिस्थितियों की संपूर्ण श्रृंखला तर्कपूर्ण साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया था। वह आगे निवेदन करते हैं कि अपीलार्थी के पास मृतक की हत्या करने का मजबूत हेतु था क्योंकि वह मृतक की पत्नी के साथ अंतरंग था। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि गवाहों का साक्ष्य संगत है और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. अभियोजन गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने के पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का परीक्षण करना समुचित होगा क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गंभीर रूप से प्रतिवाद किया है कि उक्त प्रावधान के अधीन मामला नहीं बनता है। यह मुझे भारतीय दंड संहिता की धारा 364 पर विचार करने की ओर ले जाती है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *364.* ***gR;k dju d fy, 0;igj.k ;k vigj.k-****&tk dkb blfy, fdlh 0;fDr dk 0;igj.k ;k vigj.k djxk fd ,l 0;fDr dh gR;k dh tk, ;k mldk ,l fuLrkfjr fd;k tk, fd og viuh gR;k gku d [krj e iM tk,] og vkthou dkjkokl l ;k dfBu dkjkokl l] ftldh vofèk nl o"k rd dh gk ldxh] nf.Mr fd;k tk,xk vkj teku l Hkh n.Muh; gkxkA*

दो शब्दों 'व्यपहरण' अथवा 'अपहरण' में से भारतीय दंड संहिता की धारा 362 का परीक्षण करना समुचित होगा जो 'अपहरण' परिभाषित करती है:–

> *362.* ***vigj.k-****&tk dkb fdlh 0;fDr dk fdlh LFkku l tku d fy, cy }kjk foo'k djrk g] ;k fdUgh çopuki.k mik;k }kjk mRçfjr djrk g] og ml 0;fDr dk vigj.k djrk g] ;g dgk tkrk gA*

10. प्रकटत: भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन को सिद्ध करना होगा कि अपहृत व्यक्ति के साथ बल अथवा प्रवंचना अथवा तथ्य के दुर्व्यपदेशन का उपयोग किया गया था, अन्यथा भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन दोषसिद्धि टिक नहीं सकती है। इस संबंध में, **विनोद चतुर्वेदी एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1984 SC 911,** मामले के प्रति निर्देश किया जा सकता है। उक्त मामले में, अधिकतर अभियोजन गवाहों ने कथन किया है कि अभियुक्तगण और विशेषत: विनोद द्वारा आश्वस्त किए जाने पर वृंदावन नामक अपहृत व्यक्ति अपने घर के अंदर गया और उन लोगों के साथ ग्राम विशेष जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में 'अपहरण' की परिभाषा की दृष्टि में अभियुक्तगण द्वारा वृंदावन का अपहरण किया गया था।

11. आशय जिससे व्यक्ति को व्यपहृत अथवा अपहृत किया जाता है, अपराध की कारिता के पहले, उस समय पर और उसके बाद की आनुषंगिक परिस्थितियों से एकत्रित करना होगा। वर्तमान मामले में, प्राथमिकी में कहीं भी पक्षों के बीच पूर्व दुश्मनी अथवा बैर प्रकट नहीं किया गया है।

12. पूर्वोक्त सुनिश्चित अवस्था के आलोक में, मैं यह पता लगाने के लिए कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन कोई अपराध बनता है या नहीं, वर्तमान मामले के तथ्यों का परीक्षण करने के लिए अग्रसर होना चाहूँगा।

जैसा सूचक (अ॰ सा॰ 5) द्वारा प्राथमिकी में दावा किया गया है कि दिनांक 23.3.1991 को अपीलार्थी जयकांत मंडल उसके घर आया और सूचित किया कि नरेश मंडल की पत्नी को उच्च विद्यालय परीक्षा में शेखपुरा में उपस्थित होना है और इसलिए नरेश को वहाँ जाना होगा। सूचक (अ॰ सा॰ 5) ने जयकांत मंडल एवं अपने पुत्र नरेश मंडल के बीच संबंध को साढ़ू के रूप में प्रकट किया है। आगे यह प्रतीत होता है कि सूचक ने अपने पुत्र को 1000/- रुपया देने के बाद जयकांत मंडल के साथ भेजा। सूचक ने यह भी स्पष्ट किया कि नरेश मंडल की पत्नी अपने विवाह के समय से सूचक के गाँव नहीं आयी है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकी में, यह कथन कहीं नहीं किया गया है कि अपने साथ नरेश मंडल को जाने की अनुमति देने के लिए सूचक के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा किसी बल अथवा प्रवंचना का उपयोग किया गया था। अब इस चरण पर, मैं अभियोजन गवाहों के साक्ष्यों का परीक्षण करना चाहूँगा। अ॰ सा॰ 5 मणिलाल मंडल ने अपने साक्ष्य में इसी तथ्य को दोहराया है। अ॰ सा॰ 1 गाजो मंडल, अ॰ सा॰ 2 भोला मंडल, अ॰ सा॰ 4 नरेश मंडल की माता उपसी देवी और अ॰ सा॰ 6 झगरु मंडल समस्त ने तथ्य संपुष्ट किया कि अ॰ सा॰ 5 मणिलाल मंडल ने अपने पुत्र को जयकांत मंडल के साथ जाने की अनुमति दी थी और अपीलार्थी द्वारा किसी बल अथवा प्रवंचना का उपयोग नहीं किया गया था। जहाँ तक शेखपुरा में नरेश मंडल की पत्नी के परीक्षण के संबंध में तथ्य के दुर्व्यपदेशन का संबंध है, अ॰ सा॰ 8 परशुराम मंडल ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 9.4.1991 को वह शेखपुरा में नरेश मंडल से मिला जिसने उसको सूचित किया कि वह अपनी पत्नी की परीक्षा के लिए शेखपुरा आया है। एक अन्य अभियोजन गवाह अ॰ सा॰ 5A विनोद मंडल ने भी इस तथ्य को संपुष्ट किया कि वह भी अपनी भाभी/साली की परीक्षा के लिए शेखपुरा गया था और वहाँ वह नरेश मंडल से मिला था। अत: दिनांक 23.3.1991 को अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत इस आधार पर विफल होता है कि पश्चातवर्ती तिथि पर अर्थात् दिनांक 9.4.1991 को नरेश शेखपुरा में परीक्षा केंद्र में उपस्थित था और अ॰ सा॰ 8 परशुराम मंडल एवं अ॰ सा॰ 5A विनोद मंडल से मिलाया।

13. प्राथमिकी के दूसरे भाग में, सूचक (अ॰ सा॰ 5) ने यह कथन करके मामला आगे विकसित किया है कि शेखपुरा के केदार प्रसाद कुर्मी की पत्नी ने उसको सूचित किया था कि नरेश मंडल अपनी पत्नी, साला, साढ़ू एवं ससुर के साथ उसके घर आया था और वहाँ नरेश मंडल एवं उसके साला के बीच मारपीट हुआ था। उसने यह भी प्रकट किया कि उसकी पुत्रवधु का जयकांत मंडल, नूनधन मंडल एवं निरंजन मंडल के साथ अवैध संबंध था। मामले के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि उक्त अभियोजन कथा का समर्थन करने के लिए अभियोजन द्वारा केदार प्रसाद कुर्मी की पत्नी का परीक्षण नहीं किया गया है और न ही अभियोजन द्वारा केदार प्रसाद कुर्मी का परीक्षण किया गया है। अपने साक्ष्य में अ॰ सा॰ 5 ने कथन किया कि उसे अपनी पुत्रवधु के अवैध संबंध की जानकारी किसी रामधारी यादव से हुई जो शेखपुरा के केदार प्रसाद कुर्मी के घर में रह रहा था किंतु उक्त रामधारी यादव का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है।

14. जहाँ तक जयकांत मंडल का नरेश मंडल की पत्नी के साथ अवैध संबंध और अपीलार्थी द्वारा दी गयी धमकी का संबंध है, अ॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि शेखपुरा में नरेश ने अपनी पत्नी लता एवं जयकांत को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था किंतु इस गवाह ने अपने संपूर्ण अभिसाक्ष्य में कहीं नहीं कथन किया कि किस प्रकार उसको इस तथ्य की जानकारी हुई। उसने कहीं नहीं कथन किया है कि वह भी शेखपुरा गया था और नरेश मंडल से मिला था जिसने उसको उक्त अवैध संबंध के बारे में सूचित किया। अ॰ सा॰ 2 ने भी अपने भाई की पत्नी के जयकांत मंडल के साथ संबंध के बारे में समरुप बयान दिया है और अ॰ सा॰ 4 ने आगे कथन किया है कि उसे उसके भाई नरेश मंडल के ससुर कैलाश चंद्र

मंडल से इस तथ्य की जानकारी हुई किंतु वह शेखपुरा कभी नहीं गया था। उक्त कैलाश चंद्र मंडल का परीक्षण भी गवाह के रूप में अवैध संबंध के इस तथ्य को अभिपुष्ट करने के लिए नहीं किया गया है। इस गवाह ने बचाव द्वारा दिए गए सुझाव से इनकार किया है उसे अपने पिता से अवैध संबंध की जानकारी हुई।

15. धमकी के बिंदु पर, नरेश मंडल अ॰ सा॰ 5A एवं परशुराम मंडल अ॰ सा॰ 8 ने अपने साक्ष्यों में कथन किया है कि राजेश मंडल, निरंजन मंडल, नूनधन मंडल एवं पांचू मंडल ने नरेश को धमकी दिया था किंतु अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है कि वर्तमान अपीलार्थी ने कभी नरेश मंडल को गंभीर परिणामों की धमकी दी थी। उक्त व्यक्तियों राजेश मंडल, निरंजन मंडल, नूनधन मंडल एवं पांचू मंडल को पहले ही अवर न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है और सूचक अथवा राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं की गयी है। इस संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दांडिक मामले में अपराध की कारिता के लिए हेतु अभिकथित करना सदैव आवश्यक नहीं है किंतु यदि अपराध की कारिता के लिए अभियोजन द्वारा हेतु अभिकथित किया गया है, यह सुनिश्चित है कि इसे सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है जिसमें विफल होने पर यह अभियोजन मामले के प्रतियुक्तियुक्त संदेह सृजित कर सकता है।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गंभीर रूप से तर्क किया गया है कि इस मामले की उत्पत्ति, प्राथमिकी, अभिलेख पर नहीं लायी गयी है बल्कि केवल प्राथमिकी की छाया प्रति अभिलेख पर है और उसे भी प्रदर्श के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक विलंब हुआ है क्योंकि अभिकथित घटना दिनांक 23.7.1991 को हुई बतायी गयी है जबकि प्राथमिकी दिनांक 23.4.1991 को दर्ज की गयी थी और इस विलंब को अभियोजन द्वारा समुचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में मेरा ध्यान **ईश्वर सिंह बनाम उ॰ प्र॰ राज्य (ऊपर)** एवं **भजन सिंह उर्फ हरभजन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर)** मामलों की ओर आकृष्ट किया गया है। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण ने संपूर्ण मामले पर प्रतिकूलता कारित किया है और उसके लिए विद्वान अधिवक्ता ने **लहू कमलाकर पाटिल एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2013 (6) SCC 418,** में निर्णय पर विश्वास किया है।

17. प्राथमिकी में कॉलम ''घटना की तिथि एवं समय में'' अवधि दिनांक 25.3.1991 और 9.4.1991 के बीच की दी गयी है। अभिकथन के मुताबिक नरेश मंडल जयकांत मंडल के अनुरोध पर उसके साथ दिनांक 23.3.1991 को गया और तत्पश्चात दिनांक 10.4.1991 को सूचक की पुत्रवधु का पिता कैलाश चंद्र मंडल उसके घर आया और सूचित किया कि नरेश चंद्र मंडल को कुत्ता ने काटा है और पागल हो गया है और भाग गया है। तत्पश्चात सूचक विनोद मंडल एवं परशुराम मंडल के साथ गाँव चंदना, जगतपुर एवं अन्य स्थानों में नरोश को खोजने गया किंतु उसका पुत्र पाया नहीं गया था। यह आश्चर्यजनक है कि ऐसी स्थिति जैसी स्थिति में तलाश के बाद भी उसने पुलिस को सूचित नहीं किया था। सूचक का मामला यह भी है कि जब उसका पुत्र नहीं पाया गया था, वह शेखपुरा में केदार प्रसाद कुर्मी के घर गया और उसकी पत्नी ने सूचित किया कि नरेश मंडल साला, साढ़ू एवं ससुर सहित उन व्यक्तियों के साथ वहाँ आया था और नरेश की पत्नी भी उस समय पर वहाँ थी। अत: स्वयं अभियोजन विवरण से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि नरेश मंडल दिनांक 10.4.1991 के बाद भी शेखपुरा में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विलंब के बिंदु पर **ईश्वर सिंह बनाम उ॰ प्र॰ राज्य (ऊपर)** एवं **भजन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (ऊपर)** में विश्वास किया है कि किंतु उन दो निर्णयों के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि दोनों मामलों में प्राथमिकी घटना की

तिथि पर दर्ज की गयी थी किंतु इसे अयुक्तियुक्त विलंब के बाद संबंधित न्यायालय को अग्रसारित किया गया था। वर्तमान मामले में, प्राथमिकी अत्यधिक विलंब के बाद दर्ज की गयी थी और दिनांक 10.4.1991 को तलाश के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी। अभियोजन मामला अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है और इस मामले में सूचना दर्ज करने में एक माह के अत्यधिक विलंब के लिए अभियोजन द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

जहाँ तक अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने **लहू कमलाकर पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है। यह सुस्वीकृत सिद्धांत है कि अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण प्रत्येक मामले में अभियोजन के प्रति घातक नहीं है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। उक्त मामले में, संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई॰ ओ॰ का गैर परीक्षण कमी सृजित करता है। **बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1996)2 SCC 317,** में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण अभियोजन मामले के प्रति घातक नहीं है विशेषत: जब अभियुक्त पर प्रतिकूलता कारित होने की संभावना नहीं है। **बहादुर नायक बनाम बिहार राज्य, (2000)9 SCC 153,** में माननीय न्यायालय ने मत दिया कि जब कोई तात्विक विरोधाभास नहीं निकाला गया है, अभियोजन गवाह के रूप में अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण परिणाम विहीन है और ऐसी परिस्थिति के अधीन अभियुक्त पर प्रतिकूलता कारित नहीं होती है। यहाँ यह गौर करना उपयुक्त है कि आई॰ ओ॰ के गैर परीक्षण का प्रश्न विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था, अत: विचारण न्यायाधीश ने विवाद्यक पर विचार नहीं किया है। चूँकि मूल प्राथमिकी अभिलेख पर मौजूद नहीं है और छाया प्रतिलिपि भी द्वितीयक साक्ष्य के रूप के चिन्हित नहीं की गयी है, गैर परीक्षण के कारण कुछ प्रतिकूलता कारित की गयी है।

18. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए कतिपय परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास किया है कि जयकांत मंडल ने नरेश मंडल को झग्राही से अपने साथ चलने के लिए प्रेरित किया और तब से नरेश मंडल का पता नहीं है। ये परिस्थितियाँ सुझा रही हैं कि या तो उसकी हत्या कर दी गयी थी अथवा हत्या किए जाने के खतरे में उसे डालकर ठिकाने लगा दिया गया था।

19. स्वीकृत रूप से, उक्त नरेश मंडल के जीवित या मृत होने का पता अभी तक नहीं चला है किंतु इस प्रभाव का साक्ष्य भी नहीं है कि कोई प्रेरण, प्रपीड़न अथवा प्रवंचनापूर्ण साधन अथवा तथ्य का दुर्व्यपदेशन था अथवा कि अपीलार्थी एवं नरेश मंडल के बीच संबंध कटु थे बल्कि साक्ष्य अन्यथा है। गवाहों के परिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि दुर्बलता जो अभियोजन साक्ष्य में समा गयी है के अतिरिक्त यदि अपीलार्थी द्वारा नरेश मंडल को अपने साथ लिए जाने पर, जिसके बाद उसे जीवित नहीं देखा गया था, अभियोजन का विवरण अंकित मूल्य पर सत्य माना जाता है, यह स्वयं में अपीलार्थी के सर पर उसकी हत्या करने के आशय के साथ नरेश का अपहरण करने का आरोप नहीं लगायेगा। यह सुनिश्चित विधि है कि संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि आधारित करने का सिद्धांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में पहले ही अधिकथित किया गया है और विधि सुनिश्चित है कि अपराध में फँसाने वाली प्रत्येक परिस्थिति को विश्वसनीय एवं निर्णयकारी साक्ष्य द्वारा स्पष्टत: स्थापित करना होगा और इस प्रकार सिद्ध की गयी परिस्थितियों की घटनाओं की श्रृंखला होनी होगी जिनसे विशेषत: अभियुक्त के दोष के बारे में एकमात्र अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है और कोई अन्य हाइपोथेसिस दोष के विरुद्ध संभव नहीं है।

20. पूर्वोक्त चर्चा के आधार पर मेरा मत है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अधीन अपराध के लिए उसको दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध विधिक, तर्कपूर्ण एवं सकारात्मक साक्ष्य नहीं है। मैं पाता हूँ कि अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के लिए गलत रूप से दोषसिद्ध किया गया है।

21. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जो जमानत पर है को उसके जमानत बंध पत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

गुरुशरण महतो

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P.(S) No. 4682 of 2005. Decided on 27th January, 2015.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226 एवं 227—वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचार–परमादेश–दिनांक 1.1.1974 से दिनांक 1.9.1986 तक मस्टर रॉल पर सेवावधि की गिनती करने के बाद आनुपातिक पेंशन अनुज्ञात करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश–केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा लाभ देने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गयी थी और अस्वीकार कर दी गयी थी–यह सुनिश्चित है कि सामान्यतः भारत के संविधान के अनुच्छेदों 226 एवं 227 के अधीन अनुतोष उपलब्ध नहीं है यदि किसी व्यथित व्यक्ति को प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है–परिशिष्ट 3 की सत्यता एवं वास्तविकता संदेहपूर्ण है, रिट याचिका ग्रहणीय नहीं है और रिट न्यायालय द्वारा तथ्य एवं दस्तावेज के विवादित प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है–परिशिष्ट 3 दस्तावेज केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष दाखिल ओ॰ ए॰ में अभिलेख का भाग नहीं था–केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में परिशिष्ट 3 का दाखिल नहीं किया युक्ति युक्त संदेह सृजित करता है–यदि उक्त दस्तावेज केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में दाखिल किया जाता, तब याची का सद्भाव सिद्ध होता–केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पहली बार का न्यायालय है और वादकारों को सीधे उच्च न्यायालयों के पास जाने की छूट नहीं है–प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के मुताबिक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सिविल न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है–केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा परिशिष्ट 3 पर दस्तावेज की सत्यता एवं वास्तविकता पर विचार किया जा सकता है–याचिका खारिज की गयी। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(2012)4 SCC 786; (2011) 2 SCC 782—Relied upon; (1985) Supp SCC 432 Para 12; AIR 1997 SC 1125—Referred; (2009) 1 SCC 168—Followed.

अधिवक्तागण.–Mr. Sumeet Gadodia, For the Petitioner; Mr. Prabhash Kumar, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–इस रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ दिनांक 1.1.1974 से दिनांक 1.9.1986 तक मस्टर रॉल पर सेवावधि की गिनती करने के बाद आनुपातिक पेंशन अनुज्ञात करने के लिए प्रत्यर्थीगण को समुचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना की गयी है और आगे प्रार्थना की गयी है कि ओ॰ ए॰ सं॰ 320 वर्ष 2004 में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश

के बावजूद लाभ देने की याची की प्रार्थना स्वीकार नहीं की गयी है बल्कि इसे रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 के तहत अस्वीकार कर दिया गया है।

2. रिट याचिका में प्रकट एवं कथित तथ्य संक्षिप्त रूप से ये हैं कि याची को कोयला खान कल्याण संगठन के अधीन दिनांक 1.1.1974 से दिनांक 6.4.1977 तक की अवधि के लिए मस्टर रॉल पर और तत्पश्चात दिनांक 6.5.1977 से दिनांक 11.11.1979 तक मासिक रेटेड स्केल एवं बेसिक स्केल जिस पर याची ने महंगाई भत्ता का भी लाभ लिया है जैसा कोयला खान कल्याण संगठन के अधीन प्रयोज्य है, पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात याची को दिनांक 19.11.1979 से दिनांक 19.11.1984 तक फिटर का पद दिया गया था और अंतत: केंद्रीय कोल फील्ड्स लिमिटेड में विलीन कर दिया गया था और याची को जेनरेटर रूम, काँके, राँची में जवाहर नगर में पदस्थापित किया गया था और इस दशा में याची ने बिल्कुल आरंभ से ही 12 वर्षों से अधिक संपूर्ण सेवा दिया और इसलिए, याची कोयला एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियत सन्नियमों एवं नियमों के मुताबिक आनुपातिक पेंशन का हकदार है। रिट आवेदन में यह कथन किया गया है कि याची ने 12 वर्ष से अधिक के लिए दी गयी सेवा के कारण याची को आनुपातिक पेंशन अनुज्ञात करने की प्रार्थना के साथ आवेदन ओ॰ ए॰ सं॰ 320 वर्ष 2004 दाखिल करके विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास आया जिसे रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 के अधीन दिनांक 20.12.2004 के आदेश के तहत प्रत्यर्थीगण को उनके पास उपलब्ध अभिलेख के प्रति निर्देश में और ओ॰ ए॰ सं॰ 1015 वर्ष 2002 में अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के प्रति निर्देश में भी छह माह की अवधि के भीतर आवेदक/रिट याची के मामले पर सम्यक विचार करने के निर्देश के साथ निपटाया गया था। ओ॰ ए॰ सं॰ 320 वर्ष 2004 में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्देश के अनुसरण में, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21.5.2005 के कार्यालय आदेश, रिट आवेदन के परिशिष्ट 2 के अधीन याची का दावा अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। रिट आवेदन में आगे कथन किया गया है कि किसी पी॰ सी॰ मल्लिक, कार्यपालक अभियन्ता, सी॰ एम॰ डब्ल्यू॰ वर्क्स, धनबाद ने दिनांक 7.5.1977 का ज्ञापन, रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 के अधीन, जारी किया जिसमें मस्टर रॉल पर याची की नियुक्ति तिथि दिनांक 1.1.1974 के रूप में दर्शायी गयी है और उक्त ज्ञापन के कॉलम (7) में यह कथन किया गया है कि सेवा वरीयता एवं पेंशन लाभ के प्रयोजन से सेवा दिनांक 1.1.1974 अपराह्न को और इससे गिनी जाएगी श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने कोयला खान कल्याण आयुक्त को दिनांक 25.10.1975 का पत्र, रिट आवेदन के परिशिष्ट 3/1 के अधीन, लिखा और कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के मासिक रूप से भुगतान किए जा रहे मस्टर रॉल कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उक्त अधिकारी श्री पी॰ सी॰ मल्लिक, कार्यपालक अभियन्ता, सी॰ एम॰ डब्ल्यू॰ वर्क्स, धनबाद को प्राधिकृत किया। याची के मामला के अस्वीकरण के बाद, रिट याचिका के परिशिष्ट 2 के तहत, याची ने आनुपातिक पेंशन के लिए अपना दावा करने के लिए विभिन्न हैसियत में उसके द्वारा दी गयी सेवा के संबंध में उसके साथ परिशिष्टों 5, 5/1 एवं 5/2 को संलग्न करते हुए परिशिष्ट 4 के तहत अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए प्रत्यर्थीगण को दिनांक 11.6.2005 का कानूनी नोटिस भेजा। रिट याचिका में याची ने ओ॰ ए॰ सं॰ 214, 215 एवं 216 वर्ष 2003 में पारित आदेशों, परिशिष्ट 6, जिसमें भी समरुप लाभ दिया गया है, को भी यह दर्शाने के लिए संलग्न किया है कि उसका मामला भी पूर्वोक्त मूल आवेदनों में आवेदकों के समान है। पूर्वोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर याची ने अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए प्रत्यर्थीगण को परमादेश रिट जारी किए जाने के लिए प्रार्थना किया है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सुमीत गडोडिया एवं प्रत्यर्थी भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाष कुमार सुने गए।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क किया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (इसमें इसके बाद सी॰ सी॰ एस॰ नियमावली, 1972 के रूप में निर्दिष्ट) के मुताबिक, चूँकि याची ने न्यूनतम नौ वर्ष नौ माह की सेवा दिया है, याची आनुपातिक पेंशन का हकदार है। याची का संपूर्ण मामला परिशिष्ट 3 पर टिका है जो मस्टर रॉल पर याची की नियुक्ति तिथि दिनांक 1.1.1974 से उपदर्शित करता है। अत:, प्रत्यर्थीगण को याची का दावा अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि इतने अधिक वर्ष बीतने के बाद इस विलंबित चरण पर विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष विवाद के न्यायनिर्णय के लिए वैकल्पिक उपचार का आधार नहीं लिया जा सकता है। जहाँ तक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के दावा का संबंध है, विद्वान अधिवक्ता ने **कृष्ण लाल बनाम भारत खाद्य निगम एवं अन्य, (2012)4 SCC 786,** में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता वह आधार नहीं है जिसे विलंबित चरण पर प्रयोग में लगाया जा सकता है, तद्नुसार, इसे अस्वीकार कर दिया गया है। याची आगे निवेदन करता है कि प्रत्यर्थीगण ने याची का दावा अस्वीकार करने के लिए दो विपरीत प्रतिशपथ पत्रों को दाखिल किया है। इस संबंध में, उन्होंने **बी॰ प्रभाकर राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1985)Supp SCC 432,** में दिए गए निर्णय, विशेषत: उक्त निर्णय के पैरा 12 को निर्दिष्ट किया है।

5. इसके विपरीत, भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने याची के प्राख्यानों का प्रतिशपथ पत्र के पैरा 5 को निर्दिष्ट करके खंडन किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि याची ने नियमित रूप से काम नहीं किया था जैसा रिट याचिका में कथन किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने कथन किया है कि याची ने लगातार दिनांक 1 जनवरी, 1974 से दिनांक 6.5.1977 तक काम नहीं किया था और परिशिष्ट 3 के अधीन उक्त प्रमाणपत्र पैराग्राफ 2 एवं 7 में विरोधाभासी प्रविष्टियाँ अंतर्विष्ट करता है। भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान प्रतिशपथपत्र के परिशिष्ट D की ओर आकृष्ट किया है जो सी॰ सी॰ एल॰ में लिए गए उन कर्मचारियों जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरा नहीं किया है की सूची से संबंधित दिनांक 5.10.1991 का पत्र है जिसमें याची का नाम भी स्थान पाता है और फिटर के रूप में नियोजन लेने की तिथि दिनांक 6.5.1977 के रूप में उल्लिखित की गयी है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट B को भी निर्दिष्ट किया है जिसमें याची का नाम, क्रमांक 284 पर आता है और नियुक्ति की तिथि दिनांक 6.5.1977 के रूप में उल्लिखित की गयी है। भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने आगे उक्त शपथ पत्र के परिशिष्ट C को निर्दिष्ट किया है जिसमें क्लीनर के रूप में याची की नियुक्ति तिथि दिनांक 19.11.1979 के रूप में उल्लिखित की गयी है। उक्त प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 11 में आगे कथन किया गया है कि रिट याचिका के परिशिष्ट 3 के रूप में चिन्हित दस्तावेज तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता पी॰ सी॰ मल्लिक द्वारा अपनी सेवा निवृत्ति के बाद जारी कूटरचित दस्तावेज है और उक्त पी॰ सी॰ मल्लिक सी॰ सी॰ एस॰ नियमावली, 1972 के अधीन आनुपातिक पेंशन के लिए 9 वर्ष 9 माह की न्यूनतम पात्रता अर्हित करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मदद करने के लिए पिछली तिथि से ऐसा झूठा एवं मनगढ़ंत प्रमाण पत्र जारी करने का आदी था। विद्वान केंद्र सरकार अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थीगण के कार्यालय ने पाया कि उक्त पी॰ सी॰ मल्लिक द्वारा जारी समस्त प्रमाण पत्र झूठे एवं पूर्व दिनांकित हैं जिसके लिए दिनांक 30.11.2011 को धनबाद पुलिस थाना

में प्राथमिकी केस सं॰ 979 वर्ष 2011 भी दर्ज की गयी है। श्री ए॰ के॰ मिश्रा एवं श्री एम॰ पी॰ राव के संबंध में जारी कुछ झूठे प्रमाण पत्रों, जो पूरक प्रति शपथपत्र के परिशिष्ट E एवं F हैं, को संलग्न करने वाले पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट D के अधीन और पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट G के तहत इस तथ्य को धनबाद पुलिस थाना की जानकारी में लाया गया है।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी सं॰ 1 एवं 2 द्वारा दाखिल पूरक प्रतिशपथ पत्र का प्रत्युत्तर उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र काफी पहले दिनांक 28.2.2006 को दाखिल प्रति शपथ पत्र के विपरीत है। याची के अधिवक्ता द्वारा जोरदार निवेदन किया गया है कि पूर्व प्रतिशपथ पत्र से यह स्पष्ट होगा कि याची प्रत्यर्थीगण के साथ जनवरी, 1974 के प्रभाव से कार्यरत था जिससे प्रत्यर्थीगण द्वारा इनकार नहीं किया गया था और केवल यह कथन किया गया था कि याची दिनांक 1 जनवरी, 1974 से दिनांक 6.5.1977 तक नियमित रूप से एवं लगातार कार्यरत नहीं था। याची के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पूर्व प्रतिशपथ पत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि परिशिष्ट 3 की विषय वस्तु भी प्रत्यर्थीगण द्वारा अन्य बातों के साथ यह कथन करते हुए स्वीकार की गयी है कि केवल नियमित नियोजन के लिए मस्टर रॉल कर्मचारियों की पात्रता पर विचार करने की दृष्टि से उक्त दस्तावेज तैयार किया गया था और प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई भी अभिवचन नहीं किया गया था कि रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 में अंतर्विष्ट दस्तावेज कूटरचित दस्तावेज हैं। अत: याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि परिशिष्ट 3 कूटरचित दस्तावेज नहीं हैं और इसे तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा याची की सेवा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज को सत्यापित करने के बाद जारी किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची यह प्रदर्शित करने के लिए उसको जारी मूल प्रमाण पत्र पर काबिज है कि उक्त दस्तावेज कूटरचित नहीं है और कार्यपालक अभियन्ता के बयान और उस पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का याची के मामले पर कोई प्रभाव नहीं है और तद्नुसार, याची के अधिवक्ता ने पूरक प्रतिशपथ पत्र में किए गए प्रतिवाद को अस्वीकार करने का आग्रह इस न्यायालय के समक्ष किया है। याची के अधिवक्ता ने यह कथन करके अपने निवेदन को दोहराया कि याची लगातार प्रत्यर्थीगण के साथ दिनांक 1.1.1974 से दिनांक 5.5.1977 तक की अवधि के लिए काम किया था और तत्पश्चात उसने मासिक वेतन पर मस्टर रॉल कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है और तत्पश्चात नियमित कर्मचारी के रूप में और इस प्रकार वह आनुपातिक पेंशन लाभ के भुगतान का हकदार है क्योंकि उसकी अर्हित सेवा की कुल अवधि 9 वर्ष 9 माह से काफी अधिक है जैसा सी॰ सी॰ एस॰ पेंशन नियमावली, 1972 में प्रावधानित किया गया है।

7. तर्क के क्रम के दौरान प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने याची द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर के प्रति उत्तर यह कथन करके निर्दिष्ट किया है कि जहाँ तक पूरक शपथ पत्र के पैरा 8 का संबंध है, दिनांक 24.2.2006 को दाखिल पूर्व प्रतिशपथ पत्र के प्रति बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। जब मामला प्रकाश में आया कि तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता ने अंतरस्थ हेतु के साथ केंद्र सरकार अर्थात् कोयला मंत्रालय को अपूरणीय क्षति एवं हानि कारित करते हुए कर्मचारियों को कूटरचित प्रमाण पत्र जारी किया। उक्त पी॰ सी॰ मल्लिक के विरुद्ध उसके अभिकथित कृत्य के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और ऐसी दशा में युक्तियुक्त आशंका थी कि रिट याचिका परिशिष्ट 3 भी कूटरचित एवं मनगढ़ंत है। यह तथ्य परिशिष्ट B के अधीन वरीयता सूची और परिशिष्ट C के अधीन सेवा पुस्तिका से सत्यापित किया जा सकता है कि नियुक्ति तिथि दिनांक 6.5.1977 है और नियमितिकरण तिथि दिनांक 19.11.1979 है। अत: वर्ष

1974 से नियुक्ति का प्रश्न उद्भूत ही नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, याची को दिनांक 30.4.1977 को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था जो पूरक प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A से प्रकट होगा और उक्त दस्तावेज स्वयं में पर्याप्त प्रमाण है कि याची अंतरस्थ लाभ एवं हेतु के लिए रिट याचिका का परिशिष्ट 3 मनगढ़ंत दस्तावेज संलग्न करके किसी तरह लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर का उत्तर निर्दिष्ट करके आगे निवेदन किया है कि रिट याचिका के परिशिष्ट 3 को ओ॰ ए॰ सं॰ 320 वर्ष 2004 (परिशिष्ट-1) में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष अभिलेख पर कभी नहीं लाया गया है जो स्वयं उपदर्शित करता है कि परिशिष्ट 3 पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अधीन कपटपूर्वक प्राप्त किया गया कागज है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि रिट याचिका का परिशिष्ट-2, अस्वीकरण आदेश, अपनी अंतिमता प्राप्त कर चुका है और परिशिष्ट 2 को विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए थी और इसलिए, रिट याचिका ग्रहणीय नहीं है क्योंकि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है जिसके लिए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **कन्हैयालाल लालचंद सचदेव एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2011)2 SCC 782,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 23 में अभिनिर्धारित किया है कि ''यह सुनिश्चित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेदों 226/227 के अधीन सामान्यत: अनुतोष उपलब्ध नहीं है यदि किसी व्यथित व्यक्ति को प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।'' प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि परिशिष्ट 3 की सत्यता एवं वास्तविकता संदेहपूर्ण है, रिट याचिका ग्रहणीय नहीं है और रिट न्यायालय में तथ्य एवं दस्तावेज के विवादित प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याची का मामला परिशिष्ट 3 पर टिका है जो विवादित एवं कूटरचित दस्तावेज है जैसा प्रत्यर्थीगण द्वारा अभिकथित किया गया है, निम्नलिखित तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के कारण याची का दावा ग्रहणीय नहीं हैं:-

(i) रिट याचिका में प्रचारित एकमात्र तर्क परिशिष्ट 3 पर आधारित है जो नकली, कूटरचित, निर्मित एवं विवादित दस्तावेज प्रतीत होता है और दस्तावेज की वास्तविकता अथवा सत्यता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका में सिद्ध नहीं की जा सकती है। **नगर एवं औद्योगिक विकास निगम बनाम दोसू आर्देशिर भिवंडीवाला, (2009)1 SCC 168,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 30 में अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय यह विचार करने के लिए बाध्य है कि क्या:-

(a) fjV ;kfpdk dk U;k; fu.k;u rF;k d fdlh tfVy ,o fookfnr ç'uk dk vrxLr djrk g vkj D;k mudk lekèkku lrk"k tud :i l fd;k tk ldrk g(

(b) ;kfpdk leLr rkfRod rF;k dk çdV djrh g(

(c) ;kph d ikl fookn d lekèkku d fy, dkb odfYid vFkok çHkkodkjh mipkj g(

(d) vfèkdkfjrk dk voyc yu okyk 0;fDr vLi"VhÑr foyc ,o f<ykb dk nk"kh gA

(e) ifjlhek dh fdlh fofèk }kjk çdVr% oftr g(

*(f) vurk"k dk çnku ykd uhfr d fo#) g vFkok fdlh oèkfofèk }kjk oftr g vkj vU; vud dkjd***

अत:, पूर्वोक्त निर्णय की दृष्टि में भी यह न्यायालय यह विनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि क्या तथ्यों के विवादित प्रश्न हैं और क्या कोई वैकल्पिक अथवा प्रभावकारी उपचार है। याची का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित पूर्वोक्त सिद्धांतों द्वारा पूरी तरह आच्छादित है।

(ii) जैसा प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर के उत्तर में प्रकट किया गया है, परिशिष्ट 3 दस्तावेज विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष दाखिल ओ॰ ए॰ सं॰ 320 वर्ष 2004 में अभिलेख का भाग नहीं था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में परिशिष्ट 3 नहीं दाखिल किया जाना युक्तियुक्त संदेह सृजित करता है कि उक्त दस्तावेज क्यों नहीं विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष दाखिल किया गया था। यदि उक्त दस्तावेज केंद्रीय प्रशासनिक कर्तव्य में दाखिल किया जाता, तब याची का सद्भाव सिद्ध किया जा सकता था।

(iii) याची के अधिवक्ता का प्रतिवाद कि **कृष्ण लाल मामले (ऊपर)** में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के मुताबिक याची का दावा अस्वीकार करने के लिए वैकल्पिक उपचार आधार नहीं है, मददगार नहीं है क्योंकि विवादित दस्तावेज की सत्यता एवं वास्तविकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट आवेदन में न्याय निर्णीत नहीं की जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में, यह न्यायालय रिट आवेदन में किए गए दावों को ग्रहण करने से परहेज करता है। रिट आवेदन का परिशिष्ट 2, दिनांक 21.5.2005 के पत्र के तहत याची के दावा का अस्वीकरण, जिसने अंतिमता प्राप्त कर लिया है, को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जानी चाहिए थी क्योंकि **एल॰ चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एवं अन्य, AIR 1997 SC 1125,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रथम बार का न्यायालय है और उच्च न्यायालय के पास सीधे आने की छूट वादकारों को नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के मुताबिक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सिविल न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है। अत: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा परिशिष्ट 3 पर दस्तावेज की सत्यता एवं वास्तविकता पर विचार किया जा सकता है।

9. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण रिट आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किया जाता है। किंतु, रिट आवेदन की खारिजी याची को अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए समुचित फोरम के पास जाना अपवर्जित नहीं करेगा। उस स्थिति में यदि किसी समुचित फोरम के समक्ष याची द्वारा कोई आवेदन दाखिल किया जाता है, उक्त फोरम रिट आवेदन में किए गए किसी संप्रेक्षण से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुरुप कठोरतापूर्वक स्वतंत्रतापूर्वक मामला विनिश्चित करेगा।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy] dk;dkjh e[; U;k;kèkh'k ,o ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

मंगल कोया

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Appeal (DB) No. 384 of 2004. Decided on 14th August, 2014.

सत्र विचारण सं॰ 131 वर्ष 2002 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट II, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 25 सितंबर, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 27 सितंबर, 2003 के दंडादेश के विरुद्ध।

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 302—आयुध अधिनियम, 1959—धारा 27—भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 32 (1)—हत्या–मृत्युकालिक कथन–एकमात्र गवाह द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन किया गया–पुलिस अधिकारी जिसने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया का परीक्षण नहीं किया गया था–मृत्युकालिक कथन पर डॉक्टर का पृष्ठांकन नहीं था–अभियुक्त को संदेह का लाभ देना होगा–अपीलार्थी दोषमुक्त। (पैराएँ 18 से 27)

(ख) दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के हाथ में है–प्रत्येक मुख्य परीक्षण की परीक्षा प्रति परीक्षण के माध्यम से की जानी है–प्रतिपरीक्षण की एकांतता में न्यायालय द्वारा मुख्य परीक्षण को पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता है–अभिसाक्ष्य को संपूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए। (पैरा 17)

निर्णयज विधि.–AIR 1999 SC 3883; AIR 2007 SC 2709; 2013 AIR SCW 5778—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. D.K. Chakravarty, For the Appellant; Mr. Pankaj Kumar, For the Respondent.

डी॰ एन॰ पटेल, ए॰ सी॰ जे॰–यह अपील सत्र विचारण सं॰ 131 वर्ष 2002 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट II, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 25 सितंबर, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 27 सितंबर, 2003 के दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन इस अपीलार्थी को मंगल लकरा की हत्या करने के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। इस अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

अभियोजन मामला :

2. अभियोजन का मामला यह है कि दिनांक 15 जून, 2001 को रात्रि 7.45 बजे सूचक मंगल लकरा (मृतक) का फर्दबयान पुलिस द्वारा एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल, जमशेदपुर के आपातकालीन वार्ड में दर्ज किया गया था कि दिनांक 15 जून, 2001 को दोपहर 1.30 बजे जब सूचक अपने मित्र सोहन कुजूर के लिए बगल के विद्यालय भवन से केवल खींच रहा था, मंगल कोया (अभियुक्त) वहाँ आया और सूचक को ऐसा करने से मना किया और उसको उससे डिश कनेक्शन लेने के लिए कहा। सूचक ने इनकार कर दिया और केबल खींचा और मंगल कोया चला गया। उसी दिन अर्थात् दिनांक 15 जून, 2001 को सायं लगभग 5.30 बजे जब सूचक अपने घर में मुँह धो रहा था, मंगल कोया वहाँ आया और सूचक को डिश केबल वायर के संबंध में आर॰ डी॰ टाटा विद्यालय साथ चलने के लिए कहा। सूचक सद्विश्वास में मंगल कोया के साथ आर॰ डी॰ टाटा विद्यालय के मैदान गया। उन्होंने चलते-चलते बात किया और ऐसे क्रम के दौरान जब सूचक पीछे मुड़ा, मंगल कोया ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाला और उसकी पीठ पर गोली दागा। उसकी पीठ एवं पैर से खून बहने लगा और मंगल कोया भाग गया। तत्पश्चात् जब सूचक रोता-चिल्लाता अपने घर लौटा, बबलू और उसकी बस्ती के दो अन्य लड़के उसे एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल ले गए जहाँ उसका इलाज चल रहा था। उसने आगे अभिकथित किया कि घटना लगभग 5.45 बजे हुई।

3. गवाहों के संबंध में विवरण तालिका चार्ट

अ॰ सा॰ 1	लक्ष्मी कुजुर	वह मृतक मंगल लकरा की बहन है और **अनुश्रुत गवाह** है।
अ॰ सा॰ 2	बबलू कुजुर	**पक्षद्रोही गवाह** घोषित किया गया।
अ॰ सा॰ 3	सोहन कुजुर	**पक्षद्रोही गवाह** घोषित किया गया।
अ॰ सा॰ 4	कृष्णा कुजुर	वह **अनुश्रुत गवाह** है।
अ॰ सा॰ 5	कुंडु लकरा	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि मंगल लकरा ने उसे अस्पताल में उस व्यक्ति के बारे में बताया था जिसने उपर पर गोली दागा था।
अ॰ सा॰ 6	बुधन तिर्की	उसने अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक मंगल लकरा ने उसकी उपस्थिति में पुलिस को फर्दबयान दिया कि मंगल कोया ने उस पर गोली दागा है। उसने **प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित फर्दबयान में मृतक मंगल लकरा का हस्ताक्षर सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 7	डॉ॰ ललल चौधरी	वह डॉक्टर है जिसने मंगल लकरा के मृत शरीर का परीक्षण किया है और **प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित शव परीक्षण रिपोर्ट सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 8	आशा बर्मन	वह इस मामले की **अन्वेषण अधिकारी** है। उसने **प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित फर्दबयान सिद्ध किया है। उसने क्रमशः प्रदर्श 4 तथा 4/A के रूप में चिन्हित प्राथमिकी पर हस्ताक्षर सिद्ध किया है। उसने प्रदर्श 5 के रूप में चिन्हित केस डायरी सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 9	डॉ॰ एन॰ के॰ सिन्हा	वह एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल में **डॉक्टर** है और उसने घायल मंगल लकरा की उपहति का परीक्षण किया है और **प्रदर्श 6 के रूप में चिन्हित उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है।**
अ॰ सा॰ 10	बालानंद सिंह	वह भी इस मामले का **अन्वेषण अधिकारी** है और उसने **प्रदर्श 4/B के रूप में चिन्हित औपचारिक प्राथमिकी सिद्ध किया है।**

अपीलार्थी की ओर से तर्क:

4. अभिसाक्ष्यों में मुख्य लोप, विरोधाभास एवं सुधार–अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्य में मुख्य लोप, विरोधाभास एवं सुधार हैं जिसका विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया था और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

5. युक्तियुक्त संदेह के परे अपराध सिद्ध नहीं किया गया:–अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे हत्या का अपराध सिद्ध करने में विफल हुआ है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अनेक बिंदुओं पर तर्क किया जो निम्नलिखित है:

घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है।

अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2 एवं **अ॰ सा॰ 3** ने किसी मृत्यु कालिक कथन के बारे में कथन कभी नहीं किया: अभियोजन मामले के अनुसार, जब मंगल कोया द्वारा मंगल लकरा पर गोली दागी गयी थी, वह घायल दशा में अपनी बहन (अ॰ सा॰ 1) के घर के सामने गिर गया किंतु अपने अभिसाक्ष्य में मृतक की

बहन (अ॰ सा॰ 1) ने मृतक द्वारा दिए गए किसी मौखिक मृत्यु कालिक कथन के बारे में कथन कभी नहीं किया। अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 जो मंगल लकरा (मृतक) को घायल हालत में अस्पताल ले गए ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कथन किया कि घायल मंगल लकरा ने उनके समक्ष कभी कथन किया है कि इस अपीलार्थी ने उस पर गोली दागी थी।

अ॰ सा॰ 4 अनुश्रुत गवाह है।

अ॰ सा॰ 5 : इस गवाह ने अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 3 में कथन किया है कि मंगल लकरा बेहोश था जब वह उसे देखने अस्पताल गया था। इस प्रकार, इस गवाह के समक्ष मंगल लकरा द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन नहीं हो सकता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का समुचित रूप से अधिमूल्यन नहीं किया गया है।

अ॰ सा॰ 7 एवं अ॰ सा॰ 9; डॉ॰ ललल चौधरी (अ॰ सा॰ 7) डॉक्टर है जिसने मृतक मंगल लकरा का शव परीक्षण किया और डॉ॰ एन॰ के॰ सिन्हा (अ॰ सा॰ 9) ने घायल मंगल लकरा का इलाज किया है।

अ॰ सा॰ 9 (एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल, जमशेदपुर के डॉ॰ एन॰ के॰ सिन्हा) के अभिसाक्ष्य के अंतिम पैराग्राफ के मुताबिक वह निश्चित नहीं है कि क्या मरीज भर्ती किए जाने के समय पर बेहोश था या नहीं।

इस प्रकार, अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 9 ने विद्वान न्यायालय के समक्ष कथन नहीं किया है कि मंगल लकरा अस्पताल में होश में था।

व्यक्ति जिसने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया: पुलिस अधिकारी जिसने अस्पताल में मंगल लकरा का तथाकथित बयान दर्ज किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा मृत्युकालिक कथन माना गया है का भी अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। यह मंगल लकरा के होश में होने के बारे में संपूर्ण स्थिति को संदेहास्पद बनाती है क्योंकि अ॰ सा॰ 6 के सिवाय किसी ने अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि मंगल लकरा अस्पताल में होश में था।

मृत्युकालिक कथन पर अस्पताल के किसी डॉक्टर द्वारा कोई पृष्ठांकन नहीं है: इसके अतिरिक्त, पुलिस द्वारा मृत्युकालिक कथन पर एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल के किसी डॉक्टर का पृष्ठांकन नहीं लिया गया है।

अत:, अभिलेख पर मौजूद इन साक्ष्यों की संपूर्णता में, अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे इस अपीलार्थी द्वारा किए गए हत्या के अपराध को सिद्ध करने में विफल हुआ है। अत:, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

6. पूर्वोक्त तर्क के समर्थन में उद्धृत प्रकाशित निर्णय:–अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया है:–

(a) l[kj cuke mÙkj çn'k jkT;] AIR 1999 SC Page 3883, ekey e fn;k x;k fu.k;A

(b) ldryk cuke gfj;k.kk jkT;] AIR 2007 SC 2709, ekey e fn;k x;k fu.k;

(c) ipkun eMy mQ ipu eMy ,o ,d vU; cuke >kj[k.M jkT;] 2013 AIR SCW 5778, ijk 14-15 e fn;k x;kA

अभियोजन गवाहों के साक्ष्य को देखते हुए अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर यह निवेदन किया गया है, पीड़ित जब वह अस्पताल में भर्त्ती था, के होश में होने के बारे में किसी

साक्ष्य की अनुपस्थिति में और मरीज के होश में होने के बारे में मृत्युकालिक कथन पर किसी चिकित्सा अधिकारी के किसी पृष्ठांकन की अनुपस्थिति में और अन्वेषण अधिकारी जिसने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया है के साक्ष्य की अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है और यदि मृत्युकालिक कथन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं किया जाता है और चूँकि हत्या के अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

7. <u>अभिरक्षा की अवधि:</u>–यह अपीलार्थी विगत लगभग 11 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में बना हुआ है।

8. <u>ए॰ पी॰ पी॰ का तर्क:</u>–राज्य के अधिवक्ता विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ निवेदन करते हैं कि साक्ष्य का अधिमूल्यन करने में विद्वान विचारण न्यायालय ने गलती नहीं किया है और सही प्रकार से अपीलार्थी अभियुक्त को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया है। उक्त प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने निम्नलिखित बिंदुओं पर तर्क किया।

9. <u>अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 5 के अभिसाक्ष्य के आधार पर मृत्युकालिक कथन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया :</u> यह निवेदन किया गया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज एवं अ॰ सा॰ 6 द्वारा हस्ताक्षरित मृत्युकालिक कथन है और अ॰ सा॰ 6 के मुख्य परीक्षण एवं प्रति परीक्षण को देखते हुए मृत्युकालिक कथन का तथ्य अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है। यह तथ्य कि मंगल लकरा उस तिथि पर जिस तिथि पर मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था अर्थात् दिनांक 15 जून, 2001 को रात्रि लगभग 7.45 बजे होश में था, अ॰ सा॰ 6 द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है। अ॰ सा॰ 5 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 2 में यह निवेदन भी किया गया है कि वह भी उपस्थित था जब मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किया गया था। इन दो गवाहों ने मृत्युकालिक कथन सिद्ध किया है और जब एक बार मृत्युकालिक कथन सिद्ध किया जाता है, साक्ष्य के किसी संपोषक टुकड़े की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्य के अधिवक्ता ने अपने प्रतिवादों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर विश्वास किया है:

शंकुतला बनाम हरियाणा राज्य, AIR 2007 SC Page 2709.

विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने पूर्वोक्त दो निर्णयों के आधार पर निवेदन किया कि जब एक बार साक्ष्य का तर्कपूर्ण, विश्वासोत्पादक एवं विश्वसनीय टुकड़ा उपलब्ध है जो मृतक के मृत्युकालिक कथन को सिद्ध करता है, मृत्युकालिक कथन के तथ्य पर अविश्वास करने का कारण नहीं है।

चिकित्सीय साक्ष्य मृत्युकालिक कथन को संपुष्ट करता है: इस अपीलार्थी ने आग्नेयास्त्र उपहतियों को कारित करके मृतक की हत्या की है। चिकित्सीय साक्ष्य भी मृत्युकालिक कथन संपुष्ट करता है।

इस प्रकार, यह तथ्य कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे हत्या का अपराध सिद्ध किया है, विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से इसका अधिमूल्यन किया गया है, अत: विचारण न्यायालय द्वारा यह अपील ग्रहण नहीं किया जा सकता है।

<u>इस न्यायालय का संप्रेक्षण</u>

11. अभिलेख से प्रकट मामले के तथ्य:–

दोनों पक्षों को सुनने पर एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि घटना दिनांक 15 जून, 2001 को सायं 7.45 बजे हुई है। सूचक मंगल लकरा ने आपातकाल वार्ड

में एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल, जमशेदपुर में गोलमुड़ी पुलिस थाना के पुलिस को अपना फर्दबयान दिया है कि उसी दिन अर्थात् दिनांक 15 जून, 2001 को दोपहर 1.30 बजे जब सूचक अपने मित्र सोहन कुजुर के लिए बगल के विद्यालय से डिश केवल खींच रहा था, अपीलार्थी ने उसे ऐसा करने से मना किया था। इसके बावजूद मृतक ने अपना काम पुरा किया। बाद में, यह अपीलार्थी उसके घर आया और सूचक को अपने साथ जे॰ आर॰ डी॰ टाटा विद्यालय, जमशेदपुर चलने के लिए कहा, जहाँ उसने सूचक को घायल करते हुए उसके पीठ पर गोली चलायी। विस्तृत बयान दिया गया है और इस बयान पर सूचक का हस्ताक्षर भी है जिसे पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। इस बयान के आधार पर गोलमुरी पुलिस थाना द्वारा गोलमुरी पी॰ एस॰ केस सं॰ 119 वर्ष 2001 के रूप में मामला दर्ज किया गया था। अन्वेषण किया गया था। आरंभ में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 के अधीन अपराध दर्ज किया गया था। बाद में, जब इलाज के दौरान 22 जून को मंगल लकरा की मृत्यु हो गयी, हत्या का अपराध जोड़ा गया था। अन्वेषण पूरा होने पर आरोप–पत्र दाखिल किया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ इसे सत्र विचारण सं॰ 131 वर्ष 2002 के रूप में संख्यांकित किया गया था। अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्यों और फर्दबयान, शवपरीक्षण रिपोर्ट, आदि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर विद्वान विचारण न्यायालय ने इस अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन कठोर आजीवन कारावास भुगतने और आगे आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया है। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया गया है।

सत्र विचारण सं॰ 131 वर्ष 2002 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट II पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 25 सितम्बर, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 27 सितम्बर, 2003 के दंडादेश के विरुद्ध यह अपील दाखिल की गयी है।

12. अ॰ सा॰ 1: यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 1 मृतक की बहन है और उसके घर के सामने घायल मंगल लकरा गिर गया। इस गवाह ने अपने समक्ष पीड़ित मंगल लकरा के किसी मौखिक मृत्युकालिक कथन के बारे में कभी नहीं कथन किया कि किसने उसे उपहति कारित किया था। इस प्रकार, मंगल लकरा द्वारा अपनी बहन के समक्ष कोई मौखिक मृत्युकालिक कथन नहीं किया गया है। अ॰ सा॰ 1 ने यह कथन भी किया है कि उसे आम लोगों से अपने भाई द्वारा पायी गयी उपहति के बारे में पता चला। इस प्रकार, वह अनुश्रुत गवाह है।

13. अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3: अभियोजन द्वारा दिए गए समग्र साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 घायल मंगल लकरा के साथ एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल, जमशेदपुर गए थे। यदि इन दो अभियोजन गवाहों के समक्ष कोई मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया गया होता, उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष उस प्रभाव का अभिसाक्ष्य दिया होता। अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3 अर्थात् बबलू कुजुर एवं सोहन कुजुर द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को देखते हुए उन्होंने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और इसलिए, उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार, इन दो गवाहों ने भी तथाकथित मृत्युकालिक कथन अथवा क्या मंगल लकरा अस्पताल में होश में था के बारे में विचारण न्यायालय के समक्ष कुछ भी कथन नहीं किया है।

14. अ॰ सा॰ 4: अ॰ सा॰ 4 के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, जो मृतक का साला/बहनोई है, यह प्रतीत होता है कि उसने न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने घटना नहीं देखा था बल्कि उसे आम लोगों से इसकी जानकारी हुई कि मंगल कोया ने मृतक मंगल लकरा पर आग्नेयास्त्र से उपहति कारित किया है। इस प्रकार, वह भी अनुश्रुत गवाह है। मंगल लकरा के होश में होने के बारे में अथवा किसी मौखिक मृत्युकालिक कथन के बारे में इस गवाह ने कुछ भी कथन नहीं किया है।

15. अ॰ सा॰ 9 : अ॰ सा॰ 9 (डॉ॰ एन॰ के॰ सिन्हा) के अभिसाक्ष्य को देखते हुए, जिन्होंने आरंभ में मंगल लकरा का इलाज किया था, यह प्रतीत होता है कि उन्होंने उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है जो प्रदर्श 6 पर है। उसने अपने अभिसाक्ष्य में अंतिम पैराग्राफ में कथन किया है कि वह निश्चित नहीं था कि मंगल लकरा होश में था या नहीं।

16. इस प्रकार, अभिलेख पर मौजूद समग्र साक्ष्य अर्थात् अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 9 के अभिसाक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि यह सिद्ध नहीं किया गया था कि मरीज मंगल लकरा अस्पताल में होश में था या नहीं।

17. अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6: अब अभियोजन द्वारा अ॰ सा॰ 5 एवं अ॰ सा॰ 6 के अभिसाक्ष्य पर काफी विश्वास किया गया है।

अ॰ सा॰ 5 **(कुंदु लकरा)** के अभिसाक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण के पैराग्राफ 1 में कथन किया है कि मंगल लकरा ने उसे अस्पताल में बताया था कि अपीलार्थी ने आग्नेयास्त्र से उस पर उपहतियाँ कारित किया था। यद्यपि अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया है कि मंगल लकरा अस्पताल में बेहोश था। प्रति परीक्षण बचाव के हाथ में है। प्रत्येक मुख्य परीक्षण की परीक्षा प्रति परीक्षण के माध्यम से करनी होगी। न्यायालय द्वारा मुख्य परीक्षण को प्रति परीक्षण से अलग करके पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अभिसाक्ष्य को संपूर्ण रूप से माना जाना चाहिए। दांडिक विधिशास्त्र के इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और पैरा 3 में अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य को देखते हुए यह अत्यन्त संदेहपूर्ण प्रतिपादना है कि क्या मंगल लकरा अस्पताल में होश में था।

अ॰ सा॰ 6 ने अभियोजन मामले का पूरा समर्थन किया है और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह भी उपस्थित था जब मंगल लकरा का फर्दबयान दर्ज किया गया था और कि उसने फर्दबयान देखा है।

18. इस प्रकार, अभियोजन के पक्ष में एक गवाह है जबकि छह अन्य अभियोजन गवाहों के अभिसाक्ष्य से एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल, जमशेदपुर में मंगल लकरा का होश में होना युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं किया गया है।

19. पुलिस अधिकारी जिसने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया का परीक्षण नहीं किया गया था। आगे, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी जिसने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया अथवा व्यक्ति जिसने मौखिक मृत्युकालिक कथन को लेखबद्ध किया का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार, परीक्षण अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषत: जब अभिलेख पर मौजूद अन्य अभिसाक्ष्य अनुश्रुत गवाहों के हैं। यदि अन्य साक्ष्य तर्कपूर्ण, विश्वासोत्पादक और युक्तियुक्त संदेह के परे थे, उस स्थिति में, पुलिस जिसने मौखिक मृत्युकालिक कथन को लेखबद्ध किया है का गैर परीक्षण अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था किंतु वर्तमान मामले के तथ्यों में, जैसा यहाँ ऊपर कथित किया गया है, जब न तो मृतक की बहन (आ॰ सा॰ 1) और न ही स्वतंत्र गवाहों अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 3, जो घायल मंगल लकरा को अस्पताल ले गए, ने किसी तथाकथित मृत्युकालिक कथन के बारे में विचारण न्यायालय के समक्ष कथन किया है। इसी प्रकार से, स्वतंत्र गवाह डॉ॰ एन॰ के॰ सिन्हा (अ॰ सा॰ 9) जिन्होंने मृतक का इलाज किया ने अपने अभिसाक्ष्य के अंतिम पैराग्राफ में कथन किया है कि वह निश्चित नहीं हैं कि मरीज होश में था या नहीं।

20. परिस्थितियों के इस संवर्ग में, पुलिस अधिकारी जिसने मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किया है का परीक्षण अभियोजन मामले के लिए महत्वपूर्ण है और उसके साक्ष्य की अनुपस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन ने युक्तियुक्त संदेह के परे मृत्युकालिक कथन सिद्ध किया है। संपूर्ण स्थिति मरीज के होश के बारे में संदेह उत्पन्न करती है।

21. मृत्युकालिक कथन पर इलाज करने वाले डॉक्टर का पृष्ठांकन नहीं: इसके अतिरिक्त, मरीज के होश में होने के बारे में पुलिस द्वारा फर्दबयान पर डॉक्टर का पृष्ठांकन नहीं है। डॉ॰ एन॰ के॰ सिन्हा (अ॰ सा॰ 9) जिन्होंने एम॰ जी॰ एम॰ अस्पताल, जमशेदपुर में घायल मंगल लकरा का इलाज किया का पृष्ठांकन होना चाहिए था। इसके विपरीत, इस डॉक्टर ने अपने अभिसाक्ष्य के अंतिम पैरा में अभिसाक्ष्य दिया कि वह मरीज के होश में होने के बारे में निश्चित नहीं है। इस प्रकार, संदेह उद्भूत हुआ है कि मंगल लकरा होश में था या नहीं और जब कभी न्यायालय को संदेह होता है, संदेह का लाभ अपीलार्थी को देना होगा।

22. अभिरक्षा की अवधि: किंतु अपीलार्थी लगभग 11 वर्षों से पहले से ही कारा में बना हुआ है।

23. शकुन्तला बनाम हरियाणा राज्य, AIR 2007 Supreme Court 2709, पैराग्राफ 9, 11 एवं 12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"9. ;|fi eR;dkfyd dFku ij vfèkeku dk gdnkj g] ;g xkj djuk l;kX; g fd vfHk;Dr dk çfr ijh{k.k dh 'kfDr ugh gA ,lh 'kfDr lR; ikIr dju d fy, vko';d g tl 'kiFk dh ckè;rk gk ldrh FkhA ***;gh dkj.k g fd U;k;ky; Hkh tkj nrk g fd eR;dkfyd dFku ,lh çÑfr dk gkuk pkfg, tk viuh 'k)rk e U;k;ky; dk i.k fo'okl mRiUu dj ld--------U;k;ky; dk bldk ydj Hkh lr"V gkuk gkxk fd erd geykoj dk n[ku ,o igpkuu d Li"V volj d ckn LoLF; ekufld n'kk e Fkk-------***

xxx xxx xxx xxx

(iv) tgk eR; dkfyd dFku lngkLin g] lif"Vdkjh lk{; d fcuk bl ij ÑR; ugh fd;k tkuk pkfg,A

(v) tgk erd cgk'k Fkk vkj dkb eR;dkfyd dFku ugh dj ldrk Fkk] bld lcèk e lk{; vLohdkj djuk gkxkA

xxx xxx xxx xxx

11. ;g n'kku d fy, lkexh ugh g fd eR;dkfyd dFku dYiuk dk mRikn] iVVh i<k, tku vFkok çj.k dk ifj.kke FkkA bld foijhr] ;g LoPNkiod erd }kjk fn;k x;k çrhr gkrk gA ;g fo'oluh; gA

*12. v0 lkO 5 ,o 6 d lk{; u Li"Vr% LFkkfir fd;k fd eR;dkfyd dFku fd;k x;k Fkk tc erd dFku dju dh LoLFk n'kk e FkkA ;g xkj fd;k tkuk g fd n?kVuk fnukd 6.4.1997 dk çkr% yxHkx 9 ct gb fdr erd dh eR; fnukd 11.4.1997 dk gbA MkDVj (v0 lkO 5) u Li"Vr% dFku fd;k fd erdk c;ku nu dh LoLFk n'kk e FkhA U;kf;d nMkfèkdkjh (v0 lkO 6) u Hkh dFku fd;k fd erdk c;ku nu d fy, LoLF; n'kk e Fkh vkj ;g le>u e l{ke Fkh fd D;k iNk tk jgk Fkk vkj mlu iokDr i"BHkfe e fofufn"Vr% mÙkj fn;k] ;g ugh dgk tk ldrk g fd eR;dkfyd dFku fo'oluh; ugh gA** (tkj fn;k x;k)*

24. सुखर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1999 SC 3883 में, पैराग्राफ 2 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

"2. l{ki e vfHk;ktu ekeyk ;g g fd uDdky ?kVuk dh frfFk ij çkr% 9.40 ct ifyl Fkkuk e mifLFkr gvk vkj ?kVuk d ckj e crk;k fd fdl çdkj vfHk;Dr }kjk ml ?kk;y fd;k x;k FkkA ifyl u rc mDr c;ku dk çkFkfedh d :i e ekuk vkj vUo"k.k 'k: fd;k----;g dFku fd;k tkuk g fd tc fopkj.k yfcr Fkk] ?kk;y uDdky dh eR; gk x;h **fdr vfHk;ktu u ;g LFkfir dju dk ç;kl ugh fd;k Fkk fd fdl çdkj mldh eR; gb vFkok mldh eR; fdl çdkj ?kVuk dh çkfxd frfFk ij mldh migfr l fdlh :i e lcfèkr gA** *;g Hkh Kkr ugh g fd mldh eR; dc gbA fo}ku l= U;k;kèkh'k dk er Fkk fd vUo"k.k vfèkdkjh }kjk nt çkFkfedh vkj nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 161 d vèkhu nt uDdky dk c;ku lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 33 d vèkhu xkg; Fkk vkj mDr lkexh rFkk v0 lk0 1 d bl çHkko d c;ku fd ?kk;y u ml crk;k Fkk fd vfHk;Dr l[kj vkb0 ,e0 ,l0 u ml ij xkyh pyk;h Fkh] ij fo'okl djr g, fo}ku l= U;k;kèkh'k u vfHk;Dr@vihykFkh dk Hkk0 n0 l0 dh èkkjk 307 d vèkhu nk"kfl) fd;k vkj mldk ikp o"k dk dBkj dkjkokl Hkxru dk nMkn'k fn;kA vihy ij] mPp U;k;ky; bl fu"d"k ij vk;k fd çkFkfedh vkj ?kk;y }kjk vUo"k.k vfèkdkjh dk fn;k x;k c;ku lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 32 d vèkhu xkâ; ugh g vkj gekj nf"Vdk.k e mDr fu"d"k fojkèk fd, tku ;kX; ugh gA mPp U;k;ky; vkx bl fu"d"k ij vk;k fd nM çfØ;k lfgrk dh èkkjk 161 d vèkhu ?kk;y dk c;ku lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 33 d vèkhu lk{; e xkâ; vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk Fkk vkj ge mDr fu"d"k e dkb ncyrk ugh n[kr gA*** *(tkj fn;k x;k)*

25. पंचानंद मंडल उर्फ पाचन मंडल एवं एक अन्य, AIR 2013 SCW 5778, में पैराग्राफ 14, 15 एवं 16 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

*14. oreku ekey e] erdk d l ljky okyk d fo#) db vfHkdFku fd, x, gA erdk dh ekrk v0 lk0 13 Hkkfy;k noh vFkok erdk d Hkkb v0 lk0 14 cPp lko }kjk viu c;kuk e fdlh fofufn"V ?kVuk dk dFku ugh fd;k x;k gA ;g l>ku d fy, vfHky[k ij dN Hkh ugh g fd erdk dk ^^viuh eR; d Bhd igy** vkj ^^ngt ekx d lcèk e** Øjrk vkj ij'kkuh d vè;èkhu fd;k tkrk FkkA*

15. bl çdkj] ge ikr g fd 0;ogk;r% ;g fl) dju d fy, lk{; ugh g fd erdk dh eR; d Bhd igy ngt ekx d fy, vFkok bld lcèk e dkb Øjrk vFkok ij'kkuh dh x;h FkhA bld vfrfjDr] erdk u ngt ekx minf'kr djr g, viu eR; dkfyd dFku e dkb c;ku ugh fn;k gA **cpko i{k u lQyrkiod eR; dkfyd dFku dh çkekf.kdrk d çfr oèk lng lftr fd;k D;kfd ifyl vfèkdkjh] ftlu bl nt fd;k] dk ijh{k.k ugh fd;k x;k FkkA lk{; e ,lh deh vfHk;ktu ekey d fy, ?krd fl) gkrh g D;kfd lkekU; rkj ij Øjrk ,o ij'kkuh dk lk{; HkkO nO lO dh èkkjk 304B vkÑ"V dju d fy, i;kIr ugh gA**

16. mDr rF;k dh nf"V e] ge vfHkfuèkkfjr djr g fd vfHk;ktu ;fDr;Dr lng d ij viuk ekeyk fl) dju e cjh rjg foQy jgkA vr%] vfèkfu.khr nk"kflf) vkj nMkn'k ikf"kr ugh fd;k tk ldrk gA rnulkj] ge ipkuu eMy

*,o ekyrh noh d lcèk e l= fopkj.k l0 158/1999 e l= U;k;kèkh'k] no?kj }kjk ikfjr fnukd 10.8.2001 d vk{kfir fu.k; vkj nkfMd vihy l0 447/2007 e >kj[kM mPp U;k;ky; dh [kMihB }kjk ikfjr fnukd 20.9.2006 d fu.k; dk vikLr djr gA vihy vuKkr dh tkrh gA vfHk;Drx.k dk rjUr fueDr dju dk fun'k fn;k tkrk g ;fn fdlh vU; ekey e mudh vko';drk ugh gA***

¼tkj Mkyk x;k½

26. पूर्वोक्त निर्णयों की दृष्टि में, अन्वेषण अधिकारी जिसने फर्दबयान दर्ज किया का परीक्षण अनिवार्य है क्योंकि अन्य अभियोजन गवाहों ने अस्पताल में मृतक के होश में होने के बारे में कथन नहीं किया है। इसके विपरीत, एक गवाह अ॰ सा॰ 5 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैराग्राफ 3 में कथन किया है कि मरीज होश में था। अभियोजन द्वारा किसी डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया है जो पूरी दृढ़ता से कहे कि मरीज मंगल लकरा होश में था। इसके विपरीत, अ॰ सा॰ 9 डॉक्टर जिन्होंने अस्पताल में मंगल लकरा का इलाज किया द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के अंतिम पैरा के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि वह निश्चित नहीं था कि मरीज होश में था या नहीं और इसलिए, यह अत्यन्त संदेहपूर्ण है कि क्या मृत्युकालिक कथन वस्तुतः घायल मंगल लकरा द्वारा किया गया था या नहीं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू का अधिमूल्यन नहीं किया गया था।

27. ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों में, यह दांडिक अपील अनुज्ञात की जाती है और सत्र विचारण सं॰ 131 वर्ष 2002 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट II, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 25 सितम्बर, 2003 का दोषसिद्धि का निर्णय एवं दिनांक 27 सितम्बर, 2003 का दंडादेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अतः, इस अपीलार्थी अर्थात् मंगल कोया जो लगभग 11 वर्षों से न्यायिक अभिरक्षा में है को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

मंजय मुर्मु

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1417 of 2003. Decided on 30th January, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 36 वर्ष 2002 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दिनांक 5 सितम्बर, 2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302, 304 भाग I—अपीलार्थी को हत्या करने के लिए धारा 302 के मुख्य आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया, अपीलार्थी ने 13 वर्ष 3 माह भुगत लिया है–अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना क्षणिक आवेश में हुई थी जब मृतका अपने बर्तन धो रही थी तथा अभियुक्त अपना कपड़ा धो रहा था–स्वीकृत रूप से इस घटना के संबंध में कोई हेतु प्रक्षेपित नहीं किया गया है–अभिनिर्धारित, अभियोजन का मामला धारा 302 के बजाए धारा 304 भाग I के रिष्टि के अंतर्गत आएगा–विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अपीलार्थी की दोषसिद्धि

उपांतरित/परिवर्तित की गयी–अपीलार्थी पहले ही अपने वास्तविक मुख्य दंडादेश का 13 वर्ष 3 माह भुगत चुका है–पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक दंडादेश घटाया गया–अपील अंशतः अनुज्ञात। (पैराएँ 13, 14, 16 से 18)

निर्णयज विधि.–(2006) 9 SCC 678—Followed; AIR 1958 S.C. 465—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Kailash Prasad Deo, For the Appellant; Mr. V.S. Sahay, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–अपीलार्थी मंजय मुर्मु, अब 42 वर्षीय (विचारण के समय पर 28 वर्षीय) ने हिजरी, पी॰ एस॰ बोआरीजोर, जिला गोड्डा के निवासी भैया मुर्मु (प्रथम सूचक की पत्नी किसी बिटीमाई हेम्ब्रम की अभिकथित रूप से हत्या करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के मुख्य आरोप के लिए दोषसिद्ध किए जाने के बाद वर्तमान अपील दाखिल किया है। उक्त आरोप के लिए उस पर अधिरोपित दंडादेश आजीवन कारावास है।

2. आरंभ में ही, हमें राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि अपीलार्थी ने अब तक 13 वर्ष 3 माह की सजा भुगत लिया है। उन्होंने केंद्रीय कारा, दुमका, जहाँ अपीलार्थी वर्तमान में परिरोध में है के अधीक्षक द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया है।

3. सूचक घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। किंतु, प्राथमिकी में वह किसी बालिका, लगभग आठ वर्षीय, अर्थात् विरोनमाई मुर्मु को घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में नामित करता है। विचारण के दौरान उसका परीक्षण अ॰ सा॰ 2 के रूप में किया गया है। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा आगे लाया गया अन्य गवाह बेटका किस्कू अ॰ सा॰ 5 है जिसका नाम प्राथमिकी में परिलक्षित नहीं है किंतु बाद में, अन्वेषण के दौरान, उसका बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज किया गया था। उसने अभियोजन मामले को संपुष्ट किया जब वह अपने मुख्य परीक्षण में कठघरे में आया किंतु उसका प्रतिपरीक्षण एक चरण पर प्रास्थगित कर दिया गया था क्योंकि बचाव पक्ष अधिवक्ता ने स्थगन इप्सित किया। तत्पश्चात, 2-3 दिनों तक उसका प्रति परीक्षण नहीं किया जा सका था और इस बीच उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गयी। इस प्रकार, प्रतिपरीक्षण की कसौटी पर इस गवाह की परीक्षा नहीं की गयी है।

4. अ॰ सा॰ 2 वेरोनिका मुर्मु उर्फ विरोनमई मुर्मु, बाल गवाह ने उसमें यह कथन करते हुए अभियोजन मामला बताया कि मृतक कुआँ के निकट बर्तन धो रही थी और कि अभियुक्त भी अपने कपड़े धो रहा था उस समय मृतक एवं अभियुक्त के बीच कुछ झगड़ा हुआ। उसने आगे कथन किया कि अभियुक्त लकड़ी की मूठवाले चाकू से लैस था और उसने मृतक के छाती पर केवल एक उपहति कारित किया जो घातक सिद्ध हुई और घटनास्थल पर मृतक की मृत्यु हो गयी।

5. डॉ॰ सुनील कुमार झा, अ॰ सा॰ 12 के बयान के मुताबिक उसने बाएँ मध्य क्लेविक्यूलर पंक्ति में तृतीय इंटर कोस्टल स्पेस के ऊपर स्थापित।'' व्यास वाला भेदने वाला जख्म के आकार में उपहति को ध्यान में लिया जो चेस्ट कैविटी तक गहरा एवं इनवर्टेड था। उपहति ने महत्वपूर्ण अंग में से एक हृदय को हानि कारित किया है।

6. हम इस कारण से विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य के संबंध में विस्तृत चर्चा करना नहीं चाहते हैं कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश प्रसाद देव ने मामले के गुणागुण पर विवाद्यक में भाग यह कथन करते हुए नहीं लेते हैं कि वह अ॰ सा॰ 2 बेरोनिका मुर्मू उर्फ विरोन्यमय मुर्मु, यद्यपि एक बाल गवाह, किंतु जो विश्वसनीय प्रतीत होती है के बयान को खारिज करने की अवस्था में नहीं होंगे। किंतु वह भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 से 304, भाग II अथवा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304, भाग I में लघुकृत करने की प्रार्थना करते हैं, यह निवेदन करके कि

अभियोजन मामला जैसा है वैसा मानते हुए वर्तमान मामला हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध की रिष्टि के अंतर्गत आता है। उन्होंने निवेदन किया कि अभियुक्त अन्यथा मृतका के पति का कजिन है और मृतक की हत्या करने के लिए अभियुक्त के पास कोई मजबूत हेतु प्रतीत नहीं होता है। उन्होंने कथन किया कि यदि कोई बाल गवाह के साक्ष्य का संवीक्षण करता है, उसने कथन किया कि मृतका बर्तन धो रही था और अभियुक्त भी यूँ ही घटनास्थल पर उपस्थित था और उस समय विशेष पर मृतक एवं अभियुक्त के बीच झगड़ा हुआ था जिसका परिणाम वर्तमान घटना में हुआ।

7. किंतु विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना का विरोध यह कथन करते हुए किया है कि मृतक द्वारा पायी गयी उपहति महत्वपूर्ण अंग पर थी और वह भी तेज धार वाले हथियार से, अत: अभियुक्त का कृत्य केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 की रिष्टि के अंतर्गत आता है।

8. यद्यपि श्री कैलाश प्रसाद देव ने मामले के गुणागुण के संबंध में विवाद्यक में भाग नहीं लिया और केवल दंडादेश की मात्रा पर कुछ लाभ पाने का प्रयास किया, फिर भी हमने प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के नाते इसके सही परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण साक्ष्य का पुन: सूक्ष्म संवीक्षण किया है और हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में बाल गवाह अर्थात् बेरोनिका मुर्मू उर्फ विरोन्मय मुर्मू पर अविश्वास करने का कारण प्रतीत नहीं होता है जिसने स्पष्टत: कथन किया है कि अभियुक्त ने मृतक के शरीर पर एकल उपहति कारित किया था जब वह कुआँ पर बर्तन धो रही थी और अभियुक्त कपड़ा धो रहा था। हमने बाल गवाह के साक्ष्य का सूक्ष्म संवीक्षण करने के लिए सुनिश्चित परीक्षा लागू किया है और उसके बयान पर अविश्वास करने का आधार नहीं पाते हैं।

9. हम यहाँ कथन कर सकते हैं कि हमने अ॰ सा॰ 5 बेटका किस्कू जिसका बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है और जिसकी अंतत: मृत्यु हो गयी के साक्ष्य पर विचार इस कारण से नहीं किया है कि पूर्वोक्त बाल गवाह बेरोनिका मुर्मु उर्फ विरोन्मय मुर्मु का साक्ष्य विश्वसनीय है, यद्यपि यह घटना की एकमात्र गवाह हो सकती है।

10. इस प्रकार देखे जाने पर, अभियुक्त द्वारा चाकू जिसे वह अभिकथित रूप से हाथ में लिए था, से मृतक की हत्या का कृत्य पूरी तरह सिद्ध किया गया है।

11. हमारे विचारार्थ आया अगला विवाद्यक यह है कि क्या वर्तमान मामला, परिस्थितियों के वर्तमान संवर्ग में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 की रिष्टि के अंतर्गत आता है अथवा लघुतर अपराध के लिए पतला किए जाने योग्य है।

12. इस संबंध में, घटना के मुख्य गवाह अर्थात् बेरोनिका मुर्मु उर्फ विरोन्मय मुर्मु (अ॰ सा॰) के बयान का पुनर्अधिमूल्यन करने की आवश्यकता है। मूल भाषा से उसके कथन के प्रासंगिक अंश का पठन निम्नलिखित है:–

> *^^ml le; ij Hk;k ee dh iRuh cru èkk jgh Fkh vkj et; diMk lkQ dj jgk Fkk] mlh le; dN ckrk&ckrh gb blfy, ekj fn;kA***

अंग्रेजी में अनुवाद करने पर यह पठित है:–

> *"At that time, the deceased was cleaning her utensils, Manjai Murmu (appellant) was cleaning his clothes. At that time, some altercation ensued between them and, therefore, he killed her"*

13. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना क्षणिक आवेश पर हुई थी जब मृतका अपना बर्तन धो रही थी और अभियुक्त अपना कपड़ा धो रहा था। स्वीकृत रूप से, इस घटना के संबंध में कोई हेतु प्रक्षेपित नहीं किया गया है यद्यपि इस संबंध में निरर्थक प्रयास किया गया है।

14. राजपाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2006)9 SCC 678, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ सं॰ 15 एवं 16 पर एकेडमिक चर्चा के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 299 एवं धारा 300 के बीच निम्नलिखित सुभिन्नता किया है:–

*"15..^^gR;k** ,o gR;k dh dkfV e ugh vku oky vkijkfèkd ekuooèk d chp ,dMfed lfHkUurk u lno U;k;ky;k dk rx fd;k gA Hke dkfjr gkrk g] ;fn U;k;ky; bu èkkjkvk e foèkkueMy }kjk ç;Dr 'kCnk d lPp foLrkj ,o vFk dk utjvnkt djr g, Lo; dk l{e verrk e [khp tku dh vuefr nr gA bu çkoèkkuk dh 0;k[;k ,o ç;kT;rk rd tku dk lcl ljf{kr jkLrk èkkjkvk 299 ,o 300 d fofHkUu [kMk e ç;Dr e[; 'kCnk dk Qkdl e j[kuk çrhr gkrk gA nkuk vijkèkk d chp lfHkUurk d fcnvk dk vfèkeY;u dju e fuEufyf[kr ryukRed rkfydk lgk;d gkxh%*

धारा 299	धारा 300
कोई व्यक्ति सदोष मानववध कारित करता है अगर कृत्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित किया जाता है।	1. कुछ अपवादों के अध्यधीन सदोष मानव वध एक हत्या है अगर कृत्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित किया जाता है।
	2. आशय
(a) मृत्यु कारित करने के आशय से; या	(1) मृत्यु कारित करने के आयाय से; या
(b) ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो; या	(2) ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने के आशय से जिसके बारे में अपराधी जानता है कि इससे व्यक्ति जिसे क्षति कारित किया गया है, के मृत्यु होने की संभावना है; या
	(3) किसी व्यक्ति को शारीरिक उपहति पहुँचाने के इरादे से तथा कारित किए जाने को आशयित शारीरिक उपहति प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो; या
	3. जानकारी
(c) इस जानकारी के साथ कि कृत्य से मृत्यु कारित होने की संभावना है।	(4) इस जानकारी के साथ कि कृत्य इतना सन्निकटपूर्वक खतरनाक है कि यह हर प्रकार से मृत्यु या ऐसी शारीरिक उपहति कारित करेगा जिसके मृत्यु कारित करने की संभावना है तथा ऐसा कृत्य मृत्यु या ऐसी उपहति कारित का जोखिम उठाने के किसी बहाने के बगैर किए जाने की संभावना है जैसा उपर वर्णित किया गया है।

16. èkkjk 299 dk [kM (b) èkkjk 300 d [kMk (2) ,o (3) d rRle gA [kM (2) d vèkhu vè; if{kr vkijkfèkd eu%fLFkfr dk lfHkUudkjh y{k.k ihfMr fo'k"k d

*, lh fofp= n'kk vFkok LokLF; dh voLFkk e gku d lcèk e vijkèkh dh tkudkjh g fd mldk dkfjr vkrfjd gkfu d ?kkrd gku dh lHkkouk g] bl rF; d ckotn fd , lh gkfu çÑfr d lkeku;Øe e lkeku; LokLF; vFkok n'kk e fdlh 0;fDr dh eR; dkfjr dju d fy, i;kIr ugh gkxkA ;g mYy[kuh; g fd ^^eR; dkfjr dju dk vk'k;** [kM (2) dh vko';d vko';drk ugh gA doy , lh migfr d ihfMr fo'k"k dh eR; dkfjr dju dh lHkkouk dh vijkèkh dh tkudkjh d lkFk 'kkjhfjd migfr dju dk vk'k; gR;k dk bl [kM dh ifjfèk d vrxr yku d fy, i;kIr gA [kM (2) dk ;g igy èkkjk 300 d lkFk lyXu mnkgj.k (b) }kjk fl) fd;k x;k gA***

15. पूर्वोक्त निर्णय में, **विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, AIR 1958 SC 465,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विख्यात निर्णय दोहराया गया है और अंततः पैराग्राफ 24 एवं 25 में अभिनिर्धारित किया गया था:–

*"24. èkkjk 299 dk [kM (c) vkj èkkjk 300 dk [kM (4) nkuk eR; dkfjr dju oky ÑR; dh vfèklHkk0;rk dh tkudkjh vko';d cukr gA bu nk rRle [kMk d chp lfHkUurk ij vfèkd fopkj djuk bl ekey d ç;ktu l vko';d ugh gA bruk dguk i;kIr g fd èkkjk 300 dk [kM (4) ç;kT; gkxk tgk mld vklUu [krjukd ÑR; l 0;fDr vFkok 0;fDr;k fo'k"k l lfHkUu vkerkj ij 0;fDr vFkok 0;fDr;k dh gR;k dkfjr fd, tku dh lHkk0;rk d çfr vijkèkh dh tkudkjh 0;ogkfjd fuf'prrk d fudV gA vijkèkh dh vkj l , lh tkudkjh vfèklHkk0;rk dh mPpre fMxh dh gkuh gkxh] eR; vFkok , lh migfr dkfjr dju dk tkf[ke mixr dju d fy, fdlh cgkuk d fcuk iokDrkulkj vijkèkh }kjk fd;k x;k ÑR;A***

*25. mDr doy ekV rkj ij ekxn'kd fl)kr gu fd dBkj vfuok;rk,A vfèkdre ekeyk e] mudk ikyu U;k;ky; d dke dk ldj cuk,xkA fdr dHkh&dHkkj rF; vkil e , l xFk g fd f}rh; vkj rrh; pj.kk e vrxLr ekeyk d lkFk iFkd ,o lLi"V 0;ogkj djuk lfoèkktud ugh gk ldrk gA***

16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर **राजपाल मामले (ऊपर)** में दिए गए निर्णय का निर्णायाधार लागू करते हुए हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन का मामला भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के बजाए धारा 304 भाग I की रिष्टि के अंतर्गत आएगा। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अपीलार्थी की दोषसिद्धि इस प्रकार उपांतरित/परिवर्तित किए जाने योग्य है। तद्नुसार आदेश दिया गया।

17. चूँकि अपीलार्थी पहले ही अब तक अपने वास्तविक मुख्य दंडादेश का 13 वर्ष तीन माह भुगत चुका है, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में न्याय का उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरा होगा यदि अब दर्ज की गयी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग I के अधीन दंडादेश उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया जाता है।

18. शुद्ध परिणाम यह है कि वर्तमान अपील पूर्वोक्त निबंधनों में अंशतः अनुज्ञात की जाती है।

19. अभियुक्त अपीलार्थी मंजय मुर्मू, पुत्र होपना मुर्मु, निवासी हिजरी, पी॰ एस॰ बोआरीजोर, जिला गोड्डा को इस मामले में तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

20. इस संबंध में निर्मुक्ति आदेश तुरन्त संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

21. इसके अनुपालन के लिए विलंब के बिना विद्वान विचारण न्यायालय को वर्तमान अपील का परिणाम रजिस्ट्री अधिसूचित करे।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

बिहार कोलियरी कामगार यूनियन

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P.(L) No. 6533 of 2013. Decided on 3rd February, 2015.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 10—बोर्ड, न्यायालय अथवा अधिकरण को विवादों का निर्देश—याची ने दावा किया कि 211 कर्मकार मेसर्स आई॰ आई॰ एस॰ सी॰ ओ॰-एस॰ ए॰ आई॰ एल॰ के जितपुर कोलियरी में 8 वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं जिन्हें प्राधिकृत करण पत्र, सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ खाता, वोकेशनल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आदि जारी किया गया है—सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) धनबाद-1 का दिनांक 19.3.2013 का पत्र स्पष्टतः प्रकट करता है कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के प्रति पक्षों के बीच विवाद उद्भूत हुआ है और विवाद्यक यह है कि क्या संबंधित कर्मकारी नियमितकरण के हकदार थे या नहीं—अभिनिर्धारित, आक्षेपित आदेश विधि में गंभीर दुर्बलता से पीड़ित है, सरकार न्याय निर्णयन के लिए विवाद को निर्दिष्ट करने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकती थी कि नियमितिकरण का दावा वैध दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है—निर्देश के साथ आक्षेपित आदेश अभिखंडित।

(पैराएँ 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.—(2000) 3 SCC 93—Relied upon; (1996) 2 SCC 66; (1989) 3 SCC 271—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. Ajay Kumar Singh, For the Petitioner; Mr. Prabash Kumar, For the Resp. No. 1 to 3; M/s Ananda Sen, Nagmani Tiwary, For the Resp. No.4.

आदेश

दिनांक 11.6.2013 के आदेश, जिसके द्वारा न्याय निर्णयण के लिए विवाद को निर्दिष्ट करने से इनकार करता श्रम मंत्रालय का निर्णय संसूचित किया गया है, का अभिखंडन इप्सित करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। लगभग 211 कर्मकार जो याची कामगार यूनियन के सदस्य हैं मेसर्स इसको (सेल) के जितपुर कोलियरी में आठ वर्ष से अधिक से संविदा श्रमिक के रूप में स्थायी रूप से कार्यरत हैं। यद्यपि एक विनिर्दिष्ट अवधि के बाद जितपुर कोलियरी प्रबंधन के अधीन ठेकेदार बदल गया और एक नए ठेकेदार को संकर्म आदेश आवंटित किया गया, 211 कर्मकारों ने मेसर्स इसको सेल के जितपुर कोलियरी के प्रबंधन में स्थायी प्रकृति का काम करना जारी रखा। ये कर्मकार विगत आठ वर्षों से अधिक समय से भूमिगत खानों में कोल ड्रेसर, सपोर्टर (टी॰ सी॰ आर॰), टिंबर मिस्त्री, मशीनिस्ट ऑपरेटर, सामान्य मजदूर, आदि के पद पर विभिन्न प्रकृति के काम कर रहे हैं। पद जिन पर याची कामगार यूनियन के सदस्य कार्यरत

हैं, वे सब मंजूर पद हैं और ये कर्मकार जितपुर कोलियरी के प्रबंधन के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। कर्मकारों को दक्ष मजदूर के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जितपुर कोलियरी प्रबंधन द्वारा वोकेशनल प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अधीन लाभ एवं पेंशन भी प्रदान किया गया था। संबंधित कर्मकारों को सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ खाता भी आवंटित किया गया था जिसमें नियमित रूप से प्रबंधन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है। यह कथन किया गया है कि मेसर्स इसको सेल के जितपुर कोलियरी का प्रबंधन न्यूनतम मजदूरी, छुट्टियाँ, बोनस, कल्याण भत्ता, भूमिगत भत्ता आदि का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ और इस संबंध में समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया है। चूँकि जितपुर कोलियरी का प्रबंधन राष्ट्रीय कोयला मजदूरी बोर्ड द्वारा नियत दर के नीचे ठेकेदार के कर्मकारों को मजदूरी का भुगतान कर रहा था, मजदूरी बकाया एवं पारिणामिक लाभ के साथ सेवा के नियमितिकरण के लिए अभ्यावेदन भी दिए गए थे किंतु, प्रबंधन ने दावा से इनकार किया और इसलिए सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय-I) धनबाद के समक्ष दिनांक 22.1.2012 के पत्र के तहत औद्योगिक विवाद खड़ा किया गया था। सुलह कार्यवाही आरंभ की गयी थी जिसमें प्रबंधन ने नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से इनकार करते हुए अपना लिखित कथन दाखिल किया और अंततः, सुलह कार्यवाही का अंत विफलता में हुआ। दिनांक 19.3.2013 की रिपोर्ट श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को समुचित फोरम को न्याय निर्णयन के लिए विवाद निर्दिष्ट करने के लिए दी गयी थी किंतु समुचित सरकार ने न्याय निर्णयन के लिए विवाद निर्दिष्ट करने से इनकार कर दिया है और उक्त निर्णय दिनांक 11.6.2013 के पत्र के तहत संसूचित किया गया है। व्यथित होकर, याची इस न्यायालय के पास आया है।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सहमत हुए कि वर्तमान रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक शुद्धतः विधि का प्रश्न है और इसलिए मामले में प्रतिशपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अधीन समुचित सरकार मात्र प्रशासनिक है और परस्पर विरोधी दावों के गुणागुण का न्याय निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है किंतु निर्देश इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि औद्योगिक विवाद में न्याय निर्णयण के लिए गुणागुण की कमी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष कर्मकारों की ओर से अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गयी थी, अतः यह गलत है कि कर्मकारों की ओर से किया गया दावा वैध दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं है।

6. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थी भारत संघ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभाष कुमार **''सचिव, भारतीय चाय संघ बनाम अजित कुमार बरात एवं अन्य, (2000)3 SCC 93,** में निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन करते हैं कि समुचित सरकार अपने ध्यान में लाए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों पर कि औद्योगिक विवाद विद्यमान है अथवा इसकी आशंका है, स्वयं को संतुष्ट किए बिना औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन निर्देश करने में न्यायोचित नहीं होगी।

7. मैंने सावधानीपूर्वक पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 नीचे उद्धृत की जाती है:

*10. **^^fooknk dk ckM] U;k;ky; ;k vfèkdj.k dk fun'k-**&(1) tgk ;Fkkfpr ljdkj dh jk; g fd dkb vk|kfxd fookn fo|eku g ;k bldh vk'kdk g] ;g fdlh le; fyf[kr vkn'k }kjk*

(a) fookn dk mld fuiVku dk c<kok nu d fy, ckM dk fufn"V dj ldxk(;k

(b) fookn l lcfèkr ;k ikIfxd irhr gku oky fo"k; dk tkp gr U;k;ky; dk fufn"V dj ldxk(;k

(c) fookn l lcfèkr ;k ikIfxd irhr gku oky fo"k; dk U;k;fu.k;u gr Je U;k;ky; dk fufn"V djxk vxj ;g f}rh; vulph e fofufn"V fdlh fo"k; l lcfèkr g(;k

(d) fookn l lcfèkr ;k ikIfxd irhr gku oky fo"k; dk U;k;fu.k;u gr vfèkdj.k dk fufn"V djxk vxj ;g f}rh; vulph ;k rrh; vulph e fofufn"V fdlh fo"k; l lcfèkr g%

ijUr ;g fd tgk fookn rrh; vulph e fofufn"V fdlh fo"k; l lcfèkr g rFkk bll ,d lk l vfèkd dedkjk d iHkkfor gku dh lHkkouk ugh g] ;Fkkfpr ljdkj vxj og mfpr le>] [kM (c) d vèkhu Je U;k;ky; dk fun'k djxk%

ijUr ;g Hkh fd tgk fookn ykd mi;kfxrk dh lok l lcfèkr g rFkk èkkjk 22 d vèkhu ukfVl fn;k x;k g] ;Fkkfpr ljdkj tcrd bldh jk; ;g u gk fd ukfVl rPNrk l ;k ij'kku dju d fy, fn;k x;k g ;k ;g fd ,l dju k lehphu gkxk] bl mièkkjk d vèkhu fun'k djxh bld ckotn fd fookn d lcèk e bl vfèkfu;e d vèkhu dkb vU; dk;okgh ikjHk dh tk ldrh g%

*ijUr ;g Hkh fd tgk fookn ftld lEcUèk e ;Fkkfpr ljdkj dUn ljdkj g] ogk ljdkj jkT; ljdkj }kjk xfBr Je U;k;ky; ;k vk|kfxd vfèkdj.k] ;FkkfLFkfr dk fookn fufn"V dju e l{ke gkxhA***

9. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (k) ''औद्योगिक विवाद'' को नियोक्ता–कर्मचारी अथवा नियोक्ता–नियोक्ता के बीच विवाद अथवा मतभेद के अर्थ में परिभाषित करती है। **''सचिव, भारतीय चाय संघ बनाम अजित कुमार बरात एवं अन्य'', (ऊपर)** में **''सुलतान सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं एक अन्य'', (1996)2 SCC 66** में निर्णय को ध्यान में लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नलिखित रूप से संक्षिप्त किया है:–

"1. lefpr ljdkj viu è;ku e yk, x, rF;k ,o ifjfLFkfr;k fd vk|kfxd fookn fo|eku g vFkok bldh vk'kdk g] ij Lo; dk lr"V fd, fcuk vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vèkhu fun'k dju e U;k;kfpr ugh gkxh vkj ;fn ,l fun'k fd;k tkrk g] fun'k d vkn'k e fookn dh çÑfr minf'kr dju k] tgk dgh Hkh lHko gk] okNuh; gA

2. vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vèkhu fun'k dju okyh lefpr ljdkj dk vkn'k ç'kkIfud vkn'k g vkj u fd U;kf;d vFkok U;kf;d dYi vkn'k vkj blfy,] U;k;ky; ;g n[ku d fy, fd D;k viu fu"d"k dk leFku dju d fy, ljdkj d le{k dkb lkexh g] fudV :i l fun'k dk vkn'k çpkfjr ugh dj ldrk g ekuk ;g U;kf;d vFkok U;kf;d ddYi vkn'k FkkA

3. vfèkfu;e dh èkkjk 10 d vèkhu lefpr ljdkj }kjk ikfjr vkn'k ç'kklfud vkn'k gku d ukr] fookn vrxLr ugh g D;kfd ,l vkn'k ljdkj dh 0;fDrfu"B lrf"V ij ikfjr fd;k x;k gA

4. ;fn fn, x, dkj.kk l ;g çrhr gkrk g fd lefpr ljdkj u fdlh vçklfxd fopkj vFkok ckg; lkexh dk fopkj e fy;k] U;k;ky; fn, x, ekey e ijekn'k fjV d fy, ekeyk ij fopkj dj ldrk gA

*5. fdr] ;g n'kku dh NV i{k dk gkxh ljdkj }kjk tk fufn"V fd;k x;k Fkk] og vfèkfu;e d vFk d vrxr vk|kfxd fookn ugh FkkA***

10. ''टेल्को कॉनवॉय ड्राइवर्स मजदूर संघ बनाम बिहार राज्य'', (1989)3 SCC 271, में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि समुचित सरकार मत निर्मित कर सकती है कि क्या औद्योगिक विवाद विद्यमान है अथवा इसकी आशंका है किंतु यह गुणागुण पर स्वयं विवाद न्याय निर्णीत करने के लिए हकदार नहीं है। जहाँ विवाद यह है कि क्या विवाद कर रहे व्यक्ति कर्मकार हैं या नहीं, इसे सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के अधीन अपने प्रशासनिक कार्यों के प्रयोग में विनिश्चित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

*"13. çfrokn ;|fi vkd"kd g] ge [kn g fd ge bl Lohdkj dju e v{ke gA vc ;g lfuf'pr g fd vfèkfu;e dh èkkjk 10 (1) d vèkhu 'kfDr dk ç;kx djr g, lefpr ljdkj dk dk; ç'kklfud dk; g vkj U;kf;d vFkok U;kf;d dYi dk; ugh g vkj fd bl ç'kklfud dk; d ikyu e ljdkj fookn d x.kkx.k ij fopkj ugh dj ldrh g vkj okn d fofu'p;dj.k dk Hkkj Lo; viu Åij ugh y ldrh g tk fu'p; gh vfèkfu;e dh èkkjk 10 }kjk bl ij çnÙk 'kfDr d ij gkxkA***

11. वर्तमान मामले में, याची ने दावा किया है कि संबंधित कर्मकार मेसर्स इसको सेल के जितपुर कोलियरी में आठ वर्ष से अधिक से लगातार कार्यरत हैं। उन्हें प्राधिकृतकरण पत्र, सी॰ एम॰ पी॰ एफ॰ खाता, वोकेशनल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आदि जारी किया गया है। याची ने समझौते की बैठकों का वृतांत अभिलेख पर लाया है। सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद I का दिनांक 19.3.2013 का पत्र, जिसके द्वारा श्रम एवं नियोजन मंत्रालय को विफलता रिपोर्ट भेजी गयी है, प्रकट करता है कि दिनांक 22.1.2012 का पत्र जिसके द्वारा कामगार यूनियन द्वारा विवाद उठाया गया था, प्रबंधन के दिनांक 12.4.2012/25.2.2012 के लिखित कथन की प्रति और याची कामगार यूनियन का दिनांक 27.4.2012/ 20.6.2012 का प्रत्युत्तर तथा दिनांक 5.12.2012 की सुलह कार्यवाही के वृतांत की प्रति उसमें संलग्न की गयी थी। श्रम मंत्रालय ने निम्नलिखित कारणों से विवाद निर्दिष्ट करने से इनकार किया है:–

*^^bldk ly d ftrij dkfy;jh d Jh lhrkjke ikloku ,o vU;] d lok d fu;fefrdj.k dk ;fu;u dk nkok oèk nLrkotk }kjk lefFkr ugh Fkk tk mudk nkok fl) djr g fd fdlh pj.k ij çcèku ,o dedkj d chp fu;kDrk&depkjh lcèk gA vr% vkb0 Mh0 e U;k; fu.k;.k d fy, x.kkx.k dh deh gA***

12. विवाद नहीं निर्दिष्ट करने के लिए उक्त कारण का परिशीलन प्रकट करता है कि समुचित सरकार ने मामले के गुणागुण पर विचार किया है जहाँ तक कर्मचारी एवं प्रबंधन के बीच कर्मचारी–नियोक्ता

संबंध के अस्तित्व का संबंध है। क्या कर्मकार एवं प्रबंधन के बीच नियोक्ता–कर्मचारी संबंध है, ऐसा प्रश्न है जिसे श्रम न्यायालय में न्याय निर्णीत किया जा सकता है और समुचित सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) के अधीन प्रशासनिक कार्य के प्रयोग में इस विवाद्यक को न्याय निर्णीत नहीं कर सकती है। यद्यपि समुचित सरकार की संतुष्टि व्यक्तिनिष्ठ है, इसे अभिलेख पर मौजूद सामग्री के वस्तुनिष्ठ निर्धारण पर आधारित होना होगा। सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) धनबाद I का दिनांक 19.3.2013 का पत्र स्पष्टत: प्रकट करता है कि नियोक्ता–कर्मचारी संबंध के प्रति पक्षों के बीच विवाद उद्भूत हुआ है और विवाद्यक यह है कि क्या संबंधित कर्मकार नियमितिकरण के हकदार है या नहीं। मेरा दृष्टिकोण है कि दिनांक 11.6.2013 का आक्षेपित आदेश विधि में गंभीर दुर्बलता से पीड़ित है। सरकार इस आधार पर कि नियमितिकरण का दावा वैध दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं है, न्याय निर्णयण के लिए विवाद निर्दिष्ट करने से इनकार नहीं कर सकती थी।

13. तद्नुसार, दिनांक 11.6.2013 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है और प्रत्यर्थी सं॰ 1 का श्रम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के लिए मामला निर्दिष्ट करने के लिए समुचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; Mhñ ,uñ iVy ,o çeFk iVuk;d] U;k;efrx.k

आदित्य राणा

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Contempt Case (Criminal) No. 08 of 2013. Decided on 28th January, 2015.

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971—धारा 12—याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए परिवाद मामला जिसके लिए अग्रिम जमानत आवेदन दिया गया था—दिनांक 7.8.2013 को ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 1988/2013 में अग्रिम जमानत इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि वह अपनी पत्नी को पूरे सम्मान एवं मर्यादा के साथ रखेगा–पति आवेदक को न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लिया गया क्योंकि उसके द्वारा पत्नी को रखा नहीं गया था जबकि आवेदक ने निवेदन किया कि वह अपनी पत्नी को अपने निवास स्थान पर ले जाने को तैयार एवं इच्छुक था किंतु उसकी पत्नी उसके साथ नहीं गयी थी और इसलिए उसे दिनांक 7.8.2013 को पारित आदेश की अवज्ञा में गलत रूप से कारा भेजा गया था–आवेदक को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 439 के अधीन नियमित जमानत प्रदान किया गया है–न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई आरंभ करने का कारण नहीं है–अवमान आवेदन खारिज।

(पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Hemant Kumar Shikarwar, For the Petitioner; Mr. Arun Kumar Pandey, For the State.

आदेश

यह अवमान आवेदन ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 1988 वर्ष 2013 में दिनांक 7 अगस्त, 2013 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अभिकथित भंग के लिए दाखिल किया गया है।

2. आवेदक के अधिवक्ता को सुनने पर एवं तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि यह आवेदक पति है। उसकी पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराध के

लिए दांडिक परिवाद दाखिल किया है जिसके लिए इस आवेदक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि वह अपनी पत्नी को पूरे सम्मान एवं मर्यादा के साथ रखेगा।

3. अब, यह प्रतीत होता है कि इस पति आवेदक द्वारा पत्नी को ले जाया नहीं गया था, अतः न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी ने उसको अभिरक्षा में लिया था जबकि आवेदक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक अपनी पत्नी को अपने निवास स्थान पर ले जाने के लिए तैयार एवं इच्छुक है, किंतु उसकी पत्नी पति आवेदक के साथ नहीं गयी थी और इसलिए, उसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को पारित आदेश की अवज्ञा में गलत रूप से कारा भेजा गया था। जब तथ्य विवादित है कि पत्नी जानबूझकर गयी थी अथवा इस आवेदक द्वारा उसे अपने निवास स्थान पर नहीं ले जाया गया था, तथ्यों पर विनिश्चित किया जाने वाला मामला है। फिर भी, आज के दिन पर इस आवेदक को पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन नियमित जमानत प्रदान किया गया है। अतः, हम न्यायालय अवमान अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई आरंभ करने का कारण नहीं देखते हैं, दांडिक परिवाद की तो बात ही दूर।

4. अतः, हम एतद् द्वारा इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जेनरल को अवमान आवेदन एवं परिस्थितियों के साथ ए॰ बी॰ ए॰ सं॰ 1988 वर्ष 2013 में दिनांक 7 अगस्त, 2013 को पारित आदेश की प्रति निदेशक, न्यायिक एकेडमी, राँची को न्यायिक अधिकारियों द्वारा मामले के अध्ययन के प्रयोजन से भेजने का निर्देश देते हैं।

5. यह अवमान आवेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o jfo ukFk oek] U;k;efrx.k

एस॰ कुमार तिवारी उर्फ सुमेर कुमार तिवारी

cuke

झारखण्ड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 311 of 2001. Decided on 19th January, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 296 वर्ष 1998 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 11.6.2001 एवं दिनांक 12.6.2001 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 106—विशेषतः जानकारी के अंतर्गत तथ्य सिद्ध करने का भार–अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 304B एवं 498A के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया गया है–विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी पाया गया था क्योंकि मृतका को गला घोंटकर मारा गया पाया गया था जिसके लिए पति जिम्मेदार होगा–न्यायालय ऐसी दोषसिद्धि दर्ज करने में न्यायोचित होता यदि साक्ष्य होता कि घटना के समय पर केवल अपीलार्थी मृतका के साथ घर में अकेला था, उस स्थिति में अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के निबंधनानुसार इस कारण से उपधारणा की जा सकती थी कि यह इस अपीलार्थी के विशेष जानकारी के अंतर्गत होगा कि किस प्रकार मृतका की मृत्यु हुई थी–अभियुक्त की निर्दोषिता सुझाने वाले किसी तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता

है कि केवल अभियुक्त अपराध कर सकता था–अभिनिर्धारित, अभियोजन मूल तथ्य सिद्ध करने में विफल रहा कि घटना के समय पर केवल अपीलार्थी घर में उपस्थित था जहाँ मृतका को जलाकर मारा गया पाया गया था–साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन उपधारणा नहीं की जा सकती है–विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया गया, अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया। (पैराएँ 13 से 17)

अधिवक्तागण.–M/s P.C. Tripathi, Manjula Upadhyay, For the Appellant; Mr. Ajay Kumar Pandey, For the State.

न्यायालय द्वारा–यह अपील सत्र विचारण सं॰ 296 वर्ष 1998 में पारित क्रमशः दिनांक 11.6.2001 एवं दिनांक 12.6.2001 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 498A के अधीन आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उसको अपनी पत्नी सीमा देवी की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसको कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. अभियोजन का मामला यह है कि मृतका सीमा देवी का विवाह अपीलार्थी एस॰ कुमार तिवारी उर्फ सुमेर कुमार तिवारी के साथ वर्ष 1996 में हुआ था। विवाहोपरांत जब मृतका सीमा देवी अपने ससुराल में रहने लगी, अपीलार्थी (पति), दो देवरों, चचेरे सास-ससुर 20,000/- रुपयों और गाय तथा बैल की दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण मृतका सीमा देवी को यातना के अध्यधीन करने लगे। दिनांक 5.6.1997 को जब मृतका अपने भाई अशोक कुमार दूबे (अ॰ सा॰ 1) के घर आयी, उसने उसको उन सब चीजों के बारे में बताया। तत्पश्चात्, सीमा देवी अपने ससुराल चली गयी। दिनांक 7.6.1997 को सायं लगभग 5 बजे किसी जयमाती देवी (परीक्षण नहीं किया गया) ने सूचक अशोक कुमार दूबे (अ॰ सा॰ 1) को सूचित किया कि जलाए जाने के कारण उसकी बहन की मृत्यु हो गयी है। यह जानने पर सूचक अपनी बहन के घर गया और अपनी बहन को मृत पाया।

3. ऐसे अभिकथन पर मामला दर्ज किया गया था जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन चैनपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 64 वर्ष 1997 के रूप में दर्ज किया गया था।

4. मामले का अन्वेषण किया गया था। अन्वेषण के दौरान, मृत शरीर का शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जिसे डॉ॰ राम नाथ चौधरी अ॰ सा॰ 6 द्वारा किया गया था। परीक्षण के दौरान उन्होंने निम्नलिखित उपहतियाँ पाया था:–

(i) pgj] flj dh [kky] èkM] Nkrh] iV] nkuk Åijh Nkj ,o fupy Nkj dk 'kkfey djr g, flj l iko rd foLrkfjr tyu migfrA

(ii) ck;k Åijh vx ijh rjg ty x;k Fkk(

(iii) dèk] dkguh ,o mxfy;k ¶lyDIM ,fVP;M d Fk(

(iv) cky] Hko] tuufn; cky lc ty g, Fk(

(v) thHk ckgj fudyk Fkk vkj ukd rFkk eg l ckgj vku okyk [ku ,o Qu ik;k x;k Fkk(

(vi) xnu d Åij dkb ckgjh fpUg ugh ik;k x;k D;kfd xnu d Åij dh Ropk tyh gb FkhA

5. गर्दन की चीर-फाड़ पर, एंटीरियर गर्दन मांसपेशियाँ खुरची पायी गयी थी और गर्दन की

मांसपेशियों के नीचे खून का थक्का भी मौजूद था। श्वास नली में कार्बन कण अथवा इसका अंश नहीं पाया गया था। पेट की चीर-फाड़ पर समस्त आंतरिक विसरा को अक्षुण्ण पाया गया था।

6. तद्नुसार, डॉक्टर ने इस मत के साथ शव परीक्षण रिपोर्ट जारी किया कि मृत्यु संभवत: गला दबाए जाने के कारण दम घुटने के कारण कारित हुई थी। जलन उपहतियाँ मृत्यु पश्चात थी।

7. अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण पूरा करने पर आरोप-पत्र दाखिल किया जिस पर अपीलार्थी एवं अन्य के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, जहाँ इस अपीलार्थी और उसके दो भाईयों का चाचा-चाची के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 304B/34 एवं 498A/34 के अधीन आरोपों के लिए विचारण किया गया था। इस अपीलार्थी को आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया था। अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण ने निर्दोष होने का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

8. विचारण के दौरान, अभियोजन ने छह गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से, अ॰ सा॰ 1 अशोक कुमार दूबे सूचक है जिसने परिसाक्ष्य दिया था कि जयमती देवी द्वारा सूचित किए जाने पर कि उसकी बहन की मृत्यु हो गयी है, वह अपनी बहन के घर गया और वहाँ उसे मृत पाया और उसके अनुसार मृत्यु स्वाभाविक थी। इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। अ॰ सा॰ 2 पारस नाथ दूबे, अ॰ सा॰ 3 गोपाल प्रसाद द्विवेदी और अ॰ सा॰ 5 नरेन्द्र दूबे ने परिसाक्ष्य दिया था कि जब उन्हें अ॰ सा॰ 1 अशोक कुमार दूबे से पता चला कि उनकी बहन सीमा देवी की हत्या कर दी गयी थी, वे उसके घर गए और उसे मृत पाया। अ॰ सा॰ 4 चंद्रशेखर दूबे ने भी परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह मृतका के घर आया, उसने मृतका को जलाकर मारा गया पाया। डॉ॰ रामनाथ चौधरी का परीक्षण अ॰ सा॰ 6 के रूप में किया गया है।

9. पूर्वोक्त सामग्री पर न्यायालय ने पाया था कि अभियोजन भारतीय दंड संहिता की धारा 304B अथवा 498A के अधीन अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा है। तद्नुसार, इस अपीलार्थी सहित समस्त अभियुक्तगण को उन आरोपों से दोषमुक्त किया गया था। किंतु न्यायालय ने इस अपीलार्थी (मृतका के पति) को दोषी पाया क्योंकि मृतका को अपीलार्थी की पत्नी होने के नाते जलाकर मारा गया पाया गया था। शायद न्यायालय इस उपधारणा पर कि केवल यह अपीलार्थी जो पति होने के नाते घर में था, उसकी मृत्यु कारित करने के लिए जिम्मेदार हो सकता था, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और तद्नुसार दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया।

10. दोषसिद्धि के उक्त निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर यह अपील दाखिल की गयी है।

11. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी॰ सी॰ त्रिपाठी निवेदन करते हैं कि इस प्रभाव का साक्ष्य बिल्कुल नहीं है कि इस अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। किंतु, न्यायालय ने इस उपधारणा पर अपीलार्थी को दोषी पाया कि केवल पति ही अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए जिम्मेदार हो सकता था किंतु ऐसे ताथ्यिक तथ्य की अनुपस्थिति में कि घटना के समय पर इस अपीलार्थी को छोड़कर और कोई घर में उपस्थित नहीं था जिसमें मृतका को मृत पाया गया था, न्यायालय ने अवैधता किया।

12. किंतु, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय अपीलार्थी जो और कोई नहीं बल्कि मृतका का पति था को दोषसिद्ध करने में कोई अवैधता

करता प्रतीत कभी नहीं होता है और मृतका को गला घोंट कर मारा गया पाया गया था और जलाकर मारा गया पाया गया था जो डॉक्टर के साक्ष्य से स्पष्ट है।

13. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर और अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी एवं अन्य अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304B एवं 498A के अधीन सिद्ध आरोपों से दोषमुक्त किया गया है क्योंकि इस प्रभाव का साक्ष्य नहीं था कि मृतका को दहेज मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण मारा गया था। किंतु, न्यायालय ने इस अपीलार्थी (मृतका के पति) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी पाया क्योंकि मृतका को गला दबाकर मारा गया पाया गया था जिसके लिए केवल पति जिम्मेदार हो सकता था। न्यायालय ऐसी दोषसिद्धि दर्ज करने में न्यायोचित हो सकता था यदि साक्ष्य होता कि घटना के समय पर केवल अपीलार्थी मृतका के साथ घर में अकेला था। उस स्थिति में, अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के निबंधनानुसार उपधारणा की जा सकती थी कि यह बिल्कुल इस अपीलार्थी की विशेष जानकारी के भीतर होगा कि किस प्रकार मृतका की मृत्यु हुई अभियुक्त की निर्दोषिता सुझाने वाले किसी तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि केवल अपीलार्थी ही अपराध कर सकता था।

14. इस संबंध में, हम उक्त प्रावधान निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसका पठन निम्नलिखित है:–

> *"106. **fo'k"kr% tkudkjh d vèkhu rF; fl) dju dk Hkkj**-&tc dkbZ rF; fo'k"kr% fdlh 0;fDr dh tkudkjh d vrxr g] ml rF; dk fl) dju dk Hkkj ml ij gA**"*

15. किंतु इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जैसा हमने ऊपर गौर किया है कि अभियोजन मूल तथ्य सिद्ध करने में विफल रहा कि घटना के समय पर केवल अपीलार्थी घर में उपस्थित था जहाँ मृतका को जलाकर मारा गया पाया गया था।

16. मामले के उस दृष्टिकोण में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के निबंधनानुसार उपधारणा नहीं की जा सकती है और इस प्रकार, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में अवैधता किया।

17. तद्नुसार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, अपीलार्थी को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरुप, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

अर्जुन राम

cuke

बिहार राज्य

Criminal Appeal No. 409 of 2000 (R). Decided on 15th January, 2015.

दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–अपीलार्थी अर्जुन राम को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 341 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया–अ॰ सा॰ 3 ने स्पष्टतः यह कह कर घटनास्थल विनिर्दिष्ट किया कि जब वह ''सरगुजा खेत'' पहुँची, अभियुक्तगण ने उसे अवरुद्ध किया और उस पर प्रहार किया और जब अन्य गवाह एवं मृतक उसको बचाने पहुँचे, उसी स्थान पर उन पर भी प्रहार किया गया था–बचाव पक्ष ने भी औपचारिक प्राथमिकी एवं बगोदर पी॰ एस॰ की लिखित रिपोर्ट को सिद्ध किया है–विचारण न्यायालय ने घटना के तरीके और अभियुक्तगण के हाथों उन पर एवं मृतक पर प्रहार के तात्विक बिंदु पर अ॰ सा॰ 1 से 4 के बयान में विरोधाभास नहीं पाया था, अ॰ सा॰ 8 ने मृत शरीर का शव परीक्षण किया और उपहतियाँ पाया–अभिनिर्धारित, बचाव अ॰ सा॰ जिन पर भी प्रहार किया गया था और जो घायल हुए थे के परिसाक्ष्य को अस्वीकार करने में सक्षम नहीं हुआ है–समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 सहपठित 341 के अधीन आरोप सिद्ध किए गए हैं–अपील खारिज। (पैराएँ 6, 9 से 11)

अधिवक्तागण.–M/s Amrita Banerjee & A.K. Sahani, For the Appellant; Ms. Anita Sinha, For the Respondent.

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–आरंभ में ही, यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त अपीलार्थी को राज्य द्वारा प्रदान किए गए परिहार सहित संपूर्ण मुख्य दंडादेश भुगतने के बाद दिनांक 16.5.2010 को कारा से निर्मुक्त कर दिया गया है।

2. अपीलार्थी अर्जुन राम को तीन अन्य के साथ दिनांक 6.11.1995 को मथुरा राम (कहार) की मृत्यु आशयपूर्वक कारित करने के लिए और मथुरा राम (कहार), बासुदेव कहार, रामकिशुन कहार, अंजनी देवी और सुन्दरी देवी को स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करने के लिए भी भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323, 341, 307/34 एवं 302/34 के अधीन आरोपित किया गया था। सत्र विचारण सं॰ 113/96 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गिरिडीह द्वारा दिए गए दिनांक 4.2.2000 के आक्षेपित निर्णय द्वारा वर्तमान अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 341 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास भुगतने तथा 1000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और इसके व्यतिक्रम में तीन माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। अन्य तीन अभियुक्तगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 341 के अधीन दोषी अभिनिर्धारित किया गया था।

3. संक्षेप में अभियोजन मामला यह है कि अपीलार्थी सहित पूर्वोक्त अभियुक्तगण दिनांक 6.11.1995 को ग्राम नावाडीह, पी॰ एस॰ बगोदर (सरिया) जिला गिरिडीह में अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए मथुरा कहार, वासुदेव कहार, राम किशुन कहार, अंजनी देवी एवं सुन्दरी देवी को स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित किया था और उनका जीवन लेने का प्रयास किया था। घटना के ही दिन अंजनी देवी एवं मथुरा कहार को घोर उपहति कारित करने के लिए अभियुक्त जगदीश राम को आगे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 325 के अधीन आरोपित किया गया था। वर्तमान अपीलार्थी को टांगी द्वारा मथुरा कहार की मृत्यु कारित करने और आगे रामकिशुन कहार के शरीर पर घोर उपहति कारित करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 325 के अधीन आरोपित किया गया था।

4. सूचक तेजो कहार का फर्दबयान दिनांक 6.11.1995 को दोपहर 2-3 बजे दर्ज किया गया था जिसने अन्य बातों के साथ अभिकथित किया कि उसकी पत्नी अंजनी देवी को धान की फसल काटने के बाद घर लौटते हुए अभियुक्त द्वारा अवरुद्ध किया गया था और उस पर प्रहार भी किया गया था। सूचक हल्ला सुनने पर अपने पुत्र एवं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घटनास्थल पर आया और अंजनी देवी का बचाव करते हुए उन पर भी अभियुक्तगण द्वारा टांगी, लाठी आदि से प्रहार किया गया था जिसके

परिणामस्वरुप उन्होंने उपहति पाया। अन्वेषण के दौरान भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 जोड़ी गयी थी और चूँकि घायल मथुरा कहार ने अपनी उपहति के कारण दम तोड़ दिया था, दिनांक 16.11.1995 को आर्डरशीट द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 भी जोड़ी गयी थी। भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 341, 323, 324, 325, 307, 302/34 के अधीन चार नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया था और समस्त चारों अभियुक्तगण को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था। अभियुक्तगण ने आरोप का दोषी नहीं होने का अभिवचन किया और तत्पश्चात विचारण आरंभ हुआ।

5. अभियोजन की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण किया गया था जब कि बचाव की ओर से तीन गवाहों का परीक्षण किया गया था। एक गवाह प्रदीप कुमार का परीक्षण न्यायालय गवाह सं॰ 1 के रूप में किया गया था।

6. अभियुक्तगण ने यह मामला बनाने का प्रयास किया कि उन पर सूचक एवं उसके साथियों द्वारा प्रहार किया गया था जो पूर्व समय में बगोदर (सरिया) पी॰ एस॰ केस सं॰ 243/95 में परिणत हुआ। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन गवाह सं॰ 1, 2, 3 एवं 4 जो समस्त घायल गवाह थे और जिन्होंने संगत रूप से कथन किया था कि अभियुक्त अपीलार्थी अर्जुन राम टांगी से लैस था और मृतक मथुरा कहार के मस्तक पर टांगी का वार किया था, के परिसाक्ष्य का अधिमूल्यन करने के बाद उनके बयानों पर इस आधार पर अविश्वास करने का कारण नहीं पाया कि वे हितबद्ध गवाह थे और स्वतंत्र गवाह नहीं थे। मृतक मथुरा कहार के शरीर पर पायी गयी उपहतियाँ इस स्पष्ट बयान के साथ कि अभियुक्त अर्जुन राम ने टांगी से मृतक के मस्तक पर उपहति कारित किया था, जो स्पष्टत: अभियुक्त का आशय इंगित करता था, न्यायालय ने वर्तमान अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे स्थापित पाया। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्राथमिकी भेजने में विलंब से संबंधित बचाव द्वारा दिए गए तर्क को भी यह संप्रेक्षित करते हुए विचार में लिया कि वर्तमान घटना दिनांक 6.11.1995 को सायं 4 बजे सरिया पी॰ एस॰ को रिपोर्ट की गयी थी। समय के प्रासंगिक बिंदु पर सरिया पी॰ एस॰ जिसकी अधिकारिता के अधीन घटना हुई थी, स्वतंत्र पुलिस थाना नहीं था और बगोदर पुलिस थाना से संबद्ध था। तत्पश्चात, औपचारिक प्राथमिकी, प्रदर्श 4 मामला दर्ज करने के लिए बगोदर पुलिस थाना भेजी गयी थी जिसे दिनांक 8.11.1995 को बगोदर (सरिया) पी॰ एस॰ केस सं॰ 244/95 के रूप में दर्ज किया गया था। अत:, विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि सरिया पुलिस थाना ने गवाहों का बयान दर्ज करने अथवा सरिया पुलिस थाना में मामला दर्ज करने के मामले में विलंब कभी नहीं किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अ॰ सा॰ 3 अंजनी देवी ने अपने बयान में यह कह कर घटना स्थल स्पष्टत: विनिर्दिष्ट किया है कि जब वह ''सरगुजा खेत'' पहुँची, अभियुक्तगण ने उसे अवरुद्ध किया था और उस पर प्रहार किया था। जब अन्य गवाह एवं मृतक अंजनी देवी को बचाने पहुँचे, उन पर भी उसी स्थान पर प्रहार किया गया था। वस्तुत:, बचाव ने औपचारिक प्राथमिकी और बगोदर (सरिया) पी॰ एस॰ केस सं॰ 243/95 का लिखित रिपोर्ट भी सिद्ध किया था जिसमें उन्होंने घटना स्वीकार किया था जो अभिकथित रूप से दिनांक 6.11.1995 को पक्षों के बीच हुई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने पाया कि चार घायल गवाह थे जिनका परीक्षण किया गया था और जो अभिकथित घटना में घायल हुए थे और जिनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है यदि वे अपने बयानों में संगत हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने घटना के तरीके और अभियुक्तगण के हाथों उन पर एवं मृतक पर भी प्रहार के तात्विक बिंदु पर अ॰ सा॰ 1 से 4 के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं पाया था। अत:, विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि अभियोजन ने भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302 एवं 341 के अधीन आरोप

के लिए अभियुक्त अपीलार्थी अर्जुन राम के विरुद्ध किसी युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप को स्पष्टत: सिद्ध किया था। किंतु, शेष तीन अभियुक्तगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 323 एवं 341 के अधीन दोषी पाया गया था।

7. हमने प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण तात्विक साक्ष्य का संवीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, अभियोजन मामले के मुताबिक, अभियुक्त अपीलार्थी तीन अन्य के साथ सूचक तेजो कहार की पत्नी अंजनी देवी, जब वह खेत से धान काटने के बाद लौट रही थी, को अवरुद्ध करके प्रहार करने में लिप्त बताए गए थे। अंजनी देवी द्वारा हल्ला करने पर सूचक एवं उसका पुत्र और उसके परिवार के अन्य सदस्य उसको बचाने घटनास्थल पर आए। अभियुक्त अपीलार्थी अर्जुन राम घायल गवाहों अर्थात् अंजनी देवी, वासुदेव कहार, राम किशुन कहार एवं सुंदरी देवी के संगत बयानों के मुताबिक टांगी से लैस था जबकि अन्य लाठी से लैस बताए गए थे। ये चारों अभियोजन गवाह मृतक मथुरा कहार पर अभियुक्त अपीलार्थी अर्जुन राम द्वारा टांगी से प्रहार के बिंदु पर संगत हैं।

8. चिकित्सा अधिकारी अ॰ सा॰ 7 ने मृतक मथुरा कहार, अंजनी देवी, राम किशुन कहार एवं सुंदरी देवी के संबंध में उपहति रिपोर्ट सिद्ध किया है।

9. डॉ॰ बी॰ पी॰ सिंह, अ॰ सा॰ 8 जिन्होंने दिनांक 14.11.1995 को मथुरा कहार के मृत शरीर का शव परीक्षण किया ने मृतक के शरीर पर कम से कम पाँच मृत्यु पूर्व उपहति पाया था जिसमें उपहति सं॰ 1 बाएँ हिस्से की सिर की खाल पर 2" लंबा सिला हुआ जख्म था जिसके किनारों को अनियमित एवं ऊँचा-नीचा पाया गया था। चीर-फाड़ करने पर उन्होंने रक्त क्लॉट के साथ इंटरा कैनाल कैविटी के साथ कंट्यूज्ड ब्रेन पदार्थ पाया था। पूर्वोक्त उपहति, जिन्हें चिकित्सा अधिकारी द्वारा मृतक के शरीर पर सिद्ध किया गया है, घटलास्थल और प्रहार के तरीके के संबंध में दिए गए उनके बयान के साथ अभियोजन मामला स्पष्टत: स्थापित करते हैं।

10. ये समस्त गवाह मृतक मथुरा कहार पर टांगी के वार द्वारा उपहति कारित करने में अभियुक्त अर्जुन राम की भूमिका के बारे में संगत हैं। बचाव इन अभियोजन गवाहों, जिन पर भी प्रहार हुआ था और जो भी, विशेषत: सूचक की पत्नी अंजनी देवी, घायल हुए थे, के परिसाक्ष्य को झुठलाने में सक्षम नहीं हुआ है।

11. अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण तात्विक साक्ष्य तथा अपीलार्थी एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन का अधिमूल्यन करने पर हमारा सुविचारित मत है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 सहपठित 341 के अधीन आरोप समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है। हम दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय एवं अधिनिर्णीत दंडादेश में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं। अत:, वर्तमान अपील गुणागुण रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

देव नंदन प्रसाद एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. M.P. No. 254 of 2004. Decided on 27th January, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन एक आवेदन।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संपूर्ण दांडिक कार्यवाही का अभिखंडन–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 420/120B के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया–परिवाद याचिका प्रकट करती है कि यह शुद्धतः सिविल प्रकृति का मामला है और केवल अभियुक्तगण पर दबाव सृजित करने के लिए परिवादी ने परिवाद मामला संस्थित किया–परिवाद याचिका आगे प्रकट करती है कि अभियुक्त सं॰ 2 (याची) के पक्ष में नामांतरण के रद्दकरण के लिए परिवादी द्वारा कदम उठाया गया था और बाद में अंचलाधिकारी, राँची द्वारा नामांतरण रद्द कर दिया गया था–अतः सिविल विधि के अधीन समुचित उपचार का लाभ लेना और न कि दांडिक कार्यवाही आरंभ करना परिवादी के लिए आवश्यक था–याचिका अनुज्ञात की गयी, संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एवं संज्ञान आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 8 से 10)

अधिवक्तागण.–Mr. Laljee Sahay, For the Petitioner; A.P.P.. For the State; None, For the O.P. No.2.

रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति.–याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लालजी सहाय एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता सुने गए। विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

2. आरंभ में, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची सं॰ 1 जीवित नहीं है और इसलिए, वह याची सं॰ 2 की ओर से इस आवेदन पर जोर दे रहे हैं।

3., इस आवेदन में, याची ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 27.1.2004 के आदेश सहित, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता (भा॰ दं॰ सं॰) की धाराओं 420/120B के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है, सहित परिवाद मामला सं॰ 603 वर्ष 2003 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

4. यह प्रतीत होता है कि वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उसने किसी हरिहर प्रसाद साहू पुत्र स्वर्गीय मथुरा प्रसाद से दिनांक 12.12.1985 के रजिस्टर्ड विलेख सं॰ 1125 के तहत एम॰ एस॰ भूखंड सं॰ 556/540 में 10 कट्ठा 6 छटाक माप वाली भूमि खरीदा है। भूमि के पूर्वोक्त भूखंड की खरीद के बाद, परिवादी ने इसके ऊपर भवन निर्मित किया है और वह इसे नामांतरित करवाने के बाद सरकार को किराया का भुगतान करता था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि परिवादी को पता चला कि भूमि का एक भाग अभियुक्त के पक्ष में नामांतरित किया गया है और पूछताछ करने पर उसे पता चल सका था कि झूठे रजिस्टर्ड विलेख के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा लगभग 10 कट्ठा भूमि गैर ईमानदार रूप से खरीदी गयी है। उसमें यह भी अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त सं॰ 1 (याची सं॰ 1) ने झूठा बयान देकर अपना नाम नामांतरित करवाया था।

5. परिवाद मामला आरंभ करने के बाद, परिवादी और उसके गवाहों को सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान पर परीक्षण करके दंड प्रक्रिया संहिता (दं॰ प्र॰ सं॰) की धारा 202 के अधीन जाँच की गयी थी और उसके अनुसरण में दिनांक 27.1.2004 के आदेश के तहत विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची ने भारतीय दंड संहिता (भा॰ दं॰ सं॰) की धारा 420/120B के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया था।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का यह निवेदन करके विरोध किया है कि इसे न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना पारित किया गया है क्योंकि परिवाद याचिका सिविल प्रकृति का

मामला प्रकट करती है और याची के विरुद्ध अभिकथनों में दांडिक आशय उपस्थित नहीं है जो दांडिक मामले के आरंभ को न्यायोचित ठहरा सके। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि वस्तुत: मामला के संस्थापन के काफी पहले बँटवारा वाद सं॰ 122 वर्ष 1965 संस्थित किया गया था और वाद मथुरा प्रसाद एवं उसके दो पुत्रों अर्थात् हरिहर प्रसाद साहू एवं केदार प्रसाद साहू के पक्ष में डिक्री किया गया था। भूमि जो उक्त बँटवारा वाद का विषय वस्तु थी का कब्जा प्राप्त करने के बाद मथुरा प्रसाद ने अपनी पुत्री मालती देवी जो इस मामले में याची है को 5 कट्ठा 1 छटांक दान में दिया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि परिवादी किसी हरिहर प्रसाद साहू का साला/बहनोई है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि परिवाद याचिका याची के विरुद्ध निर्मित दांडिक अपराध प्रकट करती है क्योंकि अभियुक्तगण ने बेइमानी से भूमि खरीदा था और परिवादी के पीठ पीछे अभियुक्तगण ने अपने नामों में भूमि नामांतरित करवाया है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि वर्ष 1965 में बँटवारा वाद दाखिल किया गया था और मथुरा प्रसाद साहू एवं उसकी पुत्री मालती देवी प्रश्नगत भूमि पर काबिज हुए और कि मथुरा प्रसाद साहू के अन्य भाईयों का प्रश्नगत भूमि के ऊपर कोई अधिकार, अभिधान और कब्जा नहीं था। परिवाद याचिका का अन्यथा परिशीलन भी प्रकट करता है कि यह शुद्धत: सिविल प्रकृति का मामला है और केवल अभियुक्तगण पर दबाव सृजित करने के लिए परिवादी ने वर्तमान परिवाद मामला संस्थित किया है। परिवाद याचिका आगे प्रकट करती है कि अभियुक्त सं॰ 2 (याची) के पक्ष में नामांतरण के रद्दकरण के लिए परिवादी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया था और बाद में अंचलाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 5.3.2003 के आदेश के तहत नामांतरण रद्द कर दिया गया था। अत: सिविल विधि के अधीन समुचित उपचार का लाभ लेना और न कि दांडिक कार्यवाही आरंभ करना परिवादी के लिए आवश्यक था।

9. जो चर्चा ऊपर की गयी है, उसकी दृष्टि में मैं इस आवेदन को ग्रहण करने का इच्छुक हूँ। तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची द्वारा पारित दिनांक 27.1.2004 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता (भा॰ दं॰ सं॰) की धारा 420/120B के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है, सहित परिवाद मामला सं॰ 603 वर्ष 2003 के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जाती है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

डिप्लोमा इंजीनियर्स एशोसिएशन

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Civil Review No. 6 of 2015. Decided on 28th January, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 114—सिविल पुनर्विलोकन–हस्तक्षेप की गुंजाइश अत्यन्त सीमित है–कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो, यह विवाद के परे है कि पुनर्विलोकन कार्यवाही को मामले की मूल सुनवाई के साथ समतुल्य नहीं बनाया जा सकता है और न्यायालय

द्वारा दिए गए निर्णय की अंतिमता पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा सिवाए जहाँ स्पष्ट लोप अथवा स्पष्ट गलती अथवा इसी प्रकार की गंभीर गलती न्यायिक चूक द्वारा की गयी हो–चूँकि आक्षेपित आदेश सहमतिपूर्ण आदेश है, पुनर्विलोकन आवेदन में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–पुनर्विलोकन आवेदन खारिज। (पैराएँ 3 एवं 4)

निर्णयज विधि.–(AIR 1980 SC 674)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Sahani and Saurabh Shekhar, For the Petitioner; Mr. Prem Pujari, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–यह सिविल पुनर्विलोकन आवेदन अन्य बातों के साथ डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3228 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 9.1.2015 के इस न्यायालय के आदेश के पुनर्विलोकन के लिए मुख्यत: इस आधार पर दाखिल किया गया है कि पुनर्विलोकन याचिका के परिशिष्ट 1 से 4 को उक्त रिट याचिका निपटाते हुए विचार में लेना चाहिए था। पुनर्विलोकन याचिका में यह कथन भी किया गया है कि रिट न्यायालय को कार्यपालक अभियन्ता के पद पर ऊपर उपलब्ध रिक्ति को भरने से प्रत्यर्थीगण को अवरुद्ध करना चाहिए था और मुख्य रिट याचिका में अथवा अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से अथवा प्रत्युत्तर के माध्यम से याची द्वारा अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों एवं दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया है अथवा प्रत्यर्थीगण द्वारा स्वीकृत ताथ्यिक अवस्था की दृष्टि में पूर्वोक्त रिट याचिका में पारित दिनांक 9.1.2015 का आक्षेपित आदेश गलत है और पुनर्विलोकित किए जाने का दायी है क्योंकि अभिलेख पर प्रकट त्रुटि है।

2. प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित सरकारी अधिवक्ता के कनीय अधिवक्ता श्री प्रेम पुजारी ने निवेदन किया है कि यह पुनर्विलोकन याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि पुनर्विलोकन याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि पुनर्विलोकन अधिकारिता की गुंजाइश अत्यन्त सीमित है। इसके अतिरिक्त, झारखंड इंजीनियरिंग एशोसिएशन, जिसने आई॰ ए॰ सं॰ 6682 वर्ष 2014 के तहत पूर्वोल्लिखित रिट याचिका में मध्यक्षेप किया है और जिसे प्रत्यर्थी सं॰ 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, को इस पुनर्विलोकन याचिका में पक्ष के रूप में अभियोजित किया जाना चाहिए था। इस आधार पर, वर्तमान पुनर्विलोकन याचिका आरंभ में ही खारिज किए जाने की दायी है।

3. पुनर्विलोकन याचिका और याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ साहनी और प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित सरकारी अधिवक्ता के कनीय अधिवक्ता श्री प्रेम पुजारी के तर्कों के परिशीलन के बाद वर्तमान पुनर्विलोकन आवेदन ग्रहणीय नहीं है क्योंकि हस्तक्षेप की गुंजाइश अत्यन्त सीमित है। कार्यवाही की प्रकृति जो भी हो, यह विवाद के परे है कि पुनर्विलोकन कार्यवाही मामले की मूल सुनवाई के समतुल्य नहीं बनायी जा सकती है और न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की अंतिमता पर पुनर्विचार नहीं किया जा जाएगा सिवाए जहाँ स्पष्ट लोप अथवा स्पष्ट गलती है अथवा न्यायिक चूक द्वारा गंभीर गलती समा गयी है। इस संबंध में, **नार्दर्न इंडिया केटरर्स (इंडिया) लि॰ बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल, AIR 1980 Supreme Court 674,** मामाला को निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा दिनांक 9.1.2015 का आक्षेपित आदेश पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ता की सहमति से पारित किया गया है।

4. चूँकि डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3228 वर्ष 2014 में पारित दिनांक 9.1.2015 का आक्षेपित आदेश सहमतिपूर्ण आदेश है, वर्तमान पुनर्विलोकन आवेदन में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार, यह पुनर्विलोकन आवेदन गुणागुण रहित होने के नाते व्यय के बिना खारिज किया जाता है।

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

कोंडा खरिया

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 744 of 2002. Decided on 22nd January, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 261 वर्ष 1996 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गुमला द्वारा पारित दिनांक 27.9.2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 30.9.2002 के दंडादेश के विरुद्ध।

दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–अपीलार्थी का नाम प्राथमिकी में नहीं आता है–आरंभिक बयान (फर्दबयान) जो प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आधार है में अपीलार्थी का विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य नहीं बताया गया है, उसे प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया है, इस कारण मामला आरंभ में केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन और न कि धारा 302/34 के अधीन संस्थित किया गया था–अभियोजन ने पूर्वोक्त दुर्बलता पर विजय पाने के लिए और अपीलार्थी को अंतर्ग्रस्त करने के लिए अन्य गवाह आई॰ ओ॰ को आगे लाने का प्रयास किया जिसने रफ साइट प्लान तैयार किया था जहाँ अन्य गवाहों, विशेषतः संजो खरियन जिसे घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में प्रक्षेपित किया गया है, को उपदर्शित नहीं किया गया है–यदि अभियोजन द्वारा आई॰ ओ॰ प्रस्तुत किया जाता, उसके बयान से इस पहलू को स्पष्ट किया जा सकता था–अभियोजन किसी संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा–अपीलार्थी दोषमुक्त किया गया–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 18, 20, 22 एवं 23)

अधिवक्तागण.–Mr. A.K. Chaturvedi, For the Appellant; Mr. S.P. Sinha, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–दो व्यक्तियों अर्थात् बुधराम खरिया एवं उसके पिता कोंडा खरिया, वर्तमान अपीलार्थीगण, (संक्षेप में अभियुक्तगण के रूप में निर्दिष्ट) ने पालकोट अधिकारिता के अंतर्गत ग्राम अंबा टोली में दिनांक 8 नवंबर, 1995 को सायं लगभग 4 बजे अ॰ सा॰ 8 रतनी देवी के पति किसी एटवा खरिया की अभिकथित रूप से हत्या करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन आरोप का सामना किया। दोनों को दिनांक 27.9.2002 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय के तहत उक्त आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया और कठोर आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया।

2. बुधराम खरिया, वर्तमान अभियुक्त का सह-अभियुक्त, ने अपनी पृथक अपील दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 815 वर्ष 2000 दाखिल किया जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 के आदेश के तहत निपटाया गया है क्योंकि उस समय तक बुधराम खरिया पहले ही अपने संपूर्ण मुख्य दंडादेश भुगत चुका था और कारा से निर्मुक्त किया गया था जैसा उक्त आदेश में उपदर्शित किया गया है। किंतु वर्तमान अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर था और उसकी दोषसिद्धि के बाद उसका मुख्य दंडादेश निलंबित किया गया था। किंतु, जब एक तिथि पर अपील विचार किए जाने के लिए ली जानी थी, उसने स्वयं को अनुपस्थित किया जिसका परिणाम उसके जमानत बंधपत्र के समपहरण में हुआ। बाद में उसने आत्मसमर्पण किया, और ऐसी दशा में वह विगत पाँच वर्ष से अधिक से अभिरक्षा में है।

3. अभियोजन अ॰ सा॰ 8 रतनी देवी, मृतक की पत्नी के बयान पर हरकत में आया जिसने संबंधित पुलिस के पास घटना के तीन घंटों के भीतर यह अभिकथित करते हुए रिपोर्ट दर्ज किया कि वह अपने

पति एटवा खरिया (मृतक) के साथ अपनी पुत्री के घर बधिया बाँध टोली जा रही थी और जब वे माकू खरिया के घर के निकट पहुँचे, वह मूत्र त्याग के लिए रूकी और उसका पति आगे गया और माधो साव के खेत में अवस्थित आम के पेड़ के निकट पहुँचा। तब यह अभिकथित किया गया है कि मूत्र त्याग के बाद जब वह भी उस ओर जा रही थी, उसने देखा कि सह-अभियुक्त बुधराम खरिया दौड़ते आया और उसके पति पर टांगी (तेज धार वाला हथियार) जिसे वह अपने हाथ में लिए था से प्रहार किया। उसने मृतक की गर्दन पर उपहति कारित किया जो जमीन पर गिर गया। तब यह अभिकथित किया गया है कि इसके पहले वह अपने पति के पास पहुँचे, बुधराम खरिया द्वारा उसके पति की गर्दन पर एक टांगी का एक अन्य वार किया गया था और तत्पश्चात, वह भाग गया। उसने हल्ला किया जिसने संजो खरिया (मृतक के सगे छोटे भाई की पत्नी) और पूनम उर्फ बिरसी कुमारी जो संयोगवश घर के निकट कार्यरत थे को आकृष्ट किया और वे घटना स्थल पहुँची। एटवा खरिया की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी। इस घटना के लिए प्रक्षेपित हेतु मृतक एवं अभियुक्त बुधराम खरिया के बीच भूमि विवाद है।

4. पुलिस ने आरंभ में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन औपचारिक प्राथमिकी सं॰ 63 वर्ष 1995 दर्ज किया। किंतु, बाद में वर्तमान मामले के अन्वेषण के दौरान कतिपय अन्य गवाहों के बयान, जो घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में सामने आए, जो दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज किया गया था और अपने परस्पर बयानों में उन्होंने अभिकथित किया कि वर्तमान अभियुक्त ने मृतक की गर्दन के ऊपर (कान के निकट) टांगी/बलुआ जो वह हाथ में लिए था से एक उपहति भी कारित किया था। इस प्रकार अन्वेषण वर्तमान अभियुक्त एवं उसके पुत्र के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए चालान दाखिल करने में समाप्त हुआ जिसके लिए उन्हें आरोपित किया गया था और उन्होंने विचारण का सामना किया।

5. अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया है:

v0 lk0 1 l tk [kfj;k]
v0 lk0 2 fcjlh dekjh
v0 lk0 3 jkiuh noh]
v0 lk0 4 ekd [kfj;k]
v0 lk0 5 tkV [kfj;k
v0 lk0 6 fnyhi lkg
v0 lk0 7 jruh noh]
v0 lk0 8 MkW vui dekj xlrk vkj
v0 lk0 8 prèku çèkkuA

6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी कठघरा में नहीं आया है।

7. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज अभियुक्त के बयान को पाया जाता है कि यह पूरे इनकार का मामला है। किंतु, अभियुक्त द्वारा बचाव में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया था।

8. विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाह के विवरण पर विश्वास करते हुए, अंततः दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री ए॰ के॰ चतुर्वेदी और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री एस॰ पी॰ सिन्हा सुने गए। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गयी सहायता से हमने तात्विक साक्ष्य का परिशीलन भी किया है।

10. श्री चतुर्वेदी ने जोरदार प्रतिवाद किया कि यद्यपि घटना के तथाकथित चश्मदीद गवाह की कोई कमी प्रतीत नहीं होती है किंतु अभियोजन का मामला मुख्यत: अ॰ सा॰ रतनी देवी एवं अ॰ सा॰ संजो खरिया के बयानों के इर्द-गिर्द घूमता है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आरंभिक बयान (फर्दबयान) में, जो भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन प्राथमिकी दर्ज करने का आधार है, न केवल वर्तमान अभियुक्त का विनिर्दिष्ट कृत्य नहीं बताया गया है, उसे प्राथमिकी में भी नामित नहीं किया गया है और यही कारण है कि पुलिस द्वारा आरंभ में केवल भा॰ दं॰ वि॰ की धारा 302 के अधीन मामला दर्ज किया गया था।

11. अपना मामला मजबूत करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि केवल बुधराम खरिया, जिसने प्रथम सूचक की दृष्टि के भीतर मृतक के शरीर पर समस्त उपहतियों को अभिकथित रूप से कारित किया था, जिसने घटना स्थल पर पहुँचने पर अपने पति को जमीन पर पड़ा पाया था और तब हल्ला किया जिसने अन्य लोगों को आकृष्ट किया। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जब यह मुख्य गवाह अपने आरंभिक बयान को सिद्ध करने कठघरा में आयी, उसने नयी कहानी बतायी, वर्तमान अभियुक्त के हाथों तेज धार वाले हथियार से एक उपहति का आरोप लगाते हुए। यह प्रयास वर्तमान अभियुक्त जो बुधराम खरिया का पिता है, को झूठा आलिप्त करने के अंतरस्थ हेतु के साथ किया गया है।

12. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्वोक्त कमी स्वयं में अभियोजन मामले पर संदेह करने के लिए अभियोजन मामले की जड़ तक जाती है जहाँ तक वर्तमान अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता का संबंध है और उसको संदेह का लाभ देने के लिए पर्याप्त होगा।

13. तब विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि न केवल घटना की अन्य चश्मदीद गवाह संजो खरिया भी घटना की सच्ची गवाह प्रतीत नहीं होती है क्योंकि वह मृतक के जमीन पर गिरने एवं रतनी देवी द्वारा हल्ला करने के बाद घटनास्थल पर आयी थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहों ने भी अन्यथा शपथ पर कथन किया है कि वे घटना समाप्त होने के बाद घटनास्थल पर आए। उन्होंने निवेदन किया कि अ॰ सा॰ रतनी देवी ने भी अपने आरंभिक बयान में इस तथ्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रतनी देवी एवं संजो खरिया के साक्ष्य को छोड़ कर अभिलेख पर उपलब्ध अन्य अभियोजन साक्ष्य किसी तरीके से अभियुक्त के प्रति अभियोजन मामला सिद्ध नहीं करता है।

14. श्री चतुर्वेदी ने निवेदन किया कि एक अन्य तात्विक खामी, जो अभियोजन को त्रुटिपूर्ण बना रहा है। अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण है। उसने घटना स्थल का रफ साइट प्लान तैयार किया था। उन्होंने कथन किया कि रफ साइट प्लान में बिंदु जहाँ अन्य गवाह विशेषत: संजो खरिया जिसे घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में प्रक्षेपित किया गया है, उपदर्शित नहीं किया गया है। यदि अभियोजन द्वारा अन्वेषण अधिकारी को प्रस्तुत किया गया होता, उसके बयान से यह पहलू कुछ स्पष्ट हो सकता था। अत:, अन्वेषण अधिकारी का गैर परीक्षण भी अभियोजन के लिए घातक बन गया है।

15. पूर्वोक्त निवेदन के बूते पर, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है, अत: वह कम से कम आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

16. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि/दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि अभियोजन मामला पूरी तरह सिद्ध किया गया है क्योंकि घटना के चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ रतनी देवी एवं अ॰ सा॰ संजो खरिया पर अविश्वास करने का कारण नहीं प्रतीत होता है। उन्होंने प्रतिवाद किया कि जहाँ तक मृतक की पत्नी रतनी देवी का संबंध है, अपने पति के साथ उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है जिसने घटना के केवल तीन घंटे के भीतर पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज किया। किंतु विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्षत: स्वीकार किया कि वर्तमान अभियुक्त का नाम प्राथमिकी में परिलक्षित नहीं है और उस पर केवल अन्य गवाहों, विशेषत: संजो खरिया जो अन्वेषण के दौरान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन दर्ज अपने पूर्व बयान का समर्थन करते हुए कठघरा में आयी थी, के बयान पर मृतक पर उपहति कारित करने का विनिर्दिष्ट भूमिका बताया गया है। किंतु विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि संजो खरिया का नाम आरंभिक चरण पर परिलक्षित है, शायद वह हल्ला सुनने के बाद अत्यन्त अल्प समय के भीतर घटना स्थल पर आयी जैसा रतनी देवी द्वारा कथन किया गया है। इस प्रकार, वह वर्तमान अपील की खारिजी के लिए प्रार्थना करते हैं।

17. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुनने पर और इसके सही परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण अभियोजन मामला के पुनर्संवीक्षण पर हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है। इस निष्कर्ष पर आने के विस्तृत कारण निम्नलिखित है।

18. स्वीकृत रूप से अभियुक्त का नाम आरंभिक बयान (फर्दबयान) में नहीं आता है जो पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज करने का आधार है। इसी कारण से मामला आरंभ में केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन और न कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन दर्ज किया गया था। हमें यह प्रतीत होता है कि अभियोजन एजेन्सी ने अ॰ सा॰ संजो खरिया, माकू खरिया (मृतक का सगा छोटा भाई) की पत्नी सहित घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति प्रक्षेपित करते हुए कतिपय अन्य गवाहों के बयान को दर्ज करके वर्तमान अभियुक्त को चित्र में लाने के लिए लंबा चौड़ा जाल बुनने का प्रयास किया है। यह असामान्य नहीं है।

19. अभिलेख प्रकट करता है कि जब रतनी देवी कठघरा में आयी, उसका सामना वर्तमान अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता के मुकाबले उसके पूर्व बयान से कराया गया था जिसमें उसने कथन किया कि उसने पुलिस को अपने बयान में प्रकट किया था कि अभियुक्त जो तेजधार वाले हथियार से लैस था ने मृतक की गर्दन के ऊपर (कान के निकट) उपहति कारित किया है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो मामले के रंगरूप को बिल्कुल बदल देता है जहाँ तक वर्तमान अभियुक्त की अंतर्ग्रस्तता का संबंध है। कम से कम इस महत्वपूर्ण कमजोरी के संबंध में अभियोजन को लाभ नहीं दिया जा सकता है। अन्यथा भी, यह पहलू इस तथ्य से अत्यन्त स्पष्ट है कि प्राथमिकी केवल भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 की सहायता के बिना दर्ज की गयी है।

20. नि:संदेह अभियोजन एजेंसी ने पूर्वोक्त कमजोरी पर विजय पाने के लिए और वर्तमान अभियुक्त को अंतर्ग्रस्त करने के लिए केवल मृतक के परिवार से अ॰ सा॰ संजो खरिया सहित अन्य गवाहों को आगे लाने का प्रयास किया किंतु सिवाए संजो खरिया के, अन्य गवाह जब वे कठघरे में आए, ने कथन किया कि वे घटना समाप्त होने के बाद घटना स्थल पर आए थे। वे घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। इस ताथ्यिक पृष्ठभूमि में, क्या संजो खरिया का साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, महत्वपूर्ण पहलू है। स्वीकृत रूप से उसे

घटना का चश्मदीद गवाह नहीं दर्शाया गया है जैसा अ॰ सा॰ रतनी देवी के फर्दबयान से पाया जाता है। वह हल्ला सुनने के बाद घटना स्थल पहुँची। हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से माकू खरिया एवं घटनास्थल के बीच की दूरी नहीं पा सकते है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किया गया रफ साइट प्लान भी फाइल पर सिद्ध नहीं किया गया है। अन्यथा भी, यह तथ्य किसी अभियोजन गवाह के बयान से स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में, आरंभिक बयान में उसके नाम का लाभ लेने के लिए बाद के चरण पर संपूर्ण चश्मदीद गवाह के रूप में संजो खरिया को पुर: स्थापित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अत:, पूर्वोक्त खामियों के कारण संदेहपूर्ण होने के नाते घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में अ॰ सा॰ संजो खरिया के बयान को कोई विश्वसनीयता देना सुरक्षित नहीं होगा।

21. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निष्पक्षत: स्वीकार किया है कि अ॰ सा॰ रतनी देवी एवं अन्य अ॰ सा॰ संजो खरिया के साक्ष्य को छोड़कर अभियोजन शायद किसी अन्य गवाह के साक्ष्य पर विश्वास नहीं कर सकता है। हम भी इन तथाकथित मुख्य गवाहों के बयान पर अविश्वास कर रहे हैं जहाँ तक वर्तमान अभियुक्त की संलिप्तता का संबंध है। हम यहाँ कथन कर सकते हैं कि सावधानीपूर्वक हमने इन गवाहों के साक्ष्य पर टिप्पणी नहीं किया है जहाँ तक अभियुक्त के पुत्र बुधराम खरिया की अंतर्ग्रस्तता का संबंध है जिसे भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया है और उसकी पृथक अपील (दांडिक अपील (डी॰ बी॰) सं॰ 815 वर्ष 2000 भी मुख्यत: कारा में मुख्य दंडादेश के पूरा करने के आधार पर दिनांक 20 फरवरी, 2010 के आदेश के तहत इस न्यायालय द्वारा निपटाया गया है।

22. संपूर्ण अभियोजन मामले को इसके सही परिप्रेक्ष्य में देखने पर हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि अभियोजन वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है। इस प्रकार, हम उसको संदेह का लाभ देते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय के तहत दर्ज दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अस्तव्यस्त करते हैं।

23. परिणामस्वरुप, वर्तमान अपील प्रार्थनानुसार, अनुज्ञात की जाती है। स्वर्गीय कुलु खरिया का पुत्र कोंडा खरिया, अपीलार्थी, अंबाटोली, पी॰ एस॰ पालकोट जिला गुमला का निवासी, आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि वह अभिरक्षा में है, उसे तुरन्त निर्मुक्त किया जाएगा यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

24. इस संबंध में निर्मुक्ति आदेश तुरत संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

25. इसके अनुपालन के लिए किसी विलंब के बिना रजिस्ट्री विद्वान विचारण न्यायालय को वर्तमान अपील का परिणाम अधिसूचित करें।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

cuke

श्री विजय प्रसाद सिंह

W.P. (L) No. 3566 of 2013. Decided on 16th December, 2014.

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972—धारा 4 (6) सह-पठित कोल इंडिया कार्यपालक आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978—नियम 34.2—नियंत्रक अधिकारी एवं

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश का अभिखंडन–दांडिक मामला लंबित रहने के कारण मात्र पर उपदान की राशि रोकी नहीं जा सकती है–प्रत्यर्थी कर्मचारी विभागीय कार्यवाही के समापन के पहले सेवा से अधिवर्षित हुआ–सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए आदेश पारित नहीं किया गया–सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उपदान को रोकने का प्रावधान नहीं है–याची द्वारा किया गया अभिवचन जो सुझाता है कि अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने और परिणामस्वरुप कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किए जाने अथवा कि अपचारी कर्मचारी को दांडिक मामले में दोषसिद्ध किया जाएगा की प्रत्याशा में उपदान राशि रोकी जानी होगी, ऐसा अभिवचन तर्कपूर्ण नहीं है और कम से कम इसे न्यायोचित एवं उचित प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है–अभिनिर्धारित, आक्षेपित आदेशों में दुर्बलता नहीं है–याचिका खारिज। (पैरा 10)

निर्णयज विधि.–(2011) 10 SC 249; (Civil Appeal No. 9693/2013)—Relied upon; (2000) 6 SCC 493; (1984) 3 SCC 369; (2007) 1SCC 663; (2010)2 SCC 44; (1993) 1 SCC 47—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Anoop Kr. Mehta, For the Petitioner; None, For the Respondent.

आदेश

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रक अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 21/24.8.2012 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए और उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, (केंद्रीय), धनबाद–सह–अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 15/17.1.2013 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए याची मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने वर्तमान रिट याचिका दाखिल किया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा RC 4(A)/2009 (D) (Vig/CBI/04/2009) के तहत मामला दर्ज किया गया था और अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गयी थी। प्रत्यर्थी ने इस बीच दिनांक 31.7.2011 को अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर लिया। किंतु कार्यवाही जिसे प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध आरंभ किया गया था जब वह सेवा में था की समाप्ति तक राशि संवितरित नहीं करने के अनुरोध के साथ याची मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अधीन दिनांक 10.8.2011 के चेक के तहत 10 लाख रुपयों की उपदान राशि नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा की गयी थी। प्रत्यर्थी कर्मचारी ने उपदान राशि की निर्मुक्ति के लिए दिनांक 24.5.2011 को फॉर्म एन॰ में नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल किया जिसे पी॰ जी॰ केस सं॰ 36 (98)/2011-E4 के रूप में दर्ज किया गया था। याची ने दिनांक 22.11.2011 को यह अभिवचन करते हुए कि आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियमों 34.2 एवं 34.3 की दृष्टि में उपदान राशि दांडिक/विभागीय कार्यवाही के निपटान तक वापस रोकी जाए, लिखित कथन दाखिल किया। प्रत्यर्थी ने स्वयं का परीक्षण किया और दांडिक मामले तथा विभागीय कार्यवाही का लंबित रहना स्वीकार किया। किंतु, नियंत्रक प्राधिकारी ने दिनांक 21/24.8.2012 के आदेश के तहत अभिनिर्धारित किया कि उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 की धारा 4 (6) की दृष्टि में उपदान राशि दांडिक मामले के लंबित रहने के कारण मात्र पर रोकी नहीं जा सकती है और प्रत्यर्थी कर्मचारी को उपदान राशि के भुगतान के लिए विहित प्रोफोर्मा में आवेदन देने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी कर्मचारी द्वारा पी॰ जी॰ अपील सं॰ 57/2012 दाखिल की गयी थी। दिनांक 19.10.2012 के आदेश के तहत अपीलीय प्राधिकारी ने नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों को मान्य ठहराया।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप कुमार मेहता **''स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम राम लाल भाष्कर एवं एक अन्य,'' (2011)10 SCC 249,** और **''अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महानदी कोल फील्ड्स लि॰ बनाम रविन्द्र नाथ चौबे, (सिविल अपील सं॰ 9693 वर्ष 2013),** में निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन करते हैं कि सदृश मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उपदान रोकने का आदेश अभिपुष्ट किया और रामलाल भाष्कर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहत पीठ के निर्णय की दृष्टि में ''रविन्द्र नाथ चौबे'' मामला वृहतपीठ को निर्दिष्ट किया गया है और इस प्रकार, रामलाल भाष्कर मामले में निर्णय आजकल मान्य है। आगे यह निवेदन किया गया है कि नियम 34.2 के अधीन धारणा उपबंध की दृष्टि में प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही जारी रही है और चूँकि अनुशासनिक प्राधिकारी को कोल इंडिया कार्यपालक आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियम 34.3 के अधीन विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उपदान का भुगतान रोकने की शक्ति है, नियंत्रक प्राधिकारी ने गलत रूप से उपदान राशि के भुगतान का आदेश दिया है और उक्त आदेश इस निमित्त सुनिश्चित विधि को अनदेखा करते हुए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अभिपुष्ट किया गया है।

5. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज का परिशीलन किया है।

6. काफी पहले यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार सरकारी सेवक का बहुमूल्य अधिकार है जिससे सरकारी सेवक को विधि में अधिकथित प्रक्रिया के अनुरुप के सिवाए इनकार नहीं किया जा सकता है। सामान्यत:, पेंशन उपदान सम्मिलित करता है सिवाए जब शब्द 'पेंशन' का उपयोग उपदान के प्रति विरोध में किया गया है। **''बलबीर कौर एवं एक अन्य बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ एवं अन्य,'' (2000)6 SCC 493,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''उपदान का भुगतान अब खैरात के क्षेत्र में नहीं है बल्कि कर्मचारी के पक्ष में प्रावधानित सांविधिक अधिकार है।'' **सुधीर चंद्र सरकार बनाम टाटा आयरन एन्ड स्टील कं॰ लि॰ एवं अन्य'' (1984)3 SCC 369,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"17. D;k , lk lkekftd lj{kk dk dne bl rF; d ckotn fd mlu fujrj yEch lok djd bl vftr fd;k g] çkIfxd fu;ek dh bl çdkj 0;k[;k djd fd fu;kDrk d li.k Lofood ij bll dedkj dk budkj fd;k tk ldrk Fkk] bl bldh çHkko'khyrk ,o çoru l jfgr fd;k tk ldrk g\ ;fn fu;e 10 dh 0;k[;k bl çdkj dh tkrh g tIk mPp U;k;ky; }kjk fd;k x;k g] ;g vukor vfir vxkg; ifj.kke gkxkA vr% i'ku ftld lkFk minku tkMk tkrk g tl lokfuofÙk ykHkk d ç'u ij çHkko j[ku oky bfrgkl d iUuk dk n[kuk vko';d gA cjgkuij rkIrh feYl fy0 cuke cjgkuij rkIrh feYl etnj l?k e bl U;k;ky; u lçf{kr fd;k fd minku dh ;ktuk ,o i'ku dh ;ktuk db ek;uk e ,d gA minku ,de'r Hkxrku g tcfd i'ku dfFkr jkf'k dk vofèkdkfyd Hkxrku gA** fu%Ing nkuk dk ych ,o fujrj lok }kjk vftr fd;k tkuk gA***

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने कोल इंडिया कार्यपालक आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियमों, 34.2 एवं 34.3 पर विश्वास किया जिन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *fu;e 34.2 vu'kkIfud dk;okgh] ;fn bl lfLFkr fd;k tkrk g tc depkjh lok e Fkk] pkg mldh lokfuofÙk d igy vFkok mld iufu;ktu d*

nkjku] depkjh dh vfre lokfuofÙk d ckn] dk;okgh le>h tk,xh vkj çkfèkdkjh ftld }kjk bl vkjHk fd;k x;k Fkk] mlh rjhd l tkjh j[kh tk,xh ,o lekIr dh tk,xh ekuk depkjh lok e cuk gvk FkkA

*fu;e 34.3 vu'kklfud dk;okgh d yfcr jgu d nkjku çfrfu;fDr ij vFkok lokfuofÙk d ckn iufu;ktu ij nh x;h lok lfgr viuh lok d nkjku vopkj vFkok mi{kk }kjk diuh dk èkuh; gkfu dkfjr dju d fy, vFkok diuh dk dkfjr fdlh èkuh; gkfu d i.k vFkok Hkkx dh minku loIyh dju dk vkn'k nu d fy, vu'kklfud çkfèkdkjh minku dk Hkxrku jkd ldrk gA tlk minku Hkxrku vfèkfu;e] 1972 dh èkkjk 4 dh mièkkjk (6) e mfYyf[kr gA fdr] minku Hkxrku vfèkfu;e] 1972 dh èkkjk 7 (3) ,o 7 (3A) d çkoèkku foyfcr Hkxrku dh fLFkfr e nf"V e j[k tku pkfg, ;fn depkjh i.krk foeDr fd;k x;k gA***

8. ''जसवंत सिंह गिल बनाम भारत कोकिंग कोल लि॰ एवं एक अन्य,'' (2007)1 SCC 663, में कोल इंडिया कार्यपालक आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियमों 27 एवं 34 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नियमावली के नियम 34.3 के अधीन उपदान वापस रोकने की शक्ति उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन करनी होगी। कोल इंडिया कार्यपालक आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 का नियम 27 केवल उपेक्षा अथवा आदेश या न्यास के भंग द्वारा कंपनी को कारित हानि की सीमा तक उपदान से वसूली प्रावधानित करता है किंतु, दंड अधिरोपित करना होगा जब तक कर्मचारी सेवा में बना रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:–

^^12. bl çdkj] çknHkkr lkfofèkd vfèkdkj fu;e d dkj.k l ncy ugh cuk;k tk ldrk gftldk lfofèk dk çHkko ugh gA ;g nkgjkuk gkxk fd çR;Fkh lO 1 vFkok bldh gkfYMx diuh }kjk fojfpr fu;ekoyh lfofèkd çÑfr dh ugh gA fu;ekoyh fdlh Hkh fLFkfr e lokfuofÙk ykHk vFkok minku jkdk tkuk çkoèkkfur ugh djrh gA

*13. vfèkfu;e minku dk Hkxrku çkoèkkfur dju okyh Dyktfuv ;ktuk çkoèkkfur djrh gA ;g minku d fy, ;ktuk d vko';d çkoèkkuk dk vkPNkfnr dju oky foLrr çkoèkkuk dk vrfo"V dju okyh li.k lfgrk gA ;g u doy minku Hkxrku dk vfèkdkj lftr djrh g cfYd bld ek=k dj.k d fy, fl)krk rFkk 'krk ftu ij ml bll budkj fd;k tk ldrk g dk Hkh vfèkdfFkr djrh gA tlk ;gk igy xkj fd;k x;k g] vfèkfu;e dh èkkjk 4 dh mièkkjk (6) bldh mièkkjk (1) d edkcy lokifj [kM vrfo"V djrh gA pfd bl dkj.k l çknHkkr vFkok fufgr vfèkdkj okil fy;k tkuk bfllr fd;k x;k gA bld vèkhu vfèkdfFkr 'krk dk ifji.k djuk gkxkA vrk ble vrfo"V çkoèkkuk dk bekunkjhiod ikyu djuk gkxk--------***

9. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महानदी कोलफील्ड लि॰ बनाम रविन्द्रनाथ चौबे में निर्णय निर्दिष्ट करते हुए यह गौर किया जाना है कि विवाद्यक जिसे वृहत पीठ द्वारा प्राधिकारपूर्ण उद्घोषणा के लिए निर्दिष्ट किया गया है यह है कि क्या अधिवर्षिता के बाद बर्खास्तगी का मुख्य दंड अपचारी कर्मचारी पर अधिरोपित किया जा सकता है। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है:–

*"23. oreku vihy e gekj le{k fook|d ;g g fd D;k lh0 Mh0 ,0 fu;ekoyh d fu;e 34 d ifj.kkeLo#i minku okil jkdk tk ldrk g tc minku vfèkfu;e d çkoèkkuk d lkFk bldk ijh{k.k fd;k tkrk g] lcfèkr depkjh dk mldh lokfuofÙk ij minku vko';drk fueDr djuk gkxk Hky gh foHkkxh; dk;okgh mld fo#) yfcr gA ge ikr g fd tlor flg fxy ekeyk çR;{krk bl ç'u dk mÙkj nrk g] og Hkh bUgh lh0 Mh0 ,0 fu;ekoyh d lnHk eA fdr ,lk bl dkj.k l g fd mDr fu.k; bl vkèkkj ij vxlj gkrk g fd depkjh dh lokfuofÙk d ckn lokfuoÙk depkjh ij c[kkLrxh dk nM vfèkjkfir ugh fd;k tk ldrk gA ;fn ;g nf"Vdk.k lgh ugh g vkj c[kkLrxh d nM dk vfèkjki.k vHkh Hkh vuK; g] fu;kDrk minku Hkxrku vfèkfu;e dh èkkjkvk 4(1) ,o 4(6) d vèkhu çkoèkkfur lHkk0;rkvk e ,l depkjh d minku dk leiâr dju dk vfèkdkj ik,xk-----A***

10. मामले के तथ्यों पर आते हुए, मैं पाता हूँ कि यद्यपि प्रत्यर्थी कर्मचारी विभागीय कार्यवाही के समापन के पहले सेवा से अधिवर्षित हुआ और नियम 34.2 के अधीन कर्मचारी के सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध आरंभ की गयी विभागीय कार्यवाही जारी रखने का धारणा उपबंध है, किंतु, मेरा मत है कि कोल इंडिया कार्यपालक आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 के नियम 34.2 के प्रयोजन से भी अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए औपचारिक आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता है। धारणा उपबंध केवल सामर्थ्यकारी प्रावधान है। स्वीकृत रूप से, वर्तमान मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए आदेश पारित नहीं किया गया है। अपचारी कर्मचारी की अधिवर्षिता के बाद विभागीय कार्यवाही जारी रखने के लिए मंजूरी एवं नियमावली के नियम 34.2 के निबंधनानुसार औपचारिक आदेश के बीच कुछ महत्वपूर्ण सुभिन्नता है। मामले के इस पहलू को छोड़ते हुए मैं पाता हूँ कि यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही एवं दर्ज दांडिक मामला अभी भी लंबित है। यह भी स्वीकृत अवस्था है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों अथवा उपदान को वापस रोकने के लिए सांविधिक प्रावधान नहीं है। याची द्वारा किए गए अभिवचन पर गौर करना दिलचस्प है जो सुझाता है कि अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने और परिणामस्वरुप सेवा से अपचारी कर्मचारी की बर्खास्तगी अथवा कि अपचारी कर्मचारी दांडिक मामले में दोषसिद्ध किया जाएगा, की प्रत्याशा में उपदान राशि रोकना ही होगा। ऐसा अभिवचन तर्कपूर्ण नहीं है और कम से कम इसे न्यायोचित एवं उचित प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है। **''इलाहाबाद बैंक एवं एक अन्य बनाम अखिल भारतीय इलाहाबाद बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ,'' (2010)2 SCC 44,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सिवाए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरुप उपदान सांविधिक अधिकार होने के नाते वापस नहीं लिया जा सकता है। **''जरनैल सिंह बनाम सचिव, गृह मंत्रालय (1993)1 SCC 47,** भी इस दृष्टिकोण को अभिपुष्ट करता है कि उपदान वापस रोकने के सांविधिक प्रावधान की अनुपस्थिति में कर्मचारी को उपदान राशि प्राप्त करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उक्त मामले में, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधान की दृष्टि में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियोक्ता को कर्मचारी को उपदान का भुगतान रोकने का अधिकार है। जैसा ऊपर गौर किया गया है, कोल इंडिया कार्यपालक आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1978 में उपदान रोकने के लिए नियोक्ता को सशक्त बनाने वाले विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है। मैं आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ।

11. उक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vij'k dekj flg] U;k;efr

शंभु प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P. (S) No. 1645 of 2014. Decided on 17th December, 2014.

सेवा विधि–वेतनमान–ए॰ सी॰ पी॰, वेतन पुनरीक्षण लाभ, एम॰ ए॰ सी॰ पी॰, पदस्थापना की अवधि का नियमितिकरण, वेतन का दावा–याची दिनांक 7.11.2008 से दिनांक 28.2.2011 तक अप्राधिकृत अवकाश पर गया था जिसे सेवा में व्यवधान के रूप में माना गया था–दिनांक 30.4.2009 से दिनांक 20.1.2011 के दौरान स्वीकृत रूप से याची ने अपने नियंत्रक अधिकारी के अधीन सेवा नहीं दिया था जहाँ से वह अवकाश पर गया था और न ही उसने उपायुक्त, चतरा के कार्यालय में रिपोर्ट किया बल्कि दिनांक 30.4.2009 को स्वयं ही मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में रिपोर्ट करता प्रतीत होता है–विभाग के तकनीकी अध्यक्ष के कार्यालय में पदग्रहण करने के ऐसे एकपक्षीय दृष्टिकोण का कोई अर्थ और परिणाम नहीं होगा क्योंकि याची को उक्त कार्यालय में पदस्थापित नहीं किया गया था–प्रत्यर्थी सचिव ने अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 30.4.2009 से दिनांक 20.1.2011 तक की अवधि नियमित नहीं की जा सकती है–जब वह प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन कनीय अभियन्ता के रूप में पदस्थापित था, याची द्वारा की गयी कतिपय अनियमितता के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी–तत्पश्चात, याची तुरन्त अवकाश पर चला गया–अभिनिर्धारित, प्रत्यर्थी सचिव, पथ निर्माण विभाग का आदेश तार्किक है और समस्त प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया गया है–याचिका खारिज।

(पैराएँ 5 से 7)

अधिवक्तागण.–Mr. Shafique Rahman, For the Petitioner; J.C. to A.A.G., For the Respondents.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

याची पथ निर्माण विभाग में कनीय अभियन्ता है। याची को ए॰ सी॰ पी॰, दिनांक 1.1.2006 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण लाभ, एम॰ ए॰ सी॰ पी॰ के दावा से संबंधित एवं दिनांक 1.9.2008 से दिनांक 28.4.2009 तक और दिनांक 29.4.2009 से दिनांक 20.1.2011 तक अपनी पदस्थापना की अवधि के नियमितिकरण के लिए भी कतिपय शिकायत थी। उसे जनवरी–फरवरी, 2011 में अपनी पदस्थापना की अवधि के लिए वेतन से संबंधित कतिपय अन्य शिकायत थी।

2. जब याची पहले पूर्वोक्त शिकायतों के साथ डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 6353 वर्ष 2012 में इस न्यायालय के पास आया, सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार को अनुबंधित अवधि के भीतर याची के दावा के प्रत्येक आइटम से संबंधित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 25.5.2013 के तार्किक आदेश सं॰ 110, जिसे याची को दिनांक 19.6.2013 के मेमो सं॰ 1354 (परिशिष्ट–11) के तहत संसूचित किया गया है, द्वारा प्रत्यर्थी सं॰ 3, सचिव, पथ निर्माण विभाग ने याची का अभ्यावेदन

निपटाया है। अब वर्तमान याचिका अन्य बातों के साथ अनेक प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गयी है जो प्रत्यर्थी सं॰ 3 सचिव के निर्णय के अभिखंडन की प्रार्थना सम्मिलित करती है जिसके अधीन उसने अभिनिर्धारित किया है कि दिनांक 7.11.2008 से दिनांक 29.4.2009 की अवधि सेवा में व्यवधान के तुल्य होगी। वह दिनांक 30.4.2009 से दिनांक 20.1.2011 की अवधि के संबंध में प्रत्यर्थी सचिव के निर्णय से भी व्यथित है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याची की सेवा नियमित नहीं की जा सकती है। ये दो शिकायतें हैं जिन पर याची वर्तमान में जोर डाल रहा है क्योंकि ए॰ सी॰ पी॰ के प्रदान, छठे पी॰ आर॰ सी॰ के लाभ, एम॰ ए॰ सी॰ पी॰, आदि से संबंधित शेष शिकायतें दूर कर दी गयी हैं। किंतु, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उस आधार पर भुगतान नहीं किया गया है, खासकर इस कारण से कि इस अवधि की उसकी सेवा नियमित नहीं की गयी है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन तथा दस्तावेजों, जिन पर उनके द्वारा विश्वास किया गया है, से यह प्रतीत होता है कि याची दिनांक 7.11.2008 को मेडिकल अवकाश पर गया जब वह कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय, ग्रामीण संकर्म विभाग, संकर्म डिविजन, लोहरदग्गा में पदस्थापित था। किंतु यह भी प्रतीत होता है कि याची ने मुख्य अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, प्रत्यर्थी सं॰ 5 के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 28.11.2008 के कार्यालय आदेश अर्थात् स्थानांतरण के किसी आदेश के प्रति अनभिज्ञता का अभिवचन किया है जिसके अधीन उसे कनीय अभियन्ता, वर्क्स डिविजन के अधीन वर्क्स सेक्शन, कुरु के पद से उपायुक्त, चतरा के कार्यालय स्थानांतरित किया गया था। ऐसा प्राख्यान आर॰ टी॰ आई॰ के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है जो दिनांक 22.10.2013 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत परिशिष्ट 14 पर है। आर॰ टी॰ आई॰ सूचना के मुताबिक, स्थानांतरण आदेश दिनांक 18.4.2011 को कार्यपालक अभियन्ता वर्क्स डिविजन, लोहरदग्गा के कार्यालय में प्राप्त किया गया था जहाँ याची पदस्थापित था। इसके बावजूद याची ने अपने नियंत्रक अधिकारी अर्थात् कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण संकर्म डिविजन, लोहरदग्गा, जहाँ से वह अवकाश पर गया था, के कार्यालय में अपनी बीमारी से स्वस्थ होने पर रिपोर्ट नहीं किया था बल्कि दिनांक 30.4.2009 के पत्र (परिशिष्ट 4) के मुताबिक मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण संकर्म विभाग, झारखंड सरकार के समक्ष मुख्यालय में अपना पदग्रहण रिपोर्ट करता बताया गया है। अत: याची की ओर से ऐसा कृत्य विधि के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था, विशेषत: जब उसने स्वयं कथन किया कि वह उपायुक्त, चतरा के कार्यालय में अपने स्थानांतरण के आदेश से अवगत नहीं था। याची ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि दिनांक 6.10.2009 के एक अन्य आदेश द्वारा उसे उपायुक्त, चतरा के कार्यालय से वर्क्स सेक्शन, महेशपुर, पाकुड़ वर्क्स डिविजन में स्थानांतरित किया गया था किंतु वह इस बारे में बिल्कुल अंधकार में था। यह स्थानांतरण आदेश आर॰ टी॰ आई॰ के अधीन उसके ध्यान में आया। आगे यह प्रतीत होता है कि अंत में परिशिष्ट 7 पर दिनांक 20.1.2011 के कार्यालय आदेश द्वारा याची को उपायुक्त, चतरा के कार्यालय से उसके मूल विभाग अर्थात् पथ निर्माण विभाग स्थानांतरित किया गया था। सचिव, पथ निर्माण विभाग ने तार्किक आदेश पारित करते हुए, जिसके भाग से याची व्यथित है, प्रासंगिक तात्विक तथ्यों को विचार में लिया और अपनी चर्चा में निम्नलिखित तथ्यों को निर्दिष्ट किया है:

(i) कि याची दिनांक 7.11.2008 से दिनांक 28.2.2011 तक अप्राधिकृत अवकाश पर गया था। जिसे कार्यपालक अभियन्ता, वर्क्स डिविजन, लोहरदग्गा द्वारा दिनांक 15.7.2011 के मेमो के तहत जारी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के माध्यम से संसूचित किया गया है। अत: दिनांक 7.9.2008 से दिनांक 29.4.2009 की अवधि को सेवा में व्यवधान के रूप में माना जाना है।

(ii) दिनांक 30.4.2009 से दिनांक 20.1.2011 की अवधि के संबंध में, प्रत्यर्थी सचिव ने कुरु से उपायुक्त, चतरा के कार्यालय को याची के दिनांक 28.11.2008 के स्थानांतरण आदेश को निर्दिष्ट किया है और दिनांक 20.1.2011 के आदेश को निर्दिष्ट किया है जिसके द्वारा याची की सेवा उसके मूल विभाग को संप्रत्यावर्तित की गयी थी।

4. इस अवधि के दौरान याची ने अपने नियंत्रक अधिकारी के अधीन सेवा नहीं दिया था जहाँ से वह अवकाश पर गया था अर्थात् कार्यपालक अभियन्ता, वर्क्स डिविजन, लोहरदग्गा और न ही उसने उपायुक्त, चतरा के समक्ष रिपोर्ट किया था बल्कि वह स्वयं दिनांक 30.4.2009 को मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में रिपोर्ट करता प्रतीत होता है। विभाग के तकनीकी अध्यक्ष अर्थात् मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में पदग्रहण करने के ऐसे एकपक्षीय दृष्टिकोण का कोई अर्थ और परिणाम नहीं होगा क्योंकि याची को किसी आदेश द्वारा उक्त कार्यालय में पद स्थापित कभी नहीं किया गया था। अत: प्रत्यर्थी सचिव ने अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 30.4.2009 से दिनांक 20.1.2011 तक की अवधि नियमित नहीं की जा सकती है।

5. यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थीगण ने अपने प्रतिशपथ पत्र में कथन किया है कि प्राथमिकी लोहरदग्गा पी॰ एस॰ केस सं॰ 170 वर्ष 2008 याची द्वारा की गयी कतिपय अनियमितता के संबंध में दिनांक 6.11.2008 को दर्ज की गयी थी जब वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन कनीय अभियन्ता के रूप में पदस्थापित था। उन्होंने कथन किया कि याची तुरन्त तत्पश्चात दिनांक 7.11.2008 को अवकाश पर चला गया था। उन्होंने यह कथन भी किया कि कार्यपालक अभियन्ता ने दिनांक 15.7.2011 के पत्र (परिशिष्ट 10) के माध्यम से याची का अप्राधिकृत अवकाश यह कथन करते हुए रिपोर्ट किया था कि पेपर प्रकाशन भी किया गया था जब याची अप्राधिकृत अवकाश पर बना हुआ था। उनकी ओर से आगे यह कथन किया गया है कि पूर्वोक्त अवधि के लिए याची ने अभ्यावेदन दिया है कि सक्षम प्राधिकारी ने उसकी सेवा नियमित किया है जिसे जाँच पर झूठा पाया गया था। यह परिशिष्ट-F के तहत दिनांक 21.3.2014 को प्राथमिकी के संस्थापन के लिए संबंधित धुर्वा पुलिस थाना को निर्देश की ओर ले गया है।

6. इन समस्त प्रासंगिक सामग्री जिन्हें निर्दिष्ट किया गया है और जिन पर याची द्वारा विश्वास किया गया है, पर विचार करने पर मैं नहीं पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश विवेक के गैर इस्तेमाल अथवा विधि एवं तथ्य की किसी गलती से पीड़ित है। अवकाश अथवा अनुपस्थिति की अवधि के लिए सेवा के नियमितिकरण के मामलों पर कर्मचारी द्वारा यह सद्भाव दर्शाए जाने पर कि उसने विधि के अनुरुप कृत्य किया है और अवकाश पर गया है और समस्त प्रासंगिक सामग्रियों जो उन विवाद्यकों पर निष्कर्ष पर आने के लिए आवश्यक हो सकती है पर विचार करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना है। प्रत्यर्थी सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार का आदेश तार्किक है और समस्त प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया गया है।

7. अत:, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के प्रयोग में, उस आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक ए॰ सी॰ पी॰ लाभ, एम॰ ए॰ सी॰ पी॰, वेतन पुनरीक्षण के दावे का संबंध है, यदि यह विधि में ग्राह्य है, तब यह अभिनिर्धारित करने के बावजूद कि याची की अनुपस्थिति की पूर्वोक्त अवधि सेवा में व्यवधान के तुल्य है और नियमित नहीं की जा सकती है, प्रत्यर्थीगण उस आधार पर ग्राह्य देयों को निर्मुक्त करेंगे। किंतु, याची अन्यथा हस्तक्षेप के लिए रिट याचिका में कोई आधार बनाने में विफल हुआ है।

यह रिट याचिका गुणागुण रहित होने के कारण तद्नुसार खारिज की जाती है।

ekuuh; lfr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

मनोज राय

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 4597 of 2008. Decided on 3rd November, 2014.

सेवा विधि–खारिजी–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 279, 337 एवं 338 तथा बाद में धारा 304 के अधीन दांडिक मामला संस्थित किया गया–विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी–एक व्यक्ति की मृत्यु में परिणत होने वाले लापरवाह एवं उपेक्षावान चालन के लिए आरोप विरचित किए गए–जाँच में आरोप सिद्ध हुए–जाँच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने आदेश पारित किया और याची को सेवा से बर्खास्त किया–अपीलीय प्राधिकारी ने इसे संपुष्ट किया–याची अथवा पैदल चलने वाले द्वारा की गयी गलती के संबंध में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में अनुपस्थित है–याची को जाँच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति नहीं की गयी जो सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विचार करती है, बर्खास्तगी के आदेश को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया–नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेजा गया। (पैराएँ 8 से 14)

निर्णयज विधि.–(1993)4 SCC 727; (2014) 5 SCC 172 Para 20—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. J. Nath, For the Petitioner; J.C. to A.G., For the Respondents.

आदेश

याची ने अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 31.8.2007 तथा दिनांक 31.3.2008 के आदेश को चुनौती दिया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची को सेवा से बर्खास्त किया गया है।

2. याची की ओर से किए गए निवेदन के मुताबिक मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची को दिनांक 8.1.2002 को झारखंड सशस्त्र पुलिस बल सं॰ 1 में कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 26.8.2005 को याची को पुलिस जीप सं॰ BR-1J-5319 में कर्तव्य दिया गया था और लालपुर चौक जाते हुए एक पैदल चलने वाला कमल किशोर जीप के सामने आया और जीप के साथ टकरा गया। यह पैदल चलने वाला दूसरे पैदल चलने वाले विश्वनाथ वर्मा से टकरा गया। विश्वनाथ वर्मा बेहोश हो गया और अंततः इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी जिसके लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 279, 337 एवं 338 के अधीन अपराध के लिए दांडिक मामला लालपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 102 वर्ष 2005 संस्थित किया गया था तथा बाद में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 जोड़ी गयी थी जो अधिकारिता के समक्ष न्यायालय में लंबित है।

3. इसी आधार पर याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सं॰ 3 वर्ष 2006 आरंभ की गयी थी। एक व्यक्ति की मृत्यु में परिणत होने वाले लापरवाह एवं उपेक्षापूर्ण चालन के लिए आरोप विरचित किए गए थे। तत्पश्चात नियमित जाँच में आरोप सिद्ध किए गए थे।

4. इस आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने तुरन्त के प्रभाव से याची को सेवा से बर्खास्त करते हुए दिनांक 31.8.2007 का आदेश पारित किया है। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी गयी थी जिसे दिनांक 31.3.2008 के मेमो सं॰ 715 में अंतर्विष्ट आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश ने इसे अभिपुष्ट किया है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि जाँच अधिकारी निश्चयात्मक निष्कर्ष पर नहीं आया है कि किसकी गलती से उक्त पैदल चलने वाले ने उपहति पायी और उसकी मृत्यु हो गयी। याची को जाँच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गयी थी जिसने याची पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश अत्यन्त कठोर है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश किसी दुर्बलता के बिना है। इसे आरोप जिन्हें सिद्ध किया गया है की गंभीरता को विचार में लेते हुए पारित किया गया है। सुनवाई का अवसर देने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

पक्षों को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. अभिलेख के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि प्राधिकारीगण इस निष्कर्ष पर आए हैं कि याची लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण रूप से चालन कर रहा था जिस कारण दुर्घटना हुई जिसका परिणाम उक्त पैदल चलने वाले की मृत्यु में हुआ किंतु याची अथवा उक्त पैदल चलने वाले द्वारा की गयी गलती के संबंध में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में अनुपस्थित है। आगे, याची का प्रतिवाद कि जाँच रिपोर्ट की गैर-आपूर्ति के कारण उस पर गंभीर प्रतिकूलता कारित हुई है, मैं याची के इस प्रतिवाद में समर्थन पाता हूँ क्योंकि यदि उसको जाँच रिपोर्ट की आपूर्ति की जाती, वह अपने दोष के प्रमाण का निष्कर्ष जान सकता था और तद्नुसार प्रत्युत्तर देने में सक्षम हो सकता था।

8. यहाँ **प्रबंध निदेशक, ई॰ सी॰ आई॰ एल॰, हैदराबाद एवं अन्य बनाम बी॰ करुणाकर एवं अन्य, (1993)4 SCC 727,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया जा सकता है जिसमें पैरा 26 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"26. .....tkp vfèkdkjh dh fjikV iku dk vfèkdkj çFke pj.k ij ;fDr;Dr volj dk ,o ulfxd U;k; d fl)kr dk vko';d Hkkx D;k ekuk tkrk g] bldk dkj.k ;g g fd tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k vu'kklfud çkfèkdkjh d le{k egRoi.k lkexh fufer djrk g ftl lk{; d lkFk viu fu"d"k ij vku d fy, fopkj e fy;k tkrk gA igy l ;g dguk ef'dy g fd fjikV e vu'kflr nM] ;fn gk] lfgr mDr fu"d"k fdl lhek rd vu'kklfud çkfèkdkjh dk viuk fu"d"k fudkyu d fy, çHkkfor djxA vkx] fu"d"k vfHky[k ij ektn çklfxd lk{; ij fopkj fd, fcuk vFkok bldk xyr vFk yxkdj vFkok bld }kjk vlefFkr nt fd;k tk ldrk FkkA ;fn ,l fu"d"k vu'kklfud çkfèkdkjh }kjk fopkj fd, tku oky nLrkotk e l ,d g] ulfxd U;k; dk fl)kr vko';d cukrk g fd ml nk"kfl) fd, tku d igy depkjh dk bldk lkeuk dju] bl Li"V vkj [kfMr dju dk mfpr volj feyuk pkfg, FkkA ;g U;k; d fl)krk dk udkjuk g vkj bldk mÙkj nu d fy, depkjh dk volj fn, fcuk tlk tkp vfèkdkjh tl rrh; i{k }kjk nt fu"d"kk ij fopkj dju d fy, depkjh dk mfpr volj nu l budkj gA ;|fi ;g lR; g fd vu'kklfud çkfèkdkjh l tkp e nt lk{; d vkèkkj ij Lo; viu fu"d"k ij igpu dh mEehn dh tkrh g] ;g Hkh leku :i l lR; g fd vu'kklfud çkfèkdkjh vfHky[k ij ektn lk{; d lkFk tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"kk dk*

*fopkj e yrk gA bu ifjfLFkfr;k e] tkp vfèkdkjh dk fu"d"k vu'kkIfud çkfèkdkjh d le{k egRoi.k lkexh xfBr djrk g ftldh bld fu"d"kk dk çHkkfor dju dh lHkkouk gA ;fn tkp vfèkdkjh dk doy fu"d"k nt djuk g vkj bl vu'kkIfud çkfèkdkjh dk vxlkfjr djuk g] ;g vu'kkIfud çkfèkdkjh d le{k dkb vfrfjDr lkexh xfBr ugh djxk ftldh tkudkjh vipkjh depkjh dk ugh gA fdr] tc tkp vfèkdkjh vkx tkrk g vkj viuk fu"d"k nt djrk g] tlk Åij dFku fd;k x;k g] tk vfHky[k ij ektn lk{; ij vkèkkfjr gk ldrk g vFkok ugh gk ldrk g vFkok bld foijhr g vFkok bldh vufHkKrk e g] ,l fu"d"k depkjh dk vKkr vfrfjDr lkexh g fdr ftUg vu'kkIfud çkfèkdkjh }kjk viu fu"d"k ij vku d fy, fopkj e fy;k x;k gA vr% ;fDr;Dr volj dk fl)kr ,o ulfxd U;k; dk fl)kr vko';d cukrk g fd vu'kkIfud çkfèkdkjh }kjk viu fu"d"k ij vku d igy vipkjh depkjh dk tkp vfèkdkjh d fu"d"kk dk mÙkj nu dk volj fn;k tkuk pkfg, FkkA rc vu'kkIfud çkfèkdkjh dk lk{;] tkp vfèkdkjh dh fjikV ,o bld fo#) depkjh d vH;konu ij fopkj dju dh vko';drk gA***

9. आगे, कोई सामग्री, जिसे कर्मचारी के विरुद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया में विचार में लिया गया है, से उसको इनकार नहीं किया जा सकता है।

10. ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं अन्य बनाम एस॰ एस॰ शिवकंद एवं एक अन्य, (2014)5 SCC 172, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया जा सकता है जिसमें पैरा 20 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^-------**dkb lkexh] ftl depkjh d fo#) fu.k; yu dh çfØ;k e fy;k tkrk g] l mldk budkj ugh fd;k tk ldrk gA** vu'kkIfud çkfèkdkjh&lg&{k=h; çcèkd d fu.k; dh nf"V e] cd dk fu.k; x.kkx.k ij vuekfnr fd;k tk ldrk Fkk fdr] ukxkjkt f'kojko djtkxh vkj ,l0 ch0 vkb0 e nk fu.k; ,l ekeyk e vè;if{kr çfØ;k vfèkdfFkr djr g vkj bl ekey d rF;k e mle of.kr lfDr l çLFkku djuk lefpr ugh gkxkA doy bl ekinM ij] nM e gLr{ki dju oky mPp U;k;ky; d fu.k; d Hkkx dk lkf"kr fd;k tkuk gkxkA***

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, जैसा यहाँ ऊपर उपदर्शित किया गया है, चूँकि याची को जाँच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति नहीं की गयी थी जो सेवा से बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित करते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया में जाती है, बर्खास्तगी के आदेश को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

12. मैं तथ्यों की संपूर्णता में पाता हूँ कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर दंड का आदेश पारित किया गया है, किंतु संपूर्ण जाँच रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष नहीं आया है कि याची ने धक्का मारा था और इस संबंध में किसी विनिर्दिष्ट निष्कर्ष की अनुपस्थिति में और चूँकि याची पर प्रतिकूलता कारित करते हुए याची को जाँच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति नहीं की गयी है।

13. मैं पाता हूँ कि प्रत्यर्थीगण को दंड के आदेश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

14. अत: आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया जाता है। इस आदेश की प्रति की प्रस्तुती की तिथि से युक्तियुक्त अवधि प्राथमिकत: आठ सप्ताह के भीतर नया आदेश पारित करने के लिए मामला प्रत्यर्थीगण के पास वापस भेजा जाता है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

नवरंग तिवारी

cuke

उषा देवी

W.P.(C) No. 216 of 2014. Decided on 3rd November, 2014.

परिसीमा अधिनियम, 1963—धारा 5—बँटवारा वाद–प्रतिस्थापन आवेदन दाखिल करने में विलंब की माफी इप्सित करते हुए परिसीमा अधिनियम की धारा 15 के अधीन आवेदन पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय ने अपने स्वविवेक का प्रयोग किया है और तथ्यों पर विलंब माफ करने के लिए पर्याप्त कारण पाया है–प्रतिस्थापित वादी को वाद का अनुसरण करने का अधिकार है–परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन में दिया गया आदेश याची का बहुमूल्य अधिकार वापस नहीं ले सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Arun Kumar Dubey, For the Petitioner; None, For the Respondent.

आदेश

बँटवारा वाद सं॰ 54 वर्ष 1979 में विविध (सिविल) अपील सं॰ 10 वर्ष 2012 में दिनांक 13.12.2013 के आदेश से व्यथित होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि वादी सं॰ 2 को ज्ञात था कि उसकी माता एवं मूल प्रतिवादीगण की मृत्यु काफी पहले हो गयी है, उसने केवल दिनांक 25.1.2012 को लंबित बँटवारा वाद सं॰ 54 वर्ष 1979 में वादी सं॰ 1 के नाम का विलोपन एवं प्रतिवादीगण का प्रतिस्थापन इप्सित करते हुए आवेदन दाखिल किया जो परिसीमा द्वारा घोर रूप से वर्जित है। यद्यपि पूरक मामला अभिलेख खोला गया था, विद्वान जिला न्यायाधीश ने गलत उपधारणा पर कि गढ़वा न्यायालय में कोई पूरक मामला अभिलेख नहीं खोला गया था, बँटवारा वाद सं॰ 54 वर्ष 1979 में उप न्यायाधीश IV द्वारा पारित दिनांक 18.7.2012 के आदेश में हस्तक्षेप किया। आगे यह निवेदन किया गया है कि उपन्यायाधीश के न्यायालय, पलामू, डालटेनगंज के अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि बँटवारा वाद सं॰ 54 वर्ष 1979 हाल तक वर्ष 2010 में इसी न्यायालय में जारी रहा और प्रतिवादीगण की मृत्यु प्रतिस्थापित वादी को ज्ञात थी किंतु उसने मामले में समुचित कदम नहीं उठाया था।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों पर विचार किया गया।

4. इससे इनकार नहीं किया गया है कि वादी सं॰ 2 वादी सं॰ 1 जिसकी मृत्यु बँटवारा वाद के लंबित रहने के दौरान हो गया की पुत्री है और उसने दिनांक 25.1.2012 को परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन के साथ सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 4 के अधीन आवेदन दाखिल किया। यह विवादित नहीं किया गया है कि उत्तरजीवी वादी सं॰ 2 वादी सं॰ 1 की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी है। वादी सं॰ 1 का नाम विलोपित करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था और प्रतिवादी सं॰ 1, 2 एवं 3 के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए भी आवेदन दाखिल किया गया था। दिनांक 13.12.2013 के आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि वर्ष 1982 में गढ़वा न्यायालय कार्यशील हो गयी क्योंकि गढ़वा में नया जिला सृजित किया गया था, किंतु बँटवारा वाद के अभिलेख का दिनांक 21.11.2011 तक पता नहीं चला था। अभिलेख का पता लगाए जाने पर इसे पुनः गलत रूप से लातेहार भेजा गया था और अंत में इसे दिनांक 22.11.2011 को सिविल न्यायालय, लातेहार से गढ़वा

लाया गया था। वादी सं॰ 2 एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए थे और सूचना प्राप्त करने के बाद वादी सं॰ 2 ने दिनांक 25.1.2012 को याचिका दाखिल किया। चूँकि यह विवादित नहीं किया गया है कि वादी सं॰ 2 वादी सं॰ 1 की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी हैं, प्रश्नगत संपत्ति वादी सं॰ 2 पर न्यागत होगी और इस प्रकार, वाद करने का अधिकार बना रहता है। इस प्रकार वादी सं॰ 2 को विधि में वाद का अनुसरण करने का अधिकार हैं। मैं आगे पाता हूँ कि दिनांक 25.1.2012 का आवेदन दाखिल करने में विलंब की माफी इप्सित करते हुए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन दाखिल किया गया था। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन पर विचार करते हुए विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने स्वविवेक का प्रयोग किया है और तथ्यों पर विलंब माफ करने के लिए पर्याप्त कारण पाया है। उच्च न्यायालय सामान्यत: अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में अवर न्यायालयों की अधिकारिता हस्तक्षेप नहीं करेगा। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन में आदेश को याची के बहुमूल्य विधिक अधिकार को वापस लेने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस तथ्य की दृष्टि में कि प्रतिस्थापित वादी को वाद का अनुसरण करने का अधिकार है, वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा की गयी आपत्ति संपोषणीय नहीं है।

5. मैं गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

6. विद्वान उप न्यायाधीश IV, गढ़वा को विधि के अनुरूप मामले में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; vkjñ vkjñ i lkn ,o vkjñ ,uñ oek] U;k;efrx.k

आरती राय

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Acquittal Appeal (D.B.) No. 17 of 2014. Decided on 13th January, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860–धारा 376 सह-पठित धारा 90–बलात्संग–तथ्य का भ्रम–दोषमुक्ति–विवाह के झूठे वादे पर बार-बार किया गया यौन संसर्ग–अभियोक्त्री द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिसके साथ वह गहरे प्रेम में है, के साथ इस वादे पर यौन संसर्ग के लिए दी गयी सहमति कि वह बाद में उसके साथ विवाह करेगा, तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी गयी सहमति नहीं कही जा सकती–आक्षेपित निर्णय में अवैधानिकता नहीं है–अपील खारिज।(पैराएँ 11 से 16)

निर्णयज विधि.–AIR 2014 SC 384—Distinguished; (2003)4 SCC 46—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Rahul Deo, For the Appellant; A.P.P., For the Respondents.

आदेश

अपीलार्थी के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपीलार्थी–अभियोक्त्री द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतुक के अधीन दाखिल यह दोषमुक्ति अपील सत्र केस सं॰ 51 वर्ष 2013 में पारित दिनांक 19 अप्रील, 2014 के निर्णय तथा आदेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने विपक्षी सं॰ 2 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध का दोषी न पाते हुए विपक्षी सं॰ 2 को आरोप से दोषमुक्त कर दिया था।

3. अभिलेख ये उद्‌भूत अभियोजन का मामला यह है कि अभियोक्त्री अ॰ सा॰ 4 का विपक्षी सं॰ 2 के साथ प्रेम था। उस दौरान, विपक्षी सं॰ 2 ने उसके साथ विवाह करने का वादा किया था। उस बहाने पर, विपक्षी सं॰ 2 ने अभियोक्त्री अ॰ सा॰ 4 के साथ यौन संपर्क स्थापित किया था। बाद में जब कभी भी अभियोक्त्री ने विपक्षी सं॰ 2 से उससे विवाह करने को कहा था, विपक्षी सं॰ 2 ने किसी न किसी बहाने पर उसका आग्रह स्वीकार करने से इनकार किया था। तदुपरि, अभियोक्त्री ने उक्त तथ्य के बारे में अपने पिता को सूचित किया था। एक पंचायती बुलायी गयी थी जिसमें विपक्षी सं॰ 2 यद्यपि अभियोक्त्री के साथ विवाह करने पर सहमत हो गया था, परन्तु विपक्षी सं॰ 2 के पिता ने एक लाख रुपये तथा 10 कट्‌ठा जमीन देने के लिए कहा था। ऐसे आरोप पर, विपक्षी सं॰ 2 के विरूद्ध, जिसे विचारण पर रखा गया था, एक मामला दर्ज किया गया था जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन निबंधित किया गया था।

4. विचारण के दौरान, अभियोक्त्री ने अ॰ सा॰ 4 के तौर पर अपने आप को परीक्षित किया था। अभियोक्त्री के अलावा, अभियोक्त्री के भाई, पिता एवं माता की क्रमश: अ॰ सा॰ 1, 2 एवं 3 के तौर पर परीक्षा की गयी थी। अभियोक्त्री अ॰ सा॰ 4 ने अपने साक्ष्य में परिसाक्ष्य दिया था कि वह तथा विपक्षी सं॰ 2 भी एक ही विद्यालय के छात्र थे तथा एक दूसरे को जानते थे एवं उसे विपक्षी सं॰ 2 से प्रेम हो गया था, जिसने समय के अनुक्रम में उससे विवाह करने का वादा किया था तथा उस बहाने के अधीन वह उसके साथ यौन क्रिया करता रहा था। अन्य गवाहों ने अपने साक्ष्यों में यही वृत्तांत दोहराया था।

5. गवाहों, विशेषकर अभियोक्त्री अ॰ सा॰ 4 द्वारा यथा परिसाक्ष्य दिये गये उक्त तथ्य पर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि विपक्षी सं॰ 2 ने अभियोक्त्री के साथ तभी यौन संपर्क किया था जब उसने यौन क्रिया पर सहमति दी थी। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियोक्त्री ने तथ्य के भ्रम के अधीन कभी भी यौन संपर्क पर सहमति नहीं दी थी। तद्‌नुसार, न्यायालय ने दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित किया था। इससे व्यथित होकर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के परंतुक के अधीन अभियोक्त्री की ओर से यह अपील दाखिल की गयी है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल देव पूरी प्रबलता के साथ निवेदन करते हैं कि इस मामले में प्रतीत होने वाला तथ्य स्पष्टत: चिन्हित करता है कि अभियोक्त्री ने इस तथ्य के भ्रम के अधीन कि विपक्षी सं॰ 2 उसके साथ विवाह करेगा, विपक्षी सं॰ 2 को उसके साथ यौन संपर्क करने पर सहमति दी थी। चूँकि विपक्षी सं॰ 2 ने उससे विवाह करने का वादा किया था, अभियोक्त्री द्वारा दी गयी सहमति कभी भी एक स्वतंत्र सहमति के तुल्य नहीं होगी। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **AIR 2014 SC 384** में रिपोर्ट किये गये **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नौशाद** के मामले में दिया गया निर्णय निर्दिष्ट किया है।

7. इस प्रकार, जो प्रश्न उद्‌भूत होता है वह इसको लेकर है कि क्या विपक्षी सं॰ 2 को अभियोक्त्री द्वारा यौन संपर्क करने के लिए दी गयी सहमति तथ्य के भ्रम के अधीन है या नहीं?

8. मामले में आगे बढ़ने के पहले, मामले के तथ्यों के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के प्रावधान को ध्यान में लेने की आवश्यकता है जो निम्नवत्‌ पठित है:–

*"90. **lEefr] ftlds lcèk esa ;g Kkr gks fd og Hk; ;k Hkze ds vèkhu nh xbZ g-**&dkbZ lEefr ,slh ugha gS tSlh bl lafgrk dh fdlh èkkjk ls vk'kkf;r gS] ;fn og lEefr fdlh O;fDr us {kfr] Hk; ds vèkhu] ;k rF; ds Hkze ds vèkhu nh gks] vkSj ;fn dk;Z djus okyk O;fDr ;g tkurk gks ;k mlds ikl fo'okl djus dk dkj.k gks fd ,slh Hk; ;k Hkze ds ifj.kkeLo#i og lEefr nh xbZ FkhA**"*

9. विवाह के एक वादे पर सहमति प्राप्त करके यौन संसर्ग के कृत्य में संलिप्त होने से संबंधित मामला **जयंती रानी पांडा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले (ऊपर)** में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। इसको लेकर कि क्या उस ढंग से प्राप्त की गयी सहमति तथ्य के भ्रम के अधीन दी गयी सहमति कही जा सकती है। न्यायाधीशों ने तथ्य तथा परिस्थितियों एवं विधि के प्रावधान पर भी सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नवत् सम्परीक्षित किया था:–

^^,l dkj.kk] tk lk{; e vfrLi"V ugh gk] l ,d Hkkoh vfuf'pr frfFk dk oknk fuHkku e foQyrk NR; d ikjHk e gh rF; d ,d Hke d lno rY; ugh gkrh gA rF; d Hke d vFk d Hkhrj vku d fy,] rF; dh vko';d :i l rRdky l lxrrk gkuh vko';d gA ekeyk fHkUu jgk gkrk vxj ,lk fo'okl mRiUu djd lgefr ikIr dh x;h gkrh fd og igy l gh fookfgr FkA ,l ekey e lgefr dk rF; d ,d Hke l mnHkkr gkuokyh lgefr dgk tk ldrk FkkA ijr ;gk vfHkdfFkr rF; fookg dju dk ,d oknk g tk ge ugh tkur g fd dc djuk FkkA vxj ,d i.k :i l ifjiDo yMdh fookg d okn ij ;ku llx dh NR; ij lgefr nrh g rFkk xHkorh cu tku rd ,lh xfrfofèk e lfYkIr jguk tkjh j[krh g] rc ;g mldh vkj l LoPNn ;ku lcèk dk ,d dk; g rFkk rF; d Hke }kjk ifjr ,d dk; ugh gA yMdh d NR; dk ekQ dju d fy, rFkk nlj ij nkfMd nkf;rk vfèkjkfir dju d fy, ,l ekey e Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 90 dk lgk;rk inku dju d fy, ugh yk;k tk ldrk g] ***tcrd fd U;k;ky; blij vk'oLr u gk fd ikjHk l gh vfHk;Dr dk dHkh Hkh mld lkFk fookg dju dk bjknk ugh FkkA*****

न्यायाधीशों ने यह भी सम्परीक्षित किया है:–

*^^,d fo|eku rF; dk ,d nk"ki.k dFku gkuk vko';d gA** vr,o] rF; d ,d nk"ki.k dFku d rY; gku d fy, fLFkfr;k dh fo|eku voLFkk rFkk mldk ydj ,d nk"ki.k dFku llxr cu tkrk gA ,l lk{; dh vuifLFkfr e ,l rd d leFku e èkkjk 90 dh lgk;rk ugh yh tk ldrh g fd rF; d ,d Hke ij ifjoknh dh lgefr ikIr dh x;h FkhA***

10. बाद में, जब **उदय बनाम कर्नाटक राज्य [(2003) 4 SCC 46]** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कमोवेश समरूप मामला विचार के लिए आया था, न्यायाधीशों ने **जयंती रानी पांडा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (ऊपर)** के निर्णय पर भरोसा करने के उपरान्त निम्नवत् सम्परीक्षित किया था:–

^^vr,o] ;g irhr gkrk g fd U;kf;d jk; d vke lgefr bl nf"Vdk.k d i{k e g fd vfHk;kD=h }kjk ,l 0;fDr] ft ld lkFk og xgj ie e g] d lkFk bl okn ij ;ku lid d fy, nh x;h lgefr fd og ckn e mld lkFk fookg dj yxk] rF; d ,d Hke d vèkhu nh x;h lgefr ugh dgh tk ldrh gA lfgrk d vFk d Hkhrj ,d >Bk oknk ,d rF; ugh gkrk gA ge bl nf"Vdk.k d lkFk lger gku d fy, mUe[k g] ijr ;g ge vo'; tkMx fd ;g vfHkfuèkkfjr dju d fy, dkb lhèkk&ljy l= ugh g fd ;ku lid d fy, vfHk;kD=h }kjk nh x;h lgefr LofPNd g ;k ugh ;k ;g rF; d ,d Hke d vèkhu nh x;h gA vfre fo'y"k.k e] U;k;ky;k }kjk vfèkdfFkr ijh{k.k vfèkd l vfèkd lgefr d i'u ij fopkj djr le; U;kf;d food dk ekxn'ku miyCèk djkr g] ijr U;k;ky; d fy, iR;d ekey e ,d fu"d"k ij igpu d igy viu le{k miyCèk lk{; rFkk vkl&ikl dh ifjfLFkfr;k ij fopkj djuk g D;kfd iR;d ekey d mld viu gh fofp= igy gkr g ftudk bl i'u ij iHkko gk ldrk g fd D;k lgefr LofPNd Fkh ;k rF; d ,d Hke d vèkhu inku dh x;h FkhA bl bl rF; dk Hkh è;ku e j[kr g, lk{; dk eY;kdu djuk g

*fd vijkèk d iR;d ?kVd dk fl) dju dk Hkkj vfHk;ktu ij g rFkk lgefr dk u gkuk mue l ,d gA***

11. इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये सम्परीक्षण से यह वास्तव में प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री द्वारा ऐसे व्यक्ति, जिसके साथ वह गहरे प्रेम में है, के साथ इस वादे पर यौन संपर्क के लिए दी गयी सहमति कि वह बाद में उसके साथ विवाह करेगा, तथ्य के एक भ्रम के अधीन दी गयी सहमति नहीं कही जा सकती है।

12. जैसा कि अभिलेख से हमारे ध्यान में आया है, यहां प्रस्तुत मामले में अ॰ सा॰ 4 के साक्ष्य के अनुसार, उसे विपक्षी सं॰ 2 से प्रेम था, इन परिस्थितियों के अधीन उसके द्वारा विपक्षी सं॰ 2 के साथ यौन संपर्क रखना तथ्य के भ्रम के अधीन होना नहीं कहा जा सकता है। इससे भी बढ़कर, साक्ष्य में यह भी आया है कि पंचायती में भी, विपक्षी सं॰ 2 ने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की थी कि वह उसके साथ विवाह करेगा परंतु विपक्षी सं॰ 2 के पिता ने आपत्ति की थी।

13. उस मामले, जिसपर विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया है, के तथ्य कुछ भिन्न प्रतीत होते हैं, जो उक्त निर्णय के पैरा 10 में किये गये सम्परीक्षण से स्पष्ट होंगे जो निम्नवत् है:–

^^;g irhr gkrk g fd vO lkO 1 d ifjlk{; d vulkj vfHk;Dr dk vk'k; ikjHk l gh lR;fu"B ugh Fkk rFkk og ;g oknk djrk jgk Fkk fd og mld lkFk fookg dj yxk tcrd fd og xHkorh ugh gk x;h FkhA vfHk;Dr }kjk ikIr bl idkj dh lgefr dkb lgefr ugh dgh tk ldrh g D;kfd og bl rF; d ,d Hke d vèkhu Fkh fd vfHk;Dr mld lkFk fookg dju dk bjknk j[krk g] vr,o] mlu mld lkFk 'kkjhfjd lid dju dh lgefr n nh FkhA ;g rF; vfHk;Dr }kjk Hkh Lohdkj fd;k x;k g fd mlu ;ku llx dkfjr fd;k Fkk tk xko d cM c<k dh ipk;r d le{k vO lkO 1] 2 ,o 3 d ifjlk{; l idV gA ;g fcYdy Li"V g fd vfHk;Dr u ,d >Bk oknk fd;k Fkk fd og mld lkFk fookg djxkA vr,o] vfHk;Dr dk bjknk ikjHk l gh lnHkkoh ugh Fkk rFkk cpkjh yMdh vfHk;Dr }kjk i.k :i l fnXHkfer fd; tku ij mldh ykylk dh f'kdkj gb Fkh ftlu fookg dk oknk dj j[kk FkkA vfHk;Dr }kjk oknk ijk u dju d Li"V vk'k; d lkFk ikIr dh x;h bl idkj dh lgefr rFkk yMdh dk ,lk fo'okl dju d fy, r;kj fd;k tkuk fd og mld lkFk fookg dju tk jgk g rFkk i.k Hke d vèkhu ;ku llx d fy, mldh lgefr ikIr fd;k tkuk ,d lgefr ugh ekuk tk ldrk gA

इसके अतिरिक्त, उक्त निर्णय के पैरा 17 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि:–

*^^mijkfYyf[kr rF;k dh nf"V e oreku ekey e ge lekèkku g fd vfHk;Dr }kjk tk lgefr ikIr dh x;h Fkh] og ,d LofPNd lgefr ugh Fkh ftl mld }kjk bl rF; d Hke d vèkhu fn;k x;k Fkk fd vfHk;Dr mld lkFk fookg djxk ijr ;g fofèk e ,d lgefr ugh gA ;g vO lkO 1 rFkk vO lkO 6 d Hkh ifjlk{; l vkj Hkh Li"V g tk ipk;r d rkj ij dk;Z dj jgk Fkk tgk vfHk;Dr u Lohdkj fd;k Fkk fd mlu ;ku llx dkfjr fd;k Fkk ,o mld lkFk fookg dju dk oknk fd;k Fkk ijr ipk;r d le{k fd; x; okn d ckotn og Qjkj gk x;k FkkA ;g n'kkrk g fd vfHk;Dr dk ikjHk l gh mll fookg dju dk bjknk ugh Fkk rFkk vfHk;ktu }kjk bl rF; d i.k Hke d vèkhu ;ku llx dkfjr fd;k Fkk fd og mld lkFk fookg djxkA***

14. उस मामले में, न्यायाधीशों ने मामले के तथ्यों को ध्यान में लेने के उपरान्त पाया था कि जो

सहमति अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गयी थी, एक स्वैच्छिक सहमति नहीं थी, जो उसके द्वारा इस तथ्य के भ्रम के अधीन दी गयी थी कि अभियुक्त उसके साथ विवाह करेगा।

15. परंतु यहां, जैसा कि हमने पहले उल्लिखित किया है, अभियोक्त्री का विपक्षी सं॰ 2 के साथ प्रेम था, जो एक ही विद्यालय में अभियोक्त्री के साथ अध्ययन कर रहा था तथा एक ही जाति का था एवं इन परिस्थितियों के अधीन, अभियोक्त्री द्वारा तथ्य के इस भ्रम के अधीन सहमति दिया जाना नहीं कहा जा सकता है कि विपक्षी सं॰ 2 उसके साथ विवाह करेगा। इससे भी बढ़कर, यह भी सामने आया है कि विपक्षी सं॰ 2 ने पंचों के समक्ष भी अभियोक्त्री से विवाह करने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त की थी।

16. इस स्थिति में, हम चुनौती के अधीन निर्णय में कोई आवैधानिकता नहीं पाते हैं। तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

महादेव यादव एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 69 of 2005. Decided on 3rd February, 2015.

सत्र केस सं॰ 162 वर्ष 1997/31 वर्ष 2004 के संबंध में श्री अशोक कुमार चंद, विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 10.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 13.12.2004 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 435/34, 323 एवं 451–गृह अतिचार, उपहति एवं आगजनी–साझा आशय–दोषसिद्धि–सूचनादाता का साक्ष्य विरोधात्मकता से ग्रस्त–केवल परिवार के सदस्य अभियोजन पक्ष का समर्थन करने के लिए आगे आये हैं तथा अभियोजन द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं किया गया है–अन्वेषण पदाधिकारी की भी अभियोजन द्वारा परीक्षा नहीं की गयी है–इस प्रकार, वस्तुपरक साक्ष्य दर्शाता है कि आगजनी की घटना सिद्ध नहीं की जा सकती थी–दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त। (पैराएँ 9 से 16)

अधिवक्तागण.–M/s Rajeeva Sharma, Ashish Kumar Thakur, Vishwanath Ray, For the Appellants; Mr. Pankaj Kumar, For the Respondent-State.

आदेश

चारों अपीलार्थीगण ने सत्र केस सं॰ 162 वर्ष 1997/31 वर्ष 2004 में श्री अशोक कुमार चांद, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुमका द्वारा पारित दिनांक 10.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरूद्ध यह अपील दाखिल किया है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 435/34 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि की गयी है एवं तीन वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने तथा 1,000/- रुपया (एक हजार) का जुर्माना अदा करने का दंडादेश सुनाया गया है एवं इसके व्यतिक्रम में तीन महीनों का सश्रम कारावास भुगतना है एवं अपीलार्थीगण की भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 तथा 451 के अधीन भी दोषसिद्धि की गयी है तथा प्रत्येक बिन्दु पर एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतने एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के अधीन 1,000/- रुपये (एक हजार) का जुर्माना अदा करने का भी दंडादेश सुनाया गया है तथा इसके व्यतिक्रम में तीन महीनों का सश्रम कारावास भुगतना है एवं सभी दंडादेशों के साथ-साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

2. यद्यपि अवर न्यायालय के निर्णय में अभियोजन मामले के लक्षणों को मोटे तौर पर उचित रूप से वर्णित किया गया है, मैं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाये गये तर्कों के बेहतर मल्यांकन के लिए अभियोजन मामले के केवल विशिष्ट लक्षणों पर संक्षिप्तता के साथ परिचर्चा करूंगा।

3. फर्दबयान, जिसे सूचनादाता राज किशोर यादव की प्रार्थना पर 24.12.1996 को रात्रि में लगभग 2 बजे पूर्वाह्न में अभिलिखित किया गया था, निम्नवत् है–कि वह अपने पिता नन्दलाल यादव के साथ गंगवारा हाट में सम्मिलित होने के उपरान्त अपने गांव लौटा था तथा अपने गोहल में अपने मवेशी को चारा दे रहा था जहां उसी गांव के महादेव यादव, बासुदेव यादव, सहदेव यादव तथा भट्टू यादव नामक चारों अपीलार्थीगण लाठी, फरसा इत्यादि से लैस होकर आये थे तथा हूरो महतो के घर में आग लगाने का प्रयास किया था, जिसका सुमित्रा देवी द्वारा विरोध किया गया था, जिसपर महादेव यादव ने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया था जिसके परिणामत: वह मूर्छित हो गयी थी। जब सूचनादाता ने संत्रास किया था, बासुदेव यादव ने उसके सिर पर फरसा का वार किया था, राज किशोर यादव तथा सहदेव यादव ने उसके पखुड़ा पर उपहतियां कारित करते हुए उसपर लाठी से प्रहार किया था तथा जब सूचनादाता के पिता नन्द लाल यादव उसे बचाने के लिए आया था, भट्टू यादव ने उपहतियां कारित करते हुए उसके पिता के सिर पर लाठी का वार किया था। यह अभिकथित किया गया है कि तत्पश्चात् सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने सूचनादाता के गोहाल में आग लगा दी थी जिसके परिणामत: गोहाल जलकर राख हो गया था। गांव वाले वहां पहुँचे थे एवं सूचनादाता के मवेशी को बचा लिया था। सूचनादाता को 2000/– रुपये की क्षति हुई थी।

उक्त सूचना के आधार पर, अपीलार्थीगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 324 तथा 435/34 के अधीन हंसडीहा पुलिस थाना केस सं॰ 68 दिनांक 23.12.1996 दर्ज किया गया था। पुलिस ने अन्वेषण के उपरान्त अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था जिसके उपरान्त अभियुक्त–अपीलार्थीगण के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 341, 323, 451 तथा 436 के अधीन संज्ञान लिया गया था एवं मामला सत्र न्यायालय भेज दिया गया था।

4. इस चरण में, यहां यह उल्लिखित करना समीचीन है कि अपीलार्थीगण में से एक भट्टू यादव की अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गयी थी तथा इस कारण दिनांक 16.1.2015 के आदेश से, अपील का उपशमन हो गया था, जहां तक अपीलार्थी भट्टू यादव का संबंध था।

5. अपीलार्थीगण का बचाव अभिकथित घटना में उनकी संलिप्तता से पूर्ण रूप से इनकार का था एवं उन्होंने भूमि विवाद के कारण झूठ मूठ आलिप्त किये जाने का भी दावा किया था।

6. अभियोजन ने अभियुक्त–अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर पांच गवाहों, अर्थात्, अ॰ सा॰ 1 नंद लाल यादव–सूचनादाता के पिता, अ॰ सा॰ 2 राजकिशोर यादव–सूचनादाता, अ॰ सा॰ 3–खिरिया देवी, सूचनादाता की पत्नी, अ॰ सा॰ 4 एवं अ॰ सा॰ 5, जो औपचारिक गवाह हैं, को परीक्षित किया था।

7. विचारण न्यायालय ने निर्दोषिता के अभिवाक् को अस्वीकार करते हुए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन पर उपरोक्त सभी अपीलार्थीगण के विरूद्ध दोष का निष्कर्ष अभिलिखित किया था तथा उन्हें उपरोक्त यथा कथित ढंग से दंडादेश सुनाया था।

8. अवर न्यायालय के निष्कर्षों की आलोचना करते हुए, अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता ने प्रबल रूप से तर्क दिया कि अ॰ सा॰ 1 एवं 2 के साक्ष्य की दृष्टि में, अपीलार्थीगण एक प्रतिकूल निर्णय के अधिकारी थे इस निर्णय से इतर जो उनके साथ किया गया है। यह भी तर्क दिया गया था कि गवाहों ने अपने साक्ष्य में कथित किया है कि कई सह–ग्रामीण घटना स्थल पर एकत्रित हो गये थे तथा सूचनादाता की गोहल एवं घर के निकट सह–ग्रामीणों के घर हैं परन्तु अभियोजन द्वारा कोई

स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नहीं किया गया है। अभिकथित रूप से प्रहार झेलने वाली सुमित्रा देवी की भी परीक्षा नहीं की गयी है तथा उसकी परीक्षा न करने का अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अन्वेषण पदाधिकारी की भी अपरीक्षा के विरूद्ध व्यथाएं उठायी गयी है क्योंकि अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा निकाले गये वस्तुपरक निष्कर्ष सामने नहीं आये हैं तथा यद्यपि फरसा एवं लाठी द्वारा प्रहार किये जाने का अभिकथन है, परंतु न तो उपहति रिपोर्ट अभिलेख पर लायी गयी है, न ही चिकित्सक की अभियोजन द्वारा न्यायालय में परीक्षा की गयी है जिसने घायल की जांच की थी। यह भी निवेदन किया गया था कि गवाहों के साक्ष्य में विरोधात्मकताएं हैं तथा घटना का ढंग का भी सूचनादाता के पिता द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। सूचनादाता भी उपहतियों के संबंध में सुसंगत नहीं है। अपीलार्थीगण को भूमि विवाद के कारण झूठ–मूठ फंसाया गया था, जिसे अ॰ सा॰ 1 द्वारा स्वीकार किया गया है। अतएव, मैं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण करना उपयुक्त समझता हूँ, जिन्हें अपीलार्थीगण के विरूद्ध दोष के निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अवर न्यायालय द्वारा विचार में लिया गया है।

9. अपने पूर्वतम् पक्ष को दोहराते हुए, जिसे सूचनादाता (अ॰ सा॰ 2) ने पुलिस के समक्ष रखा था, सूचनादाता यह भी कथित करता है कि बासुदेव यादव ने 40,000–50,000/– रुपये के बराबर क्षति कारित करते हुए गोहाल में आग लगा दी थी तथा सुमित्रा देवी के सिर पर लाठी से महादेव यादव द्वारा प्रहार किया गया था एवं जब गवाह ने विरोध किया था, बासुदेव यादव ने उसके सिर पर फरसा के पिछले हिस्से से वार किया था। सहदेव यादव ने भी उसपर तथा उसके पिता पर लाठी से वार किया था। बासुदेव यादव ने उसके पिता के हाथ पर फरसा से वार किया था। प्रतिपरीक्षा के दौरान, इस गवाह ने इससे इनकार किया है कि उसके पिता ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध कोई बंदोबस्ती मामला दर्ज किया था तथा उसने इससे भी इनकार किया है कि उस जमीन का पर्चा, जहां सूचनादाता के गोहाल तथा घर अवस्थित हैं, सूचनादाता के पिता तथा अपीलार्थीगण के नामों से संयुक्त रूप से निर्गत किया गया था। इस गवाह ने इसकी सम्पुष्टि की है कि उसने दरोगा के समक्ष कथन किया था कि आग के कारण, उसे 2,000/– रुपये की सीमा तक क्षति हुई है तथा जली हुई वस्तुएं दारोगा द्वारा जब्त कर ली गयी थीं। यहां पर, मैं फर्दबयान में दिये गये उसके पिछले बयान से इस गवाह के इस बयान में विरोधात्मकता निर्दिष्ट करूँगा। फर्दबयान में, उसने कथित किया था कि भट्टू यादव ने उसके पिता के सिर पर उपहति कारित करते हुए लाठी का वार किया था परन्तु न्यायालय में साक्ष्य में, इस गवाह ने कथित किया है कि बासुदेव यादव ने उसके पिता के हाथ पर फरसा से वार किया था।

10. अब अ॰ सा॰ 1 के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए, जो सूचनादाता का पिता है, गवाह ने कथित किया है कि उसे चिकित्सक द्वारा परीक्षित किया गया था एवं प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में, उसने कथित किया है कि विवादित भूमि के संबंध में दोनों पक्षकारों के नाम एक पर्चा निर्गत किया गया था तथा गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि बन्दोबस्ती न्यायालय में पक्षकारों के बीच एक भूमि विवाद है तथा यह कि उसने विवादित भूमि के संबंध में नामों के पृथक्करण के लिए बन्दोबस्ती न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। गवाह ने बचाव पक्ष द्वारा दिये गये इस सुझाव से इनकार किया था कि गर्मी प्राप्त करने के लिए उसके परिवार द्वारा इस्तेमाल की गयी आग के कारण उसका घर जल गया था क्योंकि उस समय जाड़े का मौसम था। प्रहार के संबंध में, गवाह ने कथित किया है कि महादेव यादव ने सुमित्रा के सिर पर फरसा का वार किया था परंतु गवाह का यह बयान फर्दबयान में लिये गये बयान से मेल नहीं खाता है जहां लाठी से लैस दर्शाये गये महादेव यादव ने सुमित्रा के सिर पर लाठी का वार किया था। अ॰ सा॰ 2 तथा इस गवाह की विश्वसनीयता की अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर आलोचना की गयी है कि उसी के द्वारा यह दर्शाया गया है कि एक सामान्य पर्चा दोनों पक्षकारों के नाम निर्गत किया गया

था एवं अ॰ सा॰ 1 ने बन्दोबस्ती पदाधिकारी के समक्ष एक मामला दाखिल किया था, जिससे अपने साक्ष्य में सूचनादाता द्वारा इनकार किया गया है। सूचनादाता अ॰ सा॰ 2 ने अपने साक्ष्य में यह भी कथित किया है कि उक्त गोहाल उसके आवासीय हिस्से का एक भाग था।

11. अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य में प्रवेश करने पर, मैं पाता हूँ कि इस गवाह, जो अ॰ सा॰ 2 की पत्नी है, का नाम कहीं पर भी एक चश्मदीद गवाह के तौर पर नहीं लिया गया था। तथापि, इस गवाह ने यह भी कथित किया है कि महादेव ने सुमित्रा पर फरसा से वार किया था तथा पैरा 5 में प्रतिपरीक्षा के दौरान, गवाह ने कथित किया है कि गोहाल उसके घर के दक्षिण में अवस्थित है तथा गोहाल में केवल एक कमरा है। उसने यह भी कथित किया है कि उसके घर तथा गोहाल पुआल के बने हुए हैं।

12. उपरोक्त परिचर्चा से, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि केवल परिवार के सदस्य अभियोजन पक्ष का समर्थन करने के लिए आगे आये हैं तथा अभियोजन द्वारा किसी स्वतंत्र गवाह, अर्थात्, सह-ग्रामीण की परीक्षा नहीं की गयी है।

13. अभियोजन द्वारा अन्वेषण पदाधिकारी को भी परीक्षित नहीं किया गया है तथा इसके लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गोहाल के पुआल से निर्मित उस हिस्से का कोई वर्णन नहीं है, जिसे कथित रूप से जला दिया गया है। अन्वेषण पदाधिकारी की अपरीक्षा के कारण न्यायालय में आगजनी की घटना दर्शाने वाला कोई वस्तुपरक साक्ष्य सिद्ध नहीं किया जा सका था। फर्दबयान में अभियोजन दावा करता है कि 2000/- रुपये की वस्तुएं जल गयी थीं परन्तु साक्ष्य में अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2 जैसे अभियोजन साक्षियों ने दावा किया है कि 40,000-50,000/- रुपये के बराबर वस्तुएं जल गयी हैं तथा गोहाल के मवेशी गांव वाले द्वारा बचा लिये गये थे परंतु, जैसा कि मैंने ऊपर कथित किया है, अभियोजन पक्ष का समर्थन करने के लिए अभियोजन द्वारा एक भी ग्रामीण की परीक्षा नहीं की गयी है। आगजनी के एक मामले में, घटना स्थल से एकत्रित वस्तुपरक साक्ष्य, साक्ष्य का अति महत्वपूर्ण टुकड़ा होता है इस घटना को सिद्ध करने के लिए कि वस्तुतः आगजनी हुई थी परंतु प्रस्तुत मामले में, अभियोजन के दावे का सम्पोषण करने के लिए जली हुई सामग्री जैसी कोई वस्तु जब्त नहीं की गयी है या न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गयी है। औपचारिक गवाह अ॰ सा॰ 4 ने इससे इनकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जब्त किया था। अभियोजन भी अ॰ सा॰ 1 नन्दलाल यादव या अ॰ सा॰ 2 सूचनादाता या एक अन्य घायल सुमित्रा देवी की कोई उपहति रिपोर्ट अभिलेख पर लाने में विफल रहा था तथा जिस चिकित्सक ने घायलों की परीक्षा की थी, अभियोजन द्वारा न्यायालय में उसे भी परीक्षित नहीं किया गया है। इस प्रकार, फरसा एवं लाठी द्वारा प्रहार किये जाने के अभिकथन का सम्पोषण करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य ही नहीं है।

14. स्वीकार्यतः, उस जमीन के संबंध में पक्षकारों के बीच एक विवाद है जिसपर गोहाल अवस्थित था परंतु भूमि विवाद के संबंध में अ॰ सा॰ 1 एवं अ॰ सा॰ 2, जो क्रमशः पिता एवं पुत्र हैं, के साक्ष्य में एक स्पष्ट विरोधात्मकता है। मामले पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता था अगर अन्वेषण पदाधिकारी की परीक्षा की गयी होती परंतु ऐसा न किये जाने से तथा अभियोजन द्वारा ऐसी अपरीक्षा का कोई स्पष्टीकरण न दिये जाने से, निश्चित रूप से बचाव पक्ष को प्रतिकूलता कारित हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उस जमीन का मालिक कौन था जिसपर गोहाल का निर्माण किया गया था। अन्वेषण पदाधिकारी की परीक्षा न होने से घटना स्थल स्पष्ट नहीं है तथा अभिकथित गोहाल में नुकसान की घटना भी, अगर कारित किया भी गया था, अटकलों का एक मामला रह जाता है। अभिलेख पर किसी उपहति रिपोर्ट का न होना भी अभियोजन मामले को संदिग्ध बनाता है। तीनों गवाहों के परिसाक्ष्य अकाट्य, विश्वसनीय एवं स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

15. इन परिस्थितियों में, इस समूचे अभियोजन वृत्तांत पर एक युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न होता है कि अपीलार्थीगण ने वास्तव में यथा अभिकथित आगजनी कारित की थी। मेरे विचार से, अभियोजन उस अपराध को सभी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है जिसका अपीलार्थीगण पर आरोप लगाया गया है तथा पूरी निष्पक्षता के साथ तीनों अपीलार्थीगण संदेह के लाभ के हकदार हैं तथा परिणामस्वरूप दोषमुक्त किये जाते हैं।

16. तद्नुसार, मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों एवं ऊपर की गयी परिचर्चाओं को सम्यक् रूप से ध्यान में रखने पर, अपील को सफल होना है। अपील एतद्द्वारा अनुज्ञात की जाती है एवं अपीलार्थीगण के विरूद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि का निर्णय तथा दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण, जो जमानत पर हैं, को उनके अपने अपने जमानत बंध पत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बोकारो इस्पात संयंत्र का प्रबंधन

cuke

ब्रह्मानंद बर्मन उर्फ बी॰ एन॰ बर्मन

Civil Review No. 32 of 2009. Decided on 12th November, 2014.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 47 नियम 1—उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का पुनर्विलोकन–याची केवल इस आधार पर पुनर्विलोकन इप्सित कर रहा है कि आक्षेपित आदेश याची के अधिवक्ता द्वारा दिए गए रियायत के आधार पर पारित किया गया है, एक तथ्य जो सही नहीं है और याची के अधिवक्ता द्वारा ऐसी रियायत नहीं दी गयी थी–निर्देश मामला में अधिनिर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है–एकल न्यायाधीश द्वारा सही प्रकार से रिट याचिका खारिज की गयी–पुनिर्विलोकन याचिका खारिज। (पैराएँ 7 से 10)

निर्णयज विधि.–AIR 1958 SC 398—Relied.

अधिवक्तागण.–Mr. Ananda Sen, For the Petitioner; Mr. B.B. Sinha, For the Respondent.

आदेश

डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 6175 वर्ष 2002 और डब्ल्यू॰ पी॰ (एल॰) सं॰ 6566 वर्ष 2002 में पारित दिनांक 22.9.2008 के आदेश का पुनर्विलोकन इप्सित करते हुए मेसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के बोकारो स्टील प्लान्ट के प्रबंधन द्वारा वर्तमान सिविल पुनर्विलोकन सं॰ 32 वर्ष 2009 दाखिल किया गया है।

2. याची–मेसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधन ने निर्देश केस सं॰ 14 वर्ष 1998 में दिनांक 25.2.2002 के अधिनिर्णय को चुनौती दिया जिसके द्वारा श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी कर्मकार, जिसके विरुद्ध डीजल की चोरी के लिए दांडिक मामला संस्थित किया गया था, को अधिनिर्णीत दंड उपांतरित कर दिया।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 22.9.2002 के आक्षेपित आदेश में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज रियायत सही नहीं है और याची के अधिवक्ता द्वारा ऐसी रियायत नहीं दी गयी थी। यह निवेदन किया गया है कि इस तथ्य की दृष्टि में डीजल की चोरी के लिए दांडिक मामला प्रत्यर्थी कर्मकार के विरुद्ध दर्ज किया गया था, कोई रियायत नहीं दी जा सकती थी। आगे, यह निवेदन किया गया है कि समुचित रूप से गठित विभागीय जाँच में याची के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया गया है और इसलिए, श्रम न्यायालय दंड की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।

4. समानांतर स्तंभ में, प्रत्यर्थी कर्मकार के विद्वान अधिवक्ता श्री बी॰ बी॰ सिन्हा ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी कर्मकार के विरुद्ध दर्ज दांडिक मामला कर्मकार की दोषमुक्ति में समाप्त हुआ। दिनांक 7.4.1986 की जाँच रिपोर्ट इंगित करती है कि गवाहों ने संपुष्ट किया कि बी॰ एस॰ एल॰ डोजर के टैंक में ही डीजल के शेष का स्तर अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था। विभाग द्वारा परीक्षण किए गए गवाहों ने भी केवल 40 लीटर डीजल की चोरी अभिकथित किया। अन्य गवाहों ने स्वीकार किया है कि उन्हें अन्य से चोरी की जानकारी मिली और वे घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। प्रत्यर्थी कर्मकार के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जाँच रिपोर्ट ने निष्कर्षित किया कि चोरी का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है जो निश्चय ही जाँच अधिकारी द्वारा की गयी गंभीर गलती है। पुनर्विलोकन याचिका की ओट में याची गुणागुण पर अधिनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकता है।

5. याची ने दिनांक 22.9.2008 के आक्षेपित आदेश का पुनर्विलोकन केवल इस आधार पर इप्सित किया है कि आक्षेपित आदेश याची के अधिवक्ता द्वारा रियायत के आधार पर पारित किया गया है, एक तथ्य जो सही नहीं है और याची के अधिवक्ता द्वारा ऐसी रियायत नहीं दी गयी थी।

6. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, मैं पाता हूँ कि प्रत्यर्थी कर्मकार के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किया गया था:–

> *^^;g fjikV fd;k x;k g fd fnukd 23.11.1985 dk tc vkidk Mkt j l0 22 ij rukr fd;k x;k Fkk] vkidk lk; yxHkx 7 ct Vh0 ih0 ih0 d0 dky gMfyx lykV ,fj;k e lh0 vkb0 ,l0 ,Q0 dfe;k }kjk jftLV'ku l0 7851 oky çkboV Vd d pkyd fdlh dey'k flg d lkFk idMk x;k Fkk tc vki mDr Mkt j l gkt ikbi dh enn l Mhty fudky jg Fk vkj mDr çkboV Vd e Hkj jg FkA*
>
> *;g vkidh vkj l vopkj dk ÑR; gA***

7. आरोप–पत्र का परिशीलन उपदर्शित करता है कि आरोप पत्र में डीजल की अभिकथित चोरी की मात्रा उल्लिखित नहीं की गयी है। अभिकथित चोरी के पहले डोजर सं॰ 22 में डीजल की माप अभिलेख पर नहीं लायी गयी है। जाँच रिपोर्ट प्रकट करता है कि टैंकर में डीजल की माप नहीं ली गयी थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी कर्मकार के विरुद्ध विरचित डीजल की चोरी का आरोप अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकृति के मामले में चोरी का आरोप परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी कर्मकार ने लगभग 28 वर्षों तक याची कंपनी को सेवा दिया और प्रबंधन द्वारा उसके आचरण की सराहना की गयी थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि जी॰ आर॰ केस सं॰ 1129B/85 का अंत दिनांक 2.12.1989 के आदेश के तहत प्रत्यर्थी कर्मकार की दोषमुक्ति में हुआ है। इन तथ्यों में, दिनांक 25.2.2002 का अधिनिर्णय विधि का संवीक्षण संपोषित नहीं कर सकता है जहाँ तक दंड की मात्रा में हस्तक्षेप का संबंध है किंतु, यहाँ ऊपर गौर किए गए तथ्यों की दृष्टि में मेरा मत है कि निर्देश केस सं॰ 14 वर्ष 1998 में दिनांक 25.2.2002 के अधिनिर्णय में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही प्रकार से रिट याचिका खारिज की गयी थी।

8. ''नागेन्द्र नाथ बोरा एवं एक अन्य बनाम कमिश्नर ऑफ हिल्स डिविजन, एन्ड अपील, असम एवं अन्य,'' AIR 1958 SC 398, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ''उच्चतर न्यायालय द्वारा विधि अथवा तथ्य की प्रत्येक गलती सुधारी नहीं जा सकती है। मात्र औपचारिक अथवा तकनीकी गलती, भले ही यह विधि की हो, उत्प्रेषण के उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।''

9. मेरे द्वारा दर्ज निष्कर्ष की दृष्टि में, क्या याची के अधिवक्ता ने कोई रियायत दिया था या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

10. परिणामस्वरुप, पुनर्विलोकन याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vferko dekj xIrk] U;k;efr

विजय कुमार

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 277 of 2011. Decided on 14th November, 2014.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 159 एवं 160—धारा 159 विहित करती है कि दंगा का अपराध गठित करने के लिए तीन अवयव आवश्यक हैं: प्रथमतः दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच झगड़ा अथवा हाथा पाई होना चाहिए; द्वितीयतः हाथा पाई सार्वजनिक स्थान पर होनी चाहिए, यह अंतर्निहित है कि अवयवों में से किसी एक की अनुपस्थिति भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन अपराध गठित नहीं करेगी—घटना यदुवीर झा की दुकान में हुई किंतु घटनास्थल के वर्णन के मुताबिक एक-दूसरे से सटे अनेक दुकान हैं और काफी लोग दुकानों में आते-जाते हैं—अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि याची हमलावर नहीं था बल्कि दो छात्र हमलावर थे और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार थे, न कि याची—गवाहों के बयानों ने प्रकट किया कि याची ने मामला शांत करने के लिए मध्यक्षेप किया था—अपने साथी दुकानदार की मदद के लिए ताकि उसे बचाया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, आगे आना पड़ोसी का स्वाभाविक आचरण है—तात्विक तथ्य दर्शाते हैं कि दोनों छात्र हमलावर थे और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याची ने स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अथवा उनको डराने के लिए अपना लाइसेंसशुदा पिस्तौल दिखाया—विचारण न्यायालय ने अपनी संतुष्टि के लिए उपलब्ध तात्विक तथ्यों पर चर्चा नहीं किया है कि याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसके विपरीत इसने केवल यह कथन करके आवेदन अस्वीकार कर दिया है कि समन मामले में धारा 239 के अधीन आवेदन पोषणीय नहीं है—अभिनिर्धारित, याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए सामग्री नहीं है—आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन अपराध से उन्मोचित किया गया—पुनरीक्षण अनुज्ञात। (पैराएँ 7 से 9)

अधिवक्तागण.—M/s Manoj Tandon, N.K. Singh, Shiv Shankar, For the Petitioner; Mr. A.K. Sinha, For the State.

आदेश

वर्तमान आवेदन जी॰ आर॰ सं॰ 4999/2008 (डोरंडा पी॰ एस॰ केस सं॰ 423/2008) में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 29.10.2010 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 सह-पठित धारा 258 के अधीन याची द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची को दंगा करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन अपराध के लिए आरोप-पत्रित किया गया था और दंगा को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 159 के अधीन परिभाषित किया गया है; यह प्रतिवाद किया गया है कि दंगा का अपराध गठित करने के लिए अवयव नहीं बनाए गए है; कि प्राथमिकी और पुलिस कागजातों में संग्रहित साक्ष्य का परिशीलन दर्शाएगा कि किसी यदुवीर झा की दुकान से स्टेशनरी खरीदने दो छात्र आए थे और छात्रों ने उधार पर कॉपी-किताब देने पर जोर दिया किंतु दुकानदार ने इनकार कर दिया और उनको पिछला बकाया देने के लिए कहा जिस पर दोनों छात्र चिल्लाने लगे और याची पड़ोसी होने के नाते आया और मामला शांत कराने का प्रयास किया और छात्रों को समझाया किंतु वे आक्रामक हो गए और सार्वजनिक उपद्रव किया और याची ने उनको डराने के लिए पिस्तौल निकाला। कि घटना सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुई थी बल्कि यह दुकान परिसर के भीतर हुई थी। इस प्रकार, दिए गए तथ्यों में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन अपराध आकृष्ट करने के लिए याची के विरुद्ध अवयव नहीं बनते हैं क्योंकि शांति भंग करने के लिए दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच झगड़ा होना होगा किंतु यह दर्शाने के लिए सामग्री नहीं है कि याची ने सार्वजनिक शांति भंग करते हुए किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा किया था। कि याची के पास पिस्तौल का वैध लाइसेंस था और विचारण न्यायालय ने तात्विक तथ्यों का अधिमूल्यन किए बिना अवैध रूप से उन्मोचन आवेदन अस्वीकार कर दिया है।

3. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रतिवाद किया कि आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 258 के अधीन विचारणीय समन मामले में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 के अधीन उन्मोचन का प्रावधान नहीं है।

4. अधिवक्ताओं के निवेदनों के अधिमूल्यन के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 159 एवं धारा 160 के प्रावधान को निर्दिष्ट करना उपयुक्त है जिसका पठन निम्नलिखित है:-

*"159. **nxk-**& tcfd nk ;k vfèkd 0;fDr ykdLFkku e yMdj ykd 'kkfr e fo?u Mkyr g] rc ;g dgk tkrk g fd o ^^nxk djr g**A*

*160. **nxk dju d fy, n.M-**& tk dkb nxk djxk] og nkuk e l fdlh Hkkfr d dkjkokl l] ftldh vofèk ,d ekl rd dh gk ldxh] ;k teku l] tk ,d lk #i, rd dk gk ldxk] ;k nkuk l] nf.Mr fd;k tk,xkA***

5. यह गौर किया गया है कि धारा 159 विहित करती है कि दंगा का अपराध गठित करने के लिए तीन अवयव आवश्यक हैं, प्रथमत:, झगड़ा अथवा हाथापाई दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच होनी होगी; द्वितीयत: हाथापाई सार्वजनिक स्थान पर होनी होगी और तृतीयत: ऐसी हाथापाई से लोक शांति का भंग होना होगा। यह अंतर्निहित है कि अवयवों में से किसी की अनुपस्थिति भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन अपराध गठित नहीं करेगी।

6. केस डायरी में सामग्रियों का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि यदुवीर झा 'बुक्स एन्ड मैगजीन कॉर्नर' दुकान का स्वामी है जो याची की दुकान के बगल में है जिसकी दवा की दुकान है। नि:संदेह घटना यदुवीर झा की दुकान में हुई थी किंतु घटनास्थल के वर्णन के मुताबिक एक-दूसरे से सटी दुकानें हैं और अनेक लोग वहाँ आते-जाते रहते हैं। यदुवीर झा ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 161 के अधीन अपने बयान में पैरा 10 पर कथन किया है कि दो छात्र उसकी दुकान में आए और उधार पर कॉपी मांगा और

जब उसने उनको 25/- रुपया बकाया का भुगतान करने को कहा, उन्होंने बकाया भुगतान करने से इनकार कर दिया और मांग किया कि उनको उधार पर कापी की आपूर्ति की जाए और इनकार करने पर वे आक्रामक हो गए जिस पर याची ने मध्यक्षेप किया किंतु दोनों छात्र अड़े रहे और चिल्लाने लगे जिस पर याची ने छात्रों को डराने के लिए अपना पिस्तौल निकाला था जिसके बाद दोनों छात्र भाग गए। पैराओं 11, 12, 13 एवं 14 में गवाहों द्वारा इसका समर्थन किया गया है जो दुकानदार अथवा ग्राहक हैं। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के मुताबिक याची ने अपना आयुध लाइसेंस प्रस्तुत किया था जिसे पुलिस द्वारा सत्यापित किया गया था और सही पाया गया था।

7. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि याची हमलावर नहीं था बल्कि दोनों छात्र हमलावर थे और सार्वजनिक शांति भंग करने के जिम्मेदार थे। गवाहों का बयान प्रकट करता है कि याची ने मामला शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया था। अपने साथी दुकानदार की मदद करने के लिए, ताकि उसे बचाया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, आगे आना पड़ोसी का स्वाभाविक आचरण है। तात्विक तथ्य दर्शाते हैं कि दोनों छात्र हमलावर थे और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि याची ने स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अथवा उनको डराने के लिए अपना लाइसेंसी पिस्तौल दिखाया था।

8. यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपनी संतुष्टि दर्ज करने के लिए उपलब्ध तात्विक तथ्यों पर चर्चा नहीं किया है कि याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन अपराध के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके विपरीत, इसने मात्र यह कथन करके आवेदन अस्वीकार कर दिया है कि समन मामले में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 239 के अधीन आवेदन पोषणीय नहीं है।

9. सामग्रियों के मुताबिक चर्चा की दृष्टि में याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए अवयव नहीं है; इस प्रकार, आक्षेपित आदेश तथ्यों पर एवं विधि में संपोषणीय नहीं है और एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। तद्नुसार, याची को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 160 के अधीन अपराध से उन्मोचित किया जाता है।

परिणामस्वरुप, पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

गंडूर भगत उर्फ गदूर भगत एवं अन्य (1215 में)

सुरेश मेनन (1187 में)

पीटर मुर्मु (1221 में)

जितेन्द्र सिंह (9 में)

मो॰ कलामुद्दीन उर्फ मो॰ कमालुद्दीन (45 में)

cuke

झारखंड राज्य (सभी में)

Cr. Rev. No. 1215, 1187, 1221 of 2013 with 9, 45 of 2014. Decided on 15th December, 2014.

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 30—स्वयं एवं अन्य सह-अभियुक्तगण को आलिप्त करते हुए सह-अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा स्वीकरण किंतु ऐसे इकबालिया

बयान को सिद्ध करना होगा और इसे तब दिया जाता है जब सह-अभियुक्त आरोपित किया गया है और वह अभियुक्त के साथ विचारण का सामना कर रहा है–ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में केवल तब मानी जा सकती है जब इसे सिद्ध किया जाता है, अ॰ सा॰ 1 के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त का संस्वीकरण दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज नहीं किया गया था और न ही यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य लाया गया है कि ऐसा बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 281 के प्रावधानों के निबंधनानुसार दर्ज किया गया था। (पैरा 10)

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 397—अपील की खारिजी के विरुद्ध पुनरीक्षण–विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि–चुराये गए वाहनों की खरीद, नकली दस्तावेजों को तैयार किया जाना–चुराए गए वाहनों की जब्ती डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय द्वारा पूर्व स्वामियों से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना अन्य व्यक्ति के नाम में अंतरित पायी गयी–अ॰ सा॰ 1 पुलिस अधिकारी ने अपने प्रति परीक्षण के दौरान स्वीकार किया कि वह नहीं जानता था कि वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से फॉर्म आवश्यक है अथवा किस फॉर्म पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसने स्वीकार किया कि उसने डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय से संपर्क नहीं किया था और दर्ज नहीं किया था कि कौन उक्त वाहनों का पूर्व स्वामी था और जब्त वाहनों का प्रासंगिक कागजात दर्शाया नहीं गया था अथवा अभिग्रहण सूची में जब्त नहीं दर्शाया गया था–याचीगण दोषमुक्त किए गए क्योंकि अभियोजन उनके विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 166 एवं 167 के अधीन आरोप स्थापित करने में विफल रहा। (पैराएँ 10, 11 एवं 19)

(ग) दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा संस्वीकृति–अभियुक्त के इकबालिया बयान में याचीगण के नामों का पता चला है–इसे प्रमाणित करने के लिए अभियोजन द्वारा अभिलेख पर सामग्री नहीं लायी गयी कि बयान विधि के प्रावधानों के अनुरुप दर्ज किया गया था ताकि इसे सह-अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य बनाया जा सके–अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अभिलेख पर निर्णयकारी साक्ष्य लाने में विफल रहा, तद्नुसार याचीगण को निर्दोष अभिनिर्धारित किया गया और समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया–याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 17 से 23)

अधिवक्तागण.–M/s Anil Kumar (in 1221,1215), Ramesh Mani Pathak, Dinesh Kumar, Pravind Kr. Pandey, Mel Prakash Tirkey, Arun Kr. Pandey, Adv. (in 1187), Dilip Kr. Karmakar, (in 9), A.K. Sahani (in 45), For the Petitioners; M/s Shiv Kumar Sharma (in 1215), V.K. Gupta (in 1187), P.K. Appu, (in 1221, 45), Priyadarshi (in 9), For the State.

आदेश

समस्त पुनरीक्षण आवेदन दांडिक अपील सं॰ 63 वर्ष 2013, दांडिक अपील सं॰ 50 वर्ष 2013/ 71 वर्ष 2013, दांडिक अपील सं॰ 72 वर्ष 2013, दांडिक अपील सं॰ 66 वर्ष 2013 में विद्वान प्रमुख सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 9.12.2013 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित हैं जिसके द्वारा याचीगण द्वारा दाखिल अपीलें खारिज कर दी गयी हैं और जी॰ आर॰ केस सं॰ 2501 वर्ष 2002 में न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश मान्य ठहराया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन मामला यह है कि सूचक सोनारी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने लिखित सूचना में अभिकथित किया कि सोनारी पी॰ एस॰ के अधीन तीन वाहनों रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 16K 8010 वाला टाटा सूमो, रजिस्ट्रेशन सं॰ BR1P 6149 वाला मार्शल जीप एवं रजिस्ट्रेशन सं॰ BR 1116M-0450 वाला सैन्ट्रो कार चुराया गया था जिसके लिए मामला संस्थित किया गया है। इसके

अतिरिक्त, शहर के अनेक क्षेत्रों से भी अन्य वाहनों को चुराया गया था और आरक्षी अधीक्षक के निर्देश के मुताबिक अनेक पुलिस कर्मियों से गठित टास्क फोर्स गठित किया गया था जिसकी अध्यक्षता डी॰ एस॰ पी॰ द्वारा की गयी थी जिसके बाद अन्वेषण आरंभ किया गया था। अन्वेषण के क्रम में अभियुक्त अनिल शर्मा ने प्रकट किया कि अभियुक्त रमेश पटनायक उर्फ बड़ा बाबू कुछ चुराए गए वाहनों को खरीदने के लिए कटक से जमशेदपुर आ रहा था। उक्त सूचना पर, रमेश पटनायक गिरफ्तार किया गया था और उसने प्रकट किया कि वह किसी चुराए गए मार्शल वाहन को खरीदने आया था और उसने अपने सहयोगियों अर्थात् जितेन्द्र सिंह, लालजी शर्मा, सुरेश कुमार मेनन, मो॰ कलामुद्दीन का नाम भी प्रकट किया। उसने प्रकट किया कि वे वाहनों का नकली दस्तावेज तैयार करते थे जिसके बाद कूटरचित एवं नकली दस्तावेजों के आधार पर चुराए गए वाहनों को बेचा जाता था। उसने पुलिस को बताया कि फरीद खान, अनिल शर्मा एवं साझे उर्फ वी॰ आई॰ पी॰ ने चुराए गए वाहनों को खरीदा था और जिला परिवहन कार्यालय एवं इसके अधिकारियों की मौनानुकूलता से वाहनों का नकली दस्तावेज तैयार किया जाता था। उसने प्रकट किया कि नकली रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उसके एवं उसके सहयोगियों द्वारा वाहन बेचे गए हैं। लिखित सूचना में यह उल्लिखित किया गया है कि इस मामले में अन्वेषण टीम द्वारा अनेक चुराए गए वाहनों को जब्त किया गया था जिन्हें पूर्व स्वामियों से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय, जमशेदपुर द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पर अंतरित किया गया पाया गया था। सूचक ने उल्लेख किया है कि अभियुक्त रमेश पटनायक ने अपने सहयोगियों के साथ चुराए गए वाहनों को खरीदा और नकली स्वामित्व पुस्तक भी तैयार किया और इन्हें विभिन्न व्यक्तियों को बेचा।

3. सूचना के आधार पर मामला संस्थित किया गया था और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 471, 420, 414 एवं 120B के अधीन याचीगण सुरेश मेनन, जितेन्द्र सिंह एवं मो॰ कलामुद्दीन तथा अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। याचीगण गंडूर भगत एवं पीटर मुर्मु के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 166 एवं 167 के अधीन पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। संज्ञान लेने के बाद, आरोप विरचित किया गया था और विचारण के समापन पर दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उनके बयानों को दर्ज किया गया था। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री के आधार पर याचीगण मो॰ कलामुद्दीन, जितेन्द्र सिंह, लालजी शर्मा एवं सुरेश मेनन को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 467, 468, 471, 420 के अधीन आरोपों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और तीन वर्षों का सामान्य कारावास भुगतने का और 10,000/- रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। उन्हें भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 120B के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया था और एक वर्ष का कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। याची जितेन्द्र सिंह को धारा 414 के अधीन अपराध के लिए भी दोषी पाया गया था और दोषसिद्ध किया गया था और तीन वर्षों का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। याचीगण गंडूर भगत उर्फ गदूर भगत एवं पीटर मुर्मु को भी भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 166 एवं 167 के अधीन अपराध के लिए दोषी पाया गया था और दोषसिद्ध किया गया था और पूर्वोक्त आरोप के अधीन क्रमशः एक वर्ष एवं तीन वर्ष तक सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। अपील किए जाने पर सत्र न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा दोषसिद्धि का आदेश एवं दंडादेश अभिपुष्ट किया है।

4. याचीगण गंडूर भगत एवं पीटर मुर्मु के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचीगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 166 एवं 167 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है। कि याचीगण के विरुद्ध अभिकथन झूठे एवं द्वेषपूर्ण हैं, कि अ॰ सा॰ 1, अनिल गुप्ता, पुलिस इंस्पेक्टर, ने कथन

किया कि दिनांक 23.12.2002 को वह प्रभारी अधिकारी के रूप में सोनारी पुलिस थाना में पदस्थापित था और उक्त तिथि पर उसने जमशेदपुर में विभिन्न स्थानों से वाहनों की चोरी के संबंध में लिखित रिपोर्ट तैयार किया है और अभियुक्त रमेश पटनायक के बयान के आधार पर वाहनों को जब्त किया है। अ० सा० 1 ने निवेदन किया है कि अभियुक्त ने जिला परिवहन कार्यालय के कर्मचारी अथवा अधिकारी का नाम प्रकट नहीं किया था; कि अ० सा० 2 अनिल पटेल, अ० सा० 3 राजेश कुमार साहू एवं अ० सा० 4 सरजू प्रसाद अभिग्रहण सूची गवाह हैं और उन्होंने मात्र अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि अपीलीय एवं विचारण न्यायालय यह अधिमूल्यन करने में विफल रहे हैं कि याचीगण को प्राथमिकी में नामित नहीं किया गया था; न ही याचीगण के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था; कि भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा० दं० सं०') की धाराओं 166 एवं 167 के अधीन अपराध के लिए याचीगण के विरुद्ध बाद में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। यह प्रतिवाद किया गया है कि वर्तमान मामले में भा० दं० सं० की धाराओं 166 एवं 167 के अधीन अपराध के अवयवों की कमी है क्योंकि न तो अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण किया गया है और न ही अभिकथन कि याची ने किसी सक्षम उच्चतर प्राधिकारी द्वारा जारी विधि के किसी आदेश अथवा नियम अथवा निर्देश का उल्लंघन किया था जब वे जिला परिवहन कार्यालय मे लिपिक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा अभिलेख पर कोई सामग्री अथवा दस्तावेज अथवा आदेश लाया गया है।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि भले ही तर्क के लिए यह उपधारित किया जाता है कि मोटर यान अधिनियम की धाराओं 48 एवं 50 का उल्लंघन हुआ था, तब धारा 50 का प्रावधान प्रावधानित करता है कि स्वामित्व के अंतरण का दो ढंग है–एक अंतरक अर्थात् वाहन स्वामी द्वारा और दूसरा उक्त वाहन के अंतरिती द्वारा और वर्तमान मामले में यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद नहीं है कि इस याची ने मोटर यान अधिनियम के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया था अथवा इनके विरुद्ध कृत्य किया था।

6. यह तर्क किया गया है कि मोटर यान अधिनियम उक्त अधिनियम के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दंड प्रावधानित करता है और मोटर यान अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान के उल्लंघन के लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 177 के अधीन दंड विहित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि एकमात्र दस्तावेज जिसे अभियोजन द्वारा लाया गया है प्रदर्श 3 है जो बरुन कुमार सिंह के नाम में बोलेरो वाहन OR4C 3763 का स्वामी पुस्तक है जिसका परीक्षण अ० सा० 14 के रूप में किया गया है और जिसने कहीं पर यह कथन नहीं किया है कि उसकी उपस्थिति में याची गंडूर भगत द्वारा हस्ताक्षर किया गया था बल्कि उसने कथन किया है कि उसने जिला परिवहन कार्यालय, जमशेदपुर से वाहन के कागजातों का सत्यापन किया था और दस्तावेजों को सही और क्रमवार पाया था। यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए 14 गवाहों में से किसी भी गवाह ने अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि याचीगण ने किसी आदेश अथवा विधि के निर्देश के उल्लंघन में दस्तावेजों को तैयार किया था। भले ही तर्क के लाभ के लिए प्रदर्श 3 पर हस्ताक्षर याचीगण द्वारा किया गया उपधारित किया जाता है, तब यह सिद्ध करना अभियोजन का कर्तव्य था कि उक्त स्वामित्व पुस्तिका कूटरचित अथवा मनगढ़ंत थी अथवा इसे मोटर यान अधिनियम के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना तैयार किया गया था। कि विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने मात्र उपधारणा, अटकल एवं अनुमान पर आक्षेपित आदेश पारित किया है। यह इंगित किया गया है कि अ० सा० 1 सूचक अन्वेषण अधिकारी नहीं है और उसने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने वाहनों की चोरी के संबंध में सत्यापन के लिए आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के कार्यालयों का दौरा किया था। कि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया गया है अथवा याचीगण की सह-अपराधिता दर्शाने के लिए अभिलेख

पर कोई सामग्री प्रस्तुत किया गया है और अन्वेषण अधिकारी के गैर परीक्षण ने याचीगण के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

7. याचीगण अर्थात् सुरेश मेनन, जितेन्द्र सिंह एवं मो॰ कलामुद्दीन उर्फ कमालुद्दीन के विद्वान अधिवक्ता ने याचीगण गंडूर भगत एवं पीटर मुर्मू की ओर से किए गए तर्क को अपनाते हुए आगे निवेदन किया है कि याचीगण को रजिस्ट्रेशन सं॰ JH05C 4691 वाले इंडिका कार की बरामदगी के कारण दोषसिद्ध किया गया है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने अ॰ सा॰ 11 के अभिसाक्ष्य के पैरा 2 एवं 6 की ओर ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि उक्त वाहन दिनांक 24.12.2002 को पुलिस द्वारा खड़काई पुल के निकट जब्त किया गया था किंतु बाद में उसने पैरा 6 में अभिसाक्ष्य दिया है कि उक्त वाहन प्रदर्श 1/1 के तहत अ॰ सा॰ 11 के घर के सामने पुलिस द्वारा जब्त किया गया था। कि अभिग्रहण सूची से यह स्पष्ट होगा कि इसे दिनांक 23.12.2002 को प्रातः 9 बजे तैयार किया गया था और जब्ती का स्थान किसी सज्जन कुमार पासवान के घर के सामने आर॰ आई॰ टी॰ परिसर के रूप में उल्लिखित किया गया था; कि यदि अ॰ सा॰ 11 के अभिसाक्ष्य पर विश्वास किया जाता है, तब यह स्पष्ट होगा कि अ॰ सा॰ 11 को पुलिस द्वारा दिनांक 24.12.2002 को बुलाया गया था जबकि अभिग्रहण सूची पहले ही दिनांक 23.12.2002 को तैयार की गयी थी जो अभियोजन मामले की सत्यता के प्रति संदेह सृजित करता है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि अ॰ सा॰ 6, अभिग्रहण सूची गवाह, अरुण कुमार ने परिसाक्ष्य दिया है कि उसने सोनारी पुलिस थाना में हस्ताक्षर किया था। अ॰ सा॰ 7 रंजीत कुमार ने मात्र यह कथन किया है कि उसने आर॰ आई॰ टी॰, जमशेदपुर में अपना हस्ताक्षर किया था। यह निवेदन किया गया है कि अभियुक्त रमेश पटनायक के इकबालिया बयान के आधार पर याची को अभियुक्त बनाया गया है और याचीगण की सह-अपराधिता को दर्शाने के लिए कोई सामग्री नहीं है। अ॰ सा॰ 7 ने अपने मुख्य परीक्षण में पैरा 2 में कथन किया है कि सोनारी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी ने दिनांक 23.12.2002 को अभिग्रहण सूची पर उसका हस्ताक्षर प्राप्त किया था। यह आग्रह भी किया गया है कि कूटरचना का अपराध नहीं बनता है क्योंकि यह सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य नहीं लाया गया है कि उक्त दस्तावेज कूटरचित अथवा मनगढ़ंत थे न ही गवाहों में से किसी ने कथन किया है कि इन याचीगण ने कागजातों की कूटरचना की थी। विद्वान अधिवक्ता ने **मो॰ इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2009)3 SCC (Cri)929,** मामले को उद्धृत किया है और निवेदन किया है कि धाराओं 467, 468 एवं 471 के अधीन अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को दायी अभिनिर्धारित करने के लिए यह आवश्यक है कि कूटरचना के अवयवों जैसा धारा 464 के अधीन परिभाषित किया गया है को परिपूर्ण किया जाना चाहिए और वर्तमान मामले में प्रथमतः यह दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं है कि ये याचीगण किसी कूटरचित दस्तावेज के लेखक थे और यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लायी गयी है कि उन्होंने किसी व्यक्ति के साथ छल किया था अथवा उसको हानि अथवा उपहति कारित किया था; कि गवाहों में से किसी ने अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि इन याचीगण ने किसी व्यक्ति को कोई बहुमूल्य प्रतिभूति अथवा संपत्ति देने के लिए किसी तरीके से प्रवंचित अथवा प्रेरित किया था अथवा उनके कृत्य अथवा लोप ने किसी व्यक्ति को नुकसान अथवा हानि कारित किया है। अभिलेख पर इसका साक्ष्य मौजूद नहीं है कि याचीगण ने उक्त अपराध करने के लिए दांडिक षडयन्त्र किया था।

8. दूसरी ओर, विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ ने प्रतिवाद किया है कि अ॰ सा॰ 1 सूचक के परिसाक्ष्य के परिशीलन से यह स्पष्ट होगा जिसने कथन किया है कि इन याचीगण के कब्जा से अनेक चुराए गए वाहनों को बरामद किया गया था। यह निवेदन भी किया गया है कि अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है कि याचीगण कूटरचित दस्तावेजों को गढ़ने में एवं निर्मित करने में अंतर्ग्रस्त थे जिनके आधार पर वाहनों को बेचा गया था; कि अभिग्रहण सूची गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 2, 3, 4, 6, 7 एवं 12 चुराए गए वाहनों और कूटरचित दस्तावेजों की जब्ती के गवाह हैं। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि अ॰ सा॰ 5 ने परिसाक्ष्य दिया है

कि उसके पिता ने अभियुक्त रमेश पटनायक से 2,90,000/- रुपया में इंडिका कार खरीदा और बाद में पता चला था कि उक्त वाहन चोरी का था। अ॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि उसके द्वारा रमेश पटनायक को गिरफ्तार किया था और उससे अनेक तालों, ड्राइविंग लाइसेंसों, कार की चाबी और अन्य दस्तावेजों को जब्त किया गया था और रमेश पटनायक ने प्रकट किया था कि चुराए गए वाहनों को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लाया गया था और अनेक व्यक्तियों को बेचा गया था और ये याचीगण गैंग के सदस्य थे जिसका सरदार रमेश पटनायक था और उन सबों ने दांडिक षडयंत्र करके अभिकथित चुराए गए वाहनों को बेचा था। यह प्रतिवाद भी किया गया है कि याचीगण गंडूर भगत, पीटर मुर्मू, डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय, जमशेदपुर के कर्मचारी थे और उन्होंने याचीगण के साथ दुरभिसंधि किया और अधिनियम की धाराओं 48 एवं 50 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना रजिस्ट्रेशन एवं स्वामी पुस्तक जारी किया।

9. विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों को सुनने पर एवं आक्षेपित निर्णय एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन करने पर, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय ने अ॰ सा॰ 1 अनिल कुमार गुप्ता, सूचक के साक्ष्य पर विश्वास किया है जो शहर में वाहनों की चोरी के मामलों के अन्वेषण के लिए डिप्टी एस॰ पी॰ के नेतृत्व के अधीन एस॰ पी॰ द्वारा गठित टास्क फोर्स का सदस्य था। प्राथमिकी से, यह प्रकट किया गया है कि कोई अनिल शर्मा जो दिनांक 27.6.2002 के टेल्को पी॰ एस॰ केस सं॰ 141 वर्ष 2002 में अभियुक्त था से परिप्रश्न पूछा गया था और उसने प्रकट किया कि सोनू और सामू उर्फ वी॰ आई॰ पी॰ और रमेश पटनायक ने चुराए गए वाहनों को बेचने के लिए कूटरचित कागजातों को तैयार किया। अ॰ सा॰ 1 ने कथन किया कि अनिल शर्मा ने चुराए गए वाहनों को खरीदने के लिए रमेश पटनायक के कटक से जमशेदपुर आने के बारे में सूचित किया जिसके बाद रमेश पटनायक को गिरफ्तार किया गया था और उसने प्रकट किया कि वह मार्शल वाहन खरीदने आया था जिसे सोनू उर्फ देव कुमार घोष उर्फ फरीद खान और सोनू उर्फ वी॰ आई॰ पी॰ द्वारा चुराया गया था। अ॰ सा॰ 1 का परिसाक्ष्य यह है कि रमेश पटनायक ने उसको बताया कि दो चुराए गए बोलेरो वाहन जितेन्द्र सिंह के दरवाजा पर पड़े थे और वह कूटरचित कागजातों को लाया था। कि रमेश पटनायक के कब्जा से अ॰ सा॰ 4 और महावीर साहू की उपस्थिति में दो नकली स्वामी पुस्तिका, दो मोबाइल फोन एवं वाहनों की अनेक चाबियाँ तथा रबर स्टाम्प जब्त किया गया था जो प्रदर्श 1 हैं। कि रमेश पटनायक ने यह भी प्रकट किया कि नकली रजिस्ट्रेशन कागजातों को तैयार करने के लिए और चुराए गए वाहनों को बेचने के लिए वह जितेन्द्र सिंह, लालजी शर्मा, मो॰ कलीमुद्दीन और सुरेश कुमार मेनन की सेवा लिया करता था। कि झूठे रजिस्ट्रेशन सं॰ JH-05C-469 वाली एक इंडिका अ॰ सा॰ 11 सज्जन कुमार पासवान को तीन लाख रुपयों के लिए बेची गयी थी और उक्त वाहन प्रदर्श 1/1 के मुताबिक गवाहों अ॰ सा॰ 6 अरुण कुमार एवं अ॰ सा॰ 7 रंजीत पासवान की उपस्थिति में जब्त किया गया था। कि रमेश पटनायक ने इंडिका कार सं॰ JH-05C- 4692 अपने एजेन्ट सुरेश मेनन के माध्यम से राम अवतार उपाध्याय को बेचा जिसे प्रदर्श 1/2 के मुताबिक अ॰ सा॰ 5 सुभाष यादव एवं मुकेश प्रसाद की उपस्थिति में जब्त किया गया था। कि रमेश पटनायक ने यह भी प्रकट किया कि रजिस्ट्रेशन सं॰ JH-09A-6907 वाली एक जीप एजेन्ट कलीमुद्दीन के माध्यम से बेची गयी थी। कि विक्रय धन का आगम एवं बोलेरो जितेन्द्र सिंह के दरवाजा पर पड़ा था और जब्त किया गया था जिसके लिए सोनारी पी॰ एस॰ केस सं॰ 91 वर्ष 2002 एवं 96 वर्ष 2002 दर्ज किया गया था। कि उसने डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय से वाहनों का स्वामित्व सत्यापित किया था और पाया था कि वाहन सं॰ JH-05C-325 के सिवाए समस्त अन्य वाहन जितेन्द्र सिंह के नाम में रजिस्टर्ड थे, जो उक्त वाहनों का स्वामी था। कि उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र डी॰ टी॰ ओ॰ द्वारा नहीं मांगी गयी थी और यह भी पाया गया था कि रजिस्ट्रेशन सं॰ 5605 वाला वाहन पहले बोलांगीर

में उड़ीसा राज्य के नंबर के साथ रजिस्टर्ड किया गया था और यह काइनेटिक होंडा स्कूटर के संबंध में था। अ॰ सा॰ 1 ने अभिसाक्ष्य दिया कि रमेश पटनायक अपने सहयोगियों के साथ और जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ दुरभिसंधि में चुराए गए वाहनों के विक्रय में अंतर्ग्रस्त था।

10. इस मोड़ पर यह इंगित करना प्रासंगिक है कि अ॰ सा॰ 1 पुलिस अधिकारी है और उसने रमेश पटनायक का बयान दर्ज किया और अपने प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज नहीं करवाया था। यह सुनिश्चित है कि साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 25 एवं 26 के अधीन अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति अग्राह्य है। किंतु, ऐसा बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन इस सीमा तक ग्राह्य है कि यह तथ्य की खोज की ओर ले जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 स्वयं एवं अन्य सह-अभियुक्त को अपराध में फँसाते हुए सह-अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त की संस्वीकृति की ग्राह्यता अनुबंधित करती है किंतु ऐसा इकबालिया बयान सिद्ध किया जाना होगा और इसे तब दिया जाता है जब सह-अभियुक्त आरोपित किया गया है और अभियुक्त के साथ विचारण का सामना कर रहा है। कि ऐसी संस्वीकृति साक्ष्य के रूप में केवल तब मानी जा सकती है जब इसे सिद्ध किया जाता है और अ॰ सा॰ 1 के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त रमेश पटनायक की संस्वीकृति दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 के अधीन दर्ज नहीं की गयी थी और न ही यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य लाया गया है कि ऐसा बयान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 281 के प्रावधानों के निबंधनानुसार दर्ज किया गया था।

11. अ॰ सा॰ 1 ने अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि वह नहीं जानता है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म अथवा फॉर्म जिस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है आवश्यक है और उसने कथन किया है कि उसने पृथक रूप से स्वामी पुस्तक नहीं देखा था। प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने कटक, पानी कोली, भांद्रा, नागपुर, आंध्र प्रदेश के डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय से संपर्क नहीं किया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दर्ज नहीं किया था कि उक्त वाहनों का पूर्व स्वामी कौन था और जब्त वाहनों के प्रासंगिक कागजातों को अभिग्रहण सूची में दर्शाया नहीं गया था।

12. यह स्पष्ट है कि अ॰ सा॰ 8, 9, 10 अर्थात् शैलेश झा, राजन एवं देवी विश्वकर्मा ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 2 एवं 3 अनिल पटेल एवं राजेश कुमार साहू ने कथन किया है कि दिनांक 23.12.2002 को शंकर मल्लाह के घर के निकट उनका हस्ताक्षर लिया गया था और उनको जब्त वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं थी।

13. अ॰ सा॰ 4 सरजू प्रसाद अभिग्रहण सूची प्रदर्श 1 गवाह है जिसमें नकली स्वामी पुस्तिका, वाहनों की अनेक चाबियाँ एवं रबर स्टाम्प अभियुक्त रमेश पटनायक के कब्जा से बरामद किए गए थे।

14. अवर न्यायालय ने याचीगण गंडूर भगत एवं पीटर मुर्मु, तत्कालीन जिला परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन कार्यालय का स्टॉफ, की सह अपराधिता के संबंध में अपना निष्कर्ष दर्ज करने के लिए अ॰ सा॰ 11, 13 एवं 14 के साक्ष्य पर विश्वास किया है। अ॰ सा॰ 11 के साक्ष्य के परिशीलन पर उसने कथन किया था कि उसने जितेन्द्र सिंह द्वारा उसको दिखाए गए दस्तावेजों को डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय से सत्यापित किया था और दस्तावेजों को सही पाया था और रमेश पटनायक का उल्लेख उक्त वाहन के स्वामी के रूप में किया गया था। उसने कथन किया है कि उसने रमेश पटनायक से वाहनों को खरीदा था और उक्त वाहन रमेश पटनायक द्वारा लिखित में उसके नाम में अंतरित किया गया था। कि उसने पुलिस के समक्ष वाहन के रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया था और उसने डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय को लिखित में कुछ नहीं दिया था और न ही उसने डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय से लिखित में कुछ भी प्राप्त किया था। उसने परिसाक्ष्य दिया कि उसने केवल स्वामी पुस्तिका के संबंध में सत्यापन किया था तथा किसी अन्य दस्तावेज का नहीं।

15. अ॰ सा॰ 14 वरुण कुमार सिंह ने निवेदन किया है कि लालजी शर्मा रजिस्ट्रेशन सं॰ OR-04C-3763 वाले बोलेरो में रमेश पटनायक के साथ आया था और रमेश पटनायक ने उसे स्वामी पुस्तक, एन॰ ओ॰ सी॰ दिखाया था और कहा था कि उसने स्थायी पता के लिए डी॰ टी॰ ओ॰, जमशेदपुर में आवेदन दिया था और उससे कहा था कि दो–चार दिन में स्थायी पता प्रविष्ट कर दिया जाएगा और तत्पश्चात उसे स्वामी पुस्तक दिया जाएगा और तीन–चार दिन बाद रमेश पटनायक आया और उसको स्वामी पुस्तक दिया और उसे पुस्तक डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय ले जाने के लिए कहा। तत्पश्चात वह पुस्तक के साथ डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय, जमशेदपुर अपने अधिवक्ता के साथ गया और रजिस्टर की जाँच करने पर उसने इसे सही पाया जिसके बाद उसका नाम स्वामी के रूप में प्रविष्ट किया गया था। उसने स्वामी पुस्तक दाखिल किया है जो प्रदर्श 3 है और कथन किया है कि उसमें किसी भगत साहब का हस्ताक्षर उल्लिखित किया गया है। कि पुलिस आयी थी और वाहन मांगा था क्योंकि उन्हें पुरी जाना था किंतु अगले दिन पुलिस ने उसे सूचित किया कि वाहन चुरायी गयी संपत्ति थी। प्रति परीक्षण में, उसने अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय के स्टाफ के साथ कोई संव्यवहार नहीं किया था। कि रजिस्ट्रेशन/स्वामी पुस्तक, चंडीकल, उड़ीसा का था किंतु वह इसे सत्यापित करने उड़ीसा नहीं गया था और उसने कथन किया कि स्वामी पुस्तक में रमेश पटनायक का स्थायी पता उल्लिखित था और स्वामी पुस्तक का अंतरण रमेश पटनायक द्वारा किया गया था और न कि उसके द्वारा। कि उसने लिखित में किसी चीज पर डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया था कि क्या उक्त दस्तावेज डी॰ टी॰ ओ॰ द्वारा लिखा गया था। उसने स्वीकार किया है कि उसने आई॰ ओ॰ के समक्ष स्वामी पुस्तक प्रस्तुत नहीं किया था। कि उसने उक्त वाहन के चुरायी गयी संपत्ति होने के बारे में जानकारी पाने के बाद डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय से सत्यापन नहीं किया था। कि उसने पहली बार न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत एवं दाखिल किया है।

16. अ॰ सा॰ 13 बसन्त उपाध्याय ने कथन किया है कि रमेश पटनायक आया और उसे वाहन दिखाया और उसे कागजात दिया जिसके बाद वह डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय, जमशेदपुर गया और इसे सत्यापित करवाया और कागजातों को सही पाया। कि उसने अपने नाम में स्वामी पुस्तक एवं वाहन अंतरित करवाया। कि वह व्यवसायिक घराने के लिए वाहन चला रहा था। कि पुलिस ने उसको वाहन के कागजातों को प्रस्तुत करने के लिए कहा था और उसको बताया था कि नंबर में कुछ गलती थी जिस पर वाहन अंतरित किया गया था। प्रति परीक्षण में, उसने कथन किया है कि उसने डी॰ टी॰ ओ॰ को लिखित में कोई सत्यापन रिपोर्ट नहीं दिया था।

17. अ॰ सा॰ 1, 11, 13 एवं 14 के साक्ष्य को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि अभियुक्त रमेश पटनायक द्वारा वाहनों को बेचा गया था। रमेश पटनायक द्वारा दिए गए बयान के आधार पर वाहनों की बरामदगी की गयी थी। अ॰ सा॰ 1 ने स्वीकार किया है कि वह नहीं जानता है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से फॉर्म की आवश्यकता है और न ही वह यह जानता है कि किस फॉर्म पर एन॰ ओ॰ सी॰ प्राप्त किया जाता है। अ॰ सा॰ 1 ने उड़ीसा अथवा आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों से अभिकथित रूप से लाए गए वाहनों के कागजात को सत्यापित नहीं किया था अथवा इन स्थानों का दौरा किया था। उसने डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय, जमशेदपुर से कोई कागजात जब्त नहीं किया था। स्वामी पुस्तक, प्रदर्श 1, जिसे अ॰ सा॰ 11 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पुलिस द्वारा जब्त नहीं किया गया था और न ही स्वामी पुस्तक में सामने आने वाले किसी भगत साहब के हस्ताक्षर के संबंध में सत्यापन का कोई अन्वेषण नहीं किया गया था और अ॰ सा॰ 14 ने कथन किया है कि उसका डी॰ टी॰ ओ॰ कार्यालय के साथ संव्यवहार नहीं था और अभियुक्त रमेश पटनायक ने उसे उक्त स्वामी पुस्तक सौंपा था।

18. जैसा गौर किया गया है, गवाहों के परिसाक्ष्य को यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर मौजूद किसी सामग्री द्वारा संपुष्ट नहीं किया गया है कि दस्तावेजों को याचीगण पीटर मुर्मु, जिला परिवहन अधिकारी

अथवा गंडूर भगत, जिला परिवहन कार्यालय का कर्मचारी, द्वारा तैयार किया गया था। यह भी पता चलता है कि पूर्वोक्त अभियुक्तगण को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 166 एवं 167 के अधीन आरोप के लिए आरोपित किया गया है। धारा 166 अनुबंधित करती है कि लोक सेवक कृत्य करते हुए अथवा अपने कर्तव्य के निर्वहन में तात्पर्यित रूप से कृत्य करते हुए किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने के लिए विधि के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करता है, उक्त अपराध के लिए दंड का दायी होगा। धारा 167 किसी तरीके से किसी दस्तावेज, जिसका गलत होना वह जानता है अथवा विश्वास करता है, को अनुवाद तैयार करने, तद्द्वारा यह आशय रखते हुए कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित कर सकता है अथवा इसके उपहति कारित करने की संभावना है, से आरोपित लोकसेवक का दंड विहित करती है। अभियोजन द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि किसी भी गवाह ने याचीगण द्वारा किए गए किसी विनिर्दिष्ट कृत्य अथवा लोप के बारे में कथन नहीं किया है। अभियोजन ने प्राथमिकी में याचीगण को नामित भी नहीं किया है, बल्कि उसके विरुद्ध पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। यह दर्शाने के लिए कि याचीगण ने विधि के किसी निर्देश के उल्लंघन में कृत्य किया था अथवा याचीगण के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर तात्विक साक्ष्य नहीं लाया गया है। अभियोजन ने अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं किया है और वर्तमान मामले के दिए गए तथ्यों में अन्वेषण अधिकारी का गैर-परीक्षण अभियोजन के मामले के लिए घातक है। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उनका बयान दर्ज करते हुए याचीगण के समक्ष अपराध में फँसाने वाली सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है।

19. चर्चा एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की दृष्टि में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियोजन याचीगण गंडूर भगत एवं पीटर मुर्मु के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 166 एवं 167 के अधीन आरोप स्थापित करने में विफल रहा है। तद्नुसार, उन्हें उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

20. अ॰ सा॰ 1 ने कथन किया है कि प्रदर्श 1/1 के मुताबिक अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 7 की उपस्थिति में अभियुक्त रमेश पटनायक से कूटरचित स्वामी पुस्तकें, रबर स्टाम्प, अनेक वाहनों की चाबियाँ आदि बरामद किए गए थे। अ॰ सा॰ 1 ने अभिसाक्ष्य दिया कि संख्या JH-05C-4691 वाली इंडिका जितेन्द्र सिंह के माध्यम से सज्जन कुमार पासवान (अ॰ सा॰ 11) को बेची गयी थी। अ॰ सा॰ 11 ने परिसाक्ष्य दिया है कि जितेन्द्र सिंह ने उसे बताया था कि वह जी॰ एम॰ ए॰ सी॰ फिनांस के लिए काम करता है और वह जब्त वाहनों को बेचता है। कि उसके द्वारा वाहन का दस्तावेज सत्यापित किया गया था और उसने पाया कि इसे रमेश पटनायक के नाम में रजिस्टर्ड किया गया था। कि जितेन्द्र सिंह ने प्रोसेसिंग प्रारंभ किया तथा जी॰ एम॰ ए॰ सी॰ से एक लाख अस्सी हजार का वित्त प्रदान किया कि उसने दिनांक 15.11.2002 को रमेश पटनायक को 40,000/- रुपयों का भुगतान किया था और रमेश पटनायक ने उसे धन रसीद दिया था। कि उसने अपने एस॰ बी॰ आई॰ खाता में 1,80,000/- रुपयों की राशि जमा किया था और अ॰ सा॰ 6 एवं अ॰ सा॰ 7 की उपस्थिति में जितेन्द्र सिंह को 2,20,000/- रुपयों का भुगतान किया था। अ॰ सा॰ 6 ने कथन किया है कि दिनांक 23.12.2002 को अ॰ सा॰ 11 के घर से वाहन जब्त किया गया था। कि सज्जन कुमार ने 2,20,000/- रुपयों की प्रतिफल राशि के लिए वाहन खरीदा था। प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि पुलिस ने सोनारी पुलिस थाना में उसका हस्ताक्षर लिया था और उसने वाहन के विक्रय-खरीद के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं देखा था। अ॰ सा॰ 7 ने यह कथन भी किया है कि सोनारी पी॰ एस॰ के प्रभारी अधिकारी ने दिनांक 23.12.2002 को उसका हस्ताक्षर लिया था और इंडिका जब्त किया था। उसने आगे कथन किया है कि जितेन्द्र सिंह के बिस्तर से 20,000/- रुपया बरामद किया गया था। अ॰ सा॰ 11 ने अपने घर से जब्ती का खंडन किया है और कथन किया है कि दिनांक 24.12.2002 को पुलिस ने उसे गाड़ी से नीचे उतारा था और खड़काई पुल से वाहन ले गए थे। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जी॰ एम॰ ए॰ सी॰ से वित्तीय धन के संबंध में उसके विरुद्ध कोलकाता में मामला दर्ज किया गया था जिसमें उसे जमानत प्रदान किया गया था।

अ॰ सा॰ 11 का उक्त बयान दर्शाता है कि पुलिस द्वारा दिनांक 24.12.2002 को खड़काई पुल से वाहन जब्त किया गया था और न कि दिनांक 23.12.2002 को उसके घर से जैसा अ॰ सा॰ 7 ने कथन किया है। अ॰ सा॰ 6 ने यह कथन भी किया है कि उसने पुलिस थाना में अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किया था। अ॰ सा॰ 11 ने कथन किया है कि उसने कोई मामला दर्ज नहीं किया था क्योंकि पहले ही एक मामला दर्ज किया जा चुका था। प्रति परीक्षण में उसने कथन किया है कि उसने रमेश पटनायक से वाहन खरीदा था और उक्त वाहन रमेश पटनायक द्वारा लिखित में उसके नाम में अंतरित किया गया था किंतु कोई करार नहीं था और उसने रमेश पटनायक को 40,000/- रुपयों का भुगतान किया था। अ॰ सा॰ 1 ने स्वीकार किया है कि धन की जब्ती के लिए एक पृथक मामला सोनारी पी॰ एस॰ केस सं॰ 96 वर्ष 2002 दर्ज किया गया था। अभिग्रहण सूची प्रदर्श 1/1 वाहन JH-O5C-4691 की जब्ती की तिथि दिनांक 23.12.2002 के रूप में दर्शाता है जो दिनांक 24.12.2002 का केस सं॰ 101 वर्ष 2002 धारण करता है जो दर्शाता है कि जब्ती उक्त पी॰ एस॰ मामला दर्ज करने के पहले की गयी थी और वाहन की जब्ती का स्थान भी संदेहपूर्ण है। धन की जब्ती के संबंध में अभिलेख पर कोई जब्ती नहीं है जैसा गवाहों द्वारा अभिकथित किया गया है। अ॰ सा॰ 1 ने स्वीकार किया है कि रमेश पटनायक द्वारा अभियुक्तगण का नाम प्रकट किया गया था।

यदि अभियोजन मामले को सत्य माना जाए कि दिनांक 23.12.2002 को जब्ती की गयी थी, तब कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अ॰ सा॰ 11 ने जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध दिनांक 23.12.2002 को प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज किया था बल्कि अ॰ सा॰ 11 ने कथन किया है कि जब्ती दिनांक 24.12.2002 को की गयी थी और यह अभियोजन मामले की विश्वसनीयता के संबंध में संदेह सृजित करता है। अ॰ सा॰ 11 ने यह भी स्वीकार किया है कि याची जितेन्द्र सिंह ने जी॰ एम॰ ए॰ सी॰ से 1,80,000/- रुपयों के वित्त का प्रबंध किया था जिसे उसने अपने एस॰ बी॰ आई॰ खाता में जमा किया था। कि जी॰ एम॰ ए॰ सी॰ द्वारा धन के वित्त के संबंध में उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था। यह बयान उपदर्शित करता है कि अ॰ सा॰ 11 की याची जितेन्द्र सिंह के साथ दुश्मनी थी। अ॰ सा॰ 11 द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने रमेश पटनायक को 40,000/- रुपया अग्रिम का भुगतान किया था और धन रसीद प्राप्त किया था और रमेश पटनायक द्वारा उसके नाम में स्वामी पुस्तक अंतरित किया गया था जिसे उसके द्वारा अपने प्रति परीक्षण में स्वीकार किया गया है। अ॰ सा॰ 11 ने स्वीकार किया है कि कलीमुद्दीन अथवा अभियुक्त सुरेश मेनन के कब्जा से अपराध में फँसाने वाली कोई वस्तु बरामद नहीं की गयी थी।

21. किसी भी गवाह ने सुरेश मेनन एवं मो॰ कलीमुद्दीन की सह–अपराधिता के बारे में कथन नहीं किया है। यह स्वीकृत मामला है कि अभियुक्त रमेश पटनायक के इकबालिया बयान में याचीगण के नामों का पता चला है। जैसी चर्चा ऊपर की गयी है, अभियुक्त का ऐसा इकबालिया बयान सह–अभियुक्त के विरुद्ध केवल तब ग्राह्य है जब इसे दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 164 अथवा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 281 के प्रावधानों के अनुरुप सिद्ध किया गया है किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि सह–अभियुक्त के विरुद्ध इसे ग्राह्य बनाने के लिए बयान को विधि के प्रावधानों के अनुरुप दर्ज किया गया था, अभियोजन द्वारा अभिलेख पर सामग्री नहीं लायी गयी है।

अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह सामने आता है कि अभियोजन अभिलेख पर किसी निर्णायक साक्ष्य को लाने में सक्षम नहीं हुआ है कि इन याचीगण ने किसी दस्तावेज को गढ़ा अथवा कूटरचित किया था और किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने के लिए उक्त दस्तावेज का उपयोग किया था। अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ है कि याचीगण सुरेश मेनन, मो॰ कलीमुद्दीन एवं जितेन्द्र सिंह से किसी चुराए गए वाहन को बरामद किया गया था। गवाहों के साक्ष्य प्रकट करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त रमेश

पटनायक से और न कि इन याचीगण से अभिकथित चुराए गए वाहनों को खरीदा था। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है कि उक्त याचीगण ने किसी कूटरचित दस्तावेज को सृजित करने के लिए दांडिक षड्यंत्र किया और उक्त दस्तावेजों को गढ़ कर एवं कूटरचित कर किसी गवाह के साथ छल किया अथवा किसी संपत्ति का परिदान किया और न ही याचीगण अर्थात् सुरेश मेनन, मो॰ कलीमुद्दीन एवं जितेन्द्र सिंह के कब्जा से चुराए गए किसी वाहन को बरामद किया गया था।

22. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य और ऊपर की गयी चर्चा पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अभियोजन याचीगण सुरेश मेनन, मो॰ कलीमुद्दीन एवं जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468, 471, 420, 414 एवं 120B के अधीन आरोप स्थापित करने में सक्षम नहीं हुआ था, तद्नुसार, इन याचीगण को निर्दोष अभिनिर्धारित किया जाता है और उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

23. याचीगण अर्थात् गंडूर भगत, पीटर मुर्मु, सुरेश मेनन, मो॰ कलीमुद्दीन एवं जितेन्द्र सिंह जमानत पर हैं और उन्हें अपने-अपने जमानत बंधपत्रों के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

24. विचारण न्यायालय द्वारा एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, समस्त उक्त पुनरीक्षण आवेदनों को एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

कमल नयन सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

W.P. (C) No. 939 of 2013. Decided on 2nd December, 2014.

भूमि विधि–खास महल–पट्टा का अंतरण–याची ने भूमि के अंतरण के लिए सलामी के रूप में नियत प्रथम राशि स्वीकार नहीं किया था–छह वर्ष बाद याची सलामी के रूप में इसी राशि के भुगतान पर जोर नहीं दे सकता है–मूल्यांकन को चुनौती देते हुए याची द्वारा निर्णायक सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है–याची दावा नहीं कर सकता है कि दिनांक 11.3.1993 का परिपत्र वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकता है–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 7 एवं 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Ananda Sen, For the Petitioner; Mr. Ashutosh Kumar Singh, For the Respondents.

आदेश

खास महल अपील सं॰ 3 वर्ष 2001 में दिनांक 6.8.2002 के आदेश और दिनांक 24.9.2007 तथा दिनांक 16.9.2009 के आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. रिट याचिका में कथित मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि दिनांक 25.8.1990 को किसी जानकी देवी एवं रीना सिंह के पक्ष में पट्टा के अंतरण के लिए आवेदन दिया गया था। उपायुक्त द्वारा कार्यवाही आरंभ की गयी थी और दिनांक 3.6.1999 के आदेश के तहत खास महल अधिकारी से रिपोर्ट इप्सित की गयी थी, जिसने दिनांक 2.7.1999 की रिपोर्ट के तहत भूमि के मूल्य के 50% के भुगतान के बदले अंतरण अनुशंसित किया। दिनांक 24.7.1999 को उपायुक्त ने कार्यवाही बंद कर दिया और उक्त जानकी देवी एवं रीना सिंह के पक्ष में प्रश्नगत भूमि के अंतरण के लिए आगे कार्रवाई करने का आदेश दिया।

इस बीच, तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा दिनांक 11.3.1993 की अधिसूचना/अनुदेश जारी की गयी थी। बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य) ने दिनांक 24.7.1999 के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया और दिनांक 6.8.2002 के आदेश के तहत अपील अनुज्ञात की गयी थी। दिनांक 13.11.2006 के पत्र में अंतर्विष्ट संसूचना अंतरण के लिए सलामी के रूप में 12,92,000/- रुपयों की राशि का भुगतान करना पट्टाधारी के लिए आवश्यक बनाते हुए पट्टाधारी के मुख्तारनामा धारक याची को जारी की गयी थी। दिनांक 18.7.2007 के पत्र के तहत याची ने उक्त मांग पर आपत्ति किया और 6,12,000/- रुपयों के शर्तपूर्ण जमा का प्रस्ताव दिया। तत्पश्चात, दिनांक 24.9.2007 की संसूचना के तहत प्रश्नगत भूमि के अंतरण के लिए सलामी के रूप में याची से 48,28,000/- रुपयों की राशि मांगी गयी है।

3. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य द्वारा दिनांक 24.9.2007 के आदेश का समर्थन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह कथन किया गया है कि दिनांक 11.3.1993 की अधिसूचना वर्तमान मामले पर प्रयोज्य है और सलामी दिनांक 11.3.1993 की अधिसूचना के निबंधनानुसार संगणित की गयी है।

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द सेन निवेदन करते हैं कि मामला सं॰ 19 वर्ष 1999 की कार्यवाही प्रकट करेगी कि वर्ष 1990 में जानकी देवी एवं रीना सिंह की ओर से आवेदन दाखिल किया गया था और उक्त आवेदन पर केस सं॰ 19 वर्ष 1999 की कार्यवाही आरंभ की गयी थी और प्रश्नगत भूमि के अंतरण के लिए कदम उठाने का निर्देश जारी करते हुए उपायुक्त द्वारा दिनांक 24.7.1999 को आदेश पारित किया गया था और इसलिए, दिनांक 11.3.1993 की अधिसूचना की दृष्टि में अंतरण की सलामी नियत नहीं की जा सकती है और प्रश्नगत भूमि का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में कार्यवाही उपदर्शित करती है कि सलामी के रूप में 12,24,000/- रुपयों की राशि विनिश्चित की गयी थी किंतु, बाद में उक्त राशि 12,92,000/- रुपयों तक बढ़ायी गयी थी और अंतत: याची को 48,28,000/- रुपयों की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार, यह निवेदन किया गया है कि राशि जिसकी गणना आरंभ से की गयी थी अर्थात् 12,92,000/- रुपयों की राशि वह राशि होगी जिसे प्रत्यर्थी झारखंड राज्य याची से सलामी के रूप में वसूल सकता है और दिनांक 24.9.2007 के पत्र में अंतर्विष्ट संसूचना प्रकटत: मनमानी है और इसे प्रश्नगत भूमि के अंतरण के लिए शर्त के रूप में याची पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

6. प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित एस॰ सी॰ (खान) के जे॰ सी॰ श्री आशुतोष कुमार सिंह द्वारा प्रतिशपथ पत्र में लिए गए दृष्टिकोण को दोहराया गया है।

7. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का परिशीलन उपदर्शित करता है कि दिनांक 13.11.2006 के पत्र के तहत याची को प्रथम संसूचना की गयी थी जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि के अंतरण के लिए सलामी के रूप में 12,92,000/- रुपयों की राशि नियत की गयी थी। दिनांक 13.11.2006 के पत्र में अंतर्विष्ट प्रस्ताव याची द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, बल्कि याची ने दिनांक 18.7.2007 के पत्र के तहत 6,12,000/- रुपयों की राशि के शर्तपूर्ण भुगतान का प्रस्ताव दिया। मेरा मत है कि दिनांक 13.11.2006 के पत्र में अंतर्विष्ट प्रस्ताव संविदा में फलीभूत नहीं हुआ था और इसलिए, याची तत्पश्चात छह वर्ष बाद प्रश्नगत भूमि के अंतरण के लिए सलामी के रूप में केवल 12,92,000/- रुपयों की राशि के भुगतान पर जोर नहीं दे सकता है। दिनांक 24.9.2007 की संसूचना के तहत याची को 48,28,000/- रुपयों का भुगतान करने की आवश्यकता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने भूमि के मूल्यांकन के संबंध में विवाद

किया है। मेरा दृष्टिकोण है कि जहाँ तक भूमि के मूल्यांकन का संबंध है, याची द्वारा उक्त विवाद्यक इस न्यायालय में उठाया नहीं जा सकता है, खास कर जब उक्त मूल्यांकन को चुनौती देते हुए याची द्वारा कोई निश्चयात्मक सामग्री प्रस्तुत नहीं की गयी है। यद्यपि दिनांक 25.8.1990 का आवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, स्वीकृत रूप से, भूमि के अंतरण का निर्णय पहली बार दिनांक 24.7.1999 को लिया गया था। **''जनार्दन रेड्डी बनाम राज्य'', AIR 1951 SC 124,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि 'प्रथम दृष्टया'' प्रत्येक विधान भविष्यलक्षी है। नि:संदेह, दिनांक 11.3.1993 के परिपत्र का प्रवर्तन भविष्यलक्षी होगा और इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। यद्यपि, याची ने दावा किया है कि उसने दिनांक 25.8.1990 को आवेदन दाखिल किया किंतु कार्यवाही केवल दिनांक 30.1.1999 को आरंभ की गयी थी जिसमें उपायुक्त ने दिनांक 24.7.1999 का आदेश पारित किया, अत:, याची दावा नहीं कर सकता है कि दिनांक 11.3.1993 का परिपत्र वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकता है।

8. पूर्वोक्त चर्चा की दृष्टि में, मैं इस मामले में गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

रामपदी देवी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 1980 of 2014. Decided on 2nd February, 2015.

सेवा विधि–सेवानिवृत्ति लाभ–याची का पति दिनांक 27.11.1962 को कनीय अभियन्ता के रूप में आर॰ ई॰ ओ॰ में पदस्थापित किया गया था वह दिनांक 31.1.2001 को अपनी अधिवर्षिता तक कार्यरत रहा और कुचाय प्रखंड, सरायकेला से सेवानिवृत्त हुआ–उसे केवल जनवरी, 1991 से मार्च, 1996 तक मूल वेतन का भुगतान किया गया था, दोनों ए॰ सी॰ पी॰ लाभों को निर्मुक्त नहीं किया गया–याची के पति के सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान उसके जीवनकाल के दौरान नहीं किया गया था, याची को सेवानिवृत्ति लाभ निर्मुक्त नहीं किया गया, वह संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अनेक अभ्यावेदन देने के बावजूद पारिवारिक पेंशन नहीं पा रही है–तीन सप्ताह की अवधि के भीतर विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करके अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 के पास जाने की स्वतंत्रता उसको देते हुए और प्रत्यर्थी को अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर विधि के अनुरुप मामले पर विचार करने एवं समुचित आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रिट याचिका निपटायी गयी। (पैराएँ 6 से 10)

अधिवक्तागण.–M/s Sweta Rani, D.K. Pathak, For the Petitioner; J.C. to G.P.-III, For the State.

आदेश

याची संपूर्ण सेवा निवृत्ति लाभों, जिनका भुगतान याची के पति की दिनांक 31.1.2001 के प्रभाव से सेवानिवृत्ति के बाद भी उसको नहीं किया गया है, की निर्मुक्ति के लिए, याची का पारिवारिक पेंशन नियत करने के लिए और दिनांक 1.2.2001 से दिनांक 20.11.2007 तक याची के स्वर्गीय पति के नाम में प्रोद्भूत पेंशन के बकाया के भुगतान के लिए और वर्ष 1991 से मार्च, 1996 तक पारिवारिक पेंशन एवं बकाया, जहाँ तक यह अप्रिल 1996 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक मूल वेतन एवं संपूर्ण वेतन को

अपवर्जित करते हुए समस्त भत्तों से संबंधित है, के नियतिकरण के लिए और एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (ए॰ सी॰ पी॰) योजना के लाभ के प्रदान, जिस पर विचार नहीं किया गया है यद्यपि याची का पति समस्त अध्यपेक्षित शर्तों को पूरा करता था, पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के पास आयी है। समस्त लाभों को 12% की दर पर ब्याज के साथ निर्मुक्त करने का दावा भी किया गया है।

2. याची की शिकायत यह है कि उसके पति को दिनांक 27.11.1962 को आर॰ ई॰ ओ॰ वर्क डिविजन, चाईबासा में कनीय अभियन्ता के रूप में पदस्थापित किया गया था और वह दिनांक 31.1.2001 के प्रभाव से अपनी अधिवर्षिता तक लगातार कार्यरत रहा। वह कुचाय प्रखंड, सरायकेला से सेवानिवृत हुआ।

3. यह निवेदन किया गया है कि याची के पति को केवल मूल वेतन की सीमा तक जनवरी, 1991 से मार्च, 1996 तक के लिए मूल वेतन का भुगतान किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याची का पति दोनों ए॰ सी॰ पी॰ लाभों को पाने का हकदार था, किंतु इन्हें निर्मुक्त नहीं किया गया है। यद्यपि याची का पति दिनांक 31.1.2001 को सेवानिवृत्त हुआ था और दिनांक 20.11.2007 को उसकी मृत्यु हो गयी थी, किंतु याची के पति के जीवनकाल के दौरान उसके सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान नहीं किया गया था और उसके पति की मृत्यु के बाद भी उसको सेवानिवृत्ति लाभ निर्मुक्त नहीं किए गए हैं। उसकी मृत्यु के बाद विधवा को उसके पक्ष में वैध सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान नहीं किया गया है। याची पारिवारिक पेंशन भी नहीं पा रही है।

4. यह याची को अपने स्वर्गीय पति के अपने वैध देयों को पाने के लिए इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल करने की ओर ले गया। आगे यह निवेदन किया गया है कि सरकार ने वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्ति देयों के नियतिकरण के लिए परिपत्र जारी किया हैं, किंतु इन्हें निर्मुक्त नहीं किया गया है। याची ने बार–बार संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दिया है और उसने दिनांक 20.1.2014 का एक अभ्यावेदन भी संलग्न किया है किंतु आज तक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है।

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है, किंतु यदि याची संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला रखेगी, इस पर विचार किया जाएगा और प्रभावकारी कार्रवाई की जाएगी ताकि याची की शिकायत दूर की जा सके।

6. मामले के उस दृष्टिकोण में यह रिट याचिका याची को इस आदेश की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करके अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 2 सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखंड सरकार के पास जाने की स्वतंत्रता देते हुए निपटायी जाती है।

7. ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर संबंधित प्रत्यर्थी मामले पर विचार करेगा और अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विधि के अनुरुप समुचित आदेश पारित करेगा।

8. प्रत्यर्थीगण पेंशन बकाया सहित याची को समस्त विधित: भुगतेय देयों, जिनका भुगतान उसके पति को उसके जीवन काल के दौरान किया जाना था, को निर्मुक्त करेंगे और याची का पारिवारिक पेंशन भी नियत करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों को महालेखाकार, झारखंड के कार्यालय भेजेंगे।

9. यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा पूर्वोक्त अवधि के भीतर संपूर्ण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

10. ग्राह्य देयों का भुगतान करने में विफलता पर याची वास्तविक भुगतान की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10% प्रति वर्ष की दर पर सांविधिक ब्याज पाने का हकदार होगी।

11. किंतु, यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा याची का दावा विवादित किया जाता है, इसे पूर्वोक्त अवधि के भीतर तार्किक आदेश पारित करके याची को संसूचित किया जाएगा।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

शशि प्रकाश मिश्रा

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cr. Revision No. 664 of 2014. Decided on 24th February, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 125–अंतरिम निर्वाहिका–अंतरिम निर्वाहिका–याची एक कृषि अभियंता है तथा 46,000/- रुपये का वेतन प्राप्त कर रहा है जिसे खंडित नहीं किया गया है तथा याची यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है कि विपक्षी सं॰ 2 लाभपूर्ण रूप से नियोजित है या उसके तथा उसके बच्चों के लिए आवश्यक खान-पान, पहनावे एवं अन्य दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित उसके दैनिक खर्चों की व्यवस्था करने तथा पूरा करने के लिए आय के पर्याप्त स्रोत या साधन हैं–नि:संदेह याची ने बच्चों के शुल्क का भुगतान कर दिया था तथा पिता के तौर पर ऐसा करना उसका नैतिक दायित्व है–विद्यालय शुल्क के अलावा विपक्षियों को अपने तथा अपने बच्चों के लिए खान पान इत्यादि के खर्चों को पूरा करने हेतु मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है–अभिनिर्धारित, विपक्षी को 4,000/- रुपये प्रति महीने तथा प्रत्येक अवयस्क बच्चों को 3,000/- रुपये प्रति महीने का अंतरिम भरण पोषण स्वीकृत करने वाला आदेश न अतिशय है और न ही अत्यधिक है–याचिका खारिज। (पैराएँ 3 से 5)

अधिवक्तागण.–M/s Debolina Sen, For the Petitioner; A.P.P., For the State; M/s Dr. S.N. Pathak, Diwakar Upadhyay, For the O.P. No.2.

आदेश

यह आवेदन निर्वाहिका केस सं॰ 80 वर्ष 2009 में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रांची द्वारा पारित दिनांक 16.6.2014 के आदेश के विरूद्ध निर्दिष्ट है जिसके द्वारा याची को विपक्षी सं॰ 2 को 4,000/- रुपये प्रति महीने का तथा प्रत्येक अवयस्क बच्चे को 3,000/- रुपये प्रति महीने की राशि के अंतरिम निर्वाहिका का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची ने विपक्षी सं॰ 2/पत्नी तथा विद्यालय जाने वाले अपने बच्चों की कभी भी उपेक्षा नहीं की है या उनका भरण पोषण करने से इनकार नहीं किया है। यह कि याची ने उस संस्थान/विद्यालय को पत्र लिखा है जहां बच्चे अध्ययन कर रहे हैं एवं शुल्क के विवरणों की ईप्सा की है तथा उनके विद्यालय के शुल्क का भुगतान करने का प्रस्ताव रखा है जिनका उसने परिशिष्ट 10 के अनुसार भुगतान कर दिया है। यह तर्क दिया गया है कि विपक्षी ने अंतरिम निर्वाहिका के लिए याचिका दाखिल की थी मुख्यत: इस आधार पर कि वह बच्चों के शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है। यह कि याची ने विभिन्न तिथियों को परिशिष्ट 4 के अनुसार उक्त शुल्क का भुगतान किया है तथा विपक्षी के खाते में ड्राफ्टों के माध्यम से 76,000/- रुपये तथा 26,000/- रुपये का भी भुगतान किया है। विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों पर भी भरोसा किया है तथा निवेदन किया है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के प्रावधान सामाजिक न्याय के एक उपाय के तौर पर अधिनियमित किये गये हैं यह सुनिश्चित करने के लिए आश्रित खानाबदोषी या निर्धनता का जीवन गुजारने पर विवश न हो जाय। यह कि यह स्पष्ट होगा कि याची भरण

पोषण तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करता रहा है तथा अपने सामाजिक तथा नैतिक दायित्व का निर्वहन करता रहा है। कि याची का आचरण दर्शाता है कि उसने विपक्षी तथा उसके बच्चों के खर्चों को पूरा करने से इनकार नहीं किया है या उनकी उपेक्षा नहीं की है। कि इन तथ्यों का मूल्यांकन किये बिना अंतरिम निर्वाहिका का आदेश पारित किया गया है तथा निर्धारित राशि अतिशय एवं अत्यधिक है। यह भी निवेदन किया गया है कि याची एक नि:शक्त व्यक्ति है तथा उसे अपने उपचार एवं अपने वृद्ध पिता के उपचार के लिए भी खर्चों का वहन करना पड़ता है। कि याची को ऋण चुकाने के लिए मासिक किस्तों का भुगतान करना होता है। कि विपक्षी सं॰ 2 बी॰ आई॰ टी॰ मेसरा के आवास में रह रही है तथा वह लाभपूर्ण रूप से नियोजित है। कि उसने इनकार नहीं किया है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। संलग्न तथ्यों तथा परिस्थितियों में अंतरिम राशि की मात्रा उपांतरित तथा अल्पीकृत किये जाने की आवश्यकता है।

3. विपक्षी सं॰ 2 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक ने निष्पक्षतापूर्वक स्वीकार किया है कि याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किये गये निर्णय में दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 के अधीन आदेश पारित करने के लिए सिद्धांत तथा मार्गनिर्देश अधिकथित किये गये हैं तथा मुख्य उद्देश्य एवं परिधि यह सुनिश्चित करना है कि आश्रित खानाबदोषी तथा निर्धनता का जीवन गुजारने के लिए विवश न हो जायें। कि याची एक कृषि अभियंता है तथा 46,000/- रुपये का वेतन प्राप्त कर रहा है जिसे खंडित नहीं किया गया है तथा याची यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है कि विपक्षी सं॰ 2 लाभपूर्ण रूप से नियोजित है या उसके तथा उसके बच्चों के लिए आवश्यक खान पान, पहनावे तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने तथा उनकी व्यवस्था करने के लिए उसके पास आय के पर्याप्त स्रोत या साधन हैं।

4. सुना गया। आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया।

दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 125 का परंतुक दंडाधिकारी या न्यायालय को अंतरिम निर्वाहिका के तौर पर मासिक भत्ता स्वीकृत करने में सशक्त बनाता है। नि:संदेह याची बच्चों के शुल्क का भुगतान कर चुका है तथा एक पिता के तौर पर ऐसा करना उसका नैतिक दायित्व है। विद्यालय शुल्क के अलावा विपक्षियों को अपने तथा अपने बच्चों के खान-पान, पहनावे के खर्चों को पूरा करने हेतु मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। याची 46,000/- रुपये प्रति महीना वेतन प्राप्त कर रहा है जो उसके द्वारा स्वीकार किया गया है, इस प्रकार, विपक्षी को 4,000/- रुपये प्रति महीने तथा प्रत्येक अवयस्क बच्चे को 3,000/- रुपये प्रत्येक महीने का अंतरिम निर्वाहिका स्वीकृत करने वाला आदेश न तो अतिशय और न ही अत्यधिक है।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आदेश के पारित होने के उपरान्त आदेश के अनुपालन में याची 26,500/- तथा 76,289/- रुपये का भुगतान कर चुका है। अगर उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है, इसका बकाये की राशि में समायोजन कर दिया जायेगा तथा अगर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, याची एक महीने के भीतर उक्त राशि का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

6. परिणामत: आक्षेपित आदेश के साथ इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, पुनरीक्षण एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

परफेक्ट इलेक्ट्रीक कन्सर्न (प्रा॰) लिमिटेड

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 2710 of 2007. Decided on 16th January, 2015.

छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908–धारा 71A–5.1.1948 के प्रभाव से सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 में पुर:स्थापित धारा 46 काफी पहले, दिनांक 29.6.1945 के बन्दोबस्त विलेख द्वारा सुन्दर दास नामक एक गैर आदिवासी के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि अंतरित हो चुकी थी–सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 46 में अंतर्विष्ट प्रावधान द्वारा प्रश्नाधीन जमीन का पश्चातवर्ती अंतरण प्रभावित नहीं होगा–सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम 1908 की धारा 71A के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी, उस कार्यवाही में निर्गत नोटिस पहले ही अभिखंडित हो चुकी थी–अभिनिर्धारित, धारा 46 के अधीन वर्जन, जिसे 5.1.1948 से प्रभावी बनाया गया था, प्रश्नाधीन मामले में कार्य नहीं कर सकती है–कार्यवाही पूर्व न्याय द्वारा वर्जित–आक्षेपित आदेश तथा कार्यवाही अभिखंडित, रिट याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 8 से 10)

निर्णयज विधि.–(2004)8 SCC 340—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; Mr. V.K. Prasad, For the State; Mr. Mahesh Tewari, For the Resp. No.5.

आदेश

आर॰ पी॰ केस॰ 4 वर्ष 1992-93 में दिनांक 4.5.1998 के आदेश, आर॰ आर॰ अपील सं॰ 42 वर्ष 1998-99 में दिनांक 23.10.1998 के आदेश तथा एस॰ ए॰ आर॰ पुनरीक्षण सं॰ 8 वर्ष 1999 में दिनांक 22.3.2006 के आदेश के अभिखंडन की ईप्सा करते हुए, वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. रिट याचिका में वर्णित संक्षिप्त तथ्य यह है कि याची-कंपनी, अर्थात्, परफेक्ट इलेक्ट्रीक कन्सर्न (प्रा॰) लिमिटेड वर्ष 1960 में स्थापित की गयी थी। याची-कंपनी ने दिनांक 4.8.1973 के विक्रय विलेख के माध्यम से मौजा बयानबिल, पुलिस थाना परसुडीह में खाता सं॰ 155 तथा 28 से संबद्ध 3.85 एकड़ माप की भूमि का एक टुकड़ा खरीदा था तथा इसकी समीपस्थ जमीनों से इसे मिला दिया था। यह कथित किया गया है कि किसी गुरूचरण सिंह भूमिज ने थाना सं॰ 1184, मौजा बयानबिल में एक प्रधानी अधिकार अर्जित किया था तथा उक्त गुरूचरण सिंह भूमिज ने दिनांक 29.6.1945 का एक बन्दोबस्त विलेख निष्पादित करके 2 रुपया एवं एक आना के किराये पर श्री सुन्दर दास नामक एक गैर आदिवासी को प्लॉट सं॰ 5, 6, 8 एवं 10 में 12.87 एकड़ माप वाली जमीन का बन्दोबस्त कर दिया था। किसी श्रीमती कुथरू कुंदरम ने एक मूल्यवान प्रतिफल पर दिनांक 22.1.1954 के निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से थाना सं॰ 1184, मौजा बयानबिल, प्लॉट सं॰ 8 से संबद्ध लगभग 7 बिगहा 4 कट्ठा क्षेत्रफल वाली जमीन खरीदी थी। उसने दिनांक 16.7.1954 के विक्रय विलेख द्वारा उक्त थाना सं॰ 1184 के अंतर्गत आनेवाली लगभग 1 बिगहा 17 कट्ठा जमीन भी खरीदी थी तथा दिनांक 23.10.1954 के निर्बंधित विक्रय विलेख द्वारा भू-स्वामी श्री गुरूचरण सिंह भूमिज से लगभग 0.42 एकड़ जमीन प्रत्यक्ष रूप से तथा दिनांक 19.2.1955 के निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से सुन्दर दास से लगभग 5 बिगहा 16 कट्ठा एवं 10 धुर जमीन खरीदी थी। इस ढंग से, उक्त कुथरू कुंदरम ने 13 बिगहा से अधिक जमीन अर्जित कर ली थी। 1964 के पुनरीक्षण सर्वेक्षण बन्दोबस्त में, पूर्वोक्त भूमि श्रीमती कुथरू कुंदरम के नाम से ''बलात दखल'' के तौर पर अभिलिखित है तथा इस ढंग से उसने अपना अभिधान पूर्ण कर लिया था। प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 23.12.1965 के निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से श्रीमती सीता देवी खिरबाल द्वारा श्रीमती कुथरू कुंदरम से खरीदी गयी है। याची ने दिनांक 4.8.1973 के निर्बंधित विक्रय विलेख के माध्यम से उक्त श्रीमती सीता देवी खिरबाल से लगभग 3.85 एकड़ जमीन अर्जित की थी। यह भी प्रतीत होता है कि 19.12.1980 को, किसी गोमो हो ने अनुमंडल दंडाधिकारी, दालभुम के न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया था ऐसा अभिकथित करते हुए कि पूर्वोक्त भूमि उसकी थी तथा वह राज्य को किराये का भुगतान कर रहा था, परंतु, विपक्षी, अर्थात्, श्रीमती कुथरू कुंदरम ने सर्वेक्षण

कर्मचारी तथा अमीन की सहायता से खाता सं॰ 28, थाना सं॰ 1184 में ''बलात दखल'' के संबंध में अपना नाम अभिलिखित करा लिया था तथा इस प्रकार, विपक्षी ने कपटपूर्ण रूप से उक्त भूमि प्राप्त कर ली थी। याची, जिसका उस समय प्रश्नाधीन जमीन का कब्जा था, CWJC सं॰ 223 वर्ष 1984 (आर॰) में उक्त गोमो हो द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारंभ की गयी छोटानागपुर अभिधृति अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन कार्यवाही में निर्गत नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय गया था। दिनांक 28.1.1991 के आदेश द्वारा, उक्त नोटिस अभिखंडित कर दी गयी थी ऐसा अभिनिर्धारित करते हुए कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 71A के अधीन कार्यवाही पोषणीय नहीं थी। तथापि, यह सम्परीक्षित किया गया था कि रिट याचिका की खारिजी उक्त गोमो हो के लिए समुचित मंच के समक्ष अनुतोष की ईप्सा करने में एक वर्जन नहीं होगी, अगर उसे उपलब्ध है। उक्त गोमो हो ने अभिधान वाद सं॰ 47 वर्ष 1991 दाखिल किया था, जिसे व्यतिक्रम में खारिज कर दिया गया है।

3. पक्षकारों के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

4. याची के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे नीरज राय निवेदन करते हैं कि 5.1.1948 के प्रभाव से सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 में धारा 46 के पुर:स्थापित किये जाने के काफी पहले, प्रश्नाधीन जमीन दिनांक 29.6.1945 के बन्दोबस्त विलेख द्वारा सुन्दर दास नामक एक गैर आदिवासी के पक्ष में अंतरित की जा चुकी थी तथा अतएव, प्रश्नाधीन जमीन का पश्चातवर्ती अंतरण सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 46 के अधीन अंतर्विष्ट प्रावधान द्वारा प्रभावित नहीं होगा। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रश्नाधीन जमीन के मूल स्वामी, अर्थात्, गोमो हो ने सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन एक कार्यवाही प्रारंभ की थी तथा उक्त कार्यवाही में निर्गत नोटिस माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभिखंडित कर दी गयी थी तथा इस प्रकार, उक्त गोमो हो की पहल पर प्रारंभ की गयी वर्तमान कार्यवाही पूर्व न्याय द्वारा वर्जित थी।

5. प्रत्यर्थी सं॰ 5 के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने रिट याचिका में किये गये आग्रह का विरोध किया तथा निवेदन किया कि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 71A के आ जाने के उपरान्त, गैर आदिवासी के पक्ष में कोई अंतरण अनुज्ञेय नहीं है। तथापि, वह निवेदन करते हैं कि प्रश्नाधीन जमीन पर याची के लंबे कब्जे की दृष्टि में, पक्षकार मामले का सौहार्द्रपूर्ण रूप से समाधान करने पर सहमत हो गये हैं।

6. प्रत्यर्थी–झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी॰ के॰ प्रसाद निवेदन करते हैं कि राज्य श्रीमती कुथरू कुंदरम के पक्ष में वर्ष 1954 में किये गये अंतरण को मान्यता देता है जो 30 वर्षों की अवधि के भीतर है तथा इस प्रकार, उक्त संव्यवहार सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 46 के अधीन वर्जित था। वह यह भी निवेदन करते हैं कि याची तथा प्रत्यर्थी संख्याओं 5 से 8 के बीच किया गया समझौता विधि में मंजूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 के अधीन आच्छादित आदिवासी भूमि का एक गैर आदिवासी के पक्ष में अंतरण निषिद्ध करते हुए एक विनिर्दिष्ट वर्जन है तथा इस प्रकार, उक्त समझौते को विधि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों से, इसपर कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है कि CWJC सं॰ 223 वर्ष 1984 (R) में निर्गत दिनांक 28.1.1991 के आदेश से, किसी गोमो हो की पहल पर प्रारंभ की गयी सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन कार्यवाही अभिखंडित की दी गयी थी। उक्त गोमो हो द्वारा दाखिल अभिधान वाद सं॰ 47 वर्ष 1991 भी व्यतिक्रम में खारिज कर दिया गया है। यह भी अभिलेख का मामला है कि CWJC सं॰ 223 वर्ष 1984 (R) की कार्यवाही में, याची की पहल पर सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम, 1908 की धारा 71A के अधीन कार्यवाही में निर्गत नोटिस अभिखंडित

कर दी गयी थी। उक्त कार्यवाही किसी गोमो हो की प्रार्थना पर प्रारंभ की गयी थी तथा जिस कार्यवाही में आक्षेपित आदेश पारित किये गये हैं जिन्हें वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गयी है, उसे भी उक्त गोमो हो की प्रार्थना पर प्रारंभ किया गया था। दोनों कार्यवाहियों में विषय वस्तु एक ही है तथा प्रत्यर्थी सं॰ 5 से 8 उक्त गोमो हो के उनके वैधानिक वारिस होने के कारण उसके माध्यम से दावा कर रहे हैं तथा इस प्रकार, दोनों कार्यवाहियों में पक्षकार भी एक ही हैं। मेरा अभिमत है कि गोमो हो की प्रार्थना पर प्रारंभ की गयी वर्तमान कार्यवाही पूर्व न्याय द्वारा वर्जित है तथा मामले के इस पहलू की अवर प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी है। **(2004) 8 SCC 340** में रिपोर्ट किये गये **''सीतु साहु एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य''** में, यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सामाजिक आर्थिक कारणों से, पक्षकार अपने ही अधिकारों से ही अवगत नहीं हो सकता है तथा इस प्रकार अगर उपायुक्त सी॰ एन॰ टी॰ अधिनियम की धारा 21-A के अधीन शक्ति का इस्तेमाल करता है, यह तर्क देना निरर्थक होगा कि परिसीमा की अवधि का अवसान हो चुका है, तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^11. ..... rFkkfi] xj eukflc :i l ,d yEc le; d ckn ,slh 'kfDr dk Hkh bLreky ugh fd;k tk ldrk g ftl nkjku rhlj i{kdkj d fgr iHkkoh gk ldr gA bl idkj] ijh{k.k ;g ugh g fd 1963 d vfèkfu;e e fofgr ifjlhek dh vofèk xtj pdh Fkh ;k ugh] cfYd ;g Fkk fd D;k v;fDrlxr foyEc d mijkUr èkkjk 71A d vèkhu 'kfDr dk bLreky fd; tku dh blIk dh x;h FkhA***

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत् यह भी सम्परीक्षित किया है:–

> *^^14. ..... ge l0;ogkj d fooj.kk e tku dh vko';drk ugh g D;kfd ge ;g Hkh eku ldr g fd vrj.k diVi.k FkkA tlk fd bckgheirue [(2003) 7 SCC 667] e vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk] èkkjk 71A d vèkhu 'kfDr dk bLreky ;fDrlxr le; d Hkhrj gh fd;k tk ldrk FkkA oreku vihy d rF;k rFkk ifjfLFkfr;k dk n[kr g,] ge lekèkku ugh g fd fo'k"k inkfèkdkjh u ;fDrlxr le; d Hkhrj èkkjk 71A d vèkhu viuh 'kfDr;k dk bLreky fd;k FkkA 'kfDr d bLreky d fy, 40 o"kk dk xtj tkuk fuf'pr :i l ;fDrlxr le; ugh g] Hkly gh ;g ifjlhek dh fdlh vofèk }kjk ckfèkr ugh gA ge t; exy vkjko d ekey [(2000) 5 SCC 141] e bl U;k;ky; }kjk lEijh{k.kk l viu nf"Vdk.k d fy, leFku ikIr djr g] ;g Hkh ,d ,slk ekeyk Fkk tk fofèk d blh ikoèkku d vèkhu mnHkr gvk FkkA ogk bl U;k;ky; u nf"Vdk.k fy;k Fkk fd èkkjk 46(4)(a), ftlu mle dfFkr fdlh <x l vrj.k iHkkoh cuku d igy mik;Dr dh io LohÑfr vfHkdfYir dh Fkh o"k 1947 (5.1.1948 d iHkko l) e gh lkeu yk;h x;h Fkh rFkk llxr le; d nkjku ,slk dkb ikoèkku fo|eku ugh Fkk tc ml ekey e lei.k fd;k x;k FkkA (15.1.1942)A vr,o] Li"V :i l 1938 e ,slk dkb ikoèkku vfLrRo e ugh Fkk] rFkk ;gh rd ykx dj fn;k x;k FkkA***

10. यह अभिलेख पर लाया गया है कि दिनांक 29.6.1945 के बन्दोबस्त विलेख के माध्यम से, किसी गुरूचरण सिंह भूमिज ने श्री सुन्दर दास को भूमि का बन्दोबस्त कर दिया था जो एक आदिवासी नहीं था। किसी श्रीमती सीता देवी खिरबाल से याची द्वारा खरीदी जमीन में सुन्दर दास के पक्ष में बन्दोबस्त की गयी जमीन सम्मिलित थी तथा इस प्रकार, धारा 46 के अधीन वर्जन, जिसे 5.1.1948 से प्रभावी बनाया गया था, वर्तमान मामले में कार्य नहीं कर सकता है। इससे भी बढ़कर, जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया है वर्तमान कार्यवाही पूर्व न्याय द्वारा वर्जित है तथा तद्नुसार, वर्तमान कार्यवाही में आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित किये जाते हैं।

11. परिणामत:, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; ohjUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

बिभूति महतो एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1205 of 2003. Decided on 26th February, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 276 वर्ष 2001 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय VI, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 30.6.2003 की दोषसिद्धि के निर्णय तथा 2.7.2003 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–हत्या–सामान्य आशय–मृत्युदंड–समूचा अभियोजन मामला मूल रूप से केवल एक अभियोजन साक्षी की सूचना पर तैयार किया गया–अगर घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति संदिग्ध सिद्ध होती है, अन्य गवाहों के साक्ष्य को संदेह से देखा जायेगा इस कारण कि जब अमर सिंह ने अ॰ सा॰ को पूर्ण सूचना प्रदान की थी, अन्य गवाहों के नाम प्रकट नहीं किये गये थे, वह मृतक के संबंधी थे–गवाह कतिपय निर्णायक पहलुओं पर एक दूसरे को खंडित करते हैं, एक दूसरे की उपस्थिति से इनकार करने में वह थोड़ा अधिक विनिर्दिष्ट हैं–अभिलेख पर उपलब्ध चक्षुदर्शी वृत्तांत पर सतर्कता तथा सावधानी का परीक्षण लागू करते समय, अभियोजन का मामला संदेह से मुक्त नहीं है–चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य त्यक्त–सभी तीनों अभियुक्तों को संदेह का लाभ प्रदान किया गया–अपील अनुज्ञात।

(पैराएँ 12 से 18)

अधिवक्तागण.–M/s Hemant Kumar Shikawar, Nemish, For the Appellant; Ms. Anita Sinha, For the Respondent.

वीरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–सभी तीनों अभियुक्तों, अर्थात्, बिभूति महतो तथा सुनील महतो एवं वकील महतो नामक उसके दो पुत्रों ने किसी नरोत्तम सिंह (इसमें इसके पश्चात् 'मृतक' के तौर पर निर्दिष्ट) तथा प्रथम सूचनादाता अ॰ सा॰ हराधन सिंह के पिता की हत्या अभिकथित रूप से कारित करने के लिए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के आरोप पर विचारण का सामना किया था। विद्वान विचारण न्यायालय के 30 जून, 2003/2 जुलाई, 2003 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से उक्त आरोप पर सभी की दोषसिद्धि की गयी थी एवं आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। अतएव, प्रस्तुत अपील हुई है।

2. बिल्कुल प्रारंभ में ही, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसे न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि 30 सितम्बर, 2003 को अभियुक्त बिभूति महतो की कारागार में मृत्यु हो गयी थी। उन्होंने इस संबंध में कारागार की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रकार, प्रस्तुत अपील का अभियुक्त बिभूति महतो के संबंध में उपशमन होता है तथा सुनील महतो एवं वकील महतो नामक उसके दो पुत्रों के संबंध में यह बनी रहती है।

3. सुनील महतो कथित रूप से अपनी गिरफ्तारी की प्रारंभिक तिथि, अर्थात्, 19 मार्च, 2001 से हिरासत में है जबकि उसका भाई वकील महतो जमानत पर है। इस प्रकार, सुनील महतो लगभग 14 वर्षों का अपना तात्विक दंडादेश पहले ही भुगत चुका है। चूँकि हम काफी लंबे समय से इस न्यायालय में लंबित पुरानी अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया में हैं, कारावास की अवधि पर विचार करते समय वर्तमान अपील के अंतिम विचारण के लिए इसे प्राथमिकता दी गयी है।

4. मृतक के पुत्र अभियोजन साक्षी हराधन सिंह द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके संबंधी किसी अ॰ सा॰ अमर सिंह द्वारा इसे प्रदान की गयी एक सूचना पर आधारित है, जो अपने आप को घटना का

चश्मदीद गवाह होने के तौर पर प्रस्तुत करता है। यह अभिकथित किया गया है कि 8 मार्च, 2001 को 7 बजे पूर्वाह्न में मृतक मछली पकड़ने के लिए गांव के तालाब गया था, जब लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न में अभियुक्त बिभूति महतो (मृत), सुनील महतो तथा वकील महतो तलवार एवं टांगी (दोनों तीक्ष्ण धारदार हथियार) के साथ वहां आये थे तथा नरोत्तम सिंह पर हमला किया था जो घायल हो गया था तथा एक ओर भागा था जहां पर पूर्वोक्त हथियारों से अभियुक्तों द्वारा उसपर पुनः प्रहार किया गया था। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। इसके बाद कथित किया गया है कि अ॰ सा॰ हराधन सिंह अपने चाचा सत्य नारायण सिंह के साथ तालाब तक गया था एवं अपने पिता का शव वहां पर पड़ा हुआ पाया था। हत्या कारित करने के लिए प्रकटित हेतु उक्त तालाब से मछलियों का पकड़ना है जिसमें परिवादी का पक्ष भी अपने हिस्से का दावा कर रहा था।

5. अभिलेख पर उपलब्ध मूल प्राथमिकी से यह प्रतीत होता है कि पुलिस को सूचना प्रदान करने का समय 2.15 बजे अपराह्न है तथा जिस सूचना को प्राथमिकी दर्ज करने का आधार बनाया गया है, वह अमर सिंह द्वारा अ॰ सा॰ हराधन सिंह को 2 बजे अपराह्न में प्रदान की गयी थी क्योंकि वह बाजार गया था तथा उसी समय वापस आया था। घटना स्थल तथा पुलिस थाना पतन्दा, जहां प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, के बीच दूरी 22 किलोमीटर दर्शायी गयी है।

6. पूर्वोक्त पुलिस थाना के प्रभारी पदाधिकारी अ॰ सा॰ बांके लाल चौबे द्वारा वर्तमान मामले का अन्वेषण किया गया था तथा इसके समापन के उपरान्त सभी तीन अभियुक्तों को विचारण के लिए भेज दिया गया था।

7. इसे उल्लिखित किये जाने की आवश्यकता है कि विचारण के दौरान, लोक अभियोजक ने राधा नाथ केवर्तो तथा सांची केवर्तो नामक दो अन्य चश्मदीद गवाहों की परीक्षा करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 311 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया था क्योंकि इन गवाहों के बयान अन्वेषण के दौरान भी अभिलिखित किये गये थे परन्तु अभियुक्तों के विरूद्ध दाखिल आरोप पत्र के साथ आपूर्ति की गयी अभियोजन साक्षियों की सूची में इनके नाम नहीं थे। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन अनुज्ञात किया गया था इस प्रकार उन्हें न्यायालय साक्षीगण (क्रमशः सी॰ डब्ल्यू॰ 1 एवं सी॰ डब्ल्यू॰ 2) के तौर पर परीक्षित किया गया था। इसके अलावा, अन्वेषण पदाधिकारी ने अन्य व्यक्तियों के बयानों को भी अभिलिखित किया था जिन्होंने अपने आप को घटना के चश्मदीद गवाह के तौर पर प्रस्तुत किया था जो अभियोजन साक्षीगण घाशी राम सिंह, अनील सिंह (एक छात्र) तथा सागर सिंह थे। वह मृतक के संबंधी थे। इन गवाहों ने अभियोजन मामले को प्रस्तुत करने के लिए गवाह कक्ष में कदम रखा है।

8. अन्वेषण अभिकरण ने प्रथम सूचनादाता अ॰ सा॰ हराधन सिंह की पत्नी अ॰ सा॰ दीपाली सिंह का भी बयान अभिलिखित किया था। वह ऐसी व्यक्ति है जिसने तीनों अभियुक्तों को घटना स्थल से भागते हुए देखा था।

9. अब हम अभिलेख पर उपलब्ध समूचे अभियोजन साक्ष्य की पुनः बारीकी से जांच करते हैं।

10. घाशी राम सिंह ने गवाह कक्ष में कदम रखते समय उस ढंग को कथित करने के उपरान्त जिस ढंग से तालाब के पास मृतक पर प्रहार किया गया था, अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से अभियोजन साक्षीगण सागर, अमर सिंह एवं अनील सिंह की उपस्थिति से इनकार किया है ऐसा कथित करते हुए कि वे घटना के समय अपने घरों में मौजूद थे। उसने कथित किया कि वह इस संबंध में नहीं कह सकता है कि अमर सिंह ने मृतक के पुत्र (इसमें सूचनादाता) को कोई सूचना प्रदान की थी या नहीं। उसने बल्कि ये कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को भी कोई सूचना नहीं दी थी तथा घटना के डेढ़ घंटे के उपरान्त सभी पुलिस थाना गये थे। अ॰ सा॰ हराधन सिंह का यह भी मामला है कि वह तालाब तक गया था। अ॰ सा॰ घाशी राम सिंह, जो अपने आप को घटना का एक चश्मदीद गवाह बताता है, के साक्ष्य

से जो एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होता है वह यह है कि अ॰ सा॰ अमर सिंह घटना के समय मौजूद नहीं था। इस तथ्यपरक पृष्ठभूमि में, अ॰ सा॰ हराधन सिंह, जो पहला सूचनादाता है, को मुख्य घटना के बारे में किसने सूचना दी थी, यह संदेह के गहरे बादलों से घिरा हुआ है।

11. अब अमर सिंह के साक्ष्य को पठित करना सुसंगत होगा। नि:संदेह रूप से, अगर कोई इस गवाह की प्रधान परीक्षा का अवलोकन करता है, यह प्रतीत होता है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो सबसे निकट रूप से भी घटना को देख सकता था जो सामान्यत: संभव नहीं है, परंतु जब उसकी प्रतिपरीक्षा की गयी थी, ऐसा कथित करने में वह बिल्कुल स्पष्ट था कि शोर सुनने के उपरान्त दीपाली सिंह, अनील सिंह, सागर सिंह, घाशी राम, राधा नाथ केवर्तो एवं साची केवर्तो (सी॰ डब्ल्यू॰ 1 तथा सी॰ डब्ल्यू॰ 2 के तौर पर परीक्षित), गुरूधर महतो तथा राखल महतो वहां पहुंचे थे। ऐसा कहने में वह स्पष्ट है कि उसने इन व्यक्तियों को घटना के बारे में बताया था। इस प्रकार, घटना के समय वास्तव में कौन मौजूद था, अति संदिग्ध बन जाता है।

12. समूचा अभियोजन मामला मूल रूप से केवल अ॰ सा॰ अमर सिंह की सूचना पर तैयार किया गया है। अगर घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी संदिग्ध सिद्ध होती है, घासी राम सिंह, सागर सिंह नामक अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य को संदेह से देखा जायेगा इस कारण कि जब अमर सिंह ने अ॰ सा॰ हराधन सिंह को पूरी सूचना प्रदान की थी, अन्य गवाहों के नाम प्रकट नहीं किये गये थे। जैसा कि ऊपर कथित किया गया है, वह सभी मृतक के संबंध हैं। अगर उन्होंने वास्तव में अमर सिंह के साथ घटना को देखा होता, अगर हम उसके साक्ष्य पर विश्वास कर ही लेते हैं क्योंकि यह ऐसा साक्ष्य है जो अन्यथा संदिग्ध प्रकृति का है, अ॰ सा॰ हराधन सिंह को घटना का प्रत्येक विवरण प्रकट करते समय उससे इन गवाहों के नाम नहीं छुट सकते थे। हमें जो प्रतीत होता है वह यह है कि न तो अभियोजन साक्षी अमर सिंह ने वास्तव में घटना को देखा था, न ही घाशी राम, अनील सिंह एवं सागर सिंह नामक अन्य तीन गवाहों ने, अगर कोई अभियोजन साक्षीगण घाशी राम तथा अमर सिंह के साक्ष्य पर सूक्ष्म रूप से एवं उचित परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करता है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें गवाह न केवल कतिपय निर्णायक पहलुओं पर एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, एक दूसरे की मौजूदगी से इनकार करने में वह अपेक्षाकृत रूप से अति विनिर्दिष्ट हैं। यह निश्चित रूप से न्यायालय के मन में इस संबंध में अभिनिर्धारित करने में संदेह उत्पन्न करेगा कि क्या इन गवाहों ने वास्तव में घटना को देखा है या मृतक के निकट संबंधी होने के नाते बाद में सामने आ गये हैं।

13. यह सुस्थापित है कि संबंधी गवाहों के साक्ष्य को मात्र मृतक के साथ संबंध होने के कारण त्यक्त नहीं किया जाना है, परंतु सतर्कता का परीक्षण लागू किया जाना होता है। यहां एक ऐसा मामला है जिसमें अभियोजन के अनुसार कतिपय अन्य ग्रामीण भी वहां पर मौजूद थे परंतु उन्हें विचारण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके बजाय जो सभी गवाह सामने आये थे, वह किसी न किसी प्रकार मृतक के संबंधी हैं। इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध चक्षुदर्शी वृत्तांत पर सावधानी एवं सतर्कता का परीक्षण लागू करने से, हमें जो प्रतीत होता है वह यह है कि अभियोजन का मामला संदेह से परे नहीं है जहां तक तथाकथित चश्मदीद गवाहों की मौजूदगी का सवाल है। इस प्रकार, अभिकथित घटना के समय चश्मदीद गवाहों का साक्ष्य त्यक्त करने में हम कोई कठिनाई नहीं पाते हैं।

14. अ॰ सा॰ हराधन सिंह की पत्नी अ॰ सा॰ दीपाली का साक्ष्य यद्यपि उतना सुसंगत सिद्ध नहीं होता है जहां तक मुख्य घटना का संबंध है क्योंकि उसने तीनों अभियुक्तों को मृतक (उसके ससुर) के शरीर पर उपहतियां कारित करते हुए नहीं देखा था, परंतु उसने उन्हें घटना स्थल से भागते हुए देखा था। उसके साक्ष्य से कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि वह ऐसी व्यक्ति है जो संयोगवश तालाब के निकट

उपस्थित थी। यह ऐसा दर्शाता है कि वह घर से बाहर होकर तालाब की ओर गयी थी। यह समझ से परे है कि उसने अगर अभियुक्तों को घटना स्थल से भागते हुए देखा था, तो उसने उक्त तथ्य अपने पति को प्रकट नहीं किया था। अ॰ सा॰ हराधन सिंह ने प्राथमिकी में उसकी मौजूदगी के बारे में एक शब्द भी कथित नहीं किया था। अपितु, जब वह गवाह कक्ष में आयी थी, प्रतिपरीक्षा में अपनी मौजूदगी खंडित कर दी थी ऐसा कथित करते हुए कि घटना के समय वह अपने पति के साथ घर में मौजूद थी।

15. हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरान्त चक्षुदर्शी वृत्तांत तथा चिकित्सीय साक्ष्य के मुकाबिल भी कुछ दुर्बलताएं पाते हैं, परंतु चक्षुदर्शी वर्णन को एक बार अविश्वास योग्य पाने पर इस संबंध में विस्तृत परिचर्चा में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं।

16. अभिलेख पर उपलब्ध समूचे साक्ष्य से जो सामने आता है वह यह है कि घटना के चश्मदीद गवाह के तौर पर केवल मृतक के परिवार से व्यक्तियों को बुलाने का अभियोजन अभिकरण द्वारा यह अपरिष्कृत प्रयास किया गया है जबकि यह प्रतीत होता है कि उन्होंने वास्तव में घटना को नहीं देखा था। इस प्रकार, अभियोजन मामला अपनी पूरी संपूर्णता में अभिकथित अपराध के कारित होने में अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में संदिग्ध सिद्ध होता है। इस प्रकार, हम वर्तमान घटना में तीनों अभियुक्तों की अभिकथित भागीदारी के संबंध में उन सभी को संदेह का लाभ प्रदान करते हैं।

17. कुल परिणाम यह है कि प्रस्तुत अपील अनुज्ञात की जाती है।

18. बिभूति महतो का पुत्र अभियुक्त सुनील महतो, जो कथित रूप से मार्च, 2001 से हिरासत में है, को इस मामले में तत्काल रिहा किया जाएगा अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है। अभियुक्त वकील महतो, जो अपील के लंबित रहने के दौरान कथित रूप से जमानत पर है, को अपील के लंबित रहने के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बंध पत्रों से उन्मोचित किया जाएगा। अभियुक्त बिभूति महतो की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। कारागार प्राधिकारी को तद्नुसार सूचित किया जाए। विद्वान विचारण न्यायालय को भी प्रस्तुत अपील के निर्णय से तत्काल अवगत कराया जाएगा।

19. विचारण न्यायालय के अभिलेख (मूल) संबद्ध न्यायालय को वापस भेजे जायें।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

जगदीश पंडित

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. Pet. No. 5096 of 2001. Decided on 6th February, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—अभिखंडन–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन संज्ञान लेने वाला आदेश–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 172 के निबंधनानुसार केस डायरी में पुलिस द्वारा अन्वेषण दर्ज किया गया है और यदि फाइनल फॉर्म दाखिल किया जाता है, दंडाधिकारी को उक्त रिपोर्ट का परिशीलन करना होगा और यह फाइनल फॉर्म स्वीकार कर सकता है अथवा पुलिस के निष्कर्ष के साथ असहमत हो सकता है और अपराध का संज्ञान ले सकता है–यदि दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट अथवा फाइनल फॉर्म से असहमत होता है, उसे ऐसी असहमति के संबंध में कारण

देना होगा–ऐसे मामलों में विवेक का समुचित इस्तेमाल केवल तब परिलक्षित होगा जब दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश सुतार्किक आदेश है–अभिनिर्धारित, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन लिया गया संज्ञान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ द्वारा विवेक का पूर्ण गैर-इस्तेमाल दर्शाता है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट से असहमत होते हुए और इस निष्कर्ष पर आने के लिए कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया गया–विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए मामला अवर न्यायालय के पास वापस भेजा गया।

(पैराएँ 6 से 11)

निर्णयज विधि.–2012 (1) BLJ & JLJ 166 (SC) : (2012) 2 SCC 188—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Manoj Kumar Sah, For the Petitioner; Mr. Arun Kumar Pandey, For the Opp. Party No.1.

आदेश

पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 27.2.2001 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित पाकुड़ (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 229 वर्ष 1999, जी॰ आर॰ सं॰ 504 वर्ष 1999 के तत्सम, के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना की गयी है।

3. किसी बंटी कुमार यादव द्वारा संस्थित प्राथमिकी से सामने आने वाला अभियोजन मामला इस प्रभाव का है कि राज इंटरमीडिएट विद्यालय, पाकुड़ में मैट्रिकुलेशन परीक्षा के छात्रों के फॉर्म भरे जा रहे थे। यह अभिकथित किया गया है कि याची जो विद्यालय का प्राचार्य है अवैध रूप से प्रत्येक छात्र से उनको फॉर्म भरने की अनुमति देने के लिए 500/- रुपया संग्रहित कर रहा था। जब कुछ छात्रों ने विरोध किया, यह अभिकथित किया गया था कि प्राचार्य ने कुछ छात्रों द्वारा पायी गयी उपहति में परिणत होने वाली लाठी चार्ज का आदेश दिया।

4. अन्वेषण के बाद, पुलिस ने मामला झूठा दर्शाते हुए फाइनल फॉर्म दाखिल किया। विद्वान न्यायालय के समक्ष फाइनल फॉर्म दाखिल किए जाने के बाद विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, पाकुड़ ने पुलिस द्वारा दाखिल फाइनल फॉर्म से असहमत होते हुए दिनांक 27.2.2001 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था और पूर्णत: तथा यांत्रिक रूप से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि वस्तुत: वर्तमान मामला पाकुड़ (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 228 वर्ष 1999, जिसे याची द्वारा संस्थित किया गया है के विरोध में दाखिल किया गया है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ को पुलिस द्वारा दाखिल फाइनल फॉर्म के साथ असहमत होने की शक्ति है और इस दशा में संज्ञान लेने वाले आदेश में अवैधता नहीं है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि विद्वान दंडाधिकारी को केवल यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार हैं और, इसलिए, संज्ञान लेते हुए विस्तृत आदेश बिल्कुल आवश्यक नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मैं पाता हूँ कि प्राथमिकी के संस्थापन के बाद पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया था जिसने याची के विरुद्ध मामले को झूठा दर्शाते हुए फाइनल फॉर्म

दाखिल किया था। फाइनल फॉर्म दाखिल करने पर विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन अपराध का संज्ञान लेने का निर्णय किया। यह विवादित नहीं है कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध मामले को झूठा दर्शाते हुए पुलिस द्वारा फाइनल फॉर्म दाखिल किया जाता है, विद्वान दंडाधिकारी अन्वेषण अधिकारी के मत से बाध्य नहीं है और अपनी रिपोर्ट में पुलिस द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण को ध्यान में लिए बिना और यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं और क्या फाइनल फॉर्म स्वीकार किया जाना है अथवा संज्ञान लिया जाना चाहिए, अपने स्वविवेक का प्रयोग करने के लिए सक्षम है। तब प्रश्न उद्‌भूत होगा कि क्या विद्वान दंडाधिकारी, यदि वह अभियुक्तगण के विरुद्ध मामले को झूठा दर्शाते हुए पुलिस द्वारा दाखिल फाइनल फॉर्म से असहमत है, के लिए ऐसी असहमति को न्यायोचित ठहराते हुए विस्तृत एवं तार्किक आदेश देना बाध्यकारी है?

8. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 172 के निबंधनानुसार केस डायरी में पुलिस द्वारा अन्वेषण दर्ज किया गया है और यदि फाइनल फॉर्म दाखिल किया जाता है, विद्वान दंडाधिकारी को उक्त रिपोर्ट का परिशीलन करना होगा और यह फाइनल फॉर्म स्वीकार कर सकता है अथवा पुलिस के निष्कर्ष के साथ सहमत हो सकता है और अपराध का संज्ञान ले सकता है। यदि विद्वान दंडाधिकारी पुलिस रिपोर्ट अथवा फाइनल फॉर्म के साथ असहमत होते हैं, और ऐसी असहमति के संबंध में कारण देना होगा। ऐसे मामलों में विवेक का सम्यक इस्तेमाल केवल तब परिलक्षित होगा जब दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश सुतार्किक आदेश है। इस संबंध में, **''नुपूर तलवार बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, दिल्ली एवं एक अन्य, (2012)2 SCC 188 [:2012 (1) BLJ & JLJ 166 (SC)],** मामले को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

9. दिनांक 27.2.2001 का आदेश जिस विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, पाकुड़ द्वारा पारित किया गया है जिसके द्वारा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ की ओर से विवेक का पूर्ण गैर-इस्तेमाल दर्शाता है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के साथ असहमत होते हुए और इस निष्कर्ष पर आने के लिए कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए याची के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, कोई कारण नहीं दिया गया है। यह मेरे दृष्टिकोण में विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना के विपरीत है।

10. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। पाकुड़ (टी॰) पी॰ एस॰ केस सं॰ 229 वर्ष 1999 जी॰ आर॰ सं॰ 504 वर्ष 1999 के तत्सम, में विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 27.2.2001 का आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किया जाता है।

11. विधि के अनुरुप और जैसी चर्चा इस आदेश में की गयी है, उसके अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए मामला अवर न्यायालय के पास वापस भेजा जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

श्री रामजी ओझा

cuke

झारखण्ड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 2458 of 2013. Decided on 12th February, 2015.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—परमादेश–बंदोबस्त भूमि के लिए लगान निर्धारण करने का निर्देश–याची सैन्य सेवा में था, भूमि की बंदोबस्ती के लिए कमांडिंग ऑफिसर की

दिनांक 2.5.1967 की अनुशंसा पर दिनांक 13.2.1973 को याची के पक्ष में भूमि का बंदोबस्त किया गया था और उसे कब्जा दिया गया था, किंतु उसने दिनांक 30.4.1980 को सेवा से अधिवर्षित होने के बाद भी इसके लगान का भुगतान नहीं किया था और उसने अभिकथित रूप से दिनांक 21.6.1985 को पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन दिया–याची ने दिनांक 13.2.1973 की बंदोबस्ती के लिए लगान का भुगतान नहीं किया था और उसके पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया था–पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन देने का अवसर याची के पास नहीं था–दिनांक 24.8.1990 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याची के कारण बताओ के उत्तर पर विचार करने के बाद डी॰ सी॰ ने बंदोबस्ती रद्द कर दिया–याची बंदोबस्ती मामला सं॰ 38 वर्ष 1967-68 के लिए लगान का भुगतान नहीं करने में 17 वर्षों से अधिक के विलंब को स्पष्ट करने में विफल रहा–याची ने दिनांक 17.7.1989 को अपना पहला अभ्यावेदन दिया, दिनांक 18.4.2013 को रिट दाखिल किया, 14 वर्ष से अधिक समय बाद न्यायालय के पास आने के लिए उसकी ओर से ढिलाई एवं विलंब के लिए याची द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया–याचिका खारिज। (पैराएँ 9 से 11)

अधिवक्तागण.–Mr. P.K. Mukhopadhyay, For the Petitioner; M/s Manoj Kumar, Ashutosh Kr. Singh, For the State.

आदेश

बंदोबस्ती मामला सं॰ 38 वर्ष 1967-68 में दिनांक 13.2.1973 के आदेश के तहत बंदोबस्ती की गयी भूमि के लिए लगान निर्धारित करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 4 अंचलाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश इप्सित करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. रिट याचिका में वर्णित संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची जो सैन्य सेवा में था को भूमि की बंदोबस्ती के लिए कमांडिंग ऑफिसर की दिनांक 2.5.1967 की अनुशंसा पर बंदोबस्ती मामला सं॰ 38 वर्ष 1967-68 में मौजा केलाबादी सं॰ 1431 में लगभग 15 बीघा, 7 कट्ठा 19 धूर मापवाली भूमि बंदोबस्त की गयी थी और पर्चा जारी करने की अनुशंसा दिनांक 13.2.1973 के आदेश के तहत जारी की गयी थी। याची दिनांक 30.4.1980 को सेवा से अधिवर्षित हुआ और तत्पश्चात उसने पट्टा मामला सं॰ 26 वर्ष 1985-86 के तहत दिनांक 21.6.1985 को पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन दिया और याची को दिनांक 9.7.1987 के आदेश के तहत पट्टा के प्रदान के लिए समस्त प्रासंगिक कागजातों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इस बीच दिनांक 24.8.1990 को याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर याची ने दिनांक 9.9.1990 को दिया। याची के उत्तर पर विचार करने के बाद, उपायुक्त ने दिनांक 10.10.1990 के आदेश के तहत याची के पक्ष में बंदोबस्ती रद्द कर दिया। याची ने दिनांक 17.7.1989, 12.4.1990, 10.5.1990, 30.11.1992 एवं 27.10.1997 के अभ्यावेदनों के तहत सब-डिविजनल अधिकारी एवं अंचलाधिकारी को अभ्यावेदन दिया और तत्पश्चात वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

3. रिट याची द्वारा ताथ्यिक तथ्यों का दमन अभिकथित करते हुए प्रत्यर्थी झारखंड राज्य की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। यह कथन किया गया है कि यद्यपि उपायुक्त द्वारा दिनांक 10.10.1990 के आदेश के तहत बंदोबस्ती रद्द कर दी गयी थी, रिट याचिका में याची द्वारा उक्त तथ्य का दमन किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 13.2.1973 की बंदोबस्ती के तहत याची को ऐसी बंदोबस्ती के पाँच वर्ष बाद लगान का भुगतान करने की आवश्यकता थी किंतु, याची ने लगान का भुगतान नहीं किया था और इसलिए, दिनांक 10.10.1990 के आदेश के तहत याची को नोटिस जारी करने के बाद दिनांक 13.2.1973 को याची के पक्ष में की गयी बंदोबस्ती उपायुक्त द्वारा रद्द कर दी गयी थी।

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 13.2.1973 को याची के पक्ष में बंदोबस्ती किए जाने के बाद किसी बासु गोप के विरुद्ध अतिक्रमण मामला आरंभ किया गया था और उक्त कार्यवाही में उक्त बासु गोप द्वारा बयान दिए जाने के बाद कि उसका प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा नहीं है, उक्त कार्यवाही छोड़ दी गयी थी। तत्पश्चात् याची ने दिनांक 17.7.1989 को अनेक अभ्यावेदन दिया किंतु, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था और इसलिए, मजबूर होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

6. उत्तर में, प्रत्यर्थी झारखंड राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिशपथ पत्र में लिया गया दृष्टिकोण अपनाया और निवेदन किया कि चूँकि याची के पक्ष में बंदोबस्ती पाँच वर्ष बाद लगान के भुगतान पर शर्तपूर्ण थी जिसका भुगतान याची ने स्वीकृत रूप से नहीं किया था और इसलिए, कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद दिनांक 10.10.1990 के आदेश के तहत बंदोबस्ती रद्द की दी गयी है।

7. उत्तर में, याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि दिनांक 18.6.1982 के पत्र की दृष्टि में, याची को अपने सेवाकाल के दौरान लगान का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी बल्कि उसे अपनी सेवानिवृत्ति अथवा उसके सेवा छोड़ने के पाँच वर्ष बाद लगान का भुगतान करने की आवश्यकता थी। इन तथ्यों में, याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 13.2.1973 की बंदोबस्ती में गठित भूमि के लिए लगान के नियतिकरण के लिए प्रत्यर्थी झारखंड राज्य को निर्देश जारी किया जाय।

8. मैंने सावधानीपूर्वक पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज का परिशीलन किया है।

9. दिनांक 18.6.1982 के पत्र में पैराग्राफ सं॰ 2 (च) एवं 2 (ङ) को नीचे उद्धृत किया जाता है:–

"2 (³) Ñf"k vFkok vkokl d ç;ktu l Hkfe lU; cy d iokfYyf[kr leLr dkfV d lnL;k dk nh tk,xh] bl doy xkeh.k {k=k e fn;k tk,xkA

*(p) io fu.k; d vulj.k e Hkfe dk cnkcLrh lykeh (cnkcLrh d fo#) ,de'r Hkxrku dh x;h yxku jkf'k) d fcuk dh tk,xhA tgk rd okf"kd yxku d ekey dk lcèk g] lU; cy d mu lnL;k tk lU; cy d vèkhu rukr g] l ikp o"kk rd okf"kd yxku çHkkfjr ugh fd;k tk,xk] ijUr ;g fd o cnkcLrh dh frfFk l ikp o"kk d fy, lU; cy dh lok e cu jgr gA ;fn lU; cy d lnL;k u jk"V d fy, viu thou dk cfynku fn;k g vFkok ;) e migfr çkIr dju d ckn vFkok lok e fodykx gku ij lok NkM fn;k g] rc cnkcLrh dh frfFk d vxy ikp o"kk rd mud ifjokj d lnL;k l okf"kd yxku oly ugh fd;k tk,xkA fdr lU; cy d o lnL;] ftUg fdlh vU; dkj.k l lok l gVk;k x;k g vFkok tk lok ijk dju d ckn lok l lokfuoÙk gk x, g] mUg lU; cy d lnL;k dh lok NkMu dh frfFk d çHkko l okf"kd yxku dk Hkxrku djuk gkxkA mDr ijk lO (x) ,o (?k) e mfYyf[kr lU; cy d lnL;k dk cnkcLrh dh frfFk d çHkko l okf"kd yxku dk Hkxrku djuk gkxkA**

10. उक्त प्रावधान से यह प्रकट है कि सैन्य सेवा में नियोजित व्यक्ति, यदि वह आवंटन के बाद सेवा में पाँच वर्ष तक बना रहता है, तब उसे बंदोबस्ती की तिथि के पाँच वर्ष बाद लगान का भुगतान

करना होगा और इस प्रकार, पहले पाँच वर्षों का लगान अधित्यक्त कर दिया गया है। इस तथ्य की दृष्टि में कि सैन्यकर्मी, जिसकी मृत्यु युद्ध आदि में हो गयी अथवा जिसे कर्तव्य पर रहते हुए उपहति के कारण उन्मोचित किया गया था, के परिवार के सदस्यों, को पाँच वर्ष के लिए लगान का भुगतान करने से छूट प्रदान किया गया है, यह प्रतिवाद कि याची को सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद लगान का भुगतान करने की आवश्यकता थी, अमान्य है।

11. अभिलेख पर लायी गयी सामग्री से, मैं पाता हूँ कि दिनांक 13.2.1973 को याची के पक्ष में बंदोबस्ती की गयी थी और उसे कब्जा दिया गया था किंतु उसने सेवा से अधिवर्षित होने के बाद भी इसके लिए लगान का भुगतान नहीं किया था। याची दिनांक 30.4.1980 को सेवा से अधिवर्षित हुआ और उसने अभिकथित रूप से दिनांक 21.6.1985 को पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन दिया। याची द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विरोधाभासी है क्योंकि जब उसने बंदोबस्ती के लिए लगान का भुगतान नहीं किया था और याची के पक्ष में पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, पट्टा के नवीकरण के लिए आवेदन देने के लिए याची के पास अवसर नहीं था। चूँकि याची दिनांक 13.2.1973 की बंदोबस्ती के तहत भूमि की बंदोबस्ती के लिए लगान का भुगतान करने में विफल रहा, दिनांक 24.8.1990 को याची को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याची के कारण बताओ उत्तर पर विचार करने के बाद उपायुक्त ने दिनांक 10.10.1990 के आदेश के तहत बंदोबस्ती रद्द कर दिया। याची बंदोबस्ती मामला सं॰ 38 वर्ष 1967-68 में बंदोबस्ती के लिए लगान का भुगतान नहीं करने में 17 वर्षों से अधिक के विलंब को स्पष्ट करने में विफल रहा है। अभिलेख पर लायी गयी सामग्री से यह प्रतीत होता है कि याची ने दिनांक 17.7.1989 को अपना प्रथम अभ्यावेदन दिया था किंतु, वर्तमान रिट याचिका केवल दिनांक 18.4.2013 को दाखिल की गयी है और 14 वर्ष से अधिक समय के बाद इस न्यायालय के पास आने के लिए याची की ओर से ढिलाई एवं विलंब के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। दिनांक 18.6.1982 के पत्र तथा इस तथ्य कि बंदोबस्ती पहले ही रद्द कर दी गयी है, की दृष्टि में याची को अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।

12. मैं गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

रजिया बीबी

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Acquittal Appeal (S.J.) No. 36 of 2005. Decided on 20th February, 2015.

पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 262 वर्ष 1998 के संबंध में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 14.11.2002 की दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 498A—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 378 (4)—दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील–विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया है और आरोप से दोषमुक्त किया गया–शब्द 'क्रूरता' जैसा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन परिभाषित किया गया है दो खंडों अर्थात् खंड (a) एवं खंड (b) से गठित है और धारा 498A के खंडों में से किसी को आकृष्ट करने के लिए अभियोजन द्वारा स्थापित किया जाना होगा कि क्रूरता अथवा परेशानी उसको स्वयं को गंभीर शारीरिक उपहति कारित करने के लिए अथवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के

लिए थी अथवा परेशानी उसको अवैध मांग पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए थी–प्रहार के अभिकथन को संपुष्ट करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य बिल्कुल मौजूद नहीं है बल्कि अभिकथन अस्पष्ट एवं बहुप्रयोजनीय है–छोटा-मोटा झगड़ा अथवा पति और ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार की छिटपुट घटनाएँ शब्द ''क्रूरता'' को आकृष्ट नहीं करते हैं अथवा इसकी चारदीवार के भीतर नहीं आते हैं–अभियोजन गवाहों के परिसाक्ष्य से कोई साक्ष्य नहीं था कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 अवैध मांग के रूप में और अधिक धन मांगते रहे और परिणामस्वरुप परिवादी को शारीरिक प्रहार के अध्यधीन किया गया था–अभिनिर्धारित, असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थीगण को दोषसिद्ध करना असुरक्षित होगा–अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेहों के परे सिद्ध करने में विफल रहा कि प्रत्यर्थीगण ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध किया है–अपील खारिज। (पैराएँ 6 से 15)

निर्णयज विधि.–2009 (3) East Cr. C. 321 (S.C.)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s J. Mazumdar, Rajesh Kumar, Nishant Roy, For the Appellant; Ms. Anita Sinha, For the State.

निर्णय

परिवादी अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (4) के अधीन दाखिल यह दोषमुक्ति अपील पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 262, वर्ष 1998/टी॰ आर॰ सं॰ 174 वर्ष 2002 में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 14.11.2002 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराध के लिए दोषी नहीं पाने पर उनको आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

2. अभियोजन मामला, जो वर्तमान अपीलार्थी रजिया बीबी द्वारा दाखिल परिवाद से उद्‌भूत हुआ संक्षेप में यह है कि परिवादी-अपीलार्थी का विवाह प्रत्यर्थी सं॰ 2 मकसद अली के साथ परिवाद याचिका की दाखिली के लगभग दो वर्ष पहले हुआ और विवाह में उसके माता-पिता ने गहना, बर्तन एवं मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 30,000/- रुपया नगद दिया और विवाह के बाद वह अपने दांपत्य गृह आयी और उक्त समस्त उपहार अपने पति को दिया किंतु उसका पति दहेज से संतुष्ट नहीं था जिसे उसके माता-पिता द्वारा उसे दिया गया था। उसका वैवाहिक जीवन विवाहोपरांत बहुत प्रसन्नतापूर्ण नहीं था क्योंकि प्रत्यर्थी सं॰ 4 ससुर की प्रेरणा पर उसके पति एवं उसके पति की पहली पत्नी हलीमा बीबी द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि कुछ समय बाद अभियुक्तगण प्रत्यर्थी सं॰ 3 पहली पत्नी के इलाज के लिए 7,000/- रुपया मांगने लगे। उसके पिता ने किसी प्रकार 5000/- रुपयों का प्रबंध किया और उसके पति को दिया किंतु तत्पश्चात भी अभियुक्तगण उसके माता-पिता से अधिक धन की मांग करना जारी रखा और इसे पूरा नहीं किए जाने के कारण उसे शारीरिक यातना के अध्यधीन किया जाता था और एक दिन परिवादी पर उसके पिता की उपस्थिति में निर्ममतापूर्वक प्रहार किया गया था और उसके समस्त आभूषणों को छीनने के बाद उसे यह कहकर दांपत्य गृह से निकाल दिया गया था कि उसे अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने नहीं दी जाएगी जब तक ग्रामीण बैंक में उसके खाता में पड़े 5000/- रुपयों को निकाला नहीं जाता है और उनको सौंपा नहीं जाता है।

3. उक्त परिवाद के आधार पर, पी॰ सी॰ आर॰ केस सं॰ 262 वर्ष 1998 दर्ज किया गया था और संज्ञान लेने के बाद ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, पाकुड़ के न्यायालय ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच एवं निपटान के लिए मामला अंतरित किया। तत्पश्चात, प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिसके प्रति अभियुक्तगण ने निर्दोषिता का

अभिवचन किया। बचाव अभिकथन से पूरा इनकार का था और उन्होंने इस मामले में झूठा आलिप्त किए जाने का दावा किया।

4. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 को आरोप से दोषमुक्त किया। दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान अपीलार्थी ने दोषमुक्ति अपील दाखिल करने की अनुमति प्रदान करने के लिए दांडिक विविध याचिका दाखिल किया और अनुमति प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान दोषमुक्ति अपील दाखिल की गयी थी।

5. दोषमुक्ति के निर्णय का विरोध करते हुए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियोजन गवाह अपने परिसाक्ष्य में संगत थे कि यद्यपि प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 की मांग दहेज से संबंधित नहीं थी किंतु यह विधि विरुद्ध मांग थी। यह निवेदन भी किया गया था कि अभियोजन ने स्थापित एवं सिद्ध किया है कि उसके विवाह के बाद अपीलार्थी परिवादी को अपने माएका से अधिक धन लाने के लिए प्रहार एवं परेशानी के अध्यधीन किया जाता था, अत: दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय विधि में दोषपूर्ण है।

6. मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है। शब्द 'क्रूरता' जैसा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन परिभाषित किया गया है दो खंडों अर्थात् खंड (a) एवं खंड (b) से गठित है और धारा 498A के खंडों में से किसी को आकृष्ट करने के लिए अभियोजन को स्थापित करना होगा कि पत्नी के साथ क्रूरता अथवा परेशानी उसको स्वयं को गंभीर उपहति कारित करने के लिए अथवा आत्महत्या करने के लिए उसको मजबूर करने के लिए थी अथवा परेशानी अवैध मांग परिपूर्ण करने के लिए उसको मजबूर करने के लिए थी। विधि के उक्त प्रावधान को दृष्टि में रखते हुए मैं अभिलेख पर मौजूद गवाहों के परिसाक्ष्य एवं अन्य सामग्री का परीक्षण स्वयं को संतुष्ट करने के लिए करना चाहूँगा कि क्या अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति का निर्णय साक्ष्य के समुचित अधिमूल्यन पर आधारित है?

7. अ॰ सा॰ 1, सुफेरा बीबी ने अपीलार्थी से 5000/- रुपयों की मांग के परिवाद मामला का समर्थन किया है और कि ससुर अफजल शेख के उकसावा पर मकसद अली की पहली पत्नी ने परिवादी पर प्रहार किया और तत्पश्चात परिवादी को उसके पिता की उपस्थिति में उसके दांपत्य गृह से बाहर निकाल दिया गया था किंतु गवाह ने अपने साक्ष्य में कहीं नहीं प्रकट किया है कि किस प्रकार उसे धन की मांग की जानकारी हुई और इस तथ्य का पता चला कि मांग पूरा नहीं किए जाने के कारण परिवादी को शारीरिक प्रहार के अध्यधीन किया गया था। उसने आगे संपुष्ट किया है कि वह परिवादी रजिया बीबी से संबंधित नहीं है।

8. अ॰ सा॰ 2 हबीबुल्ला जो परिवादी–अपीलार्थी का भाई है ने भी विधिविरुद्ध मांग और विवाहोपरांत प्रहार के परिवादी के मामले का समर्थन किया है किंतु कहीं पर भी यह कथन नहीं किया गया है कि उसके पिता की उपस्थिति में परिवादी को दिनांक 23.10.1998 को उसके दांपत्य गृह से बाहर निकाला गया था।

9. अ॰ सा॰ 3 ने भी अपने परिसाक्ष्य में जो प्रकट नहीं किया है कि किससे उसे विधि विरुद्ध मांग एवं परिवादी पर प्रहार की जानकारी हुई।

10. अ॰ सा॰ 4 परिवादी का पिता है और उसने प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 द्वारा 7000/- रुपयों एवं उनको 5000/- रुपयों के भुगतान की मांग को संपुष्ट करते हुए आगे संपुष्ट किया है कि उनके मांग के आंशिक भुगतान के बाद भी परिवादी को शारीरिक प्रहार के अध्यधीन किया जाता था और तत्पश्चात उसे उसके दांपत्य गृह से बाहर निकाला गया था। इस गवाह ने अपने साक्ष्य में कहीं नहीं कथन किया है कि उसकी पुत्री को उसके उपस्थिति में घर से निकाला गया था।

11. परिवादी अपीलार्थी रजिया बीबी (अ॰ सा॰ 5) ने परिवाद याचिका में कथित तथ्य को दोहराते हुए आगे परिसाक्ष्य दिया कि उसका वैवाहिक जीवन विवाह के पहले 7-8 माह तक अत्यन्त प्रसन्नतापूर्ण था किंतु तत्पश्चात उसके पति ने 7000/- रुपया मांगा और उसे अपने माएके से इसे लाने के लिए कहा। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसके पिता ने किसी प्रकार 5000/- रुपयों का प्रबंध किया और उसके पति को दिया किंतु उक्त राशि से उसके पति ने अपनी पहली पत्नी के लिए गहना खरीदा। गवाह का बिल्कुल यह बयान कि वह अपने विवाह के पहले 7-8 माह तक अपने दांपत्य गृह में प्रसन्नतापूर्वक रह रही थी, विवाहोपरांत मांग एवं प्रहार, जैसा परिवाद याचिका में अभिकथित किया गया है, के उसके अपने मामले और विवाहोपरांत परिवादी पर प्रहार के अन्य गवाहों के साक्ष्य को पूरी तरह भंजित करता है। इस गवाह ने कहीं नहीं कथन किया है कि उसे उसके पिता की उपस्थिति में उसके दांपत्य गृह से बाहर निकाला गया था।

12. मंजू राम कालिता बनाम असम राज्य, 2009 (3) East. Cr. C. 321 (SC), में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता के विवाद्यक पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया:–

*^^HkkO nO lO dh èkkjk 498A d ç;ktu l ^^Øjrk** HkkO nO lO dh èkkjk 498A d lnHk e LFkkfir fd;k tkuk g D;kfd ;g vU; lkfofèkd çkoèkkuk l fHkUu gk ldrk gA bl i#"k d vkpj.k] mld ÑR;k dh xHkhjrk dk rkyr g, LFkkfir fd;k tkuk g vkj ;g irk yxk;k tkuk g fd D;k bldh L=h dk vkRegR;k dju d fy, etcj dju dh lHkkouk gA ;g Hkh LFkkfir fd;k tkuk g fd L=h dk fujrj vFkok de l de ifjokn nkf[ky dju dh le; dh fudVrk e Øjrk d vè;èkhu fd;k x;k gA HkkO nO lO dh èkkjk 498A d çkoèkkuk dk vkÑ"V dju d fy, NkV&ekV >xMk dk ^Øjrk* ugh dgk tk ldrk gA bl lhek rd ekufld ;kruk dkfjr djuk fd ;g vlguh; gk tk,] Øjrk dgk tk ldrk gA***

13. वर्तमान मामले का परीक्षण पूर्वोक्त सुनिश्चित विधिक प्रावधानों को विचार में लेकर करने की आवश्यकता है। स्वीकृत रूप से, परिवादी के पिता अ॰ सा॰ 4 ने अपनी उपस्थिति में किसी अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध मांग के बारे में कहीं नहीं कथन किया है। अपने विवाह के बाद, परिवादी अपने माएके कभी नहीं आयी और किसी भी गवाह ने अपने साक्ष्य में परिसाक्ष्य नहीं दिया है कि वे कभी भी परिवादी के दांपत्य गृह गए। अ॰ सा॰ 4 पिता ने भी इनकार किया है कि उसकी उपस्थिति में परिवादी को उसके दांपत्य गृह से निकाला गया था। प्रहार के अभिकथन को संपुष्ट करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य बिल्कुल नहीं है बल्कि साक्ष्य अस्पष्ट एवं बहुप्रयोजनीय है। छोटे–मोटे झगड़े अथवा पति और ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार की छिटपुट घटनाएँ 'क्रूरता' आकृष्ट नहीं करती है अथवा इसकी चारदीवार के अंतर्गत नहीं आती हैं जैसा भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन परिभाषित किया गया है।

14. अभियोजन गवाहों के उक्त परिसाक्ष्य में यह सुरक्षापूर्वक निष्कर्षित किया जा सकता है कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 अवैध मांग के रूप में अधिक धन मांगते रहे और परिणामस्वरुप परिवादी को शारीरिक प्रहार के अध्यधीन किया जाता था।

15. उक्त चर्चा की दृष्टि में, असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थी सं॰ 2 से 4 को दोषसिद्ध करना असुरक्षित होगा। मेरे दृष्टिकोण में, अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि उक्त प्रत्यर्थीगण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन दंडनीय अपराध किया है। परिणामस्वरुप, अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दोषमुक्ति अपील गुणागुणरहित होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

ekuuh; ihñ ihñ HkVV] U;k;efr

मोस्मात पुना कुअर एवं अन्य

cuke

नरेश महतो एवं अन्य

W.P.(C) No. 693 of 2014. Decided on 20th February, 2015.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 227—वरीय सिविल न्यायाधीश के आदेश के अभिखंडन के लिए–प्रतिस्थापन के लिए सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 10 के अधीन याचिका अवर न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गयी–अभिनिर्धारित, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अवैधता नहीं है–अवर न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी संप्रेक्षित किया है कि वादी को सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 3 के अधीन आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता है–विचारण न्यायालय को विचारण की कार्यवाही करने और आवेदन, यदि इसे याचीगण-वादीगण द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश XXII नियम 3 के अधीन दाखिल किया जाता है, पर विचार करने और इसे नए सिरे से विनिश्चित करने के निर्देश के साथ निपटाया जाता है। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Sahani, A.K. Pandey, For the Petitioner; None, For the Respondents.

आदेश

वर्तमान याचिका अभिधान वाद सं॰ 40/2011 में विद्वान सीनियर सिविल न्यायाधीश IV, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 4.1.2014 के आदेश (परिशिष्ट 5) के अभिखंडन के लिए भारत के संविधान की धारा 227 के अधीन दाखिल की गयी है जिसके द्वारा मृतक वादी सं॰ 49 एवं 68 के स्थान में प्रतिस्थापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 10 के अधीन याचीगण की ओर से दाखिल याचिका, जो विद्वान अवर न्यायालय के अनुसार पोषणीय नहीं है, अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

3. जहाँ तक प्रत्यर्थीगण का संबंध है, अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी सं॰ 1, 3 से 27 एवं 29 पर वैध रूप से तामील किया गया है, किंतु आज की तिथि तक उनकी ओर से उपस्थिति दाखिल नहीं की गयी है। प्रत्यर्थी सं॰ 2 एवं 28 पर नोटिस तामील नहीं किया जा सका था क्योंकि प्रत्यर्थी सं॰ 2 उस स्थान पर नहीं रहता है और प्रत्यर्थी सं॰ 28 की मृत्यु हो गयी थी। अत: याची को पूर्वोल्लिखित दो प्रत्यर्थीगण के लिए आगे समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है, किंतु यह कुछ समय लेगा और इसलिए इस रिट याचिका में अंतर्ग्रस्त विवाद को देखते हुए इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि विद्वान अवर न्यायालय को नए आवेदन, जिसे याचीगण-वादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 3 के अधीन दाखिल किया जा सकता है, पर विचार करने का उपयुक्त निर्देश देकर मामला निपटाया जा सकता है। तद्नुसार, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता सहमत हैं और निवेदन करते हैं कि वह अभिधान वाद सं॰ 40/2011 में विधि के समुचित प्रावधान के अधीन आवेदन दाखिल करने के लिए अपने मुवक्किल को अनुदेश देंगे और यदि वह आवेदन दिया जाता है, विद्वान अवर न्यायालय को विधि के अनुरुप इस विचार करने की आवश्यकता है।

4. इस दशा में, मामले के इस दृष्टिकोण में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अवैधता नहीं है। वस्तुत:, विद्वान अवर न्यायालय ने अपने आदेश में संप्रेक्षित किया है कि वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 3 के अधीन आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता है। अत:, नया आवेदन,

यदि इसे याचीगण–वादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 3 के अधीन अथवा अन्य समुचित प्रावधानों के अधीन दाखिल किया जाता है, पर विचार करने और विनिश्चित करने और विचारण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ यह आवेदन निपटाया जाता है।

5. जहाँ तक प्रत्यर्थी सं॰ 2 का संबंध है, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए याचीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं॰ 2 पर नोटिस तामील करने के लिए समुचित कदम उठाएँगे। चूँकि प्रत्यर्थी सं॰ 28 जो वाद में प्रतिवादीगण में से एक है की मृत्यु हो गयी है। अतः, याचीगण–वादीगण के विद्वान अधिवक्ता विद्वान अवर न्यायालय में उसके विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक कदम उठाएँगे यदि ऐसा नहीं किया गया है।

6. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देश के साथ यह रिट याचिका निपटायी जाती है।

---

ekuuh; lthr ukjk;.k çlkn] U;k;efr

महेश राम पासवान

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(S) No. 7767 of 2013. Decided on 27th January, 2015.

बिहार पेंशन नियमावली, 1950—नियम 43 (b), नियम 139 (b)—बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में तुरन्त के प्रभाव से अगले पाँच वर्षों तक याची के पेंशन से 5% राशि की कटौती करने के आदेश को चुनौती दी गयी–यह सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना है कि यदि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन सेवा के दौरान कोई कार्यवाही प्रारंभ की गयी है तथा पूरी नहीं की गयी है तो इसे नियम 139(b) के अधीन संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है–प्रत्यर्थी ने नियम 43 (b) के परन्तुक के अधीन कार्यवाही पूरा किया था किंतु बाद में नियम 139 (b) के प्रावधान का सहारा इस आधार पर लिया गया था कि चूँकि धनीय हानि नहीं हुई है, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन याची के विरुद्ध निर्णय नहीं लिया जा सकता है–अभिनिर्धारित, प्राधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन आदेश पारित करना चाहिए था, किंतु उसके बजाए प्राधिकारियों ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के प्रावधान का सहारा सिद्ध अवचार के आधार पर लिया है जबकि यह नियम 139 (b) के कार्य क्षेत्र के अधीन नहीं आएगा–आक्षेपित आदेश अभिखंडित किया गया, याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 14 से 21)

निर्णयज विधि.–2000 (1) PLJR 665 (FB); 1995 (2) PLJR (SC) 51 Para 9—Referred; 2001(2) PLJR 600—Discussed.

अधिवक्तागण.–Mr. Dr. S.N. Pathak, For the Petitioner; Mr. Vaibhav Kumar, For the State; Mr. Sudarshan Shrivastava, For the A.G..

आदेश

याची ने उपसचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा पारित दिनांक 6.9.2013 के आदेश (परिशिष्ट-3) का विरोध किया है जिसके द्वारा तुरन्त के प्रभाव से अगले पाँच वर्षों के लिए याची के पेंशन की 5% की कटौती का निर्देश दिया गया है।

2. जैसा याची की ओर से तर्क किया गया है, संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर के रूप में दिनांक 1.7.1976 को अपनी सेवा ग्रहण किया था। उसे आरक्षी उप-अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया था और उसने दिनांक 23.8.2005 को उक्त पद का प्रभार लिया था। याची को आगे दिनांक 24.6.2011 के आदेश के तहत वरीय आरक्षी अधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया था। जब याची आरक्षी उप-अधीक्षक की हैसियत में पदस्थापित था, उसे विभागीय कार्यवाही के अनुध्यान में तुरन्त के प्रभाव से निलंबन के अधीन किया गया था। याची डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 485/2012 में निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के पास आया था जिसे परिशिष्ट 2 के निबंधनानुसार दिनांक 21.9.2013 को निपटाया गया था किंतु रिट याचिका लंबित रहने के दौरान याची सेवा से अधिवर्षित हो गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 21.9.2013 को रिट याचिका के निपटान के पहले दिनांक 6.9.2013 को उपसचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, राँची द्वारा याची को नोटिस जारी की गयी थी जिसके द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में तुरन्त के प्रभाव से अगले पाँच वर्षों के लिए याची के पेंशन से 5% राशि की कटौती करने का आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

3. याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री डॉ॰ एस॰ एन॰ पाठक ने दिनांक 6.9.2013 के आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दिया है:

(i) पाँच प्रतिशत पेंशन वापस रोकने का आक्षेपित आदेश इस तथ्य की दृष्टि में अधिकारितावहीन है कि यद्यपि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी, किंतु आक्षेपित आदेश बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन पारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जिसे ऐसा आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है। प्राधिकारी जिसे पेंशन मंजूर करने के लिए सशक्त बनाया गया है, में ऐसी शक्ति निहित की गयी है और राज्य सरकार को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (c) के अधीन मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षित करने की शक्ति है।

(ii) चूँकि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी, इसे दंड अधिरोपित करने के प्रयोजन से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिहार पेंशन नियमावली का नियम 43 (b) अवचार की कारिता के संबंध में कथन करता है और पेंशन की किसी राशि को रोकने का आदेश कतिपय सीमितताओं के साथ अपचारी कर्मचारी द्वारा किए गए अवचार के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष पर निर्भर करता है जैसा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के परन्तुक में अंतर्विष्ट है, जबकि बिहार पेंशन नियमावली का नियम 139 (b) पेंशन की राशि वापस रोकने के लिए निर्णय लेने के लिए कहता है, यदि अपचारी कर्मचारी की सेवा पूरी तरह संतोषजनक नहीं पायी गयी है।

4. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस तथ्य की दृष्टि में आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं है कि प्राधिकारी ने इस तथ्य के आधार पर निर्णय लिया है कि याची की सेवा पूरी तरह संतोषजनक नहीं पायी गयी थी, इस दशा में प्राधिकारी को पेंशन के किसी भाग को रोकने का दंड अधिरोपित करने के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन शक्ति है। यह निवेदन किया गया है कि याची के विरुद्ध किया गया अभिकथन अत्यन्त गंभीर है, ऐसी दशा में प्राधिकारी ने अगले पाँच वर्षों के लिए पेंशन का 5% रोकने का सही निर्णय लिया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन कार्यवाही याची के विरुद्ध आरंभ की गयी थी और जाँच अधिकारी ने याची के विरुद्ध निष्कर्ष दिया था, इस दशा में संचालन अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष के आधार पर प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित किया है।

5. पक्षों को सुना गया, अभिलेख का परिशीलन किया गया।

6. इस मामले में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए प्रावधान निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है जैसा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(b), नियम 139 (a), (b) एवं (c) में अंतर्विष्ट है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

"43 (b) jkT; ljdkj d ikl i'ku ;k fdlh fgLlk dk jkd j[ku ;k okil yu dk vfèkdkj rc Hkh ljf{kr jgrk g] pkg LFkk;h :i l ;k fofufn"V vofèk d fy,] rFkk jkT; dk dkfjr fdlh ekfæd {kfr d lep fgLlk ;k fdlh v'k dk i'ku l oly dju dk vkn'k dju dk vfèkdkj Hkh ljf{kr jgrk gA vxj i'ku Hkkxh dk U;kf;d ;k foHkkxh; dk;okgh e xHkhj dnkpkj dk nk"kh ik;k tkrk g(;k lokfuofÙk d mijkr iufu;ktu ij inÙk lok ler mldh lok d nkjku dnkpkj ;k yki jokgh l ljdkj dk vkfFkd {kfr dkfjr dju okyk ik;k tkrk g%

ijUr ;g fd&

(a) ,lh foHkkxh; dk;okgh] vxj ml le; lfLFkr ugh dh x;h Fkh tc ljdkjh lod ;k lokfuofÙk d igy ;k iufu;ktu d nkjku M;Vh ij Fkk(

(i) jkT; ljdkj dh LohÑfr d fcuk lfLFkr ugh dh tk,xh(

(ii) fdlh ,lh ?kVuk d lcèk e gkxh tk ,lh dk;okgh d lfLFkr fd; tku d pkj l vfèkd o"k igy ?kfVr u gb gk(vkj

(iii) ,l ikfèkdkj }kjk lpkfyr dh tk,xh ,o ,l LFkku ;k LFkkuk ij tlk jkT; ljdkj fun'k dj rFkk dk;okfg;k ij ykx gku okyh ifØ;k d vulkj gkxh ftu ij lok l c[kkLrxh dk ,d vkn'k fd;k tk ldrk g(

(b) U;kf;d dk;okfg;k] vxj lokfuofÙk d igy ;k iufu;ktu d nkjku lfLFkr u dh x;h gk tc ljdkjh lod lokjr Fkk] [kM (a) d mi[kM (ii) d vulkj lfLFkr dh tk,xh(vkj

(c) vfre vkn'k ikfjr fd; tku d igy fcgkj ykd lok vk;kx l e=.kk dh tk,xhA

"139 (a) fu;ek d vèkhu xg; i.k i'ku LokHkkfodr% ugh fn;k tkuk g vFkok tc rd nh x;h lok oLrr% vuekfnr ugh dh x;h gA

(b) ;fn lok ijh rjg lrk"k tud ugh g] i'ku etj dju oky çkfèkdkjh dk jkf'k e ,lh dVkrh djuk pkfg, tlk ;g lefpr le>rk gA

(c) jkT; ljdkj viu fu;=.k d vèkhu vèkhuLFk çkfèkdkfj;k }kjk ikfjr i'ku l lcfèkr vkn'k iujhf{kr dju dh 'kfDr Lo; d lkFk ljf{kr j[krh g ;fn o lr"V g fd i'kuj dh lok ijh rjg lrk"k tud ugh Fkh vFkok lok e jgr g, mldh vkj l xHkhj vopkj dk çek.k FkkA fdr] mld i'ku d lcèk e dh

*tku okyh çLrkfor dkjokbZ d fo#) dkj.k n'kkus dk ;fDr;Dr volj lcfèkr i'kuj dk fn, fcuk , lh 'kfDr dk ç;kx ugh fd;k tk,xk vkj u gh , lh fdlh 'kfDr dk ç;kx mI frfFk l] tc i'ku etj dju okyk vkn'k igyh ckj ikfjr fd;k x;k Fkk] rhu o"k d volku d ckn fd;k tk,xkA***

7. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन विनिर्दिष्टत: प्रावधानित किया गया है कि विभागीय कार्यवाही, यदि इसे सरकारी कर्मचारी की सेवा के क्रम में संस्थित नहीं किया गया है, कतिपय सीमितताओं के अध्यधीन पेंशन की आंशिक अथवा पूर्ण राशि रोकने का दंड अधिरोपित करने के प्रयोजन से अपचारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय कार्यवाही समझी जाएगी जैसा नियम 43 (b) के परन्तुक में अंतर्विष्ट है।

8. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन सर्वोपरि आवश्यकता यह है कि सरकार को धनीय हानि कारित होगा यदि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही में पेंशनर को गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है।

9. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन यह प्रावधानित किया गया है कि यदि अपचारी कर्मचारी की सेवा पूरी तरह संतोषजनक नहीं पायी गयी है, पेंशन मंजूर करने वाले प्राधिकारी को पेंशन की राशि घटाने की शक्ति है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (c) के अधीन, उसके पेंशन के संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के आदेश की तिथि से तीन वर्षों की परिसीमा के अध्यधीन मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण की शक्ति राज्य सरकार में निहित की गयी है।

10. स्वीकृत रूप से, दिनांक 24.9.2011 को याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी किंतु विभागीय कार्यवाही के क्रम में वह दिनांक 31.7.2012 के प्रभाव से सेवा से सेवानिवृत हुआ, ऐसी दशा में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन आरंभ की गयी कार्यवाही जारी रहने वाली समझी जाएगी।

11. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि जाँच अधिकारी द्वारा आरोप सिद्ध पाए गए हैं, किंतु मात्र इस आधार पर कि सरकार को धनीय हानि कारित नहीं की गयी है, राज्य सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन दंड अधिरोपित नहीं किया है। किंतु, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में तुरन्त के प्रभाव से अगले पाँच वर्षों के लिए 5% पेंशन घटाने का आक्षपित आदेश पारित किया गया है।

12. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि यद्यपि दिनांक 24.9.2011 को याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की गयी थी, किंतु चूँकि वह दिनांक 31.7.2012 को सेवानिवृत्त हुआ, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के अधीन याची के विरुद्ध आरंभ की गयी कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन संपरिवर्तित कर दी गयी समझी गयी है, किंतु मात्र इस आधार पर कि सरकार को धनीय हानि कारित नहीं गयी है, प्राधिकारियों ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन दंड अधिरोपित नहीं किया है, बल्कि पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जिसे विधि के अनुरुप पारित आदेश नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन आरंभ की गयी कार्यवाही स्व-अंतर्विष्ट कार्यवाही है और यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अपचारी कर्मचारी ने गंभीर अवचार किया है, राज्य सरकार को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन पेंशन रोकने की शक्ति है।

13. किंतु यदि कर्मचारी की सेवा पूरी तरह संतोषजनक नहीं पायी गयी है, मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को नियम 139 (b) के अधीन पेंशन घटाने का दंड अधिरोपित करने की शक्ति है और तत्पश्चात बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (c) राज्य सरकार को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (c) में अंतर्विष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन मंजूरी देने वाले प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति प्रदत्त करता है।

14. यह सुनिश्चित विधिक प्रतिपादना है कि यदि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी है अथवा सेवा के क्रम में पूरी नहीं की गयी है, इसे बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है बल्कि इसे बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन संपरिवर्तित किया गया समझा जाएगा जैसा पहले ही **शंभुशरण बनाम बिहार राज्य,** 2000 (1) PLJR 665 (FB), में अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें पैराग्राफ 18 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^gekj er e] tc ,d ckj ,slh dk;okgh vkjHk dh x;h g] Hkys gh lcfèkr 0;fDr lok l lokfuoÙk gkrk g] ,slh dk;okgh tkjh j[kh tk ldrh g vkj ;g vko';d ugh g fd bl tkjh j[ku dh vuefr nu d igy bl çHkko dk ljdkjh vkn'k gkuk gh pkfg,A***

15. वर्तमान मामले में, यद्यपि प्रत्यर्थीगण ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के परन्तुक के अधीन कार्यवाही पूरा किया था किंतु बाद में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के प्रावधान का सहारा इस आधार पर लिया गया था कि चूँकि धनीय हानि नहीं हुई है, बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन याची के विरुद्ध निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

16. किंतु यह तथ्य एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 79/2013 में दिनांक 31.1.2014 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की दृष्टि में विवादित नहीं है जिसमें पैराग्राफ 13 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^ge rnulkj vfHkfuèkkfjr djr g fd >kj[kM i'ku fu;ekoyh d fu;e 43 (b) dh ç;kT;rk doy mu ekeyk rd fucfèkr ugh dh tk ldrh g ftue ljdkj dk èkuh; gkfu dkfjr dh x;h gA***

17. इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन कार्यवाही के बजाए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) का सहारा लिया है।

18. याची के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दिया गया मुख्य तर्क यह है कि जब एकबार सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन कार्यवाही आरंभ किया है, क्या बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के अधीन दंड का आदेश पारित किया जा सकता है। यह विवाद्यक भी सुलझा दिया गया है जैसा **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मो॰ इदरीस अंसारी,** 1995 (2) PLJR SC 51, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट होगा जिसमें पैराग्राफ 9 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

^^tgk rd fu;e 43 (b) ,o fu;e 139 (a) d l;Dr iBu ij vkèkkj dk lcèk g] bl fu"d"k l cpko ugh g fd pfd vfHkdfFkr vopkj çf;Fkh }kjk ml frfFk] ft l ij fnukd 27.9.1993 dk dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk] l pkj o"k igy fd;k x;k Fkk] vihyh; çkfèkdkjh dk çf;Fkh d fo#) fl) vopkj d vkèkkj ij fu;ek 139 (a) ,o (b) dk voyc yu dh 'kfDr ugh FkhA

*ifj.kkeLo#i] ;g vfHkfuèkkfjr fd;k tkuk gh Fkk fd fu;e 139 d vèkhu dk;okgh i.kr% v{ke FkhA***

19. इस संबंध में, **राम पुनीत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** 2001 (2) PLJR 600, में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया जा सकता है जिसमें **मो॰ इदरीस अंसारी (ऊपर)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास करते हुए पैराग्राफ 5 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"5. ;g U;k;ky; jkT; d fo}ku vfèkoDrk d mDr fuonu dk Lohdkj dju e v{ke gA fu;e 139 (b) çkoèkkfur djrk g fd ;fn lok ijh rjg lrk"k tud ugh g] i'ku etj dju oky çkfèkdkjh dk jkf'k e , lh dVkrh djuh pkfg, t lk ;g lefpr le>rk gA bl çdkj] ;g Li"V g fd fu;e 139 e vrfo"V çkoèkku dk voyc doy rc fy;k tk ldrk g tgk ljdkjh lod dh lok ijh rjg lrk"k tud ugh g vkj u fd ek= tkp vfèkdkjh }kjk tkp e nt mld fo#) dN fu"d"kk d dkj.k ftl ij l{ke çkfèkdkjh dk vHkh Hkh vfre fu.k; yuk Fkk vkj ljdkjh lod l{ke çkfèkdkjh d , l fdlh fu.k; d igy lokfuoÙk gk x;kA bl ç'u d vfrfjDr fd D;k , lh dk;okgh tk ljdkjh lod d lokfuoÙk gku d igy vfre vkn'k ikfjr ugh fd, tku d dkj.k vfu.kk;d cuh jgh] tkjh jg ldrh Fkh ;k ugh vFkok fd , l ekeyk e fu;e 43 (b) d fucèkuku lkj u;k vkn'k vko';d g] ;g U;k;ky; jkT; dh vkj l çfrokn Lohdkj dju e ef'dy ikrk g fd jkT; ljdkj dk tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k ftl ij l{ke çkfèkdkjh dk vHkh Hkh viu food dk bLreky djuk Fkk d vulj.k e fu;e 139 (b) e vrfo"V çkoèkku dk voyc yu vkj ;kph dk vfHkdfFkr vopkj dk nk"kh vfHkfuèkkfjr dju dh 'kfDr fcYdy FkhA fu;e 139 (b) d vèkhu 'kfDr d rkRif;r ç;kx d fy, vk{kfir vkn'k e mfYyf[kr dkj.k ;g ugh g fd ;kph dh lok ijh rjg lrk"k tud ugh gA ;g doy tkp ij tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"kk ij vkèkkfjr g ftl ij l{ke çkfèkdkjh dk vHkh Hkh fu.k; yuk Fkk vkj bl chp ;kph vfèkof"kr gk x;k vkj tkp fjikV mif{kr cuh jghA vr% ej er e] , lk ukfVl (ifjf'k"V (6) vkj mld vulj.k e dh x;h dkjokb i.kr% Hkked g vkj vfèkdkfjrk d fcuk g fo'k"kr% tc vfHkdfFkr vopkj fu;e 43 (b) d foLrkj d Hkh ij Fkk D;kfd ;g pkj o"k d ij dh vofèk l lcfèkr gA fcgkj jkT; cuke ek0 bnjhl v lkjh (Åij) ekey e lokPp U;k;ky; d fu.k; d vulkj] doy , lh dk;okgh e ;fn ;kph dk vopkj dk nk"kh ik;k tkrk g] fu;ek 139 (a) ,o (b) d vèkhu mld fo#) lefpr :i l vxlj gvk tk ldrk FkkA oreku ekey d rF; Li"Vr% çnf'kr djr g fd fu;e 139 (b) d vèkhu 'kfDr dk voyc yu okyk ukfVl (ifjf'k"V 6) doy fnukd 30.10.1978 l fnukd 1.4.1980 dh vofèk d nkjku vfHkdfFkr foxr vopkj d vkèkkj ij tkjh fd;k x;k Fkk tk ;kph d fo#) vkjHk dh x;h foHkkxh; dk;okgh dk fo"k; oLr Fkk fdr ;g ugh fd ;g bl vkèkkj ij vkèkkfjr Fkk fd ;kph dk lok vfHky[k ijh rjg lrk"k tud ugh FkkA , lh ifjfLFkfr;k d vèkhu] lokPp U;k;ky; u fu;e 43 (b) ,o fu;e 139 (a) d l;Dr iBu ij vfHkfuèkkfjr fd;k fd bl fu"d"k l cpko ugh Fkk fd pfd vfHkdfFkr vopkj ml frfFk] ftl ij fnukd 27.9.1993 dk dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd;k x;k Fkk] l pkj o"k igy çR;Fkh }kjk fd;k x;k Fkk] jkT; dk fl) vopkj d vkèkkj ij mDr çR;Fkh d fo#) fu;ek 139 (a) ,o (b) dk voyc yu

*vkj ifj.kkeLo#i fu;e 139 d vèkhu dk;okgh dk i.kr% v{ke vfHkfuèkkfjr dju dh 'kfDr ugh FkhA vkx] lokPp U;k;ky; u fu;ek 139 (a) ,o (b) d vèkhu dk;okgh fjekM dju dk dkb ç'u ugh ik;k Fkk D;kfd ;g fo|eku ugh jg ldrk Fkk D;kfd pkj o"k d volku d ckn fdlh foHkkxh; dk;okgh e vfHkdfFkr xHkhj vopkj LFkkfir ugh fd;k tk ldrk Fkk vkj ,slh dk;okgh Li"Vr% fu;e 43 (b) d ijUrd (a) (ii) }kjk oftr gkxh vkj blu Lo; dkj.k crkvk ukfVl dk bld vkjHk l gBh ,o çHkkoghu ekukA***

20. यदि याची के मामले की तुलना यहाँ ऊपर निर्दिष्ट समस्त मामलों के निर्णयाधार के साथ की जाएगी, यह स्पष्ट होगा कि सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के प्रावधान के अधीन याची के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गयी थी जब याची सेवा में था, किंतु दिनांक 31.7.2012 को उसकी सेवा निवृत्ति के बाद उक्त कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के प्रावधान के अधीन संपरिवर्तित कर दी गयी समझी गयी थी। जाँच अधिकारी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें आरोप सिद्ध पाया गया है, किंतु सक्षम प्राधिकारी ने उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय मात्र इस आधार पर नहीं लिया है कि सरकार को कोई धनीय हानि कारित नहीं हुई है, इस दशा में सरकार इस निष्कर्ष पर आयी थी कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन शक्ति के प्रयोग में याची के विरुद्ध कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता है और इसलिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन दंड का आदेश पारित किया गया है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने उक्त तथ्य का एवं मामले के विधिक पहलू का भी गलत अर्थ लगाया है और बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन आदेश पारित करने के बजाए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के प्रावधान का सहारा मात्र इस आधार पर लिया है कि सरकार को धनीय हानि कारित नहीं हुई है किंतु, प्रत्यर्थीगण राज्य की यह धारणा एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 79/2013 में दिए गए निर्णय की दृष्टि में पूर्णत: अवैध है। प्राधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के अधीन आदेश पारित करना चाहिए था, किंतु उसके बजाए प्राधिकारियों ने सिद्ध अवचार के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के प्रावधान का सहारा लिया है जबकि यह बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 (b) के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आएगा जैसी चर्चा **राम पुनीत कुमार (ऊपर)** मामले में की गयी है।

21. विधि की सुनिश्चित प्रतिपादना की दृष्टि में, जैसा चर्चा यहाँ ऊपर की गयी है, और यहाँ ऊपर कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों में दिनांक 6.9.2013 का आक्षेपित आदेश (परिशिष्ट 3) विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है और इसे एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

22. यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

23. किंतु राज्य-प्रत्यर्थीगण विधि के अनुरुप मामले में अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र हैं।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

संजय जायसवाल एवं एक अन्य

cuke

महेन्द्र सिंह

W.P.(C) No. 209 of 2014. Decided on 3rd February, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश 1, नियम 10—पक्षकार बनाए जाने के लिए वादकालीन खरीदार के आवेदन को सामान्यतः अनुज्ञात किया जाना चाहिए अथवा इस पर उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए–सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1, नियम 10 के अधीन अभिधान अपील में याचीगण द्वारा दाखिल आवेदन अस्वीकार किया गया–अभिनिर्धारित, याचीगण अभिधान अपील में समुचित पक्षकार थे, लंबित अपील में उनको जोड़ा जाना एक अन्य कारण से आवश्यक है: (i) यदि वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है, याचीगण पश्चातवर्ती खरीदारों को विक्रय विलेख का कॉनफॉर्मिंग पक्षकार बनने के लिए निर्देश दिया जा सकता है और, (ii) यदि वाद अंतिम रूप से याचीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है, यह अनमेल स्थिति लाएगा और इसलिए ऐसी विधिक जटिलता से बचने के लिए याचीगण को अभिधान अपील में प्रत्यर्थीगण के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था–आक्षेपित आदेश अपास्त, रिट याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 7 से 10)

निर्णयज विधि.–AIR 1958 SC 394; (2005) 11 SCC 403; (2013) 5 SCC 397—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Rahul Gupta, Niyati Sah, For the Petitioners; M/s Amar Kumar Sinha, Kundan Kr. Ambastha, For the Respondent.

आदेश

अभिधान अपील सं॰ 58 वर्ष 2010 में दिनांक 3.1.2014 के आदेश जिसके द्वारा याचीगण द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 के अधीन दाखिल आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. संक्षिप्त रूप से कथित, प्रत्यर्थी महेन्द्र सिंह ने दिनांक 4.7.1992 एवं दिनांक 28.12.2000 के करार का विनिर्दिष्ट पालन इप्सित करते हुए अभिधान वाद सं॰ 82 वर्ष 2002 दाखिल किया जिसे दिनांक 13.4.2010 के निर्णय एवं डिक्री के तहत खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध उसने अभिधान अपील सं॰ 58 वर्ष 2010 दाखिल किया। उक्त अभिधान अपील दिनांक 12.5.2010 को दाखिल की गयी थी। वर्तमान याचीगण ने प्रतिमा चटर्जी उर्फ बेनू चटर्जी जो अभिधान वाद सं॰ 82 वर्ष 2002 में प्रतिवादी थी से दिनांक 17.5.2010 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत वाद संपत्ति खरीदा। अभिधान अपील सं॰ 58 वर्ष 2010 में याचीगण के विक्रेता अर्थात् प्रतिमा चटर्जी उर्फ बेनू चटर्जी उपस्थित हुई और दिनांक 10.8.2010 को अपना लिखित कथन दाखिल किया। संपत्ति खरीदने के बाद, याचीगण ने वाद संपत्ति से अपीलार्थी महेन्द्र सिंह की बेदखली इप्सित करते हुए अभिधान वाद सं॰ 540 वर्ष 2010 दाखिल किया। उक्त वाद में अपीलार्थी प्रत्यर्थी उपस्थित हुआ है और दिनांक 12.12.2011 को अपना लिखित कथन दाखिल किया है। जब याचीगण को अभिधान अपील सं॰ 58 वर्ष 2010 की जानकारी हुई, उन्होंने सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1, नियम 10 के अधीन दिनांक 8.3.2013 का आवेदन दाखिल किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। व्यथित होकर याचीगण इस न्यायालय के पास आए हैं।

3. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

4. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वादकालीन खरीदार संपत्ति जिसे उसने खरीदा है के संबंध में विक्रय करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में स्वयं को पक्षकार बनाए जाने का हकदार है। आगे यह निवेदन किया गया है कि प्रत्येक मामले में वादकालीन अंतरण शून्य नहीं है बल्कि वाद के परिणाम के अध्यधीन वैध बना रहता है और इसलिए, याचीगण विक्रय विलेख से प्रवाहित होने वाले अधिकार का बचाव कर सकते हैं।

5. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री कुंदन कुमार अम्बष्ठा निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से याचीगण वाद में पक्षगण नहीं थे और अपीलीय चरण पर उन्हें पक्ष के रूप में जोड़े जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आगे यह निवेदन किया गया है कि याचीगण ने अभिधान वाद सं॰ 540 वर्ष 2010 दाखिल किया है और इसलिए, अभिधान अपील सं॰ 58 वर्ष 2010 में उनका मध्यक्षेप केवल प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल अपील के निपटान को विलंबित करने के लिए आशयित है।

दिनांक 4.7.1992 एवं दिनांक 28.12.2000 के करार के आंशिक पालन में प्रत्यर्थी को वाद संपत्ति का कब्जा दिया गया है किंतु, वर्तमान वाद के जारी रहने के दौरान दिनांक 17.5.2010 का विक्रय विलेख याचीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया है जो विचाराधीन वाद के प्रतिकूल है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

7. यह विवाद्यक कि क्या वादकालीन खरीदार को विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद में, जिसमें उसका अचल संपत्ति में हित है, पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए, अब अनिर्णीत विषय नहीं है। **''सैला बाला दस्सी बनाम निर्मला सुंदरी दस्सी एवं एक अन्य'', AIR 1957 SC 394,** में यह संप्रेक्षित किया गया है कि ''वादकालीन खरीदार को अपने अधिकार के संरक्षण का अवसर दिया जाना चाहिए।'' **''अमित कुमार शॉ एवं एक अन्य बनाम फरीदा खातुन एवं एक अन्य, (2005)11 SCC 403,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि ''वादकालीन अंतरिती को पक्ष के रूप में जोड़ा जा सकता है यदि वाद के विषय वस्तु में उसका हित सारवान है और न कि केवल परिधीय।'' **''ए॰ नवाब जॉन एवं अन्य बनाम वी॰ एन॰ सुब्रमणियम, (2012)7 SCC 738,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

> *"22. bl U;k;ky; dk cger ;g g fd ^i{kdkj cuk, tku d fy, okndkyhu [kjhnkj d vkonu dk lekU;r% vuKkr fd;k tkuk pkfg, vFkok mnkjrkiod bl ij fopkj fd;k tkuk pkfg,A***

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दृष्टिकोण को **''थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड बनाम नानक बिल्डर्स एण्ड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड एवं अन्य, (2013)5 SCC 397,** में दोहराया गया है।

9. उक्त गौर किए गए निर्णयों से यह प्रकट है कि याचीगण अभिधान अपील में समुचित पक्ष है। लंबित अपील में उनका संयोजन एक अन्य कारण से आवश्यक है, (i) यदि वाद अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है, याचीगण/पश्चातवर्ती खरीदारों को विक्रय विलेख का कॉनफॉर्मिंग पक्ष बनने का निर्देश दिया जा सकता है और (ii) यदि वाद अंतिम रूप से अपीलार्थी के पक्ष में डिक्री किया जाता है और अभिधान वाद सं॰ 540 वर्ष 2010 भी याचीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है, यह अनमेल स्थिति लाएगा और, इसलिए, ऐसी विधिक जटिलता से बचने के लिए याचीगण को अभिधान अपील सं॰ 58 वर्ष 2010 में प्रत्यर्थीगण के रूप में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। दिनांक 3.1.2014 का आक्षेपित आदेश विधि में गंभीर दुर्बलता से पीड़ित है और इसलिए, इसे अपास्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरुप, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है और सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 1 नियम 10 (2) के अधीन दिनांक 8.3.2013 का आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। आई॰ ए॰ सं॰ 2653 वर्ष 2014 और आई॰ ए॰ सं॰ 2654 वर्ष 2014 निपटाया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

कामेश्वर प्रसाद शर्मा

cuke

सैदुन खातुन

W.P. (C) No. 5893 of 2005. Decided on 12th February, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—आदेश XLI नियम 27—अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य की प्रस्तुति–अभिधान अपील में आदेश XLI नियम 27 के अधीन याचिका खारिज की गयी–रिट याचिका में अभिखंडन इप्सित किया गया–वाद संपत्ति के ऊपर अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा इप्सित करते हुए याची द्वारा दाखिल अभिधान वाद खारिज किया गया–अपील दाखिल की गयी–याची को पहली बार किसी द्वारा वर्ष 1982 में निष्पादित विक्रय विलेख के बारे में पता चला और एक याचिका दाखिल की गयी जब अपील अंतिम सुनवाई के लिए नियत था, समस्त सामग्री विचारण न्यायालय के समक्ष थी–अवर न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया कि अभिलेख पर लाए जाने के लिए इप्सित अतिरिक्त साक्ष्य अभिधान अपील में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है–रिट याचिका खारिज।

(पैराएँ 6 एवं 7)

निर्णयज विधि.–(2001)10 SCC 619; (2012) 8 SCC 148—Relied upon.

अधिवक्तागण.–Mr. Rohit Roy, For the Petitioner; M/s Amar Kr. Sinha, Kundan Kr. Ambastha, For the Respondent.

आदेश

अभिधान अपील सं॰ 24 वर्ष 2003 में दिनांक 11.8.2005 के आदेश, जिसके द्वारा सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 41 नियम 27 के अधीन आवेदन खारिज कर दिया गया है, का अभिखंडन इप्सित करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि वाद संपत्ति के ऊपर अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा इप्सित करते हुए याची द्वारा अभिधान वाद सं॰ 12 वर्ष 1986 दाखिल किया गया था। वादी का मामला यह है कि मूल प्रतिवादी द्वारा दिनांक 10.1.1962 के विक्रय विलेख के तहत वाद संपत्ति खरीदी गयी थी जिसने बदले में इसे दिनांक 25.5.1966 के रजिस्टर्ड, विक्रय विलेख के तहत वादी के पक्ष में हस्तांतरित किया और वादी तत्पश्चात काबिज है। वादी एवं मूल प्रतिवादी के बीच दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही आरंभ की गयी थी। प्रतिवादी वर्तमान वाद में कार्यवाही में उपस्थित हुआ और झूठे, कूटरचित एवं निर्मित दस्तावेज के रूप में विक्रय विलेख को चुनौती देते हुए लिखित कथन दाखिल किया। वाद दिनांक 29.7.2003 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था और याची ने अभिधान अपील सं॰ 24 वर्ष 2003 दाखिल किया था। याची को पहली बार किसी जगन्नाथ प्रसाद द्वारा वर्ष 1982 में निष्पादित विक्रय विलेख के बारे में जानकारी हुई और इस प्रकार, उसने लंबित अभिधान वाद में सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 41 नियम 27 के अधीन आवेदन दाखिल किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.3.2005 का उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया है। व्यथित होकर याची इस न्यायालय के पास आया है।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

4. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मूल प्रतिवादी ने वर्ष 1970 में अपनी पुत्री के नाम में दान विलेख निष्पादित किया किंतु, याची द्वारा खरीदी गयी संपत्ति दान विलेख में सम्मिलित नहीं की गयी थी। प्रतिवादी ने वर्ष 1982 में किसी जगन्नाथ प्रसाद से विक्रय विलेख के माध्यम से कुछ भूमि खरीदी थी जिसमें संपत्ति की अनुसूची संलग्न की गयी थी जो प्रकट करेगी कि वाद संपत्ति के पूर्वी भाग पर किसी कामेश्वर प्रसाद शर्मा की भूमि अवस्थित है और इस प्रकार प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित वर्ष 1982 का विक्रय विलेख मामले में सही निर्णय पर पहुँचने के लिए आवश्यक था। **''राजस्थान राज्य**

बनाम टी॰ एन॰ साहनी एवं अन्य'', (2001)10 SCC 619, में और **''भारत संघ बनाम इब्राहिमुद्दीन एवं एक अन्य'', (2012)8 SCC 148,** में याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 41 नियम 27 के अधीन आवेदन, भले ही इसे आरंभिक चरण पर दाखिल किया जाता है, केवल अंतिम सुनवाई के समय विनिश्चित किया जा सकता है और न कि उसके पहले और इस प्रकार विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.3.2005 का आवेदन खारिज करने में गलती किया।

5. अभिधान वाद सं॰ 12 वर्ष 1986 के वादपत्र का परिशीलन उपदर्शित करता है कि याची ने मामला स्थापित किया है कि उसने दिनांक 25.5.1966 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के तहत वाद अनुसूची संपत्ति खरीदा और इस पर काबिज हुआ। तत्पश्चात, याची ने नामांतरण के लिए आवेदन दिया और बिहार राज्य को किराए का भुगतान किया। पक्षों के बीच सब-डिविजनल दंडाधिकारी द्वारा आरंभ की गयी दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 144 के अधीन कार्यवाही के प्रति निर्देश के सिवाए वादपत्र कोई अन्य प्रकथन अंतर्विष्ट नहीं करता है। वाद पत्र में संपत्ति की अनुसूची निम्नलिखित रूप से दी गयी है:–

*^^xke flleb] ihO ,lO flleb] ftyk xeyk e [kkrk lO 122 d vèkhu Hk[kM lO 2481 {k=Qy 6.49 fMlfeyA**'*

6. जैसा ऊपर गौर किया गया है, वाद दिनांक 29.7.2003 को खारिज किया गया था और याची द्वारा अभिधान अपील दाखिल किया गया था। दिनांक 11.8.2005 के आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि अभिधान अपील अंतिम सुनवाई के लिए नियत की गयी थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि वर्ष 1982 का विक्रय विलेख अभिधान अपील विनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है। अभिधान वाद 17 वर्षों तक लंबित बना रहा किंतु वादी ने अभिलेख पर वर्ष 1982 का विक्रय विलेख लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। याची द्वारा इस कारण के सिवाए कि उसे अभिधान अपील लंबित रहने के दौरान वर्ष 1982 के विक्रय विलेख के बारे में पता चला, कोई कारण याची द्वारा उक्त दस्तावेज को अभिलेख पर नहीं लाने के लिए प्रकट नहीं किया गया है। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ दिए जाने के लिए इप्सित अतिरिक्त साक्ष्य मामले के ऊपर से संदेह का आवरण हटाता है और साक्ष्य का वाद में मुख्य विवाद्यक पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव है, न्याय का हित स्पष्ट तौर पर आवश्यक बनाता है कि इसे अभिलेख पर लाने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसा आवेदन अनुज्ञात किया जा सकता है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सही परीक्षा यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य को विचार में लिए बिना अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर निर्णय उद्घोषित करने के लिए सक्षम है। दिनांक 11.8.2005 के आक्षेपित आदेश में यह गौर किया गया है कि मामला अंतिम सुनवाई के लिए नियत किया गया था और इस प्रकार, विचारण न्यायालय के समक्ष समस्त सामग्री थी। विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभिलेख पर लाए जाने के लिए इप्सित अतिरिक्त साक्ष्य अभिधान अपील में अंतर्ग्रस्त विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए आवश्यक नहीं है। इब्राहिमुद्दीन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"40. i{k dh vuoèkkurk vFkok vrxLr fofèkd fook|d dk le>u e mldh v{kerk vFkok odhy dh xyr lykg vFkok odhy dh mi{kk vFkok fd i{kdkj u nLrkot d egRo dk ugh le>k] bl fu;e d vFk d vrxr ^^lkjoku gr** xfBr ugh djrk gA ;g rF; ek= fd dfri; lk{; egRoi.k g] Lo; e vihy e mlI lk{; dk Lohdkj dju d fy, i;klr vkèkkj ugh gA**'*

7. उक्त चर्चा की दृष्टि में, मेरा मत है कि दिनांक 11.8.2005 का आक्षेपित आदेश किसी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

ekuuh; vkjî vkjî çlkn] U;k;efr

विवेकानंद चौधरी

cuke

झारखंड राज्य, निगरानी ब्यूरो, राँची के माध्यम से

Cr. M.P. No. 112 of 2014. Decided on 6th February, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—पी॰ सी॰ अधिनियम, (डी॰ ए॰ मामला) की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (e) के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश सहित निगरानी मामला की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही का अभिखंडन–जब मामला लंबित था, आरोप भी विरचित किया गया था जिसे अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 5719/2014 के फलस्वरुप दोषपूर्ण के रूप में चुनौती दी गयी है–याची का अभिवचन कि यह स्थापित करने के लिए युक्तियुक्त स्पष्टीकरण था कि आस्तियाँ जिन्हें याची के आय के अननुपातिक पाया गया है किंतु याची इस कारण से कि अभिखंडन मामला लंबित था, उन्मोचन याचिका दाखिल करके अवर न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा–याची को उन्मोचन याचिका दाखिल करके विचारण न्यायालय के समक्ष विवाद्यक उठाने का अवसर दिया गया ताकि न्यायालय विधि के अनुरुप इस पर आदेश पारित कर सके–आदेश अभिखंडित। (पैरा 12)

निर्णयज विधि.–(2004) 1 SCC 691—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Chittaranjan Sinha, Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; Mr. Shailesh, For the Vigilance.

आदेश

अंतर्वर्ती आवेदन सं॰ 5719 वर्ष 2014

जिसमें दिनांक 16.9.2014 के आदेश जिसके द्वारा याची के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (e) के अधीन आरोप विरचित किए गए हैं, को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गयी है, पर याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें संज्ञान लेने वाले आदेश सहित निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 21 वर्ष 2013, की संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को अभिखंडित करने की प्रार्थना की गयी है। जब मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, आरोप विरचित किया गया था और अब अंतर्वर्ती आवेदन के रूप में आरोप विरचित करने वाले आदेश का अभिखंडन इप्सित किया गया है और इसलिए, अंतर्वर्ती आवेदन में की गयी प्रार्थना अनुज्ञात की जाए।

3. उक्त कथित तथ्यों एवं परिस्थितियों की दृष्टि में, अंतर्वर्ती आवेदन में की गयी प्रार्थना एतद् द्वारा अनुज्ञात की जाती है। अंतर्वर्ती आवेदन को मुख्य आवेदन का भाग निर्मित करने दिया जाए।

दांडिक विविध याचिका सं॰ 112 वर्ष 2014

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. आरंभ में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सह–पठित धारा 13 (1) (e) के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश सहित निगरानी पी॰ एस॰ केस सं॰ 21 वर्ष 2013 में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए यह आवेदन दाखिल किया गया था। जब मामला लंबित था, दिनांक 16.9.2014 को आदेश के तहत आरोप भी विरचित किया गया था जिसे अंतर्वर्ती आवेदन 5719 वर्ष 2014 द्वारा दोषपूर्ण के रूप में चुनौती दी गयी है।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, निगरानी का मामला यह है कि याची ने कनीय अभियंता का पद धारण करते हुए 4.80 करोड़ रुपए की सीमा तक अपनी आय के ज्ञात स्रोत के अननुपातिक संपत्ति जमा किया है। ऐसे अभिकथन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। किंतु, अन्वेषण के दौरान संपत्ति का मूल्य, जिसे अन्य के ज्ञात स्रोत के अननुपातिक पाया गया था, 2.67 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था और तद्नुसार, आरोप–पत्र दाखिल किया गया था। आरोप–पत्र दाखिल किए जाने पर जब पूर्वोक्तानुसार अपराध का संज्ञान लिया गया था, उक्त आदेश तथा संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी। जब मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, दिनांक 16.9.2014 को आरोप विरचित किया गया था यद्यपि उस दिन आपत्ति की गयी थी कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है किंतु न्यायालय ने याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुने बिना उसमें यह दर्ज करते हुए आदेश पारित किया कि अभिलेख के परिशीलन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (e) के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनता है जो आदेश भी चुनौती के अधीन है।

7. आगे यह निवेदन किया गया था कि 2.67 करोड़ रुपयों में से 2.2 करोड़ रुपया वह राशि थी जिसे याची के आधिकारिक खाता में जमा किया गया पाया गया था जिसमें आधिकारिक कार्य के संबंध में संव्यवहार किए गए थे, फिर भी इसे याची की अननुपातिक आय के रूप में लिया गया है।

8. आगे यह निवेदन किया गया था कि याची ने 4 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति खरीदा था किंतु इसका मूल्य 23 लाख रुपए के रूप में निर्धारित किया गया है; इसी प्रकार, अन्य संपत्तियों का मूल्यांकन भी बढ़ाया गया है और तद्द्वारा यदि याची को अवसर दिया जाता है, याची प्रदर्शित कर सकता है कि एक भी पैसा नहीं है जिसे याची के आय के स्रोत के अननुपातिक माना जा सकता है और इसलिए, इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह आरोप विरचित करने वाले आदेश को अपास्त करने के बाद संबंधित न्यायालय के पास वापस भेजे जाने लायक सुयोग्य मामला है ताकि याची उन्मोचन याचिका दाखिल करके संबंधित न्यायालय के समक्ष इस विवाद्यक को उठा सके।

9. निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन करके इस प्रार्थना का जोरदार विरोध किया गया है कि ऐसा नहीं है कि याची को आरोप विरचित करने के समय पर अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया था बल्कि स्थगन आदेश लाने के लिए अनेक स्थगन प्रदान किए गए थे किंतु याची कोई स्थगन आदेश लाने में विफल रहा और केवल उस स्थिति में अनेक स्थगन प्रदान करने के बाद न्यायालय ने आरोप विरचित किए जाने से संबंधित आदेश पारित किया।

10. आगे यह निवेदन किया गया था कि उस दिन भी जब आरोप विरचित किया गया था, याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था किंतु याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपना मामला प्रस्तुत नहीं किया था और उस स्थिति में, आरोप विरचित किया गया था और इसलिए, आरोप विरचित करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता कभी नहीं है।

11. आगे, विद्वान अधिवक्ता ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम अवध किशोर गुप्ता एवं अन्य, (2004)1 SCC 691,** में दिए गए निर्णय को अपना बिंदु रखने के लिए निर्दिष्ट किया है कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति के प्रयोग में इस चरण पर जब आरोप विरचित करने वाले आदेश को चुनौती दी गयी है, अभियुक्त के बचाव पर विचार नहीं कर सकता है।

12. यह कथन किया जाए कि मैं मामले के गुणागुण पर विचार नहीं कर रहा हूँ। किंतु, दावा जिसे याची की ओर से किया गया है यह है कि यह स्थापित करने के लिए युक्तियुक्त स्पष्टीकरण है कि आस्तियाँ जिन्हें आय के ज्ञात स्रोत के अननुपातिक माना गया है वस्तुतः याची की आय के आनुपातिक हैं किंतु याची इस कारण से कि मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, उन्मोचन याचिका दाखिल करके अवर न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत करने में विफल रहा यद्यपि निगरानी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के मुताबिक याची को स्थगन आदेश लाने के लिए अनेक अवसर दिए गए थे किंतु याची स्थगन आदेश प्राप्त करने में विफल रहा और उस स्थिति में न्यायालय मामले के साथ अग्रसर हुआ और आरोप विरचित किया किंतु मेरे समक्ष प्रस्तुत तथ्य एवं परिस्थिति पर्याप्त रूप से औचित्य देते हैं कि याची को उन्मोचन याचिका दाखिल करके विचारण न्यायालय के समक्ष विवाद्यक उठाने का अवसर दिया जाए ताकि न्यायालय विधि के अनुरुप आदेश पारित कर सके। ऐसी स्थिति में, आरोप विरचित करने वाला आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है।

13. तद्नुसार, यह आवेदन निपटाया जाता है।

14. याची के व्यय पर फैक्स के माध्यम से संबंधित न्यायालय को इस आदेश की प्रति संसूचित की जाए।

---

ekuuh; vferko dekj xIrk] U;k;efr

फागू ओराँव

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

Cr. Revision No. 1264 of 2014. Decided on 2nd February, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 397—भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147 एवं 379 के अधीन विरचित आरोपों के विरुद्ध पुनरीक्षण–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 216 निर्णय उद्घोषित करने के पहले विचारण के किसी चरण पर आरोपों के परिवर्तन अथवा जोड़ने की आज्ञा देती है–विचारण न्यायालय को कारण देते हुए कि क्या अभिलेख पर मौजूद सामग्री आरोपों के परिवर्तन अथवा जोड़ने के लिए पर्याप्त अथवा अपर्याप्त हैं, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 216 के प्रावधान के निबंधनानुसार अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर चर्चा करना चाहिए था, इसने मात्र संप्रेक्षित किया है कि ''याचिका अनुज्ञात करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा–'' ऐसा आदेश मान्य अथवा पोषणीय नहीं है जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 216 के अधीन आज्ञा दी गयी है–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया–विचारण न्यायालय को पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देने के बाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर तार्किक एवं सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। (पैराएँ 2 एवं 3)

अधिवक्तागण.–M/s Pandey Neeraj Rai, Rohit Ranjan Sinha, For the Petitioner; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

आदेश

यह पुनरीक्षण परिवाद मामला सं॰ 67 वर्ष 2007 में भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147 एवं 379 के अधीन विरचित आरोपों के लिए अभियुक्त के अभियोजन के लिए न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, राँची द्वारा पारित दिनांक 25.11.2014 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आक्षेपित आदेश दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 216 के प्रावधान के सही परिप्रेक्ष्य में पारित नहीं किया गया है कि निर्णय उद्घोषित करने के पहले विचारण के किसी चरण पर आरोपों के परिवर्तन अथवा जोड़ने की आज्ञा देता है। कि विचारण न्यायालय ने गवाहों के साक्ष्य का अधिमूल्यन किए बिना यह कथन करके कि याचिका अनुज्ञात करना विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तुल्य होगा यांत्रिक तरीके से याचिका अस्वीकार किया है और कि ऐसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 216 के अधीन परिकल्पित प्रावधान के विरुद्ध है।

3. विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं आक्षेपित आदेश का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने आवेदन अस्वीकार करते हुए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के प्रति अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। विचारण न्यायालय को कारण देते हुए कि क्या अभिलेख पर मौजूद सामग्री आरोपों के परिवर्तन अथवा जोड़ने के लिए पर्याप्त है या अपर्याप्त, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 216 के प्रावधान के निबंधनानुसार अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर चर्चा करना चाहिए था। इसने मात्र यह संप्रेक्षित किया है कि ''याचिका अनुज्ञात किया जाना विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग के तुल्य होगा।'' ऐसा आदेश मान्य अथवा संपोषणीय नहीं है जैसी आज्ञा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 216 के प्रावधान के अधीन दी गयी है। तद्नुसार, आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है और विचारण न्यायालय को इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर तार्किक एवं सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

उक्त निर्देश एवं संप्रेक्षण के साथ यह पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है।

याची के व्यय पर फैक्स के माध्यम में इस आदेश की प्रति संसूचित की जाए।

---

ekuuh; vferko dekj xlrk] U;k;efr

सुरेश बजाज

cuke

झारखंड राज्य

Cr. Revision No. 117 of 2014. Decided on 11th February, 2015.

भारतीय वन अधिनियम, 1927—धाराएँ 33 एवं 42—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957—धारा 4—भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 379 एवं 304—खनन अपराध–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 397—प्रमुख सत्र न्यायाधीश द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 227 के अधीन उन्मोचन याचिका अस्वीकार की गयी–विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर याचिका अस्वीकार किया कि चूँकि याची के पक्ष में पट्टा प्रदान किया गया था और अवैध खनन जारी रहा, अतः अवैध खनन करने में याची की सह-अपराधिता से इनकार नहीं किया जा सकता है–विचारण न्यायालय का संप्रेक्षण अटकलों एवं अनुमानों पर आधारित है–आई॰ ओ॰ ने पट्टा के दस्तावेजों अथवा निबंधनों एवं शर्तों अथवा अवधि जिसके लिए इसे

प्रदान किया गया था के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों से सत्यापन अथवा जाँच करने का कष्ट नहीं उठाया था–यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर तात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं है कि पट्टा वैध नहीं था अथवा वन अधिनियम अथवा एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रदान किया गया था–अभिलेख पर मौजूद किसी दस्तावेज अथवा सामग्री की अनुपस्थिति में कि संरक्षित वन अथवा आरक्षित वन के लिए पट्टा था अथवा याची द्वारा अवैध खनन किया गया था, वन अधिनियम की धाराओं 33 एवं 40 के अधीन अपराध गठित करने के लिए अवयव नहीं बनाए गए हैं–यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है कि याची किसी व्यक्ति के माध्यम से कोयला का अवैध खनन करने में अंतर्ग्रस्त था–वस्तुतः गवाहों का बयान एवं अभियोजन मामले में अभिकथन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कोई मजदूरों के माध्यम से कोयले का अवैध रूप से खनन कर रहा था–अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए याची को वन अधिनियम की धाराओं 33 एवं 42, एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम की धारा 4 और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379 एवं 304 के अधीन आरोपों से उन्मोचित किया गया–आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और पुनरीक्षण याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 4 एवं 5)

अधिवक्तागण.–Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Petitioner; Mr. Pankaj Kumar, For the State.

आदेश

यह पुनरीक्षण एस॰ टी॰ सं॰ 22 वर्ष 2013 में प्रमुख सत्र न्यायाधीश, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 17.1.2014 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा याची द्वारा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 227 के अधीन दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि स्वीकृत रूप से केस डायरी में समस्त गवाहों ने कथन किया है कि क्वैरी सं॰ 12 को पट्टा पर पारिजात माइनिंग इंडस्ट्रीज (प्रा॰) लि॰ को दिया गया था जिसका याची निदेशक है। कि उक्त पट्टा अग्नि-सह-मिट्टी निकालने के लिए दिया गया था और गवाहों का बयान दर्शाएगा कि अग्नि-सह-मिट्टी निकाली गयी थी और एक अभियुक्त अर्थात् बुद्धदेव ओराँव स्वयं मजदूरों की मदद से उक्त क्वैरी से कोयले के अवैध निष्कर्षण में अंतर्ग्रस्त था। कि यह दर्शाने के लिए पुलिस द्वारा कोई सामग्री संग्रहित नहीं की गयी थी कि कौन वास्तविक पट्टाधारी था और पट्टा के निबंधन एवं शर्तें क्या थी अथवा किस अवधि के लिए पट्टा प्रदान किया गया था। कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के अधीन और खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध नहीं बनता है क्योंकि यदि अभिकथन सत्य उपधारित किया जाता है, यह दर्शाने के लिए सामग्री नहीं है कि याची के पास अग्नि-सह-मिट्टी के निष्कर्षण के लिए वैध पट्टा नहीं था। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पट्टा उस भूमि के लिए ही दिया गया होगा जो संरक्षित अथवा आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं था। परिणामस्वरुप, भारतीय वन अधिनियम की धाराओं 33 एवं 42 के अधीन अथवा एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध गठित करने के लिए अवयवों की कमी है। यह तर्क किया गया है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अधिमूल्यन किए बिना अटकलों एवं अनुमानों पर उन्मोचन के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया है कि चूँकि याची उक्त क्वैरी का पट्टा धारक था, अतः वह अवैध खनन में भी अंतर्ग्रस्त था और याची के कृत्य के परिणामस्वरुप मजदूर अपना जीवन गवाँ बैठे थे। कि भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379 एवं 304 के अधीन मामला बनाने के लिए अभिलेख पर सामग्री नहीं है। उक्त आधारों पर यह आग्रह किया गया है कि आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और याची आरोपों से उन्मोचित किए जाने योग्य है।

3. विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ श्री पंकज कुमार ने तर्क का विरोध किया है और निवेदन किया है कि यह विवादित नहीं है कि याची क्वैरी सं॰ 12 का पट्टाधारक था। कि अग्नि-सह-मिट्टी का निष्कर्षण किया

गया था और यह सुनिश्चित करना पट्टा धारक का कर्तव्य था कि क्वैरी को भर कर अथवा खोदे गए क्षेत्र को बाड़बद्ध करके मुहल्ला के लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित सावधानी बरती गयी थी। कि याची को निश्चय ही जानकारी रही होगी कि अग्नि-सह-मिट्टी का निष्कर्षण पूरा कर लिया गया है और आवश्यक सुरक्षा उपाए किए जाने चाहिए थे।

4. सुना गया। अभिलेख पर मौजूद सामग्री एवं आक्षेपित आदेश का परिशीलन किया गया। यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर याचिका अस्वीकार कर दिया है कि चूँकि पट्टा याची के पक्ष में प्रदान किया गया था और अवैध खनन जारी रहा, अत: अवैध खनन करने में याची की सह-अपराधिता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह याची की गलती के कारण था कि अवैध खनन में अंतर्ग्रस्त व्यक्ति अपना जीवन गवाँ बैठे थे।

यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय का संप्रेक्षण अटकलों एवं अनुमानों पर आधारित है। प्राथमिकी में अभिकथन है कि कोई बुद्ध देव ओराँव मजदूरों के साथ अवैध खनन में अंतर्ग्रस्त था। गवाहों का बयान प्रकट करता है कि पहले ही अग्नि-सह-मिट्टी का निष्कर्षण कर लिया गया था और बुद्धदेव ओराँव मजदूरों (जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है) की मदद से अवैध रूप से कोयला का खनन कर रहा था जिन्हें सूचक पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त बनाया गया है। अन्वेषण अधिकारी ने पट्टा के दस्तावेजों अथवा निबंधनों एवं शर्तों अथवा अवधि जिसके लिए पट्टा प्रदान किया गया था के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन अथवा जाँच करने का कष्ट नहीं उठाया था। अभियोजन मामले के मुताबिक याची क्वैरी सं॰ 12 का पट्टाधारक था। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है कि पट्टा वैध नहीं था अथवा इसे वन अधिनियम अथवा एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रदान किया गया था। अभिलेख पर मौजूद किसी दस्तावेज अथवा सामग्री की अनुपस्थिति में कि पट्टा संरक्षित वन अथवा आरक्षित वन के लिए अधिनियम की धाराओं 33 एवं 40 के अधीन अपराध गठित करने के लिए अवयव नहीं बनते हैं। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है कि याची किसी व्यक्ति के माध्यम से कोयला के अवैध खनन में अंतर्ग्रस्त था। वस्तुत: गवाहों के बयान और अभियोजन मामले में अभिकथन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि कोई बुद्धदेव ओराँव मजदूरों के माध्यम से अवैध रूप से कोयला का खनन करवा रहा था। इस प्रकार, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध के लिए अवयव आकृष्ट नहीं होते हैं और न ही भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 379 के अधीन अपराध बनता है। याची के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 के अधीन प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए अभिलेख पर सामग्री मौजूद नहीं है।

5. अभिलेख पर मौजूद सामग्री एवं ऊपर की गयी चर्चा पर विचार करते हुए याची को वन अधिनियम की धाराओं 33 एवं 42, एम॰ एम॰ आर॰ डी॰ अधिनियम की धारा 4 और भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379 एवं 304 के अधीन आरोपों से उन्मोचित किया जाता है। तद्नुसार, आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

6. परिणामस्वरुप, एतद् द्वारा पुनरीक्षण अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

महेश चंद्र झा एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Cri. Misc. Petition No. 1221 of 2004. Decided on 9th February, 2015.

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धारा 420—धोखाधड़ी–दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संपूर्ण दांडिक कार्यवाही का अभिखंडन, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन लिया गया संज्ञान चुनौती के अधीन–संपूर्ण विवाद कारबार संव्यवहार से संबंधित है और याचीगण की ओर से लेश मात्र दांडिक आशय नहीं है–स्वयं परिवादी के विवरण के मुताबिक, याची सं॰ 2 सबसे कम की बोली लगाने वाला था और उसे काम पंचाट किया गया था–बाद में अभिकथन किया गया कि परिवादी को दिए गए आश्वासन पर परिवादी ने उक्त अस्थायी कमरों का निर्माण पूरा किया किंतु उसे भुगतान जिसका वह विधितः हकदार था से वंचित किया गया था–यह सिविल दायित्व अथवा सिविल विवाद को उद्भूत कर सकता है और याची की ओर से दांडिक आशय नहीं है जिसे परिवादी द्वारा प्रकाशमान किया गया है ताकि दांडिक मामला जारी रखा जा सके–अभिनिर्धारित, याची के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित। (पैराएँ 6 से 9)

अधिवक्तागण.–Mr. Pandey Neeraj Rai, For the Petitioners; A.P.P., For the Opp. Party No.1.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पांडे नीरज राय सुने गए।

2. नोटिस के वैध तामीले के बावजूद विरोधी पक्षकार सं॰ 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है।

3. इस आवेदन में याची ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 5.2.2004 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित परिवाद मामला सं॰ 379 वर्ष 2003 (टी॰ आर॰ सं॰ 1124 वर्ष 2004) के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

4. यह प्रतीत होता है कि वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा परिवाद मामला संस्थित किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि वह राजरप्पा परियोजना, सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा मान्यता प्राप्त सुज्ञात संविदाकार है और वह डोजर मरम्मती काम के लिए जुड़े हुए बरामदा के साथ दो अस्थायी कमरों के निर्माण के लिए दिनांक 15.5.2002 को प्रसारित निविदा के संबंध में सबसे कम बोली लगाने वाला था। यह अभिकथित किया गया था कि यद्यपि परिवादी 77% के साथ सबसे कम की बोली लगाने वाला था किंतु बाद में याची सं॰ 1 द्वारा अपने पुत्र जो याची सं॰ 2 है को मामला प्रकट किया गया था और अंतिम क्षण पर याची सं॰ 2 ने निविदा प्रस्तुत किया है जो सबसे कम बोली वाला था। यह भी अभिकथित किया गया है कि यद्यपि याची सं॰ 2 ललिता इंटरप्राइजेज के रूप में नामित फर्म का स्वत्वधारी है, किंतु याची सं॰ 1 उक्त कारबार की देखरेख करता है। परिवाद याचिका में यह भी अभिकथित किया गया है कि दोनों याचीगण ने दांडिक षड्यंत्र में परिवादी को विश्वास दिलाया था कि याची सं॰ 2 के नाम पर काम किया जाएगा, किंतु परिवादी वास्तविक संविदाकार होगा और उक्त आश्वासन की दृष्टि में परिवादी ने मजदूरों को काम पर लगाकर निर्माण शुरू किया और परिवादी द्वारा संपूर्ण निर्माण व्यय वहन किया गया था, किंतु परियोजना पूरा होने के बाद उसने याची सं॰ 1 के पक्ष में 65,000/- रुपयों एवं 14000/- रुपयों का बिल भेजा जिसे भुनाया गया था और धन जिसे उसे काम पूरा करने के कारण अर्जित करना था के लिए परिवादी का अनुरोध अस्वीकार किया गया था।

5. सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर परिवादी एवं उसके गवाहों का परीक्षण करके दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 202 के अधीन जाँच करने के बाद दिनांक 5.2.2004 के आदेश के तहत विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया था।

6. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि संपूर्ण विवाद कारबार संव्यवहार से संबंधित है और याचीगण की ओर से लेशमात्र भी दांडिक आशय नहीं है। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि चूँकि परिवादी विरोधी पक्षकार सं॰ 2 को काम पंचाट नहीं किया गया था, यह वर्तमान मामला संस्थित किया गया है जहाँ दोनों याचीगण को झूठा आलिप्त किया गया है। उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि इस तथ्य पर विचार किए बिना कि विवाद शुद्धतः सिविल प्रकृति का है, यांत्रिक तरीके से दिनांक 5.2.2004 का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि वस्तुतः परिवादी ने सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान के अधीन अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि परिवादी द्वारा पूरा किए गए अभिकथित निर्माण कार्य के संबंध में कुछ राशि उसके द्वारा दी गयी है।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि संपूर्ण विवाद सी॰ सी॰ एल॰ की रजरप्पा परियोजना में जुड़े बरामदा के साथ दो अस्थायी कमरों के निर्माण के संबंध में कार्य आदेश से संबंधित है। स्वयं परिवादी के विवरण के मुताबिक, याची सं॰ 2 सबसे कम की बोली लगाने वाला था और उसे काम पंचाट किया गया था। बाद में किया गया अभिकथन कि परिवादी को दिए गए आश्वासन पर परिवादी ने उक्त अस्थायी कमरों का निर्माण पूरा किया है, किंतु उसे भुगतान जिसका वह विधितः हकदार था से वंचित किया गया था। यह सिविल दायित्व अथवा सिविल विवाद को उद्भूत कर सकता है और याची की ओर से दांडिक आशय नहीं है जिसे परिवादी द्वारा प्रकाशमान किया गया है ताकि दांडिक मामला जारी रखा जा सके। चूँकि संपूर्ण विवाद संविदा अथवा कारोबार संव्यवहार के संबंध में है, याची के पास सिविल विधि के अधीन समुचित उपाय है।

8. ऐसी परिस्थितियों में, याची के विरुद्ध वर्तमान कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जो चर्चा ऊपर की गयी है, उसकी दृष्टि में, मैं इस आवेदन में गुणागुण पाता हूँ।

9. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित दिनांक 5.2.2004 के आदेश सहित परिवाद मामला सं॰ 379 वर्ष 2003 (टी॰ आर॰ सं॰ 1124 वर्ष 2004) के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स जारडाइन हेन्डरसन लिमिटेड

cuke

प्रभु मण्डल एवं एक अन्य

W.P.(L) No. 841 of 2012. Decided on 19th February, 2015.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947—धारा 33 (C) (2)—मजदूरी की संगणना–अधिकारिता की कमी के लिए पोषणीयता के प्रति आपत्ति अस्वीकार की गयी–रिट अधिकारिता में 101 कर्मकारों की छँटनी का अधिनिर्णय अपास्त किया गया और पारिणामिक लाभ के साथ

पुनर्बहाली का निर्देश दिया गया, प्रबंधन द्वारा दाखिल एल॰ पी॰ ए॰ खारिज किया गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस॰ एल॰ पी॰ खारिज किया गया–कुछ कर्मकारों द्वारा दाखिल अवमान याचिका खारिज की गयी–मजदूरी एवं अन्य पारिणामिक लाभों की संगणना के लिए दो कर्मकारों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (C) (2) के अधीन एम॰ जे॰ मामला दाखिल किया गया–प्रबंधन ने आरंभिक आपत्ति किया जिसे अस्वीकार किया गया था–अवमान कार्यवाही में न्यायालय का सरोकार मुख्यतः न्यायालय द्वारा पारित आदेश के जानबूझकर उल्लंघन के साथ है–अवमान मामले में कार्यवाही न्यायिक कल्प कार्यवाही है, अतः न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के अधीन शक्ति का प्रयोग किफायतिपूर्वक किया जाता है–अवमान याचिका की खारिजी मात्र निश्चयात्मक प्रमाण नहीं हो सकती है कि एम॰ जे॰ केस सं॰ 43/2011 में आवेदकगण, जो अवमान मामले में पक्ष नहीं थे, को सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408/1994 (R) में पारित आदेश से प्रवाहित उत्तरजीवी अधिकार नहीं है–याची प्रबंधन द्वारा किया गया अभिवचन 71 कर्मकारों के साथ हुए समझौते के साक्ष्य और अभिवचनों सहित अवमान मामलों की कार्यवाही के प्रतियों को प्रस्तुत करके एम॰ जे॰ केस सं॰ 43/2011 के विचारण के दौरान स्थापित किया जा सकता है–याची को ऐसी स्वतंत्रता के साथ याचिका खारिज। (पैराएँ 8 से 11)

निर्णयज विधि.–(1983) 4 SCC 293—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s M.S. Anwar, Nipun Bakshi, For the Petitioner; Mr. Mahesh Tewari, For the Respondents.

आदेश

दिनांक 17.1.2012 के आदेश जिसके द्वारा अधिकारिता की कमी के लिए पोषणीयता के प्रति आपत्ति अस्वीकार कर दी गयी है से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि वर्ष 1988 में लगभग 101 कर्मकारों की छँटनी की गयी थी और परिणामस्वरुप विवाद उद्भूत हुआ जिसे सुलह के लिए निर्दिष्ट किया गया था। सुलह विफल होने के बाद, बिहार सरकार ने दिनांक 3.2.1988 की अधिसूचना सं॰ 5/88 के तहत न्याय निर्णयन के लिए मामला निर्दिष्ट किया। 101 कर्मचारियों की छँटनी का आदेश मान्य ठहराते हुए औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिनांक 25.11.1993 का अधिनिर्णय पारित किया गया था। उक्त अधिनिर्णय को सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में चुनौती दी गयी थी और दिनांक 23.8.2002 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने दिनांक 25.11.1993 का अधिनिर्णय अपास्त कर दिया और 101 कर्मकारों को पारिणामिक लाभों के साथ पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया। याची प्रबंधन ने एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 577 वर्ष 2002 दाखिल किया जिसे दिनांक 30.4.2003 को खारिज कर दिया गया था और विशेष अनुमति याचिका सिविल अपील सं॰ 4466 वर्ष 2004 भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी थी। 101 कर्मकारों में से 30 कर्मकारों ने अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 दाखिल किया जिसे दिनांक 2.5.2007 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। एक अन्य अवमान याचिका अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 71 कर्मकारों, जिन्होंने प्रबंधन के साथ अपना दावा पहले सुलझा लिया था, के समूह में से सात कर्मकारों द्वारा दाखिल किया गया था और उक्त अवमान आवेदन दिनांक 17.2.2009 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। तत्पश्चात, 71 कर्मकारों के समूह में से दो कर्मकारों ने मजदूरी एवं अन्य पारिणामिक लाभों की संगणना के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (c) (2) के अधीन एम॰ जे॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2011 दाखिल किया। याची प्रबंधन ने आर्रंभिक आपत्ति किया जिसे दिनांक

17.1.2012 के आदेश के तहत अस्वीकार कर दिया गया है और वर्तमान कार्यवाही में याची द्वारा उक्त आदेश को चुनौती दी गयी है।

3. यह कथन करते हुए कर्मकारों की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है कि वर्तमान मामले में कर्मकार अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 में पक्ष नहीं थे। फरवरी, 1994 में किया गया अभिकथित समझौता छँटनी के पहले की अवधि अर्थात् दिनांक 13 जनवरी, 1989 के पहले के लिए भुगतान के लिए था। न्यायालय के समक्ष अभिकथित करार की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की दृष्टि में वर्तमान प्रत्यर्थीगण सहित समस्त कर्मकार धनीय एवं पारिणामिक लाभों के हकदार हैं।

4. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

5. याची प्रबंधन के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एम॰ एस॰ अनवर निवेदन करते हैं कि यह सुनिश्चित है कि अधिकारिता का प्रश्न पहली बार में उठाया जाना चाहिए और याची प्रबंधन ने एम॰ जे॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2011 में बिल्कुल यही किया है। यह निवेदन किया गया है कि चूँकि अधिकारिता का प्रश्न मामले की जड़ तक जाता है, इसे पहले विनिश्चित करने की आवश्यकता है किंतु विद्वान औद्योगिक न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया और मामले में समस्त विवाद्यकों को विनिश्चित करने के लिए अग्रसर हुआ जो विधि के विपरीत है। आगे यह निवेदन किया गया है कि 101 कर्मकारों में से 71 कर्मकारों ने जो औद्योगिक अधिकरण के पास गए थे अपना दावा सुलझा लिया और याची प्रबंधन से भुगतान प्राप्त किया और इस प्रकार कोई हेतु शेष नहीं रहता है जहाँ तक 71 कर्मकारों का संबंध है। 71 कर्मकारों, जिन्होंने पहले ही याची प्रबंधन के साथ अपना दावा सुलझा लिया था, में से सात कर्मकार अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 में इस न्यायालय के पास आये तथा पक्षों को सुनने के बाद अवमान मामला (सिविल) सं॰ 368 वर्ष 2007 खारिज कर दिया गया था और इस प्रकार, विवाद्यक कि क्या प्राइवेट प्रत्यर्थीगण सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में दिनांक 23.8.2002 के आदेश के अधीन लाभ के हकदार हैं, अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 में संगणना करने के लिए श्रम न्यायालय को मामले में अग्रसर होने की अधिकारिता नहीं है।

6. उक्त के विरुद्ध प्राईवेट प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश तिवारी ने प्रतिशपथ पत्र में लिया गया दृष्टिकोण दोहराया और निवेदन किया कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित आदेश दिनांक 27.10.2005 को विशेष अनुमति याचिका की खारिजी के बाद अंतिम बन गया और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचीगण सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित दिनांक 23.8.2002 के आदेश के लाभ के हकदार नहीं हैं। आगे यह निवेदन किया गया है कि पहली बार अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 की कार्यवाही में बयान दिया गया था कि 101 कर्मकारों में से 71 कर्मकारों ने कंपनी के साथ अपना दावा सुलझा लिया था किंतु, अभिकथित समझौते की प्रति अभिलेख पर कभी नहीं लायी गयी थी। वस्तुतः अभिकथित समझौता लॉक-आउट अवधि के संबंध में फरवरी, 1994 में किया गया था जबकि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित दिनांक 23.8.2002 के आदेश के अधीन कर्मकार पुनर्बहाली के लाभ एवं अन्य पारिणामिक लाभों के हकदार होंगे। प्राईवेट प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **''डी॰ पी॰ माहेश्वरी बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य, (1983)4 SCC 293,** में निर्णय पर विश्वास किया।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

8. वर्तमान मामले के तथ्य अधिक विवादित नहीं हैं। दिनांक 27.10.2005 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं॰ 4466 वर्ष 2004 खारिज किए जाने के बाद सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित आदेश अंतिम बन गया। न तो रिट न्यायालय के समक्ष और न ही लेटर्स पेटेन्ट न्यायालय के समक्ष याची प्रबंधन ने न्यायालय के समक्ष प्रकथन अथवा निवेदन किया कि 101 कर्मकारों में से 71 कर्मकारों ने पहले ही अपना दावा सुलझा लिया था। किंतु, अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 में दिनांक 30.3.2007 के आदेश से यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के समक्ष बयान दिया गया था कि 101 कर्मकारों में से 71 कर्मकारों ने प्रबंधन के साथ अपना दावा सुलझा लिया है। उक्त बयान पर विश्वास करते हुए, 71 कर्मकारों जिन्होंने अभिकथित रूप से अपना दावा सुलझा लिया था में से सात कर्मकारों द्वारा दाखिल अवमान आवेदन दिनांक 17.2.2009 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अवमान मामला (सिविल) सं॰ 638 वर्ष 2007 में दिनांक 17.2.2009 के आदेश की दृष्टि में कोई वाद हेतुक शेष नहीं रहता है और एम॰ जे॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2011 में कार्यवाही न्याय निर्णीत द्वारा वर्जित है।

9. अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 में पारित आदेश से यह प्रतीत होता है कि उक्त मामला अन्य 30 कर्मकारों द्वारा दाखिल किया गया था जो शेष 71 कर्मकारों जिन्होंने प्रबंधन के साथ अपना दावा अभिकथित रूप से सुलझा लिया था के भाग नहीं थे और इसलिए, अवमान मामला (सिविल) सं॰ 811 वर्ष 2003 की कार्यवाही में दिया गया बयान शेष 71 कर्मकारों के दावा, यदि हो, से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। दिनांक 17.2.2009 के आदेश का परिशीलन भी उपदर्शित नहीं करता है कि यह स्थापित करने के लिए कि सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित आदेश के निबंधनानुसार समझौता हुआ है, न्यायालय के ध्यान में कोई अन्य सामग्री लायी गयी थी। अवमान कार्यवाही में न्यायालय का सरोकार मुख्यत: न्यायालय द्वारा पारित आदेश के जानबूझकर उल्लंघन के साथ है। अवमान मामले में कार्यवाही न्यायिक कल्प कार्यवाही होती है और इसलिए, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के अधीन भी शक्ति का प्रयोग किफायत से किया जाता है। अवमान याचिका की खारिजी मात्र निश्चयात्मक प्रमाण नहीं हो सकती है कि एम॰ जे॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2011 में आवेदकगण जो अवमान मामला में पक्षगण नहीं थे को सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 1408 वर्ष 1994 (R) में पारित आदेश से प्रवाहित उत्तरजीवी अधिकार नहीं है। यह सुनिश्चित है कि अधिकारिता का प्रश्न अंतिम सुनवाई में भी विनिश्चित किया जा सकता है। **''डी॰ पी॰ माहेश्वरी बनाम दिल्ली प्रशासन एवं अन्य, (1983)4 SCC 293,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

> *"1. .....,d le; Fkk tc vkjfHkd fook|dk dk igy fofuf'pr djuk foodoku ,o cf)eku uhfr le>k x;k FkkA fdr ml uhfr dk myVu dk le; vk x;k çrhr gkrk gA ge ;g cgrj le>r g fd vfèkdj.k] fo'k"kr% Je fooknk dk U;k;fu.khr dju d VkLd l U;Lr vfèkdj.k] tgk foyc nxfr dh vkj y tk ldrk g vkj vk|kfxd 'kkfr dk [krj e Mky ldrk g] dk mue l dN dk vkjfHkd fook|dk d :i e fopkfjr fd, fcuk ml h le; leLr fookfnr fook|dk dk fofuf'pr djuk pkfg,A u gh lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu viuh vfèkdkfjrk d ç;kx e mPp U;k;ky;k dk vfèkdj.k d le{k dk;okfg;k dk jkduk pkfg, rkfd mud }kjk vkjfHkd fook|d fofuf'pr fd;k tk ld----------***

10. वर्तमान मामले में, श्रम न्यायालय ने समस्त अंतर्ग्रस्त विवाद्यकों को विनिश्चित करने के लिए मामले में अग्रसर होने का निर्णय किया है। इस प्रकार, यदि प्रबंधन यह स्थापित करने में सक्षम होता है कि 71 कर्मकारों के साथ पूर्ण एवं अंतिम समझौता हो गया है, श्रम न्यायालय द्वारा इसे विचार में लिया जा सकता है। याची प्रबंधन द्वारा किया गया अभिवचन 71 कर्मकारों के साथ हुए समझौते के साक्ष्य और

अभिवचनों सहित अवमान मामलों की कार्यवाही की प्रतियों को प्रस्तुत करके एम॰ जे॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2011 के विचारण के दौरान स्थापित किया जा सकता है।

11. उक्त पर विचार करते हुए मैं एम॰ जे॰ केस सं॰ 43 वर्ष 2011 में दिनांक 17.1.2012 के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ किंतु, अंतिम सुनवाई के समय पर न्याय निर्णीत, विवंध, पोषणीयता, अधिकारिता, आदि को अभिवचन करने की स्वतंत्रता याची को दी जाती है। याची वर्तमान प्रत्यर्थीगण सहित 71 कर्मकारों के साथ भुगतान/समझौते के साक्ष्य और इस न्यायालय के समक्ष पूर्व कार्यवाहियों में अभिवचनों को प्रस्तुत करने के लिए भी स्वतंत्र है। याची को पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

लक्ष्मण शर्मा

cuke

बलराम शर्मा एवं एक अन्य

W.P.(C) No. 1425 of 2012. Decided on 25th February, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 151—आदेश VII, नियम 11—वादपत्र का अस्वीकरण—बेदखली वाद की खारिजी के लिए याची की याचिका विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गयी—यह सुनिश्चित है कि यदि सी॰ पी॰ सी॰ में विनिर्दिष्ट प्रावधान है जो वाद की खारिजी के लिए प्रक्रिया अधिकथित करती है, विचारण न्यायालय वाद खारिज करने के लिए सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है—सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन शक्ति न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है जिसका प्रयोग केवल विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए और घोर अन्याय से बचने के लिए किया जा सकता है—याची द्वारा दाखिल आवेदन केवल भ्रामक है, यह पूर्णतः असंगत एवं अस्पष्ट है, कोई अभिकथन नहीं है कि बेदखली वाद तुच्छ है—रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 5 से 7)

निर्णयज विधि.—AIR 2008 (NOC) 1259 (Raj)—Distinguished; (2004) 11 SCC 168; (2010) 8 SCC 1—Referred.

अधिवक्तागण.—M/s Ayush Aditya, Shashank Shekhar, For the Petitioner; Mr. P.A.S. Pati, For the Resp. No.1.

आदेश

बेदखली वाद सं॰ 112 वर्ष 1997 में पारित दिनांक 14.6.2011 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. यह कथन किया गया है कि आरंभ में प्रत्यर्थी सं॰ 1 द्वारा अभिधान वाद सं॰ 170 वर्ष 1997 दाखिल किया गया था। प्रतिवादी (वर्तमान याची) वादी का सहोदर भाई है। वादी ने दावा किया कि उसके पिता ने उसके पक्ष में दान विलेख निष्पादित किया और इस प्रकार वह प्रश्नगत संपत्ति का स्वामी बन गया। अभिधान वाद सं॰ 170 वर्ष 1997 को बेदखली वाद सं॰ 112 वर्ष 1997 में संपरिवर्तित किया गया था। बाद में, दिनांक 19.1.2001 के आदेश के तहत वादी को पुनः बेदखली वाद को अभिधान वाद में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गयी थी किंतु, वादी ने कॉजटाइटल में शुद्धि और वादपत्र में संशोधन के लिए मामले में कोई कदम नहीं उठाया था। प्रतिवादी (वर्तमान याची) ने भी अभिधान वाद सं॰ 94 वर्ष 1999 दाखिल किया है और उसने दोनों वादों की साथ सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल किया है जिसे

विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.9.2005 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। याची डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6239 वर्ष 2005 में इस न्यायालय के पास आया जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि दोनों वाद भिन्न प्रकृति के हैं, अत:, उन्हें साथ नहीं सुना जा सकता है। याची ने पुन: अभिकथित दान विलेख पर अपने पिता के हस्ताक्षर के परीक्षण के लिए आवेदन दिया और उक्त आवेदन भी विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध याची डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 1547 वर्ष 2009 दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया। उक्त रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (सी॰) सं॰ 6239 वर्ष 2005 में दिनांक 17.2.2006 के आदेश को ध्यान में लेकर दिनांक 17.8.2010 के आदेश के तहत खारिज कर दी गयी थी किंतु, यह आदेश दिया गया था कि दोनों वादों का विचारण पारी-पारी से किया जाएगा।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पूर्वोक्त तथ्यों में याची ने बेदखली वाद सं॰ 112 वर्ष 1997 की खारिजी के लिए दिनांक 18.12.2010 का आवेदन दाखिल किया किंतु उक्त आवेदन गलत रूप से दिनांक 14.6.2011 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया है। यह निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.6.2011 के आक्षेपित आदेश में निष्कर्ष दर्ज किया कि मकान मालिक किराएदार संबंध को स्थापित करने वाली कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं लायी गयी है और जब एक बार सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन शक्ति के प्रयोग में स्वयं न्यायालय द्वारा ऐसा निष्कर्ष दर्ज किया गया है, विचारण न्यायालय वाद खारिज करने के कर्तव्य के अधीन था। **''ठाकुर श्री मथुरादास जी, छोटा भांडा, मंदिर बनाम कन्हैया लाल एवं अन्य,'' AIR 2008 (NOC)1259 (Raj),** में निर्णय पर विश्वास करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यद्यपि दिनांक 18.12.2010 का आवेदन सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन दाखिल की गयी थी, न्यायालय को वाद खारिज करने वाला आदेश पारित करने की शक्ति है।

4. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थी सं॰ 1 वादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ ए॰ एस॰ पति निवेदन करते हैं कि सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश VII नियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधान है जो वाद पत्र का अस्वीकरण प्रावधानित करता है, अत:, सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है। चूँकि, वाद की खारिजी के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन विनिर्दिष्ट प्रावधान है, विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं किया है।

5. अभिलेख पर लायी गयी सामग्री से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 19.1.2001 के आदेश के तहत विचारण न्यायालय ने वादी को बेदखली वाद सं॰ 112 वर्ष 1997 को अभिधान वाद में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी। प्रतिवादी द्वारा इस आदेश को चुनौती कभी नहीं दी गयी थी और इसने अंतिमता प्राप्त कर लिया। यद्यपि, याची ने वाद पत्र संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया था किंतु, तथ्य बना रहता है कि वादी द्वारा दाखिल वाद पर विचार कर रहे न्यायालय को उसके पिता द्वारा निष्पादित दान विलेख के प्रति निर्देश में वाद अनुसूची संपत्ति के संबंध में वादी का दावा विनिश्चित करना होगा। याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद कि विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि ''वाद पत्र के कोरे पठन से यह प्रतीत होता है कि वाद पत्र में कहीं पर भी यह उल्लिखित नहीं किया गया है कि पक्षों के बीच मकानमालिक-किराएदार का संबंध है'' और इसलिए, विचारण न्यायालय को केवल इस आधार पर बेदखली वाद खारिज कर देना चाहिए था, स्वीकार करने योग्य नहीं है। दिनांक 14.6.2011 के आक्षेपित आदेश में विचारण न्यायालय का संप्रेक्षण केवल सुझाव के रूप में है और इसका अर्थ अंतिम विनिश्चियकरण के रूप में नहीं लाया जा सकता है जहाँ तक पक्षों के बीच मकानमालिक-किराएदार संबंध का संबंध है। यद्यपि अभिधान वाद में उक्त विवाद्यक विनिश्चित करने के लिए अवसर नहीं हो सकता है, भले ही यह माना जाता है कि वादी द्वारा दाखिल वाद केवल बेदखली वाद बना रहा है, मकानमालिक-किराएदार संबंध का विवाद्यक न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना होगा। दिनांक 14.6.2011 के आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने अपने दावा के समर्थन में साक्ष्य

दिया कि पक्षों के बीच मकानमालिक-किराएदार का संबंध नहीं है। आगे, प्रतिवादी ने अभिवचन किया है कि दान विलेख कूटरचित एवं मनगढ़ंत दस्तावेज है और इसलिए, मेरा निश्चित मत है कि विचारण न्यायालय निश्चयात्मक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता था कि पक्षों के बीच मकान मालिक-किराएदार संबंध नहीं था। आगे, दिनांक 1.5.2001 के आदेश की दृष्टि में, जिसके द्वारा बेदखली वाद को अभिधान वाद में संपरिवर्तित करने की अनुमति दी गयी है, विचारण न्यायालय का संप्रेक्षण परिणामहीन है। यह सुनिश्चित है कि यदि सिविल प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट प्रावधान है जो वाद की खारिजी के लिए प्रक्रिया अधिकथित करता है, विचारण न्यायालय वाद की खारिजी के लिए सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 151 के अधीन शक्ति न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है जिसका प्रयोग केवल विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए एवं घोर अन्याय से बचने के लिए किया जा सकता है। **''शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰ बनाम मचादो ब्रॉस'', (2004)11 SCC 168,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किया है:-

*"20. .....;g Li"V g fd ;fn fofufn"V çkoèkku ugh g tk lfgrk dh èkkjk 151 d vèkhu nkf[ky vkonu e bfllr vurk"k dk çnku çfrf"k) djrk g] U;k;ky; d ikl U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx jkdu d fy, mi;Dr vkn'k ikfjr dju d fy, lh0 ih0 lh0 dh èkkjk 151 d vèkhu 'kfDr dk ç;kx dju oky U;k;ky; dk igy ;g fopkj djuk gkxk fd D;k ,lh 'kfDr dk ç;kx vfHk0;Dr :i l lfgrk d fdlh vU; çkoèkku }kjk çfrf"k) fd;k x;k g vkj ;fn ,lk çfr"kèk ugh g] rc U;k;ky; fopkj djxk fd D;k vkonu e mfYyf[kr rF;k d vkèkkj ij ,lh 'kfDr dk ç;kx fd;k tkuk pkfg,A***

6. ''विनोद सेठ बनाम देविन्दर बजाज'', (2010)8 SCC 1, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षण किया है:-

*"28. pfd lfgrk d çkoèkku lokxi.k ugh g] èkkjk 151 ogk ykx fd, tkus d fy, vk'kf;r g tgk lfgrk fdlh fo'k"k çfØ;kRed igyvk dk vkPNkfnr ugh djrh g vkj U;k; dk fgr fLFkfr fo'k"k dk vkPNkfnr dju d fy, 'kfDr dk ç;kx vko';d cukrk gA èkkjk 151 fdlh çdkj dk lkjoku vurk"k çnku dju dh 'kfDr çnÙk dju okyk fofèk dk çkoèkku ugh gA ;g ,l vkn'kk] tk U;k; d mí'; d fy, vkj U;k;ky; dh çfØ;k dk n#i;kx jkdu d fy, vko';d gk ldr g] dk ikfjr dju d fy, U;k;ky; dh vrfufgr 'kfDr 0;koÙk dju okyk çfØ;kRed çkoèkku gA ,l ekey tk lfgrk d fofufn"V çkoèkku }kjk vkPNkfnr g d çfr fun'k e bldk voyc ugh fy;k tk ldrk gA lfgrk dh lkeU; ;ktuk ,o vk'k; d fojkèk e bldk ç;kx ugh fd;k tk ldrk gA fdlh fofèk }kjk vuuè;kr vfèkdkjk dk lftr dju vFkok eU;rk nu d fy, vFkok nkf;Ro vkj ckè;rk lftr dju d fy, bldk mi;kx ugh fd;k tk ldrk gA***

7. ''ठाकुर श्री मथुरादास जी छोटा भांडा मंदिर'' मामले में निर्णय उस मामले के विचित्र तथ्यों में दिया गया है और यह याची के मामले का समर्थन नहीं करता है। याची द्वारा दाखिल आवेदन न केवल भ्रामक है, यह पूरी तरह असंबद्ध तथा असंगत है। ऐसा कोई अभिकथन नहीं है कि बेदखली वाद तुच्छ है। परिणामस्वरुप, रिट याचिका खारिज की जाती है। तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 1364 वर्ष 2014 भी निपटाया जाता है।

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

देवनंदन प्रसाद शर्मा

cuke

झारखंड राज्य, सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से

Criminal Appeal (S.J.) No. 66 of 2005. Decided on 20th February, 2015.

आर॰ सी॰ केस सं॰ 4 (A)/90 (D) में विद्वान विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰–सह–ए॰ डी॰ जे॰ VIII, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988—धाराएँ 7 एवं 13 (1) (d) सह–पठित धारा 13 (2)—अपीलार्थी को घूस मांगने के लिए और घूस लेते हुए ट्रैप टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने पर दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया–यह दांडिक विधिशास्त्र का सुनिश्चित सिद्धांत है कि मात्र उपधारणा एवं हस्तक्षेप के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती है–यह मूल सिद्धांत है कि अभियोजन को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा अथवा परिस्थितियों द्वारा भी समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करना होगा–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामले में अभियोजन को तीन अवयवों अर्थात् मांग, स्वीकरण एवं बरामदगी को सिद्ध करना होगा–सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव मांग है क्योंकि मांग अवैध परितोषण का अथवा पूर्व कर्ज लौटाने का अथवा आधिकारिक कार्य से असंबंधित कोई मांग हो सकता है–धन अभियुक्त अपीलार्थी की जेब से बरामद किया गया था, अपीलार्थी द्वारा धन के स्वीकरण के ऊपर विवाद नहीं है किंतु अभियोजन द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव मांग सिद्ध नहीं किया गया है–पक्षों के बीच विवाद था और प्रदर्श A के आलोक में झूठा आलिप्त किए जाने की आशंका भी थी जिसे अ॰ सा॰ 8 एवं अ॰ सा॰ 10 द्वारा संपुष्ट किया गया था कि परिवादी एवं अभियुक्त अपीलार्थी के बीच कुछ झगड़ा हुआ था–अभिनिर्धारित, यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल है कि अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 द्वारा धन की मांग की संपुष्टिकरण की अनुपस्थिति में अभियोजन ने अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध स्थापित किया है कि उसने स्वेच्छापूर्वक अवैध परितोषण स्वीकार किया–जहाँ अवैध परितोषण की मांग का आरोप विफल हुआ है, धन का स्वीकरण एवं बरामदगी, भले ही अभियोजन द्वारा सिद्ध किया गया है, विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं होगा और बरामदगी के एकमात्र आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण होगी–दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किया गया, अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 15 से 19)

निर्णयज विधि.–2009 (3) SCC 779—Relied upon.

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Anurag Kashyap, Ravi Prakash, For the Appellant; Mr. K.P. Deo, For the C.B.I.

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर॰ सी॰ केस सं॰ 4 (A)/90 (D) में विशेष न्यायाधीश, सी॰ बी॰ आई॰ सह–ए॰ डी॰ जे॰ VIII, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.12.2004 के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 एवं 13 (a) (d) सह–पठित धारा 13 (2) के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और प्रत्येक आधार पर एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है और दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का निर्देश दिया

गया है। अपीलार्थी को आगे दोनों आधारों के अधीन 1000/- रुपया के जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया गया है और उसके भुगतान के व्यतिक्रम में दो माह का सामान्य कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य निम्नलिखित हैं:

वर्तमान मामला रेलवे कर्मचारी धरमदास करमाली द्वारा सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद के समक्ष इस अभिकथन पर दाखिल लिखित परिवाद पर संस्थित किया गया था कि परिवादी टी॰ आई॰, चौपान के अधीन सफाईवाला-सह-लैंपमैन के रूप में कार्यरत था और उसी प्राधिकारी के अधीन पेपराकुंड स्टेशन स्थानांतरित किया गया था किंतु उसे मिर्चाधुरी स्टेशन पर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा गया था और यद्यपि उसने दिनांक 26.12.1989 से दिनांक 15.1.1990 तक काम किया था किंतु उसे उस अवधि के लिए डी॰ आर॰ एम॰ कार्यालय से कोई वेतन नहीं दिया गया था और इसलिए उसने अपने वेतन के लिए अभियुक्त देव नंदन शर्मा जो सीनियर डी॰ पी॰ ओ॰ के कार्यालय में हेडक्लर्क था से संपर्क किया और स्वयं को हिंदगिरी स्टेशन स्थानांतरित करवाने के लिए अभियुक्त से अनुरोध भी किया। अभियुक्त ने उसे मिर्चाधुरी स्टेशन से और टी॰ आई॰ चौपान से भी लिखित में अपना कार्यपालन चार्ट लाने के लिए कहा और केवल तत्पश्चात उसका वेतन तैयार किया जाएगा। यह भी अभिकथित किया गया है कि औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, जैसा अभियुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था, उसने पुनः दिनांक 10.2.1990 को अभियुक्त से संपर्क किया किंतु उसने परिवादी को पुनः दिनांक 16.2.1990 को मिलने के लिए कहा और जब परिवादी उस तिथि को उक्त अभियुक्त से मिला, अभियुक्त ने उसे स्थानांतरण आदेश एवं वेतन का भुगतान पाने के लिए 500/- रुपए का भुगतान करने के लिए कहा। उक्त परिवाद की दाखिली के बाद अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि सी॰ बी॰ आई॰ प्राधिकारी द्वारा विवेकशील सत्यापन किया गया था और प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद मामला संस्थित किया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सी॰ बी॰ आई॰ अधिकारियों एवं दो स्वतंत्र गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 4 की उपस्थिति में दिनांक 21.2.1990 को जाल बिछाया गया था। अभियुक्त को घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था और औपचारिकताओं एवं अन्वेषण को पूरा करने के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। तद्नुसार, संज्ञान लिया गया था और पूर्वोक्तानुसार आरोप विरचित किया गया था। अभियुक्त को आरोप स्पष्ट किया गया था जिसके प्रति उसने निर्दोषिता का अभिवचन किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

3. विचारण के क्रम में, अभियोजन ने 11 गवाहों का परीक्षण किया जो निम्नलिखित हैं:-

अ॰ सा॰ 1 देवाशीष राय। वह औपचारिक गवाह है और अभियुक्त के अभियोजन के लिए डी॰ पी॰ ओ॰ का मंजूरी आदेश सिद्ध किया है जिसके बाद मंजूरी आदेश प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया था।

अ॰ सा॰ 2 राजेन्द्र प्रसाद, सी॰ सी॰ डब्ल्यू॰, धनबाद के कार्यालय में लिपिक, ट्रैप औपचारिकताओं के गवाह के रूप में बुलाया गया स्वतंत्र गवाह है।

अ॰ सा॰ 3 कमला प्रसाद, अभिकथित तिथि पर सी॰ बी॰ आई॰ में प्रतिनियुक्त ए॰ एस॰ आई॰, परिवाद दर्ज किए जाने के पहले विवेकशील सत्यापन का गवाह है और ट्रैप टीम का सदस्य भी था।

अ॰ सा॰ 4 मधुसूदन प्रसाद, ट्रैप-पूर्व एवं ट्रैप-पश्चात औपचारिकताओं का गवाह किंतु उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

अ॰ सा॰ 5 स्वयं परिवादी है।

अ॰ सा॰ 6 विश्वमोहन झा ने अपने साक्ष्य में केवल यह कथन किया है कि अपीलार्थी ई॰ टी॰ II सेक्शन में हेडक्लर्क के रूप में कार्यरत था और परिवादी के फाइल पर विचार कर रहा था किंतु अपीलार्थी

को लिपिक होने के नाते किसी कर्मचारी को प्रोन्नति अथवा स्थानांतरण प्रदान करने की शक्ति नहीं थी और परिवादी के वेतन के भुगतान पर आपत्ति पे बिल सेक्शन द्वारा की गयी थी।

अ॰ सा॰ 7 सनत कुमार मुखोपाध्याय, उपनिदेशक, सी॰ एफ॰ एस॰ एल॰, हैदराबाद है जिन्होंने जाल के दौरान तैयार किए गए बोतलों के पदार्थ का वैज्ञानिक परीक्षण संचालित किया, अत: वह रासायनिक परीक्षण के रिपोर्ट का गवाह है।

अ॰ सा॰ 8 योगेन्द्र महतो, रेलवे कुली, वर्तमान मामला दाखिल किए जाने के पहले देवनंदन प्रसाद शर्मा एवं परिवादी धरमदास करमाली के बीच झगड़े का गवाह है।

अ॰ सा॰ 9 प्रेमचंद्र प्रसाद, घटना की अभिकथित तिथि पर डी॰ आर॰ एम॰ कार्यालय, धनबाद में स्टेनोग्राफर, अभियुक्त अपीलार्थी के घर पर छापा मारने का अनुश्रुत गवाह है।

अ॰ सा॰ 10 जयराम सिंह, रेलवे के कैरेज सेक्शन में फिटर है, भी झगड़ा का और इस तथ्य का अनुश्रुत गवाह है कि परिवादी ने अभियुक्त अपीलार्थी से कर्ज लिया था और कर्ज राशि के गैर भुगतान के कारण अपीलार्थी एवं परिवादी के बीच झगड़ा हुआ था।

अ॰ सा॰ 11 लाल मोहन मांझी, डी॰ एस॰ पी॰, सी॰ बी॰ आई॰, मामले का आई ओ॰ था।

4. अभियोजन साक्ष्य दर्ज करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का परीक्षण किया गया था जिसमें उसने अभियोजन गवाह के साक्ष्य में किए गए प्रकथनों से इनकार किया है और परिवादी से कोई अवैध परितोषण लेने से भी इनकार किया है और इस मामले में झूठा आलिप्त किए जाने का दावा किया है। अपीलार्थी ने आगे उक्त बयान में कथन किया है कि अभिकथित ट्रैप के पहले परिवादी धरमदास करमाली का उसके साथ झगड़ा हुआ था और उसने उसको झूठा एवं मनगढ़ंत मामले में आलिप्त करने की धमकी भी दी थी जिसके बाद उसके द्वारा एस॰ डी॰ एम॰, धनबाद के न्यायालय में सूचनात्मक याचिका दाखिल की गयी थी। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल उक्त सूचनात्मक याचिका को बचाव गवाह सं॰ 1 की प्रेरणा पर प्रदर्श A के रूप में चिन्हित किया गया था।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री पर विचार करने के बाद अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया जैसा उपर उपदर्शित किया गया है।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों का विरोध करते हुए अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कश्यप ने प्रतिवाद किया कि धन की मांग के बिंदु पर साक्ष्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 एवं 13 के अधीन अपराध आकृष्ट करने के लिए अत्यन्त अविवेकशील एवं अविश्वसनीय हैं। ट्रैप गवाहों में से एक, जो वस्तुत: छाया गवाह था, ने भी मांग के तथ्य का समर्थन नहीं किया है और परिवादी तथा अपीलार्थी के बीच मांग का कोई वार्तालाप सुनने से इनकार किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि कलंकित धन की बरामदगी मात्र स्वयं में अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं कर सकती है जब सारवान/मुख्य साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **सी॰ एम॰ गिरीश बाबू बनाम सी॰ बी॰ आई॰, कोचीन, 2009 (3) SCC 779,** में निर्णय पर विश्वास किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि बरामदगी भी विधि के अनुरुप सिद्ध नहीं की गयी है और ट्रैप पूर्व के बाद अपीलार्थी का हाथ धन की जब्ती के तुरन्त बाद घोल में डुबाया नहीं गया था बल्कि सी॰ बी॰ आई॰ कार्यालय, जो अभिकथित घटना स्थल से लगभग दो किलोमीटर दूर है, में इसका अनुसरण किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि एक महत्वपूर्ण गवाह,

सुनील कुमार शर्मा, जो पुलिस सब–इंस्पेक्टर था, का परीक्षण नहीं किया गया है और उसके गैर–परीक्षण के लिए अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अंत में, यह प्रतिवाद किया गया था कि अभियुक्त अपीलार्थी को दिनांक 22.2.1990 को गिरफ्तार किया गया था और वह लगभग एक माह तक अभिरक्षा में बना रहा जिसके बाद दिनांक 28.3.1990 को उसे जमानत पर निर्मुक्त किया गया था और तत्पश्चात अभियुक्त अपीलार्थी विचारण और अपील के लंबित रहने का दर्द सहन कर रहा है और इस दशा में, क्योंकि 24 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, अपीलार्थी के विरुद्ध नरम दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

7. उक्त निवेदन के विरुद्ध, प्रत्यर्थी सी॰ बी॰ आई॰ के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने गंभीरतापूर्वक प्रतिवाद का खंडन किया और निवेदन किया कि सत्यपूर्ण गवाह के परिसाक्ष्य में असंगतता एवं विरोधाभास आ जाता है और कि विधि अथवा विवेक का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि अभियोजन को एक ही बिंदु पर समस्त गवाहों को प्रस्तुत करना चाहिए। न्यायालय को साक्ष्य की गुणवत्ता न कि मात्रा देखना है।

8. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए अभियोजन ने अवैध परितोषण की मांग एवं प्राप्ति के संबंध में मुख्यत: चार गवाहों अर्थात् अ॰ सा॰ 2 राजेन्द्र प्रसाद, अ॰ सा॰ 3 कमला प्रसाद, अ॰ सा॰ 4 मधुसूदन प्रसाद और अ॰ सा॰ 5 परिवादी धरमदास करमाली का परीक्षण किया है। इन गवाहों में से अ॰ सा॰ 4 मधुसूदन प्रसाद जो स्वतंत्र गवाह था को यद्यपि पक्षद्रोही घोषित किया गया था किंतु इस गवाह ने संपूर्ण ट्रैप पूर्व एवं ट्रैप पश्चात कार्यवाहियों का विवरण दिया है किंतु, उसने परिवादी और अभियुक्त अपीलार्थी के बीच वार्तालाप के दौरान अवैध परितोषण की किसी मांग को सुनने से इनकार किया है। मेरे द्वारा मांग एवं स्वीकरण के दो स्वतंत्र गवाहों अ॰ सा॰ 2 एवं अ॰ सा॰ 4 का परीक्षण करने के पहले सत्यापन एवं पश्चातवर्ती ट्रैप कार्यवाही के गवाह अ॰ सा॰ 3 कमला प्रसाद का परीक्षण करना आवश्यक है।

9. कमला प्रसाद (अ॰ सा॰ 3) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वर्ष 1990 में उसे सी॰ बी॰ आई॰ कार्यालय, धनबाद में सहायक सब–इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया था जहाँ किसी धरमदास करमाली द्वारा अपीलार्थी देवनंदन प्रसाद शर्मा के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया था और परिवाद सत्यापित करने के लिए एस॰ पी॰, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद से निर्देश मिलने के बाद वह दिनांक 16.2.1990 को परिवादी धरमदास करमाली के साथ वरीय डी॰ पी॰ ओ॰, धनबाद के कार्यालय गया और सत्यापन के बाद परिवाद की विषय वस्तु को सही पाने पर उसने एस॰ पी॰, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसे प्रदर्श 3 के रूप में चिन्हित किया गया था। तत्पश्चात, प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इस गवाह ने संपुष्ट किया है कि वह भी ट्रैप पार्टी का सदस्य था और ट्रैप–पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वह दिनांक 21.2.1990 को प्रात: लगभग 10.30 बजे सी॰ बी॰ आई॰ कार्यालय गया जहाँ इंस्पेक्टर लाल मोहन मांझी ने दो स्वतंत्र गवाहों, परिवादी और छापा मारने वाले दल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में औपचारिकताओं को पूरा किया और परिवाद का विषय वस्तु समस्त सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि चूँकि अभियुक्त ने 500/- रुपया मांगा था किंतु उसमें से 200/- रुपया दिनांक 16.2.1990 को अपीलार्थी को दिया गया था जब यह गवाह परिवाद के विषय वस्तु के सत्यापन के लिए परिवादी के साथ गया था और इसलिए परिवादी दिनांक 21.2.1990 को केवल 300/- रुपया लाया था। उक्त नोटों पर फेनॉल्पथेलीन पाउडर छिड़कने के बाद कतिपय निर्देशों के साथ इन्हें परिवादी को लौटाया गया था। तत्पश्चात, उसके द्वारा कार्बन प्रक्रिया में ट्रैप पूर्व ज्ञापन तैयार किया गया था जिसे साक्ष्य के दौरान प्रदर्श 2/12 से 2/14 के रूप में चिन्हित किया गया था। इस गवाह ने आगे संपुष्ट किया है कि औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद ट्रैप पार्टी इस गवाह के साथ दोपहर तीन

बजे डी॰ आर॰ एम॰ धनबाद के कार्यालय गयी और अभियुक्त देव नंदन प्रसाद शर्मा को अपने कार्यालय में उपस्थित पाया। धरमदास करमाली (अ॰ सा॰ 5) कमरे के अंदर गया और अभियुक्त से अपने स्थानांतरण आदेश के बारे में पूछा जिस पर अभियुक्त ने 300/- रुपया मांगा और जब परिवादी ने सकारात्मक उत्तर दिया, उसने उसे कमरा के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा क्योंकि वह कुछ अन्य काम में व्यस्त था। कुछ समय बाद, अभियुक्त एक स्टाफ के साथ अपने कार्यालय के बाहर आया और करमाली को डाकखाना के निकट चाय की दुकान में आने के लिए कहा। टीम परिवादी पर निगाह रखे हुई थी और डाकखाना के रास्ता में जहाँ अभियुक्त ने करमाली से धन मांगा, उसने अपने भाई से धन लाने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात, करमाली ने अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग के बारे में छापा मारने वाले दल को सूचित किया। ट्रैप पार्टी के अनुदेश पर धरमदास करमाली ने अपीलार्थी देवनंदन प्रसाद शर्मा को धन सौंपा जिसने धन गिनने के बाद इसे अपनी कमीज के अंदर की जेब में रखा। तत्पश्चात, परिवादी ने संकेत किया, जो छापा मारने वाले दल द्वारा तय किया गया था और ट्रैप टीम ने तुरन्त अपीलार्थी को पकड़ लिया और उसे सीनियर डी॰ पी॰ ओ॰ के कार्यालय ले गया। ट्रैप टीम ने अपीलार्थी को चुनौती दिया जिस पर वह नर्वस हो गया। तत्पश्चात, अपीलार्थी के दोनों हाथों को सोडियम कार्बोनेट से तैयार किए गए घोल में डुबोया गया था और घोल लाल हो गया। उक्त घोल बोतल में रखा गया था और बरामद किए गए रुपयों की तुलना ट्रैप–पूर्व ज्ञापन के नंबर के साथ की गयी थी। अपीलार्थी के कमीज की जेब को भी घोल में डुबाया गया था जो लाल हो गया। कमीज भी पृथक लिफाफा में रखी गयी थी और मुहरबंद की गयी थी और पृथक मेमो तैयार किया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि तत्पश्चात अभियुक्त के घर की भी तलाशी ली गयी थी और 200/- रुपयों जिसे दिनांक 16.2.1990 को अभियुक्त को दिया गया था में से एक नोट बरामद किया गया था और बोतल जिसमें घोल रखा गया था को तात्विक प्रदर्श II/1, II/2, III/3 के रूप में चिन्हित किया गया था। किंतु, इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण के पैराग्राफ 5 में कथन किया है कि धन पैन्ट की जेब से बरामद किया गया था और इसे घोल में डुबोया गया था और इस गवाह ने आगे न्यायालय में पैन्ट को पहचाना। इस गवाह ने पैराग्राफ 12 में आगे कथन किया है कि चाय की दुकान एवं डी॰ आर॰ एम॰ कार्यालय के बीच ट्रैप पार्टी द्वारा कोई कागजात तैयार नहीं किया गया था। इस गवाह ने आगे अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि उसी स्थान से बरामदगी नहीं की गयी थी जहाँ अपीलार्थी को धन दिया गया था। प्रकटतः, अ॰ सा॰ 3 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि वह परिवादी के लंबित काम के बदले अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग का गवाह नहीं था।

10. अब मैं अ॰ सा॰ 5 परिवादी के साक्ष्य का परीक्षण करना चाहूँगा। इस गवाह ने ट्रैप–पूर्व एवं ट्रैप–पश्चात औपचारिकताओं के तथ्य का समर्थन किया है। पैराग्राफ 8 में इस गवाह ने आगे सी॰ बी॰ आई॰ कार्यालय में उसके दिए गए निर्देश को संपुष्ट किया है कि केवल उसकी मांग पर अपीलार्थी को धन दिया जाना है और उस समय पर राजेन्द्र प्रसाद उसके साथ कमरा में जाएगा और राजेन्द्र को वार्तालाप सुनने का निर्देश दिया गया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि दोपहर लगभग 3.30 बजे वह ट्रैप पार्टी के साथ डी॰ आर॰ एम॰ कार्यालय पहुँचा और केवल वह अकेला अपीलार्थी देवनंदन प्रसाद शर्मा के कमरा में गया और स्थानांतरण एवं वेतन से संबंधित अपने काम के बारे में उससे पूछा जिस पर अपीलार्थी ने धन के बारे में पूछा। जब इस गवाह ने उसको धन का भुगतान करने का आश्वासन दिया, तब अपीलार्थी ने उसको कमरा के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उस समय पर, अन्य ट्रैप सदस्य कमरा के दरवाजा के निकट खड़े थे। इस गवाह ने स्वयं ही कथन किया कि वह अकेला कमरा में गया।

जब यह गवाह पुनः कमरा में गया, अपीलार्थी चिढ़ गया और उसे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा क्योंकि वह कुछ अन्य काम में व्यस्त था। लगभग 15-20 मिनट बाद अपीलार्थी और दो अन्य व्यक्ति कमरा से बाहर आए और उसे चलने के लिए कहा और डाकखाना के रास्ता में अपीलार्थी ने आगे उससे धन के बारे में पूछा जिस पर उसने अपने भाई से धन लाने के लिए पाँच मिनट देने का अनुरोध किया। जिसके बाद, उसने अपीलार्थी को 300/- रुपया सौंपा, जिसने धन गिनने के बाद इसे अपने फुलपैन्ट के दायीं जेब में रखा। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि जैसा ट्रैप पार्टी द्वारा पहले फैसला किया गया था, उसने राजेन्द्र को संकेत किया और कथन किया और आगे कथन किया कि वह अपीलार्थी के साथ पेट्रोल पंप के निकट आया जहाँ ट्रैप पार्टी ने अपीलार्थी को पकड़ा और उसे सुनील शर्मा, डी॰ पी॰ ओ॰ के कार्यालय लाया जहाँ मधुसूदन ने अपीलार्थी की जेब से धन बाहर निकाला। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि 200/- रुपया, जिसे पहले अपीलार्थी को दिया गया था, का मिलान ट्रैप-पूर्व ज्ञापन में उल्लिखित नंबर के साथ किया गया था। प्रकटतः, किसी गवाह ने 200/- रुपया की बरामदगी के बारे में नहीं कहा है जिसे परिवाद के सत्यापन के दौरान दिनांक 16.2.1990 को अपीलार्थी को दिया गया अभिकथित किया गया है। यह अनधिसंभाव्य प्रतीत होता है कि 200/- रुपया जिसे परिवादी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया अभिकथित किया गया था, अभी भी अपीलार्थी की जेब में पड़ा हुआ था।

11. अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जैसा ट्रैप पार्टी द्वारा फैसला किया गया था, राजेन्द्र प्रसाद अ॰ सा॰ 2 को परिवादी के पीछे कमरा में जाना था और अवैध परितोषण की मांग के संबंध में अभियुक्त-अपीलार्थी एवं परिवादी के बीच वार्तालाप सुनना था किंतु स्वयं अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य से यह प्रतीत होगा कि यह गवाह अकेला कमरा में गया जहाँ अपीलार्थी देवनंदन प्रसाद शर्मा काम कर रहा था और ट्रैप टीम के किसी अन्य व्यक्ति ने परिवादी एवं अभियुक्त अपीलार्थी के बीच वार्तालाप नहीं सुना था। अब उक्त बिंदु पर मैं अ॰ सा॰ 2 राजेन्द्र प्रसाद का परीक्षण करना चाहूँगा जिसे परिवादी के पीछे जाने एवं वार्तालाप सुनने का निर्देश दिया गया था।

12. अ॰ सा॰ 2 राजेन्द्र प्रसाद ने संपूर्ण ट्रैप कार्यवाही का विवरण दिया है कि किस प्रकार जाल बिछाया गया था जब वह अ॰ सा॰ 4 और ट्रैप टीम के साथ दोपहर लगभग 3.30 बजे डी॰ आर॰ एम॰ के कार्यालय पहुँचा और अभिपुष्ट किया कि अभियुक्त अपने कार्यालय में उपस्थित था और किस प्रकार परिवादी धरमदास करमाली अभियुक्त के निकट गया और तत्पश्चात वह उसके पीछे गया और उसके पीछे कोई एस॰ आई॰ सुनील शर्मा वहाँ था और अन्य ट्रैप सदस्य बाहर खड़े थे। किंतु प्रति परीक्षण के दौरान पैरा 7 में इस गवाह ने कथन किया है कि जब परिवादी अभियुक्त के कार्यालय कक्ष में प्रवेश किया, लगभग पाँच व्यक्ति उस कमरा में काम कर रहे थे और आगे संपुष्ट किया कि उसने किसी को अन्य व्यक्ति से बात करता नहीं पाया था और जब करमाली ने संकेत किया, केवल तब वह समझा कि संव्यवहार पूरा किया गया है।

13. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में, मैंने अ॰ सा॰ 2, 3, 4 एवं 5 के साक्ष्य पर विचार किया है। जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद का संबंध है कि धन की मांग के बिंदु पर साक्ष्य विश्वसनीय एवं तर्कपूर्ण नहीं हैं, साक्ष्य दर्शाता है कि यद्यपि अ॰ सा॰ 2, 3, 4 एवं 5 का परीक्षण धन की मांग के बिंदु पर किया गया था किंतु किसी गवाह ने इसको लेकर कोई जिक्र तक नहीं किया है कि उन्होंने अवैध परितोषण की मांग के बिंदु पर वार्तालाप सुना था। यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि बरामदगी मात्र स्वयं में किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध घूस की मांग का आरोप सिद्ध नहीं कर सकती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 (1) की दृष्टि में यह सदैव उपधारित किया जाएगा, जब तक विपरीत सिद्ध नहीं किया जाता है, कि अभियुक्त ने परितोषण स्वीकार किया अथवा प्राप्त किया अथवा

स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ और प्रमाण का अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है क्योंकि वह असंभव होगा किंतु प्रमाण ऐसा होना होगा जो निष्कर्ष विशेष पर आने के लिए युक्तियुक्त हो। प्रकटत: मांग के किसी गवाह अ॰ सा॰ 3 अथवा अ॰ सा॰ 4 ने अपने साक्ष्य में कहीं नहीं प्रकट किया है कि उनमें से किसी ने अवैध परितोषण की मांग से संबंधित परिवादी एवं अभियुक्त–अपीलार्थी के बीच वार्तालाप सुना। अब प्रश्न उद्‌भूत होगा कि अभियुक्त अपीलार्थी को झूठा आलिप्त करने के लिए परिवादी के पास कौन सा अवसर था। अ॰ सा॰ 5 ने अपने साक्ष्य में स्पष्टत: कथन किया है कि वह वेतन की मांग एवं स्थानांतरण के लिए अभियुक्त अपीलार्थी के पास गया था और यह कथन भी किया है कि अभियुक्त अपीलार्थी उसके फाइल पर विचार करने वाला लिपिक था और उसके स्थानांतरण का आदेश एवं वेतन के भुगतान के लिए अवैध परितोषण के रूप में 500/- रुपयों का मांग किया था। अ॰ सा॰ 6 ने भी संपुष्ट किया है कि अपीलार्थी ई॰ टी॰ II सेक्शन का हेडक्लर्क होने के नाते स्थानांतरण एवं वेतन के संबंध में परिवादी के फाइल पर विचार कर रहा था। इस गवाह ने आगे संपुष्ट किया है कि जब कभी वेतन के संबंध में कोई विवाद होता है, बिल सेक्शन इसके अनुमोदन के लिए फाइल ई॰ टी॰ II सेक्शन को भेजता है। नि:संदेह अपीलार्थी परिवादी से संबंधित फाइल का डीलिंग क्लर्क था किन्तु अवैध परितोषण की मांग के किसी प्रत्यक्ष गवाह की अनुपस्थिति में, मैं दो अन्य गवाहों अ॰ सा॰ 8 एवं अ॰ सा॰ 10 का परीक्षण करना चाहूँगा। इन दोनों गवाहों ने संपुष्ट किया है कि दिनांक 10.2.1990 को रेलवे गुमटी के निकट परिवादी एवं अभियुक्त के बीच झगड़ा हुआ था। अ॰ सा॰ 8 ने उक्त झगड़े का कारण जानने से इनकार किया है किंतु अ॰ सा॰ 10 को प्रति–परीक्षण में संपुष्ट किया है कि डी॰ पी॰ शर्मा ने उसके पे–बिल पर परिवादी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट दिया था और उससे चिढ़ कर करमाली ने अपीलार्थी डी॰ पी॰ शर्मा को गाली दिया था। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि उसे जानकारी हुई कि अपीलार्थी ने लगभग 2-3 माह पहले परिवादी करमाली को कुछ कर्ज दिया था और अपीलार्थी धन मांग रहा था और उसके लिए अपीलार्थी एवं परिवादी के बीच झगड़ा हुआ था।

14. बचाव पक्ष ने एक गवाह का परीक्षण किया था और एस॰ डी॰ एम॰, धनबाद के न्यायालय में दाखिल एक सूचनात्मक याचिका को अभिलेख पर लाया था जिसे प्रदर्श A के रूप में चिन्हित किया गया है। यह सूचनात्मक याचिका परिवादी धरमदास करमाली द्वारा धमकी दिए जाने के बाद दिनांक 13.2.1990 को दाखिल की गयी थी। उक्त याचिका से यह प्रतीत होता है कि दिनांक 24.1.1990 को धरमदास करमाली ने अपीलार्थी से इसे 15 दिनों के भीतर लौटाने के वादा पर 500/- रुपया का मित्रवत कर्ज लिया था। दिनांक 10.2.1990 को जब धरमदास करमाली पुन: उसके घर आया, अपीलार्थी ने अपना धन मांगा जिसके बाद परिवादी चिढ़ गया और अपीलार्थी को झूठे मामले में आलिप्त करने की धमकी दिया और कुछ अन्य रेलवे स्टाफ के हस्तक्षेप पर धरमदास करमाली ने फरवरी, 1990 के अंत तक 500/- रुपयों की कर्ज राशि लौटाने का आश्वासन दिया जिसके बाद धरमदास करमाली द्वारा किसी मामले में उसको झूठा आलिप्त किए जाने की युक्तियुक्त आशंका दर्शाते हुए इस सूचनात्मक याचिका को दाखिल किया गया था। स्वीकृत रूप से, यह सूचनात्मक याचिका दिनांक 21.2.1990 को सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा जाल बिछाने के काफी पहले दाखिल की गयी थी।

15. यह दांडिक विधिशास्त्र का सुनिश्चित सिद्धांत है कि मात्र उपधारणा एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती है। यह मूल सिद्धांत है कि अभियोजन को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा अथवा परिस्थितियों द्वारा भी समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करना होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों पर उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, अ॰ सा॰ 3 जो मांग का स्वतंत्र गवाह था

ने कहीं पर भी यह नहीं कहा है कि वह मांग का गवाह था और दूसरे गवाह अ॰ सा॰ 4 मधुसूदन प्रसाद धन के बारे में सुनने से अपने इनकार पर पक्षद्रोही बन गया। इस गवाह ने धन की मांग और स्वीकरण के बारे में कुछ भी जानने से पूरी तरह इनकार किया है और यह अभिस्वीकृत करने से भी इनकार किया है कि उसकी उपस्थिति में अ॰ सा॰ 5 से अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा 300/- रुपयों की राशि मांगी गयी थी। अ॰ सा॰ 2 जो सत्यापन एवं ट्रैप का गवाह था ने भी मांग का स्पष्ट चित्र नहीं दिया है बल्कि कहा है कि कमरा में उपस्थित कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं कर रहा था।

16. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन मामले में अभियोजन को तीन अवयवों मांग, स्वीकरण एवं बरामदगी सिद्ध करना होगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव मांग है क्योंकि मांग अवैध परितोषण का अथवा पूर्व कर्ज लौटाने का अथवा आधिकारिक काम से असंबंधित कोई मांग हो सकता है। निश्चय ही अभियुक्त अपीलार्थी की जेब से धन बरामद किया गया था और अपीलार्थी द्वारा धन के स्वीकरण के ऊपर विवाद नहीं है किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव 'मांग' अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है।

17. सी॰ एम॰ गिरीश बाबू बनाम सी॰ बी॰ आई॰, कोचीन (ऊपर) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समरुप परिस्थिति पर विचार करते हुए दृष्टिकोण लिया कि मांग एवं स्वीकरण के मुख्य साक्ष्य की अनुपस्थिति में अभियुक्त से धन की बरामदगी मात्र स्वयं में पर्याप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि इसे घूस के रूप में जानते हुए धन का वैध स्वीकरण नहीं था और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का लाभ अभियुक्त को देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 18 एवं 20 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

> *"18. ljtey cuke jkT; (fnYyh ç'kklu)] 1974 (4) SCC 725, e bl U;k;ky; unf"Vdk.k fy;k fd (SCC p 727, Para 2 ij) ifjfLFkfr;k ftld vèkhu bldk Hkxrku fd;k x;k g l [kkt x, dyfdr èku dh cjkenxh ek= vfHk;Dr dk nk"kfl) dju d fy, i;kIr ugh g tc ekey e e[; lk{; fo'oluh; ugh gA cjkenxh ek= Lo; e ?kl dk Hkxrku fl) dju d fy, vFkok ;g n'kku d fy, ek= Lo; e ?kl dk Hkxrku fl) dju d fy, vFkok ;g n'kku d fy, fd vfHk;Dr u bl ?kl tkur g, LoPNkiod èku Lohdkj fd;k] fdlh lk{; dh vuifLFkfr e vfHk;Dr d fo#) vfHk;ktu dk vkjki fl) ugh dj ldrk gA*
>
> *20. ,e0 ujflxk jko cuke ,0 ih0 jkT;] 2001 (1) SCC 69: 2001 (1) East Cr. C. 300 (SC), e f= U;k;kèkh'k ihB u bl çfrokn ij fopkj djr g, fd ;g i;kIr ugh g fd bl ifjrk"k.k dk Lohdj.k cuku d fy, ykd lod dk dN djlh ukV lki x, Fk vkj ;g fl) djuk vfHk;ktu dk dr0; g fd ftld Hkxrku fd;k x;k Fkk og ifjrk"k.k d rY; Fkk] lçf{kr fd;k (SCC P 700 Para 24)*
>
> *"24. ...ge bl ekey ij foLrkjiod fopkj djuk vko';d ugh le>r g D;kfd gekj }kjk fn, x, gky d fu.k; e mDr igy ij foLrkjiod fopkj fd;k x;k gA (eèkdj Hkk"dj jko tk'kh cuke egkjk"V jkT;] 2000 (8) SCC 571 d rgr) mDr fu.k; e gekj }kjk fn;k x;k fuEufyf[kr c;ku fo}ku vfèkoDrk }kjk fd, x, iokDr çfrokn dk mÙkj gkxk (eèkdj ekeyk] SCC, p. 577, Para 12)"*

उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया। जैसा विश्लेषण ऊपर किया गया है, साक्ष्यों की दृष्टि में कि पक्षों के बीच कुछ विवाद था और प्रदर्श A के आलोक में झूठा आलिप्त किए जाने की भी आशंका थी जिसे अ॰ सा॰ 8 एवं अ॰ सा॰ 10 द्वारा संपुष्ट किया गया था कि

दिनांक 10.2.1990 को परिवादी और अभियुक्त अपीलार्थी के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 द्वारा धन की मांग की संपुष्टि की अनुपस्थिति में यह अभिनिर्धारित करना मुश्किल है कि अभियोजन ने अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध स्थापित किया है कि उसने स्वेच्छापूर्वक अवैध परितोषण स्वीकार किया। जहाँ अवैध परितोषण की मांग का आरोप विफल हुआ है, धन का स्वीकरण एवं बरामदगी, भले ही अभियोजन द्वारा इसे सिद्ध किया गया है, विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं होगा और बरामदगी के एकमात्र आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि में दोषपूर्ण होगी। मेरे मत में, अभियोजन अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग का आरोप स्थापित करने में विफल हुआ है जो उसे संदेह के लाभ का हकदार बनाता है।

18. संपूर्ण साक्ष्य के परीक्षण पर, मैं यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर हूँ कि युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता निश्चयात्मक रूप से दर्शाना मुश्किल होगा। मेरी समझ में, झूठ एवं सच इस प्रकार जटिल रूप से आपस में जुड़े हुए हैं कि यह पता लगाना संभव नहीं है कि कहाँ एक समाप्त और दूसरा शुरू होता है।

19. तद्नुसार, अवर न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय एवं दंडादेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है। अपील अनुज्ञात की जाती है। परिणामस्वरुप, अपीलार्थी जो जमानत पर है को उसके जमानत बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

श्रीमती कविलाश देवी

cuke

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य

W.P.(S) No. 1940 of 2007. Decided on 27th February, 2015.

भारत का संविधान–अनुच्छेद 226—परमादेश–याची, जिसके पति की हत्या केंद्रीय भंडार में चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी, का मुआवजा के लिए अभ्यावेदन प्रत्यर्थीगण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया–मृतक को दिया गया चौकीदार का कर्तव्य समस्त आवश्यक सावधानी बरतते हुए भंडार में रखी गयी बोर्ड की संपत्ति पर पहरा देना था–शब्द 'परिसंकटमय' की परिभाषा के कोरे पठन पर किसी प्रकार का संदेह अथवा वाद-विवाद नहीं हो सकता है कि मृतक कर्मचारी के काम की प्रकृति परिसंकटमयी और निर्विवादतः याची के पति की मृत्यु अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने के क्रम में हुई और उसकी हत्या का तथ्य सिद्ध किया गया था जैसा अंतिम रिपोर्ट से प्रकट हुआ–मुआवजा के दावा से इनकार करते हुए याची के अभ्यावेदन के अस्वीकरण का आक्षेपित आदेश तुच्छ एवं आधारहीन आधार पर आधारित और बोर्ड की दुर्घटना मुआवजा योजना, 1988 के अननुरूप अभिनिर्धारित किया गया–आक्षेपित आदेश अभिखंडित। (पैराएँ 11 एवं 12)

अधिवक्तागण.–Mr. Bijay Kumar Sinha, For the Petitioner; Mr. Ram Subhag Singh, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–वर्तमान रिट याचिका में याची ने आरंभ में याची, जिसके पति की हत्या दिनांक 31.12.2005 को केंद्रीय भंडार में चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुष्टों द्वारा कर दी गयी थी, को मुआवजा का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए

और आगे याची के अभ्यावेदन, जो निदेशक, कार्मिक एवं महाप्रबंधक–सह–अभियन्ता, सिंहभूम, जमशेदपुर के समक्ष लंबित था, पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए और याची को पेंशन का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है।

2. रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतर्वर्ती आवेदन आई॰ ए॰ सं॰ 3523 वर्ष 2009 याची द्वारा दाखिल किया गया था और उसमें दिनांक 10.4.2008 के मेमो सं॰ 991, जिसके द्वारा याची का दिनांक 10.3.2008 का अभ्यावेदन अस्वीकार किया गया था, के अभिखंडन के लिए रिट याचिका के प्रार्थना अंश में संशोधन करने की प्रार्थना की गयी थी। दिनांक 3.11.2014 के आदेश के तहत संशोधन के लिए उक्त अंतर्वर्ती आवेदन अनुज्ञात किया गया था और प्रत्यर्थीगण को संशोधन प्रार्थना के संबंध में प्रतिशपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

3. मामला पुनः दिनांक 1.12.2014 को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें प्रत्यर्थीगण को परिसंकटमय प्रकृति के काम की परिभाषा के संबंध में न्यायालय को अवगत करने तथा दो सप्ताह के भीतर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। मामला पुनः दिनांक 27.1.2015 को सूचीबद्ध किया गया था और प्रत्यर्थीगण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर मामला दिनांक 9 फरवरी, 2015 से आरंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किए जाने के लिए स्थगित किया गया था और अंततः दोनों पक्षों की सहमति से दिनांक 13.2.2015 को मामला अंतिम रूप से सुना गया था।

4. रिट याचिका में वर्णित ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि जब याची का मृतक पति अर्थात् स्वर्गीय लजित महतो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि में अर्थात् दिनांक 31.12.2005 को झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, जमशेदपुर के केंद्रीय भंडार में चौकीदार के रूप में कर्तव्य पर था, अज्ञात अपराधियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी थी जिसके लिए परिशिष्ट 1 के अधीन प्राथमिकी दर्ज की गयी थी और पुलिस ने परिशिष्ट–2 में प्रकट किया गया फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया था जिसमें घटना सत्य पायी गयी थी किंतु दुष्टों द्वारा लूट के बारे में कोई सुराग नहीं पाया गया था।

5. रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान याची ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना का दिनांक 30.6.1988 का संकल्प सं॰ 244 जो सामान्य रूप से ‘‘दुर्घटना मुआवजा योजना, 1988" के रूप में ज्ञात है को अभिलेख पर लाते हुए पूरक शपथ पत्र दाखिल किया है। त्वरित निर्देश के लिए उक्त निर्दिष्ट संकल्प का प्रासंगिक खंड 3 यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

*"3. **;ktuk dk foLrkj-**&tgk l{ke çkfèkdkjh }kjk çkfèkÑr rjhd l mldk fn, x, dr0; dk fuogu dju e n?kVuk e ckM d depkjh dh eR; gk tkrh g] erd depkjh d vkfJr fuEufyf[kr ykHkk d gdnkj gkx%&*

(d) uxn vurk"k%&

(i) çfrekg 1600/- #i;k rd ey oru iku oky depkjh%

çfrekg 1600/- #i;k rd dk ey oru iku oky erd depkjh d ekey e ckM }kjk ,d yk[k #i;k d uxn vurk"k dk Hkxrku fd;k tk,xkA ,d yk[k #i;k d uxn vurk"k dh ;g jkf'k dedkj çfrdj vfèkfu;e] 1923 d vèkhu Hkxr; evkotk d vfrfjDr gkxhA ;fn erd depkjh dedkj çfrdj vfèkfu;e] 1923 }kjk vkPNkfnr ugh g] mld vkfJrk dk Hkxr; evkotk dh lx.kuk bl çdkj dh tk,xh ekuk og dedkj çfrdj vfèkfu;e d vèkhu 'kkflr g vkj ,l vfrfjDr jkf'k dk Hkxrku mDr fufn"V ,d yk[k #i;k d uxn vurk"k d vfrfjDr mld vkfJrk dk fd;k tk,xkA mDr fufn"V evkotk] uxn vurk"k rFkk

vfrfjDr jkf'k] ;fn gk] d :i e Hkxr; jkf'k dh egÙke lhek nk yk[k #i;k gkxhA , l ekeyk e tgk dedkj çfrdj vfèkfu;e d vèkhu Hkxr; evkotk nk yk[k #i; l vfèkd g] ckM }kjk vfrfjDr uxn vurk"k dk Hkxrku ugh fd;k tk,xkA

(ii) çfrekg 1600/- #i;k l vfèkd ey oru iku oky depkjh%

tgk erd depkjh dk ey oru 1600/- #i;k çfrekg l vfèkd g] , l depkfj;k d vkfJrk dk uxn vurk"k d :i e nk yk[k #i;k dh jkf'k dk Hkxrku fd;k tk,xk tk dedkj çfrdj vfèkfu;e d vèkhu Hkxr; evkotk dk lfEefyr djd gkxkA fdr ;fn dedkj çfrdj vfèkfu;e d vèkhu evkotk nk yk[k #i;k l vfèkd g] ckM }kjk vfrfjDr uxn vurk"k dk Hkxrku ugh fd;k tk,xk] ;fn erd depkjh dedkj çfrdj vfèkfu;e d vèkhu vkPNkfnr ugh g] ckM }kjk nk yk[k #i;k d uxn vurk"k dk Hkxrku fd;k tk,xkA

(iii) i'ku%

i'ku fu;ek d erkfcd erd depkjh d vkfJr ikfjokfjd i'ku d :i e ogh jkf'k ik,x ft l erd depkjh n?kVuk d fnu ij viu oru (vFkkr ey oru] MhO ,0] ,0 MhO ,0 ,o vrfje vurk"k) d :i e ik jgk Fkk vkj bl jkf'k dk Hkxrku ml frFk rd fd;k tk,xk ft l ij , l erd depkjh vfèkof"kr gvk gkrk ;fn dr0; ij ?kkrd n?kVuk d dkj.k ml dh eR; ugh gkrhA frFk] ft l ij erd depkjh vfèkof"kr gvk gkrk] l erd d vkfJr fu;ek d vèkhu xkg; ikfjokfjd i'ku ik,xA

(iv) minku rFkk vU; lok lekfIr ykHk%

erd depkjh d vkfJr fu;ek d erkfcd minku ,o vU; lok lekfIr ykHk ik,xA

(b) (i) vkokl lfoèkk%

;fn erd depkjh n?kVuk d igy ckM d DokVj d vfèkHkkx e g] ml d vkfJrk dk n?kVuk dh frFk l ,d o"k d fy, lkekU; fdjk;k d Hkxrku ij DokVj e cu jgu dh vuefr nh tk,xhA

(ii) vkfJr dk fu;ktu%

erd depkjh d vkfJrk e l ,d dk fo|eku fu;ek d vèkhu ml dh vgrk d vu#i rrh; ox vFkok prFk ox in ij ckM e fu;ktu fn;k tk,xkA

बाद में, दिनांक 30 जून, 1988 की योजना दिनांक 15.1.1999 के संकल्प के तहत संशोधित की गयी थी और खंड 3 के अधीन योजना का विस्तार निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है:–

^^3. ;ktuk dk foLrkj-& tgk l{ke çkfèkdkjh }kjk çkfèkÑr rjhd l ml dk fn, x, dr0; d fuogu d Øe e dk;LFky ij n?kVuk e ckM d depkjh dh eR; gk tkrh g vkj eR; dke d ifjldVe; çÑfr d dkj.k gkrh g vkj lj{kk mik;k t lk fu;e d vèkhu vko';d g dk lefpr :i l ykx fd;k x;k g] erd depkjh d vkfJr fuEufyf[kr ykHkk d gdnkj gkx%&**

6. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

7. याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूँकि याची के पति की हत्या कर्तव्य पर रहते हुए की गयी थी और उसका काम परिसंकटमय प्रकृति का था चूँकि याची के पति की मृत्यु चौकीदार के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हुई थी, अत: पूर्वोक्त योजना के आधार पर याची ने अपनी शिकायत दूर करने के लिए समुचित निर्देश की प्रार्थना की है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि केवल प्रतिरोध के कारण याची के पति की हत्या की गयी थी और बोर्ड की संपत्ति बचायी जा सकी थी, अत: 'हानि नहीं होने की रिपोर्ट' मुआवजा से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। अत: मुआवजा से इनकार करने वाला दिनांक 10.4.2008 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने का दायी है।

8. रिट याचिका में किए गए प्रकथनों को खंडित करते हुए प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह है कि याची के पति की हत्या वर्ष 1988 की अधिसूचना, जिसे दिनांक 15.1.1999 के मेमो सं॰ 63 के तहत संशोधित किया गया है, के पैराग्राफ 3 के मुताबिक मुआवजा के विस्तार एवं परिधि के अंतर्गत नहीं आती है। महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियन्ता ने दिनांक 10.4.2008 के मेमो सं॰ 991 के तहत इस आधार पर मुआवजा का भुगतान करने से इनकार किया कि मृतक कर्मचारी के कर्तव्य घंटा के दौरान बोर्ड की संपत्ति के लूट की रिपोर्ट नहीं है।

9. रिट आवेदन, प्रतिशपथ पत्र, उक्त निर्दिष्ट योजना तथा परस्पर विरोधी निवेदनों के परिशीलन पर प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ उद्भूत होता है यह है कि क्या चौकीदार का कार्य दिनांक 15.1.1999 के संकल्प के संशोधन के मुताबिक परिसंकटमय है या नहीं ताकि याची को मुआवजा का हकदार बनाया जा सके।

10. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, नया आठवाँ संस्करण में जैसा परिभाषित किया गया है, 'परिसंकटमय' का शब्दकोषीय अर्थ है: ''परिसंकटमय: विशेषण जोखिम अथवा खतरा अंतर्ग्रस्त करने वाला, विशेषत: किसी के स्वास्थ्य अथवा सुरक्षा को।''

11. यह प्रतीत होता है कि चौकीदार का कर्तव्य, जिसे मृतक को दिया गया था, समस्त आवश्यक सतर्कता बरतते हुए भंडार में रखी गयी बोर्ड की संपत्ति पर पहरा देना था। शब्द 'परिसंकटमय' की परिभाषा के सादे पठन पर किसी प्रकार का संदेह अथवा वाद-विवाद नहीं हो सकता है कि मृतक कर्मचारी के काम की प्रकृति परिसंकटमय थी और निर्विवादत: याची के पति की मृत्यु अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन के क्रम में हुई थी और उसकी हत्या का तथ्य सिद्ध किया गया है जैसा अंतिम रिपोर्ट से प्रकट है। इसके अतिरिक्त, मुआवजा के दावा से इनकार करते हुए याची के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए दिनांक 10.4.2008 के मेमो सं॰ 991 में अंतर्विष्ट प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट C के तहत अभ्यावेदन के अस्वीकरण का आक्षेपित आदेश तुच्छ एवं आधारहीन आधार पर आधारित प्रतीत होता है जो बोर्ड की दुर्घटना मुआवजा योजना, 1988 के अनुरुप नहीं है।

12. मुआवजा के अधिनिर्णय से संबंधित वाद पर चिंतापूर्वक विचार करने के बाद मेरा सुविचारित मत है कि प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट C के अधीन महाप्रबंधक-सह-अभियन्ता, सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 10.4.2008 के आदेश के तहत याची के अभ्यावेदन का अस्वीकरण अवैध एवं असंपोषणीय है और इसलिए, एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को एतद् द्वारा इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर पूर्वोक्त योजना के कठोरतापूर्वक अनुरुप और देय तथा ग्राह्य याची को मुआवजा अधिनिर्णीत करने का निर्देश दिया जाता है।

पूर्वोक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

दामोदर घाटी निगम

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P. (C) No. 647 of 2011. Decided on 5th February, 2015.

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952—धारा 7 (A)—भविष्य निधि के भुगतान का आदेश एवं याची के खाता की कुर्की के लिए जारी पत्र का अभिखंडन–वेल्डर, रिगर एवं अन्य विशिष्ट श्रमिक को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए विशेष भत्ता का भुगतान किया गया–याची का अभिवचन कि विशेष भत्तों का भुगतान त्रिपक्षीय करार के परिणामस्वरुप किया गया है और इसलिए यह मूल मजदूरी का भाग नहीं है–अभिनिर्धारित, उनकी विशिष्ट सेवा के लिए विशिष्ट श्रमिक की कोटि के अधीन आने वाले समस्त कर्मचारियों को विशेष भत्ता का भुगतान किया जाता है, इसका भुगतान समस्त कर्मकारों की कोटि को किया जाता है–भुगतान कालावधि के कारण निर्बंधित नहीं है, इसका भुगतान उपलब्धि के रूप में कर्मकारों की कोटि को किया जाता है और इसलिए, इसे मूल मजदूरी का भाग निर्मित करना होगा–अभिकथित त्रिपक्षीय करार त्रिपक्षीय करार नहीं है, यह प्रबंधन एवं यूनियन के बीच करार की कार्यवाही है–मात्र इसलिए कि श्रम आयुक्त की उपस्थिति में कार्यवाही की गयी, यह त्रिपक्षीय करार नहीं बन जाएगा–प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किया जाता है, इसका भुगतान अतिरिक्त काम/ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त बोनस के रूप में नहीं किया जाता है बल्कि यह सी॰ टी॰ पी॰ सी॰ के प्रबंधन द्वारा अर्जित लाभ के लिए प्रत्येक कर्मकार के अंशदान के रूप में है–अभिनिर्धारित, यह ''मूल मजदूरी'' का भाग निर्मित करता है जैसा अधिनियम की धारा 2 (b) के अधीन परिभाषित किया गया है और यह इ॰ पी॰ एफ॰ एवं एम॰ पी॰ अधिनियम, 1952 की धारा 26 के अधीन अपवर्जित नहीं है– रिट याचिका खारिज।

(पैराएँ 13 एवं 14)

निर्णयज विधि.–1980 Lab. I.C. 1129, 1981 Lab. I.C. 472, [1995] 3 LLG 368—Relied upon; AIR SC 1474; AIR 1959 SC 967; (1992)2 SCC 723; 2005 (2) LLN 214—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Srijit Choudhary, For the Petitioner; Mr. T.N. Mishra, For the Resp. No.1; Mr. Yogendra Prasad, For the Resp. No.2.

आदेश

याची दामोदर घाटी निगम को अप्रिल, 2006 एवं फरवरी, 2010 के बीच की अवधि के लिए भविष्य निधि एवं अन्य संबद्ध देयों का भुगतान करने का निर्देश देने वाले दिनांक 6.1.2011 के आदेश का अभिखंडन इप्सित करते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है। याची के बैंक खाता की कुर्की के लिए जारी दिनांक 24.1.2011 के पत्र में अंतर्विष्ट संसूचना अभिखंडित करने की प्रार्थना भी रिट याचिका में की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याची दामोदर घाटी निगम डी॰ वी॰ सी॰ अधिनियम, 1948 के अधीन गठित किया गया है। याची बहु प्रयोजनीय नदी घाटी परियोजना है और यह विभिन्न संप्रभु कार्यपालन करती है। याची झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में मृदा संरक्षण के लिए कदम उठाता है और अनेक थर्मल पावर स्टेशनों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। दामोदर घाटी निगम केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा झारखंड सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती है और उनके

पूर्ण स्वामित्व में है। कतिपय राशियों के प्रेषण के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त II, राँची द्वारा याची को दिनांक 6.5.2010 का नोटिस जारी किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (ई॰ पी॰ एफ॰ एवं एम॰ पी॰ अधिनियम, 1952) की धारा 7 (A) के अधीन जाँच में डी॰ वी॰ सी॰ के चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन का प्रबंधन दिनांक 25.5.2010 को उपस्थित हुआ और अपना मामला प्रस्तुत किया और डी॰ वी॰ सी॰ तथा सी॰ टी॰ पी॰ एस॰ के मजदूरों की कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य निधि के प्रेषण के संबंध में विवरण दिया। प्रबंधन की ओर से अभिवचन किया गया था कि त्रिपक्षीय करार के मुताबिक दिया गया विशेष भत्ता मूल वेतन का भाग निर्मित नहीं करता है। दिनांक 17.4.2007 के त्रिपक्षीय करार की दृष्टि में, करार के निबंधन पक्षों पर बाध्यकारी हैं, त्रिपक्षीय करार के परिणामस्वरुप कर्मकारों को भुगतान किया गया विशेष भत्ता मूल मजदूरी का भाग निर्मित नहीं करता है और इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन नियोक्ता अंशदान के अंशदान के लिए सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। किंतु, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दिनांक 6.1.2011 के आक्षेपित आदेश के तहत अप्रिल, 2006 से फरवरी, 2010 की अवधि के लिए भविष्य निधि के कारण अंशदान जमा करने के लिए याची को निर्देश दिया जो पूर्णत: अवैध, मनमाना एवं अस्पष्ट है और इसे विवेक के इस्तेमाल के बिना जारी किया गया है।

3. प्रत्यर्थी सं॰ 2 की ओर से प्रतिशपथ पत्र यह कथन करते हुए जारी किया गया है कि चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन इ॰ पी॰ एफ॰ एवं एम॰ पी॰ अधिनियम, 1952 के अधीन छूट प्राप्त स्थापन नहीं है और इस प्रकार स्थापन के काम के संबंध में इसके नियमित कर्मचारियों एवं ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कर्मकारों के बीच सुभिन्नता नहीं की जा सकती है। ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों को भी उसी तरीके से कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता के प्रति नामांकित किए जाने की आवश्यकता है जिस तरीके से डी॰ वी॰ सी॰ के मेसर्स चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के नियमित कर्मचारियों को नामांकित किया गया है। यह कथन किया गया है कि सी॰ टी॰ पी॰ एस॰ में ठेकेदार के माध्यम से काम पर लगाए गए मजदूरों की ई॰ पी॰ एफ॰ कटौती एवं प्रेषण के संबंध में दिनांक 6.6.2008 को किसी नवीन कुमार शर्मा एवं बृज बिहारी शर्मा से परिवाद प्राप्त किया गया था। प्रवर्तन अधिकारी ने स्थापन के अभिलेख का सत्यापन किया और जाँच अनुशंसित किया। धारा 7A के अधीन जाँच आरंभ की गयी थी और दिनांक 3.5.2010 को समन जारी किया गया था। रिट याचिका की पोषणीयता के प्रति आपत्ति इस आधार पर की गयी थी कि याची के पास कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण के समक्ष ई॰ पी॰ एफ॰ एवं एम॰ पी॰ अधिनियम, 1952 की धारा 7-I/7-O के अधीन अपील करने का उपचार है।

4. याची द्वारा यह कथन करते हुए प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है कि विशेष भत्ता, पुनरीक्षित तदर्थ भुगतान और वार्षिक वेतन वृद्धि ई॰ पी॰ एफ॰ एवं एम॰ पी॰ अधिनियम, 1952 की धारा 2(b) के निबंधनानुसार मूल मजदूरी का घटक नहीं है। दिनांक 17.4.2007 के त्रिपक्षीय करार की प्रति भी अभिलेख पर लायी गयी है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

6. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीजित चौधरी दिनांक 17.4.2007 के त्रिपक्षीय करार को निर्दिष्ट करते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रबंधन एवं मजदूरों के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हस्ताक्षरित किया गया है और इसे श्रम आयुक्त, झारखंड द्वारा साक्ष्यित किया गया है और इस प्रकार, पक्ष दिनांक 17.4.2007 के समझौता के निबंधनों द्वारा बाध्य हैं। उक्त समझौता के खंड 1 को निर्दिष्ट करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि कर्मकारों की मूल मजदूरी 2500/- रुपया नियत

की गयी है और इसलिए, भुगतान एवं भत्ता मूल मजदूरी का भाग नहीं है और इस प्रकार, याची विशेष भत्ता, पुनरीक्षित तदर्थ भुगतान एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में नियोक्ता अंशदान के लिए दायी नहीं है। याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **''मेसर्स बर्मा शेल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नयी दिल्ली बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य,'' 1980 Lab. I.C. 1129; ''क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि, तमिलनाडु एण्ड पांडिचेरी बनाम सदर्न एली फाउन्ड्रीज (प्रा॰) लि॰, माधवरम, 1981 Lab. I.C. 472 एवं ''एसोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज लि॰ द्वारका बनाम आर॰ एम॰ गांधी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात'', (1995)3 LLG 368** में प्रकाशित निर्णयों पर विश्वास करते हैं और दोहराते हैं कि तदर्थ भुगतान एवं विशेष भत्ता को मूल मजदूरी के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, अधिनियम के अधीन भुगतेय नियोक्ता के अंशदान की संगणना के लिए सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

7. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विशेष भत्ता, पुनरीक्षित तदर्थ भुगतान एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान सामान्यत: उसी कोटि के समस्त कर्मचारियों में किया जाता है और इस प्रकार, ''मूल मजदूरी'' का भाग निर्मित करता है जैसा ई॰ पी॰ एफ॰ एवं एम॰ पी॰ अधिनियम, 1952 की धारा 2 (b) के अधीन परिभाषित किया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि मात्र इसलिए कि दिनांक 17.4.2007 के समझौते में विभिन्न शीर्षों में से एक शीर्ष मूल मजदूरी है, यह कर्मकारों को भुगतान किए गए अन्य उपलब्धियों को अपवर्जित नहीं करेगा जिसे कर्मचारी द्वारा कर्तव्य पर अथवा अवकाश पर अथवा छुट्टी पर रहते हुए अर्जित किया जाता है।

8. मैंने पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

9. पक्षों की ओर से किए गए परस्पर विरोधी प्रतिवादों पर आने के पहले कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन प्रावधानों को लाभदायी रूप से ध्यान में लिया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 2 (b) निम्नलिखित रूप से ''मूल मजदूरी'' परिभाषित करती है:–

> *"2. **ifjHkk"kk,-**&bl vfèkfu;e e] tc rd lnHk vU;Fkk vko';d ugh cukrk g%*
>
> *(a) xxx xxx xxx*
>
> *(b) ^ey etnjh* l vfHkçr g leLr miyfCèk;k ftUg depkjh }kjk etnjh d lkFk drO; ij vFkok vodk'k ij vFkok NVVh ij jgr g, fdlh Hkh ekey e fu;ktu dh lfonk d fucèkuk d vu#i vftr fd;k tkrk g vkj ftldk Hkxrku uxn e fd;k tkrk g vFkok tk uxn e Hkxr; g fdr*
>
> *(i) fdlh Hkktu fj;k;r dk uxn eY;]*
>
> *(ii) dkb egxkb HkÙkk (vFkkr thou ;kiu 0;; e of) d dkj.k depkjh dk Hkxrku fd;k x;k fdlh uke l dgk x;k leLr uxn Hkxrku)] xg fdjk;k HkÙkk] vkoj Vkbe HkÙkk] cku l] deh'ku vFkok viu fu;ktu vFkok ,l fu;ktu e fd, x, dke d lcèk e depkjh dk Hkxr; dkb vU; le#i HkÙkk(*
>
> *(iii) fu;kDrk }kjk fn;k x;k dkb migkj lfEefyr ugh djrk gA***

10. ''ब्रिज एन्ड रुफ्स कं॰ लि॰ बनाम भारत संघ'', AIR 1963 SC 1474 में निम्नलिखित मूल सिद्धांत अधिकथित किए गए हैं:–

^^(a) tgk etnjh dk Hkxrku lHkh dedkjk dk lkoHkke :i l] vko';dr% rFkk lkekU;r% fd;k tkrk g] ,l miyfCèk;k ey etnjh gA

(b) tgk mudk tk volj dk ykHk yr g dk fo'k"k :i l Hkxrku fd, tku d fy, Hkxrku miyCèk g] ey etnjh ugh gA mnkgj.kLo:i] ;g vfHkfuèkkfjr fd;k x;k Fkk fd vkoj Vkbe HkÙkk] ;|fi ;g lkekU;r% leLr çfr"Bkuk e çHkkojr g] fdlh çfr"Bku d leLr depkfj;k }kjk vftr ugh fd;k tkrk gA ;g fu;ktu dh lfonk d fucèkuk d vu#i Hkh vftr fd;k tkrk g fdr pfd bl fdlh çfr"Bku d leLr depkfj;k }kjk vftr ugh fd;k tk ldrk g] bl ey etnjh l vioftr fd;k x;k gA

*(c) foijhr :i l] fo'k"k çkRlkgu vFkok dke d :i e dkb Hkxrku ey etnjh ugh gA***

11. ओवर टाइम बोनस और स्थापन के लाभ के प्रति अपने अंशदान के लिए कर्मकारों को भुगतान किये गये बोनस के बीच सुभिन्नता करते हुए **''एशोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज लि॰, द्वारका बनाम उनके कर्मकार, AIR 1959 SC 967,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"65. ......bld vfrfjDr] ;fn ckul dk Hkxrku bl ekV fopkj ij vxlj gkrk g fd ;g ykHkk d çfr mud v'knku d fy, dedkjk dk n; g] dedkjk ,o dedkjk d chp bl vkèkkj ij lfHkUurk djuk v;fDr;Dr gkxk fd dN u vU; dh ryuk e ykHk d çfr vfèkd v'knku fd;k g(vkj fcYdy ;gh vulfjr gkxk ;fn vkoj Vkbe dju oky etnjk dk viu vU; lg;kfx;k dh ryuk e ckul dh cMh jkf'k dk nkok dju dh vuefr nh tkrh gA ;gh dkj.k g fd ge le>r g fd vfèkdj.k ;g fun'k nu e U;k;kfpr ugh Fkk fd ckul dh lx.kuk bl vkèkkj ij dh tkuh pkfg, fd vkoj Vkbe Hkxrku depkfj;k dh ey etnjh dk Hkkx xfBr djrk FkkA***

12. प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन बनाम राजस्थान एस॰ ई॰ बी॰, (1992)2 SCC 723, में क्या अधिनिर्णय के अधीन पुनरीक्षित वेतनमान के निबंधनानुसार कर्मचारियों को भुगतान किया गया बकाया ''मूल मजदूरी'' गठित करेगा या नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित संप्रेक्षित किया:–

*"8. tc vfèkfu.k; iujhf{kr orueku nrk g] depkjh iujhf{kr miyfCèk;k dk gdnkj cu tkrk g vkj tgk mDr iujh{k.k Hkry{kh çHkko l g] depkfj;k dk Hkxrku fd;k x;k cdk;k ifj.kkeLo:i mud }kjk dr0; ij jgr g, vftr miyfCèk;k gA***

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों से यह सामने आता है कि कर्मकार को भुगतान किए गए उपलब्धि को मूल मजदूरी में सम्मिलित किए जाने के पहले, सार्वभौमिकता की परीक्षा पूरी की जानी होगी और यही कारण है कि ओवर टाइम, अवकाश नगदीकरण, आदि के कारण भुगतान किया गया ओवर टाइम अतिरिक्त भत्ता, जो विभिन्न अत्यावश्यकताओं एवं अनिश्चितताओं पर आधारित है, को ''मूल मजदूरी'' में सम्मिलित नहीं किया गया है। आक्षेपित आदेश से यह प्रतीत होता है कि उनकी विशिष्ट सेवा के लिए बेल्डर, रिगर एवं अन्य विशिष्ट श्रमिकों को विशेष भत्ता का भुगतान किया जाता है। याची ने प्रतिवाद किया है कि विशेष भत्ता का भुगतान त्रिपक्षीय करार के परिणामस्वरुप किया गया है और इसलिए, यह मूल मजदूरी का भाग नहीं है। मेरा मत है कि उनकी विशिष्ट सेवा के लिए विशिष्ट श्रम के कोटि के अधीन आने वाले समस्त कर्मचारियों को विशेष भत्ता का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, यह इसका भुगतान समस्त कर्मकारों की कोटि को किया जाता है। भुगतान समयावधि के कारण निर्बंधित नहीं है। इसका भुगतान उपलब्धि के रूप में कर्मकारों की कोटि को किया जाता है और इसलिए, इसे मूल मजदूरी का भाग निर्मित करना होगा। भविष्य निधि आयुक्त ने **''आर॰ पी॰ एफ॰ सी॰ आई॰ आई॰**

बनाम विवेकानंद विद्या मंदिर'', 2005 (2) LLN 214, में निर्णय से समर्थन प्राप्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि इसे अधिनियम के अधीन नियोक्ता द्वारा अंशदान में सम्मिलित करना होगा। मैं प्रत्यर्थी सं॰ 2 द्वारा प्राप्त निष्कर्ष में कोई दुर्बलता नहीं पाता हूँ।

14. आक्षेपित आदेश में की गयी चर्चा से यह प्रकट है कि पुनरीक्षित तदर्थ भुगतान प्रत्येक माह किया जाता है। प्रत्यर्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि एक पूर्व कार्यवाही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की दृष्टि में, अन्य कर्मचारियों के साथ समतुल्यता प्रदान करने के लिए कर्मकारों के एक वर्ग को पुनरीक्षित तदर्थ भुगतान किया जाता है। किंतु, याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि पुनरीक्षित तदर्थ भुगतान ''मूल मजदूरी'' का भाग निर्मित नहीं कर सकता है। मैं पाता हूँ कि दिनांक 17.4.2007 का त्रिपक्षीय करार त्रिपक्षीय करार नहीं है। यह प्रबंधन एवं यूनियन के बीच करार की कार्यवाही है। मात्र इसलिए कि कार्यवाही श्रम आयुक्त, झारखंड की उपस्थिति में हुई, यह त्रिपक्षीय करार नहीं बन जाएगा। पुनरीक्षित तदर्थ भुगतान समस्त कर्मकारों की कोटि को किया जाता है और भुगतान प्रत्येक माह किया जाता है। ऐसा भुगतान स्पष्टत: स्थापन के लाभ के प्रति उनके अंशदान के लिए कर्मकारों के एक वर्ग को किया जाता है। ''एशोसिएटेड सीमेन्ट कंपनीज लि॰'' में अभिव्यक्ति "450/- रुपयों का एकमुश्त भुगतान'' और ''तदर्थ'' भुगतान का उपयोग करार में किया गया है। मामले के तथ्यों में न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि भुगतान प्रश्नगत अवधि के दौरान कर्तव्य पालन से संबंधित नहीं था। याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए अन्य मामले भी तथ्यों पर सुभिन्न किए जाने योग्य हैं। इसी प्रकार से, 50/- रुपयों की दर पर वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान किया जाता है और इसे मजदूरी के पुनरीक्षित तदर्थ भुगतान में जोड़ा जाता है। अपने बचाव में कि वार्षिक वेतनवृद्धि ''मूल मजदूरी'' का भाग निर्मित नहीं करेगी, याची द्वारा किया गया एकमात्र अभिवचन यह है कि इसका भुगतान प्रत्येक माह नहीं किया जाता है और इसलिए, यह कर्मकारों को भुगतान किए गए ''मूल मजदूरी'' का भाग निर्मित नहीं करेगा। मैं पाता हूँ कि प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक वर्ष इस वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान किया जाता है। इसका भुगतान अतिरिक्त काम/ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त बोनस के रूप में नहीं किया जाता है, बल्कि यह सी॰ टी॰ पी॰ सी॰ के प्रबंधन द्वारा अर्जित लाभ के प्रति प्रत्येक कर्मकार के अंशदान के रूप में है और इस प्रकार, मेरे मत में, यह ''मूल मजदूरी'' का भाग निर्मित करता है जैसा अधिनियम की धारा 2 (b) के अधीन परिभाषित किया गया है और इसे कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 26 के अधीन अपवर्जित नहीं किया गया है। परिणामस्वरुप, मैं आक्षेपित आदेश में दुर्बलता नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

15. आई॰ ए॰ सं॰ 419 वर्ष 2015 एवं आई॰ ए॰ सं॰ 420 वर्ष 2015 भी खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjh vkjh çlkn ,o vkjh ,uh oek] U;k;efrx.k

सुरेन्द्र नाथ तिवारी एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 305 of 2003. Decided on 26th February, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 43 वर्ष 2001 में अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-V, गिरीडिह द्वारा पारित दिनांक 24.2.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दण्ड संहिता, 1860—धाराएँ 302/34 एवं 307/34—हत्या एवं हत्या का प्रयास–सामान्य आशय–दो गवाहों ने मृतक की मृत्यु की ओर ले जाने वाले घटनाओं के क्रम के बारे में स्पष्टतः परिसाक्ष्य दिया है, उनके साक्ष्य संगत हैं और अवर न्यायालय द्वारा विश्वसनीय पाए गए हैं–अभिसाक्ष्य में दुर्बलता नहीं है जो बचाव के विस्तृत प्रति-परीक्षण की परीक्षा पर अटल बना रहा–चिकित्सीय साक्ष्य भी मृतक एवं घायल पर आग्नेयास्त्र उपहति के अभियोजन विवरण को संपुष्ट करता है और आगे संपुष्ट करता है कि दोनों गोलियों को लगभग तीन फीट की दूरी से बिल्कुल पास से दागा गया था–घटनास्थल और घटना का समय रात्रि 10 बजे होने के बारे में विवाद नहीं है–अ॰ सा॰ 3 अथवा अ॰ सा॰ 5 संयोगी साक्षी नहीं हैं, वे स्वाभाविक गवाह थे जिन्होंने घटना देखा था, गोली की आवाज सुनी थी और अभियुक्त अपीलार्थीगण को घटनास्थल से भागते हुए देखा था–अभिनिर्धारित, अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम हुआ है कि सुरेन्द्र नाथ तिवारी एवं अरुण तिवारी ने अभियुक्त पवन तिवारी के साथ सामान्य आशय शेयर किया था और धारा 34 के फलस्वरुप वे एक ही अपराध के दायी हैं–समस्त अपीलार्थीगण ने सामान्य आशय रखकर मृतक पर हमला किया और उपहति कारित किया–अपील खारिज। (पैराएँ 23 से 26)

निर्णयज विधि.–2001(2) East Cr. 50 (SC); (1972) 4 SCC 42; (2000)4 SCC 110—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathi, Nutan Sharma, Naveen Kumar Jaiswal, For the Appellants; Mr. T.N. Verma, For the State.

आर॰ एन॰ वर्मा, न्यायमूर्ति.–तीनों अपीलार्थीगण अर्थात् सुरेन्द्र नाथ तिवारी, अरुण तिवारी एवं पवन तिवारी का सामान्य आशय रखकर किसी बदरी नारायण प्रसाद की हत्या करने और रिंकू कुमार सिन्हा की हत्या करने का प्रयास करने के अभिकथन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34, धारा 307 सह-पठित धारा 34 के अधीन आरोप का सामना करने के लिए विचारण किया गया था और विकल्प में समस्त तीनों अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोपित भी किया गया था। अपीलार्थी पवन तिवारी को रिवाल्वर रखने एवं इसका उपयोग करने के लिए आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन पृथक रूप से आरोपित किया गया था।

2. अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट V, गिरिडीह ने सत्र विचारण सं॰ 43 वर्ष 2001 में पारित दिनांक 24.2.2003 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश द्वारा अपीलार्थी पवन तिवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और उसे क्रमशः आजीवन कारावास एवं पाँच वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया। अपीलार्थी पवन तिवारी को आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय रिन्कू कुमार सिन्हा की हत्या का प्रयास करने का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था और दस वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। न्यायालय ने आगे अपीलार्थीगण अरुण तिवारी एवं सुरेन्द्र नाथ तिवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया और उनको आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और आगे दोनों अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अधीन दंडनीय रिन्कू कुमार सिन्हा की हत्या करने के प्रयास का दोषी भी अभिनिर्धारित किया और उनको सात वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया और समस्त दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया गया था।

3. दिनांक 7.7.2000 को रात्रि 11 बजे टाउन पुलिस थाना, गिरिडीह के एस॰ आई॰ द्वारा दर्ज अ॰ सा॰ 10 उर्मिला देवी द्वारा दिए गए फर्दबयान के अनुसार अभियोजन मामला यह है कि रात्रि लगभग 10 बजे वह अपने घर में बैठी थी जब उसने अपने पुत्र रिन्कू (अ॰ सा॰ 8) के चिल्लाने की आवाज सुनी और अपने पति बदरी नारायण प्रसाद (मृतक) के साथ अपने घर से बाहर काली मांडा के निकट सड़क पर आयी, उसने देखा कि पवन तिवारी, अरुण तिवारी एवं सुरेन्द्र नाथ तिवारी जो उनके पड़ोसी थे उसके पुत्र रिन्कू को गाली दे रहे थे। तत्पश्चात, उसने अपने पति के साथ अपने पुत्र को बचाया और उसे अपने साथ लिया और अपने घर की ओर जाने लगी। जब वे रामचंद्र पंडित के घर के निकट पहुँचे जो उनके घर से लगभग 10 मीटर की दूरी पर है, अपीलार्थीगण में से एक पवन तिवारी वहाँ आया और उसके पति को अवरुद्ध किया और उसको गाली देने लगा और जब उसने गाली-गलौज का विरोध किया, अरुण तिवारी और सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने उसके पति पर थप्पड़-मुक्कों से प्रहार किया और पवन तिवारी को उन सबों की हत्या करने का निर्देश दिया। इस बीच, पवन तिवारी ने अपने रिवाल्वर से उसके पति बदरी नारायण प्रसाद पर गोली दागा जो आग्नेयास्त्र उपहति प्राप्त करने के बाद खून से लथपथ होकर गिर गया। जब उसके पुत्र रिन्कू ने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया, पवन तिवारी ने अपने रिवाल्वर से उस पर गोली दागा जो उसकी कमर पर लगी और आग्नेयास्त्र उपहति प्राप्त करने के बाद उसका पुत्र रिन्कू कुमार भी गिर गया। अपीलार्थी पवन तिवारी ने अपने रिवाल्वर से पुनः खाली गोली दागा। गोली की आवाज और चीख सुनने के बाद सूचक, उसके दो अन्य पुत्रों रविशंकर कुमार और जयशंकर कुमार मुहल्ला के लोगों अंजनी कुमार सिन्हा एवं आनंद कुमार वर्मा के साथ वहाँ जमा हुए और उनको देखकर अपीलार्थीगण भाग गए। मुहल्ला के लोग उसके पति को विश्वनाथ नर्सिंग होम ले गए किंतु डॉक्टर द्वारा उसके पति को मृत घोषित किया गया था। उसके पुत्र रिन्कू कुमार को सदर अस्पताल ले जाया गया था जहाँ से उसे धनबाद निर्दिष्ट किया गया था। सूचक ने दावा किया कि तीनों अपीलार्थीगण ने अपने दो या तीन सहयोगियों के साथ सामान्य आशय रखते हुए उसके पति की हत्या की और उसके पुत्र रिन्कू को गंभीर उपहति कारित किया।

4. उक्त फर्दबयान (प्रदर्श 4) के आधार पर दिनांक 8.7.2000 को प्रातः 5.50 बजे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/307/34 के अधीन गिरिडीह (टाऊन) पी॰ एस॰ केस सं॰ 149 वर्ष 2000 संस्थित किया गया था और पुलिस ने अन्वेषण के बाद तीनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया और अंततः मामला विचारण एवं निपटान के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ तीनों अपीलार्थीगण को पूर्वोक्तानुसार आरोपित किया गया था।

5. अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 12 गवाहों का परीक्षण किया जिनमें से अ॰ सा॰ 2 पंकज कुमार सिन्हा, अ॰ सा॰ 3 जयशंकर कुमार, अ॰ सा॰ 5 रविशंकर कुमार, अ॰ सा॰ 8 रिन्कू कुमार सिन्हा उर्फ अमर शंकर सिन्हा, घायल और अ॰ सा॰ 10 उर्मिला देवी, सूचक ने घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। अ॰ सा॰ 1 डॉ॰ शशि भूषण चौधरी चिकित्सा अधिकारी है, जिसने बदरी नारायण प्रसाद के मृत शरीर का शव परीक्षण किया। अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ कमलेश्वर प्रसाद, गिरिडीह सदर अस्पताल का एक अन्य डॉक्टर जिन्होंने बदरी नारायण प्रसाद के शव परीक्षण के दौरान संप्रेक्षक के रूप में कृत्य किया। शव परीक्षण रिपोर्ट पर इस डॉक्टर का हस्ताक्षर प्रदर्श 1/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। अ॰ सा॰ 7 केंद्रीय अस्पताल, धनबाद का डॉक्टर है जिन्होंने घायल रिन्कू सिन्हा का परीक्षण किया था। अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ इमरान शिकोह सदर अस्पताल, गिरिडीह में चिकित्सा अधिकारी था और इस गवाह ने भी घायल रिन्कू सिन्हा का परीक्षण किया था जिसके बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए धनबाद निर्दिष्ट किया गया था। अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ वी॰ के॰ माहेश्वरी केंद्रीय अस्पताल, धनबाद में रेडियोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक्स-रे

लिया था और एक्सरे रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अ॰ सा॰ 11 मो॰ लुकमान मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का औपचारिक गवाह है और अ॰ सा॰ 12 राम सुरेश सिंह मामले का अन्वेषण अधिकारी है जिसने अन्वेषण के दौरान मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया और अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया।

6. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि बचाव ने भी अपीलार्थीगण में से एक सुरेन्द्र नाथ तिवारी द्वारा किए गए अन्यत्र होने के अभिवचन के समर्थन में चार गवाहों का परीक्षण किया था। अपीलार्थीगण में से एक पवन तिवारी ने भी अन्यत्र होने का अभिवचन किया था और इस मामले में झूठा आलिप्त किए जाने का दावा किया क्योंकि उसने कायस्थ कन्या के साथ अंतर्जातीय विवाह संपन्न किया था किंतु अवर न्यायालय ने पाया कि अभियुक्तगण द्वारा अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा किए गए अन्यत्र होने का अभिवचन संदेह के परे स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री॰ बी॰ एम॰ त्रिपाठी ने अन्यत्र होने के अभिवचन पर कोई निवेदन नहीं किया था। हमेशा की तरह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन तीनों अपीलार्थीगण ने झूठा आलिप्त किए जाने का दावा किया।

7. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अधिमूल्यन पर अ॰ सा॰ 3, 5, 8 एवं 10 के साक्ष्य को विश्वसनीय पाया और डॉक्टर तथा अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किए जाने पर अपीलार्थीगण को पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया। अत: तीनों अपीलार्थीगण द्वारा अपील की गयी है।

8. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी सं॰ 2 अरुण तिवारी की मृत्यु अपील लंबित रहने के दौरान हो गयी और दिनांक 6 अगस्त, 2012 के आदेश द्वारा मृतक अपीलार्थी अरुण तिवारी की सीमा तक अपील उपशमनित हो गयी थी और उस सीमा तक अपील जोर नहीं दिए जाने पर खारिज कर दी गयी थी।

9. अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री त्रिपाठी ने गंभीर रूप से प्रतिवाद किया कि सूचक के फर्दबयान एवं अभिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है और अवर न्यायालय यह विचार में लेने में विफल रहा कि घटनास्थल के निकट अ॰ सा॰ 2, 3 एवं 5 की उपस्थिति फर्दबयान में नहीं दर्शायी गयी है बल्कि अभियोजन मामला की कमी को भरने के लिए आशयपूर्वक उन तीनों गवाहों को चश्मदीद गवाहों के रूप में दर्शाया गया है। यह निवेदन भी किया गया था कि अभियोजन अभिकथित अपराध की कारिता में अपीलार्थीगण की ओर से कोई हेतु अभिलेख पर लाने में विफल रहा है। यह भी गंभीर रूप से प्रतिवाद किया गया था कि एक महत्वपूर्ण गवाह मिंटू पाल का गैर-परीक्षण सुरेन्द्र नाथ तिवारी के विरुद्ध सामान्य आशय के निष्कर्ष पर संदेह सृजित करता है। विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथित अपराध में सुरेन्द्र नाथ तिवारी की भागीदारी के अवर न्यायालय के निष्कर्ष का विरोध करते हुए आगे निवेदन किया कि केवल तब जब पवन तिवारी ने मिंटू पाल पर रिवाल्वर के कुंदा से प्रहार किया, अपीलार्थी सुरेन्द्र नाथ तिवारी को जानकारी हुई कि पवन तिवारी आग्नेयास्त्र रखे हुए था और ऐसे परिस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से सुरेन्द्र नाथ तिवारी की दोषसिद्धि जब कोई प्रत्यक्ष कृत्य अभिकथित नहीं किया गया है विधि में दोषपूर्ण है। अंत में, यह निवेदन किया गया था कि समस्त गवाह, जो घटना का चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं, निकट रूप से संबंधित एवं हितबद्ध गवाह हैं और उनके परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और उनका साक्ष्य त्यक्त किए जाने योग्य है।

10. उक्त निवेदन के विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि गवाहों का साक्ष्य मात्र इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वे मृतक अथवा सूचक के संबंधी हैं। यह भी

निवेदन किया गया था कि सामान्य आशय झगड़ा के क्रम में भी विकसित हो सकता है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 का सार परिणाम विशेष प्राप्त करने के लिए आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों का साथ–साथ मतैक्य है और वर्तमान मामले में पवन तिवारी को उसके पिता सुरेन्द्र नाथ तिवारी एवं एक अन्य अपीलार्थी (मृतक अरुण तिवारी) द्वारा उन सबों की हत्या करने के लिए उकसाया गया था।

11. समस्त अभियोजन गवाहों के साक्ष्य को विचारण न्यायालय द्वारा विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है और हम साक्ष्य के उस भाग के सिवाए जिसका मामले पर प्रत्यक्ष प्रभाव है, इसे सम्मिलित करना समीचीन नहीं समझते हैं।

12. फर्दबयान में दिए गए अपने पूर्व विवरण को दोहराते हुए सूचक अ॰ सा॰ 10 उर्मिला देवी जो मृतक बदरी नारायण प्रसाद की विधवा है ने उस चरण से विवरण दिया है कि अपने पुत्र रिन्कू कुमार की चीख सुनने के बाद वह अपने पति, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, और दो पुत्रों रविशंकर एवं जयशंकर के साथ काली मांडा के निकट आयी और अभियुक्त अपीलार्थीगण पवन तिवारी, सुरेन्द्र नाथ तिवारी और अरुण तिवारी को अपने पुत्र रिन्कू को गाली देते और उस पर प्रहार करते हुए देखा। वह अपने पति के साथ रिन्कू को अपने साथ लिया और अपने घर की ओर रवाना हुई और जब वे रामचंद्र पंडित के घर के निकट पहुँचे, समस्त तीनों अपीलार्थीगण वहाँ आए और उसके पति एवं पुत्र रिंकू को गाली देने लगे और उन पर प्रहार भी किया। इस बीच अपीलार्थी सुरेन्द्र नाथ तिवारी और अरुण तिवारी ने पवन तिवारी को उन सबों की हत्या करने के लिए उकसाया। सुरेन्द्र तिवारी एवं अरुण तिवारी ने उसके पति का हाथ पकड़ लिया और पुनः पवन को उसको गोली मार कर जान से मार देने का निर्देश दिया, और तत्पश्चात, पवन तिवारी ने लगभग 3-4 फीट की दूरी से रिवाल्वर से जिसे वह अपने हाथ में रखे था गोली दागा जो उसके पति की छाती के बाएँ हिस्से पर लगी और उसका पति खून से लथपथ होकर गिर गया और जब उसके पुत्र रिन्कू ने अपने पिता को उठाने का प्रयास किया, पवन तिवारी ने उसकी कमर के निकट उपहति कारित करते हुए उस पर भी गोली चलायी और उसका पुत्र भी गिर गया। तत्पश्चात, पवन तिवारी ने हवा में गोली दागा और समस्त अपीलार्थीगण भाग गए। इस गवाह को विस्तृत प्रतिपरीक्षण के अध्यधीन किया गया था किंतु अधिक कुछ उसके प्रति परीक्षण से नहीं निकाला जा सका था ताकि उसकी सत्यता को अविश्वसनीय बनाया जा सके और हम उसके साक्ष्य में कोई गंभीर अंतर अथवा विरोधाभास अथवा सुधार नहीं पाते हैं सिवाए इसके कि अपने फर्दबयान में उसने कथन किया था कि गोली की आवाज और सूचक तथा उसके पुत्र द्वारा शोर करने के बाद उसके दो अन्य पुत्र रविशंकर एवं जयशंकर तथा मुहल्ला के लोग वहाँ आए। प्रति परीक्षण के दौरान, इस गवाह ने स्पष्टतः कथन किया था कि पवन तिवारी ने लगभग 2-3 फीट की दूरी से रिन्कू कुमार पर गोली दागा था।

13. अ॰ सा॰ 10 का साक्ष्य अ॰ सा॰ 8 रिन्कू कुमार (घायल गवाह) के परिसाक्ष्य से संतुष्ट होता है जिसने परिसाक्ष्य दिया कि वह पंकज कुमार सिन्हा के साथ काली मांडा में बैठा था और बात कर रहा था और उस समय पर मिंटू पाल भी वहाँ आया और इस बीच, अपीलार्थीगण भी वहाँ आए और किसी कारण के बिना उसको गाली दिया और उसको धक्का दिया जिस पर मिंटू पाल ने उसको बचाने के लिए मध्यक्षेप किया और पवन तिवारी का एक हाथ पकड़ लिया जिस पर पवन तिवारी ने अपनी कमर से रिवाल्वर निकाला और रिवाल्वर के कुंदा से मिंटू पाल पर प्रहार किया। उसके और अपीलार्थीगण के बीच हाथापाई 10-15 मिनट जारी रही और हल्ला सुनने पर उसके माता–पिता एवं दो भाई जयशंकर कुमार (अ॰ सा॰ 3) एवं रविशंकर कुमार (अ॰ सा॰ 5) वहाँ आए और तब वह अपने माता–पिता एवं भाईयों के साथ अपने घर जाने लगा किंतु समस्त तीनों अपीलार्थीगण उसके घर के निकट आए और उनको घेर

लिया। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि अरुण तिवारी एवं सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने उसके पिता के हाथों को पकड़ लिया और पवन तिवारी को उन सबों की हत्या करने का निर्देश दिया। उक्त निर्देश सुनने पर, पवन तिवारी ने अपना रिवाल्वर निकाला और उसके पिता की छाती पर गोली दागा और उसका पिता आग्नेयास्त्र उपहति पाने के बाद गिर गया और जब उसने अपने पिता को उठाने का प्रयास किया, पवन तिवारी ने उस पर भी गोली दागा और उसकी कमर के दाएँ हिस्से पर उपहति कारित किया। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि मुहल्ला के लोग जैसे आनन्द कुमार वर्मा उर्फ पूनम बाबू, अंजनी कुमार सिन्हा वहाँ जमा हुए और उसके पिता को विश्वनाथ नर्सिंग होम ले गए जहाँ उसके पिता को मृत घोषित किया गया। इस गवाह ने आगे संपुष्ट किया है कि उसे सदर अस्पताल, गिरिडीह ले जाया गया था किंतु डॉक्टर ने उसका मामला धनबाद निर्दिष्ट किया जिसके बाद धनबाद में उसका इलाज किया गया था।

14. अ॰ सा॰ 2 पंकज कुमार सिन्हा ने समय एवं स्थान जहाँ वह घटना की तिथि पर रिन्कू सिन्हा के साथ बैठा था संपुष्ट करते हुए आगे संपुष्ट किया कि अपीलार्थीगण वहाँ आए और रिन्कू सिन्हा को गाली देने लगे और यह भी संपुष्ट किया कि हल्ला सुनने के बाद रिन्कू सिन्हा के माता-पिता एवं दो भाई वहाँ आए और रिन्कू को अपने साथ अपने घर ले गए और जब वे रामचंद्र पंडित के घर के निकट पहुँचे, अपीलार्थीगण ने बीच रास्ते में उनको पकड़ लिया और गाली दिया। इस गवाह ने आगे कथन किया है कि सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने पवन तिवारी को उसको गोली मारकर जान से मार देने का निर्देश दिया जिस पर पवन तिवारी ने अपनी कमर से रिवाल्वर निकाला और बदरी नारायण प्रसाद की छाती पर गोली दागा और जब रिन्कू ने अपने पिता को उठाने का प्रयास किया, पवन तिवारी ने अपने रिवाल्वर से रिन्कू पर गोली दागा। जो उसकी पीठ पर लगी किंतु प्रति परीक्षण के दौरान इस गवाह ने कथन किया है कि रिन्कू के माता-पिता एवं भाई उसको वापस अपने घर की ओर ले गए और वह काली मांडा के निकट बना रहा और ज्योंही उसने गोली की आवाज सुनी, वह घटना स्थल की ओर भागा और जब वह घटना स्थल के निकट पहुँचा, उसने तीनों अपीलार्थीगण को भागते देखा।

15. मामले के आई॰ ओ॰ अ॰ सा॰ 12 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, जो सूचक के घर के दक्षिण की ओर लगभग 10 मीटर दूर है और उसने घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी संग्रहित किया था। यद्यपि इस गवाह ने सूचक के घर से काली मांडा की दूरी के बारे में कहीं कथन नहीं किया है किंतु अ॰ सा॰ 3 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 3 में कथन किया था कि काली मांडा सूचक के घर से लगभग 200 कदम की दूरी पर अवस्थित है। अ॰ सा॰ 8 ने यह भी संपुष्ट किया है कि काली मांडा उसके घर से लगभग 100/125 फीट की दूरी पर अवस्थित है जहाँ वह पंकज के साथ बैठा था।

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस मोड़ पर अ॰ सा॰ 3 एवं 5 के परिसाक्ष्य में विरोधाभास एवं किए गए सुधार पर जोर दिया था और प्रतिवाद किया था कि अ॰ सा॰ 10 का साक्ष्य फर्दबयान में दर्ज उसके पूर्व बयान के अनुकूल नहीं था।

17. फर्दबयान में सूचक के बयान के मुताबिक सूचक के दो पुत्र अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 5 गोली की आवाज सुनने के बाद घटनास्थल के निकट आए किंतु अपने साक्ष्य में दोनों गवाहों ने स्वयं को आरंभ से घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि अपने भाई रिन्कू की चीख सुनने के बाद वे अपने माता-पिता के साथ काली मांडा के निकट आए और तीनों अभियुक्तगण को रिन्कू को गाली देते पाया जिसके बाद उसके माता-पिता उनके भाई रिन्कू को वहाँ से ले गए और अपने घर की ओर जाने लगे किंतु रामचंद्र पंडित के घर के निकट अपीलार्थीगण ने उनको घेर लिया और उसके

पिता पर प्रहार किया और कि सुरेन्द्र नाथ तिवारी एवं अरुण तिवारी ने पवन तिवारी को बदरी नारायण प्रसाद की हत्या करने के लिए उकसाया जिसके बाद पवन तिवारी ने अपने रिवाल्वर से गोली दागा। उनका पिता आग्नेयास्त्र उपहति पाने के बाद गिर गया और जब रिन्कू अपने पिता को उठाने का प्रयास कर रहा था, पवन तिवारी ने उसकी कमर के निकट उस पर भी गोली दागा। उक्त गवाहों के साक्ष्य के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विरोधाभास के सिवाए अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य को अ॰ सा॰ 8 द्वारा और अ॰ सा॰ 3 एवं 5 द्वारा भी संपुष्ट किया गया है और इसके अतिरिक्त, अ॰ सा॰ 10 के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए प्रति परीक्षण के दौरान अभिलेख पर कुछ भी लाया गया प्रतीत नहीं होता है बल्कि उसका परिसाक्ष्य उसके पूर्व विवरण से संपुष्टि पाता है जैसा उसके फर्दबयान (प्रदर्श 4) में वर्णित किया गया है। विरोधाभास का प्रभाव ऐसा नहीं है जो संपूर्ण अभियोजन मामले को भंजित करता है। यह सुज्ञात है कि प्राथमिकी संपूर्ण मामले का वृहद शब्दकोष नहीं है। इसमें समस्त विवरणों को अंतर्विष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम पाते हैं कि सूचक का फर्दबयान घटना के तुरन्त बाद रात्रि लगभग 11 बजे दर्ज किया गया था और समस्त तीनों अपीलार्थीगण का नाम फर्दबयान में दिया गया था। जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के प्रतिवाद कि अभियोजन कोई हेतु देने में विफल रहा है का संबंध है, हम इस निवेदन में कोई सार नहीं पाते हैं। मानव व्यवहार सदैव मानव के लिए रहस्यमय रहा है और अब यह विधि का सुनिश्चित सिद्धांत है कि ऐसे मामले में जहाँ न्यायालय के पास आरोपों के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, हेतु अपना महत्व खो देता है।

18. अब, हम डॉक्टर जिसने बदरी नारायण प्रसाद के मृत शरीर का शव परीक्षण किया और डॉक्टर जिसने घायल रिन्कू सिन्हा का परीक्षण किया के परिसाक्ष्य का परीक्षण करें। जैसा पहले ही ऊपर कथित किया गया है, डॉ॰ शशि भूषण चौधरी जिन्होंने शव परीक्षण किया का परीक्षण अ॰ सा॰ 1 के रूप में किया गया था और एक अन्य डॉक्टर जिसे शव परीक्षण पर निगाह रखने के लिए संप्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था का परीक्षण अ॰ सा॰ 4 के रूप में किया गया था। अ॰ सा॰ 1 ने मृतक के मृत शरीर का शव परीक्षण करने के बाद निम्नलिखित उपहतियों को पाया जिन्हें प्रदर्श 1 के रूप में चिन्हित किया गया था और अ॰ सा॰ 4 का हस्ताक्षर प्रदर्श 1/1 के रूप में चिन्हित किया गया था:–

> *(i) Nkrh d ck, ppd d Åij LVue d ck, yVjy ckMj d Åij buoVM ekftu d lkFk 1/2" x 1/4" x dfoVh rd xgjk ,d vMkdkj fonh.k t[eA*
>
> *(ii) boVM ekftu d lkFk ,o dfoVh rd xgjk 1" x 1/2" mfYyf[kr dju okyk ,d Ldiyj ,xy d uhp i"B d nk, Hkkx d Åij fonh.k t[eA fl) fd, tku ij migfr l0 (i) ,o (ii) ml h ykbu ij ik;h x;h FkhA ¼fudkl t[e½A*

दोनों डॉक्टरों के मत में, उक्त दो उपहतियाँ तीन फीट की निकट की दूरी से आग्नेयास्त्र द्वारा कारित की गयी थी। उक्त दो उपहतियाँ एवं निकट की दूरी घटना के तरीके को पूर्णत: संपुष्ट करती हैं जैसा अ॰ सा॰ 8 एवं अ॰ सा॰ 10 द्वारा वर्णित किया गया है। अ॰ सा॰ 4 डॉ॰ कमलेश्वर प्रसाद जिन्होंने बदरी नारायण प्रसाद के शव परीक्षण के लिए संप्रेक्षक के रूप में कृत्य किया ने उसी उपहति को संपुष्ट किया है जैसा अ॰ सा॰ 1 द्वारा संप्रेक्षित किया गया था और प्रति परीक्षण के दौरान आगे कथित किया है कि उन्होंने मृतक के शरीर के ऊपर दो उपहतियों को आग्नेयास्त्र द्वारा कारित किया गया पाया किंतु दोनों उपहतियाँ एक बुलेट द्वारा संभव थी क्योंकि वे एक ही पंक्ति में थी।

19. अ॰ सा॰ 9 डॉ॰ इमरान शिकोह ने घायल रिन्कू सिन्हा का दिनांक 7.7.2000 को लगभग 1.00 बजे दोपहर में सदर अस्पताल, गिरिडीह में परीक्षण किया था और निम्नलिखित उपहतियों (प्रदर्श 3) को पाया था:–

vkXu;kL= d dkj.k Ropk >ylu d lkFk Nkrh d nk, fgLl ij 1" x 1/2" x Ropk ,o ekl i'kh rd xgjk fonh.k t[eA

डॉक्टर ने अंतिम मत के लिए मामला पी॰ एम॰ सी॰ एच॰ धनबाद को निर्दिष्ट किया। यह प्रतीत होता है कि इस घायल रिन्कू (अ॰ सा॰ 8) का परीक्षण केंद्रीय अस्पताल, धनबाद के डॉ॰ एस॰ एन॰ मेहरोत्रा (अ॰ सा॰ 7) द्वारा किया गया था और इस गवाह (अ॰ सा॰ 7) ने दिनांक 13.7.2000 को घायल रिन्कू का सी॰ टी॰ स्कैन किया था, जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया था और उन्होंने अ॰ सा॰ 8 के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पाया था:–

fofoèkA lh0 Vh0 ?kuRo + 2169 ,p0 oh0 (yxHkx) d lkFk eVfyd Qkju ckMh yhoj d nk, Hkkx d ihN l fiNy Hkkx rd Mk;Ýke d nk, lh0 ,e0 d fudV n[kh x;h gA ;g Ropk dh lrg l yxHkx 32.8 mm g (fiNyk Hkkx tlk fiDpj l0 4 e n[kk x;k gA) ckg; fiM dh yckb yxHkx 34.9 mm (vFkok 31.1mm) gA fyoj] Llyhu] xky CyMj] fdMuh] iufØ;kt] ;fjujh CyMj ,o vU; iV d vx ij migfr dk dkb lk{; ugh n'kkrk gA uo nk;h ilyh (yxHkx ycy) dk ÝDpM yVjy vkLiDV n[kk x;k gA fDyfudy dkfjy'ku dk l>ko fn;k x;kA

20. अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ वी॰ के माहेश्वरी केंद्रीय अस्पताल, धनबाद में रेडियोलॉजिस्ट हैं और यह गवाह केवल यह कहने आगे आया है कि उसने एक्सरे रिपोर्ट तैयार किया था और छाती, ए॰ पी॰ एवं पी॰ ए॰ ब्यू॰ की उसकी एक्सरे फिल्म, पेट के एक्सरे के आधार पर किसी डॉ॰ एस॰ मुखर्जी ने उपहति रिपोर्ट तैयार किया था जिसे प्रदर्श 2 के रूप में चिन्हित किया गया था और डॉक्टर ने दाएँ निचले पिछले भाग के ऊपर 1/2" x 1/2" आकार का आग्नेयास्त्र उपहति का भेदनकारी जख्म और दाएँ कोहनी के ऊपर खरोंच पाया था। अ॰ सा॰ 6 ने एक्सरे फिल्म के आधार पर निम्नलिखित दर्शाने वाला अपना रिपोर्ट तैयार किया था:–

*^^iV d (nk;) fgLl d Åijh Hkkx e ,d èkkr dk ckg; fiM n[kk x;kA Mk;Ýke d uhp xl ugh gA***

उक्त उपहति रिपोर्ट एवं मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट पूरी तरह अ॰ सा॰ 8 एवं अ॰ सा॰ 10 का चाक्षुक साक्ष्य संपुष्ट करती है।

21. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस प्रतिवाद के संबंध में कि अपीलार्थी सुरेन्द्र नाथ तिवारी के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य अभिकथित नहीं किया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की मदद से इस अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि में दोषपूर्ण है और इस अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी पहली बार तब हुई कि पवन तिवारी आग्नेयास्त्र रखे था जब पवन तिवारी ने मिंटू पाल पर प्रहार किया।

22. अब यह सुनिश्चित है कि सामान्य आशय का सिद्धांत लागू करने के लिए कोई एक रूप कठोर नियम नहीं है बल्कि प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता से निष्कर्ष निकाला जाना होगा। यह अभियुक्त की मानसिक दशा है जिसे अपराध की कारिता के क्रम में प्रदर्शित उसके आचरण से और पूर्व एवं पश्चात आनुषंगिक परिस्थितियों से भी वस्तुनिष्ठ रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ पूर्व व्यवस्था हो सकती थी। यदि कोई पूर्व करार नहीं होता, तीनों अपीलार्थीगण साथ–साथ घटनास्थल पर नहीं पहुँच सकते थे और अ॰ सा॰ 3, 5, 8 एवं 10 का संगत साक्ष्य है कि समस्त तीनों अपीलार्थीगण रिन्कू कुमार सिन्हा को गाली दे रहे थे और उस पर प्रहार कर रहे थे और जब रिन्कू कुमार सिन्हा के माता–पिता उसे वहाँ से ले गए और अपने घर की ओर रवाना हुए, तीनों अपीलार्थीगण आए और उनको घेर लिया जिसके बाद सुरेन्द्र नाथ तिवारी एवं अरुण तिवारी ने पवन तिवारी को उन सबों की हत्या करने के लिए उकसाया। यदि सामान्य आशय नहीं था, तीनों अपीलार्थीगण ने अपराध करने में संयुक्त रूप से कृत्य नहीं किया होता। अपीलार्थीगण की ओर से पूर्व मतैक्य अभियुक्तगण के

पश्चातवर्ती आचरण को ध्यान में रखकर विनिश्चित किया जा सकता है। **सुरेश एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2001 (2) East Cr. C. 50 (SC),** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> ^^bl çdkj] HkkO nO lO dh èkkjk 34 vkÑ"V djus d fy, nks çfriknuk, vifjgk; g% (1) vkijkfèkd ÑR; (ÑR;k dh J[kyk l xfBr) fd;k tkuk pkfg, Fkk] ,d O;fDr }kjk ugh cfYd ,d l vfèkd O;fDr }kjk] (2) nkfMd vijkèk dh dkfjrk e ifj.kr gksu okyk lefdr :i l ,l çR;d O;fDrxr ÑR; dk fd;k tkuk ,l leLr O;fDr;k d lkekU; vk'k; dk vxlj djus e fd;k tkuk pkfg, FkkA
>
> Hkkjrh; nM lfgrk dh èkkjk 34 nkfMd fofèk 'kkL= e çfrfufèkd nkf;Ro d fl)kr dk ekU;rk nrh gA ;g fdlh O;fDr dk mld }kjk ugh fd, x, cfYd nlj O;fDr ftld lkFk mlu lkekU; vk'k; 'k;j fd;k Fkk] d }kjk fd, x, vijkèk d ÑR; d fy, nk;h cukrk gA ;g lk{; dk fl)kr g vkj e[; vijkèk lftr ugh djrk gA ;g èkkjk lkekU; ckèk fl)kr dk lkfofèkd ekU;rk nrh g fd ;fn nk l vfèkd O;fDr vk'k;iod l;Dr :i l dkb pht djr g] ;g fcYdy og g ekuk mue l çR;d u O;fDrxr :i l bl fd;k FkkA ;g dgu dk dkb ykHk ugh g fd lkekU; vk'k; io erD; dh ioki{kk djrk g] tk vijkèk e Hkkx yu oky vfHk;Drx.k d io fu;kftr ;ktuk dk vko';d cukrk gA io ;ktuk dk ,lk io erD; ?kVuk LFky ij vFkok vijkèk dh dkfjrk d Øe d nkjku fodflr gk ldrk g fdr fu.kk;d ijh{kk ;g g fd vijkèk xfBr dju oky ÑR; d igy ,lh ;ktuk gkuh gkxhA lkekU; vk'k; igy vFkok ?kVuk d Øe e vkj {kf.kd vko'k ij fufer fd;k tk ldrk gA lkekU; vk'k; dk vfLrRo rF; dk ç'u g ftl çR;d ekey e e[;r% ekey dh ifjfLFkfr;k l fu"df"kr d :i e fl) fd;k tkuk gA

इसी प्रकार से, **अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1972)4 SCC 42,** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टत: अधिकथित किया है कि सामान्य आशय झगड़ा के क्रम में विकसित हो सकता है किंतु उस निष्कर्ष को न्यायोचित ठहराने के लिए स्पष्ट एवं अनधिक्षेपणीय साक्ष्य होना होगा। **सुरेन्द्र चौहान बनाम म॰ प्र॰ राज्य, (2000)4 SCC 110,** में एक अन्य निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

> ^^èkkjk 34 d vèkhu fdlh O;fDr dk vijkèk] ftldh dkfjrk l;Dr vkijkfèkd tkf[ke dk y{; g] dk ldj cuku vFkok c<kok nu d ç;ktu l vijkèk dh okLrfod dkfjrk d le; ij 'kkjhfjd :i l mifLFkr gkuk gkxkA mudh ,lh mifLFkfr tk ,d ;k nlj :i e lfEefyr y{; d fu"iknu dk ldj cukr g Lo;e vkijkfèkd ÑR; e Hkkxhnkjh d rY; gA èkkjk 34 dk lkj ifj.kke fo'k"k çklr djus d fy, vkijkfèkd dkjokb e Hkkx yu oky O;fDr;k dk ,d lkFk erD; gA ,lk erD; ?kVukLFky ij fodflr fd;k tk ldrk g vkj rn}kjk mu lck }kjk vk'kf;r gkrk gA lkekU; vk'k; dk vfLrRo ekey dh vku"kfxd ifjfLFkfr;k vkj i{kk d vkpj.k l fu"df"kr fd;k tk ldrk gA lkekU; vk'k; dk çR;{k lk{; vko';d ugh gA lkekU; vk'k; d ç;ktu l vijkèk dh dkfjrk e Hkkxhnkjh dk Hkh leLr ekeyk e fl) djuk dh vko';drk ugh gA HkkO nO lO dh èkkjk 34 ykx djus d fy,] bl rF; d vfrfjDr fd nk vFkok vfèkd vfHk;Drx.k gku pkfg,] nk dkjdk dk LFkkfir djuk gh gkxk% (i) lkekU; vk'k;] vkj (ii) vijkèk dh dkfjrk e vfHk;Drx.k dh HkkxhnkjhA ;fn lkekU; vk'k; fl) fd;k tkrk g fdr vfHk;Dr fo'k"k ij çR;{k ÑR; dk vkjki ugh yxk;k tkrk g]

*èkkjk 34 vkÑ"V gkxh D;kfd ;g vko';drk çfrfufèkd nkf;Ro vrxLr djrh g fdr ;fn vfHk;Drx.k dh vijkèk e Hkkxhnkjh fl) dh tkrh g vkj lkekU; vk'k; vuifLFkr g] èkkjk 34 dk voyc ugh fy;k tk ldrk gA çR;d ekey e] lkekU; vk'k; dk çR;{k lk{; gkuk lHko ugh gA bl çR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k l fu"df"kr fd;k tkuk gkxkA***

23. ऊपर की गयी चर्चा के अनुसार विधिक सिद्धांतों को लागू करते हुए हमें यह अभिनिर्धारित करने में संकोच नहीं है कि अपराध करने में अपीलार्थीगण की ओर से सामान्य आशय स्थापित होता है। भले ही उक्त मिंटू पाल का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है और अन्वेषण फूलप्रूफ नहीं था किंतु हमारे दृष्टिकोण में, त्रुटिपूर्ण अन्वेषण भी अभियोजन मामले के पूर्ण अस्वीकरण की ओर नहीं ले जाएगा जब घटना के तरीके पर संगत साक्ष्य है। बचाव पक्ष ने घटनास्थल पर विवाद कभी नहीं किया अथवा प्रश्न कभी नहीं उठाया। मिंटू पाल का गैर परीक्षण अभियोजन मामले पर संदेह डालने वाला तथ्य नहीं है। वह चश्मदीद गवाह नहीं है और केवल अ॰ सा॰ 2 ने अपने परिसाक्ष्य में मिंटू पाल के बारे में कहा है कि जब अपीलार्थीगण रिन्कू कुमार को गाली दे रहे थे और उस पर प्रहार कर रहे थे, मिंटू पाल ने रिन्कू को बचाने का प्रयास किया जिस पर पवन तिवारी ने अपने रिवाल्वर के कुंदा से मिंटू पाल पर प्रहार किया। हमारे मत में उसका गैर-परीक्षण परिणामहीन है।

24. संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आलोचनात्मक विश्लेषण से, हमारे मत में, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि पहले निर्दिष्ट किए गए दो गवाहों अ॰ सा॰ 8 एवं 10 ने स्पष्टत: बदरी नारायण प्रसाद की मृत्यु की ओर ले जाने वाले घटनाओं के क्रम के बारे में परिसाक्ष्य दिया है। उनके साक्ष्य संगत हैं और अवर न्यायालय द्वारा इन्हें विश्वसनीय पाया गया है। अभिसाक्ष्य में दुर्बलता नहीं है, जो बचाव पक्ष द्वारा विस्तारपूर्ण प्रति परीक्षण की परीक्षा पर अटल बना रहा। चिकित्सीय साक्ष्य भी मृतक एवं घायल पर आग्नेयास्त्र उपहति के अभियोजन विवरण को संपुष्ट करता है और आगे संपुष्ट करता है कि दोनों गोलियों को लगभग 3 फीट की दूरी से निकट रेंज पर दागा गया था। घटना स्थल और घटना का समय रात्रि 10 बजे होने के बारे में विवाद नहीं है। अ॰ सा॰ 3 अथवा अ॰ सा॰ 5 में से किसी को संयोगी साक्षी नहीं कहा जा सकता है और साक्ष्य के पठन मात्र पर हम पाते हैं कि वे स्वाभाविक गवाह थे जिन्होंने घटना देखा था, गोली की आवाज सुनी थी और अभियुक्त अपीलार्थीगण को घटनास्थल से भागते देखा था। बचाव पक्ष द्वारा किया गया अन्यत्र होने का अभिवचन विचारण न्यायालय द्वारा नकारा गया है और चूँकि इस न्यायालय के समक्ष उक्त प्रश्न नहीं उठाया गया है, बचाव गवाह अथवा दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, जिनका परिसाक्ष्य अन्यत्र होने के अभिवचन पर दिया गया था। इस प्रकार उनकी संपूर्णता में तथ्यों एवं परिस्थितियों पर स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने पर और इस मामले का सर्वांगीण दृष्टिकोण लेते हुए हमारा मत है कि अभियोजन स्थापित करने में सक्षम हुआ है कि सुरेन्द्र नाथ तिवारी एवं अरुण तिवारी ने अभियुक्त पवन तिवारी के साथ सामान्य आशय शेयर किया था और, इसलिए, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 के फलस्वरुप वे एक ही अपराध के दायी हैं। समस्त अपीलार्थीगण ने मृतक पर हमला किया और सामान्य आशय रखकर उपहति कारित किया।

25. अत: गवाहों के साक्ष्य के आधार पर, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर हैं कि अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और अभियोजन अपराध सिद्ध करने में सफल हुआ है, जिनसे अपीलार्थीगण को आरोपित किया गया था। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने के लिए हमें आश्वस्त करने के लिए कुछ भी सारवान नहीं दर्शाया गया है।

26. तद्नुसार, अपील खारिज की जाती है और दोनों अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश पोषित किया जाता है। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी सुरेन्द्र नाथ तिवारी जमानत पर है और इसलिए उसका जमानत बंध पत्र एतद् द्वारा रद्द किया जाता है और उसे संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय को उसकी गिरफ्तारी के लिए समस्त प्रपीड़क कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, यदि वह न्यायालय में आत्मसमर्पण करने में विफल होता है ताकि वह विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश अपीलार्थी सं॰ 2 पवन तिवारी के साथ भुगत सके।

आर॰ आर॰ प्रसाद, न्यायमूर्ति.–मैं सहमत हूँ।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

उपेन्द्र नारायण सिंह उर्फ उपेन्द्र कुमार सिंह

cuke

भारत संघ, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के माध्यम से

Cri. Misc. Petition No. 2469 of 2014. Decided on 6th February, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 190—द्वितीय संज्ञान आदेश का अभिखंडन–अभिरक्षा में मृत्यु–अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है–अभिनिर्धारित, संज्ञान दो बार लिया गया है जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है–आक्षेपित आदेश अभिखंडित।

(पैराएँ 11 एवं 12)

निर्णयज विधि.–(2014) 3 SCC 306—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Parth S.A. Swaroop Pati, For the Petitioner; Mr. Md. Mokhtar Khan, For the Opp. Party.

आदेश

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ ए॰ एस॰ पति और केंद्रीय जाँच ब्यूरो की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोख्तार खान को सुना गया।

2. इस आवेदन में, याची ने विद्वान सब-डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी-सह-विशेष दंडाधिकारी (सी॰ बी॰ आई॰), धनबाद द्वारा पारित दिनांक 5.6.2014 के आदेश जिसके द्वारा आर॰ सी॰ 1 (S)/2007, एस॰ टी॰ सं॰ 299 वर्ष 2010 के तत्सम, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 के अधीन दर्ज किया गया है, के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 323, 304 एवं 343 के अधीन अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. प्राथमिकी के मुताबिक अभियोजन मामला यह है कि दिनांक 22.12.2005 को सिटी डी॰ एस॰ पी॰ और तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, सेक्टर 12 पुलिस थाना द्वारा सूचक के पुत्र को पुलिस थाना ले जाया गया था। यह अभिकथित किया गया था कि बाद में उसके पुत्र को दिनांक 1.1.2006 को मृत पाया गया था और कि यह अभिरक्षा में हुई मृत्यु का मामला था। इस दशा में, डब्ल्यू॰ पी॰ (पी॰ आई॰ एल॰) सं॰ 1654 वर्ष 2006 में पारित दिनांक 22.12.2006 के आदेश के तहत इस न्यायालय के निर्देश के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।

4. सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा अन्वेषण करने के बाद याची और किसी रुखसार अहमद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 323 एवं 343 के अधीन दिनांक 16.10.2008 का आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। जहाँ तक अन्य सह-अभियुक्त अर्थात् श्रीमती संध्या रानी मेहता का संबंध था, अन्वेषण

अधिकारी द्वारा उसे आरोप पत्रित नहीं किया गया था। सूचक द्वारा विरोध याचिका दाखिल किए जाने पर विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰–सह–विशेष दंडाधिकारी (सी॰ बी॰ आई॰) ने दिनांक 9.2.2009 के आदेश के तहत न केवल दो आरोप–पत्रित व्यक्तियों अर्थात् वर्तमान याची उपेन्द्र कुमार सिंह एवं रुखसार अहमद के विरुद्ध बल्कि तत्कालीन सिटी डी॰ एस॰ पी॰, बोकारो श्रीमती संध्या रानी मेहता के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 323, 304 एवं 343 के अधीन संज्ञान लिया था।

5. आगे यह प्रतीत होता है कि दिनांक 11.8.2011 को याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B, 304, 323 एवं 343 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए थे।

6. सह–अभियुक्त संध्या रानी मेहता, जिसके विरुद्ध दिनांक 9.2.2009 को विद्वान सब–डिविजनल न्यायिक दंडाधिकारी सह–विशेष दंडाधिकारी, सी॰ बी॰ आई॰, धनबाद द्वारा संज्ञान लिया गया था, ने दांडिक विविध याचिका सं॰ 1149 वर्ष 2009 में इस न्यायालय के समक्ष इसी आदेश को चुनौती दिया जिसे दिनांक 16.4.2014 को निम्नलिखित संप्रेक्षण के साथ निपटाया गया था:–

> *^^rnu lkj] lKku yu okyk vkn'k ,rn }kjk vfHk[kfMr fd;k tkrk gA fdr] bl vkn'k dh çfr dh çkfIr dh frFk l Ng lIrkg dh vofèk d Hkhrj ;Fkk'kh?k fofèk d vu:i ekey e vxlj gku d fy, ekeyk iu% nMkfèkdkjh d ikl Hktk tkrk gA***

7. इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.4.2014 के पूर्वोल्लिखित आदेश के अनुसरण में विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ ने एक बार फिर भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 120B, 304, 323 एवं 343 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेते हुए दिनांक 5.6.2014 का आदेश पारित किया और जहाँ तक श्रीमती संध्या रानी मेहता के संबंध में दांडिक कार्यवाही का संबंध है, इसे छोड़ दिया गया था।

8. संज्ञान लेने वाले आदेश का विरोध करते हुए याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ सह विशेष दंडाधिकारी, सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा दिनांक 9.2.2009 के आदेश के तहत पहले ही भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 120B, 304, 323 एवं 343 के अधीन अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया था और संज्ञान लेने वाले उक्त आदेश के अनुसरण में सुपुर्दगी के बाद दिनांक 11.8.2011 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध आरोप भी विरचित किए गए हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि अपराध का संज्ञान दो बार नहीं लिया जा सकता है और संज्ञान लेने वाले विद्वान न्यायालय ने उनमें उल्लिखित अपराधों का पुन: संज्ञान लेने में अवैधता किया है।

9. दूसरी ओर, सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि यद्यपि दो बार संज्ञान लिया गया है, किंतु संज्ञान लेने वाले पश्चातवर्ती आदेश इस आधार पर कार्यवाही दूषित नहीं करेगा क्योंकि यह अवैधता नहीं बल्कि अनियमितता मात्र है।

10. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं सी॰ बी॰ आई॰ के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद यह परिलक्षित होता है कि विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ सह–विशेष दंडाधिकारी, सी॰ बी॰ आई॰ द्वारा दिनांक 9.2.2009 के आदेश के तहत भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 120B, 304, 323 एवं 343 के अधीन अपराध का संज्ञान स्वीकृत रूप से लिया गया था और विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.8.2011 के आदेश के तहत याची के विरुद्ध आरोप भी विरचित किया था। दां॰ एम॰ पी॰ सं॰ 1149 वर्ष 2009 में इस न्यायालय द्वारा रिमांड के बाद दिनांक 5.6.2014 को नया आदेश पारित किया गया था जिसमें एक बार फिर उसमें उल्लिखित अपराध का संज्ञान लिया गया है।

11. यह सुनिश्चित है कि अपराध का संज्ञान केवल एक बार लिया जा सकता है। वर्तमान मामले में स्वीकृत रूप से दो बार संज्ञान लिया गया है जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। **धरमपाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2014)3 SCC 306,** में इस प्रश्न के संबंध में कि क्या दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 209 के अधीन दंडाधिकारी को सत्र न्यायालय को मामला सुपुर्द करने के पहले अपराध का संज्ञान लेने की आवश्यकता थी, उसमे यह अभिनिर्धारित किया गया था:–

*^^ ---------- ;g lfuf'pr g fd vijkèk dk lKku doy ,d ckj fy;k tk ldrk gA ;fn nMkfèkdkjh vijkèk dk lKku yrk g vkj rc ekeyk l= U;k;k;y; dk lin djrk g] vijkèk dk u;k lKku yu vkj] rRi'pkr] leu tkjh dju d fy, vxlj gku dk ç'u fofèk d vu#i ugh gA ;fn vijkèk dk lKku fy;k tkuk g] bl nMkfèkdkjh }kjk vFkok l= U;k;k;y; }kjk fy;k tk ldrk FkkA lfgrk dh èkkjk 193 dh Hkk"kk vR;Ur Li"Vr% minf'kr djrh g fd tc ,d ckj nMkfèkdkjh }kjk ekeyk l= U;k;k;y; dk lin fd;k tkrk g] l= U;k;k;y; ey vfèkdkfjrk vkj tk dN Hkh ,h vfèkdkfjrk d lkFk tMh g ml èkkj.k djrk gA vr%] èkkjk 209 d çkoèkkuk dk ifyl fjikV l ;g ikus ij fd ekeyk l= U;k;k;y; }kjk fopkj.kh; Fkk] l= U;k;k;y; dk ekeyk lin dju e nMkfèkdkjh }kjk fuHkk;h x;h fuf"Ø; Hkfed d :i e le>uk gkxkA nMkfèkdkjh }kjk fy, tk jg vkf'kd lKku vkj fo}ku l= U;k;kèh'k }kjk fy, tk jg vkf'kd lKku dk ç'u gk gh ugh ldrk gA***

12. वर्तमान मामले में, विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ सह विशेष दंडाधिकारी, सी॰ बी॰ आई॰ ने पहले ही दिनांक 9.2.2009 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान लिया था और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया था, जहाँ दिनांक 11.8.2011 के आदेश के तहत आरोप भी विरचित किए गए थे। विद्वान एस॰ डी॰ जे॰ एम॰ को अपराध का नया संज्ञान लेने से अपवर्जित किया गया था, जैसा दिनांक 5.6.2014 के आदेश के तहत किया गया है क्योकि यह न केवल अनियमितता बल्कि अवैधता भी होगी। अत:, दिनांक 5.6.2014 के आदेश जहाँ तक यह भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 120B, 304, 323 एवं 343 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने से संबंधित है, यह विधि की मंजूरी के बिना होने के नाते अभिखंडित किए जाने योग्य है। तद्नुसार, दिनांक 5.6.2014 का आदेश अभिखंडित किया जाता है जहाँ तक यह केवल याची के संबंध में संज्ञान लेने से संबंधित है।

13. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

सुबोध सरकार एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 1038 of 2002. Decided on 25th February, 2015.

बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972—नियम 40(1)—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40(1) एवं भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379, 411/34 के अधीन संज्ञान लेने वाले आदेश एवं संपूर्ण दांडिक कार्यवाही

का अभिखंडन–फॉर्म एफ॰ के अधीन अध्यपेक्षित चालानों के बिना बोल्डर्स से लदे याची के ट्रक सहित अनेक ट्रकों को जब्त किया गया था–यह स्पष्ट है कि उक्त नियमावली का नियम 41 अधिकथित करता है कि सक्षम प्राधिकारी अथवा सरकार द्वारा सशक्त बनाए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित में किए गए परिवाद के सिवाए इन नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय नहीं लेगा–प्रथमतः लिखित में परिवाद होना होगा और द्वितीयतः परिवाद सरकार द्वारा प्राधिकृत अथवा सशक्त बनाए गए व्यक्ति द्वारा किया जाना है–बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली के नियम 41 के दोनों अवयवों की कमी है क्योंकि यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर को परिवाद संस्थित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था–अभिनिर्धारित, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 379, 411/34 के अधीन दंडनीय अपराध जारी रह सकते हैं–बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित किया गया–याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 7 से 9)

निर्णयज विधि.–(2014) 9 SCC 772—Followed.

अधिवक्तागण.–M/s Rajeeva Sharma, Birender Kumar, For the Petitioners; None, For the State.

आदेश

याचीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री बिरेन्दर कुमार सुने गए। राज्य की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

2. इस आवेदन में याचीगण ने महेशपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 38 वर्ष 2002 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 18.5.2002 के आदेश, जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379, 411/34 तथा बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40(1) के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है, सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए प्रार्थना किया है।

3. यह प्रतीत होता है कि महेशपुर पुलिस थाना के प्रभारी-अधिकारी द्वारा प्राथमिकी संस्थित की गयी थी कि दिनांक 22.3.2002 को दोपहर लगभग 2 बजे गश्त लगाने के क्रम में अन्य पुलिस अधिकारियों की मदद से फॉर्म एफ॰ के अधीन अध्यपेक्षित चालानों जैसा उक्त नियमावली के नियम 33 के अधीन आवश्यक है के बिना बोल्डर्स से भरे याचीगण के ट्रक सहित अनेक ट्रकों को जब्त किया गया था।

4. पूर्वोक्त अभिकथनों के आधार पर महेशपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 38 वर्ष 2002 संस्थित किया गया था।

5. मामले का अन्वेषण करने के बाद और अभिकथनों को सत्य पाते हुए याचीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जिसके अनुसरण में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा दिनांक 18.5.2002 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379, 411/34 और बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40(1) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया था।

6. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 41 के निबंधनानुसार पुलिस सब-इंस्पेक्टर को कोई मामला संस्थित करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया था। आगे यह निवेदन किया गया है कि बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 41 के मुताबिक भी सक्षम व्यक्ति द्वारा परिवाद संस्थित किया जाना है और उक्त

परिस्थितियों में प्राथमिकी संस्थित किए जाने पर यह नियमावली के नियम 41 के अधीन वर्जित है और ऐसी परिस्थिति में, याचीगण के विरुद्ध संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित किए जाने की दायी है जहाँ तक बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40(1) के अधीन अपराधों के संज्ञान का संबंध है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन भी किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 4 एवं 5 की दृष्टि में, विशेष विधान होने के नाते यह सामान्य विधि पर अभिभावी होगा और, इसलिए, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन अभियोजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

7. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि जैसा बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के अधीन आवश्यक है, पकड़े गए ट्रकों को किसी वैध चालान के बिना बोल्डर्स से लदा पाया गया था और ऐसे अभिकथनों पर मामला संस्थित किया गया था। जहाँ तक याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40 (1) के संबंध में प्रतिवाद का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उक्त नियमावली का नियम 41 अधिकथित करता है कि सक्षम अधिकारी अथवा सरकार द्वारा सशक्त बनाए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखित में किए गए परिवाद के सिवाए इन नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय नहीं लेगा। अतः, नियम 41 दो भागों से गठित है, प्रथमतः लिखित में परिवाद होना होगा और द्वितीयतः सरकार द्वारा प्राधिकृत अथवा सशक्त व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाना है। वर्तमान मामले में बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली के नियम 41 के दोनों अवयवों की कमी है क्योंकि यह सुझाने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि पुलिस सब–इंस्पेक्टर परिवाद संस्थित करने के लिए सशक्त था। इसके अतिरिक्त, परिवाद की परिभाषा जैसा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (d) में परिकल्पित किया गया है की दृष्टि में, जो बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 41 के प्रावधानों के साथ विनिर्दिष्टतः प्राथमिकी अपवर्जित करता है, उक्त प्रावधानों के अधीन प्राथमिकी संस्थित नहीं की जा सकती है और ऐसी परिस्थिति में, बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40 (1) के अधीन याचीगण के विरुद्ध के अभियोजन जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहाँ तक याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस प्रतिवाद का संबंध है कि विशेष एवं सामान्य विधि के बीच संघर्ष की स्थिति में विशेष विधि को अभिभावी होना है, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क का उत्तर पहले ही **राज्य (दिल्ली का एन॰ सी॰ टी॰) बनाम संजय, (2014)9 SCC 772** में दिया जा चुका है जिसमें इसी प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"68. mO çO jkT; cuke ckc jke mikè;k; e] lfofèk fo'k"k dh O;k[;k vkKkid vFkok fun'kkRed :i e djr g, bl U;k;ky; u lçf{kr fd;k% (AIR p 765, Para 29)*
>
> *"29. .... tc lfofèk 'kCn ^xk*] ^çFke n"V;k* dk mi;kx djrh g] ;g vkKkid g fdr U;k;ky; lfofèk d li.k foLrkj dk lkoèkkuhiod è;ku e ydj foèkkueMy d okLrfod vk'k; dk vfHkfuf'pr dj ldrk gA foèkkueMy d okLrfod vk'k; dk fofuf'pr dju d fy, U;k;ky; vU; ckrk d lkFk lfofèk dh çÑfr ,o :ij[kk] vkj ifj.kkek tk ,d ;k nlj :i e vFk yxku l vulfjr gkx] vU; çkoèkkuk dk çHkko ftld }kjk ç'uxr çkoèkku dk vuikyu dju dh vko';drk l cpk tkrk g] ifjfLFkfr vFkkr fd lfofèk çkoèkku d xj&vuikyu*

*dh vR;ko';drk d fy, çkoèkkfur djrh g] rF; fd çkoèkku dk xj&vuikyu dk ifj.kke dkb nM g ;k ugh] xHkhj vFkok rPN ifj.kke tk ml l çokfgr gkr g vkj lcl igy fd D;k foèkku dk mí'; foQy vFkok vxlj gkxk] ij fopkj dj ldrk gA***

69. 0;k[;k d fl)krk rFkk èkkjk 22 e ç;Dr okD; jpuk ij fopkj djr g, gekj lfopkfjr er e] unh ry l cky lfgr [kfutk dh voèk ,o xj bekunkj pkjh d fy, ifyl }kjk dkjokb dju d fy, çkoèkku li.k otuk ugh gA U;k;ky; bl rF; dk U;kf;d è;ku yxk fd db o"kk l Hkkjr dh ufn;k vfucfèkr cky [kuu dh Hk;kog nj }kjk çHkkfor gk jgh g tk ufn;k dh i;koj.k ç.kkyh dk vkj iyk dh lj{kk dk udlku igpk jgh gA ;g unh ry] eRL; ikyu dk Hkh detkj cukrk g vkj vud thok d çkÑfrd vkokl LFkku dk fou"V djrk gA ;fn jkT; ,o jkT; d ifyl çkfèkdkfj;k }kjk bu voèk xfrfofèk;k dk ugh jkdk tkrk g] ;g xHkhj ifj.kke dkfjr djxk tlk ;gk Åij mfYyf[kr fd;k x;k gA ;g u doy unh ty foKku dk ifjofrr djxk cfYd HkxHk ry dk Hkh fu"k'k djxkA

70. ,e0 ,e0 MhO vkj0 vfèkfu;e d vèkhu vfèkjkfir fucèkuk rFkk mle çkoèkkfur mipkj d lcèk e dkb fookn ugh gk ldrk gA fdlh Hkh fLFkfr e] tgk vfèkfu;e dh èkkjk 4 ,o vU; èkkjkvk d çkoèkkuk d mYy?ku e fdlh 0;fDr }kjk [kuu xfrfofèk dh tk jgh g] vfèkfu;e d vèkhu l'kDr ,o çkfèkÑr vfèkdkjh vfèkdkfjrki.k nMkfèkdkjh d le{k ifjokn dju lfgr leLr 'kfDr;k dk ç;kx djxkA ;g Hkh fookfnr ugh g fd nMkfèkdkjh ,l ekeyk e viu le{k lE;d :i l çkfèkÑr vfèkdkjh }kjk nkf[ky ifjokn d vkèkkj ij lKku yxkA vfèkfu;e dh èkkjk 4 ,o vU; çkoèkkuk d Hkx ,o mYy?ku dh fLFkfr e ifyl vfèkdkjh mDr vfèkfu;e dk mYy?ku vfHkdfFkr djr g, ifyl }kjk nkf[ky vfHky[k d vkèkkj ij vfèkfu;e d vèkhu lKku yu d fy, nMkfèkdkjh ij tkj ugh Mky ldrk gA nlj 'kCnk e] vfèkdkjh }kjk fd, x, ifjokn ij d flok, 0;fDr d vfHk;ktu d fo#) vfèkfu;e dh èkkjk 22 e vrfo"V çfr"kèk doy rc vkÑ"V gkrk g tc ,lk 0;fDr vfèkfu;e dh èkkjk 4 d mYy?ku d fy, vkj u fd fdlh ÑR; vFkok yki d fy, tk nM lfgrk d vèkhu vijkèk xfBr djrk g] vfHk;kftr fd, tku d fy, bfllr fd;k tkrk gA

*71. fdr] ,lh fLFkfr gk ldrh g tgk dkb 0;fDr fdlh iVVk vFkok vuKflr vFkok fdlh çkfèkdkj d fcuk unh e ço'k djrk g vkj jkT; d dCtk l mu [kfutk dk xj bekunkj :i l gVku d vk'k; l xlr rjhd l cky] ddM ,o vU; [kfutk dk fu"d"k.k djrk g vkj bUg gVkrk vFkok ifjofgr djrk g] og nM lfgrk dh èkkjkvk 378 ,o 379 d vèkhu ,lk vijkèk dju d fy, nfMr fd, tku dk nk;h gA***

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की पूर्वोक्त प्रतिपादना की दृष्टि में, जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379, 411/34 के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध है, याचीगण के विरुद्ध अभियोजन जारी रह सकता है और उक्त कार्यवाही जारी रहने के संबंध में विधिक वर्जना नहीं है। इस प्रकार, इस तथ्य कि विशेष विधि सामान्य विधि पर अभिभावी होगी और, इसलिए, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन अभियोजन जारी नहीं रह सकता है के संबंध में याचीगण के विद्वान

अधिवक्ता का प्रतिवाद भ्रामक एवं आधारहीन है। अन्यथा भी, याचीगण के विद्वान-अधिवक्ता द्वारा कोई अवैधता इंगित नहीं की गयी है ताकि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379, 411/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरंभ की गयी दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जा सके।

9. इस प्रकार, जैसा ऊपर दर्शाया गया है, ताथ्यिक एवं विधिक पहलूओं की दृष्टि में, यह आवेदन अंशत: अनुज्ञात किया जाता है। बिहार लघु खनिज रियायत नियमावली, 1972 के नियम 40(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लेने के संबंध में महेशपुर पी॰ एस॰ केस सं॰ 38 वर्ष 2002 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित दिनांक 18.5.2002 के आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही एतद्द्वारा अभिखंडित की जाती है। किंतु, जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धाराओं 379, 411/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दांडिक कार्यवाही आरंभ किए जाने का संबंध है, यह जारी रहेगी और इसे अभिखंडित करने के लिए याचीगण के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

तद्नुसार, यह आवेदन अंशत: अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

रविन्द्र प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड एवं एक अन्य

W.P.(S) No. 5971 of 2009. Decided on 6th February, 2015.

सेवा विधि–सेवानिवृत्ति देय–याची की शिकायत जो पूर्व रिट याचिका में की गयी शिकायत हैं जिन्हें पहले ही दूर किया जा चुका है, उपदान राशि, अवकाश नगदकरन राशि एवं वेतन बकाया राशि पर सांविधिक एवं शास्तिक ब्याज के भुगतान से संबंधित है–रिट याचिका में पहले की गयी शिकायत पश्चातवर्ती रिट याचिका में ग्रहण नहीं की जा सकती है क्योंकि यह न्यायनिर्णीत के सिद्धांत के प्रतिकूल है–रिट आवेदन के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न पूर्व रिट आवेदन के निपटान के बाद उपचार जो याची को उपलब्ध था का लाभ लिया जा सकता था किंतु याची ने उसी वाद हेतुक पर वर्तमान आवेदन दाखिल करके उपचार का लाभ लेना नहीं चुना था जो विधित: अनुज्ञेय नहीं है–याची का आचरण उपमत के सिद्धांत के प्रतिकूल है–याचिका खारिज। (पैराएँ 5, 6, 12 एवं 13)

निर्णयज विधि.–(2002) 1 JLJR 434; (1978) 3 SCC 119 Para 10; (2009) 4 SCC 635 Para 13—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Naresh Prasad Singh, Arvind Kr. Singh, For the Petitioner; Mr. Amit Chakravarty, For the Respondents.

आदेश

इस रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ उपदान राशि (दिनांक 1.8.2001 से दिनांक 11.11.2003 तक (अर्थात् लगभग 2 वर्ष 3 माह के लिए) 2,38,728.86/- रुपयों का आंशिक भुगतान); उपदान राशि (दिनांक 1.8.2001 से दिनांक 6.1.2009 तक (अर्थात् लगभग 7 वर्ष 5 माह के लिए) 69,243.14/- रुपयों का आंशिक भुगतान); अवकाश नगदकरण राशि (दिनांक 1.8.2001 से दिनांक 6.1.2009 तक (अर्थात् लगभग 7 वर्ष 5 माह के लिए) और वेतन बकाया 1,57,472/- रु॰ दिनांक

1.8.2001 से दिनांक 6.1.2009 तक) (लगभग 7 वर्ष 5 माह के लिए) 1,666/- रु॰ तथा सांविधिक एवं शास्तिक ब्याज का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने के लिए और किसी वैध/विधिपूर्ण आदेश के बिना साढ़े सात वर्षों से अधिक के लिए याची को अनावश्यक रूप से परेशान करने और उसे उसके वैध देयों से वंचित करने के लिए मुकदमा के उदाहरणीय व्यय का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थीगण का निर्देश देने के लिए प्रार्थना किया है।

2. रिट याचिका में रेखांकित एवं प्रकट ताथ्यिक मैट्रिक्स संक्षेप में यह है कि याची ने दिनांक 29.9.1973 की खान सर्वेक्षक के रूप में प्रत्यर्थी निगम के अधीन पटना में निगम के तत्कालीन मुख्यालय में अपनी सेवा ग्रहण किया जहाँ से उसे दिनांक 29.9.1973 से 31.7.2001 के बीच राँची, विश्रामपुर, बेंटी–बगड़ा, चंडूला–सिमलगोड़ा, गोला, कोडरमा, सपही, मोसबनी, बहरागोड़, जमशेदपुर, बिहारशरीफ, खमरबाद एवं डालटेनगंज में विभिन्न परियोजनाओं में पदस्थापित एवं स्थानांतरित किया गया था।

3. लगभग 28 वर्षों की मेधावी सेवा देने के बाद याची दिनांक 31.7.2001 को अधिवर्षिता पर 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रत्यर्थी निगम, राँची के मुख्यालय से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के समय पर कोई विभागीय कार्यवाही अथवा न्यायालय कार्यवाही याची के विरुद्ध अनुध्यात अथवा लंबित नहीं थी।

4. अपनी सेवानिवृत्ति के बाद याची ने दिनांक 8.10.2001, 1.11.2001, 3.2.2002, 4.10.2002, 20.11.2002, 20.12.2002 एवं 22.11.2003 के आवेदनों के माध्यम से प्रत्यर्थी सं॰ 1 के समक्ष अभ्यावेदन दिया, जिसमें उसने अपनी पूर्ण एवं अंतिम उपदान राशि तथा अवकाश नगदकरण राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया था। चूँकि याची के वैध सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान नहीं किया गया था, याची रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5943 वर्ष 2004 के माध्यम से इस न्यायालय के पास आने के लिए मजबूर हुआ था जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गयी हैं:–

a. viuh lokfuofÙk d le; ij mldk n; 240 fnuk d vui;kfxr vftr vodk'k vfèk'k"k d lerY; vodk'k uxndj.k dh jkf'k dk Hkxrku dju d fy,A

b. 69,243.14/- #i;k okil dju d fy, ftl vfofèki.k :i l minku jkf'k l dkV fy;k x;k gA

c. lok d vfre rhu ekg vFkkr eb] 2001 l tykb] 2001 rd d fy, oru cdk;k d dkj.k 1394/- #i;k d Hkxrku d fy,A

d. ml frfFk tc ;g n; cu x;h l ;kph dk bldk Hkxrku fd, tku dh frfFk rd leLr foyfcr Hkxrkuk@jkdh x;h jkf'k ij lkfofèkd ,o 'kkfLrd C;kt dk vkj ednek d 0;; dk Hkxrku dju d fy,A

5. इस न्यायालय ने दिनांक 3.12.2008 के निर्णय/आदेश के तहत आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अवकाश नगदकरण की रोकी गयी 69243.14/- रुपयों की राशि तथा बकाया एवं वेतन का भुगतान करने का निर्देश प्रत्यर्थी सं॰ 2, प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को देते हुए रिट आवेदन निपटाया है।

6. दिनांक 3.12.2008 के आदेश की प्रति प्राप्त करने के बाद याची ने दिनांक 11.12.2008 के अभ्यावेदन के तहत प्रत्यर्थी के समक्ष डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5943 वर्ष 2004 में इस न्यायालय के दिनांक 3.12.2008 के निर्देश के अनुसरण में अपने वैध दावों के संबंध में पूर्णरुपेण विवरण देते हुए अपना अभ्यावेदन दिया। प्रत्यर्थी निगम ने 157472/- रुपयों की अवकाश नगदीकरण राशि, 1666/- रुपयों का

वेतन बकाया और उपदान की रोकी गयी राशि 69243.86/- रुपये अंतर्विष्ट करने वाले दिनांक 7.1.2009 के एकाउन्ट पेई चेक सं॰ 018827 के माध्यम से 2,28,381.86/- रुपयों की राशि का भुगतान किया।

7. यद्यपि अवकाश नगदीकरण एवं वेतन बकाया सहित सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान किया गया है और चूँकि सांविधिक एवं शास्तिक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, याची अपनी शिकायत दूर करवाने के लिए इस रिट आवेदन में इस न्यायालय के पास आया है।

8. प्रत्यर्थीगण ने रिट आवेदन में किए गए निवेदनों का खंडन करते हुए प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया है। प्रतिशपथ पत्र में यह प्रतिवाद किया गया है कि रिट आवेदन न्यायनिर्णीत के सिद्धांत द्वारा वर्जित है और अन्यथा पोषणीय नहीं है। याची ने पहले ही डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5943 वर्ष 2004 में शास्तिक एवं सांविधिक ब्याज तथा व्यय का भुगतान अधिनिर्णीत करने का शिकायत किया था और माननीय न्यायालय ने दिनांक 3.12.2004 के आदेश के तहत याची की प्रार्थना का संज्ञान लेते हुए प्रत्यर्थीगण को केवल अवकाश नगदीकरण एवं वेतन एवं रोकी गयी उपदान राशि के बकाया का भुगतान करने का निर्देश भी दिया है। प्रति शपथ पत्र में प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा आगे कथन एवं निवेदन किया गया है कि यदि याची पूर्वोक्त आदेश से व्यथित है, उसे वर्तमान रिट आवेदन द्वारा इसी विवाद्यक को उठाने के बजाए अपील करना चाहिए था और रिट आवेदन डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 5943 वर्ष 2004 में पारित आदेश पहले ही अपनी अंतिमता प्राप्त कर चुका था। इसके अतिरिक्त, याची ने अपनी सेवावधि के दौरान झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को हानि कारित करते हुए अवचार का कृत्य किया था जिसके लिए विभागीय रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी और प्रत्यर्थी निगम की कमिटी द्वारा इसकी जाँच भी की गयी थी जिसने याची द्वारा की गयी अनियमितताओं का विवरण देते हुए अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कि उक्त अवचार के लिए, जाँच रिपोर्ट के बाद दिनांक 1.6.1994 के मेमो सं॰ 82 के तहत प्रबंध निदेशक द्वारा एक कारण बताओ निर्गत किया गया था। याची को हुई क्षति का प्रदर्शन करने वाले चार्ट की एक प्रति तथा दिनांक 1.6.1994 का मेमो सं॰ 82 इसके साथ संलग्न किया गया है और क्रमशः प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A एवं A/1 के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, पुनः याची को स्टॉक की कमी के लिए कारण बताओ जारी किया गया था जिसका उत्तर नहीं दिया गया था और परिणामस्वरुप यह उसके विरुद्ध कार्यवाही के विलंब में परिणत हुआ। मेमो सं॰ 740/P एवं 756/P की प्रति संलग्न की गयी है और क्रमशः परिशिष्ट B एवं B1 के रूप में चिन्हित की गयी है। रिट याचिका के पैरा 1 एवं 2 के तहत उठाया गया विवाद्यक भ्रामक है और फौरन अस्वीकार किए जाने योग्य है।

9. प्रतिशपथ पत्र में किए गए प्राख्यानों के उत्तर में याची के अधिवक्ता श्री नरेश प्रसाद ने जोरदार निवेदन किया है कि दिनांक 7.11.1981 के मेमो सं॰ PC-1-16/79/3155 जैसा (बिहार पेंशन नियमावली के अंतिम भाग में मुद्रित, मल्होत्रा ब्रदर्स) में प्रत्यर्थी राज्य ने विलंबित भुगतान के लिए 5% प्रतिमाह की दर पर ब्याज का भुगतान अनुबंधित किया है, यदि तीन माह के भीतर सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान नहीं किया जाता है और कर्मचारी की ओर से ढिलाई नहीं है। **मोस्मात कौशल्या देवी बनाम झारखंड राज्य,** (2002)1 JLJR 434, में सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 2205 वर्ष 2001 में इस न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र का ध्यान में लिया गया है। याची के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि **कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के कर्मकार बनाम कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एवं एक अन्य, (1978)3 SCC 119,** में पूर्वोक्त आदेश के पैरा 10 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^fu%lng] orZeku ekey s e vfèkdj.k d vfèkfu.kZ; dk yxHkx leLr vkèkkjk] ftUg mPp U;k;ky; e i'pkrorh fjV dk;okgh e mBk;k x;k Fkk] ij bl*

U;k;ky; e nkf[ky fo'k"k vuefr ;kfpdk e pukrh nh x;h FkhA vr%] bl ekey e vkUof;d U;k; fu.khr d fl)krk dk ykx dju dk ç'u gh ugh gA fdr] tk n[kk tkuk g] og ;g g fd D;k vkjHk e gh fo'k"k vuefr ;kfpdk [kkfjt dju oky vkn'k l ;g fu"df"kr fd;k tk ldrk g fd mDr ;kfpdk e pukrh fn, x, leLr ekeyk dk Li"Vr% vFkok vrfufgr :i l çR;Fkh d fo#) fofuf'pr fd;k x;k FkkA bldh [kkfjth d vkèkkjk vFkok dkj.kk dk minf'kr dju oky fdlh vkj pht d fcuk [kkfjth d xj&ldkj.k vkn'k dk çHkko vko';d foo{kk }kjk fofuf'pr fd;k x;k ekuk tkuk gkxk fd ;g l;kX; ekeyk ugh Fkk tgk fo'k"k vuefr çnku dh tkuh pkfg, FkhA ;g vud dkj.kk d dkj.k gk ldrk gA ; ,d vFkok vfèkd gk ldr gA ;g Hkh gk ldrk g fd vfèkfu.k; d x.kkx.kk dk fopkj e fy;k x;k Fkk vkj bl U;k;ky; u ;g egl l fd;k fd ble fdlh gLr{ki dh vko';drk ugh FkhA fdr pfd vkn'k ldkj.k vkn'k ugh g] ge vihykFkx.k dh vkj l fd, x, rd dk Lohdkj dju e ef'dy ikr g fd bl vfèkfu.k; d x.kkx.k d lcèk e leLr ç'uk d vrfufgr :i l vko';dr% fofuf'pr fd;k x;k le>k tkuk gkxkA fjV dk;okgh ,d fHkUu dk;okgh gkrh gA fo'k"k vuefr ;kfpdk dk [kkfjt djr g, ftl Hkh vfHk0;Dr :i l] vrfufgr :i l vFkok vkUof;d :i l Hkh fofuf'pr fd;k x;k vfHkfuèkkfjr fd;k tk ldrk g] ml iu% ugh [kkyk tk ldrk gA fdr U;k; fu.khr dk rduhdh fu;e] ;fi ;g ykd uhfr ij vkèkkfjr fgrdj fl)kr g] ek= bl vfuf'pr èkkj.kk ij fd fook|dk dk fofuf'pr fd;k x;k gkxk] iFkd dk;okgh e ln'k fook|dk dk fopkj.k oftr dju d fy, dkQh nj rd [khpk ugh tk ldrk gA bl lhek rd U;k; fu.khr d fl)kr dk foLrkfjr djuk ljf{kr ugh g rkfd bl vueku ek= ij vkèkkfjr fd;k tk ldA gekj nf"Vdk.k dk mtkxj dju d fy, ge ,d mnkgj.k y ldr gA eku y fd vud vkèkkjk ij fdlh vkn'k vFkok fu.k; dk pukrh nu d fy, mRç"k.k fjV d çnku d fy, mPp U;k;ky; e fjV ;kfpdk nkf[ky dh tkrh gA ;fn çfrokn d ckn fjV ;kfpdk ldkj.k vkn'k }kjk [kkfjt dj nh tkrh g] Li"Vr% ;g okn d fdlh vU; dk;okgh e U;k;fu.khr d :i e çofrr gkxh] tl ml vkn'k vFkok fu.k; l funf'kr vuPNn 32 vFkok vuPNn 136 d vèkhu oknA ;fn fjV ;kfpdk ngyht ij vFkok çfrokn d ckn ldkj.k vkn'k }kjk [kkfjt dj nh tkrh g] dgk tk, doy f<ykb vFkok odfYid mipkj dh miyCèkrk d vkèkkj ij] rc okn vFkok fdlh vU; dk;okgh d :i e fofèk e [kyk vU; mipkj Li"Vr% U;k;fu.khr d fl)krk }kjk oftr ugh gkxkA fu'p; gh] ml mPp U;k;ky; e vFkok fdlh vU; e nkf[ky ml okn grd ij f}rh; fjV ;kfpdk ik"k.kh; ugh gkxh D;kfd ,d ;kfpdk dh [kkfjth nljh fjV ;kfpdk d xg.k e otuk d :i e çofrr gkxhA bl çdkj l] Hky gh ,d fjV ;kfpdk ,d 'kCn d vkn'k ^[kkfjt fd;k x;k* d xj ldkj.k vkn'k }kjk vkjHk e gh [kkfjt dj nh tkrh g] nljh fjV ;kfpdk ik"k.kh; ugh gkxh D;kfd ,d 'kCn dk vkn'k Hkh] tl k geu Åij minf'kr fd;k g] vko';dr% foof{kr :i l ;g fofuf'pr djrk gvk ekuk tkuk gkxk fd ekeyk mPp U;k;ky; dh fjV vfèkdkfjrk d ç;kx d fy, l;kX; ugh gA ml vkn'k vFkok fu.k; l nljh fjV ;kfpdk nkf[ky ugh dh tk,xhA fdr voLFkk lkjoku :i l fHkUu gkrh g tc ekey d x.kkx.k ij dkb er vfHk0;Dr fd, fcuk ngyht ij vFkok çfrokn d ckn fjV ;kfpdk [kkfjt dj nh tkrh g(rc dkb x.kkx.k vko';dr% vkj foof{kr :i l fofuf'pr fd;k x;k ugh le>k tk ldrk g vkj okn vFkok vU; dk;okgh dk dkb vU; mipkj U;k;fu.khr d fl)kr ij oftr ugh gkxkA**

10. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने याची के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों को यह निवेदन करके खंडित किया है कि यह रिट आवेदन न्याय निर्णीत के सिद्धांत के प्रतिकूल है। **राघवेन्द्र राव एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (2009)4 SCC 635,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक, उक्त आदेश/निर्णय के पैरा 13 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

*^^tlk ;gk igy xkj fd;k x;k g] doy mu ;kfp;k] ftUg ml vofèk ftld nkjku mUgku y[kkdkj d :i e dke fd;k d fy, mud oru dk Hkxrku ugh fd;k x;k Fkk] dk miyCèk fdlh vU; mipkj dk ykHk yu d fy, vuefr çnku dh x;h FkhA bl çdkj vihykFktx.k dk nkok U;k;fu.khr@vkUof;d U;k;fu.khr d fl)krk d vèkhu oftr g D;kfd igyk fu.k; vfrerk çkIr dj pdk gA vc ;g fofèk dk lfuf'pr fl)kr g fd U;k; fu.khr dk fl)kr fjV dk;okfg;k ij Hkh ykx gkrk gA***

11. प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसी वाद हेतुक पर दाखिल यह दूसरा रिट आवेदन आन्वयिक न्याय निर्णीत के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का दूसरा चरण यह है कि झारखंड सेवा संहिता अथवा झारखंड पेंशन नियमावली, उपदान पर कोई ब्याज विहित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक दिनांक 7.11.1981 के मेमो सं॰ PC-1-16/79/3155 का संबंध है, पूर्वोक्त मेमो में अंतर्विष्ट निर्णय केवल निर्देशात्मक है और न कि आज्ञापक और उनका कोई सांविधिक बल नहीं है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार, आन्यायिक न्याय निर्णीत के सिद्धांत पर द्वितीय रिट आवेदन की गैर–पोषणीयता के कारण रिट आवेदन ग्रहणीय नहीं है।

12. अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, मैंने विरोधी पक्षों द्वारा किए गए प्रतिवादों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। यह प्रतीत होता है कि दिनांक 7.11.1981 के मेमो सं॰ PC 1-16/79/3155 (जैसा बिहार पेंशन नियमावली, मल्होत्रा ब्रदर्स के अंतिम भाग में मुद्रित है) में अंतर्विष्ट सरकारी निर्णय को ऊपर उद्धृत निर्णय में ध्यान में लिया गया है।

13. चूँकि अवकाश नगदकरण, वेतन बकाया और उपदान से संबंधित याची की शिकायत दूर कर दी गयी है, शास्तिक एवं सांविधिक ब्याज के भुगतान के लिए रिट आवेदन निम्नलिखित कारणों से पोषणीय नहीं है:–

1. io fjV vkonu e dh x;h ;kph dh f'kdk;r dk i'pkrorh fjV vkonu e xg.k ugh fd;k tk ldrk gA ;g U;k; fu.khr d fl)kr d ifrdy gA

2. fjV vkonu d ifjf'k"V 1 d :i e igy lyXu fjV vkonu d fuiVku d ckn ;kph dk tk mipkj miyCèk Fkk mldk ykHk fy;k tk ldrk FkkA fdr ;kph u mipkj dk YkkHk yuk ugh pukA fcYdy mlh okn grd ij oreku vkonu nkf[ky djd mipkj dk ykHk yuk fofèkr% vuK; ugh gA

3. vr e] ;kph dk vkpj.k mier d fl)kr d ifrdy gA pfd oreku fjV vkonu nkf[ky djd ;kph fcYdy ogh f'kdk;r dj jgk g tk xg.kh; ugh gA

14. तथ्यों/अभिवचनों, तर्कों एवं न्यायिक उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव पर, मेरा दृष्टिकोण है कि वर्तमान रिट आवेदन गुणागुण रहित होने के कारण खारिज किए जाने की दायी है।

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

किशोर कुमार यादव एवं अन्य (7508 में)

मो॰ अमीरूल इस्लाम (5234 में)

सिंकू प्रसाद केशरी (302 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P.(S) Nos. 7508 of 2013 with 5234 and 302 of 2014. Decided on 13th January, 2015.

झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भरती नियमावली, 2012—नियम 21—अधिकार को चुनौती दी गयी–झारखंड के जिलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परस्पर जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी विज्ञापन का अभिखंडन इप्सित किया गया–याचीगण ने यह घोषणा भी इप्सित किया कि प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा का एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है और इसे आवश्यक पात्रता अर्हता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जैसा आक्षेपित नियमावली के अधीन विहित किया गया है, यह घोषणा भी इप्सित की गयी है कि बी॰ एड॰ डिग्री (एक वर्ष पाठ्यक्रम) वाले उम्मीदवारों पर प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए विचार किया जाना चाहिए बशर्ते वे टी॰ ई॰ टी॰ में उत्तीर्ण हुए हैं–इस आधार पर आक्षेपित नियमों को चुनौती कि यह ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने के लिए मापदंड के रूप में बी॰ एड॰ डिग्री के साथ स्नातक होने की अर्हता सम्मिलित नहीं करता है, विधिक संवीक्षण की परीक्षा के सम्मुख नहीं टिकता है–वर्तमान नियम मुख्यतः शिक्षकों जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं की भरती के लिए विरचित किए गए थे–अतः प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण के लिए उम्मीदवार को बाल मनोविज्ञान और मासूम उम्र के बालकों के विकास से अवगत होना होगा–उम्मीदवार जो बी॰ एड॰ डिग्री में प्रशिक्षित हैं आवश्यकतः प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के शिक्षक के लिए और मासूम उम्र के बालक का मनोविज्ञान समझने के लिए समर्थन के लिए प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता अधिकथित करने वाले भरती नियम की वैधता मान्य ठहरायी गयी–रिट याचिकाएँ खारिज की गयी। (पैराएँ 13 से 16)

निर्णयज विधि.–(1998) 3 SCC 495; 2011(4)SCC 387; 2012(6) SCC 1; (1983) 2 SCC 33; 1985 (Supp) SCC 72; AIR 1974 SC 1; 1984 LAB I.C. 1015; Writ-A No. 72433/2011 (All. H.C.); 1998 (9) SCC 471; 2003 (2) SCC 632; 2003 (4) SCC 289; UPSC, 2006 (8) SCC 42—Relied upon; (2014)8 SCC 1; 2003 (3) SCC 548; (2005) 7 SCC 567; (2003)3 SCC 541; Civil App. No. 7983-7986/2009(SC)—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s Manoj Tandon. (in 7508), Gautam Kr. Singh (in 5234), Binod Singh (in 302), For the Petitioner; Mr. Ajit Kumar, For the Respondents.

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–पक्षों के अधिवक्ता सुने गए।

2. चूँकि इन रिट याचिकाओं में एक ही सम्मिलित विवाद्यक अंतर्ग्रस्त हैं, अतः इन्हें एक साथ सुना जा रहा है और इस एक ही आदेश द्वारा विनिश्चित किया जा रहा है। सारतः, वर्तमान याचीगण झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भरती नियमावली, 2012 (इसमें इसके बाद नियमावली वर्ष 2012 के रूप में

निर्दिष्ट) के नियम 21 के अधिकार को चुनौती दी जा रही है। उक्त चुनौती के उत्तरकथा के रूप में, वे झारखंड के जिलों में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नवंबर, 2013 में अपने–अपने जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी विज्ञापन का अभिखंडन भी इप्सित कर रहे हैं। जामतारा, गोड्डा एवं लोहरदग्गा के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जारी कुछ विज्ञापन विनिर्दिष्टत: चुनौती के अधीन हैं। याचीगण ने यह घोषणा भी इप्सित किया है कि प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा की अर्हता को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् (इसमें इसके बाद 'एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा मान्यता नहीं दी गयी है और इसे आवश्यक पात्रता अर्हता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जैसा आक्षेपित नियमावली के अधीन विहित किया गया है। वे यह घोषणा भी इप्सित करते हैं कि बी॰ एड॰ डिग्री (एक वर्ष पाठ्यक्रम) रखने वाले उम्मीदवारों पर भी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए बशर्ते वे शिक्षक पात्रता परीक्षा इसमें इसके बाद टी॰ ई॰ टी॰ के रूप में निर्दिष्ट) में उत्तीर्ण हुए हैं।

3. डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 7508 वर्ष 2013, डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 5234 वर्ष 2014 और डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 302 वर्ष 2014 में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वर्तमान याचीगण के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी॰ ई॰ टी॰) में उत्तीर्ण होने और बी॰ एड॰ डिग्री रखने के बावजूद उन्हें क्रमश: जामतारा, साहेबगंज एवं लोहरदग्गा जिलों में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के विज्ञापन सं॰ 1/2013-14 के अधीन आवेदन देने से और चयन प्रक्रिया में भाग लेने से भी वंचित किया गया है।

4. आक्षेपित नियमावली को चुनौती निम्नलिखित आधारों पर दी गयी है जैसा याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचारित किया गया है: डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 7508 वर्ष 2013 में याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज टंडन द्वारा प्रतिवाद किया गया है कि नियमावली वर्ष 2012, जिसे स्वीकृत रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन विरचित किया गया है, केंद्रीय विधान अर्थात् बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (इसमें इसके बाद अधिनियम वर्ष 2009 के रूप में निर्दिष्ट) के अनुकूल नहीं है। अधिनियम वर्ष 2009 की धारा 38 (m) को निर्दिष्ट करके यह निवेदन किया गया है कि राज्य सरकार ने पहले ही झारखंड बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 विरचित करने में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है जो नियम 14 के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाने के लिए शिक्षकों की पात्रता अर्हता विनिश्चित करने के लिए प्रावधान अधिकथित करती है जैसा अधिनियम वर्ष 2009 की धारा 23 के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत एकेडमिक प्राधिकारी द्वारा विहित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन विरचित नियमावली वर्ष 2012 मूल अधिनियम वर्ष 2009 के अनुकूल नहीं है और इसके अतिरिक्त, जब एकबार 2011 नियमावली धारा 38 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्टत: विरचित की गयी है, इसे केवल विधायी अधिनियमन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता था और न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्य के राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग की प्रकृति में। अपने पूर्वोक्त प्रतिवाद के समर्थन में याची के विद्वान अधिवक्ता ने **ए॰ बी॰ कृष्णा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (1998)3 SCC 495,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया है और निवेदन किया है कि अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा विरचित नियमावली समुचित विधान द्वारा विधायी कृत्य का प्रयोग किए जाने तक संक्रमण कालीन है। अत:, जब एक बार नियमावली वर्ष 2011 प्रवृत्त है, आक्षेपित नियमावली वर्ष 2012 अधिनियम वर्ष 2009 के अधीन विरचित नियमावली को स्वत: विस्थापित नहीं करती है। आक्षेपित नियमावली को आगे इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि वे केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत एकेडमिक प्राधिकारी अर्थात एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा विहित पात्रता अर्हता के अनुकूल नहीं है। दिनांक 23.8.2010

की अधिसूचना में अंतर्विष्ट एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांत पर विश्वास किया गया है जो अधिनियम वर्ष 2009 की धारा 2 के खंड (n) में निर्दिष्ट विद्यालय में कक्षा I से कक्षा VIII तक में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम अर्हता विहित करती है। उनका निवेदन यह भी है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की भरती के मामले में नियमावली वर्ष 2012 पूर्णत: अनावश्यक है क्योंकि एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ ने पहले ही मार्गदर्शक सिद्धांतों को अधिकथित किया है। याचीगण का प्रतिवाद इस सीमा तक भी है कि राज्य प्रतियोगात्मक भरती कार्य किए बिना प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे शिक्षकों की भरती करने में सही नहीं है। अत: मेधा सूची तैयार करने के तरीका, जैसा नियम 21 के अधीन विहित किया गया है, को चुनौती दी गयी है। वैकल्पिक रूप से, उनका मामला यह भी है कि टी॰ ई॰ टी॰, जिसे आक्षेपित नियमावली विरचित करने के बाद लिया गया है, को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भरती के लिए एकमात्र आधार बनाया जाना चाहिए था। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू झारखंड एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2011 (4) 387**, मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ के निर्णय पर विश्वास किया है जिसने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 18,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन सं॰ 27 वर्ष 2011 के अधीन पहले आरंभ किए गए भरती को अभिखंडित कर दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने **राजस्थान गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय सोसाइटी बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, 2012 (6) SCC 1,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी विश्वास किया है जहाँ अधिनियम वर्ष 2009 की वैधता मान्य ठहरायी गयी है।

5. इन आधारों को आगे डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 302 वर्ष 2014 में याची के विद्वान अधिवक्ता श्री बिनोद सिंह द्वारा दिनांक 29.7.2011 के एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्दिष्ट करके पूरित किया गया है जिसने प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ स्नातक होना प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में भरती के लिए पात्र होने के लिए अर्हता के रूप में जोड़ा है। एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन विहित वैकल्पिक पात्रता अर्हता को विनिर्दिष्टत: निर्दिष्ट करके, जो प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ स्नातक होना भी सम्मिलित करता है, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित नियम 21 मनमाने तरीके से दिनांक 29.7.2011 के एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विहित प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ स्नातक होने की अतिरिक्त पात्रता अर्हता को पूरी तरह अनदेखा करके ऐसी नियुक्ति के लिए मापदंड के रूप में टी॰ ई॰ टी॰ में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंकों के क्रमित वितरण के साथ केवल मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एवं प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा में प्राप्त किए गए अंकों तक ऐसे शिक्षकों की मेधा सूची तैयार करने के लिए मापदंडों को सीमित करना इप्सित करता है। अत:, याची के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, नियम 21 भेदभावपूर्ण है और केवल इंटरमीडिएट की अर्हता तक विचार के प्रभावकारी क्षेत्र को निर्बंधित करता है यद्यपि स्नातक उम्मीदवार के पास ऐसी नियुक्ति के लिए बेहतर अंक और उपयुक्तता हो सकते हैं। अत: नियम 21 को अधिनियम वर्ष 2009 की आज्ञा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एकेडमिक प्राधिकारी द्वारा विहित एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत होने के नाते अकृत एवं शून्य घोषित किया जाना चाहिए। उक्त नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 की दृष्टि में केंद्रीय विधान के विरुद्ध अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने यह जोर देने का प्रयास भी किया है कि आक्षेपित नियम अपने प्रवर्तन में भारत के संविधान के अनुच्छेदों 14 एवं 16 का पूर्वोक्त कारणों से उल्लंघनकारी है एवं भेदभावपूर्ण है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने **गुजरात राज्य एवं अन्य बनाम एस॰ डी॰ मुंशाव एवं अन्य, (1983)2 SCC 33,** मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है। उन्होंने **राजपाल शर्मा एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य**

एवं अन्य, 1985 (Supp)SCC 72, मामले में दिए गए निर्णय पर भी अपने इस निवेदन के समर्थन में विश्वास किया है कि आक्षेपित नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघनकारी है क्योंकि वे उन उम्मीदवारों, जो दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ स्नातक होने के नाते एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अन्यथा पात्र हैं, को छोड़कर मनमाना एवं भेदभावपूर्ण वर्गीकरण अधिकथित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस बिन्दु पर **जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम त्रिलोकी नाथ खोसा एवं अन्य, AIR 1974 SC 1,** और **भूतपूर्व कैप्टन ए॰ एस॰ परमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 1984 LAB I.C. 1015,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के निर्णय पर विश्वास किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने **गोविन्द कुमार दीक्षित एवं अन्य बनाम उ॰ प्र॰ राज्य एवं अन्य मामले में रिट ए॰ सं॰ 72433 वर्ष 2011** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भी निर्दिष्ट किया है।

6. डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 5234 वर्ष 2014 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन में दिनांक 29.7.2011 के पुनरीक्षित एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों को भी निर्दिष्ट किया है जिसके अधीन बी॰ एड॰ प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति भी की जा सकती थी परन्तु यह कि वह प्राथमिक शिक्षा में एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मान्यता प्राप्त छह माह का विशेष प्रोग्राम पूरा करती/करता हो। अत:, बी॰ एड॰ अर्हता पर विचार करने से इनकार करने वाली आक्षेपित नियमावली एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने-अपने जिलों में की गयी चयन प्रक्रिया को भी इस आधार पर चुनौती दिया है कि यह संबंधित जिला में कुछ मेधावी उम्मीदवारों को छोड़ दिए जाने की ओर ले जा सकता है जहाँ भाग लेने वाले हितबद्ध उम्मीदवारों की संख्या कम है। अत:, उनके अनुसार राज्य स्तर पर यह कार्य किया जाना चाहिए था तथा उम्मीदवार को उस जिला के लिए विकल्प/अधिमान का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए था जो इस तथ्य पर विचार करते हुए अधिक निष्पक्ष एवं साम्यापूर्ण हो सकता था कि ऐसे विद्यालयों में लगभग 18,000 रिक्तियों की विशाल संख्या है।

7. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री अजित कुमार ने आक्षेपित नियमावली वर्ष 2012 विरचित करने वाले राज्य की विधायी क्षमता को मान्य ठहराया है। उनका प्रतिवाद यह है कि झारखंड राज्य के माननीय राज्यपाल ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भरती करने के प्रयोजन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नियमावली विरचित किया है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, राज्य सरकार के अधीन सिविल पद पर भरती के लिए पात्रता मापदंड/अर्हता अधिकथित करना नीतिगत निर्णय के क्षेत्र के अंतर्गत है जो न्यायिक पुनर्विलोकन का विषय वस्तु नहीं है जब तक यह संविधान अथवा विधियों से असंगत अथवा मनमाना या अतार्किक नहीं है। पूर्वोक्त विवाद्यक पर, **मंगेज सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1998 (9) SCC 471; पी॰ यू॰ जोशी एवं अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद एवं अन्य, 2003 (2) SCC 632; रेलवे ऑफिसर्स एशोसिएशन फेडरेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2003 (4) SCC 289** और **संजय कुमार मंजुल बनाम अध्यक्ष, यू॰ पी॰ एस॰ सी॰ एवं अन्य, 2006 (8) SCC 42,** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया गया है। विद्वान ए॰ ए॰ जी॰ ने इस बिंदु पर आक्षेपित नियमावली एकेडमिक प्राधिकारी द्वारा विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों, जैसा अधिनियम वर्ष 2009 के अधीन अनुसूचित किया गया है, के साथ पूर्णत: संगत है, को सिद्ध करने के लिए एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों एवं आक्षेपित नियमावली को निर्दिष्ट करके अपने निवेदन को आगे पुख्ता किया है। उनका यह स्पष्ट प्रतिवाद है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भरती के लिए, अधिक विशेष रूप

से कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जो कार्य किया जा रहा है, सांविधिक प्राधिकारी ने एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के मुताबिक सचेत रूप से अर्हता अधिकथित किया है जो विशेषज्ञों के मत के क्षेत्र में है जिसमें उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय पद विशेष के लिए विशेष अर्हता विहित करने के लिए अनुच्छेद 226/32 के अधीन अधिकारिता के प्रयोग के अधीन सामान्यत: हस्तक्षेप नहीं करेगा। आक्षेपित नियमावली पद के लिए अर्हता अधिकथित करती है जो स्पष्टत: एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ संगत है और मूल अधिनियम वर्ष 2009 के साथ संगत है। प्रत्यर्थीगण के अनुसार, नियमावली वर्ष 2012 टी॰ ई॰ टी॰ में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर आधारित अंकों के वर्गीकृत वितरण के साथ मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडियट एवं प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के अधीन उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने के लिए अंत: निर्मित प्रतियोगात्मक पद्धति प्रावधानित करता है। आक्षेपित नियमावली उम्मीदवारों की मेधा जाँचने के लिए निष्पक्ष एवं एकरूप मापदंड अधिकथित करता है और इसलिए मनमानेपन अथवा भेदभाव के आधार पर इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 302 वर्ष 2014 में प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल प्रतिशपथ पत्र में विनिर्दिष्ट प्रकथन किए गए हैं कि दिनांक 29.7.2011 की एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ अधिसूचना के मुताबिक केवल दिनांक 1.1.2012 तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बी॰ एड॰ का शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वैध था किंतु तत्पश्चात एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के लिए ऐसी पात्र अर्हता विहित नहीं करता है। आक्षेपित नियमावली वर्ष 2012 दिनांक 5.9.2012 की अधिसूचना द्वारा विरचित की गयी है और प्रभाव में लायी गयी है जो प्रत्यर्थीगण द्वारा झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आक्षेपित विज्ञापन के माध्यम से संचालित किए जा रहे भरती कार्य को शासित करता है। अत:, याचीगण का प्रतिवाद कि आक्षेपित नियमावली में विधायी क्षमता की कमी है अथवा यह नियमावली वर्ष 2011 को प्रतिस्थापित करने की प्रवृति रखती है, विधि में पूर्णत: अमान्य है। यह निवेदन भी किया गया है कि याचीगण का प्रतिवाद कि आक्षेपित नियमावली एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के विपरीत है, अभिलेख से सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी पात्रता अर्हता दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ स्नातक होने की अर्हता सहित आक्षेपित नियमावली के नियम 4 में पहले ही विहित की गयी है जैसा एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन अधिकथित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि याचीगण ने भरती कार्य के प्रति पूर्णत: भ्रामक चुनौती दिया है जिसे पूरे राज्य में कक्षा I से V तक में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संचालित किया जा रहा है जहाँ लगभग 18,000 रिक्तियों की विशाल संख्या विद्यमान है। अत:, प्रत्यर्थीगण के अनुसार वर्तमान रिट याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

8. हमने पक्षों के अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना है और नियमावली वर्ष 2012 के नियम 21 की वैधता के प्रति निर्देशित परस्पर विरोधी निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। बालकों का नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 86वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 (A) के अंत:स्थापन के बाद संसद द्वारा विरचित किया गया था जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार के रूप में ऐसे तरीके से प्रावधानित करता है जैसा राज्य विधि द्वारा विनिश्चित कर सकता है। अधिनियम का व्यापक उद्देश्य प्रत्येक बालक को औपचारिक विद्यालय में प्रत्याभूत अधिकार के रूप में संतोषजनक एवं साम्यापूर्ण गुणवत्ता का पूर्णकालिक प्राथमिक शिक्षा प्रावधानित करना है जो कतिपय आवश्यक मानकों एवं स्तरों को संतुष्ट करता है। यह प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश देना, उपस्थिति एवं इसे पूरा करना प्रदान एवं सुनिश्चित करने के लिए समुचित सरकार पर बाध्यता डालता है। अत: अधिनियम वर्ष 2009 नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान में समुचित

सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों, माता–पिता, विद्यालयों एवं शिक्षकों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व विहित करता है। **राजस्थान गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय सोसाइटी बनाम भारत संघ एवं एक अन्य (ऊपर)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गयी थी। किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की वैधता मान्य ठहराते हुए अभिनिर्धारित किया कि धाराएँ 12 (1) (c) एवं 18 (3) अनुच्छेद 30 (1) के अधीन गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय को प्रत्याभूत मूल स्वतंत्रता का अतिलंघन करती हैं। पृथक्करणीयता के सिद्धांत को लागू करके, उक्त आर॰ टी॰ ई॰ अधिनियम वर्ष 2009 को ऐसे विद्यालयों पर लागू नहीं होता अभिनिर्धारित किया गया था। किंतु **प्रमती शिक्षण एवं सांस्कृतिक न्यास एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2014)8 SCC 1**, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के पश्चातवर्ती निर्णय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम वर्ष 2009 सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 के अधीन आच्छादित किया गया है पर लागू नहीं होता है और उस सीमा तक अधिकारातीत है। किंतु वर्तमान विवाद्यक अल्पसंख्यक विद्यालय से असंबंधित है और भरती कार्य झारखंड राज्य में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, विशेषत: कक्षा I से V के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किया जा रहा है।

9. अधिनियम वर्ष 2009 में बनाए गए प्रावधान के आलोक में आक्षेपित नियमावली वर्ष 2012 को चुनौती देने की गुंजाइश पर विचार करते हुए धारा 23 के प्रासंगिक प्रावधान जो नियुक्ति के लिए अर्हता एवं शिक्षकों की सेवा के निबंधन एवं शर्तों को अधिकथित करती है तथा धारा 38 जो उसमें विहित मामलों में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियमावली बनाने के लिए समुचित सरकार की शक्तियाँ प्रावधानित करती है, को यहाँ नीचे निर्दिष्ट करना उपयुक्त है। धारा 23 के मुताबिक ऐसी न्यूनतम अर्हता जैसा अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत एकेडमिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित किया गया है रखने वाला कोई व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। याचीगण द्वारा नियम 38, अधिक विनिर्दिष्टत: उसका खंड (m) जो शिक्षकों को भुगतेय वेतन एवं भत्ता तथा निबंधनों एवं शर्तों जैसा नियम 23 (3) के अधीन उपदर्शित किया गया है के संबंध में नियमों को अधिनियमित किए जाने के लिए विहित करता है, के अधीन नियम बनाने की शक्ति पर विश्वास किया गया है। केंद्र सरकार ने शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता अधिकथित करने के लिए एकेडमिक प्राधिकारी के रूप में एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ को अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया। ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों को दिनांक 23.8.2010 को और बाद में पुन: दिनांक 29.7.2011 को अधिसूचित किया गया था और ये दोनों अधिसूचनाएँ वर्तमान रिट याचिकाओं में अभिलेख पर मौजूद हैं। कक्षा I से V तक में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम अर्हता को दोनों अधिसूचनाओं के अधीन विहित किया गया है। वर्तमान विवाद के प्रयोजन से, दिनांक 29.7.2011 की अधिसूचना के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हता को यहाँ नीचे ध्यान में लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने नियमावली वर्ष 2012 के आक्षेपित नियम 21, जो याचीगण के अनुसार एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन में है, के अधीन मेधा सूची तैयार करने के लिए अधिकथित मापदंड के संबंध में दिनांक 23.8.2010 के एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन अधिकथित अन्य न्यूनतम अर्हता में प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा के साथ स्नातक होने की एक और पात्रता अर्हता जोड़ा है:–

> ***^^fnukd 29.7.2011 dh vf/klwpuk dk çkl(fxd va'k*** *,Q0 l0 61-1/2011/,u0 lh0 Vh0 b0 (,u0 ,o ,l0):—ckydk dk fu'kYd ,o vfuok; f'k{kk dk vf/kdkj vf/kfu;e] 2009 (35 o"k 2009) dh /kkjk 23 dh mi/kkjk (10) }kjk çnÙk 'kfDr;k d ç;kx e vkj fo|ky; f'k{kk ,o lk{kjrk foHkkx] ekuo lal/ku fodkl e=ky;] Hkkjr ljdkj }kjk tkjh fnukd 31 ekp] 2010 dh vf/klwpuk l0 ,l0 vk0 750 (b0) d vuljk.k e jk"Vh; v/;kid f'k{kk ifj"kn (,u0 lh0 Vh0*

b0) f'k{kd d :i e fu;fDr d fy, ik= gku d fy, fdlh 0;fDr d fy, U;ure vgrk vfèkdfFkr djr g, fnukd 23 vxLr 2010 d ,Q0 l0 661-1/2011 ,u0 lh0 Vh0 b0 (,u0 ,o ,l0) ,rn }kjk çe[k vfèklpuk d :i e fufn"V d rgr Hkkjr d xtV] vlkèkkj.k] Hkkx&III lD'ku 4 e çdkf'kr fnukd 25 vxLr] 2010 dh vfèklpuk l0 215 e fuEufyf[kr l'kkèku djrk g vFkkr%&

(1) çe[k vfèklpuk d ijk 1 d mi&ijk (i) e fuEufyf[kr çfrLFkkfir fd;k tk,xk vFkkr%&

(i) d{kk ı l v

(a) lhfu;j ldMjh (vFkok bld lerY;) (ftl fdlh Hkh uke l Kkr) e de l de 50% vd ,o çkFkfed f'k{kk e nk o"kh; fMIykek(vFkok

,u0 lh0 Vh0 b0 (ekU;rk ekud ,o çfØ;k) fofu;eu] 2002 d vulkj lhfu;j ldMjh vFkok bld lerY; (ftl fdlh Hkh uke l Kkr) d lkFk de l de 45% vd ,o çkFkfed f'k{kk e nk o"kh; fMIykek(vFkok

de l de 50% vdk d lkFk lhfu;j ldUMjh ¼vFkok bld lerY;½ rFkk f'k{kk ¼fo'k"k f'k{kk½ e nk o"kh; fMIykek(;k

Lukrd rFkk ikFkfed f'k{kk e nk o"kh; fMIykek ¼pkg ftl Hkh uke l tkuk tk;½(,o

*(b) ,u0 lh0 Vh0 b0 }kjk bl i;ktu l fojfpr ekxfun'kk d vu:i ;Fkkfpr ljdkj }kjk lpkfyr f'k{kd ik=rk ijh{kk (TET) e mÙkh.kA***

10. नियमावली वर्ष 2012 के नियम 4 एवं नियम 21 को भी यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

"4. f'k{kd ik=rk ijh{kk e 'kkfey gku d fy, U;ure vgrk,¡ fuEuor gkxh %

¼d½ Hkkjr dk ukxfjd gk]

¼[k½ 'k{kf.kd ,o i'k{kf.kd ;kX;rk,¡ %

¼i½ ikFkfed d{kk d f'k{kdk dh fu;fDr gr&

¼v½ U;ure 50 ifr'kr vdk d lkFk mPprj ek/;fed vFkok bld led{k rFkk ikjfHkd f'k{kk e f}o"kh; fMIykek ¼pkg ml dkb Hkh uke fn;k x;k gk½

vFkok

U;ure 45 ifr'kr vdk d lkFk mPprj ek/;fed vFkok bld led{k ,o ikjfHkd f'k{kk 'kkL= e f}o"kh; fMIykek ¼pkg ftl fdlh uke l tkuk tkrk gk½] tk jk"Vh; v/;kid f'k{kk ifj"kn ¼ekU;rk] ekun.M vkj fØ;kfof/k½ fofu;e] 2002 d vulkj ikIr x;k gkA

vFkok

U;ure 50 ifr'kr vdk d lkFk mPprj ek/;fed vFkok bld led{k rFkk 4 o"kh; ikjfHkd f'k{kk 'kkL= e Lukrd ¼ch0,y0,M0½

vFkok

U;ure 50 ifr'kr vdk d lkFk mPprj ek/;fed vFkok blds led{k rFkk f'k{kk 'kkL= ¼fo'k"k f'k{kk½ e f}o"kh; fMIykek

vFkok

Lukrd rFkk ikjfHkd f'k{kk e f}o"kh; fMIykek ¼pkg ftl fdlh uke l tkuk tkrk gk½

,o

¼c½ jk"Vh; v/;kid f'k{kk ifj"kn }kjk fu:fir ekxn'kh fl)kUrk d v/khu >kj[k.M ljdkj }kjk d{kk 1 l d{kk 5 d fy; vk;kftr v/;kid ik=rk ijh{kk ¼VhObOVhO½ e mRrh.k

¼ii½ mPp ikFkfed d{kk d f'k{kdk dh fu;fDr gr&

¼v½ Lukrd vFkok blds led{k vkj ikjfHkd f'k{kk e f}o"kh; fMIykek ¼pkg ftl fdlh uke l tkuk tkrk gk½

vFkok

U;ure 50 ifr'kr vdk d lkFk Lukrd ¼vFkok blds led{k½ ,o f'k{kk 'kkL= e ,d o"kh; Lukrd ¼chO,MO½

vFkok

U;ure 45 ifr'kr vdk d lkFk Lukrd ¼vFkok blds led{k½ ,o f'k{kk 'kkL= e ,d o"kh; Lukrd ¼chO,MO½ tks bl lc/k e le;≤ ij tkjh fd; x; jk"Vh; v/;kid f'k{kk ifj"kn ¼ekU;rk] ekun.M rFkk fØ;kfof/k½ fofu;ek] d vuqlkj ikIr fd;k x;k gk

vFkok

U;ure 50 ifr'kr vdk d lkFk mPprj ek/;fed ¼vFkok blds led{k½ ,o 4 o"kh; ikjfHkd f'k{kk 'kkL= e Lukrd ¼chO,yO,MO½

vFkok

U;ure 50 ifr'kr vdk d lkFk mPprj ek/;fed ¼;k blds led{k½ ,o 4 o"kh; chO,O@chO,lOlhO,MO ;k chO,O,MO@chO,lOlhO,MO

vFkok

U;ure 50 ifr'kr vdk d lkFk Lukrd ¼vFkok blds led{k½ rFkk ,d o"kh; chO,MO ¼fo'k"k f'k{kk½

,o

¼c½ jk"Vh; v/;kid f'k{kk ifj"kn }kjk fu:fir ekxn'kh fl)kUrk d v/khu >kj[k.M ljdkj }kjk d{kk 6 l d{kk 8 d fy; vk;kftr v/;kid ik=rk ijh{kk ¼VhObOVhO½ e mÙkh.k

¼x½ vuqlfpr tkfr@tutkfr] fiNMk ox ,o fodykx dkfV d vH;fFk;k dk fu;e 4¼[k½ ¼i½ ¼v½ ,o 4¼[k½ ¼ii½ ¼v½ e vfdr U;ure ikIrkd e 5 ifr'kr dh NV nh tk;xhA

*¼?k½ ,l vH;Fkh ftudh if'k{k.k p;k ijh gk x;h gk vkj f'k{kd if'k{k.k ijh{kk dk vk;ktu gk x;k gk Hkh f'k{kd vgÝkk tkp ijh{kk e lfEefyr gk ldxA ijUr mudh vfre :i l mÝkh.krk f'k{kd if'k{k.k ijh{kk d ifj.kke ij fuHkj djxkA***

"21. fjDr ink ij f'k{kdk@ vun'kdk dh fu;fDr gr fuEufyf[kr ifØ;k d vulkj ftyk Lrj ij e/kk lph r;kj dh tk;xh&

d- bUVj if'kf{kr f'k{kdk dh fu;fDr gr e/kk lph dk fuek.k&

¼I½ bUVj if'f{kr f'k{kdk dh fu;fDr gr dkfVokj e/kk lph vH;Fkh d dy eèkk vd d vk/kkj ij ftyk f'k{kk LFkkiuk lfefr }kjk r;kj dh tk;xhA

¼II½ dy e/kk vd vH;fFk;k d 'k{kf.kd e/kk vd ,o f'k{kd ik=rk ijh{kk d e/kk dk ;kxQy gkxk] ft ldh x.kuk fuEuor dh tk;xh&

¼v½ 'k{kf.kd e/kk vd d fu/kkj.k gr vH;Fkh d efVd ijh{kk] bUVjehfM,V ijh{kk ,o f'k{kd if'k{k.k ijh{kk d ikIrkd d ifr'kr dk tkMu d mijkr ikIr ;kxQy dk rhu l Hkkx nu ij ikIr ifr'kr vH;Fkh dk 'k{kf.kd e/kk vd gkxkA fdUr] bl x.kuk e vfrfjDr fo"k; d ikIrkd dk lfEefyr ugh fd;k tk;xkA

¼c½ f'k{kd ik=rk ijh{kk d ikIrkd d vk/kkj ij vH;Fkh d f'k{kd ik=rk ijh{kk e/kk vd dk fu/kkj.k fuEu:i.k fd;k tk;xk&

i 90 % ,o bll mij & 10 vd

ii 80 % ,o bll mij fdUr 90 % l de & 06 vd

iii 70 % ,o bll mij fdUr 80 % l de & 04 vd

iv 52 % ,o bll mij fdUr 70 % l de & 02 vd

[k- Lukrd if'kf{kr f'k{kdk dh fu;fDr gr e/kk lph dk fuek.k&

¼I½ vH;fFk;k d dy e/kk vd d vk/kkj ij fo"k;okj ,o dkfVokj e/kk lph ftyk f'k{kk LFkkiuk }kjk r;kj dh tk;xhA

¼II½ dy e/kk vd vH;fFk;k d 'k{kf.kd e/kk vd ,o f'k{kd ik=rk ijh{kk d e/kk vd dk ;kxQy gkxk] ft ldh x.kuk fuEuor dh tk;xh&

¼v½ efVd ijh{kk] bUVjehfM,V ijh{kk] Lukrd ijh{kk ,o f'k{kd if'k{k.k ijh{kk d ikIrkd d ifr'kr d ;kx dk pkj l Hkkx nu ij ikIr ifr'kr vH;Fkh dk 'k{kf.kd e/kk vd gkxkA Lukrd ifr"Bk ;k led{k ;kX;rk/kkjh d ekeyk e lgk;d fo"k;k ,o ifr"Bk ;k led{k ;kX;rk d fo"k;k d ikIrkdk dk lefdr ifr'kr mud Lukrd ijh{kk dk ikIrkd ifr'kr gkxkA fdUr ikIrkd ifr'kr dh x.kuk e vfrfjDr fo"k; d ikIrkd dk ugh tkMk tk;xkA

¼c½ f'k{kd ik=rk ijh{kk d ikIrkd d vk/kkj ij vH;Fkh d e/kk vd dk fuèkkj.k fuEu:i.k fd;k tk;xk&

i 90 % ,o bll mij & 10 vd

ii 80 % ,o bll mij fdUr 90 % l de & 06 vd

iii 70 % ,o bll mij fdUr 80 % l de & 04 vd

*iv 52 % ,o bll mij fdUr 70 % l de & 02 vd***

11. नियमावली वर्ष 2012 के नियम 21क (ii) के मुताबिक, मेधा सूची तैयार करने के लिए मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एवं प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा में प्राप्त अंकों को जोड़ा जाना है और तत्पश्चात उसे 3 से विभाजित किया जाना है। ऐसे अंकों की संगणना पर, टी॰ ई॰ टी॰ में प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत के आधार पर अर्जित प्वायन्टों को यहाँ ऊपर दर्शाए गए तरीके से जोड़ा जाना है। उदाहरणस्वरुप, कोई व्यक्ति जिसने मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एवं प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा में प्राप्त किए गए अंकों को जोड़ने पर 180 अंक पाया है, ऐसे विभाजन पर 60 अंक पाएगा। यदि ऐसे उम्मीदवार ने टी॰ ई॰ टी॰ में 90% से अधिक प्राप्त किया है, पूर्वोक्तानुसार 60 अंकों में 10 प्वायंट जोड़े जाएँगे ताकि मेधा सूची तैयार करते हुए ऐसे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल समेकित 70 अंक पर पहुँचा जा सके। अत:, मेधा सूची तैयार करने के लिए उम्मीदवार के एकेडमिक कैरिअर में मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एवं प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा से शुरू करके विभिन्न शिक्षण परीक्षाओं में प्राप्त अंक के साथ टी॰ ई॰ टी॰ में अंकों के प्रतिशत पर प्राप्त प्वायंट को जोड़ा जाना है। उक्त मापदंड एवं प्रणाली विज्ञान पर जाँचा गया आक्षेपित नियम 21 किसी तरीके से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। बल्कि यह उसके शिक्षण कैरियर में उसके प्रदर्शन के साथ प्रतियोगात्मक टी॰ ई॰ टी॰ पर आधारित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए समस्त पात्र उम्मीदवारों पर प्रयोज्य एकरुप मापदंड अधिकथित करता है जैसा अधिनियम वर्ष 2009 एवं एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन आवश्यक बनाया गया है। किसी व्यक्ति जिसके पास प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के साथ स्नातक होने की अर्हता है को भरती में भाग लेने से बहिष्कृत नहीं किया गया है किंतु मेधा सूची तैयार करने के प्रयोजन से आक्षेपित नियम के अधीन विहित तरीके से इंटरमीडिएट स्तर तक प्राप्त किए गए अंकों को गिना जाना है। अत:, याची का प्रतिवाद कि न्यूनतम पात्रता अर्हता अधिकथित करते हुए आक्षेपित नियम एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ संगत नहीं है, सही नहीं है। अत: याचीगण का प्रतिवाद कि आक्षेपित नियम वर्गीकरण करता है जो भेदभावपूर्ण है, सही नहीं है जैसा प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसका प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा I से V तक के लिए शिक्षकों की भरती करने के लिए निश्चित तर्काधार है, की अध्यापक प्रशिक्षण अर्हता अधिकथित करने के संबंध में भी यहाँ ऊपर की गयी चर्चा से प्रतीत होगा। मेधा सूची तैयार करने के लिए पूर्वोक्त पात्रता मापदंड को भेदभाव के दोष से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है और उस बिंदु पर डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ सं॰ 302 वर्ष 2013 में याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों कुस्थापित है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता इस प्रतिपादना पर कि राज्य सरकार के अधीन सिविल पद पर भरती के लिए पात्रता मापदंड/अर्हता अधिकथित करना नीतिगत निर्णय के क्षेत्र के अंतर्गत है और इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के अध्यधीन केवल तब किया जा सकता है यदि यह संविधान अथवा विधि के साथ असंगत है अथवा मनमाना अथवा अतार्किक है, **मंगेज सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (ऊपर), पी॰ यू॰ जोशी एवं अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद एवं अन्य (ऊपर), फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स ऐसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ (ऊपर)** और **संजय कुमार मंजुल बनाम अध्यक्ष, यू॰ पी॰ एस॰ सी॰ एवं अन्य (ऊपर)** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विश्वास करके अपने निवेदनों को आधारित करने में सही हैं।

12. नियमावली वर्ष 2011 का नियम 14 केवल यह अधिकथित करता है कि केंद्र सरकार का अधिसूचित प्राधिकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की पात्रता अर्हता विहित करेगा। ऐसी पात्रता अर्हता एकेडमिक प्राधिकारी अर्थात् एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा दिनांक 23.8.2010 एवं दिनांक 29.7.2011 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के मुताबिक अधिकथित किया गया है जिसे नियमावली वर्ष 2012

में सम्मिलित किया गया है। याची का प्रतिवाद यह है कि नियमावली वर्ष 2012 उस क्षेत्र जिसे नियमावली वर्ष 2011 द्वारा आच्छादित किया गया है को विस्थापित करने का आशय रखता है, विधि में अमान्य है। नियमावली वर्ष 2011 भी नियमावली वर्ष 2009 के नियम 38 सह–पठित भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में विरचित किया गया है। आक्षेपित नियम भी न्यूनतम पात्रता अर्हता, जैसा एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा अधिनियम वर्ष 2009 एवं नियमावली वर्ष 2011 के अनुरुप विहित किया गया है, अधिकथित करने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन विरचित किया गया है। यद्यपि नियमावली वर्ष 2012 विनिर्दिष्टत: अधिनियम वर्ष 2009 के अधीन राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के प्रति निर्देश नहीं करती है किंतु उसके अधीन विरचित प्रावधान नियमावली के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ स्पष्टत: दर्शाते हैं कि वे झारखंड राज्य में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की भरती किए जाने के लिए अधिनियम वर्ष 2009 के प्रावधान को अग्रसर करते हैं। नियम 2 का परिभाषा खंड स्पष्टत: प्राधिकारी के रूप में एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ के बारे में कथन करता है जो टी॰ ई॰ टी॰ का पात्रता मापदंड विहित करता है तथा एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता का प्रावधान करता है। नियम 3 टी॰ ई॰ टी॰ का प्रावधान करता है जो 2009 अधिनियम के अधीन एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन आवश्यकता है। नियम 4 जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षण एवं पात्रता अर्हता विहित करता है भी एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुकूल है। अत:, याचीगण का प्रतिवाद कि राज्य सरकार ने नियमावली वर्ष 2011 के इसके द्वारा आच्छादित किए गए क्षेत्र के अस्तित्वयुक्त होने के दौरान वर्तमान नियमावली विरचित किया है, तर्क पर खरा नहीं उतरता है। विधि के प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जाना अथवा इसका गलत उल्लेख मात्र नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग को विधि की दृष्टि में अवैध अथवा गैर विद्यमान नहीं बनाएगा। शक्ति के ऐसे स्रोत को विधायी अधिनियमन तक देखा जा सकता है जो अधिनियम वर्ष 2009 एवं उसके अधीन विरचित नियमावली है। इस संबंध में, **गुजरात उच्च न्यायालय एवं एक अन्य बनाम गुजरात किसान मजदूर पंचायत एवं अन्य, (2003)4 SCC 712,** मामले में और **मो॰ शहाबुद्दीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, (2010)4 SCC 653,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सुनिश्चित विधिक अवस्था दोहराते हैं। **गुजरात उच्च न्यायालय एवं एक अन्य (ऊपर)** के मामले में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक पैरा 53 को यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

> *^^ijk 53. vkx ;g io l çpfyr g fd fofèk d çkoèkku dk xj&mYy[k vFkok xyr mYy[k vkn'k dk vfofèkekU; ugh cuk,xk ;fn mldk lkr lkekU; fofèk vFkok lfofèk d vèkhu ik;k tk ldrk gA***

मो॰ शहाबुद्दीन (ऊपर) के मामले में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक पैरा 207 एवं 208 को भी यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

> *^^ijk 207. ,u0 ef.k cuke lxhFkk fFk,Vj e] bl U;k;ky; dh f=&U;k;kèkh'k ihB u fuEufyf[kr lçf{kr fd;k g% (SCC p 280, ijk 9)*
>
> *"9. ;g lfuf'pr g fd ;fn çkfèkdkjh d ikl fofèk d vèkhu 'kfDr g] ek= blfy, fd ml 'kfDr dk ç;kx djr g, 'kfDr d lkr dk fofufn"Vr% fufn"V ugh fd;k x;k g vFkok fofèk d xyr çkoèkku d çfr fun'k fd;k x;k g] og Lo; e 'kfDr d ç;kx dk rc rd nf"kr ugh djxk tc rd 'kfDr fo|eku g vkj fofèk e miyCèk lkr rd mldk n[kk tk ldrk gA***
>
> *ijk 208. ;g lLFkkfir fofèk g fd tc dkb çkfèkdkjh vkn'k ikfjr djrk g tk bldh l{kerk d vrxr g] ;g ek= blfy, foQy ugh gk ldrk g D;kfd ;g xyr çkoèkku d vèkhu ikfjr fd, tku d fy, rkRif;r g ;fn bl fdlh vU; çkoèkku vFkok fu;e d vèkhu bldh 'kfDr d vrxr n'kk;k tk ldrk g vkj ,l vk{kfir vkn'k dh oèkrk dk bld lkj vkj u fd bld Lo#i ij fopkj*

*djd tkpuk gkxkA fl)kr ;g g fd ge ykd lod d ÑR; dk Hkkj okLrfod fo|eku çkfèkdkj ij Mkyuk gkxk ft ld vèkhu bl oèkrk gkxh vkj u fd ,l çkfèkdkj ij ft ld vèkhu ;g 'kU; gkxkA ,l ekeyk e] U;k;ky; lno lkfofèkd mièkkj.kk dju d fy, lk{; vfèkfu;e dh èkkjk 114 mnkgj.k (e) ij fo'okl djxk fd vfèkdkfjd ÑR;k dk ikyu fu;fer :i l fd;k tkrk g vkj lr"V gku ij fd ç'uxr dkjokb dk lkfofèkd 'kfDr rd n[kk tk ldrk g] U;k;ky; ,lh jkT; dkjokb dk ekU; Bgjk,xkA (bl lcèk e ih0 ckyk dkVV;k cuke Hkkjr l?k(y[kjkt lFkjkenkl ykyok.kh cuke dLVkfM;u&lg&euftx vkfQlj] ih;jyl tujy fQukU l ,.M bUoLVeV d0 fy0 cuke vkj0 ch0 vkb0 vkj ch0 ,l0 b0 ckdj Qkje cuke ,l0 b0 ch0 vkb0 e bl U;k;ky; d fu.k;k d çfr fun'k fd;k tk ldrk gA)***

यहाँ ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **ए॰ बी॰ कृष्णा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य (ऊपर)** में निर्णय पर किया गया विश्वास वर्तमान मामले के तथ्यों पर प्रयोज्य नहीं है।

13. इस आधार पर आक्षेपित नियम को चुनौती कि यह ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों की मेधा सूची तैयार करने के लिए मापदंड के रूप में बी॰ एड॰ डिग्री के साथ स्नातक होने की अर्हता सम्मिलित नहीं करता है, विधिक संवीक्षण की परीक्षा पर खरा नहीं उतरता है। वर्तमान नियमावली मुख्यत: प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भरती के लिए विरचित की गयी है और उन शिक्षकों को प्रोत्साहन देने के लिए बनायी गयी है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। अत: प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए व्यक्ति को बाल मनोविज्ञान एवं मासूम उम्र में बालक के विकास से अवगत होना होगा। उम्मीदवार जो बी॰ एड॰ डिग्री में प्रशिक्षित हैं, आवश्यकत: प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने के लिए एवं मासूम उम्र के बालक का मनोविज्ञान समझने के लिए साधनयुक्त नहीं हैं। यह विवाद्यक पहले **योगेश कुमार एवं अन्य बनाम एन॰ सी॰ टी॰ सरकार, दिल्ली एवं अन्य, 2003 (3) SCC 548** में सामने आया था। नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद के लिए भरती नियमों ने पद के लिए आवश्यक अर्हता के रूप में अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र विहित किया। उम्मीदवारों जिनके पास बी॰ एड॰ डिग्री थी के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ऐसे पद पर भरती के लिए इस आधार पर पात्र होने का प्रतिवाद कि यह टी॰ टी॰ सी॰ की तुलना में उच्चतर अर्हता थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नकार दिया गया था। पूर्वोक्त विषय के पैरा 5 एवं 8 में अंतर्विष्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मत को यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"ijk 5. fnYyh mPp U;k;ky; dh [kMihB u vk{kfir fu.k; e mDr nk rdk ij foLrkjiod fopkj fd;k gA gekj lfopkfjr er e] ;g lgh çdkj l bl fu"d"k ij vk;k g fd ch0 ,M0 vgrk] ;|fi ;g f'k{k.k ,o f'k{kk d {k= e lekU; rk çkIr vgrk g] dk foKkiu e fofgr ugh fd, tku d dkj.k ch0 ,M0 mEehnokjk e l dN dk] ftUgku in d fy, vkonu nu dk ekdk fy;k] p;u d {k= e ço'k ugh fn;k tk ldrk gA ge ;g Hkh ikr g fd mPp U;k;ky; lgh çdkj l bl fu"d"k ij vk;k g fd ch0 ,M0 ikB;Øe d fy, f'k{kdk dk fn;k x;k vè;kid çf'k{k.k mudk mPprj d{kkvk dk i<ku d fy, leFk cukrk gA çkFkfed Lrj ij NkV ckydk dk i<ku d fy, f'k{kdk dk nh x;h fof'k"VhÑr çf'k{k.k dh ryuk ch0 ,M0 fMxh ipkV dju d fy, fn, x, çf'k{k.k d lkFk ugh dh tk ldrh gA ek= blfy, fd çkFkfed f'k{kd Hkh mPprj d{kkvk e i<ku d fy, f'k{kdk d in ij çkUufr vftr dj ldr g vkj ft ld fy, ch0 ,M0 fofgr vgrk g] ;g vfHkfuèkkfjr ugh fd;k tk ldrk g fd VhO VhO lhO dh*

ryuk e chO ,MO mPprj vgrk gA VhO VhO lhO vgrk dh fHkUu çÑfr dk n[kr g, mPp U;k;ky; u lgh çdkj l vfHkfuèkkfjr fd;k fd ;g chO ,MO fMxh vgrk d lkFk ryuh; ugh g vkj ckn oky fMxh d igy okyh dh ryuk e mPprj vgrk ugh ekuk tk ldrk gA

*ijk 8. fn;k x;k ;g vfre rd ge fcYdy çHkkfor ugh djrk gA ykd lokvk d fy, Hkjrh foKkiu ,o Hkjrh fu;ek] ;fn gk] d fucèkuk d vu#i dBkjrkiod fd;k tkuk pkfg,A fu;ek l foiFku vik= 0;fDr;k d ço'k dk vuefr nrk g vkj db vU; tk in d fy, Lièkk dj ldr Fk dk ofpr djrk gA ek= blfy, fd foxr e chO ,MO mEehnokjk ij fopkj dju d fy, dN foiFku ,o çLFkku fd;k x;k Fkk vkj ge crk;k x;k g fd ,lk VhO VhO lhO mEehnokjk dh deh d dkj.k fd;k x;k Fkk] ge Li"V voèkrk dk tkjh j[ku dh vuefr ugh n ldr gA Hkjrh çkfèkdkjhx.k lvoxr Fk fd VhO VhO lhO ,o chO ,MO vgrk oky mEehnokj miyCèk g] fQj Hkh mUgku fu;fDr d fy, doy VhO VhO lhO ,o chO ,MO vgrk oky mEehnokj miyCèk g] fQj Hkh mUgku fu;fDr d fy, doy VhO VhO lhO mÙkh.k mEehnokjk rd ço'k fucfèkr djuk pukA Hkjrh d fy, uhfr fodflr dju ,o lkr ftll Hkjrh fd;k tkuk g fofuf'pr dju dh NV Hkjrh dju oky çkfèkdkfj;k dk gA tgk rd chO ,MO vgrk dk lcèk g] djy l mnHkr gku oky lcfèkr vihyk (lhO ,0 lO 1726-28 o"k 2001) ftUg bl vihy d lkFk luk x;k g e geu igy gh nf"Vdk.k viuk;k g fd VhO VhO lhO vgrk dh ryuk e chO ,MO vgrk dk mPprj vgrk d :i e ugh ekuk tk ldrk g D;kfd çek.k i= d çnku d fy, vkj fMxh d fy, fn, x, çf'k{k.k dh çÑfr fcYdy fHkUu g vkj mud chp fdlh Hkh rjg dh lerY;rk ugh gA gekj le{k ;g ç{kfir fd;k x;k g fd oreku e çkFkfed fo|ky; e Hkjrh d fy, miyCèk vfèkd mEehnokj chO ,MO dkfV l g vkj cgr FkkM VhO VhO lhO dkfV l gA D;k iokDr dkj.kk l chO ,MO vgrk Hkh çkFkfed f'k{kdk d fy, fofgr dh tk ldrh g] lcfèkr çkfèkdkfj;k }kjk fopkj fd;k tkuokyk ç'u g fdr ge foKkfir oreku fjfDr;k d fy, ik= d :i e chO ,MO mEehnokjk ij fopkj ugh dj ldr gA gekj nf"Vdk.k e] fnYyh mPp U;k;ky; dk [kMihB bl fu"d"k ij vku e i.krh U;k;kfpr Fkk fd çkfèkdkfj;k }kjk lgh çdkj l chO ,MO mEehnokjk dk çkFkfed f'k{kd d :i e p;u ,o fu;fDr l vioftr fd;k x;k FkkA ge ;g Li"V djr g fd ge foxr e tkjh foKkiuk d vulj.k e çkFkfed f'k{kdk d :i e fu;fDr fdlh chO ,MO mEehnokj ij dkb er vfHk0;Dr dju d fy, ugh dgk x;k g vkj gekjk fu.k; doy ml foKkiu rd lhfer g tk mPp U;k;ky; d le{k vkj bl vihy e pukrh d vèkhu FkkA***

14. दिलीप कुमार घोष एवं अन्य बनाम अध्यक्ष एवं अन्य, (2005)7 SCC 567, में एक बार फिर भरती नियम जिसके अधीन प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग/प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की अर्हता अधिकथित किया जाना और अपीलार्थी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त बी॰ एड॰ डिग्री के विरुद्ध अंकों से इनकार किया जाना, क्योंकि वे जे॰ बी॰ टी॰/पी॰ टी॰ टी॰ सी॰ के धारक नहीं थे, चुनौती के अधीन था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें प्रश्नगत भरती नियमों पर विचार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का सिलेबस एवं पाठ्यक्रम बालकों के वातावरण, वृद्धि, विकास, बाल मनोविज्ञान, बालदर्शन शास्त्र, आदि पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि जेनरिक प्रकृति के बी॰ एड॰ जैसे उच्चतर पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम बालमनोविज्ञान जैसे विषयों को अंतर्विष्ट नहीं करता है। अत:, यह स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया गया था कि बी॰ एड॰ डिग्री धारकों को प्रशिक्षण अर्हता के विरुद्ध अंकों से सही प्रकार से इनकार किया गया था क्योंकि वे जे॰ बी॰ टी॰/पी॰ टी॰ टी॰ सी॰ धारक नहीं थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पी॰ एम॰ लथा एवं एक अन्य बनाम**

केरल राज्य एवं अन्य, (2003)3 SCC 541, मामले में और **योगेश कुमार एवं अन्य बनाम एन॰ सी॰ टी॰ की सरकार, दिल्ली एवं अन्य (ऊपर)** मामले में भी दिए गए पूर्व निर्णयों पर विचार किया। पैरा 13 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मत यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है क्योंकि यहाँ अंतर्ग्रस्त विवाद्यक उक्त निर्णय में अधिकथित सिद्धांत द्वारा पूरी तरह आच्छादित हैं:–

^^ijk 13. çkFkfed fo|ky;k e f'k{kdk dh fu;fDr d fy, fu;ek] dfjdye] flycl dh mDr 0;[;k l tk lkeu vkrk g og fuEufyf[kr g%

"(i) tfu;j cfld Vfux vkj çkFkfed f'k{kd çf'k{k.k çek.k i= d ekey e tkj ckyd d fodkl ij gA çkFkfed f'k{kk d{kk ıv rd gA rRi'pkr feMy] ldMjh ,o gk;j ldMjh f'k{kk gA fdr çkFkfed fo|ky; e ekle me d ckydk d eukfoKku ,o fodkl dk vè;;u djuk gkxkA 0;fDr tk ch0 ,M0 fMxh e çf'kf{kr g vko';dr% çkFkfed d{kk d Nk=k dk i<ku d fy, leFk ugh gk ldrk g D;kfd og vkjfHkd pj.k d ckyd dk eukfoKku le>u d fy, lkèku;Dr ugh gA

(ii) ;g doy tfu;j cfld Vfux ikB;Øe ,o çkFkfed f'k{kd çf'k{k.k çek.k i= ikB;Øe d dfjdye d çfr fof'k"V gA vr%] dfjdye dk n[kr g, nkuk ikB;Øek d chp lfHkUurk dk vfèkeY;u fd;k tk ldrk g vkj ;gh uhfr viu lkfofèkd 'kfDr d ç;kx e jkT; }kjk fojfpr fu;ekoyh e ifjyf{kr gkrk gA

(iii) ;g çfriknuk Lohdkj djuk fd mEehnokj tk ch0 ,M0 fMxh vFkkr mPprj fMxh èkkj.k djrk g dk çkFkfed fo|ky; f'k{kd d in ij fu;fDr l ofpr ugh fd;k tk ldrk g] fu;ekoyh d y{; ,o mí'; ftl ç;ktu l bl fojfpr fd;k x;k g dk udkj nxkA

(iv) bu fu;ek dk e[;r% çkFkfed fo|ky;k d fy, f'k{kdk dh Hkjrh d fy, fojfpr fd;k x;k Fkk vkj ml lnHk e mEehnokjk tk çkFkfed fo|ky;k e i<ku d fy, fofufn"Vr% çf'kf{kr g dk J; nu d fy, fu;ek dk cuk;k x;k FkkA bu fu;ek dk fojfpr fd, tku d ihN fopkj ;g Fkk fd tfu;j cfld Vfux vkj çkFkfed f'k{kd çf'k{k.k çek.k i= çf'kf{kr f'k{kdk dk fu;Dr fd;k tkuk pkfg, rkfd o ekle me d ckyd dk lefpr f'k{kk çnku dj ld ftudk fo'k"kK dh t:jr gA

*(v) fu;e 6(d) e vrfo"V çfr"kèk g fd mPprj vgrk d fy, vfrfjDr J; ugh fn;k tk,xkA***

15. सिविल अपील सं॰ 7983-7986 वर्ष 2009 में पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम अनीता एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.9.2014 को पारित हाल के निर्णय में **पी॰ एम॰ लथा एवं एक अन्य (ऊपर)** और **योगेश कुमार एवं अन्य (ऊपर)** मामलों में दिए गए निर्णयों पर विश्वास करते हुए यही दृष्टिकोण दोहराया गया है।

16. अत: सुरक्षित रूप से यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि आक्षेपित नियमावली न तो प्रत्यर्थी राज्य की विधायी क्षमता के परे है और न ही अधिनियम वर्ष 2009 के उल्लंघन में है और यह नियमावली वर्ष 2011 द्वारा आच्छादित बताए गए क्षेत्र को विस्थापित नहीं करता है। आक्षेपित नियमावली वस्तुत: एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ संगत है जो प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता अर्हता अधिकथित करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की ऐसी नियुक्ति के लिए अर्हता विहित करने के लिए अनन्य कार्य क्षेत्र वाले भरती करने वाले निकाय को ऐसी नियुक्ति के लिए बी॰ एड॰ अर्हता अपवर्जित करके ऐसे पद के प्रति नियुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा

में डिप्लोमा (जिस किसी नाम से इसे बुलाया जाता है) के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता विहित करने में कोई अवैधता अथवा भेदभाव करता नहीं कहा जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं के प्रति शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता अधिकथित करने का तर्काधार स्पष्ट रूप से **पी॰ एम॰ लथा एवं एक अन्य (ऊपर)** और **दिलीप कुमार घोष एवं अन्य बनाम अध्यक्ष एवं अन्य** मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है और **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम अनीता एवं अन्य (ऊपर)** में आगे विश्वास किया गया है। प्रत्यर्थीगण ने डब्ल्यू॰ पी॰ एस॰ सं॰ 7508 वर्ष 2013 में अपने प्रतिशपथ पत्र में स्पष्ट बयान दिया है कि एन॰ सी॰ टी॰ ई॰ ने पत्र सं॰ 62-1/2004 के तहत स्पष्ट किया कि इग्नू से प्राप्त किया गया शिक्षक प्रशिक्षण एवं डी॰ पी॰ ई॰ प्रमाण पत्र प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैध अर्हता है। अत:, याची का प्रतिवाद कि प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा ऐसी नियुक्ति के लिए वैध अर्हता नहीं है, तथ्यों से एवं विधि में अमान्य है। अत: याचीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विश्वास किए गए निर्णय खासकर बी॰ एड॰ अर्हता के विरोधात्मक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के लिए समुचित तौर पर में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण अर्हता अधिकथित करने वाले भरती नियमों की वैधता मान्य ठहराने वाले माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट उद्घोषणा की दृष्टि में उनकी मदद नहीं करते हैं। अत: पूर्वोक्त आधार पर नियमावली की वैधता को चुनौती को आवश्यकत: विस्तृत कारणों एवं यहाँ ऊपर की गयी चर्चा की दृष्टि में और यहाँ ऊपर विश्वास किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विवाद्यक पर निर्णय की दृष्टि में भी विफल होना होगा।

17. अत: गुणागुण रहित होने के कारण रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

हरखन कुमार सिंह

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

L.P.A. Nos. 257 of 2013 with I.A. No. 7278 of 2013. Decided on 27th January, 2015.

सेवा विधि–अनिवार्य सेवानिवृत्ति–डी॰ एस॰ पी॰ द्वारा जाँच किए जाने के बाद याचीगण को जाँच रिपोर्ट तामील नहीं किया गया था–अनिवार्य सेवानिवृत्ति का मुख्य दंड अधिरोपित करने के पहले कारण बताओ नोटिस के साथ जाँच रिपोर्ट नहीं दिए जाने से याची पर प्रतिकूल प्रभाव कारित हुआ है और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के भंग के तुल्य है–आक्षेपित निर्णय अपास्त, एल॰ पी॰ ए॰ अनुज्ञात। (पैराएँ 17 से 22)

निर्णयज विधि.–(1993) 4 SCC 727 Paras 25, 28 and 29—Relied upon.

अधिवक्तागण.–M/s Dr. S.N. Pathak, Diwakar Upadhyay & Faiyaz Ahmad, For the Appellant; Mr. R.S. Mazumdar, For the Respondents.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–

आई॰ ए॰ सं॰ 7278 वर्ष 2013

आवेदक अपीलार्थी ने दिनांक 6.9.2011 के निर्णय/आदेश से व्यथित होकर, जिसके द्वारा उसको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली उसकी रिट याचिका डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰)

सं॰ 3627 वर्ष 2005) खारिज कर दिया गया है, संलग्न लेटर्स पेटेन्ट अपील (एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 257 वर्ष 2013) दाखिल किया है जिसमें 661 दिनों का विलंब है जिसकी माफी के लिए वर्तमान आवेदन के माध्यम से प्रार्थना की गयी है जिसका विद्वान महाधिवक्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया है।

2. आवेदक/अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एस॰ एन॰ पाठक निवेदन करते हैं कि नि:संदेह संलग्न अपील दाखिल करने में भारी विलंब हुआ है, किंतु गुणागुण पर आवेदक अपीलार्थी का मामला इस कारण से बहुत मजबूत है कि उसको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने वाला आदेश विधिक त्रुटि के कारण विधि की दृष्टि में संपोषणीय नहीं है क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने के पहले आवेदक अपीलार्थी पर जाँच रिपोर्ट एवं द्वितीय कारण बताओ नोटिस तामील नहीं किया गया था जो अनिवार्य है और विद्वान रिट न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण पहलू को विचार में नहीं लिया गया है। श्री पाठक ने निवेदन किया कि यदि संलग्न अपील दाखिल करने में पूर्वोक्त विलंब को माफ नहीं किया जाता है, यह आवेदक अपीलार्थी पर गंभीर प्रतिकूलता कारित करेगा जिसके पास अन्यथा गुणागुण पर अत्यन्त मजबूत मामला है।

3. श्री पाठक निष्पक्षत: कथन करते हैं कि संलग्न लेटर्स पेटेन्ट अपील अनुज्ञात किए जाने की स्थिति में आवेदक अपीलार्थी अपनी पिछली मजदूरी का महत्वपूर्ण भाग छोड़ देने के लिए तैयार एवं इच्छुक है, शायद संलग्न अपील दाखिल करने में पूर्वोक्त विलंब के कारण पिछली मजदूरी के आधे की सीमा तक। वह आवेदक अपीलार्थी से अनुदेश लेने के बाद न्यायालय में यह बयान देते हैं।

4. मामले के विचित्र तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ संपूर्ण विवाद विधिक विवाद्यक और न्यायालय में श्री पाठक द्वारा दिए गए बयान के इर्द गिर्द घूमता है, हम एतद् द्वारा संलग्न लेटर्स पेटेन्ट अपील दाखिल करने में 661 दिन के विलंब को माफ करते हैं, और गुणागुण पर इसे सुनने के लिए मुख्य अपील को बोर्ड पर लेते हैं।

5. तद्नुसार, आई॰ ए॰ सं॰ 7278 वर्ष 2013 निपटाया जाता है।

<u>एल॰ पी॰ ए॰ सं॰ 257 वर्ष 2013</u>

6. अपीलार्थी रिट याची (संक्षेप में 'याची') जब उस पर दिनांक 11.7.2003 का आदेश सं॰ 260 दिया गया था, जिसके द्वारा उसको अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया था, रिट याचिका (डब्ल्यू॰ पी॰ (एस॰) सं॰ 3627 वर्ष 2005) के माध्यम से रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था जो अब विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 6.9.2011 के निर्णय/आदेश के तहत खारिज कर दी गयी है। अत: वर्तमान लेटर्स पेटेन्ट अपील की गयी है।

7. अभिकथन जो आरक्षी उप-अधीक्षक द्वारा संचालित जाँच का विषय वस्तु यह बन गया है कि याची ने देव कुमार सिंह से 2500/- रुपयों की राशि और गोपाल प्रसाद सिन्हा से 5000/- रुपयों की राशि (दोनों सेवानिवृत्त व्यक्ति) उनको यह आश्वासन देते हुए लिया था कि वह उनको पेंशन के प्रदान से संबंधित मामले में आवश्यक सहयोग करेगा। याची को नोटिस जारी किया था, जिस पर उसके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे असंतोषजनक पाया गया था और अंतत: आरक्षी उप-अधीक्षक ने याची को आरोप का दोषी अभिनिर्धारित करते हुए दिनांक 23.6.2003 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तब कमान्डेन्ट (अनुशासनिक प्राधिकारी) द्वारा मामला सुना गया था जिन्होंने याची को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करते हुए दिनांक 11.7.2003 के मेमो सं॰ 260 में अंतर्विष्ट आदेश पारित किया। उसने उक्त आदेश से व्यथित होकर, आरक्षी उप-महानिरीक्षक के समक्ष अपील दाखिल किया जिसे भी दिनांक 28 सितंबर, 2004 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। रिट याचिका में याची द्वारा इन दो आदेशों को चुनौती दिया गया था।

8. विद्वान रिट न्यायालय ने मामले के ताथ्यिक पहलू को विचार में लेते हुए और याची के विरुद्ध कुछ सीमा तक प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद अंततः अभिनिर्धारित किया कि याची को दोषी अभिनिर्धारित करने वाली जाँच रिपोर्ट पूर्ण साक्ष्य पर आधारित थी, अतः उसको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने वाला दिनांक 11.7.2003 का आदेश सं॰ 260 किसी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है।

9. याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एस॰ एन॰ पाठक, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री आर॰ एस॰ मजुमदार सुने गए और आक्षेपित निर्णय तथा प्रासंगिक रिट न्यायालय अभिलेख का परिशीलन किया गया।

10. श्री पाठक ने निवेदन किया कि याची ने मुख्य रिट याचिका के अपने आधारों में से एक में विनिर्दिष्टतः प्रकथन किया है कि आरक्षी उप अधीक्षक द्वारा जाँच संचालित किए जाने के बाद जाँच रिपोर्ट के साथ कारण बताओ नोटिस याची पर तामील नहीं किया गया था, जबकि विद्वान रिट न्यायालय ने उस पहलू पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। श्री पाठक के अनुसार, यह मुख्य दंड का मामला है, अतः मुख्य दंड का आदेश पारित करने के पहले द्वितीय कारण बताओ नोटिस के साथ जाँच रिपोर्ट की प्रति की आपूर्ति अनिवार्य है और यह विधिक विवाद्यक अब अनिर्णीत विषय नहीं है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि स्वयं का प्रभावकारी रूप से बचाव करने के लिए यह अवचारी के लिए वैध, निष्पक्ष एवं न्यायोचित प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है।

11. श्री पाठक ने निवेदन किया कि आरक्षी उप अधीक्षक द्वारा पारित दिनांक 28 सितंबर, 2004 के आदेश के विरुद्ध याची ने निःसंदेह झारखंड पुलिस निर्देशिका के नियम 853 के निबंधनानुसार आरक्षी महानिरीक्षक के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया था और उक्त पुनरीक्षण भी मुख्य रिट याचिका जिसमें केवल दिनांक 11.7.2003 एवं दिनांक 28.9.2004 के पूर्वोक्त दो आदेशों को चुनौती दिया गया है, के लंबित रहने के दौरान दिनांक 9 नवंबर, 2006 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, किंतु यह भूल आदेश में आ गए पूर्वोक्त मूल विधिक त्रुटि के कारण कोई अंतर नहीं उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा याची को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि कोई पश्चातवर्ती आदेश स्वतः धाराशायी हो जाएगा।

12. अपने निवेदन के समर्थन में श्री पाठक ने **प्रबंध निदेशक, ई॰ सी॰ आई॰ एल॰, हैदराबाद एवं अन्य बनाम बी॰ करुणाकर, (1993)4 SCC 727,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर विश्वास किया है और पैराओं 25, 28 एवं 29 को निर्दिष्ट किया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

> *"25. ;|fi fjikV e fu"d"kk d fo#) vH;konu nu dk vfèkdkj tkp d çFke pj.k d nkjku vFkkr fjikV e fu"d"kk dk vu'kklfud çkfèkdkjh }kjk fopkj e fy, tku d igy miyCèk ;fDr;Dr volj dk Hkkx g] çLrkfor nM d fo#) dkj.k crkvk dk vfèkdkj f}rh; pj.k dk g tc vu'kklfud çkfèkdkjh u fjikV e fu"d"kk ij fopkj fd;k g vkj depkjh d nk"k d lcèk e fu"d"k ij vk;k g vkj viu fu"d"kk d vkèkkj ij nM vfèkfu.khr djuk çLrkfor djrk gA çFke vfèkdkj funkf"krk fl) dju dk vfèkdkj gA f}rh; vfèkdkj nM ugh nu vFkok derj nM nu dk vfHkopu dju d fy, ;|fi nk"k d lcèk e fu"d"k Lohdkj fd;k x;k gA f}rh; pj.k ij ç;kT; f}rh; vfèkdkj dk c;kyhlo l'kkèku }kjk okil y fy;k x;k gA*
>
> *28. fofèk e voLFkk dk FkkM fHkUu dk.k l Hkh n[kk tk ldrk gA vuPNn 311 (2) dgrk g fd ^^depkjh dk mld fo#) vkjkik d lcèk e luokb dk ;fDr;Dr volj fn;k tk,xkA** tkp vfèkdkjh tl rhlj 0;fDr }kjk vkjkik ij*

*fn, x, fu"d"k] fo'k"kr% tc mUg lk{; }kjk fl) ugh fd;k x;k g vFkok lk{; dk vun[kk dj vFkok bldk xyr vFk yxkdj fQj igpk x;k g] o Lo; e u, vuif{kr ykNu xfBr dj ldr FkA vkx tk g ;g g fd tc mDr vuPNn dk ijUrd dFku djrk g fd ^^tgk ,lh tkp d ckn ml ij ,l fdlh nM dk vfèkjki.k çLrkfor fd;k x;k g] ,lk nM ,lh tkp d nkjku fn, x, lk{; d vkèkkj ij vfèkjkfir fd;k tk ldrk g vkj ,l 0;fDr dk çLrkfor nM ij vH;konu nu dk dkb volj nuk vko';d ugh gkxk**] ;g çHkko e fofHkUu foLrkj d nk Øeokj pj.kk dk Lohdkj djrk gA pfd tkp d ckn nM çLrkfor fd;k tkuk g] ftl tkp dk çHkko e vu'kklfud çkfèkdkjh }kjk fd;k tkuk gA (tkp vfèkdkjh doy tkp dju ,o mldh lgk;rk dju d fy, fu;Dr mldk MyhxV g)] tkp vfèkdkjh dh fjikV d çfr depkjh dk mÙkj vkj vu'kklfud çkfèkdkjh }kjk ,l mÙkj ij fopkj fd;k tkuk Hkh ,lh tkp dk v[kfMr Hkkx xfBr djrk gA f}rh; pj.k bl çdkj dh x;h tkp d ckn vkrk g vkj ;g çLrkfor nM d fo#) dkj.k crkvk ukfVl tkjh fd, tku vkj ukfVl d çfr mÙkj ij fopkj rFkk nM ij fofu'p; l xfBr gkrk gA tk vfHkeDr fd;k x;k g] og çLrkfor nM ij vH;konu nu dk volj g vkj u fd tkp vfèkdkjh dh fjikV ij vH;konu nu dk voljA ckn okyk vfèkdkj lno ogk gA fdr lfoèkku d c;kyhlo l'kkèku d igy le; dk fcn ftl ij bldk ç;kx fd;k tkuk Fkk] f}rh; pj.k rd vFkkr nM ij fopkj dju d pj.k rd çkLFkfxr dj fn;k x;k FkkA ml le; rd] vu'kklfud çkfèkdkjh depkjh d nk"k vkj vfèkjkfir fd, tku oky nM nkuk d lcèk e ftl fu"d"k ij vk ldrk Fkk] doy vuekfur FkkA lfoèkku d c;kyhlo l'kkèku d ckn tk dN gvk g] og le; d ml fcn dk vkx y tkuk g ftl ij tkp vfèkdkjh dh fjikV d fo#) depkjh d vH;konu ij fopkj fd;k tk,xkA vc] vu'kklfud çkfèkdkjh dk vkjkik d çfr ml d nk"k vFkok funkf"krk d lcèk e viu fu"d"k ij vku l igy fjikV d fo#) depkjh d vH;konu ij fopkj djuk gkxkA*

*29. vr% ;g vfHkfuèkkfjr djuk gkxk fd tc tkp vfèkdkjh vu'kklfud çkfèkdkjh ugh g] vopkjh depkjh dk viu fo#) yxk, x, vkjkik d lcèk e depkjh d nk"k vFkok funkf"krk d lcèk e vu'kklfud çkfèkdkjh }kjk viu fu"d"k ij igpu d igy tkp vfèkdkjh dh fjikV dh çfr çkIr dju dk vfèkdkj gA og vfèkdkj depkjh d fo:) yxk; x; vkjkik d fo:) ml d Lo; dk cpko dju d vfèkdkj dk ,d Hkkx gA vkjkik ij tkp ikfèkdkjh d viuk fu.k; yu d igy tkp&inkfèkdkjh dh fjikV nu l budkj fd;k tkuk depkjh dk viuh funkf"krk fl) dju d fy, ;fDr;Dr volj nu l budkj g vkj ;g ulfxd U;k; d fl)kr dk Hkx gA***

13. विद्वान महाधिवक्ता अपने सहायक अधिवक्ता द्वारा उनको उपलब्ध कराए गए संपूर्ण अभिलेख का परीक्षण करने के बाद निष्पक्षत: कथन करते हैं कि डी॰ एस॰ पी॰ द्वारा याची के विरुद्ध आरंभिक जाँच किए जाने के बाद और उसको अनिवार्यत: सेवानिवृत्त करने का मुख्य दंड अधिरोपित करने के पहले उस पर द्वितीय कारण बताओ नोटिस अथवा जाँच रिपोर्ट की प्रति तामील नहीं की गयी थी। किंतु उन्होंने निवेदन किया कि याची का मामला याची द्वारा दाखिल पुनरीक्षण में आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा अस्वीकार कर दिया

गया है जिस आदेश को उसके द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दिया गया है। अत:, याची किसी अनुतोष का हकदार नहीं है। विद्वान महाधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याची के मामले की परीक्षा स्वयं इसके अपने व्यक्तिगत तथ्यों पर विद्वान रिट न्यायालय द्वारा पहले ही की गयी है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याची के विरुद्ध की जाने वाली जाँच तर्कपूर्ण साक्ष्य पर आधारित थी और इस कारण से याची को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने वाले आदेश में विद्वान रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

14. हम याची के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों में सार पाते हैं और हमारा दृष्टिकोण है कि याची का मामला पूरी तरह से **प्रबंध निदेशक, ई॰ सी॰ आई॰ एल॰ मामले (ऊपर)** में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधार द्वारा आच्छादित है।

15. प्रबंध निदेशक, ई॰ सी॰ आई॰ एल॰, हैदराबाद (ऊपर) में **कैलाश चंदर अस्थाना बनाम उ॰ प्र॰ राज्य, (1988)3 SCC 600** और **भारत संघ बनाम मो॰ रमजान खान, (1991)1 SCC 588,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों के विरोधाभाषी होने के कारण, दोनों निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय की त्रि-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिया गया था, वृहत पीठ के समक्ष मामला प्रस्तुत किए जाने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्नों को निरुपित किया:-

(i) D;k depkjh dk rc Hkh fjikV fn;k tkuk pkfg, tc vu'kklfud tkp dju d fy, çfØ;k vfèkdfFkr dju oky lkfofèkd fu;e bl fo"k; ij eku g vFkok bld fo#) g

(ii) D;k vopkjh depkjh dk rc Hkh tkp vfèkdkjh dh fjikV fn, tku dh vko';drk g tc c[kkLrxh] gVk, tku vFkok J.kh e ?kVk, tku d e[; nM lfHkUu nM vfèkjkfir fd;k x;k g

(iii) D;k fjikV çLrr dju dh ckè;rk doy rc g tc depkjh bl ekxrk g vFkok D;k ;g vU;Fkk Hkh fo|eku g

(iv) D;k ek0 jetku [kku (1991)1 SCC 588, ekey e vfèkdfFkr fofèk leLr LFkkiuk&ljdkjh ,o xj ljdkjh] ykd ,o futh {k= miØek ij ykx gkxh

(v) fjikV d xj&çLrrhdj.k dk nM d vkn'k ij D;k çHkko g vkj ,l ekeyk e depkjh dk dku lk vurk"k çnku fd;k tkuk pkfg,

(vi) fjikV dh çLrfr vko';d cuku okyh fofèk dk fdl frfFk l çoÙk gkuk pkfg,

(vii) pfd ek0 jetku [kku ekey] (1991)1 SCC 588, e fu.k; u vfèkdfFkr fofèk dk Hkfo";y{kh çHkko l çoruh; vFkkr fnukd uocj 20, 1990 ft l fnu ij mDr fu.k; fn;k x;k Fkk d ckn ikfjr nM d vkn'kk ij ç;kT; cuk;k g] ;g ç'u cny e ,d vU; ç'u mBkrk g vFkkr fnukd uocj 20, 1990 d igy çpfyr fofèk D;k Fkh

16. निरुपित किए गए पूर्वोक्त समस्त सात प्रश्नों का उत्तर पैरा 30 में निम्नलिखित रूप से दिया गया है:-

"30. vr% Åij mBk, x, vku"kfxd ç'uk dk mÙkj fuEufyf[kr :i l fn;k tk ldrk g%

(i) pfd tkp vfèkdkjh dh fjikV nu dk budkj l ;fDr;Dr volj nu dk budkj g vkj ulfxd U;k; d fl)krk dk mYy?ku g] ;g vulfjr gkrk g fd lkfofèkd fu;e] ;fn gk] tk depkjh dk fjikV nu l budkj djr g ulfxd U;k; d fl)krk d mYy?ku d fo#) g vkj] blfy,] voèk gA vr%] vopkjh depkjh fjikV dh çfr dk gdnkj gkxk Hkky gh lkfofèkd fu;e fjikV dh çLrfr dh vuefr ugh nr g vFkok bl fo"k; ij eku gA

(ii) lfoèkku d vuPNn 311(2) dk çklfxd v'k fuEufyf[kr g%

*"2. iokDrkulkj , lk dkb 0;fDr flok, tkp d ft le ml mld fo#) vkjkik d ckj e lfpr fd;k x;k g vkj mu vkjkik d lcèk e lu tku dk ;fDr;Dr volj fn;k x;k g] d ckn c[kkLr ugh fd;k tk,xk vFkok gVk;k ugh tk,xk vFkok J.kh e ?kVk;k ugh tk,xkA***

bl çdkj] vuPNn depkjh dk c[kkLr dju vFkok gVk, tku vFkok J.kh e ?kVk, tku d igy tkp djuk ckè;dkjh cukrk gA fdr] vuPNn dk vFk ;g vfHkçr dju d fy, ugh yxk;k tk ldrk g fd ;g tkp jkdrk vFkok fuf"k) djrk g tc c[kkLrxh] gVk, tku vFkok J.kh e ?kVk, tku l fHkUu nM vfèkfu.khr fd;k tkrk gA vU; nMk dk vfèkfu.khr dju e vulj.k dh tku okyh çfØ;k depkjh dk 'kkflr dju oky lok fu;ek e vfèkdfFkr dh x;h gA vkx] vuPNn 311(2) doy l?kh; vFkok vf[ky Hkkjrh; flfoy lokvk vFkok jkT; dh flfoy lok d lnL;k vFkok l?k vFkok jkT; d vèkhu flfoy ink d èkkjdk ij ykx gkrk gA leLr nMk d ekey e ljdkjh lod ,o vU; mudh lok fu;ek }kjk 'kkflr gkr gA vr%] tc dHkh lok fu;e nM vfèkfu.khr fd, tku d igy tkp vuè;kr djr g vkj tc tkp vfèkdkjh vu'kklfud çkfèkdkjh ugh g] vopkjh depkjh dk nM dh çÑfr d ckotn tkp vfèkdkjh dh fjikV çklr dju dk vfèkdkj gkxkA

(iii) pfd ;g Lo; dk çHkkodkjh :i l cpko dju d fy, depkjh dk fjikV çklr dju dk vfèkdkj g vkj og igy l ugh tkuxk fd D;k fjikV mld i{k e g vFkok mld fo#)] fjikV ekxu e mldh foQyrk dk viu vfèkdkj d R;kx d :i e vFk yxkuk lefpr ugh gkxkA vr%] depkjh pkg fjikV ekxrk g ;k ugh] fjikV mldk fn;k tkuk gkxkA

(iv) geu tk nf"Vdk.k fy;k g mldh nf"V e] vFkr fd tkp fjikV e nt fu"d"kk d fo#) vu'kklfud çkfèkdkjh dk vH;konu nu dk vfèkdkj vkjkik d fo#) cpko d volj dk v[kfMr Hkkx g vkj mDr vfèkdkj l budkj ulfxd U;k; d fl)kr dk Hkx g] ;g fcYdy lefpr g fd ekO jetku [kku d ekey e vfèkdfFkr fofèk leLr LFkkiuk pkg o ljdkjh gk ;k xj ljdkjh] ykd gk ;k futh depkfj;k ij ykx gkuh pkfg,A ;gh fLFkfr gkxh pkg vu'kklfud dk;okgh dk 'kkflr dju oky fu;e g ;k ugh vkj pkg o vfHk0;Dr :i l fjikV dh çfr dh çLrfr fuf"k) djr g ;k ugh vFkok bl fo"k; ij eku gA vkx] nM dh çÑfr tk Hkh gk] tc dHkh fu;e ç'uxr nM vfèkjkfir dju d fy, tkp fd;k tkuk vko';d cukrk g] vu'kklfud çkfèkdkjh }kjk mld fo#) yxk, x, vkjkik ij viuk fu"d"k nt dju d igy vopkjh depkjh dk tkp vfèkdkjh dh fjikV dk ykHk feyuk pkfg, FkkA vr% ç'u (iv) dk mÙkj rnulkj fn;k tkrk gA

*(v) mÙkj fn;k tku okyk vxyk ç'u ;g g fd nM d vkn'k dk çHkko D;k g tc tkp vfèkdkjh dh fjikV depkjh dk çLrr ugh dh tkrh g vkj ,l ekeyk e mldk dku lk vurk"k çnku fd;k tkuk pkfg,A bl ç'u d mÙkj dk vfèkfu.khr nM d lki{k gkuk gkxkA tc depkjh dk lok l c[kkLr fd;k tkrk g vFkok gVk;k tkrk g vkj tkp vikLr fd;k tkrk g D;kfd mldk fjikV ugh nh x;h g] dN ekeyk e fjikV dh xj çLrfr ml ij xHkhj :i l çfrdyrk dkfjr dj ldrh Fkh tcfd vU; ekeyk e bldk mldk vfèkfu.khr vfre nM ij dkb çHkko ugh gk ldrk FkkA vr% leLr ekeyk e fiNyh etnjh d lkFk depkjh dh iucgkyh U;k; d fl)kr dk ;kf=d <x l ykx djuk gA ;fDr;Dr volj dk fl)kr ,o ulfxd U;k; dk fl)kr fofèk d 'kklu dk ekU; Bgjku d fy, vkj 0;fDr dh mld U;k;kfpr vfèkdkjk dk mfpr Bgjku e lgk;rk dju d fy, fodflr fd;k x;k gA o voyc fy, tku oky e= ugh g vkj u gh leLr ,o fNViV voljk ij ikyu fd, tku oky dedkM gA D;k oLrr% mldk fjikV nu l budkj fd, tku d dkj.k depkjh ij çfrdyrk dkfjr gb g ;k ugh] bl ij çR;d ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fopkj fd;k tkuk gkxkA vr%] tgk fjikV fn, tku d ckn Hkh dkb fHkUu ifj.kke vulfjr ugh gvk gkrk] depkjh dk dr0; iu% xg.k dju vkj leLr ikfj.kkfed ykHkk dk iku dh vuefr nuk U;k; dh [kkeh gkxhA ;g cbeku ,o nk"kh dk ijLÑr fd, tku d rY; g vkj bl çdkj U;k; dh èkkj.kk dk vrkfdd ,o n%[knk;h lhek rd [khpu d rY; gA ;g ^^ulfxd U;k; d vLokHkkfod foLrkj.k** d rY; g tk Lo; e U;k; dk fojkèkh gA***

17. हमने वर्तमान मामले का **प्रबंध निदेशक ई॰ सी॰ आई॰ एल॰ के मामले (ऊपर)** में प्रश्न सं॰ (v) के प्रति उत्तर में अंतर्विष्ट मापदंडों के अंतर्गत इसके व्यक्तिगत तथ्यों पर परीक्षा किया है और हम पाते हैं कि 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का मुख्य दंड अधिरोपित करने के पहले कारण बताओ नोटिस के साथ जाँच रिपोर्ट की गैर-प्रस्तुति ने याची पर प्रतिकूलता कारित किया है।

18. झारखंड सशस्त्र पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी देव कुमार सिंह और भूतपूर्व हवलदार किसी गोपाल प्रसाद सिन्हा ने उसमें यह अभिकथित करते हुए अपना लिखित परिवाद दिया था कि याची ने उनको पेंशन प्रदान के मामले में आवश्यक मदद करने के अभिवचन पर उनसे धन लिया था। जब पूर्वोक्त देव कुमार सिंह विभागीय जाँच के दौरान उपस्थित हुआ, उसने बयान दिया कि उसने कर्ज के रूप में याची को 2500/- रुपयों की राशि दिया था और जब उसने याची को धन लौटाने के लिए कहा, उसने कहा कि पेंशन प्रदान करने से संबंधित उसके कार्य पर धन खर्च किया गया था। किंतु उसने कथन किया कि वह स्वयं अपने प्रयास से मंजूर पेंशन पाने में सफल हुआ था। अन्य गवाह अर्थात् गोपाल प्रसाद सिन्हा द्वारा दिया गया साक्ष्य भिन्न है। उसने कथन किया कि उसके पक्ष में निर्मुक्त किए जाने वाले पेंशन के संबंध में याची को 5000/- रुपयों की राशि दी गयी थी, किंतु उसने कुछ नहीं किया था और जब उसने याची को धन लौटाने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। इन दोनों गवाहों ने विभागीय जाँच के दौरान संचालित प्रति परीक्षण में कथन किया कि उन्हें याची से कुछ लेना-देना नहीं है और उन्होंने आवेदन जिन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लाया गया था पर अपना हस्ताक्षर किया था। नि:संदेह, जाँच याची के विरुद्ध की गयी, किंतु हमें जो प्रतीत होता है, वह यह है कि याची के विरुद्ध विभागीय जाँच करने के लिए जो भी आधार बनाया गया था, वह अस्थिर निकला।

मामले की इस तात्थिक पृष्ठभूमि में, यदि मुख्य दंड अधिरोपित करने के प्रयोजन से उसको कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद याची को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया होता, अनुशासनिक प्राधिकारी दंड की मात्रा के संबंध में भिन्न निष्कर्ष पर पहुँच सकता था। अतः, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत करने का निर्णय लेने के पहले विभागीय जाँच की रिपोर्ट के साथ द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाना युक्तियुक्त अवसर से इनकार के तुल्य है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का भंग है। तद्नुसार, कमांडेंट (अनुशासनिक प्राधिकारी) द्वारा पारित दिनांक 11.7.2003 का आदेश और आरक्षी उप महानिरीक्षक (अपीलीय प्राधिकारी) द्वारा पारित दिनांक 28.9.2004 का आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है। तद्नुसार, आदेश दिया जाता है।

19. पूर्वोक्त दोनों आदेशों के अभिखंडन के कारण आरक्षी महानिरीक्षक द्वारा पारित दिनांक 9 नवंबर, 2006 का पुनरीक्षण आदेश स्वतः अपना प्रभाव गवाँ देता है।

20. किंतु, डी॰ एस॰ पी॰ द्वारा याची के विरुद्ध पहले ही की जा चुकी जाँच की रिपोर्ट के साथ द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के चरण से याची के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करने की छूट प्रत्यर्थीगण को होगी।

21. जहाँ तक पारिणामिक लाभों का संबंध है जो मुख्य दंड (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) के आदेश के अभिखंडन के कारण याची की ओर प्रवाहित होगा, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, उसको देय पिछली मजदूरी के 50% के सिवाए वह अन्य समस्त पारिणामिक लाभों का हकदार होगा।

22. कुल परिणाम यह है कि वर्तमान अपील अनुज्ञात करके विद्वान एकल न्यायाधीश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरुप, याची द्वारा दाखिल रिट याचिका (सेवा) सं॰ 3627 वर्ष 2005 भी अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

कृत साव

cuke

झारखंड राज्य

Cr. (Jail) Appeal (D.B.) No. 504 of 2002. Decided on 10th March, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 51 वर्ष 2002 में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज द्वारा पारित दिनांक 23 जुलाई, 2002 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 313—अभियुक्त का परीक्षण–अभियुक्त के परीक्षण में मूल त्रुटि स्वयं में अभियुक्त की दोषसिद्धि/दंडादेश अस्त-व्यस्त करने के लिए अच्छा आधार होगी–तिथि के संबंध में आरोप विरचित करने में अन्य त्रुटि अनियमितता कही जा सकती है जो अभियुक्त पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं करती है ताकि केवल उस आधार पर संपूर्ण विचारण दूषित किया जा सके–किंतु, अभियोजन को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है जहाँ तक अभियुक्त के परीक्षण में आयी स्पष्ट त्रुटि का संबंध है–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313(1)(b) का उद्देश्य अभियुक्त को उसके विरुद्ध साक्ष्य में सामने आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए उसको सक्षम बनाने के लिए अभियुक्त के समक्ष अभियोजन का सार लाना

है–प्रावधान आज्ञापक है और अभियुक्त को अपने विरुद्ध अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य को स्पष्ट करने का अवसर देने का कर्तव्य न्यायालय पर डालता है–इसे औपचारिकता मात्र नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 अभियुक्त के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा विहित करती है और अभियुक्त के दृष्टिकोण से यह अवसर अत्यन्त बहुमूल्य है–यह न्यायालय पर अभियुक्त से समुचित एवं निष्पक्ष रूप से प्रश्न पूछने का कर्तव्य अधिरोपित करता है ताकि उसे सही मामले से अवगत कराया जा सके जिसका सामना उसे कराना होगा और तद्द्वारा उसको ऐसे किसी बिंदु को स्पष्ट करने का अवसर देता है। (पैराएँ 12 एवं 18)

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 एवं 324—हत्या एवं घोर उपहति–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसके परीक्षण के क्रम में अभियुक्त के समक्ष तात्विक साक्ष्य रखने में विचारण न्यायालय की ओर से लोप ने उस पर प्रतिकूलता कारित किया है–किंतु, वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करते हुए अभियुक्त इस तथ्य के बावजूद कि वह विगत लगभग 14 वर्षों से अभिरक्षा में है, इस त्रुटि/लोप के कारण दोषमुक्ति के योग्य नहीं है–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसके परीक्षण के चरण से मामले पर नए सिरे से अग्रसर होने के लिए विचारण न्यायालय के पास मामला वापस भेजने के प्रयोजन से आक्षेपित निर्णय के तहत उसपर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है–विचारण न्यायाधीश को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए अत्यन्त सतर्क एवं सावधान रहने का निर्देश दिया जाता है ताकि विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य एवं परिस्थिति को अभियुक्त के परीक्षण में नहीं छोड़ा जाए और उसे इसे स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए–अभियुक्त जमानत के रियायत के योग्य है क्योंकि उसका दर्जा अब विचाराधीन कैदी का होगा क्योंकि वर्तमान मामले के विचारण में विलंब की संभावना है और कि अभियुक्त को त्वरित विचारण का अधिकार है। (पैराएँ 28, 29 एवं 30)

निर्णयज विधि.–(1993) 3 SCC 208; (2010) 10 SCC 439; (2009) 4 SCC 200; (2003) 12 SCC 528; (2010) 9 SCC 747; (2012) 2 SCC 648; in 2015 (1) JLJR 36 (SC)—Relied; (1973) 2 SCC 793; (2001) 10 SCC 372; (2008) 16 SCC 328; (1980) 1 SCC 363—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Pradeep Kumar Naik, For the Appellants; Additional Public Prosecutor, For the State.

विरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–वर्तमान जेल अपील किसी कृत साव (इसमें इसके बाद 'अभियुक्त' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, पलामू, डालटेनगंज के दिनांक 24.7.2002 के निर्णय के विरुद्ध दाखिल की गयी है जिसके द्वारा उसे भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/324 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आजीवन कठोर कारावास और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है। किंतु, दोनों दंडादेशों को साथ साथ चलने का आदेश दिया गया है।

2. यहाँ यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि अभियुक्त के साथ उसके दो सह-अभियुक्तगण अर्थात् उसके पुत्र विश्वनाथ साव एवं उसकी पत्नी बिमली देवी ने भी विचारण का सामना किया था किंतु विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त किया गया है। राज्य ने दोषमुक्ति अपील सं॰ 13 वर्ष 2002 दाखिल करके उक्त दोषमुक्ति को चुनौती दिया है जिसे दिनांक 6 फरवरी, 2015 के पृथक निर्णय के तहत उनकी दोषमुक्ति संपुष्ट करते हुए खारिज कर दिया गया है जबकि वर्तमान अपील आदेशों के लिए आरक्षित की गयी है।

3. अभियुक्त को विगत 14 वर्षों से अभिरक्षा में बना हुआ बताया जाता है, ऐसी दशा में वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गयी थी। वर्तमान में, अभियुक्त लगभग 70 वर्ष का है जैसा कथन उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में किया गया है।

4. अभियुक्त प्रथम सूचक अ॰ सा॰ मथुरा साव पुत्र गणेश साव का सगा भाई है, जिसका बयान संबंधित पुलिस थाना में दिनांक 19 जून, 2001 को प्रातः 8.30 बजे दर्ज किया गया था। उसमें यह अभिकथित किया गया था कि पिछली रात्रि लगभग 8 बजे जब वह अपने परिवार के सदस्यों अर्थात् अपनी पत्नी जसमतिया देवी (संक्षेप में 'मृतका'), पुत्री कलावती कुमारी और पुत्र संजय साव के साथ चाय पी रहा था, अभियुक्त अपनी पत्नी बिमली देवी और अपने पुत्र विश्वनाथ साव (पहले से ही दोषमुक्त किए गए) के साथ उनके घर में प्रवेश किया और फसुली से प्रहार करने लगा जिसके परिणामस्वरूप संजय साव घायल हो गया और वह (संजय साव) घटनास्थल से भाग गया। तत्पश्चात् अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री अ॰ सा॰ कलावती कुमारी को भी घायल किया गया था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि तत्पश्चात बिमली देवी और विश्वनाथ साव ने मृतका को पकड़ लिया और अभियुक्त द्वारा उसकी गर्दन, माथा, छाती, पीठ एवं हाथ पर प्रहार किया गया था। वह चिल्लाने लगी। बलराम प्रसाद एवं फुलवा देवी घटना स्थल पर आए और अभियुक्तगण को पकड़ लिया, किंतु उनको भी चोटें आयी। घटना के लिए प्रक्षेपित हेतु कुछ संपत्ति विवाद था। इस सूचना पर छतरपुर पुलिस थाना, पलामू में भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/324/34 के अधीन औपचारिक प्राथमिकी 49/2001 दर्ज की गयी थी और अन्वेषण आरंभ किया गया था जिसकी समाप्ति पर समस्त तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध चालान दाखिल किया गया और उन्हें तद्नुसार, भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/324/34 के अधीन आरोपित किया गया था और अंततः, दो अभियुक्तगण अर्थात् बिमली देवी एवं बिश्वनाथ साव को दोषमुक्त किया गया था और अभियुक्त को भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 302/324 के अधीन दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया गया था।

5. अभियोजन ने अपने मामले के समर्थन में कुल 14 गवाहों का बयान दर्ज किया। वे निम्नलिखित हैं:–

v0 lk0 1 lt; lko
v0 lk0 2 'kfeuk noh
v0 lk0 3 QYyk noh
v0 lk0 4 cyjke çlkn
v0 lk0 5 nyuh lko
v0 lk0 6 ljekuk noh
v0 lk0 7 yky cgknj cjk;
v0 lk0 8 eFkjk lko
v0 lk0 9 dykorh dekjh
v0 lk0 10 fnu'k dekj flg
v0 lk0 11 jktu dekj pnk
v0 lk0 12 Mk0 ,u0 lh0 vxoky
v0 lk0 13 Mk0 b'oj çlkn lkg
v0 lk0 14 lt; jkeA

6. अभियुक्त का मामला, जैसा दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसके बयान से पाया जाता है, पूर्ण इनकार का है।

7. अभिलेख पर उपलब्ध चश्मदीद गवाहों के विवरण एवं चिकित्सीय साक्ष्य के मुकाबले अभियोजन मामले में कतिपय दुर्बलताओं को इंगित करते हुए, इनके विरोधाभासी प्रकृति का होने के नाते, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नायक ने दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के परीक्षण एवं आरोप दर्ज करने के संबंध में कतिपय अन्य त्रुटियों को भी इंगित किया है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि समस्त तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप को देखा जाता है, घटना की तिथि दिनांक 19 जून, 2001 और समय प्रातः 8.30 बजे दर्शाया गया है जबकि घटना दिनांक 18 जून, 2001 की थी और समय लगभग रात्रि 8 बजे था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि शायद बाद में घटना का समय सही किया गया दर्शाया गया है क्योंकि समय के संबंध में लिप्त लेखन है किंतु घटना की तिथि वही अर्थात् दिनांक 19.6.2001 बनी हुई है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि समस्त अभियुक्तगण द्वारा सामना किया गया संपूर्ण विचारण दिनांक 19 जून, 2001 के आरोप के संबंध में है जिसमें उन्हें अभिकथित रूप से अंतर्ग्रस्त दर्शाया गया है जबकि दिया गया साक्ष्य दिनांक 18 जून, 2001 की किसी घटना के संबंध में है और इसने अभियुक्तगण पर गंभीर प्रतिकूलता कारित किया है, अतः संपूर्ण विचारण दूषित हो गया है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भले ही आरोप में पूर्वोक्त त्रुटि को अनियमितता के रूप में लिया जा सकता है, जबकि यह ऐसा नहीं है, जिस तरीके से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण किया गया है विधि में ज्ञात नहीं है और यह मूल त्रुटि सुधारे जाने योग्य नहीं है, परिणामतः यह त्रुटि अभियुक्तगण के विरुद्ध संपूर्ण विचारण को दूषित करती है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त के परीक्षण में इस त्रुटि को अभियुक्त की दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त करने और उस तरीके जिसमें इसे दर्ज करने की आवश्यकता है से दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के परीक्षण के लिए विचारण न्यायालय को मामला वापस भेजने के लिए अच्छा आधार माना जा सकता है अथवा विकल्प में अभियुक्त को लगभग 14 वर्षों की उसके लंबे कारावास के कारण आरोप से दोषमुक्त किया जा सकता है, विशेषतः जब उसने इस चरण पर 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस मोड़ पर, चरण विशेष से नए विचारण के लिए विचारण न्यायालय को मामला वापस भेजना शायद न्याय के हित में नहीं होगा।

10. राज्य के विद्वान अधिवक्ता स्वयं को फिसलते आधार पर महसूस करते हैं, जहाँ तक दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के परीक्षण में त्रुटि का संबंध है। किंतु, घटना की तिथि के मुकाबले आरोप विरचित करने में त्रुटि के संबंध में, जैसा श्री नायक द्वारा इंगित किया गया है, विद्वान राज्य अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यह त्रुटि विचारण दूषित करने का आधार नहीं हो सकती है क्योंकि संपूर्ण विचारण के दौरान दिनांक 18.6.2001 और न कि दिनांक 19.6.2001 के संबंध में उसके विरुद्ध प्रस्तुत साक्ष्य और अभियुक्त द्वारा किया गया प्रति परीक्षण भी उपदर्शित करता है कि वह घटना की तिथि अर्थात् दिनांक 18.6.2001 से बिल्कुल अवगत था। विद्वान राज्य अधिवक्ता के अनुसार, यह त्रुटि अभियुक्त को कोई लाभ नहीं देगी।

11. मामले के गुणागुण पर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि घायल गवाहों के बयान, भले ही वे कतिपय पहलूओं पर कुछ विसंगत हैं किंतु यदि उन्हें उनकी संपूर्णता में लिया जाता है जो घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति की अंतःनिर्मित गारन्टी देती है, पर संदेह नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके द्वारा वास्तविक हमलावरों को छोड़ने तथा किसी अन्य को अंतर्ग्रस्त करने की संभावना नहीं है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जहाँ तक अभियुक्त के परिवार के दो अन्य सदस्यों की अंतर्ग्रस्तता का संबंध है, स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा उनका मामला संदेहपूर्ण पाए जाने के बाद उनके द्वारा अर्जित दोषमुक्ति न्यायालय द्वारा पृथक दोषमुक्ति अपील सं॰ 13 वर्ष 2002 जिसे खारिज कर दिया गया है, में संपुष्ट की गयी है। किंतु, उन्होंने बेमन से कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पूरा किए जाने के बाद दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए की गयी त्रुटि को इतनी गंभीर त्रुटि नहीं माना जाए ताकि अभियुक्त की दोषसिद्धि अस्त-व्यस्त की जा सके क्योंकि इसे अधिकाधिक अनियमितता के रूप में लिया जा सकता है।

12. हम मामले के गुणागुण पर टिप्पणी करने से परहेज करते हैं, जहाँ तक चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य का संबंध है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि इसका अर्थ अवर न्यायालय द्वारा मत की अभिव्यक्ति के रूप में लगाया जाए, क्योंकि हमारे सुविचारित मत में अभियुक्त के परीक्षण में मूल त्रुटि स्वयं में अभियुक्त की दोषसिद्धि/दंडादेश अस्त-व्यस्त करने के लिए अच्छा आधार होगी। हम यहाँ कथन कर सकते हैं कि अन्य त्रुटि, जैसा तिथि के संबंध में आरोप विरचित करने में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है, अधिकाधिक अनियमितता कही जा सकती है जो अभियुक्त पर कोई प्रतिकूलता कारित नहीं करती है ताकि केवल उस आधार पर संपूर्ण विचारण दूषित किया जा सके। किंतु, अभियोजन को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है जहाँ तक अभियुक्त के परीक्षण में आयी स्पष्ट त्रुटि का संबंध है।

13. हम दर्ज करना चाहेंगे कि बिल्कुल किस प्रकार दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में यह निम्नवत है:–

ç'u% lQkb e dN dguk g\
mÙkj % th ughA
ç'u% vkiu lkf{k;k dk lk{; luk\
mÙkj % th gkA

fopkj.k U;k;kèkh'k dk gLrk{kj

vfHk;Dr Ñr lko d ck; vxB dk fu'kku

14. हम वस्तुत: उस तरीके जिसमें दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण किया गया है को देखकर आश्चर्यचकित हैं।

15. अभियुक्त का परीक्षण करने की शक्ति दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रावधानित की गयी है जिसका पठन निम्नलिखित है:–

*"313. **vfHk;Dr dh ijh{kk dju dh 'kfDr-**&(1) iR;d tkp ;k fopkj.k e] bl i;kstu l fd vfHk;Dr viu fo:) lk{; e idV gku okyh fdUgh ifjfLFkfr;k dk Lo; Li"Vhdj.k dj ld] U;k;ky;&*

(a) fdlh iØe e] vfHk;Dr dk igy l prkouh fn, fcuk] mlls ,l i'u dj ldrk g tks U;k;ky; vko';d le>(

(b) vfHk;ktu d lkf{k;k dh ijh{kk fd, tku d i'pkr vkj vfHk;Dr l viuh ifrj{kk dju dh vi{kk fd, tku d io ml ekey d ckj e mlls lkèkkj.kr;k i'u djxk%

ijUr fdlh leu&ekey e] tgk U;k;ky; u vfHk;Dr dk o;fDrd gkft jh l vfHkefDr n nh g] ogk og [k.M (b) d vèkhu ijh{kk l Hkh vfHkefDr n ldrk gA

(2) tc vfHk;Dr dh mièkkjk (1) d vèkhu ijh{kk dh tkrh g rc ml dkb 'kiFk u fnykb tk,xhA

(3) vfHk;Dr ,l i'uk d mÙkj nu l bdkj dju ;k mld feF;k mÙkj nu l n.Muh; u gk tk,xkA

(4) vfHk;Dr }kjk fn, x, mÙkjk ij ml tkp ;k fopkj.k e fopkj fd;k tk ldrk g vkj fdlh vU; ,l vijkèk dh] ft ldk mld }kjk fd;k tkuk n'kku dh mu mÙkjk dh iofr gk] fdlh vU; tkp ;k fopkj.k e ,l mÙkjk dk mld i{k e ;k mld fo:) lk{; d rkj ij j[kk tk ldrk gA

*(5) U;k;ky; iklfxd i'u r;kj dju e tk fd vfHk;Dr l iN tku gk] vfHk;ktu ;k cpko&odhy dh lgk;rk y ldrk g] vkj U;k;ky; bl èkkjk d i;klr ikyu d :i e vfHk;Dr }kjk fyf[kr dFku iLrr dju dh vuefr n ldrk gA**

16. दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन परीक्षण दो भागों में रखा जा सकता है, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 (1) (a) के अधीन प्रथम भाग जाँच अथवा विचारण के किसी चरण से संबंधित है जबकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 (1) (b) के अधीन द्वितीय भाग समस्त अभियोजन गवाहों का परीक्षण किए जाने के बाद और अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिए बुलाए जाने के पहले का है क्योंकि संपूर्ण अपराध में फँसाने वाला साक्ष्य जिसे अभियोजन द्वारा दिया गया है, उसके समक्ष रखा जाता है। पहला भाग विशेष एवं वैकल्पिक है किंतु दूसरा भाग सामान्य एवं आज्ञापक है।

17. उषा के॰ पिल्लई बनाम राज के॰ श्रीनिवास एवं अन्य, (1993)3 SCC 208, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जाँच अथवा विचारण के किसी चरण पर अभियुक्त से प्रश्न पूछने के लिए न्यायालय को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 (1) (a) द्वारा सशक्त बनाया गया है जबकि धारा 313 (1) (b) अभियुक्त द्वारा अपने विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य में सामने आने वाली किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने अथवा अपना बचाव करने के पहले अभियुक्त से प्रश्न पूछना न्यायालय के लिए बाध्यकारी बनाता है।

18. इस प्रकार, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 (1) (b) का उद्देश्य अपने विरुद्ध साक्ष्य में सामने आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए उसको सक्षम बनाने के लिए अभियुक्त के समक्ष अभियोग का सार लाना है। इस प्रकार, यह प्रावधान आज्ञापक है और अपने विरुद्ध अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए अभियुक्त को अवसर प्रदान करने का कर्तव्य न्यायालय पर डालता है। इसे औपचारिकता मात्र नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 अभियुक्त के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा विहित करती है और अभियुक्त के दृष्टिकोण से यह अवसर अत्यन्त बहुमूल्य है। अतः, यह अभियुक्त से प्रश्न पूछने का कर्तव्य न्यायालय पर अधिरोपित करता है ताकि उसके समक्ष बिल्कुल वही मामला लाया जा सके जिसका सामना उसे करना होगा और तद्द्वारा उसको ऐसे किसी बिंदु को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए।

19. परमजीत सिंह उर्फ पम्मा बनाम उत्तराखंड राज्य, (2010)10 SCC 439, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:–

^^n0 ç0 l0 dh èkkjk 313 fu"i{krk d ey fl)kr ij vkèkkfjr gA mldk Li"Vhdj.k nu dk volj nu d fy,] ;fn og ,lk djuk pkgrk g] vfHk;Dr dk è;ku vfHk;kx lcèkh lk{; d VdM dh vkj fofufn"Vr% vkÑ"V djuk gkxkA vr%] U;k;ky; vfHk;Dr d le{k vijkèk e Qlku okyh ifjfLFkfr;k dk j[ku ,o mldk çR;Ùkj yu d fy, fofèkd ckè;rk d vèkhu gA ;g çkoèkku vkKkid çÑfr dk g vkj ;g U;k;ky; ij vfuok;Z dr0; Mkyrk g vkj viu fo#) lkeu vku okyh vijkèk e Qlku okyh ,lh lkexh d fy, Li"Vhdj.k nu dk volj iku d fy, vfHk;Dr ij rRle vfèkdkj çnÙk djrk gA ifjfLFkfr;k] ftudk n0 ç0 l0 dh èkkjk 313 d vèkhu mld ijh{k.k e vfHk;Dr d le{k ugh j[kk x;k Fkk] dk mi;kx mld fo#) ugh fd;k tk ldrk g vkj bUg fopkj fd, tku l vioftr djuk gkxkA (n[k% 'kjn fcjèkhpn lkjnk cuke egkjk"V jkT;] (1984)4 SCC 116 ,o egkjk"V jkT; cuke l[kno flg] (1992)3 SCC 700)

20. क्या दोषसिद्धि दूषित करते हुए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रश्न के लोप ने अभियुक्त पर प्रतिकूलता कारित किया है या नहीं, चर्चा का महत्वपूर्ण पहलू क्या होगा।

21. पंजाब राज्य बनाम हरि सिंह एवं अन्य, (2009)4 SCC 200, में जानते हुए स्वापक औषधि को अपने पास रखने के संबंध में प्रश्न अभियुक्त से नहीं पूछा गया था जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसका परीक्षण किया गया था। यह पाते हुए कि विनिषिद्ध रखने से संबंधित प्रश्न अभियुक्त से नहीं पूछा गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे लोप के प्रभाव ने अभियोजन मामले को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था, ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति संपुष्ट की गयी थी।

22. कुलदीप सिंह एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य, (2003)12 SCC 528, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन परीक्षण के दौरान अभियुक्त के समक्ष अपराध में फँसाने वाली महत्वपूर्ण परिस्थिति नहीं रखी गयी थी, अभियोजन साक्ष्य के ऐसे टुकड़े पर विश्वास नहीं कर सकता है।

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों अन्य संवर्ग है जहाँ मामला विशेष के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त पर कोई प्रतिकूलता अथवा घोर अन्याय कारित नहीं की गयी है। **संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य, सी॰ बी॰ आई॰ के माध्यम से, (2010)9 SCC 747,** मामले में हेलमेट एवं गर्दन पर लिगेचर निशान से संबंधित केंद्रीय विवाद्यक पर, जिसे डॉक्टर के समक्ष रखा गया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि चूँकि बचाव अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष विस्तृत तर्क किया था, और इसलिए, बचाव पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितियों के प्रति जागरुक था, अतः प्रतिकूलता अथवा घोर अन्याय कारित नहीं की गयी थी।

24. एलिस्टर एंथोनी परेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012)2 SCC 648, में उस मामला विशेष के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि अपीलार्थी के समक्ष रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट एवं डॉक्टर का साक्ष्य अभिव्यक्त रूप से नहीं रखे जाने को अपीलार्थी पर प्रतिकूलता कारित करता नहीं कहा जा सकता है और उसे अभियोजन साक्ष्य के संबंध में वह जो कहना चाहता था उसे कहने का पूरा अवसर उसके पास था और कि उच्च न्यायालय ने सही प्रकार से उस संबंध में अपीलार्थी अभियुक्त का प्रतिवाद अस्वीकार किया।

25. नार सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2015 (1) JLJR 36 (SC); में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नवीनतम निर्णय में, अपीलीय न्यायालय के समक्ष दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछने के लोप के प्रति और अभियुक्त को कारित की गयी प्रतिकूलता दर्शाए जाने के प्रति आपत्ति को विचार में लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय को उपलब्ध रास्तों के संबंध में **शिवाजी साहबराव बोबदे एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973)2 SCC 793; राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम धरमपाल, (2001)10 SCC 372; अशरफ अली बनाम असम राज्य, (2008)16 SCC 328; गणेशमल जशराज बनाम गुजरात सरकार एवं एक अन्य, (1980)1 SCC 363** मामलों में बिंदु पर अन्य निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए निर्णय के पैराग्राफ 30 में संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित संप्रेक्षण दिया:–

> *"(i) tc dHkh Hkh n0 ç0 l0 dh èkkjk 313 d xj&vuikyu dk vfHkopu fd;k tkrk g] nk"kfl) vFkok vfHk;Dr d fy, mifLFkr vfèkoDrk dk ijh{k.k ,o vfrfjDr ijh{k.k djuk vihyh; U;k;ky; dh 'kfDr d vrxr g vkj ekeyk fofuf'pr dju d fy, mDr mÙkjk dk fopkj e fy;k tk,xkA ;fn vfHk;Dr ,l ifjfLFkfr dk dkb ;fDr;Dr Li"Vhdj.k vihyh; U;k;ky; dk nu e v{ke g] U;k;ky; eku ldrk g fd vfHk;Dr d ikl nu d fy, dkb Lohdk; Li"Vhdj.k ugh g(*

(ii) ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e] ;fn vihyh; U;k;ky; bl fu"d"k ij vkrk g fd çfrdyrk dkfjr ugh dh x;h g vFkok ?kkj vU;k; ugh gb g] vihyh; U;k;ky; x.kkx.k ij ekeyk luxk ,o fofuf'pr djxk(

(iii) ;fn vihyh; U;k;ky; dk er g fd n0 ç0 l0 dh èkkjk 313 d çkoèkkuk d vuuikyu u vfHk;Dr ij çfrdyrk dkfjr fd;k g vFkok bldh lHkkouk g] vihyh; U;k;ky; ml fcn l tgk l vfu;ferrk dh x;h g vfHk;Dr d c;ku dk nt dju d pj.k l vFkkr n0 ç0 l0 dh èkkjk 313 d vèkhu vfHk;Dr l ç'u iNu d pj.k l iufopkj.k dju dk fun'k n ldrk g vkj fopkj.k U;k;kèkh'k dk vfHk;Dr rFkk cpko xokg] ;fn gk] dk u, flj l ijh{k.k dju vkj ekey dk u, flj l fuiVku dk fun'k n ldrk g(

*(iv) vihyh; U;k;ky; ekey d fopkj.k e igy gh fcrk, x, yc le; ,o nk"kfl) }kjk igy gh Hkxr fy, x, nMkn'k dh vofèk d dkj.k ekey dk iufopkj.k d fy, fopkj.k U;k;ky; d ikl okil Hktu l budkj dj ldrk g vkj ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e vfHk;Dr dk dkfjr çfrdyrk dk nf"V e j[kr g, Lo; bld viu x.kkx.k ij vihy fofuf'pr dj ldrk gA***

26. नार सिंह मामले (ऊपर) में, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के आज्ञापक प्रावधानों का अननुपालन के आधार पर मामले को विचारण न्यायालय के पास वापस भेजने के प्रश्न पर अपीलार्थी की अभिरक्षा सहित अनेक पहलूओं पर विचार किया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः संप्रेक्षित किया कि यह दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के चरण से नए सिरे से कार्यवाही के लिए विचारण न्यायालय को वापस भेजे जाने वाला मामला था ताकि अभियुक्त का निष्पक्ष विचारण किया जा सके। यह संप्रेक्षित किया गया है कि अपराध के पीड़ित अथवा अभियुक्त को न्यायालय के चूक अथवा लोप से पीड़ित नहीं होना चाहिए क्योंकि **<u>दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन परीक्षण के क्रम में अभियुक्त के समक्ष तात्विक साक्ष्य रखने के लोप के लिए अभियोजन ऐसे साक्ष्य को नहीं देने अथवा दमन करने का दोषी नहीं है, यह केवल विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से विफलता है।</u>**

27. पूर्वोक्त मामले में अपीलार्थी लगभग आठ वर्षों से अभिरक्षा में था। त्वरित विचारण के अभियुक्त के अधिकार, पीड़ित के परिवार और व्यापक समाज के अधिकार को बहुमूल्य मानते हुए अभियुक्त को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के आज्ञापक प्रावधानों के अननुपालन के आधार पर दोषमुक्ति का हकदार अभिनिर्धारित नहीं किया गया था, इसके बजाए उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश को अपास्त करते हुए विचारण न्यायाधीश को अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य एवं परिस्थिति के संबंध में अभियुक्त से विनिर्दिष्ट एवं पृथक प्रश्न पूछने एवं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को ध्यान में लेने के निर्देश के साथ दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का बयान दर्ज करने के चरण से नए सिरे से कार्यवाही के लिए मामला विचारण न्यायालय को वापस भेजा गया था।

28. इस मामले में भी, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसके परीक्षण के क्रम में अभियुक्त के समक्ष तात्विक साक्ष्य रखने में विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से पूर्वोक्त लोप ने निःसंदेह उस पर प्रतिकूलता कारित किया है किंतु इसी समय पर वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करते हुए हमारे दृष्टिकोण में अभियुक्त इस तथ्य के बावजूद कि वह विगत लगभग 14 वर्षों से अभिरक्षा में है, इस त्रुटि/लोप के कारण दोषमुक्ति के योग्य नहीं है किंतु निश्चय ही दोषसिद्धि एवं दंडादेश, जैसा आक्षेपित निर्णय के तहत उस पर अधिरोपित किया गया है, दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन उसके परीक्षण के चरण से नए सिरे से मामले के साथ अग्रसर होने के लिए विचारण न्यायालय को मामला वापस भेजने के प्रयोजन से अपास्त किए जाने योग्य है। **तद्नुसार आदेश दिया जाता है।**

29. विचारण न्यायाधीश को दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए अत्यन्त सतर्क एवं सावधान रहने का निर्देश दिया जाता है ताकि विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अपराध में फँसाने वाले साक्ष्य एवं परिस्थितियों को अभियुक्त के परीक्षण में नहीं छोड़ा जाए और उसे इसे स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए। विचारण न्यायालय इस निर्णय की प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर विचारण समाप्त करने का समस्त ईमानदार प्रयास करेगा।

30. चूँकि हमने अभियुक्त पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त कर दिया है, हमारे विचारार्थ उद्‌भूत होने वाला अगला प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त जो स्वीकृत रूप से विगत लगभग 14 वर्षों से कारा में है और लगभग 70 वर्ष की आयु का है जैसा कथन अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में किया गया है, जमानत की रियायत के योग्य है क्योंकि उसका दर्जा अब विचाराधीन कैदी का होगा क्योंकि वर्तमान मामले के विचारण में आगे विलंब होने की संभावना है और कि अभियुक्त को त्वरित विचारण का अधिकार है। हम इन समस्त पहलूओं पर विचार करने के बाद निर्देश देते हैं कि अभियुक्त को विचारण न्यायालय की संतुष्टि हेतु समान राशियों की दो प्रतिभूतियों के साथ 50,000/- (पचास हजार) रुपयों का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा।

31. वर्तमान अपील पूर्वोक्त निबंधनों में निपटायी जाती है।

32. चूँकि दांडिक विचारण के दौरान अभियुक्त का परीक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है और विचारण न्यायाधीश की ओर से कोई लोप नहीं होना चाहिए, इस न्यायालय के रजिस्ट्रार–जनरल इस निर्णय को प्रत्येक न्यायालय के समस्त न्यायिक अधिकारियों को संसूचित करेंगे ताकि दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए ऐसा लोप पुनः नहीं हो।

33. इस निर्णय की प्रति निदेशक, न्यायिक एकेडमी, झारखंड को भी भेजी जाएगी ताकि किसी कार्य सत्र में न्यायिक अधिकारी इस महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक पहलू से अवगत हो सकें ताकि वे विचारण के दौरान दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए अपनी ओर से किसी लोप से बच सकें। रजिस्ट्री को वर्तमान अपील का परिणाम विद्वान विचारण न्यायालय को तुरन्त सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

जुगल बिहारी दास उर्फ सप्तऋषि युगल बिहारी दास

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 82 of 2005. Decided on 20rd March, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 446 वर्ष 1994 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश I, एफ॰ टी॰ सी॰ VIII, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 21.12.2004 की दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 22.12.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

(क) दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–परिस्थितिजन्य साक्ष्य–ऐसे मामले में जहाँ साक्ष्य पूर्णतः परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी होगी कि वे अभियुक्त के दोष की तुलना में किसी अन्य परिकल्पना को स्वीकार नहीं करती है और

अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ संपूर्णतः असंगत हैं–किंतु, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, तथ्यों एवं परिस्थितियों, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना इप्सित किया गया है, न केवल निश्चयात्मक प्रकृति की होनी चाहिए बल्कि उन्हें तर्कपूर्ण रूप से और संतोषजनक रूप से स्थापित करना होगा। (पैरा 18)

(ख) दांडिक विधि–साक्ष्य का अधिमूल्यन–परिस्थितिजन्य साक्ष्य–परिस्थितिजन्य साक्ष्य बारीक नेटवर्क सृजित करने वाले ताथ्यिक मैट्रिक्स का घनिष्ठ साथी है जिसके माध्यम से अभियुक्त के लिए कोई बचाव नहीं हो सकता है क्योंकि मुख्यतः जब उक्त तथ्यों को संपूर्ण रूप से लिया जाता है, वे अभियुक्त का दोष उपदर्शित करने वाले निष्कर्ष से भिन्न किसी अन्य निष्कर्ष पर आने की अनुमति नहीं देते हैं। (पैरा 15)

(ग) भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 304, भाग II—हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध–भूमि की सिंचाई पर विवाद–घटना की रात्रि के दौरान मृतक की हत्या की गयी थी–अपीलार्थी दो अन्य व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर मृतक के घर आया और उसको मठ ले गया, मृतक के प्रस्थान के लगभग 15 मिनट बाद सूचक ने मठ की ओर से आने वाला अपने पति का शोर सुना और जब वह वहाँ पहुँची, उसने मृतक को जमीन पर बेहोश एवं घायल पड़ा पाया और अन्य उपहतियों के अतिरिक्त मृतक के मस्तक पर उपहति थी–अभियोजन मामला चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया–दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपने बयान के दौरान अभियुक्त ने घटनास्थल के निकट अपनी उपस्थिति से इनकार किया, अन्यत्र होने का अभिवचन किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा ठुकरा दिया गया था, अभियोजन गवाहों के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा कोई अन्य सुझाव नहीं दिया गया–परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला सह-पठित अभियोजन गवाह के बयान एवं दं॰प्र॰सं॰ की धारा 313 के अधीन दर्ज अपीलार्थी का बयान किसी संदेह के बिना एक तथ्य सिद्ध करता है अर्थात् अभियुक्त ने निश्चय ही सूचक के पति की मृत्यु कारित किया था–अभिनिर्धारित, विचारण न्यायालय ने परिस्थितियों की श्रृंखला एवं हथियार के रूप में डंडा के उपयोग पर विश्वास करते हुए सही प्रकार से अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग II के अधीन दोषसिद्ध किया है–दंडादेश में उपांतरण के साथ अपील खारिज किया गया। (पैराएँ 9 से 17)

निर्णयज विधि.–(2009)15 SCC 165—Relied upon.

अधिवक्तागण.–M/s Delip Jerath, Rajesh Kumar, Vineet Vashistha, For the Appellant; Mr. Laxmi Murmu, For the State.

आदेश

एकमात्र अपीलार्थी जुगल बिहारी दास उर्फ सप्तऋषि युगल बिहारी दास ने सत्र विचारण सं॰ 446 वर्ष 1994 में अपर सत्र न्यायाधीश I, एफ॰ टी॰ सी॰ VIII, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 21.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 22.12.2004 के दंडादेश के विरुद्ध इस अपील को दाखिल किया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्ध किया और उसको पाँच वर्षों की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया।

2. अभियोजन मामला जैसा बागबेरा पुलिस थाना में दिनांक 21.5.1994 को प्रातः 8 बजे दर्ज सूचक रेणुका रॉय (अ॰ सा॰ 6) के फर्दबयान से प्रतीत होता है, संक्षेप में यह है कि दिनांक 20.5.1994

को रात्रि 8.15 बजे जब वह अपने पति एवं संतानों के साथ अपने घर के दरवाजा के पास बैठी हुई थी, तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर वहाँ आए और उनमें से एक 'मठ' का साधु अपीलार्थी जुगल बिहारी दास था और उसने उसके पति रघुनाथ रॉय को बुलाया और कहा कि उसे कोई व्यक्ति मठ पर बुला रहा है और तत्पश्चात मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों में से एक उत्तर गया और उक्त साधु ने उसको पैदल आने के लिए कहा और अपीलार्थी ने उसके पति से मोटरसाइकिल पर बैठने का अनुरोध किया और उसको मठ ले गया। रात्रि लगभग 8.45 बजे उसने मठ की ओर से आती चीख ''बचाओ-बचाओ' सुना और उसने अपने पति की चीख को पहचाना। वह तुरन्त अपने छोटे बच्चे के साथ मठ गयी और अपने पति को घायल दशा में चीखते देखा और वह कुछ भी बोलने की अवस्था में नहीं था और अपीलार्थी जुगल बिहारी दास वहाँ हाथ में 'डंडा' लिए खड़ा था। पूछने पर उसने कहा कि रघुनाथ रॉय नारियल के पेड़ से गिर गया है। तत्पश्चात सूचक अपने घर आयी और पुनः पड़ोसियों के साथ घटना स्थल पर गयी और अपने घायल पति को घर लायी। उसने अपने पति के मस्तक पर उपहतियाँ, बाएँ आँख के ऊपर सूजन और अपने पति की दायीं छाती पर खून के धब्बे पाया। उसने यह भी कथन किया है कि इस बीच उसका ससुर मिलन रॉय (अ॰ सा॰ 1) उसके घर आया किंतु चूँकि रात में अस्पताल जाने का साधन नहीं था, जख्मों पर स्थानीय गाँव की औषधि का उपयोग किया गया था किंतु उसी रात लगभग 1.30 बजे उसके पति ने उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया। चूँकि रात थी, अतः वह पुलिस थाना नहीं जा सकी थी। उसने यह कथन भी किया है कि घटना स्थल उसके घर से लगभग 500 गज पूर्व दिशा में था और चूँकि 'बगान' की सिंचाई के ऊपर अपीलार्थी और उसके पति के बीच विवाद था, उसने संदेह किया कि अपीलार्थी ने उसकी मृत्यु कारित करते हुए उसके पति के मस्तक पर डंडा से प्रहार किया था। पुलिस ने अन्वेषण के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया किंतु मामला सुपुर्द किए जाने पर सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया और अपीलार्थी का विचारण किया गया था।

3. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए अभियोजन ने कुल ग्यारह गवाहों का परीक्षण किया है। उनमें से अ॰ सा॰ 1 मिलन रॉय मृतक का पिता, अ॰ सा॰ 2 सुजित कुमार एवं अ॰ सा॰ 7 राम कुमार पांडे पड़ोसीगण, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 4 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के गवाहगण, अ॰ सा॰ 5 रामावती देवी मृतक की माता, अ॰ सा॰ 6 रेणुका रॉय मृतक की पत्नी और इस मामले की सूचक हैं। अ॰ सा॰ 8 ब्रजबिहारी सिंह पक्षद्रोही बन गया है। अ॰ सा॰ 9 सत्येन्द्र प्रसाद इस मामले का आई॰ ओ॰ है। अ॰ सा॰ 10 अभिग्रहण सूची गवाह है जिसे बाद में पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 11 डॉ॰ ललन चौधरी है जिसने मृतक रघुनाथ रॉय के मृत शरीर का शव परीक्षण किया है और निम्नलिखित मृत्युपूर्व उपहतियों को पाया है:-

(i) nk;h Hkkg d 15cm Åij] nk,¡ ijkbVy {k= d Åij 3cm x 0.5cm ,o 2.5cm x 0.5cm vkdkj d nk frjN fonh.k t[eA

(ii) ck;h vk[k d Åij 8cm x 5cm vkdkj dk uhykiu fy;k ltu

(iii) ck;h vxckg d eè; Hkkx dh ckgjh lrg d Åij 1.5cm x 0.25cm vkdkj dk [kjkpA

(iv) ck,¡ MYVk;M {k= d ihN d Åij 10cm x 0.5cm vkdkj dk [kjkpA

चीर-फाड़ करने पर डॉक्टर ने निम्नलिखित उपहतियों को पाया:-

सामने के भाग की सिर की खाल, दाएँ पेराइटल, दाएँ टेम्पोरल एवं ऑक्सीपीटल क्षेत्र के दाएँ हिस्से के ऊपर भारी रक्तस्राव और बायीं ओर के सामने की अस्थि, दाएँ पेराइटल अस्थि एवं दाएँ हिस्से के

ऑक्सीपीटल क्षेत्र को अंतर्ग्रस्त करने वाले बाएँ भौंह से ऑक्सीपीटल अस्थि के दाएँ हिस्से तक जाता खोपड़ी के ऊपर उपस्थित 24cm आकार का तिरछा लिनियर फ्रैक्चर भी पाया गया। भारी इंट्राकेनियल रक्तस्राव भी उपस्थित थे।

डॉक्टर के मत में, मृत्यु का कारण रक्तस्राव एवं आघात था और समस्त उपहतियाँ कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित की गयी थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श 7 के रूप में चिन्हित किया गया था। प्रतिपरीक्षण में डॉक्टर अ॰ सा॰ 11 ने स्पष्टत: इनकार किया कि ऐसी उपहतियाँ पेड़ से गिरने के कारण कारित की जा सकती हैं।

4. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने बयान में बचाव ने मृतक की हत्या में उसकी सह-अपराधिता से पूरा इनकार किया बल्कि अन्यत्र होने का अभिवचन किया किंतु चूँकि अन्यत्र होने के अभिवचन के समर्थन में बचाव द्वारा अभिलेख पर साक्ष्य नहीं लाया गया था, अवर न्यायालय ने अभिवचन अस्वीकार कर दिया।

5. विचारण न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य एवं अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अधीन और न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया और अपीलार्थी को उक्त उपदर्शित सीमा तक दंडादेशित किया।

6. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री दिलीप जेराथ ने निवेदन किया कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है किंतु तब भी विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का अधिमूल्यन किए बिना अपीलार्थी को गलत रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया। विद्वान अधिवक्ता ने गंभीर रूप से आगे प्रतिवाद किया कि अभिकथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यद्यपि अभियोजन परिस्थितियों की श्रृंखला जोड़ने में विफल रहा है, किंतु गलत रूप से दोषसिद्धि का निर्णय दर्ज किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **उत्तर पश्चिम कर्नाटक पथ परिवहन निगम बनाम गौराबाई एवं अन्य (2009)15 SCC 165,** में निर्णय पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि संदेह के मामले में सदैव अभियुक्त को संदेह का लाभ मिलेगा।

7. स्वीकृत रूप से, किसी ने उस तरीके से मृतक की हत्या होते नहीं देखा था जिस तरीके से वह मारा गया प्रतीत होता है। अपने फर्दबयान में और अपने साक्ष्य में भी सूचक अ॰ सा॰ 6 ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने अपीलार्थी से पूछा, उसने सूचित किया कि मृतक नारियल के पेड़ से गिर गया था किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अपीलार्थी के बयान में उसने घटना स्थल के निकट अपनी उपस्थिति से भी इनकार किया और अन्यत्र होने का अभिवचन किया यद्यपि विचारण न्यायालय द्वारा इस पर विश्वास नहीं किया गया है। डॉक्टर अ॰ सा॰ 11 ने अपने प्रति परीक्षण में पूरी तरह इनकार किया है कि मृतक के शरीर पर पायी गयी उपहतियाँ पेड़ से गिरने के कारण कारित की जा सकती है। चाहे जो भी हो, तथ्य बना रहता है कि दिनांक 20.5.1994 की रात्रि के दौरान मृतक की हत्या की गयी थी। चूँकि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और संपूर्ण अभियोजन मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी करना अभियोजन का कर्तव्य था।

8. विधि सुनिश्चित है कि ऐसे मामले में जिसमें साक्ष्य शुद्धत: परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी होगी कि वे अभियुक्त के दोष के परिकल्पना की तुलना में किसी अन्य परिकल्पना को स्वीकार नहीं करती है और अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ पूरी तरह असंगत है।

किंतु यह विधि भी समान रूप से सुनिश्चित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, तथ्यों एवं परिस्थितियों, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना इप्सित किया गया है, न केवल निश्चयात्मक प्रकृति की होनी चाहिए बल्कि उन्हें तर्कपूर्ण रूप से और संतोषजनक रूप से स्थापित करना होगा।

9. इस सुनिश्चित दृष्टिकोण के आलोक में, अब मैं अभियोजन गवाहों का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहूँगा कि क्या अवर न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्य के सही अधिमूल्यन पर आधारित हैं या नहीं। जैसा अभिकथित किया गया है, अभियोजन ने कतिपय परिस्थितियों पर विश्वास करते हुए कि समस्त अधिसंभाव्यताओं में अपीलार्थी और केवल अपीलार्थी, और न कि कोई अन्य, मृतक की हत्या कारित कर सकता था, मृतक की पत्नी एवं इस मामले की सूचक अ॰ सा॰ 6 रेणुका रॉय के साक्ष्य पर विश्वास किया था। इस गवाह ने बयान जैसा फर्दबयान में दिया गया था को लगभग दोहराया है और न्यायालय में परिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 20.5.1994 को रात्रि लगभग 8 बजे अपीलार्थी दो व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर उसके घर आया और उसके पति को कहा कि कोई व्यक्ति उसे मठ पर बुला रहा है। तत्पश्चात, अपीलार्थी ने अपने आदमियों में से किसी 'केदार' को पैदल आने के लिए कहा और मृतक से मोटरसाइकिल पर बैठने का अनुरोध किया और उसके पति को मठ लाया। अपने पति के प्रस्थान के लगभग 15 मिनट बाद उसने मठ की ओर से आने वाली अपने पति की चीख सुनी और तत्पश्चात उसने मुहल्ला के लोगों को जमा करने का प्रयास किया और रात्रि लगभग 8.45-9.00 बजे वह लोगों के साथ मठ गयी और अपने पति को गंभीर रूप से घायल दशा में जमीन पर पड़ा पाया और अपने पति के शरीर के निकट कुछ टूटे डंडों को बिखरा पाया। तत्पश्चात, वह मुहल्ला के लोगों की मदद से अपने पति के मृत शरीर को अपने घर लायी और अपनी सास रामावती देवी को सूचित किया कि अपीलार्थी ने उसके पति की हत्या कर दी है। प्रति परीक्षण के दौरान, गवाह ने स्पष्टत: कथन किया है कि उसने अपीलार्थी को मृतक पर प्रहार करते नहीं देखा था। जैसा प्रतीत होता है, इस गवाह को गहन प्रतिपरीक्षण के अध्यधीन किया गया था किंतु उसके मामले को भंजित करने के लिए उससे कुछ भी प्रतिकूल नहीं निकाला गया था। यह सत्य है कि इस गवाह के साक्ष्य में कतिपय विसंगतियाँ एवं विरोधाभास हैं किंतु वे अंतर और विरोधाभास तक हैं और ऐसा नहीं हैं जो अभियोजन मामले को प्रभावित कर सकें। इस मोड़ पर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विसंगतियों को इंगित करते हुए निवेदन किया कि यद्यपि उसका फर्दबयान दिनांक 21.5.1994 को प्रात: 8 बजे बागबारा पुलिस थाना में दर्ज किया गया था किंतु अपने साक्ष्य में इस गवाह ने कहा है कि अगले दिन पुलिस उसके घर आयी और उसका बयान दर्ज किया। द्वितीयत:, अपने फर्दबयान में इस गवाह ने मठ से अपने घर की दूरी लगभग 500 गज दिया है किंतु अपने साक्ष्य में गवाह ने अपने घर से मठ की दूरी 70-80 गज दिया है। अ॰ सा॰ 1 ने उसके घर एवं मठ के बीच की दूरी लगभग 500 फीट दिया है और आई॰ ओ॰ ने भी अपने साक्ष्य में कथन किया है कि मृतक के घर एवं मठ के बीच की दूरी लगभग 500 गज थी। प्रकटत: अ॰ सा॰ 6 देहाती अशिक्षित महिला है और किसी विवेकशील व्यक्ति के लिए भी इसे नापे बिना दो स्थानों के बीच की सटीक दूरी देना मुश्किल है। स्वीकृत रूप से, अ॰ सा॰ 9 आई॰ ओ॰ ने दिनांक 21.5.1994 को प्रात: 8 बजे पुलिस थाना में अ॰ सा॰ 6 सूचक का फर्दबयान दर्ज किया था। अत: भले ही कोई अंतर हो, इतना महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होता है जो संपूर्ण अभियोजन मामले को प्रभावित कर सके।

10. मृतक के पिता अ॰ सा॰ 1 मिलन रॉय ने अभिसाक्ष्य दिया है कि जब वह लगभग 9.00 बजे बाजार से घर वापस आया सूचक अ॰ सा॰ 6 ने उसे बताया कि रात्रि लगभग 8.30 बजे मठिया का साधु आया और रघुनाथ को स्कूटर पर ले गया और मठिया में उक्त साधु ने लाठी से रघुनाथ पर प्रहार किया और जब उसकी बहु ने अपने पति की चीख सुनी, वह अपनी संतान के साथ वहाँ गयी और रघुनाथ

को बेहोश पड़ा पाया और उक्त साधु अपने हाथ में डंडा लिए उसके पति के शरीर के निकट खड़ा था। जिसके बाद उसने मुहल्ला के लोगों की मदद से अपने पति को घर लाया और स्थानीय उपचार किया। इस गवाह ने आगे कथन किया कि उसके पुत्र ने रात्रि लगभग 1-1.30 बजे उपहतियों के कारण दम तोड़ दिया। इस गवाह ने आगे संपुष्ट किया है कि भूमि की सिंचाई के विवाद्यक पर उक्त साधु और उसके पुत्र के बीच कुछ विवाद था और अपने प्रति परीक्षण के पैरा 7 में संपुष्ट किया है कि उसके पुत्र की मृत्यु के संबंध में सूचना अगले दिन पुलिस थाना में पुलिस को दी गयी थी और तत्पश्चात पुलिस उसके घर आयी थी।

11. सूचक की सास और मृतक की माता अ॰ सा॰ 5 रमावती देवी ने कथन किया है कि उसकी पुत्र वधु रघुनाथ के शव को घर में लायी और पूछने पर उसने सूचित किया कि अपीलार्थी ने उसके पति पर प्रहार किया है।

12. यद्यपि अ॰ सा॰ 7 राजकुमार पांडे घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है किंतु वह सूचक के साथ मठ गया था और घायल रघुनाथ रॉय को उसके घर लाया था और प्रति परीक्षण के दौरान इस गवाह ने भी संपुष्ट किया है कि भूमि की सिंचाई के विवाद्यक पर मृतक एवं अपीलार्थी के बीच कुछ विवाद था।

13. प्रकटत:, अ॰ सा॰ 6 सूचक, अ॰ सा॰ 1 मृतक के पिता, अ॰ सा॰ 5 मृतक की माता और अ॰ सा॰ 7 राम कुमार पांडे ने संगत रूप से परिसाक्ष्य दिया है कि मृतक के बगान की सिंचाई करने के ऊपर मृतक एवं अपीलार्थी के बीच कुछ विवाद था। जैसा पहले के पैराग्राफ में कथन किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने बयान में अपीलार्थी द्वारा लिया गया अन्यत्र होने का बचाव किसी तर्कपूर्ण साक्ष्य की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा ठुकरा दिया गया था। अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अन्यत्र होने के अभिवचन पर अवर न्यायालय के उक्त निष्कर्ष का विरोध इस न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन का संबंध है कि अवर न्यायालय को अपीलार्थी का यह बचाव स्वीकार करना चाहिए था कि मृतक नारियल के पेड़ से गिर गया था, मैं कहना चाहूँगा कि यद्यपि उक्त बयान फर्दबयान में दिया गया है किंतु बचाव पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अपने बयान में कोई अभिवचन नहीं किया है बल्कि यह कहते हुए कि वह अभिकथित तिथि पर घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, अन्यत्र होने का अभिवचन किया था। डॉक्टर ने, जिसने शव परीक्षण किया था, अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में इनकार किया है कि इस प्रकार की उपहति पेड़ से गिरने के कारण कारित की जा सकती है।

14. वर्तमान मामले में, निम्नलिखित परिस्थितियों को सिद्ध किया गया है:–

(i) vihykFkh nk vU; 0;fDr;k d lkFk ekVj lkbfdy ij erd d ?kj vk;k vkj mldk eB y x;kA

(ii) erd d çLFkku d yxHkx 15 feuV ckn v0 lk0 6 lpd u eB dh vkj l vku okyh viu ifr dh ph[k luh vkj tc og ogk igph] mlu erd dk ?kk;y voLFkk e tehu ij cgk'k iMk ik;k vkj vU; migfr;k d vfrjDr erd d eLrd ij migfr FkhA

(iii) MkDVj u lkeu dk Hkkx d flj dh [kky d uhp] nk, ijkbVy] nk, VEikjy vkj vkDlhihVy {k= d nk, fgLl ij Hkkjh jDrlko ik;k vkj ck, Hkkg l vkDlhihVy vfLFk d nk, fgLl rd tkrk [kkiMh d Åij 24cm vkdkj dk frjNk fyfu;j vfLFk Hkx mifLFkr ik;k FkkA

(iv) MkDVj d er e] mDr migfr;k dM ,o HkkFkj inkFk }kjk dkfjr dh x;h Fkh vkj mUgku budkj fd;k fd ,lh migfr iM l fxju d dkj.k dkfjr dh tk ldrh gA voj U;k;ky; e vihykFkh }kjk fd;k x;k vU;= gku dk vfHkopu cpko }kjk vfHky[k ij yk, x, fdlh lk{; dh vuifLFkfr e voj U;k;ky; e Bdjk fn;k x;k FkkA vfHk;ktu xokgk d ijh{k.k d nkjku cpko dh çj.kk ij dkb vU; l>ko ugh fn;k x;k FkkA

15. परिस्थितिजन्य साक्ष्य बारीक नेटवर्क, जिसके माध्यम से अभियुक्त बचकर नहीं निकल सकता है, सृजित करने वाले ताथ्यिक मैट्रिक्स का घनिष्ठ साथी है, मुख्यत: इसलिए कि जब उक्त तथ्यों को संपूर्ण रूप से लिया जाता है, वे अभियुक्त के दोष को उपदर्शित करने वाले किसी निष्कर्ष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर आने की अनुमति नहीं देते हैं। यह सत्य है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है किंतु उक्त कथित परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला सहपठित अभियोजन गवाहों के बयान और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अपीलार्थी का बयान नि:संदेह एक तथ्य सिद्ध करता है कि निश्चय ही अभियुक्त ने सूचक अ॰ सा॰ 6 के पति की मृत्यु कारित किया था। अवर न्यायालय ने परिस्थितियों की श्रृंखला एवं हथियार के रूप में डंडा के उपयोग पर विश्वास करते हुए सही प्रकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है। मैं विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई तर्कपूर्ण एवं तर्कसंगत आधार नहीं पाता हूँ।

16. अत:, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि का निर्णय एतद्द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है। किंतु, इस तथ्य कि घटना दिनांक 20.5.1994 को अर्थात् 20 वर्ष से अधिक पहले हुई थे और इस तथ्य कि अपीलार्थी विचारण के दौरान दिनांक 22.5.1994 से दिनांक 19.8.1995 तक अर्थात् लगभग एक वर्ष तीन माह तक अभिरक्षा में बना रहा, पर विचार करते हुए और उस अवधि, जब उसे पुन: दोषसिद्धि के बाद दिनांक 22.12.2004 को अभिरक्षा में लिया गया था और इस न्यायालय के दिनांक 29.3.2005 के आदेश के अनुसरण में निर्मुक्त किया गया था अर्थात् कुल मिलाकर एक वर्ष एवं छह माह की अवधि पर भी विचार करते हुए और यह तथ्य कि अपीलार्थी उस तिथि पर, जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसका बयान दर्ज किया गया था, पचास वर्ष की आयु का था और अब बीस वर्ष से अधिक बाद अपीलार्थी 70 वर्ष से अधिक आयु का है, मेरे सुविचारित मत में अपीलार्थी को दंडादेश भुगतने के लिए पुन: कारा भेजा जाना वांछनीय नहीं होगा।

17. मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी को उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक के लिए दंडादेश दिया जाता है।

18. दंडादेश में इस उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है।

---

ekuuh; ih0 ih0 HkVV] U;k;efr

श्रीमती शांति देवी

cuke

भारत संघ

M.A. No. 257 of 2012. Decided on 9th March, 2015.

रेलवे अधिनियम, 1989—धारा 124A—अप्रिय घटना–दावा आवेदन की खारिजी–मृतक की मृत्यु अप्रिय घटना के कारण हुई जैसा विद्वान रेलवे दावा अधिकरण के समक्ष दिए गए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से परिलक्षित होता है–अपीलार्थी का मामला स्पष्टत: रेलवे

अधिनियम की धारा 124A के अधीन ''अप्रिय घटना'' का मामला है–यद्यपि रेलवे प्राधिकारियों ने प्रतिवाद किया है कि मृतक सद्भावपूर्ण यात्री नहीं था, कोई तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करके रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रतिवाद समर्थित नहीं किया गया था–मृतक सद्भावी यात्री था और मामले का अन्वेषण किया गया था और अप्रिय घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया था–अभिनिर्धारित, आर॰ सी॰ टी॰ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विधि की प्रतिपादना के विपरीत है–आर॰ सी॰ टी॰, राँची का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया गया, प्रत्यर्थी रेलवे प्राधिकारियों को 4 लाख रुपयों की मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया–अपील अनुज्ञात। (पैराएँ 9 से 11)

निर्णयज विधि.–(2004) Supreme (Kar.) 17539 and (2004) ACJ 1761—Referred.

अधिवक्तागण.–Mrs. Chaitali Chatterjee Sinha, For the Appellant; Mr. P.C. Sinha, For the Respondent.

आदेश

वर्तमान अपील रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 16 के अधीन दाखिल केस सं॰ OA (IIU) RNC/2007/0081 (पुरानी सं॰ OU-70081/07) में विद्वान सदस्य/तकनीकी, रेलवे दावा अधिकरण, राँची पीठ द्वारा पारित दिनांक 12.9.2012 के निर्णय एवं आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन दाखिल की गयी है, जिसमें विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा अपने पति की दुर्घटनावश मृत्यु के कारण आवेदन दाखिल करने की तिथि अर्थात् दिनांक 7.12.2007 से ब्याज के साथ चार लाख रुपयों का मुआवजा इप्सित करते हुए दाखिल दावा आवेदन खारिज कर दिया है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती चैताली चटर्जी सिन्हा और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी॰ सी॰ सिन्हा सुने गए। अवर न्यायालय अभिलेख एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य सामग्रियों का परिशीलन किया गया।

3. वर्तमान अपील को उद्भूत करने वाले संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं:

मृतक दिनांक 30.5.2007 को वैध द्वितीय श्रेणी टिकट खरीदने के बाद गया जंक्शन से धनबाद तक की यात्रा कर रहा था। वह गया जंक्शन पर गाडी सं॰ 3306 डाउन गया–धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस पर सवार हुआ। यात्रा के समय ट्रेन में काफी भीड़ थी और जब उक्त ट्रेन बंझी नाला और टनकुप्पा (कि॰ मी॰ 448/10-448/12) के बीच चल रही थी, मृतक भारी भीड़ एवं यात्रियों के बीच धक्का–मुक्की के कारण चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिर गया और चलती ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक का मृत शरीर बंझीनाला–टनकुप्पा स्टेशनों (कि॰ मी॰ 448/10-448/12) के बीच में बरामद किया गया था।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, रेलवे प्राधिकारियों ने रेलवे पुलिस के माध्यम से मामले का अन्वेषण करवाया। उनकी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एवं अंतिम रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन सं॰ 3306 डाउन गया–धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस से दुर्घटनावश गिर जाने के कारण हुई। यह निवेदन भी किया गया था कि मृतक ट्रेन सं॰ 3306 डाउन गया–धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस का सद्भावी यात्री था और उसने दिनांक 30.5.2007 को गया से धनबाद तक की यात्रा करने के लिए वैध टिकट खरीदा था। इस तथ्य का कथन उसके ससुर श्री किशोर प्रसाद यादव द्वारा किया गया था जिसने अधिकरण के समक्ष शपथ पत्र (परिशिष्ट 3) दाखिल किया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि मामलों की श्रृंखला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है

कि यह सिद्ध करने का दायित्व रेलवे प्राधिकारी पर था कि मृतक सद्भावी यात्री नहीं था। वर्तमान मामले में, रेलवे प्राधिकारी ऐसा प्रतिवाद सिद्ध करने में विफल रहे। किंतु, विद्वान रेलवे दावा अधिकरण ने समुचित रूप से विधि की इस प्रतिपादना का अधिमूल्यन नहीं किया है जैसा **(2004) Supreme (Kar) 17539 एवं (2004)ACJ 1761 (श्रीमती लीलावथम्मा बनाम भारत संघ)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि ट्रेन में काफी भीड़ थी और सहयात्रियों के बीच अत्यन्त धक्का-मुक्की के कारण मृतक अपना संतुलन बनाए रख नहीं सका था और दुर्घटनावश बंझीनाला-टनकुप्पा के बीच चलती ट्रेन से गिर गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (C) में अंतर्विष्ट प्रावधान की ओर भी आकृष्ट किया है जो 'अप्रिय घटना' को परिभाषित करता है और रेलवे अधिनियम की धारा 2 (29) 'यात्री' को परिभाषित करता है:–

jyo vfèkfu;e dh èkkjk 2 (29) ,o èkkjk 123 (c) (2) fuEufyf[kr çkoèkkfur djrh g%&

èkkjk 2 (29) ^^;k=h**&dk vFk&^^;k=h** l vfHkçr g oèk ikl ;k fVdV d lkFk ;k=k dju okyk 0;fDrA

èkkjk 123 (c) (2) ;k=h Vu l fdlh ;k=h dk n?kVuko'k fxjukA

6. दिनांक 12.9.2012 के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को निर्दिष्ट करते हुए यह निवेदन किया गया है कि विद्वान अधिकरण ने रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A में अंतर्विष्ट प्रावधान का अधिमूल्यन करते हुए गलती किया है:–

jyo vfèkfu;e] 1989 dh èkkjk 124A fuEufyf[kr çkoèkkfur djrh g%&

èkkjk 124A-**vfç; ?kVuk d dkj.k evkotk**&tc jyo d dke dju d Øe e vfç; ?kVuk gkrh g] rc pkg] jyo ç'kklu dh vkj l dkb nk"ki.k ÑR;] mi{kk vFkok 0;frØe fd;k x;k g ;k ugh tk ;k=h ?kk;y gvk g vFkok ;k=h dk vkfJr tk ekjk x;k g dk dkjokb dju vkj mld lcèk e udlkuh oly dju dk gdnkj cuk,xk] jyo ç'kklu fdlh vU; fofèk e vrfo"V fdlh pht d ckotn ml lhek rd tlk fofgr fd;k x;k g vkj ,lh vfç; ?kVuk d ifj.kkeLo#i ;k=h dh eR; vFkok migfr }kjk dkfjr gkfu d fy, doy ml lhek rd evkotk dk Hkxrku dju dk nk;h gkxk%

ijUr ;g fd bl èkkjk d vèkhu jyo ç'kklu }kjk evkotk Hkxr; ugh gkxk ;fn&

(a) mld }kjk vkRegR;k vFkok vkRegR;k d ç;kl(

(b) Lodkfjr migfr(

(c) Lo; mld vkijkfèkd ÑR;(

(d) u'k vFkok ikxyiu dh voLFkk e mld }kjk fd, x, fdlh ÑR;(

(e) fdlh LokHkkfod dkj.k vFkok chekjh vFkok efMdy vFkok lftdy bykt] tc rd ,lk bykt mDr vfç; ?kVuk }kjk dkfjr migfr d dkj.k vko';d ugh cu tkrk g] d dkj.k ;k=h dh eR; gkrh g vFkok migfr ik;h tkrh gA**

7. आगे यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त प्रावधान की दृष्टि में मृतक का मामला रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A के अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता

ने आगे निवेदन किया कि अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य स्पष्टत: उपदर्शित करते हैं कि R-15 के तहत अप्रिय घटना का रिपोर्ट है, R-10 के तहत मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी है और इसे रेलवे प्राधिकारियों द्वारा तथा अन्वेषण एजेंसी द्वारा भी अप्रिय घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया है। दुर्घटना का अन्वेषण रिपोर्ट भी R-17 के तहत विद्वान रेलवे दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मृतक की पत्नी तथा मृतक के ससुर ने भी शपथ पत्र दाखिल किया है और रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण किया गया था, किंतु वे दोनों संगत बने रहे हैं और किसी गवाह द्वारा विरोधाभासी बयान नहीं दिया गया है। किंतु, विद्वान अधिकरण यह अधिमूल्यन करने में विफल रहा है कि यह अप्रिय घटना थी और तद्द्वारा मृतक की विधवा का दावा अस्वीकार कर दिया। स्वर्गीय किशोरी यादव की विधवा शांति देवी, जिसका परीक्षण डब्ल्यू॰ 1 के रूप में विद्वान रेलवे अधिकरण के समक्ष किया गया है, द्वारा दाखिल शपथ पत्र से यह प्रतीत होता है कि मृतक पति की मृत्यु अपने पीछे उसके अतिरिक्त दो पुत्रियों एवं एक पुत्र को छोड़कर हो गयी और वे सब मृतक पति पर आश्रित थे।

8. प्रत्यर्थी रेलवे के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने रेलवे दावा अधिकरण द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया और निवेदन किया कि तथ्यों एवं परिस्थितियों और विधिक प्रतिपादना जैसा रेलवे अधिनियम में वर्णित किया गया है पर सावधानीपूर्ण विचार के बादर उक्त आदेश पारित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि यह मृतक की ओर से घोर उपेक्षा का मामला था, और, इसलिए, विद्वान रेलवे दावा अधिकरण ने सही प्रकार से आवेदक द्वारा किया गया दावा अस्वीकार किया है क्योंकि मृतक की मृत्यु स्वयं अपनी उपेक्षा के कारण हुई और मामला रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A के अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अतिरिक्त, मृतक सद्भावी यात्री नहीं था क्योंकि मृतक के शरीर से कोई टिकट नहीं पाया गया था।

9. उक्त निवेदन को ध्यान में रखने पर और अपील के साथ प्रस्तुत अन्य सामग्रियों तथा अभिलेख एवं कार्यवाही के परिशीलन पर यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि मृतक की मृत्यु अप्रिय घटना के कारण हुई जैसा यह विद्वान अधिकरण के समक्ष दिए गए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से परिलक्षित होता है। अवर न्यायालयों के अभिलेखों, विशेषत: R-1, R-2, R-3, R-6, R-10,R-13, R-14, R-15, R-16 एवं R-17 में अंतर्विष्ट दस्तावेजों के परिशीलन पर यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि यह अप्रिय घटना का मामला था।

10. मृतक के ससुर श्री किशोर प्रसाद यादव द्वारा दाखिल शपथ पत्र तथा मृतक की विधवा शांति देवी द्वारा दाखिल शपथ पत्र अपीलार्थी के प्रतिवाद का समर्थन करते हैं। रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उक्त दोनों गवाहों का प्रति परीक्षण किया गया है, किंतु दोनों गवाहों ने पूर्णत: मामले का समर्थन किया है और कोई विरोधाभासी बयान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रेलवे अधिनियम की धारा 2 (29), धारा 123 (c) (2) सह-पठित धारा 124A में अंतर्विष्ट प्रावधान के मुताबिक दुर्घटना जिसमें अपीलार्थी के पति की मृत्यु हुई, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124A के परन्तुक के अपवाद (a) से (c) तक के अंतर्गत नहीं आता है। अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की दृष्टि में, अपीलार्थी का मामला स्पष्टत: रेलवे अधिनियम की धारा 124A के अधीन 'अप्रिय घटना' का मामला है। अत:, अपीलार्थी प्रत्यर्थी रेलवे प्राधिकारियों से चार लाख रुपयों का मुआवजा पाने की हकदार है। यद्यपि रेलवे प्राधिकारियों ने प्रतिवाद किया है कि मृतक सद्भावी यात्री नहीं था, किसी तर्कपूर्ण साक्ष्य को प्रस्तुत करके रेलवे प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रतिवाद सिद्ध नहीं किया गया है। जैसा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से प्रकट होता है। दूसरी ओर, जैसी चर्चा यहाँ ऊपर की गयी है, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से यह पूरी तरह से स्पष्ट बन जाता है कि

मृतक सद्भावी यात्री था और मामले का अन्वेषण किया गया था और इसे अप्रिय घटना के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

11. इन परिस्थितियों के अधीन, विद्वान अधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण यहाँ ऊपर चर्चा की गयी विधि की प्रतिपादना के विपरीत है। केस सं॰ OA (IIU) RNC 2007/0081 (पुरानी सं॰ OU-70081/07) में विद्वान सदस्य, रेलवे दावा अधिकरण, राँची द्वारा पारित दिनांक 12.9.2012 का आक्षेपित निर्णय एवं आदेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी रेलवे प्राधिकारियों को आदेश की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर दावा याचिका दाखिल किए जाने की तिथि से वसूली तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के साथ चार लाख रुपयों के मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

12. तद्नुसार, यह अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; jkxku e[kkikè;k;] U;k;efr

दिनेश चंद्र गुप्ता एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Cr. M.P. No. 1636 of 2012. Decided on 25th March, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 406 एवं 420—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—न्यास का दांडिक भंग एवं छल–संज्ञान–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही के अभिखंडन के लिए याचिका–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया–यदि अन्वेषण के क्रम में अपराधों के अवयव संतुष्ट किए जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों में दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करना न्याय के हित में नहीं होगा–विवाद पूर्णतः संयुक्त परिवार संपत्ति के विक्रय के इर्द-गिर्द घूमता है जिसके लिए सह-अंशधारियों में अनबन है और चूँकि याचीगण के विरुद्ध दांडिक अपराध नहीं बनता है, यह दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप आवश्यक बनाएगा–संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित की गयी, याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 10 से 16)

निर्णयज विधि.–(2009)8 SCC 751, (2009)7 SCC 495—Relied upon.

अधिवक्तागण.–Mr. Sanjay Kumar Tiwari, For the Petitioners; A.P.P., For the State; Mr. A.K. Chaturvedi, For the O.P. No.2/Informant.

आदेश

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता सुने गए।

2. इस आवेदन में याचीगण ने मंझियाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 133 वर्ष 2011, जी॰ आर॰ सं॰ 1821 वर्ष 2011 के तत्सम, के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही सहित विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) VII, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 7.7.2012 के आदेश जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया है के अभिखंडन के लिए प्रार्थना की गयी है।

3. सूचक की ओर से लिखित रिपोर्ट से अभियोजन मामला उद्भूत होता है कि सूचक एवं अन्य सह-अंशधारी ग्राम बिदंदा में पैतृक संपत्ति के स्वामी थे और इस पर काबिज थे जिसे उसके बड़े भाई

अर्थात् याची सं॰ 1 द्वारा नियंत्रित एवं प्रबंधित किया जाता था। यह भी अभिकथित किया गया है कि याची सं॰ 1 ने बिदेंदा गाँव के संयुक्त परिवार संपत्ति के 40-50 एकड़ भूमि का स्वयं अपना होने का दावा करते हुए अनेक ग्रामीणों को 60-70 लाख रुपयों के प्रतिफल पर अंतरित किया और तद्द्वारा अन्य सह-अंशधारियों को हानि कारित किया। आगे यह अभिकथित किया गया है कि विक्रय विलेख सं॰ 5143 वर्ष 2006 के माध्यम से याची सं॰ 1 ने खरीदार को संयुक्त संपत्ति अंतरित किया और पूछे जाने पर याची सं॰ 1 क्रोधित हो गया।

4. अन्वेषण के बाद, पुलिस ने याचीगण के विरुद्ध दिनांक 30 जून, 2012 को आरोप-पत्र दाखिल किया और तत्पश्चात् विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) VII, गढ़वा ने दिनांक 7 जुलाई, 2012 के आदेश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया था।

5. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्राथमिकी में किए गए अभिकथन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन दंडनीय कोई अपराध गठित नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा अपराध गठित करने के लिए आवश्यक अवयव आरंभ से ही की गयी प्रवंचना है। यह निवेदन भी किया गया है कि प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों को सत्य मानने पर भी, भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 एवं 420 के अधीन मामला नहीं बनता है क्योंकि प्रवंचना अथवा सूचक को गैरईमानदार उत्प्रेरण का अभिकथन नहीं है।

6. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने **देवेन्द्र एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2009)7 SCC 495** और **मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2009)8 SCC 751** में निर्णयों पर विश्वास किया है।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य द्वारा दाखिल प्रतिशपथपत्र पर विश्वास करते हुए निवेदन किया है कि केस डायरी के पैरा 110 से यह प्रकट हुआ कि याचीगण ने नकली दस्तावेजों को तैयार किया था और कूटरचित मुख्तारनामा के आधार पर वे अचल संपत्ति बेचा करते थे।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि चूँकि प्राथमिकी में किए गए अभिकथनों को सत्य पाया गया है, याचीगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है जिसके अनुसरण में संज्ञान लिया गया है और संज्ञान लेने वाले आदेश में किसी अवैधता की अनुपस्थिति में याचीगण के विरुद्ध संस्थित दांडिक कार्यवाही में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

9. सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रश्नगत संपत्ति संयुक्त परिवार की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी और याचीगण को सह-अंशधारी होने के नाते अन्य सह-अंशधारियों को सूचित किए बिना संपत्ति का भाग बेचने से अपवर्जित किया गया था और याचीगण की ओर से संपूर्ण मामला अन्य सह-अंशधारियों के साथ छल करने के लिए दांडिक षड्यंत्र प्रकट करता है। यह निवेदन भी किया गया है कि अन्वेषण ने संपत्ति बेचते हुए याचीगण द्वारा उपयोग किए गए कूटरचित एवं नकली दस्तावेजों को प्रकट किया है और ऐसी परिस्थिति में याचीगण के विरुद्ध दांडिक अपराध भी स्पष्ट रूप से बनता है।

10. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने के बाद मैं पाता हूँ कि लिखित रिपोर्ट में याचीगण जो सूचक के बड़े भाई हैं के विरुद्ध अभिकथन ये हैं कि

अन्य सह–अंशधारियों को अंधकार में रखते हुए संयुक्त परिवार की संपत्ति का एक भाग अन्य व्यक्तियों को बेचा गया है और केवल पूर्वोक्त तथ्य की जानकारी होने पर प्राथमिकी संस्थित की गयी थी।

11. याचीगण की शिकायत यह प्रतीत होती है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी और बँटवारा प्रभावकारी नहीं बनाया गया था, अतः याची सं॰ 1 को खरीदारों को उक्त संपत्ति बेचने का विधिक अधिकार नहीं था।

12. मोहम्मद इब्राहिम एवं अन्य (ऊपर) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:–

"20. tc mld LokfeRo dk nkok djr g, lifÙk dk gLrkrfjr djr g, foØ; fu"ikfnr fd;k tkrk g] ,l foØ; foy[k d vèkhu [kjhnkj d fy, ;g vfHkdfFkr djuk lHko gk ldrk g fd foØrk u LokfeRo dk >Bk 0;in'ku djd mld lkFk Ny fd;k g vkj diViod mldk foØ; çfrQy l vyx gku d fy, çfjr fd;k gA fdr bl ekey e [kjhnkj }kjk ifjokn ugh fd;k x;k gA nljh vkj] [kjhnkj dk lg&vfHk;Dr cuk;k x;k gA

21. ifjoknh dk ekeyk ;g ugh g fd fdlh vfHk;Dr u >Bk vFkok Hkked 0;in'ku djd vFkok fdlh dkjokb vFkok yki }kjk mldk çofpr dju dk ç;kl fd;k vkj u gh mldk ekeyk ;g g fd mUgku fdlh lifÙk dk ifjnku dju d fy, vFkok fdlh 0;fDr }kjk bldk viu ikl j[ku dh lgefr nu d fy, mldk dkb diVi.k vFkok xj bekunkj mRçj.k fn;k vFkok fdlh pht dju vFkok ugh dju d fy,] tk og ugh djrk ;fn ml bl çdkj çofpr ugh fd;k x;k gkrk] ml vk'k;iod çfjr fd;kA u gh ifjoknh vfHkdfFkr djrk g fd çFke vihykFkh u foØ; foy[kk dk fu"ikfnr djr g, ifjoknh gku dk cgkuk fd;kA vr%] ;g ugh dgk tk ldrk g fd çFke vfHk;Dr u f}rh; vfHk;Dr d i{k e foØ; foy[k fu"ikfnr dju d ÑR; }kjk vFkok f}rh; vfHk;Dr u [kjhnkj gku d dkj.k l vFkok rrh;] prFk ,o ipe vfHk;Dr u foØ; foy[kk d lcèk e xokg] LØkbc vkj LVki oMj gku d dkj.k l fdlh rjhd l ifjoknh dk çofpr fd;kA

22. pfd èkkjk 415 e dfFkr Ny dk vo;o ugh ik;k x;k g] ;g ugh dgk tk ldrk g fd lfgrk dh èkkjkvk 417, 418, 419 ;k 420 d vèkhu nMuh; vijkèk fd;k x;k FkkA

*23. tc ge ;g dgr g fd fdlh lifÙk tk mldh ugh g dk viuh lifÙk d :i e gLrkrfjr dju dk rkRi; j[ku oky fdlh 0;fDr }kjk foØ; foy[k dk fu"iknu djr g, >Bk nLrkot ugh cuk;k x;k g vkj blfy, dVjpuk ugh g] ge ;g vfHkfuèkkfjr djrk gvk ugh le>k tkuk pkfg, fd ,lk ÑR; nkfMd vijkèk dHkh ugh gk ldrk gA ;fn dkb 0;fDr ;g tkur g, fd ;g mldh lifÙk ugh g] lifÙk cprk g vkj rn}kjk ml 0;fDr d lkFk èkk[kk djrk g ft lu lifÙk [kjhnk g] èkk[kk fn;k x;k 0;fDr vFkkr [kjhnkj ifjokn dj ldrk g fd foØrk u Ny dk diVi.k ÑR; fd;k gA fdr rrh; i{k tk foy[k d vèkhu [kjhnkj ugh g] ,lk ifjokn ugh dj ldrk gA***

13. देवेन्द्र और एक अन्य (ऊपर) मामले में, समरुप परिस्थितियों में जहाँ संयुक्त परिवार की संपत्ति के सह–अंशधारियों ने तृतीय पक्षकार के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन का अभिकथन करते हुए अन्य सह–अंशधारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया था, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

"20. vihykFkhx.k lifÙk d Lokeh gA mUgku foØ; foy[k fu"ikfnr fd;k gA foØ; foy[k d fu"iknu l budkj ugh fd;k x;k gA ;fn dkb mDr foØ; foy[k

*e fd, x, >B çk[;kuk l 0;fFkr g] og Ørk gkxk vkj u fd lg&v'kèkkjhx.kA vihykFkhx.k dk fdlh >B nLrkotk dk lftr dju dk nk"kh vfHkdfFkr ugh fd;k x;k gA***

14. वर्तमान मामले में, स्वीकृत रूप से, यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के भाग के अभिकथित खरीदार ने याचीगण के विरुद्ध कोई दांडिक कार्यवाही आरंभ नहीं किया है। स्वीकृत रूप से सूचक ने सह-अंशधारी के रूप में अपनी हैसियत में याचीगण के विरुद्ध संयुक्त परिवार की संपत्ति का भाग बेचने पर दांडिक अभियोजन दर्ज किया है। उक्त निर्दिष्ट निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया कि धोखा दिया गया व्यक्ति अर्थात् खरीदार दावा कर सकता है कि विक्रेता ने उसके साथ धोखा किया है और तद्द्वारा छल का कृत्य किया है। ऐसे तथ्यों पर दांडिक मामले का आरंभ किया जाना सह-अंशधारियों के क्षेत्र में नहीं है। अन्यथा भी लिखित रिपोर्ट में किए गए अभिकथन प्रकट नहीं करते हैं कि आरंभ से ही याचीगण की ओर से प्रवंचना एवं छल का कृत्य किया गया था।

15. जहाँ तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग का संबंध है, यदि अन्वेषण के क्रम में अपराधों के अवयवों को संतुष्ट किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में, दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करना न्याय के हित में नहीं होगा। विवाद संपूर्णत: संयुक्त परिवार की संपत्ति के विक्रय के इर्द-गिर्द घूमता है जिसके लिए सह-अंशधारियों के बीच अनबन है और चूँकि याचीगण के विरुद्ध दांडिक अपराध नहीं बनता है, यह इस न्यायालय द्वारा दांडिक कार्यवाही में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं बनाएगा।

16. तद्नुसार, इस आवेदन में गुणागुण होने के कारण इसे अनुज्ञात किया जाता है और मांझियाँव पी॰ एस॰ केस सं॰ 133 वर्ष 2011, जी॰ आर सं॰ 1821 वर्ष 2011 के तत्सम, के संबंध में विद्वान सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) VII, गढ़वा द्वारा पारित दिनांक 7.7.2012 के आदेश सहित संपूर्ण दांडिक कार्यवाही को एतद् द्वारा अभिखंडित किया जाता है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

शशि भूषण प्रसाद

cuke

झारखंड राज्य एवं एक अन्य

Criminal Revision No. 493 of 2012. Decided on 28th April, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 205—व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त किया जाना—दहेज अपराध—भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन संज्ञान लिया गया है और याची के विरुद्ध केवल समन जारी किया गया है—याची पर्यटक मार्गदर्शक है और उसे विभिन्न स्थानों तक दूर-दूर तक की यात्रा करने की आवश्यकता होती है—याची व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए तैयार है जब कभी न्यायालय द्वारा इसे आवश्यक बनाया जाता है—शर्तों के अध्यधीन आवेदन अनुज्ञात किया गया। (पैराएँ 6 से 9)

निर्णयज विधि.—(2001) 7 SCC 401; 1998 (1) AII PLR 498 (D.B.); 2003 (2) JLJR 502—Referred.

अधिवक्तागण.—Mr. K.P. Deo, For the Petitioner; A.P.P., For the Resp.-State; M/s S.K. Murthy, Shashi Kant Thakur & Chandra Prabha, For the O.P. No.2.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता (इसमें इसके बाद 'संहिता' के रूप में निर्दिष्ट) की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन याची द्वारा सी॰ पी॰ केस सं॰ 1467 वर्ष 2010 में श्री पार्थो सारथी घोष, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 5.6.2012 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त करने और विचारण के दौरान अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्व किए जाने की अनुमति उसे देने की प्रार्थना के साथ संहिता की धारा 205 के अधीन याची द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. यह प्रतीत होता है कि वर्तमान विरोधी पक्षकार सं॰ 2 द्वारा याची और उसके परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 498A, 406 एवं 307 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अभिकथित अपराध के लिए परिवाद मामला इस अभिकथन पर दाखिल किया गया था कि परिवादी का याची के साथ विवाह वर्ष 2004 में संपन्न किया गया था और विवाहोपरांत वह अपनी ननद के घर पटना गयी और तत्पश्चात, अपने पति के साथ रहने के लिए गुड़गाँव (हरियाणा) गयी। यद्यपि विवाह के समय पर दहेज में वस्तुएँ एवं नगद राशि दी गयी थी किंतु तब भी दहेज मांग के लिए और कार के लिए उसके पति एवं सास-ससुर द्वारा उसे यातना के अध्यधीन किया जाता था। वर्ष 2007 में उसके पिता से पुनः दहेज मांगा गया था किंतु उनकी मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण, उसके ससुराल वालों ने उसे उसके पिता के घर छोड़ दिया था। परिवादी के आभूषण एवं अन्य सामान अभी भी याची एवं अन्य अभियुक्तगण के पास हैं। वर्ष 2010 में पुनः दहेज मांगा गया था और धमकी दी गयी थी कि यदि मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, वे उसके पति का विवाह एक अन्य लड़की से कर देंगे।

3. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि जाँच के बाद विद्वान दंडाधिकारी ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन केवल याची के विरुद्ध संज्ञान लिया और दिनांक 7.1.2011 के आदेश के तहत उसके विरुद्ध समन जारी करने का निर्देश दिया। समन पाने के बाद याची ने संबंधित न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 205 के अधीन आवेदन उसमें यह कथन करते हुए दाखिल किया कि याची पर्यटन मार्गदर्शक है और अपने काम के सिलसिले में गुड़गाँव में रहता है और समय-समय पर उसे डेलीगेटों के साथ गुड़गाँव के बाहर जाना पड़ता है और वह दिल्ली में भी निवास करता है। ऐसी दशा में, प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उसे अभिमुक्त किया जा सकता है और यदि न्यायालय के आदेश के अधीन यह आवश्यक पाया जाता है, वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और अन्य रुटीन मामलों के लिए उसे अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है। दूसरे पक्ष को समुचित अवसर देने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अवर न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रार्थना अस्वीकार कर दिया कि उपस्थिति के लिए समन जारी करने के बाद याची ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बजाए संहिता की धारा 205 के अधीन याचिका दाखिल किया और आगे अभिनिर्धारित किया कि याची के काम की प्रकृति विभिन्न स्थानों तक दूर-दूर तक यात्रा करना आवश्यक बनाती है और उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रार्थना अस्वीकार की गयी थी क्योंकि उसकी उपस्थिति प्रतिभूतियों एवं बंधपत्रों द्वारा प्रतिभूत, प्रत्याभूत एवं बाध्य नहीं है।

4. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त को निजी उपस्थिति से अभिमुक्त करना अथवा छूट प्रदान करना दंडाधिकारी के स्वविवेक के सुअंतर्गत है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भाष्कर इंडस्ट्रीज लि॰ बनाम भिवानी डेनिम एवं एपेरल लि॰ एवं अन्य, (2001)7 SCC 401,** में अभिनिर्धारित किया गया है किंतु स्वविवेक का प्रयोग करते हुए न्यायालय को

अभियुक्त की न्यायालय में अपनी उपस्थिति के कारण उस पर कारित होनेवाली संभावित असुविधा पर भी विचार करना है। विद्वान अधिवक्ता ने **रामहर्ष दास बनाम बिहार राज्य, 1998 (1) All. PLR 498 (DB),** मामले में आगे विश्वास करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय को युक्तियुक्त तरीके से व्यक्तिगत उपस्थिति अभिमुक्त करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए लेकिन नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त करने वाले अपराधों सहित गंभीर प्रकृति के मामलों में ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

5. उक्त निवेदनों के विरोध में विरोधी पक्षकार सं॰ 2 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **फिरोजा खातुन एवं एक अन्य बनाम झारखंड राज्य,** 2003 (2) JLJR 502, पर विश्वास करते हुए निवेदन किया कि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन समरुप मामले में यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रार्थना अस्वीकार की गयी थी कि केवल तुच्छ प्रकृति के अथवा छोटे-मोटे अपराध के मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति अभिमुक्त करने के लिए दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 205 का उपयोग किया जा सकता है जिनमें पहली बार न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन जारी करता है और आगे निवेदन किया कि वर्तमान मामला तुच्छ प्रकृति का नहीं है और संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बजाए याची ने इस न्यायालय के समक्ष इस पुनरीक्षण को दाखिल किया।

6. वर्तमान मामले में, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 498A के अधीन संज्ञान लिया गया है और याची के विरुद्ध केवल समन जारी किया गया है। याची जो पर्यटन मार्गदर्शक है को विभिन्न स्थानों की लम्बी यात्रा करने की आवश्यकता होती है। किंतु, याची ने अपनी याचिका में कथन किया है कि जब कभी न्यायालय को उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी, वह उपस्थित होगा और केवल रुटीन मामलों में उसके अधिवक्ता को उसका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए।

7. यह प्रतीत होता है कि अभियोजन ने कहीं पर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि याची पर्यटन मार्गदर्शक नहीं है और डेलीगेटों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा नहीं करता है। इन परिस्थितियों में, मैं महसूस करता हूँ कि याची की व्यक्तिगत उपस्थिति अभिमुक्त करने में अवर न्यायालय को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी।

8. तद्नुसार, मैं याची को अवर न्यायालय के समक्ष वचन दाखिल करने का निर्देश देता हूँ कि वह आरोप विरचित किए जाने के समय पर, संहिता की धारा 313 के अधीन अपना बयान दर्ज किए जाने के समय पर वह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा और निर्णय की तिथि पर एवं अन्य तिथियों पर याची का प्रतिनिधित्व उसके अधिवक्ता द्वारा किया जाएगा। चूँकि पक्षों की पहचान के संबंध में कोई विवाद नहीं है किंतु विचारण के दौरान किसी समय पर यदि न्यायालय महसूस करता है कि याची की उपस्थिति आवश्यक है तब इसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से न्यायालय याची को उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है और याची उस स्थिति में न्यायालय में उपस्थित होगा। यदि याची की ओर से कोई उल्लंघन किया जाता है, न्यायालय विधि के अनुरुप कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों एवं निर्देश के साथ दांडिक पुनरीक्षण आवेदन एतद् द्वारा अनुज्ञात किया जाता है और अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

---

ekuuh; jkxku mikè;k;] U;k;efr

उपेन चंद्र महतो उर्फ उपेन महतो

cuke

झारखंड राज्य

Cri. Misc. Petition No. 667 of 2002. Decided on 18th February, 2015.

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 147, 148, 149, 332, 333, 323, 379, 325, 353 एवं 307 सहपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—हत्या, उपहति एवं चोरी का प्रयास–संज्ञान-छह व्यक्तियों के विरुद्ध पूरक आरोप दाखिल किए गए जबकि याची के संबंध में यह उल्लिखित किया गया था कि साक्ष्य की कमी थी–भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 147, 148, 149, 332, 333, 323, 379, 325, 353, 307 सहपठित आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लेने वाला संज्ञान आदेश ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ की ओर से तर्क की कमी दर्शाता है–मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर स्वतंत्र न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं हुआ था–आक्षेपित आदेश अभिखंडित, विधि के अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए मामला ए॰ सी॰ जे॰ एम॰ के पास वापस भेजा गया–याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 7 से 11)

निर्णयज विधि.–1979 BLJ 642—Distinguished; (1989) 2 SCC 132, (2012)2 SCC 188—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. H.K. Mahto, For the Petitioner; Mr. Arun Kumar Pandey, For the Opp. Party.

आदेश

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री एच॰ के॰ महतो एवं राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडे सुने गए।

2. इस आवेदन में याची ने विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला द्वारा पारित दिनांक 11.7.2000 के आदेश जिसके द्वारा और जिसके अधीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 332, 333, 323, 379, 325, 353, 307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है, सहित ईचागढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 7 वर्ष 2000, जी॰ आर॰ सं॰ 30 वर्ष 2000 के तत्सम के संबंध में संपूर्ण दांडिक कार्यवाही अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना किया है।

3. यह प्रतीत होता है कि तिरुलडीह ओ॰ पी॰, पी॰ एस॰ ईचागढ़ के पुलिस सब-इंस्पेक्टर के स्व बयान पर प्राथमिकी रिपोर्ट संस्थित की गयी थी जिसमें यह कथन किया गया था कि जब वह दिनांक 18.1.2000 को विधि-व्यवस्था कर्तव्य पर था, साइकिल स्टैंड स्थापित किए जाने के संबंध में मेला कमिटी के सदस्यों और कुछ समाज विरोधी तत्वों के बीच विवाद उद्भूत हुआ। यह अभिकथित किया गया है कि सूचित किए जाने पर जब सूचक घटनास्थल गया, अनेक हथियारों से लैस अनेक व्यक्ति पुलिस की ओर दौड़े और इस बीच किसी बलराम लोहरा ने पुलिस पर गोली चलाया किंतु भाग्यवश कोई घायल नहीं हुआ था। आगे यह अभिकथित किया गया है कि असामाजिक तत्व पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे किंतु मुहल्ला के भूतपूर्व विधायक के हस्तक्षेप के कारण पुलिसकर्मियों को बचा लिया गया था और तत्पश्चात तिरुलडीह ओ॰ पी॰ ले जाया गया था।

4. पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पूर्वोक्त बयान के आधार पर ईचागढ़ पी॰ एस॰ केस सं॰ 7 वर्ष 2000 संस्थित किया गया था। अन्वेषण करने के बाद तीन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था जबकि शेष अभियुक्तगण के संबंध में अन्वेषण लंबित रखा गया था, किंतु जहाँ तक याची का संबंध था, साक्ष्य की कमी दर्शाते हुए फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया था। किंतु, दिनांक 11.7.2000 के आदेश के तहत विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला ने दिनांक 30.6.2000 का पूरक आरोप-पत्र प्राप्त करने पर याची सहित आरोप-पत्र में नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लिया था जिनके विरुद्ध पुलिस द्वारा फाइनल फॉर्म दाखिल किया गया था।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 11.7.2000 के आक्षेपित आदेश का विरोध यह निवेदन करते हुए किया है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सरायकेला ने इस तथ्य पर विचार किए बिना कि साक्ष्य की कमी दर्शाते हुए याची के विरुद्ध फाइनल रिपोर्ट दाखिल किया गया है, यांत्रिक तरीके से उसमें उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लिया था। उन्होंने आगे निवेदन किया है कि कोई कारण नहीं दिया गया है कि वह क्यों अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट से असहमत हुए और केवल इस आधार पर दिनांक 11.7.2000 का संज्ञान अभिखंडित किए जाने योग्य है जहाँ तक याची का संबंध है। इस संदर्भ में, उन्होंने **''मनोहर मंडल बनाम बिहार राज्य'', 1979 BLJ 642** और **''संजय सिंह बनाम बिहार राज्य,'' (2003)1 Eastern Criminal Cases 484 (Pat)** मामलों में निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 11.7.2000 के आदेश का बचाव करते हुए निवेदन किया है कि विद्वान दंडाधिकारी को अन्वेषण अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने की शक्ति है और आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि केस डायरी एवं आरोप-पत्र पर विचार किया गया था और बाद में अभिकथित अपराध के लिए संज्ञान लिया गया है। अत: वह निवेदन करते हैं कि दिनांक 11.7.2000 के आदेश के तहत संज्ञान लेते हुए विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला द्वारा अवैधता नहीं की गयी है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और अभिलेखों का परिशीलन करने पर, मैं पाता हूँ कि दिनांक 30.6.2000 को पूरक आरोप-पत्र छह अभियुक्तगण के विरुद्ध दाखिल किया गया था जबकि याची के संबंध में यह उल्लिखित किया गया था कि साक्ष्य की कमी थी। विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला ने कोई कारण दिए बिना एवं स्वतंत्र न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किए बिना यांत्रिक रूप से दिनांक 11.7.2000 को संज्ञान लिया है। **''संजय सिंह बनाम बिहार राज्य'' (ऊपर)** के मामले में, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या विरोध याचिका पुन:स्थापित किए बिना पुलिस द्वारा दाखिल फाइनल फॉर्म स्वीकार किया जा सकता था। इस संदर्भ में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

> *"5. leLr rF;k ,o ifjfLFkfr;k ij fopkj djr g, ;g U;k;ky; ikrk g fd fo}ku e[; U;kf;d nMkfèkdkjh] cDlj u fofèk d vu#i lefpr vkn'k ikfjr ugh fd;k FkkA fojkèk ;kfpdk dk è;ku e fy, fcuk ;kph d lcèk e ifyl dk fooj.k Lohdkj djuk mud fy, lefpr ugh Fkk vkj lkFk gh tc mUgku ;kph d lcèk e Qkbuy Qke Lohdkj fd;k Fkk] vfHk;Drx.k ftud fo#) lKku fy;k x;k Fkk dh lph e ;kph dk uke lfEefyr djuk mud fy, vufpr FkkA***

8. वर्तमान मामले के तथ्य उक्त निर्दिष्ट मामले के तथ्यों से उल्लेखनीय रूप से भिन्न है। वर्तमान मामले में, पूरक आरोप-पत्र दाखिल किए जाने के बाद, जिसमें साक्ष्य की कमी के कारण याची को विचारण के लिए नहीं भेजा गया था, विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल फाइनल फॉर्म से असहमत होने पर संज्ञान लेने के लिए अग्रसर हुए हैं। सूचक/परिवादी द्वारा कोई नोटिस अथवा कोई विरोध-सह-परिवाद याचिका दाखिल नहीं की गयी थी। **''इंडिया कैरट (प्रा॰) लि॰ बनाम कर्नाटक राज्य, (1989)2 SCC 132**, मामले में कदमों जिनका अनुसरण दंडाधिकारी को करना है जब पुलिस रिपोर्ट इस प्रकार का है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनता है, पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:-

> *"16. vr%] vc voLFkk lfuf'pr g fd èkkjk 173(2) d vèkhu ifyl fjikV dh çkfIr ij nMkfèkdkjh lfgrk dh èkkjk 190(1)(b) d vèkhu vijkèk dk lKku yu*

*dk gdnkj g Hky gh ify l fjikV b l çHkko dk g fd vfHk;Dr d fo#) ekeyk ugh curk gA nMkfèkdkjh vUo"k.k d nkjku ify l }kjk ijh{k.k fd, x, xokgk d c;kuk dk fopkj e y ldrk g vkj ifjokn fd, x, vijkèk dk lKku y ldrk g vkj vfHk;Dr dk vknf'kdk tkjh dju dk vkn'k n ldrk gA èkkjk 190 (1) (b) vfèkdfFkr ugh djrh g fd nMkfèkdkjh doy rc vijkèk dk lKku y ldrk g ;fn vUo"k.k vfèkdkjh er nrk g fd vUo"k.k u vfHk;Dr d fo#) ekeyk cuk;k gA nMkfèkdkjh vUo"k.k vfèkdkjh }kjk igp x, fu"d"k dk vun[kk dj ldrk g vkj vUo"k.k l lkeu vku oky rF;k d çfr viu food dk Lor= :i l bLreky dj ldrk g vkj ;fn og lefpr le>rk g] èkkjk 190(1) (b) d vèkhu viuh 'kfDr d ç;kx e ekey dk lKku y ldrk g vkj vfHk;Dr dk vknf'kdk tkjh fd, tku dk fun'k n ldrk gA***

9. ''नुपूर तलवार बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो, दिल्ली एवं एक अन्य,'' (2012)2 SCC 188, में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था:–

*"16. lfgrk dh èkkjk 190 'krk dk vfèkdfFkr djrh g tk nkfMd dk;okgh vkjHk dju d fy, vè;if{kr gA bl pj.k ij nMkfèkdkjh dk rdi.k U;kf;d food dk ç;kx dju vkj viu le{k iLrr rF;k ,o lkexh d çfr viu food dk bLreky dju dh vko';drk gA ,l djr g, nMkfèkdkjh vUo"k.k vfèkdkjh d er }kjk ckè; ugh g vkj og ify l }kjk viu fjikV e vfHk0;Dr nf"Vdk.kk dk è;ku e fy, fcuk viu Lofood dk ç;kx dju d fy, l{ke g vkj çFke n"V;k ik ldrk g fd vijkèk curk g ;k ughA***

10. अत: उक्त से जो सामने आएगा वह यह है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा दाखिल फाइनल फॉर्म पर विचार करते हुए दंडाधिकारी इसके साथ असहमत हो सकता है, किंतु कारण दिया जाना होगा कि दंडाधिकारी पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट के साथ सहमत क्यों नहीं है। प्रकटत:, आदेश अपराधों का संज्ञान लेते हुए विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला की ओर से तर्काधार की कमी दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मामले के तथ्यों पर स्वतंत्र न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में दिनांक 11.7.2000 का आदेश विधि के अनुरुप नहीं होने के नाते अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने का दायी है।

11. तद्नुसार, यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है और दिनांक 11.7.2000 का आदेश, जिसके द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 332, 333, 323, 379, 325, 353, 307 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया है, अभिखंडित किया जाता है, जहाँ तक याची का संबंध है और विधि के अनुरुप तथा जो चर्चा यहाँ ऊपर की गयी है उसके अनुरुप नया आदेश पारित करने के लिए मामला विद्वान ए॰ सी॰ जे॰ एम॰, सरायकेला के पास वापस भेजा जाता है।

12. यह आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

---

ekuuh; vkjî vkjî çlkn ,o vkjî ,uî oek] U;k;efrx.k

ओम प्रकाश उर्फ भूधन महतो उर्फ नाना

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 211 of 2005. Decided on 24th March, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 108 वर्ष 2003 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं॰ 1, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.12.2004 के दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 302 सहपठित आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27—हत्या–आजीवन कारावास–अभियोजन का मामला यह है कि अपीलार्थी घटना के समय पर मृतक की दुकान पर आया और उसे धन वापस करने के लिए कहा जो दोनों व्यक्तियों के बीच झगड़े की ओर ले गया–अभिनिर्धारित, सब कुछ भावावेग में अचानक झगड़े में हुआ जब पक्षों के बीच झगड़ा था, अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है–अपीलार्थी को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के बजाए भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग I के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया क्योंकि यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने घटना के दौरान अनुचित लाभ लिया था अथवा क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य किया था–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 भाग-I के अधीन दंडनीय अपराध में और पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक के दंडादेश में परिवर्तित की गयी–आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दोषसिद्धि अक्षुण्ण बनी रही–उपांतरण के साथ अपील खारिज। (पैराएँ 6 एवं 7)

अधिवक्तागण.–M/s A.K. Kashyap, Lalan Kumar Singh, For the Appellant; A.P.P., For the State.

न्यायालय द्वारा.–यह अपील सत्र विचारण सं॰ 108 वर्ष 2003 में तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश एफ॰ टी॰ सी॰ I, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 22.12.2004 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दिनांक 23.12.2004 के दंडादेश के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी को हरि राम की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन भी दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय ने दोषसिद्ध किया और उसको आजीवन कारावास भुगतने तथा पाँच हजार रुपयों के जुर्माना का भुगतान करने और आगे व्यतिक्रम खंडों के साथ तीन वर्षों का कठोर कारावास भुगतने तथा दो हजार रुपयों का जुर्माना का भुगतान करने का दंडादेश दिया। दोनों दंडादेशों को समवर्ती रूप से चलने का आदेश दिया गया था।

2. अभियोजन मामला जैसा प्राथमिकी में बनाया गया है यह है कि मृतक हरि राम की खिरु यादव के मार्केट में सेक्टर 11 भूली, 'डी॰' ब्लॉक में परचून की दुकान थी। दिनांक 29.9.2002 को प्रातः 9 बजे जब मृतक और उसका पुत्र मुकेश कुमार (अ॰ सा॰ 6) दुकान में थे, अपीलार्थी जो बहुत गुस्सा था वहाँ आया और मृतक को धन का भुगतान करने के लिए कहा। यह मृतक एवं अपीलार्थी के बीच मौखिक झगड़ा की ओर ले गया क्योंकि मृतक ने अपीलार्थी से कहा कि जब तक यह जानने के लिए कि क्या उसको भुगतान किया जानेवाला धन देय है, हिसाब-किताब नहीं किया जाता है, वह उसको धन का भुगतान नहीं करेगा। इस पर अपीलार्थी ने अपनी कमर से देशी पिस्तौल निकाला और काफी निकट से मृतक की छाती पर गोली दागा। गोली चलने की आवाज सुनकर अ॰ सा॰ 4 शैलेन्द्र कुमार जिसका मृतक की परचून की दुकान के बगल में सैलून था और 'खटाल' से एक व्यक्ति वहाँ आए और अ॰ सा॰ 6 के साथ मृतक को भूली अस्पताल ले गए जहाँ उसका प्राथमिक उपचार किया गया था और तब उन्हें उसको केंद्रीय अस्पताल, धनबाद ले जाने के लिए कहा गया था। जब मृतक को केंद्रीय अस्पताल, धनबाद ले जाया जा रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। इस पर वे मृत शरीर को भूली पुलिस थाना ले गए जहाँ सूचक मुकेश कुमार (अ॰ सा॰ 6) ने अपना फर्दबयान (प्रदर्श 3/3) दिया जिसे भूली पुलिस थाना के

प्रभारी–अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद (अ॰ सा॰ 8) द्वारा प्रातः 11.10 बजे दर्ज किया गया था जिस पर औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श 5) दर्ज की गयी थी। तत्पश्चात, प्रभारी–अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद ने अन्वेषण किया। अन्वेषण के दौरान, उसने मृतक के मृत शरीर की मृत्यु समीक्षा किया और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 4/1) तैयार किया। तत्पश्चात, आई॰ ओ॰ घटनास्थल पर आया जहाँ से उसने खून से सना छर्रा और टूटा हुआ देशी पिस्तौल जिसका कुंदा बैरल से अलग हो गया था और जो दो टुकड़ों में था, अभिग्रहण–सूची (प्रदर्श 6) के अधीन दर्ज किया। आई॰ ओ॰ ने मृत शरीर शव परीक्षण के लिए भेजा जिसे डॉ॰ शैलेन्द्र कुमार (अ॰ सा॰ 7) द्वारा किया गया था जिन्होंने शव परीक्षण करने पर मृतक के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियों को पायाः–

(i) mnj d eè; Hkkx ij mnj rd xgjk x 1½"x1" dk vkÄu;kL= }kjk dkfjr ço'k dk t[eA [ku cg jgk FkkA migfr dk fdukjk myVk gvk Fkk vkj dkykiu fy, >yk gvk ik;k x;k Fkk vkj t[e d fdukj d bn&fxn VVM ,o vuty xuikmMj d d.k Hkh ik, x, FkA

(ii) uo ,o nlo ilfy;k d fudV eè; ifDr l 4" nj ihB d Åij 1/2" dk xky fonh.k t[e vkÄu;kL= }kjk dkfjr fudkl dk t[eA

3. इस बीच आई॰ ओ॰ ने देशी पिस्तौल को इसके परीक्षण के लिए सर्जेन्ट मेजर के पास भेजा जिन्होंने परीक्षण पर अपना रिपोर्ट (प्रदर्श 7) दाखिल किया और उसमें रिपोर्ट किया कि चूँकि इसे टूटा हुआ पाया गया था, यह वर्तमान में प्रभावकारी नहीं था। बैरल के ऊपर एक खाली कारतूस टिका पाया गया था जो इस तथ्य का उपदर्शक है कि गोली चलायी नहीं जा सकी थी। किंतु, यह रिपोर्ट किया गया है कि जब्त पेलेट खाली कारतूस का भाग था। अन्वेषण पूरा करने के बाद, आई॰ ओ॰ ने आरोप–पत्र दाखिल किया जिस पर अपराध का संज्ञान लिया गया था और जब मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था, अपीलार्थी का विचारण किया गया था। विचारण के दौरान, अभियोजन ने कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 1 मुकुलेश्वर चौधरी, अ॰ सा॰ 2 खिरु यादव, अ॰ सा॰ 3 शम्शुद्दीन अंसारी, अ॰ सा॰ 4 शैलेन्द्र कुमार को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अ॰ सा॰ 5 अमित कुमार, मृतक के साला/बहनोई ने स्वयं का चश्मदीद गवाह होने का दावा किया और अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह अपने साला/बहनोई की दुकान जा रहा था और दुकान से 30 फीट दूर था, उसने गोली चलने की आवाज सुनी और तब इस अपीलार्थी को दुकान से भागते हुए देखा। अ॰ सा॰ 6 सूचक है जो मृतक का पुत्र है। उसने परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह अपने पिता के साथ दुकान में था, अपीलार्थी आया और धन मांगा जिस पर उसके पिता ने उत्तर दिया कि वह भुगतान नहीं करेगा जब तक हिसाब–किताब के बाद यह नहीं पाया जाता है कि उसको धन देय है और तब अपीलार्थी ने कमर से रिवाल्वर निकाला और गोली दागा और उसको उपहति कारित किया और तब अपीलार्थी भाग गया। तत्पश्चात्, वह अन्य गवाहों की मदद से उसको भूली अस्पताल लाया जहाँ उसका प्राथमिक उपचार किया गया था और उसे केंद्रीय अस्पताल भेजा गया था। जब वे उसको वहाँ ले जा रहे थे, मृतक की मृत्यु हो गयी। अभियोजन मामला बंद करने के बाद जब दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के समक्ष अपराध में फँसाने वाली सामग्री रखी गयी थी, अपीलार्थी ने इनकार किया। इस पर, विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 6 को विश्वसनीय पाने पर, जिसका परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट किया गया है, दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज किया जो चुनौती के अधीन है।

4. अपीलार्थी के लिए उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री कश्यप निवेदन करते हैं कि अभियोजन समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा है क्योंकि मामले में विद्यमान कुछ परिस्थितियों को अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और तद्द्वारा अभियोजन को समस्त युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला सिद्ध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में, विद्वान

अधिवक्ता ने प्रदर्श 7 और अ॰ सा॰ 8 के इस प्रभाव के साक्ष्य कि उसने टूटा हुआ बैरल और कुंदा जो एक-दूसरे से अलग थे जब्त किया था, निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया कि अभियोजन मौन है कि किस प्रकार घटनास्थल पर देशी पिस्तौल टूटी दशा में पाया गया था जब अभियोजन इस मामले के साथ आगे आया है कि अपीलार्थी एक गोली चला कर उपहति कारित करके वहाँ से भाग गया और यदि अभियोजन इसके लिए कोई स्पष्टीकरण देने में विफल हुआ है, विचारण न्यायालय को सूचक अ॰ सा॰ 6 का परिसाक्ष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए था। आगे, यह निवेदन किया गया था कि अभियोजन मामले हेतु के साथ भी आगे आया है किंतु अभियोजन मामले का हेतु स्थापित करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त, जब अभियोजन मामले के हेतु के साथ आया और इसे स्थापित करने में विफल रहा, इसका अभियोजन मामले पर गंभीर प्रभाव होगा यद्यपि मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है। अंत में, यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी को आपराधिक मानववध का अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है बल्कि इस मामले में सामने आने वाले तथ्यों एवं परिस्थितियाँ दर्शाएँगे कि अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का आशय नहीं था क्योंकि घटना अचानक हुए झगड़े में हुई थी और कि अपीलार्थी ने अनुचित लाभ कभी नहीं लिया था अथवा क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य कभी नहीं किया था और, इसलिए, विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि का आदेश दर्ज करने में अवैधता किया और इसलिए दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

5. इसके विरुद्ध, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अ॰ सा॰ 6 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण नहीं है जिसने परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने उसकी मृत्यु में परिणत होने वाली छाती के ऊपर उपहति कारित करते हुए देशी पिस्तौल से गोली चलाया था जो चिकित्सीय साक्ष्य से भी समर्थन पाता है और तद्द्वारा विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का निर्णय एवं दंडादेश दर्ज करने में कोई अवैधता नहीं किया और इसलिए इसमें इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

6. पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने पर एवं अभिलेख का परिशीलन करने पर हम पाते हैं कि अभियोजन का मामला यह है कि अपीलार्थी घटना के समय पर मृतक की दुकान में आया और मृतक को धन वापस करने के लिए कहा जो दोनों व्यक्तियों के बीच झगड़े की ओर ले गया क्योंकि मृतक ने अपीलार्थी से कहा था कि जब तक हिसाब-किताब नहीं किया जाएगा, वह उसको धन का भुगतान नहीं करेगा। उस झगड़े के दौरान अपीलार्थी ने अपनी कमर से रिवाल्वर निकाला और गोली दागा। अ॰ सा॰ 6 ने अपने परिसाक्ष्य में पैरा 22 पर मृतक पर गोली चलाए जाने से पहले हुए झगड़े के बारे में स्पष्ट परिसाक्ष्य दिया है। उसने यह परिसाक्ष्य भी दिया है कि जब मृतक ने धन वापस करने से इनकार किया, झगड़ा हुआ था जो मौखिक झगड़ा तक सीमित नहीं रह सका था बल्कि समस्त अधिसंभाव्यता में इतना बढ़ गया होगा कि अपीलार्थी ने अपनी कमर से अपना पिस्तौल निकाला होगा और मृतक ने शायद रिवाल्वर पकड़ लिया होगा जिस क्रम के दौरान दोनों व्यक्तियों ने बल का प्रयोग किया होगा जिसके परिणामस्वरुप देशी पिस्तौल दो टुकड़ों में टूट गया। किंतु अ॰ सा॰ 6 के साक्ष्य से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी के रिवाल्वर से दागी गयी गोली से उपहति कारित हुई। किंतु जैसा हमने पाया है कि यह सब कुछ भावावेग में अचानक हुए झगड़े में हुआ जब पक्षों के बीच झगड़ा था, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध करता हुआ नहीं कहा जा सकता है।

7. तद्नुसार, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के बजाए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है क्योंकि यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कुछ नहीं है कि अपीलार्थी ने घटना के दौरान अनुचित लाभ लिया था अथवा क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य किया था। तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अधीन दंडनीय अपराध में परिवर्तित की जाती है और उसे पहले ही भुगत लिए गए अवधि का दंडादेश दिया जाता है। आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अक्षुण्ण बना रहता है। इस प्रकार, दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश में इस उपांतरण के साथ यह अपील खारिज की जाती है। परिणामस्वरुप, अपीलार्थी को तुरन्त निर्मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

बिनोद कुमार सिंह उर्फ बिनोद सिंह

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Revision No. 609 of 2013. Decided on 16th April, 2015.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973— धारा 227—अभियुक्त का उन्मोचन–न्यायालय को केवल मामले की मोटे तौर पर अधिसंभाव्यताओं, मजबूत संदेह तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों पर विचार करना होगा–इस चरण पर, मामले के पक्ष-विपक्ष की अधूरी जाँच और विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता देखने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है–यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त हैं। (पैरा 8)

निर्णयज विधि.–2015(1) East Cr. C. 450 (S.C.); (2010) 9 SCC SCC 368—Relied.

अधिवक्तागण.–M/s B.M. Tripathi, Nutan Kumari Sharma, Naveen Kumar Jaiswal, For the Petitioner; Mr. Hardeo Prasad Singh, For the Resp.-State.

आदेश

दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धाराओं 397 एवं 401 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन याची द्वारा एस॰ टी॰ सं॰ 182 वर्ष 2011 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 20.5.2013 के आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसके द्वारा एवं जिसके अधीन संहिता की धारा 227 के अधीन अपने उन्मोचन के लिए याची द्वारा दाखिल याचिका अस्वीकार कर दी गयी है।

2. याची को साकची पी॰ एस॰ केस सं॰ 106 वर्ष 2008, जी॰ आर॰ सं॰ 1059 वर्ष 2008 के तत्सम, में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307/353/427/109/120(B)/504/34 के अधीन एवं आयुध अधिनियम की धाराओं 27/35 के अधीन भी अपराध के लिए अभियुक्त बनाया गया है। संहिता की धारा 227 के अधीन अवर न्यायालय में दाखिल याचिका में लिया गया आधार यह था कि अपीलार्थी श्री लेदर, जमशेदपुर के स्वत्वधारी आशीष डे की हत्या के अभिकथन पर साकची पी॰ एस॰ केस सं॰ 240 वर्ष 2007 के संबंध में दिनांक 12.2.2008 तथा दिनांक 17.8.2008 के बीच कारा अभिरक्षा में था। चूँकि वह

दिनांक 16.5.2008 की अभिकथित तिथि पर अभिरक्षा में था, उसने अभिकथित घटना में भाग नहीं लिया था और उसे घटना के लगभग दो वर्ष बाद झूठा आलिप्त किया गया है यद्यपि प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गयी थी। वर्तमान मामला दाखिल करने के बाद याची को साकची पी॰ एस॰ केस सं॰ 240 वर्ष 2007 में दोषसिद्ध किया गया है और एस॰ टी॰ सं॰ 227 वर्ष 2008 में पारित दिनांक 17.9.2011 के निर्णय के तहत आजीवन कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया है।

3. वर्तमान मामले में (साकची पी॰ एस॰ केस सं॰ 106 वर्ष 2008) श्रीलेदर के स्वत्वधारी स्वर्गीय आशीष डे के घर में तैनात कॉंस्टेबल उदय सिंह के फर्दबयान के आधार पर उसमें यह अभिकथित करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी कि दिनांक 16.5.2008 को प्रात: लगभग 6.45 बजे सूचक स्वर्गीय आशीष डे के घर के प्रहरी कक्ष के निकट अवस्थित टैप से पानी भर रहा था जब अचानक दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अपराधी अग्रसेन भवन की ओर से वहाँ आए और पुलिस दल पर निशाना लगाते हुए अंधाधुंध गोली चलायी और भाग गए। निकट के दुकानदारों, वहाँ पदस्थापित पुलिस प्रहरी और वहाँ एकत्रित अन्य व्यक्तियों ने भी अपराधियों को देखा और वे उनको पहचान सकते थे। अपराधियों ने छोटे आग्नेयास्त्रों से सात राउन्ड गोली चलायी। सूचक द्वारा छर्रे एवं खाली कारतूस बरामद किए गए थे। सूचक संदेह करता है कि चूँकि स्वर्गीय आशीष डे की हत्या का मामला प्रगति पर था, षडयंत्र के अधीन आतंक फैलाने के लिए अपराधियों ने यह अपराध किया है। सम्यक अन्वेषण के बाद, पुलिस ने कुछ अपराधियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया किंतु इस याची एवं अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्वेषण लंबित रखा गया था और लगभग दो वर्ष बाद दिनांक 31.3.2011 को इस याची के विरुद्ध पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। सी॰ जे॰ एम॰ के न्यायालय ने इस याची एवं अन्य अभियुक्तगण जो फरार थे के विरुद्ध आरोप का संज्ञान लिया और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था जहाँ याची के उन्मोचन के लिए संहिता की धारा 227 के अधीन याचिका दाखिल की गयी थी।

4. विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री त्रिपाठी ने न्यायालय को केस डायरी के अनेक अंशों एवं पैराग्राफों से अवगत कराया है जिन पर विश्वास करते हुए अवर न्यायालय ने उन्मोचन याचिका अस्वीकार कर दिया और निवेदन किया है कि केस डायरी के उन पैराग्राफों के परिशीलन मात्र पर यह प्रतीत होगा कि पैराग्राफों की विषय वस्तु का अधिमूल्यन किए बिना उन्मोचन याचिका अस्वीकार कर दी गयी है। यह भी निवेदन किया गया है कि इस याची द्वारा दांडिक षड्यंत्र रचने और मतैक्यता दर्शाने के लिए केस डायरी के उन पैराग्राफों में बिल्कुल कुछ भी नहीं है जब स्वीकृत रूप से वह घटना की अभिकथित तिथि पर कारा अभिरक्षा में था। आगे यह निवेदन किया गया है कि मात्र संदेह पर, क्योंकि उसे स्वर्गीय आशीष डे के हत्या मामले में दोषसिद्ध किया गया है कि मात्र संदेह पर, क्योंकि उसे स्वर्गीय आशीष डे के हत्या मामले में दोषसिद्ध किया गया है, उसे षड्यंत्रकारी के रूप में दर्शाया गया है किंतु अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्रियों से सूचक एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने में षडयंत्र के किसी भाग में इस याची की सह अपराधिता दर्शाने के लिए कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, अत: याची उन्मोचित किए जाने योग्य है।

5. याची की ओर से किए गए प्रतिवाद का खंडन करते हुए विद्वान ए॰ पी॰ पी॰ द्वारा यह निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षण अधिकारिता में हस्तक्षेप करने लायक आक्षेपित आदेश में अवैधता अथवा अनियमितता नहीं है और मामले के पक्ष विपक्ष में अधूरी जाँच इस चरण पर अनुज्ञेय नहीं है।

6. इस तथ्य के प्रति बिल्कुल जागरुक होते हुए कि विचारण अपने दहलीज पर है और कि इस आवेदन में यह न्यायालय याची को आरोपित अथवा उन्मोचित किए जाने के सीमित पहलू पर विचार कर

रहा है, मैं संहिता की धारा 227 के विस्तार का परीक्षण करना चाहूँगा। इस बिंदु पर विधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सारगर्भित रूप से **सज्जन कुमार बनाम सी० बी० आई०, (2010)9 SCC 368,** में विश्लेषित की गयी है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 19 पर निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है:–

*"19. ;g Li"V g fd vkjfHkd pj.k ij ;fn etcr lng g tk U;k;k;y; dk ;g lkpu dh vkj y tkrk g fd ;g mièkkfjr dju dk vkèkkj g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc U;k;k;y; dk ;g dgu dh NV ugh g fd vfHk;Dr d fo#) vxlj gku dk i;klr vkèkkj ugh gA vfHk;Dr d nk"k dh mièkkj.kk ftl vkjfHkd pj.k ij fd;k tkuk g doy çFke n"V;k ;g fofuf'pr dju d ç;ktu l g fd D;k U;k;k;y; dk fopkj.k gr vxlj gkuk pkfg, ;k ughA ;fn lk{;] ftl vfHk;ktu vfHk;Dr dk nk"k fl) dju d fy, nuk çLrkfor djrk g] Hky gh bl çfr ijh{k.k e pukrh fn, tku vFkok cpko lk{; ;fn gk] }kjk [kfMr fd, tku d igy i.kr% Lohdkj fd;k tkrk g] ;g ugh n'kk ldrk g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k g] rc fopkj.k gr vxlj gku d fy, i;klr vkèkkj ugh gkxkA**

राज्य, पुलिस इंस्पेक्टर के माध्यम से बनाम ए० अरुण कुमार एवं एक अन्य, 2015 (1) East Cr. C. 450 (SC), में एक अन्य निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धाराओं 227 एवं 228 के विस्तार के बारे में प्रामाणिक निर्णयों पर विचार करने पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

(i) U;k;kèkh'k dk fu"lng nO çO lO dh èkkjk 227 d vèkhu vkjki fojfpr dju d ç'u ij fopkj djr g, ;g irk yxku d lhfer ç;ktu l fd D;k vfHk;Dr d fo#) çFke n"V;k ekeyk curk g ;k ugh lk{; dh Nkuchu dju ,o eY;kdu dju dh 'kfDr gA çFke n"V;k ekey dk fofuf'pr dju dh ijh{kk çR;d ekey d rF;k ij fuHkj djxhA

(ii) tgk U;k;k;y; d le{k çLrr lkexh vfHk;Dr d fo#) xHkhj lng çdV djrh g ftl lefpr :i l Li"V ugh fd;k x;k g] U;k;k;y; vkjki fojfpr dju ,o fopkj.k gr vxlj gku e i.kr% U;k;kfpr gkxkA

(iii) U;k;k;y; ek= Mkd[kkuk vFkok vfHk;ktu d e[k i= d :i e ÑR; ugh dj ldrk g cfYd bl ekey dh ekV rkj ij vfèklHkkO;rkvk] U;k;k;y; d le{k çLrr lk{; ,o nLrkotk d dy çHkko] fdlh ey ncyrk] vkfn ij fopkj djuk gkxkA fdr] bl pj.k ij ekey d i{k&foi{k dh vèkjh tkp vkj lk{; dk eY;kdu ugh fd;k tk ldrk g ekuk ;g fopkj.k dj jgk gkA

(iv) ;fn vfHky[k ij ektn lkexh ij U;k;k;y; er fufer dj ldrk Fkk fd vfHk;Dr u 'kk;n vijkèk fd;k gk] ;g vkjki fojfpr dj ldrk g ;|fi nk"kfl) d fy, ;fDr;Dr lng d ij fu"d"k fl) fd, tku dh vko';drk gkrh g fd vfHk;Dr u vijkèk fd;k gA

(v) vkjki fojfpr fd, tku d le; ij vfHky[k ij ektn lkexh d ifjoh{kd eY; ij fopkj ugh fd;k tk ldrk g fdr vkjki fojfpr dju d igy U;k;k;y; dk vfHky[k ij ektn lkexh ij viu U;kf;d food dk bLreky djuk gkxk vkj lr"V gkuk gkxk fd vfHk;Dr }kjk vijkèk dh dkfjrk lHko FkhA

(vi) èkkjkvk 227 ,o 228 d pj.k ij U;k;k;y; dk ;g irk yxku dh nf"V l vfHky[k ij miyCèk lkefx;k ,o nLrkotk dk eY;kdu dju dh vko';drk g fd D;k mul lkeu vku oky rF;k dk mud vfdr eY; ij yu ij o

vfHkdfFkr vijkèk xfBr dju oky leLr vo;ok dk vfLrRo çdV djr gA bl lhfer ç;ktu l] lk{; dh Nkuchu djuk D;kfd ml vkjfHkd pj.k ij Hkh ;g lc vdkV; okD; d :i e Lohdkj dju dh mEehn ugh dh tk ldrh g tk vfHk;ktu dfFkr djrk g Hky gh ;g lkekU; ckèk d vFkok ekey dh ekV rkj ij vfèkl Hkk0;rkvk d fo#) gA

*(vii) ;fn nk nf"Vdk.k lHko g vkj mue l ,d xHkhj lng l lfHkUu doy lng mnHkr djrk g] fopkj.k U;k;kèkh'k vfHk;Dr dk mUekfpr dju d fy, l'kDr gkxk vkj ml pj.k ij bl ;g ugh n[kuk g fd D;k fopkj.k dk lekiu nk"kflf) vFkok nk"kefDr e gkxkA***

7. अभिलेख से यह प्रकट है कि घटना की अभिकथित तिथि पर याची कारा अभिरक्षा में था, उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य या संदेह केवल षड्यंत्र भाग तक सीमित है। जब कभी संहिता की धारा 227 के अधीन उन्मोचन के लिए याचिका दाखिल की जाती है, न्यायालय को संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों पर विचार करना होगा और अभिलेख पर मौजूद मजबूत संदेह अथवा प्रथम दृष्टया सामग्री पर भी विचार करना होगा। निवेदन सुनने एवं अभिलेख का परीक्षण करने के बाद यदि न्यायालय महसूस करता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, यह अभियुक्त को उन्मोचित करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा किंतु यदि न्यायालय मजबूत संदेह एवं अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया सामग्री पाता है, जो न्यायालय को यह सोचने की ओर ले जाता है कि यह उपधारित करने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, न्यायालय को यह कहने की छूट नहीं होगी कि अभियुक्त के विरुद्ध अग्रसर होने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

8. उक्त मामलों में प्राधिकारपूर्ण उद्घोषणाओं एवं अधिकथित सिद्धांतों की दृष्टि में न्यायालय को केवल मामले की मोटे तौर पर अधिसंभाव्यताओं, मजबूत संदेह एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार करना होगा। इस चरण पर, विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता देखने के लिए मामले के पक्ष-विपक्ष की अधूरी जाँच करना और साक्ष्य का मूल्यांकन बिल्कुल आवश्यक नहीं है बल्कि यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला, यदि इसे बनाया गया है, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त है। मैंने आक्षेपित आदेश में उल्लिखित केस डायरी के पैराग्राफों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री सहित इस तथ्य का परिशीलन किया है कि आशीष डे का हत्या मामला प्रगति पर था जो याची के विरुद्ध गंभीर संदेह प्रकट करता है। केस डायरी में यह आया है कि गवाहों को आतंकित करने के लिए आशीष डे के घर में अंधाधुंध गोली चलायी गयी थी। अवर न्यायालय ने षडयंत्र भाग पर चर्चा करते हुए द्वितीय पूरक केस डायरी के पैराग्राफों 6, 24, 34, 79 एवं 83 पर विश्वास किया है और उन्मोचन याचिका अस्वीकार कर दिया है जैसा ऊपर उपदर्शित किया गया है। यह न्यायालय पुनरीक्षण अधिकारिता में उन्मोचित किए जाने अथवा आरोपित किए जाने के सीमित पहलू पर विचार कर रहा है, अतः इसके पहले कि मेरे द्वारा किए गए संप्रेक्षण मामले पर प्रतिकूलता कारित करें, मैं प्रयोजनपूर्वक एवं जानबूझकर कोई सकारात्मक प्राख्यान करने अथवा मामले के कतिपय पहलू को निर्दिष्ट करने से परहेज कर रहा हूँ। मैंने इस आदेश के क्रम में जो भी अप्रत्यक्ष संप्रेक्षण किया है, वे केवल आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के पूर्वोक्त सीमित पहलू से संबंधित है।

9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में और उक्त कथित विधिक अवस्था को ध्यान में रख कर मैं आक्षेपित आदेश अपास्त करने का अच्छा कारण नहीं पाता हूँ। अतः, पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है।

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मोस्मात पार्वती देवी

cuke

महाबीर महतो

W.P.(C) No. 4048 of 2010. Decided on 19th March, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 148—विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963—धारा 28—समय का विस्तारण–विचारण न्यायालय डिक्री निष्पादित किए जाने तक विषय वस्तु के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं गँवाता है–ऐसे मामलों में जहाँ पक्षों के करार द्वारा समय सीमा नियत की गयी है, डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय को पक्षों द्वारा नियत समय सीमा बढ़ाने की शक्ति नहीं होगी। (पैरा 5)

निर्णयज विधि.–(2014) 2 SCC 465—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajeev Ranjan Tiwary, For the Petitioner; Mr. H.K. Mehta, For the Respondent.

आदेश

निष्पादन मामला सं॰ 6 वर्ष 2006 में दिनांक 8.1.2010 एवं दिनांक 19.7.2010 के आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है। वादी जो रिट याचिका में प्रत्यर्थी है ने दिनांक 24.5.1968 के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री, जिसे दिनांक 25.11.1978 को डिक्री किया गया था, इप्सित करते हुए अभिधान वाद सं॰ 91 वर्ष 1977 दाखिल किया। वादी को 30 दिनों के भीतर 1500/- रुपया जमा करने का निर्देश दिया गया था और प्रतिवादी को निर्णय की तिथि से 60 दिनों के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था। यह कथन किया गया है कि वादी ने दिनांक 25.11.1978 के निर्णय एवं आदेश के निबंधनानुसार 30 दिनों के भीतर 1500/- रुपया जमा नहीं किया था और इसलिए, 1500/- रुपया जमा करने के लिए समय का विस्तारण इप्सित करते हुए वादी द्वारा दिनांक 1.1.1979 का आवेदन दाखिल किया गया था किंतु, उक्त राशि जमा करने के लिए समय का विस्तारण देने से इनकार करते हुए उक्त आवेदन उसी दिन खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी जो वर्तमान याची है ने दिनांक 25.11.1978 के निर्णय को चुनौती देते हुए अभिधान अपील सं॰ 10 वर्ष 1979 दाखिल किया जिसे खारिज कर दिया गया था किंतु, प्रतिवादी द्वारा दाखिल द्वितीय अपील एस॰ ए॰ सं॰ 74 वर्ष 1984 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.5.1999 के आदेश के तहत अनुज्ञात की गयी थी और इस प्रकार अभिधान वाद सं॰ 91 वर्ष 1977 खारिज कर दिया गया था। द्वितीय अपील में पारित आदेश को चुनौती देते हुए वादी विशेष अनुमति याचिका दाखिल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आया जिसे सिविल अपील सं॰ 1514 वर्ष 2000 में संपरिवर्तित किया गया था। वादी द्वारा दाखिल सिविल अपील दिनांक 11.1.2006 को अनुज्ञात की गयी थी और इस प्रकार, अभिधान वाद सं॰ 91 वर्ष 1977 एवं अभिधान अपील सं॰ 10 वर्ष 1979 में पारित आदेशों को पुनर्स्थापित किया गया था। तत्पश्चात वादी ने निष्पादन केस सं॰ 6 वर्ष 2006 दाखिल किया जिसमें दिनांक 9.12.1978 को 1500/- रुपयों के निक्षेप की जाँच की गयी थी जैसा दावा वादी द्वारा किया गया है और ट्रेजरी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी जो उपदर्शित करती है कि दिनांक 19.12.1978 को ऐसा कोई जमा नहीं किया गया था। किंतु, दिनांक 8.1.2010 के पत्र के तहत विचारण न्यायालय ने वादी को 1500/- रुपया जमा करने का आदेश दिया और दिनांक 19.7.2010 के आदेश के तहत वादी को विक्रय विलेख का प्रोफॉर्मा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

2. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव रंजन तिवारी निवेदन करते हैं कि स्वीकृत रूप से टी॰ एस॰ सं॰ 91/1977 में आदेश के अनुपालन में वादी ने 30 दिनों के भीतर 1500/- रुपया जमा नहीं किया था और उसने उक्त राशि जमा करने के लिए समय का विस्तारण इप्सित करते हुए दिनांक 1.1.1979 का आवेदन दाखिल किया किंतु वादी की प्रार्थना को विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया

गया था और इस प्रकार, टी॰ एस॰ सं॰ 91/1977 में डिक्री के निबंधनानुसार, जो वादी को 30 दिनों के भीतर 1500/- रुपया जमा करने की आज्ञा देती है, वादी ने उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया था। अत: प्रतिवादी विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं था। मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, डिक्री जो दो भागों में हैं, वादी द्वारा अपने भाग के गैर–पालन के कारण निष्पादित नहीं की जा सकती है, फिर भी विचारण न्यायालय ने वादी को 1500/- रुपया जमा करने का अनुमति दिया जो डिक्री उपांतरित किए जाने के तुल्य होगा। यह निवेदन किया गया है कि समय के विस्तारण से इनकार करने वाले दिनांक 1.1.1979 के आदेश को वादी द्वारा चुनौती नहीं दी गयी थी और इस प्रकार 1500/- रुपयों की राशि जमा करने की अनुमति वादी को देते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश का पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता था। आगे यह निवेदन किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा अभिवचन किया गया था कि उसने दिनांक 19.12.1978 को 1500/- रुपयों की राशि जमा किया था किंतु निष्पादन केस सं॰ 6 वर्ष 2006 में कार्यवाही स्पष्टत: प्रकट करती है कि ट्रेजरी में ऐसी कोई राशि जमा नहीं की गयी थी और इस प्रकार, वादी द्वारा न्यायालय के साथ कपट किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता **मेघमाला एवं अन्य बनाम जी॰ नरसिम्हा, रेड्डी एवं अन्य, (2010)8 SCC 383,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर यह प्रतिवाद करने के लिए विश्वास करते हैं कि न्यायालय के साथ कपट करके प्राप्त किया गया आदेश न्यायालय के हस्तक्षेप का दायी है।

3. उक्त के विरुद्ध, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.12.1978 के चालान की प्रति विशेष अनुमति याचिका के परिशिष्ट 5 के रूप में दाखिल की गयी थी। प्रतिवादी–वादी उपस्थित हुआ और प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने के बाद एस॰ ए॰ सं॰ 23 वर्ष 1994 में पारित आदेश में हस्तक्षेप किया और इसलिए, याची द्वारा किया गया अभिवचन कि याची द्वारा 1500/- रुपया की राशि जमा नहीं की गयी थी, अनाधारित है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौर किया है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष निर्णीत ऋणी द्वारा ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया गया था और इस प्रकार, याची इस चरण पर कपट का अभिवचन नहीं कर सकता है।

4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने पर और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों के परिशीलन के बाद, मेरा मत है कि यहाँ इसके बाद चर्चा किए गए कारणों से रिट याचिका में गुणागुण की कमी है। अभिलेख पर मौजूद अभिवचनों से यह प्रतीत होता है कि अभिधान वाद सं॰ 91 वर्ष 1977 एवं अभिधान अपील सं॰ 10 वर्ष 1979 में पारित आदेशों को एस॰ ए॰ सं॰ 23 वर्ष 1994 में इस आधार पर अपास्त कर दिया गया था कि वादी यह प्रकथन एवं प्रदर्शित करने में विफल रहा कि वह करार के अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार एवं इच्छुक है। अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए इस न्यायालय द्वारा लिया गया एक अन्य आधार यह था कि चूँकि वादी 1500/- रुपयों की राशि जमा करने में विफल रहा है जैसा अभिधान वाद सं॰ 91 वर्ष 1977 में आदेश दिया गया है, वादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि उसके पास करार के अपने भाग का पालन करने की क्षमता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निष्कर्षों को सिविल अपील सं॰ 1514 वर्ष 2000 में अनाधारित पाया गया है। इस प्रतिवाद को निर्दिष्ट करते हुए कि वादी 30 दिनों के भीतर 1500/- रुपयों की राशि जमा करने में विफल रहा और इस प्रकार, डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती थी, मैं पाता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि दिनांक 19.12.1978 को 1500/- रुपयों की राशि जमा की गयी थी। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 19.12.1978 के चालान की प्रति विशेष अनुमति याचिका के परिशिष्ट 5 के रूप में दाखिल की गयी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि ''अभिलेख के परिशीलन पर यह प्रतीत होता है कि दिनांक 19.12.1978 को जमा किया गया था जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.1978 को अपने निर्णय एवं डिक्री द्वारा प्रदान किए गए एक माह के समय के सुअंतर्गत था। भ्रम इसलिए उद्भूत होता प्रतीत होता है क्योंकि जमा के बावजूद समय के विस्तारण

के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। उच्च न्यायालय को आवेदन अनदेखा करना चाहिए था और उस पर कोई जोर नहीं देना चाहिए था क्योंकि अभिलेख का सत्यापन प्रकट करेगा कि भुगतान किया गया है।'' याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया है कि विचारण न्यायालय को डिक्रीत राशि जमा करने के लिए समय का विस्तारण प्रदान करने की शक्ति एवं अधिकारिता है।

5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 प्रावधानित करती है कि न्यायालय जिसने आदेश पारित किया है को राशि जमा करने के लिए प्रदान किए गए समय को बढ़ाने की शक्ति एवं अधिकारिता है और यह सुनिश्चित है कि विचारण न्यायालय डिक्री निष्पादित किए जाने तक विषय-वस्तु के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं गवाँता है। **''शिवशंकर गुर्जर बनाम दिलीप,'' (2014)2 SCC 465,** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि न्यायालय के आदेश द्वारा समय सीमा नियत की गयी है, न्यायालय को इसे बढ़ाने की शक्ति है किंतु, ऐसे मामलों में जहाँ पक्षों के करार द्वारा समय सीमा नियत की गयी है, डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय को पक्षों द्वारा नियत की गयी समय सीमा बढ़ाने की शक्ति नहीं होगी। वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने अभिधान वाद सं॰ 19/1997 में दिनांक 25.11.1978 के आदेश के तहत डिक्री धारक को 30 दिनों के भीतर 1500/- रुपयों की राशि जमा करने का निर्देश दिया। डिक्री दिनांक 2.12.1978 को तैयार की गयी थी और दिनांक 7.12.1978 को इसे हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद किया गया था। डिक्री धारक ने 1500/- रुपया जमा करने के लिए समय का विस्तारण इप्सित करते हुए दिनांक 1.1.1979 को आवेदन दाखिल किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा उसी दिन खारिज कर दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया है कि डिक्री धारक ने दिनांक 19.12.1978 को 1500/- रुपया जमा किया था और चालान जिसके द्वारा डिक्री धारक द्वारा 1500/- रुपयों की राशि जमा की गयी थी की प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। वर्तमान याची ने डिक्री धारक के दावा को विवादित करते हुए सिविल अपील सं॰ 1514 वर्ष 2000 की कार्यवाही में अपना प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया। याची-निर्णीत ऋणी द्वारा की गयी आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी थी और इस प्रकार, प्रत्यर्थी डिक्रीधारक के विद्वान अधिवक्ता के इस प्रतिवाद को स्वीकार करने में मुश्किल नहीं है कि डिक्री धारक द्वारा दाखिल आवेदन पर समय बढ़ाने से इनकार करने वाला दिनांक 1.1.1979 का आदेश गलत था। इसके अतिरिक्त, डिक्री दिनांक 7.12.1978 को हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद की गयी थी और इस प्रकार डिक्रीधारक के पास दिनांक 5.1.1979 तक समय था किंतु, दिनांक 1.1.1979 का आवेदन उसी दिन खारिज कर दिया गया था। मैं इस प्रतिवाद में सार नहीं पाता हूँ कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 1.1.1979 के आदेश का पुनर्विलोकन किया है।

6. दिनांक 8.1.2010 एवं दिनांक 19.7.2010 के आक्षेपित आदेशों से यह प्रतीत होता है कि याची ने अभिवचन किया है कि डिक्रीधारक ने न्यायालय के साथ कपट किया क्योंकि ट्रेजरी, हजारीबाग की दिनांक 23.12.2009 की रिपोर्ट प्रकट करती है कि डिक्री धारक ने ट्रेजरी में ऐसी कोई राशि जमा नहीं किया था। याची की ओर से किया गया यह प्रतिवाद अस्वीकार किए जाने का दायी है। दिनांक 19.12.1978 को 1500/- रुपया जमा किया जाना साक्ष्यित करते हुए चालान की प्रति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। दिनांक 23.12.2009 के पत्र के तहत ट्रेजरी से रिपोर्ट में उक्त चालान की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया गया है। आगे यह प्रतीत होता है कि याची ने दिनांक 19.12.1978 के चालान की वास्तविकता का सत्यापन इप्सित करते हुए आवेदन दाखिल नहीं किया है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने अभिधान वाद सं॰ 91 वर्ष 1977 में आदेश पारित किए जाने के 35 वर्ष बाद 1500/- रुपया जमा करने के लिए समय बढ़ाया है। दिनांक 19.12.2009 को ट्रेजरी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विचारण न्यायालय ने निर्णीत ऋणी के पक्ष में 1500/- रुपया जमा करने का निर्देश दिनांक 8.1.2010 को डिक्रीधारक को दिया। चूँकि निर्णीत ऋणी को 1500/- रुपया प्राप्त करने के बाद विक्रय विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है, विचारण न्यायालय उसको उक्त राशि का भुगतान किए बिना निर्णीत ऋणी द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता था।

7. यह सुनिश्चित है कि कपट का अभिवचन विनिर्दिष्ट प्रकथन एवं इसके प्रमाण के साथ ऐसे अभिवचन के समर्थन में स्वतंत्र अभिवचन के रूप में स्थापित किया जाना होगा। कपट का अभिवचन किसी अन्य अभिवचन जैसा है और यह तथ्य का प्रश्न है कि क्या वाद के किसी पक्ष द्वारा कपट किया गया है या नहीं। मात्र इसलिए कि ट्रेजरी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी है कि 1500/- रुपयों की राशि जमा नहीं की गयी थी, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वादी द्वारा न्यायालय के साथ कपट किया गया है और सिविल अपील सं॰ 1514 वर्ष 2000 में कपट करके दिनांक 17.1.2006 का आदेश प्राप्त किया गया था। सिविल अपील सं॰ 154 वर्ष 2000 में आदेश से, जैसा ऊपर गौर किया गया है, यह प्रतीत होता है कि अभिवचन, जैसा इस न्यायालय के समक्ष किया जाना इप्सित किया गया है, कि दिनांक 19.12.1978 को जमा नहीं किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख की त्रुटि पायी गयी थी। याची के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रतिवादी ने यह अभिवचन करते हुए कि वादी द्वारा कपट किया गया है, पहले ही सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 47 के अधीन आवेदन दाखिल किया है और उक्त आवेदन में आदेश पारित नहीं किया गया है, फिर भी विचारण न्यायालय ने वादी को 1500/- रुपयों की राशि जमा करने की अनुमति दिया है। दिनांक 8.1.2010 एवं दिनांक 19.7.2010 के आदेशों एवं निष्पादन केस सं॰ 6 वर्ष 2006 में कार्यवाही से यह प्रतीत नहीं होता है कि प्रतिवादी ने अभिवचन किया कि सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 47 के अधीन आवेदन लंबित रहने के दौरान डिक्री का निष्पादन स्थगित किया जाना चाहिए।

8. उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं गुणागुण नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है किंतु, व्यय के बिना।

---

ekuuh; çeFk iVuk;d] U;k;efr

सोमरा माँझी

cuke

भारत संघ एवं अन्य

W.P.(S) No. 7578 of 2006. Decided on 20th March, 2015.

सेवा विधि–हटाया जाना–याची रेलवे सुरक्षा बल में कॉंस्टेबल है–याची को जाँच अधिकारी द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया है किंतु वह अनेक नोटिसों/पत्रों के बावजूद एक तिथि के सिवाए विभागीय जाँच के लिए जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था–जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्राप्ति के बाद इसकी प्रति सात दिनों के भीतर उसके अभ्यावेदन के लिए याची को उपलब्ध करायी गयी थी जिसे उसने अभिस्वीकृत किया किंतु अभ्यावेदन दाखिल नहीं किया था–कर्तव्य से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित बने रहना याची की आदत थी, वह भी अनुशासित बल में–अनुशासनिक कार्यवाही के आरंभ से इसके समापन तक कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं की गयी है क्योंकि याची को जाँच अधिकारी द्वारा आरोप का दोषी पाया गया है–अभिनिर्धारित, अभिकथनों की गंभीरता एवं याची द्वारा किए गए अवचार की दृष्टि में, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति लागू नहीं की जा सकती है, अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर आधारित जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है–याचिका खारिज। (पैराएँ 12 से 18)

निर्णयज विधि.–A.I.R. 1996 S.C. 484, 2004 (3) ATJ 555; (2006)5 SCC 673 Paras 3, 4; (2012) 3 SCC 178; (1997) 7 SCC 463; (1999) 1 SCC 759; (2005) 3 SCC 401—Referred.

अधिवक्तागण.–M/s M.M. Pal, Mahua Palit, For the Petitioner; M/s Dr. S.N. Pathak, Fayyaz Ahmad & Rakesh Kr. Ray, For the Respondents.

प्रमथ पटनायक, न्यायमूर्ति.–संलग्न रिट आवेदन में याची ने अन्य बातों के साथ साथ कार्यालय आदेश सं॰ 233/05 दिनांक 5.6.2005 (परिशिष्ट 4) जिसके द्वारा याची रेलवे सुरक्षाबल का कॉंस्टेबल सं॰ 348, को तुरन्त के प्रभाव से सेवा से हटाया गया था, के अभिखंडन के लिए उत्प्रेषण अथवा परमादेश प्रकृति का समुचित रिट/निर्देश जारी करने के लिए प्रार्थना किया है।

2. रिट आवेदन में वर्णित ताथ्यिक मैट्रिक्स यह है कि याची को कॉंस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और वह दिनांक 3.9.1990 के प्रभाव से रेलवे सुरक्षा बल में सेवा दे रहा था और उसे कॉंस्टेबल सं॰ 348 (बी॰ एन॰ डी॰ एम॰) दिया गया था। यह कथन किया गया है कि याची ने प्राधिकारियों की सर्वोच्च संतुष्टि के प्रति कलंक रहित सेवा दिया है। किंतु, याची के लिए अत्यन्त आश्चर्यजनक, प्रत्यर्थी सं॰ 5 द्वारा दिनांक 2.5/6. 2004 के DA/10-04/153/6152 के तहत आरोप ज्ञापन की प्रति और आरोप की मदें याची पर तामील की गयी थी। आरोप-पत्र के ज्ञापन की प्रति एवं आरोप की मद, जिसके द्वारा याची को सूचित किया गया था कि याची आदतवश अनुपस्थित रहने वाला व्यक्ति है, रिट आवेदन के परिशिष्टों 1 एवं 1/A के रूप में संलग्न की गयी है। यह कथन किया गया है कि चूँकि याची बीमार था, वह अवकाश पर बना रहा। आगे यह कथन किया गया है कि याची का बयान समर्थन पाता है जब रिट आवेदन के परिशिष्ट 3 के मुताबिक दिनांक 20.9.2004 के प्रमाण पत्र के तहत कर्तव्य के लिए याची की स्वस्थता विनिश्चित करने के लिए प्रत्यर्थी सं॰ 7 ने विभाग से विगत दो वर्षों का रिपोर्ट मंगाया। याची ने प्रतिवाद किया है कि आरोप-पत्र जारी करने के बाद याची को अभिलेख का निरीक्षण करने की अनुमति कभी नहीं दी गयी थी और न ही उसे गवाहों का प्रति-परीक्षण करने की अनुमति दी गयी थी और याची के पीठ पीछे जाँच की गयी थी और प्रत्यर्थीगण ने द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना मुख्य दंड अर्थात् सेवा से हटाया जाना अधिरोपित करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के उल्लंघन में कार्यवाही विनिश्चित किया है।

3. इस रिट आवेदन में परिशिष्ट 4 पर दिनांक 5.6.2004 के आक्षेपित आदेश को मुख्यत: निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गयी है:–

(i) fd ifjf'k"V 4 d vèkhu fnukd 5.6.2005 dk vk{kfir vkn'k çR;Fkh l0 4 }kjk ikfjr fd;k x;k g tk fu;fDr dju oky çkfèkdkjh d vèkhuLFk g] vr% vk{kfir vkn'k fofèk dh nf"V e vlik"k.kh; gA

(ii) fd vk{kfir vkn'k ulfxd U;k; d fl)krk d mYy?ku e ikfjr fd;k x;k g] vr% Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 311 (2) dk mYy?ku fd;k x;k gA

4. रिट आवेदन में किए गए प्रतिवादों को खंडित करते हुए प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 7 में यह कथन किया गया है कि याची को सूचना एवं प्राधिकार के बिना दिनांक 4.1.2003 से दिनांक 14.8.2003 तक, दिनांक 16.10.2003 से दिनांक 8.2.2004 तक, दिनांक 22.2.2004 से दिनांक 23.3.2004 तक और दिनांक 28.4.2004 से आरोप-पत्र जारी किए जाने तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है। यह प्रतिवाद किया गया है कि यद्यपि याची को पत्रों के माध्यम से जाँच अधिकारी द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया था और समस्त पत्रों को उस पर अथवा उसकी पत्नी पर तामील किया गया था, याची विभागीय जाँच की केवल एक बैठक में उपस्थित हुआ और तत्पश्चात जाँच कार्यवाही में कभी नहीं उपस्थित हुआ। अत:, जाँच अधिकारी ने एकपक्षीय जाँच शुरू किया और जाँच के दौरान दिए गए साक्ष्य के मुताबिक जाँच अधिकारी ने याची को आरोप का दोषी अभिनिर्धारित किया। निष्कर्ष प्राप्त किए जाने के बाद इसकी प्रति याची को सात दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन देने के लिए उपलब्ध करायी गयी थी जिसे उसने दिनांक 27.2.2005 को अभिस्वीकृत किया, किंतु उसने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया था जो याची की ओर से आरोप

स्थापित करता है। प्रतिशपथ पत्र के पैराग्राफ 10 में यह कथन किया गया है कि साक्ष्य अवचार की गंभीरता के अनुपातिक प्रभावकारी दंड आवश्यक बनाते हैं और तद्नुसार, प्रतिशपथ पत्र के परिशिष्ट A के मुताबिक रेलवे सुरक्षा बल नियमावली, 1987 के 'अनुशासनिक प्राधिकारी एवं उनकी शक्तियाँ' के अनुसूची III के क्रमांक सं॰ 3 के निबंधनानुसार आक्षेपित आदेश अर्थात् सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया है।

5. प्रतिशपथ पत्र में पैराग्राफ 13 पर यह कथन किया गया है कि दिनांक 27.1.2003 से दिनांक 10.8.2003 तक बीमारी अवकाश के लिए दिनांक 5.2.2004 को जारी प्राईवेट चिकित्सीय प्रमाण पत्र के संबंध में याची को आगे परीक्षण के लिए रेलवे चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था जिसने उसे कर्तव्य ग्रहण करने के लिए स्वस्थ घोषित किया और तद्नुसार याची ने दिनांक 15.8.2003 को अपना कर्त्तव्य पुनः ग्रहण किया जैसा नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिनांक 19.8.2003 के पत्र (परिशिष्ट B) के तहत रिपोर्ट किया गया है। पैराग्राफ 14 में यह कथन किया गया है कि दिनांक 15.1.2003 से दिनांक 7.2.2004 तक बीमारी अवकाश के लिए दिनांक 5.2.2004 को जारी प्राईवेट मेडिकल प्रमाण पत्र के संबंध में याची दिनांक 9.2.2004 को पद पर आया और स्पष्टीकरण के साथ मेडिकल प्रमाण पत्र दाखिल किया और तद्नुसार, उसे नियंत्रक अधिकारी के दिनांक 9.2.2004 के रिपोर्ट (परिशिष्ट C) के मुताबिक दिनांक 9.2.2004 को कर्तव्य पर लिया गया था। दिनांक 24.2.2004 से दिनांक 23.3.2004 तक बीमारी अवकाश के लिए दिनांक 23.3.2004 को जारी प्राईवेट मेडिकल प्रमाण पत्र के संबंध में, याची दिनांक 9.2.2004 को पद पर आया और उक्त प्रमाण पत्र दाखिल किया और तद्नुसार नियंत्रक अधिकारी के दिनांक 25.3.2004 के रिपोर्ट (परिशिष्ट D) के मुताबिक उसे दिनांक 24.3.2004 को कर्तव्य पर लिया गया था। दिनांक 30.4.2004 से दिनांक 15.9.2004 तक बीमारी अवकाश के लिए दिनांक 15.9.2004 को जारी प्राईवेट मेडिकल प्रमाण पत्र के संबंध में यह निवेदन किया गया है कि याची दिनांक 15.9.2004 को पद पर आया और स्पष्टीकरण के साथ प्रमाण पत्र दाखिल किया और तद्नुसार उसे दिनांक 24.3.2004 को कर्त्तव्य पर लिया गया था और उसे आगे परीक्षण के लिए सीनियर DMO/TATA को निर्दिष्ट किया गया था किंतु दिनांक 2.11.2004 के प्रमाण पत्र के तहत याची को दिनांक 23.10.2004 को बीमार सूची से गैर उपस्थिति के कारण उन्मोचित किया गया था। प्रत्यर्थीगण ने याची के अभिवचन से इनकार किया है कि पूर्वोक्त प्रमाण पत्रों के बावजूद प्रत्यर्थीगण ने याची को सेवा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दिया है।

6. प्रतिशपथ पत्र में यह निवेदन भी किया गया है कि जाँच अधिकारी द्वारा याची को पर्याप्त अवसर दिया गया है किंतु वह अनेक नोटिसों/पत्रों के बावजूद एक तिथि अर्थात् दिनांक 8.6.2004 के सिवाए विभागीय जाँच के लिए जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों की प्राप्ति के बाद इसकी प्रति याची को सात दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन देने के लिए दिनांक 9.2.2005 के पत्र के तहत उपलब्ध करायी गयी थी जिसे उसने दिनांक 27.2.2005 को अभिस्वीकृत किया किंतु उसने कोई अभ्यावेदन दाखिल नहीं किया था जब मुख्य दंड अधिरोपित किया जाने वाला था। अतः, यह अभिवचन कि पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, विधि की दृष्टि में मान्य नहीं है। अतः यह निवेदन किया गया है कि याची पर न्यायोचित एवं उचित दंड अधिरोपित किया गया है जो आरोप की गंभीरता एवं जाँच अधिकारी के निष्कर्ष के अनुरुप है।

7. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्रीमती एम॰ एम॰ पाल एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री एस॰ एन॰ पाठक सुने गए।

8. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष मेहनत से आग्रह किया है कि:–

(I) ifjf'k"V&1 d vèkhu vkjki dk vfHkdfFkr eek ,o vkjki dh en vkj ifjf'k"V 1/A d vèkhu vfHkdFku dk ykNu ijh rjg çfr'kiFk i= d ijkxkQk 13 l 17 e fn, x, c;ku dh nf"V e vLi"V ,o Hkked gA

(II) ;kph d fo}ku ojh; vfèkoDrk }kjk fn, x, rd dk nljk tkj ;g g fd çfØ;kRed vfu;ferrk gbZ g vkj Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 311 (2) dk mYy?ku djr g, ;kph dk i;kIr volj ugh fn;k x;k gA

(III) fjV vkonu e pukrh dk rhljk vkèkkj] tl k fo}ku ojh; vfèkoDrk }kjk tkjnkj :i l çpkfjr fd;k x;k g] ;g g fd pfd vkjkfi ftu ij dk;okgh vkjHk dh x;h g] vLi"V ,o vkèkkjghu çrhr gkr g vkj vuifLFkfr dh rFkkdfFkr vofèk lek;kftr dh x;h g] vr%] ifjf'k"V 4 d vèkhu nM dk ikfj.kkfed vk{kfir vkn'k fofèkr% lik"k.kh; ugh gA

9. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि पूर्वोक्त निवेदनों के अतिरिक्त दंड का आक्षेपित आदेश कठोर है और दुखद रूप से अननुपातिक है। अपने तर्क के समर्थन में, याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **बी० सी० चतुर्वेदी बनाम भारत संघ एवं अन्य, AIR 1996 SC 484** और **भगवान लाल आर्या बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य, 2004 (3) ATJ 555,** में दिए गए निर्णयों को निर्दिष्ट किया है।

10. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने जोरदार रूप से निवेदन किया कि रिट आवेदन पोषणीय नहीं है क्योंकि उपलब्ध सांविधिक उपचार का सहारा लिए बिना याची रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है। प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा किया गया दूसरा प्रतिवाद यह है कि कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है और याची को जाँच अधिकारी द्वारा दोषी पाया गया है, जिसने मत दिया है कि याची अप्राधिकृत अनुपस्थिति पर बने रहने का आदतवश अपराधी है और कर्त्तव्य से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित बने रहना याची की आदत है, और वह भी अनुशासित बल में और याची को आरोपों का दोषी पाया गया है, अत:, यह निवेदन किया गया है कि याची पर न्यायोचित एवं समुचित दंड अधिरोपित किया गया है।

11. दंड की मात्रा के बिंदु पर, प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने **उ० प्र० राज्य एवं अन्य बनाम राजकिशोर एवं एक अन्य, (2006)5 SCC 673,** विशेषत: पैराग्राफ 3 एवं 4; **कृष्णकांत बी० परमार बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2012)3 SCC 178; भारत संघ एवं एक अन्य बनाम जी० गणयुथम, (1997)7 SCC 463; एपरैल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बनाम ए० के० चोपड़ा, (1999)1 SCC 759** और **म० प्र० विद्युत बोर्ड बनाम जगदीश चंद्र शर्मा, (2005)3 SCC 401** में दिए गए निर्णयों पर विश्वास किया है।

12. अभिलेख के परिशीलन पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुशासनिक कार्यवाही के आरंभ से इसके समापन तक कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं की गयी है क्योंकि जाँच अधिकारी द्वारा याची को आरोपों का दोषी पाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **उ० प्र० राज्य एवं अन्य बनाम राज किशोर यादव एवं एक अन्य, (2006)5 SCC 673,** में पैराग्राफ 4 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

*"4. ....;g lfuf'pr fofèk g fd mPp U;k;ky; dk Hkkjr d lfoèkku d vuPNn 226 d vèkhu vlkèkkj.k vfèkdkfjrk d ç;kx e jkT; dh ç'kklfud dkjokb e gLr{ki dju dh lhfer 'kfDr g vkj] blfy,] tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k ,o lok l c[kkLrxh d nM d ikfj.kkfed vkn'k dk vLr&O;Lr ugh fd;k tkuk pkfg, -----------**"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **कृष्णकांत बी॰ परमार बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, (2012)3 SCC 178,** में अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए तथ्यों एवं निष्कर्षों को अस्त-व्यस्त नहीं कर सकता है।

13. पक्षों के विद्वान वरीय अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुनने के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्रियों के परिशीलन पर इस न्यायालय द्वारा विनिश्चयकरण के लिए आया वर्तमान प्रश्न यह है कि क्या अनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर अथवा दूसरे शब्दों में दंड की मात्रा के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा दंड के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ एवं एक अन्य बनाम जी॰ गणयूथम, (1997)7 SCC 463,** में अभिनिर्धारित किया कि अनुशासनिक मामले में अधिरोपित दंड के मामले में जब तक न्यायालय/अधिकरण अपनी द्वितीयक भूमिका में मत नहीं देता है कि इसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर प्रशासक विवेकहीन था, दंड अभिखंडित नहीं किया जा सकता है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एपरैल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बनाम ए॰ के॰ चोपड़ा, (1999) 1 SCC 759**, में पैराग्राफ 22 पर निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *^^------mPp U;k;ky; dk çkfèkdkj d Lofood d LFkku ij Lo; viuk Lofood çfrLFkkfir ugh djuk pkfg, FkkA ekey d rF;k ,o ifjfLFkfr;k e] fdl nM dk vfèkjkfir fd, tku dh vko';drk Fkh] ,lk ekeyk Fkk tk vuU; :i l l{ke çkfèkdkjh dk vfèkdkfjrk d vrxr Fkk vkj ble mPp U;k;ky; }kjk fdlh gLr{ki dh vko';drk ugh FkhA mPp U;k;ky; dk li.k #[k xyr jgk gA mPp U;k;ky; d vk{kfir vkn'k dk doy bl vkèkkj ij likf"kr ugh fd;k tk ldrk g**-------------*

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे **बी॰ सी॰ चतुर्वेदी बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1995)6 SCC 749,** में अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक दंड का आदेश न्यायालय की अंतरात्मा को आघात नहीं पहुँचाता है। **म॰ प्र॰ विद्युत बोर्ड बनाम जगदीश चंद्र शर्मा, (2005)3 SCC 401,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समरुप दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1983)2 SCC 442,** में अभिनिर्धारित किया है कि यह समान रूप से सत्य है कि अधिरोपित दंड अवचार की गंभीरता के अनुकूल होना ही चाहिए और अवचार की गंभीरता के अननुपातिक कोई दंड अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा।

18. वर्तमान मामले में, अभिकथन की गंभीरता एवं याची द्वारा किए गए अवचार की दृष्टि में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति लागू नहीं की जा सकती है और इसके अतिरिक्त अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर आधारित जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उ**त्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य बनाम मनमोहन नाथ सिन्हा एवं एक अन्य, (2009)8 SCC 310,** में विशेषत: पैराग्राफ 15 पर अभिनिर्धारित किया गया है जिसे यहाँ नीचे उद्धृत किया जाता है:–

> *"15. fofèkd voLFkk lfuf'pr g fd U;kf;d iufoykdu dh 'kfDr fu.k; d fo#) funf'kr ugh g cfYd fu.k; yu dh çfØ;k rd lhfer gA U;k;ky; fu.k; d x.kkx.k ij fopkj ugh djrk gA tkp vfèkdkjh d le{k fn, x, lk{; dk*

*iuvfèkeY;u ,o iuvkdyu dju vkj tkp vfèkdkjh }kjk nt fu"d"k dk ijh{k.k dju vkj Lo; viu fu"d"k ij vku dh NV mPp U;k;ky; dk vihyh; U;k;ky; d :i e ugh gA----------***

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, जैसा यहाँ ऊपर उपदर्शित किया गया है, मैं आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कारण नहीं पाता हूँ।

10. पूर्वोक्त तथ्यों, कारणों एवं उद्घोषणाओं के समेकित प्रभाव के कारण, मेरा मत हैं कि याची ने इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के लिए मामला बनाने में सक्षम नहीं हुआ है। तद्नुसार, गुणागुण रहित होने के कारण रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; jfo ukFk oek] U;k;efr

सूरजा पंडित एवं अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (S.J.) No. 76 of 2005. Decided on 9th April, 2015.

सत्र मामला सं॰ 214 वर्ष 1994/20 वर्ष 2004 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 4.1.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860—धाराएँ 324/149—घोर उपहति–सामान्य उद्देश्य–दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील–अभियोजन मामला जो घटना के प्रथम भाग से संबंधित है अ॰ सा॰ द्वारा स्थापित नहीं किया गया है–किंतु, घायल गवाहों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कारण नहीं है जब चिकित्सीय साक्ष्य ने उपहतियों को पूर्णतः स्थापित किया है–अभियोजन यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हुआ है कि अपीलार्थीगण ने कोई विधि विरुद्ध जमाव निर्मित किया था और किसी विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कुछ किया गया था–अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दंडादेश उपांतरित की गयी। (पैराएँ 9 से 12)

अधिवक्तागण.–Mr. K.P. Deo, For the Appellants; Mr. Awani Kant Prasad, For the State.

निर्णय

यह अपील सत्र मामला सं॰ 214 वर्ष 1994/20 वर्ष 2004 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित दिनांक 4.1.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से उद्भूत होती है जिसके द्वारा और जिसके अधीन सात अपीलार्थीगण जिनका विचारण किया गया था में से अपीलार्थी सं॰ 2 बाबूमनि पंडित को सूचक श्री राय (अ॰ सा॰ 5) को उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया था और व्यतिक्रम खंड के साथ पाँच सौ रुपयों के जुर्माना के साथ दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था और अन्य समस्त अपीलार्थीगण को धाराओं 324/149 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और अतिरिक्त कारावास भुगतने के व्यतिक्रम खंड के साथ पाँच सौ रुपयों के जुर्माना के साथ दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था। बाबू मनि पंडित सहित समस्त अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन भी दोषसिद्ध किया गया था और व्यतिक्रम खंड के साथ पाँच सौ रुपया जुर्माना के साथ छह माह का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया गया था।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य निम्नलिखित हैं:–

दिनांक 7.5.1993 को दोपहर 3.10 बजे ग्राम झालार में अपीलार्थी सूरजा पंडित के आंगन में मोहनपुर पी॰ एस॰ के प्रभारी–अधिकारी एस॰ आई॰ अरुण कुमार राय द्वारा दर्ज सूचक श्री राय के फर्दबयान (प्रदर्श 3) के अनुसार जब उसी दिन प्रात: 11.30 बजे वह बलभद्र मोदी की दुकान जा रहा था और जब वह सूरजा पंडित के घर के निकट पहुँचा, अचानक अपीलार्थीगण वहाँ आए, उसको पकड़ लिया और लाठी से उस पर प्रहार किया। समस्त अपीलार्थीगण उसको जबरन सूरजा पंडित के आंगन में घसीट कर ले गए और उसके घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। अपीलार्थीगण ने उसको आंगन की जमीन पर पटक दिया। तत्पश्चात बाबूमनि पंडित ने तलवार से उसके दोनों पैरों पर उपहति कारित किया। अपने पैरों से खून बहता देखकर वह बेहोश हो गया और पुलिस के आने के बाद उसे होश आया। प्रहार के पीछे का हेतु, जैसा फर्दबयान में प्रकट किया गया है, विगत दो वर्षों से अभियुक्तगण के साथ कुछ विवाद है।

3. पुलिस ने अन्वेषण के उपरांत सभी अपीलार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसके उपरांत मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया था तथा आरोप विरचित किए गए थे। इस चरण पर यह वर्णन करना प्रासंगिक है कि फर्दबयान में लगाये गये आरोपों की दृष्टि में, घटना दो भिन्न स्थानों पर घटित हुई थी। घटना का पहला भाग सूरजा पंडित के मकान के बाहर घटित हुआ जब सूचक को अपीलार्थीगण ने पकड़ा था तथा उसे घसीटा था तथा लाठी से मारा–पीटा था। इसके बाद वे अपीलार्थी को घसीटकर जबरदस्ती अपीलार्थीगण में से एक सूरजा पंडित के घर के आंगन में ले गये थे तथा उसके घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया था। घटना का दूसरा भाग आंगन में घटित हुआ जब बाबूमनि पंडित द्वारा सूचक को तलवार से उपहतियाँ कारित करने का विनिर्दिष्ट अभिकथन है।

4. अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया। उनमें से अ॰ सा॰ 1 बदन ठाकुर, अ॰ सा॰ 2 भागु तुरी, अ॰ सा॰ 3 टेटू राय और अ॰ सा॰ 7 नून लाल राय घटना के प्रथम भाग के चश्मदीद गवाह हैं जो अपीलार्थी सूरजा पंडित के घर के सामने हुई थी और उक्त समस्त गवाहों ने संगत रूप से कथन किया है कि सूचक अ॰ सा॰ 5 को जबरन अपीलार्थीगण में से एक सूरजा पंडित के घर के आंगन में घसीट कर ले जाया गया था और मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। प्रकटत:, घटना के दूसरे भाग का चश्मदीद गवाह नहीं है। समस्त गवाहों ने आगे संगत रूप से कथन किया है कि वर्तमान घटना के पहले दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद था।

5. सूचक अ॰ सा॰ 5 ने फर्दबयान में दिए गए स्वयं अपने बयान को संपुष्ट करते हुए परिसाक्ष्य दिया है कि जब वह बलभद्र मोदी की दुकान जा रहा था, समस्त अपीलार्थीगण ने उसको पकड़ लिया और लाठी से प्रहार किया और तत्पश्चात उसको सूरजा पंडित के घर के आंगन में घसीट कर ले गए और उसको आंगन की जमीन पर पटक दिया और बाबू मनि पंडित ने तलवार से उसके दोनों पैरों पर उपहति कारित किया। अ॰ सा॰ 6 डॉ॰ ए॰ के॰ जैन जिन्होंने घटना की तिथि पर सूचक श्री राय का परीक्षण किया, सूचक अ॰ सा॰ 5 के शरीर पर निम्नलिखित उपहतियाँ पाया:–

(i) nk,¡ ij ij efM;y efYyvkyl d Åij 3"x2"x1" dk dVu dk t[eA

(ii) vfLFk d ÝDpj d lkFk nk,¡ ij d chp ij 1"x1/2"x1/2" dk dVu dk t[eA

(iii) vfLFk d ÝDpj d lkFk ck,¡ ,Mh ij 4"x2"x3" dk dVu dk t[eA

(iv) ck,¡ ij ij 4"x1"x1" dk dVu dk t[e vkj leLr migfr;k ryokj tl rt èkkj okyh gfFk;kj }kjk dkfjr dh x;h ik;h x;h FkhA

उपहति सं॰ (ii) एवं (iii) को गंभीर प्रकृति का बताया गया था किंतु उपहति सं॰ (i) एवं (iv) सरल प्रकृति की पायी गयी थी। गंभीर प्रकृति के संबंध में मत एक्सरे के रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। चूँकि मूल उपहति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, सदर अस्पताल से उपहति रिपोर्ट की केवल कार्बन प्रति प्राप्त की गयी थी जिसे प्रदर्श 2 के रूप में अ॰ सा॰ 6 द्वारा सिद्ध किया गया था। यह प्रतीत होता है कि घायल सूचक का एक्सरे प्लेट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य एवं सामग्री पर विचार करके अपीलार्थीगण को पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दंडादेशित किया।

6. दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश से व्यथित होकर, समस्त सात अपीलार्थीगण ने इस अपील को दाखिल किया। किंतु, अपीलार्थीगण में से एक ईश्वर पंडित की मृत्यु अपील लंबित रहने के दौरान हो गयी और मृतक अपीलार्थी ईश्वर पंडित की सीमा तक अपील उपशमनित हो गयी थी।

7. अपीलार्थीगण के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देव ने दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का इस आधार पर विरोध किया है कि यद्यपि अभियोजन द्वारा परीक्षण किए गए गवाहों ने अपीलार्थीगण द्वारा लाठी से प्रहार से संबंधित घटना के प्रथम भाग के बारे में संगत रूप से कथन किया है किंतु डॉक्टर ने कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित एक भी उपहति नहीं पाया है बल्कि समस्त उपहतियाँ कटने की प्रकृति की पायी गयी हैं। अत: गवाह सत्यपूर्ण नहीं हैं और उन गवाहों के परिसाक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिवाद भी किया गया था कि मामले के आई॰ ओ॰ के गैर-परीक्षण के कारण बचाव पक्ष पर प्रतिकूलता कारित की गयी है क्योंकि बचाव पक्ष घटना के तरीके एवं घटना स्थल के संबंध में न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे अवर न्यायालय के निष्कर्षों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि घायल सूचक अ॰ सा॰ 5 के सिवाए घटना के दूसरे भाग का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और चूंकि घटना के प्रथम भाग के संबंध में गवाहों का परिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, घटना के दूसरे भाग के संबंध में अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अंत में, यह प्रतिवाद किया गया है कि घटना वर्ष 1993 में हुई थी और तब से अपीलार्थीगण ने विचारण और अपील लंबित रहने की अग्नि परीक्षा का सामना किया है, उनकी पीड़ा किसी दंड की तुलना में अधिक है जो उन पर अधिरोपित किया जा सकता था।

8. मैंने गवाहों विशेषत: अ॰ सा॰ 1, अ॰ सा॰ 2, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 7 के साक्ष्य तथा सूचक अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य का भी परिशीलन किया है और मैं अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन में सार पाता हूँ कि सूचक अ॰ सा॰ 5 के सिवाए समस्त उक्त गवाह घटना के प्रथम भाग के गवाह थे जहाँ उन सबों ने परिसाक्ष्य दिया है कि जब सूचक बलभद्र मोदी की दुकान की ओर जा रहा था, अपीलार्थीगण ने उसको पकड़ लिया था और लाठी से प्रहार किया था और तत्पश्चात उसको सूरजा पंडित के घर के आंगन में घसीट कर ले गए थे और घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया था किंतु चिकित्सीय साक्ष्य ने उक्त अभियोजन गवाहों के साक्ष्य के इस भाग को संपुष्ट नहीं किया है। अ॰ सा॰ 6 डॉक्टर ने सूचक के शरीर पर कड़े एवं भोथरे पदार्थ द्वारा कारित कोई उपहति नहीं पाया है। घटना के दूसरे भाग के संबंध में अभियोजन साक्ष्य बाबूमनि पंडित द्वारा सूचक अ॰ सा॰ 5 के दोनों पैरों पर तलवार से उपहति कारित करने से संबंधित है इस गवाह (अ॰ सा॰ 5) ने स्पष्ट तौर पर अभिसाक्ष्य दिया है कि बाबूमनि पंडित ने तलवार से उसके दोनों पैरों पर उपहतियाँ कारित की और उसके परिसाक्ष्य के इस भाग को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्णत: संपुष्ट किया गया है जहाँ डॉक्टर अ॰ सा॰ 6 ने अ॰ सा॰ 5 के बाएँ एवं दाएँ

पैरों पर चार कटने का जख्म पाया है। डॉक्टर ने बाएँ एवं दाएँ पैरों की हड्डी का फ्रैक्चर पाया है और दोनों उपहतियाँ गंभीर प्रकृति की थी।

9. इस प्रकार, अभियोजन द्वारा लाए गए साक्ष्य पर विचार करने पर यह सुनिश्चित है कि अभियोजन मामला जो घटना के प्रथम भाग से संबंधित है अभियोजन गवाहों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। सूचक अ॰ सा॰ 5 के दोनों पैरों पर बाबूमनि पंडित द्वारा तलवार से कारित उपहतियों से संबंधित साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है जब चिकित्सीय साक्ष्य ने उपहतियों को पूर्णत: संपुष्ट किया है।

10. अपीलार्थी सं॰ 2 बाबू मनि पंडित को अन्य अपीलार्थीगण के साथ भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/149, 342/149, 324/149 और भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन आरोपित किया गया था किंतु विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी सं॰ 2 बाबू मनि पंडित के विरुद्ध अथवा अन्य अपीलार्थीगण के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307 का मामला नहीं पाया था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी बाबू मनि पंडित को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन पृथक रूप से दोषसिद्ध किया किंतु आगे बाबू मनि पंडित एवं अन्य अपीलार्थीगण को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन दोषसिद्ध किया। अ॰ सा॰ 5 के साक्ष्य और अ॰ सा॰ 6 डॉक्टर जिन्होंने अ॰ सा॰ 5 का परीक्षण किया था के साक्ष्य और उपहति की प्रकृति पर विचार करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपीलार्थी बाबू मनि पंडित की दोषसिद्धि न्यायोचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। किंतु, जहाँ तक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन अपीलार्थी बाबू मनि पंडित की दोषसिद्धि का संबंध है, चूँकि अभियोजन यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है कि अपीलार्थीगण ने विधिविरुद्ध जमाव निर्मित किया था और कि विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कुछ किया गया था, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन अपीलार्थी बाबू मनि पंडित की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में संपोषित नहीं की जा सकती है। अत:, धारा 148 के अधीन अपीलार्थी बाबू मनि पंडित की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है। किंतु, इस अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश के प्रश्न पर आते हुए यह गौर किया जाना है कि अभियोग की प्रकृति, अपीलार्थी की आयु जो 20 वर्षों के दीर्घकालिक विचारण के बाद 60 वर्ष से अधिक आयु का है को देखते हुए और अभिरक्षा में इस अपीलार्थी की अवधि जो छह माह से अधिक है पर विचार करते हुए न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा यदि अपीलार्थी सं॰ 2 बाबू मनि पंडित को अधिनिर्णीत कारावास का दंडादेश उसके द्वारा पहले ही भुगत ली गयी अवधि तक घटाया जाता है।

11. जहाँ तक भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 324/149 के अधीन और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन भी अन्य अपीलार्थीगण सूरजा पंडित, गुरजा पंडित, रामा पंडित, कमला पंडित एवं जुगल पंडित की दोषसिद्धि का संबंध है, यद्यपि उन्हें भा॰ दं॰ सं॰ की धाराओं 307/149, 342/149 एवं 148 के अधीन भी आरोपित किया गया था किंतु चूँकि अभियोजन द्वारा घटना का प्रथम भाग सिद्ध नहीं किया गया है, यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उक्त पाँच अपीलार्थीगण ने कोई विधि विरुद्ध जमाव निर्मित किया था और कि किसी विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कुछ किया गया था। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने उक्त अपीलार्थीगण के विरुद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 307/149 के अधीन दोषसिद्धि का कोई आदेश पारित नहीं किया था किंतु उन्होंने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 149 की मदद से धारा 324 के अधीन और भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 148 के अधीन भी दोषसिद्धि का आदेश पारित किया है। जैसा ऊपर अभिनिर्धारित किया गया है, अभियोजन किसी युक्तियुक्त संदेह के परे घटना के प्रथम भाग को सिद्ध करने में विफल रहा है, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 149 की मदद से धाराओं 148 एवं 342 के अधीन अपीलार्थीगण सूरजा पंडित, गुरजा पंडित, रामा पंडित, कमला पंडित एवं जुगल पंडित की दोषसिद्धि विधि के अधीन संपोषित नहीं की जा सकती है। अत:, अपीलार्थीगण अर्थात् सूरजा पंडित, गुरजा पंडित, रामा

पंडित, कमला पंडित एवं जुगल पंडित की भारतीय दंड संहिता की धाराओं 324/149 तथा धारा 148 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और उनको तद्नुसार आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

12. इस प्रकार, ऊपर की गयी चर्चा के आधार पर, अपीलार्थी बाबू मनि पंडित के संबंध में अपील एतद्द्वारा दंडादेश में उपांतरण के साथ खारिज की जाती है। अन्य अपीलार्थीगण अर्थात् सूरजा पंडित, गुरजा पंडित, रामा पंडित, कमला पंडित एवं जुगल पंडित के संबंध में अपील अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; fojUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

राम प्रसाद महतो एवं अन्य

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड राज्य) एवं अन्य

L.P.A. No. 216 of 2014. Decided on 3rd March, 2015.

संथाल परगना व्यवस्थापन विनियमन, 1872—धारा 5—अभिधान (बँटवारा) वाद–सहायक व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय को उस तिथि जब व्यवस्थापन आरंभ हुआ, पर लंबित किसी वाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता थी–वादीगण/प्राईवेट प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल अभिधान (बँटवारा) वाद सहायक व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय को अंतरित किया गया था क्योंकि सरकारी अधिसूचना के फलस्वरुप व्यवस्थापन ऑपरेशन शुरू हुआ था–अभिधान वाद ग्रहण करने एवं इसे विनिश्चित करने में सहायक व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित याचीगण का अभिवचन विधि में पूर्णतः अमान्य अभिनिर्धारित किया गया–याची के विरुद्ध रिट न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष अभिपुष्ट किए गए–अपील खारिज। (पैरा 8)

अधिवक्तागण.–Mr. Sachi Nandan Das, For the Petitioner; Mrs. Shweta Singh, For the Opp. Parties.

अपरेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति.–रिट याचीगण वर्तमान अपीलार्थीगण हैं जो सी॰ डब्ल्यू॰ जे॰ सी॰ सं॰ 5147 वर्ष 1998 (P) में पारित दिनांक 6.3.2014 के निर्णय से व्यथित हैं जिसके द्वारा रिट याचिका खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने संप्रेक्षित किया कि अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 43 वर्ष 1983 में पारित दिनांक 7.6.1989 के सहायक व्यवस्थापन अधिकारी, गोड्डा के आदेश और अभिधान (अपील) सं॰ 31 वर्ष 1989 में पारित दिनांक 26.2.1998 के प्रभारी अधिकारी, दुमका के आदेश में अवैधता अथवा दुर्बलता नहीं है।

2. वर्तमान प्राईवेट प्रत्यर्थीगण ने दीनाराम महतो एवं रूपन महतो के नाम से दर्ज संपत्ति में 1/12 हिस्सा का दावा करते हुए याचीगण सहित सह-अंशधारी के विरुद्ध अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 43 वर्ष 1983 दाखिल किया था। उन्होंने यह अभिवचन भी किया था कि किसी राम प्रसाद महतो (याची सं॰ 1) के पिता किसी चक्रधर महतो द्वारा दाखिल अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 79 वर्ष 1965 में विद्वान उप-न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा दिया गया निर्णय एवं डिक्री उन पर बाध्यकारी नहीं था क्योंकि वे उक्त वाद के पक्षकार नहीं थे। उक्त बँटवारा वाद सहायक व्यवस्थापन अधिकारी, गोड्डा के न्यायालय को अंतरित किया गया था क्योंकि संथाल परगना अभिधृति अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सर्वे व्यवस्थापन ऑपरेशन शुरू हुआ था। संथाल परगना व्यवस्थापन विनियमन, 1872 की धारा 5 के फलस्वरुप किसी भूमि, अथवा उसमें संगणित मामलों में अथवा उससे उद्भूत होने वाले किसी हित के संबंध में वाद ग्रहण

करने की सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित थी और राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तिथि के पहले से लंबित ऐसे वाद को संथाल परगना अधिनियम, 1855 (37 वर्ष 1855) की धारा 2 अथवा विनियमन वर्ष 1872 की धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के न्यायालय को अंतरित किया जाएगा जैसा राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश दे सकती है। संथाल परगना व्यवस्थापन विनियमन, 1872 की धारा 5 के प्रावधान जो इसमें उठाए गए विवाद्यक पर विचार करने के लिए प्रासंगिक है, को यहाँ नीचे उद्धृत किया जा रहा है:–

*"5. **0;oLFkkiu d nkjku flfoy U;k;ky; dh vfèkdkfjrk ij otuk-** &(1) ml frfFk l ftl ij jkT; ljdkj vkfèkdkfjd xtV e vfèklpuk }kjk èkkjk 9 d vèkhu ?kk"k.kk djrh g fd ml frfFk] ftl ij leku vfèklpuk }kjk ,lk 0;oLFkkiu ijk fd;k x;k ?kkf"kr fd;k x;k g] rd lli.k lFkky ijxuk vFkok bld fdlh Hkkx dk 0;oLFkkiu fd;k tk,xkA cxky] vkxjk ,o vle flfoy U;k;ky; vfèkfu;e] 1887 (12 o"k 1987) d vèkhu LFkkfir fdlh flfoy U;k;ky; e*

(a) fdlh Hkfe vFkok blls mnHkr gku oky fdlh fgr] vFkok

(b) fdlh Hkfe d yxku vFkok ykHk] vFkok

(c) ,lh çFke mfYyf[kr vfèklpuk }kjk vkPNkfnr {k= e fdlh Hkfe l lcfèkr fdlh xkeh.k dfBukb vFkok vU; dk;ky; d lcèk e okn ugh gkxk vkj u gh dkb flfoy U;k;ky; ,l fdlh okn tk bld le{k yfcr gk ldrk g fd luokb gr vxlj gkxkA

*(2) mièkkjk (1) e fufn"V frfFk;k d chp mle of.kr çÑfr d leLr oknk dk lFkky ijxuk vfèkfu;e] 1855 (37 o"k 1855) dh èkkjk 2 vFkok bl fofu;eu dh èkkjk 10 d vèkhu] tlk jkT; ljdkj le;≤ ij fun'k n ldrh g] jkT; ljdkj }kjk fu;Dr vfèkdkjh d le{k nkf[ky fd;k tk,xk vFkok vrfjr fd;k tk,xk vkj ,lk vfèkdkjh] ;|fi luokb d nkjku 0;oLFkkiu ijk fd;k x;k ?kkf"kr fd;k x;k g] luokb djxk vkj mudk fofuf'pr djxkA**

3. यह विवादित नहीं है कि राज्य सरकार ने दिनांक 5.8.1978 के आधिकारिक गजट में ऐसी अधिसूचना जारी किया था और उसमें उल्लिखित किया था कि व्यवस्थापन ऑपरेशन के लंबित रहने के दौरान विनियमन III वर्ष 1872 की धारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रकार के समस्त वादों को विनियमन, 1872 की धारा 10 के अधीन नियुक्त व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा सुना एवं विनिश्चित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना (परिशिष्ट 4) दिनांक 5.9.1995 की पूर्व अधिसूचना के अधिक्रमण में उक्त विनियमन के अधीन व्यवस्थापन कार्यवाही के संचालन के लिए नियमों को विहित करने वाले संथाल परगना व्यवस्थापन विनियमन (विनियमन 3 वर्ष 1872) की धारा 10 और संथाल परगना लगान विनियमन (II वर्ष 1886) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में जारी की गयी थी। पूर्वोक्त अधिसूचना का नियम XXV अनुबंधित करता है कि व्यवस्थापन ऑपरेशन के लंबित रहने के दौरान विनियमन III वर्ष 1872 की धारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रकार के समस्त वाद विनियमन, 1872 की धारा 10 के अधीन नियुक्त व्यवस्थापन अधिकारियों द्वारा और सिविल न्यायालयों जब इन्हें इसकी सुनवाई एवं निपटान के लिए न्यस्त किया गया है द्वारा विहित नियमों के अनुरुप सुना एवं विनिश्चित किया जाएगा और आयुक्त, विशेष अधिकारी, व्यवस्थापन अधिकारी और प्रभारी अधिकारी, जिनकी अधिकारिता के अंतर्गत व्यवस्थापन किया जा रहा है, में अपीलीय एवं पुनरीक्षण शक्ति निहित की गयी थी। इस प्रकार सहायक व्यवस्थापन अधिकारी ने दिनांक 7.6.1989 के निर्णय द्वारा वर्तमान वादी/प्राईवेट प्रत्यर्थीगण को वाद संपत्ति में 1/12 हिस्से और उस आधार पर उनके पक्ष में पर्चा तैयार करने का हकदार घोषित किया। प्रतिवादीगण को अभिधान वाद

सं॰ 79 वर्ष 1965 और उससे उद्‌भूत होने वाली अपील के फलस्वरुप कब्जा का परिदान लेने के लिए स्थायी व्यादेश की डिक्री द्वारा अवरुद्ध किया गया था।

4. इन याचीगण ने उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अभिधान अपील सं॰ 31 वर्ष 1989 में प्रभारी अधिकारी, दुमका के न्यायालय में अपील दाखिल किया और ऐसा निर्णय एवं डिक्री पारित करने के लिए सहायक व्यवस्थापन अधिकारी, गोड्‌डा की अधिकारिता को भी चुनौती दिया। किंतु उक्त अभिधान अपील खारिज कर दी गयी थी और दिनांक 26.2.1998 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वर्तमान वादी/प्राईवेट प्रत्यर्थीगण वाद संपत्ति में 1/12 हिस्से के हकदार हैं। अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 43 वर्ष 1983 में सहायक व्यवस्थापन अधिकारी, गोड्‌डा द्वारा पारित इन आदेशों एवं अभिधान अपील सं॰ 31 वर्ष 1989 में प्रभारी अधिकारी, दुमका द्वारा पारित दिनांक 26.2.1998 के आदेश को प्रतिवादीगण/रिट याचीगण द्वारा चुनौती दी गयी थी।

5. रिट याचीगण ने इस आधार पर न्यायनिर्णीत का अभिवचन किया कि समस्त विवाद्यकों को पहले विनिश्चित अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 79 वर्ष 1965 में उठाया गया था जिसमें उनके भ्रातागण पक्षकार थे। याचीगण ने वाद ग्रहण एवं विनिश्चित करने में सहायक व्यवस्थापन अधिकारी की अधिकारिता को भी और उक्त निर्णय एवं डिक्री को मान्य ठहराने वाले अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को भी पूर्णत: अधिकारिताविहीन होने के नाते सहायक व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय में वाद पोषणीय नहीं होने के आधार पर चुनौती दिया।

6. दोनों आधारों पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विधि में और तथ्यों पर अभिवचन अमान्य पाया। जहाँ तक पोषणीयता एवं न्यायनिर्णीत के प्रश्न का संबंध है, विद्वान रिट न्यायालय ने स्पष्टत: अभिनिर्धारित किया कि सहायक व्यवस्थापन अधिकारी ने तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों पर पूरी तरह विचार करने के बाद सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि अभिधान वाद सं॰ 79 वर्ष 1965 में वादीगण सह–अंशधारी थे और आवश्यक पक्ष थे किंतु उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया था और इस दशा में निर्णय एवं डिक्री उन पर बाध्यकारी नहीं थी। अत:, विद्वान रिट न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया कि वर्ष 1965 में सह–अंशधारियों के बीच दाखिल दुरभिसंधि पूर्ण वाद वर्तमान वादीगण/प्रतिवादीगण पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है। हम उस आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं।

7. किंतु अपीलार्थीगण/रिट याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान वादीगण/प्राईवेट प्रत्यर्थीगण द्वारा संस्थित अभिधान वाद सं॰ 43 वर्ष 1983 विनिश्चित करने में सहायक व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय की अधिकारिता के अभिवचन पर अधिक जोर दिया है। विद्वान रिट न्यायालय विनियमन, 1872 की धारा 5 के प्रावधानों को ध्यान में लेने के बाद, जैसा यहाँ ऊपर उद्धृत भी किया गया है, निश्चित निष्कर्ष पर आया कि विनियमन, 1872 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 5.8.1978 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना (परिशिष्ट 4) जारी किए जाने पर व्यवस्थापन कार्यवाही के दौरान सिविल न्यायालयों की अधिकारिता पर पूर्ण वर्जना थी। किंतु अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 5.8.1978 की अधिसूचना के अधीन विरचित नियमों, अधिक विनिर्दिष्टत: खंड XXV पर विश्वास करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय को वाद का विचारण करने एवं इसको निपटाने की अधिकारिता नहीं थी, इसके बजाए बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (12 वर्ष 1987) के अधीन स्थापित सिविल न्यायालयों को इसको विनिश्चित करने की अधिकारिता है।

8. हमें खेद है कि ऐसा अभिवचन विनियमन वर्ष 1872 की धारा 5 के प्रावधान, जैसा यहाँ ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, और संथाल परगना लगान विनियमन (II वर्ष 1886) की धारा 30 और विनियमन वर्ष 1872 की धारा 10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 5.8.1978 को राज्य सरकार द्वारा

अधिसूचित नियमों के अनुकूल नहीं है। नियमों, जिन्हें स्वीकृत रूप से स्वयं राज्य सरकार द्वारा विनियमन वर्ष 1872 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विरचित किया गया है, के कोरे परिशीलन से यह स्पष्ट है कि व्यवस्थापन ऑपरेशन के लंबित रहने के दौरान विनियमन III वर्ष 1872 की धारा 5 में विनिर्दिष्ट प्रकार के समस्त वादों को विनियमन, 1872 की धारा 10 के अधीन नियुक्त व्यवस्थापन अधिकारियों द्वारा सुना एवं विनिश्चित किया जाएगा। आगे यह प्रतीत होता है कि केवल तब जब व्यवस्थापन अधिकारी सिविल न्यायालयों को विचारण एवं निपटान के लिए मामला न्यस्त करता है, सिविल न्यायालय न्यायनिर्णयन के लिए इसे ग्रहण कर सकते हैं। विनियमन वर्ष 1872 के प्रावधान संथाल परगना के अधीन आच्छादित क्षेत्रों में बनाए गए विनिर्दिष्ट प्रावधान की प्रकृति के हैं। विनियमन वर्ष 1872 के प्रावधान, विनिर्दिष्टत: धारा 5 व्यवस्थापन कार्यवाही के दौरान सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित करते हैं और वे कहीं भी वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा रिट याचिका में चुनौती के अधीन नहीं है। अत:, विनियमन वर्ष 1872 की धारा 5 के पूर्वोक्त प्रावधान और दिनांक 5.8.1978 की अधिसूचना के तहत विरचित नियम (खंड XXV), जो स्वाभाविक सहपरिणाम के रूप में अनुसरित होता है, के आलोक में, सहायक व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय, जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, को व्यवस्थापन ऑपरेशन आरंभ होने की तिथि पर लंबित किसी वाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता थी। यह विवादित नहीं है कि वर्तमान वादीगण/प्राईवेट प्रत्यर्थीगण द्वारा दाखिल अभिधान (बँटवारा) वाद सं॰ 43 वर्ष 1983 सहायक व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय को अंतरित किया गया था क्योंकि सरकारी अधिसूचना के फलस्वरुप व्यवस्थापन ऑपरेशन आरंभ हो गया था। अत:, अभिधान वाद ग्रहण करने और इसे विनिश्चित करने में सहायक व्यवस्थापन अधिकारी के न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित रिट याचीगण का अभिवचन विधि में पूर्णत: अमान्य है। उस आधार पर रिट याचीगण के विरुद्ध विद्वान रिट न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष किसी दुर्बलता से पीड़ित नहीं है जो हमारी अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप आवश्यक बनाए।

9. हम अपील में गुणागुण नहीं पाते हैं और तद्नुसार इसे खारिज किया जाता है।

---

ekuuh; Jh pn'k[kj] U;k;efr

मंगत मुर्मू

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य

W.P.(C) No. 7822 of 2013. Decided on 17th March, 2015.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धारा 47, आदेश 21 नियम 97 सह-पठित धारा 151—डिक्री के निष्पादन को चुनौती–घरजमाई एवं विधिक उत्तराधिकारी एवं मृतक के उत्तरजीवी के रूप में अपनाए गए याची को घोषणा के लिए अभिधान वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया–आपत्तिकर्ता (याची) ने अभिवचन नहीं किया है कि केवल वह अपने मृतक सुसर का विधिक उत्तराधिकारी एवं उत्तरजीवी है–निष्पादन मामले में याची द्वारा दाखिल याचिका खारिज की गयी, उसके द्वारा दाखिल अपील भी खारिज की गयी–याची ने अपील दाखिल करके अभिधान वाद में निर्णय को चुनौती नहीं दिया–रिट याचिका खारिज। (पैराएँ 6 से 8)

निर्णयज विधि.–(1998)3 SCC 723—Referred.

अधिवक्तागण.–Mr. Rajeeva Sharma, For the Petitioner.

आदेश

अभिधान निष्पादन केस सं॰ 11 वर्ष 2006 में दिनांक 6.9.2010 के आदेश और सिविल विविध अपील सं॰ 9 वर्ष 2010 में दिनांक 30.8.2013 के आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गयी है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि वाद अनुसूची संपत्ति में अपने अधिकार, अभिधान एवं हित की घोषणा के लिए और कब्जा की वापसी के लिए वादीगण द्वारा अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 दाखिल किया गया था। अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 में याची की पत्नी को प्रतिवादी सं॰ 1 के रूप में अभियोजित किया गया था किंतु, याची जो भागमत उर्फ मातला हंसदा का विधिक उत्तराधिकारी है को पक्षकार नहीं बनाया गया था। दिनांक 23.3.2006 को अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 डिक्री किया गया था और तत्पश्चात, डिक्रीधारक ने निष्पादन केस सं॰ 11 वर्ष 2006 दाखिल किया जिसमें याची ने सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 47 के अधीन और सी॰ पी॰ सी॰ के आदेश 21 नियम 97 सहपठित धारा 151 के अधीन दिनांक 8.5.2007 का आवेदन दाखिल किया। दिनांक 6.9.2010 के आदेश के तहत उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया था और दिनांक 30.8.2013 को याची द्वारा दाखिल अपील भी खारिज कर दी गयी थी। व्यथित होकर याची वर्तमान रिट याचिका दाखिल करके इस न्यायालय के पास आया है।

3. याची के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुने गए और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

4. याची के विद्वान वरीय अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याची को घरजमाई के रूप में अपनाया गया था और वह तथा उसकी पत्नी अर्थात् मुन्नी हंसदा भागमत उर्फ मातला हंसदा के घर में निवास करते थे और वे उक्त भागमत उर्फ मातला हंसदा के घर एवं संपत्ति पर लगातार काबिज थे। याची के ससुर अर्थात् भागमत उर्फ मातला हंसदा ने वर्ष 1962 में रजिस्टर्ड घरजमाई विलेख निष्पादित किया और वर्ष 1970 में उक्त भागमत उर्फ मातला हंसदा की मृत्यु के बाद वर्तमान याची ने घरजमाई होने के नाते जे॰ बी॰ सं॰ 19, मौजा बालीडीह में कुल क्षेत्रफल 31 बीघा 19 कट्ठा 8 धूर से गठित संपत्ति विरासत में पाया। आगे यह निवेदन किया गया है कि रुढ़िजन्य विधि के अधीन घरजमाई दामाद अपने ससुर की संपत्तियों का विधिक उत्तराधिकारी है और उसकी पत्नी भागमत उर्फ मातला हंसदा की संपत्तियों की विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। यह प्रतिवाद किया गया है कि यह विवाद्यक है कि क्या घरजमाई दामाद अपने ससुर की संपत्तियों को विरासत में पाएगा या नहीं, इस न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुनिश्चित किया गया है और इसलिए, याची द्वारा दाखिल 8.5.2007 का आवेदन इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि विवाद्यक पहले ही अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 में न्यायनिर्णीत कर दिया गया है। आगे यह प्रतिवाद किया गया है कि दिनांक 30.8.2013 का अपीलीय आदेश भी विधि की गंभीर गलती से पीड़ित है क्योंकि अपील इस आधार पर खारिज की गयी है कि याची को मुन्नी हंसदा का पति होने के नाते अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 की जानकारी थी।

5. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

6. अभिलेख पर लाए गए सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि आपत्तिकर्ता/याची ने अभिवचन किया है कि डिक्रीधारक एवं निर्णीत ऋणी दोनों संथाल हैं और संथाल रुढ़िजन्य विधि द्वारा शासित होते हैं। याची किसी भागमत उर्फ मातला हंसदा का दामाद है जो लखन हंसदा का पुत्र है। उक्त लखन हंसदा की मृत्यु अपने पीछे तीन पुत्रों अर्थात् सल्हाई, राम हंसदा एवं भागमत उर्फ मातला हंसदा को छोड़कर हो गयी। प्रश्नगत संपत्ति प्राईवेट व्यवस्था द्वारा भागमत उर्फ मातला हंसदा के कब्जा में आयी और उसके अन्य

भाईयों ने अन्य संपत्तियों को धारण किया और विरासत में पाया। आवेदक आपत्तिकर्ता को भागमत उर्फ मातला हंसदा की पुत्री मुन्नी हंसदा के साथ घरजमाई के रूप में विवाह के बाद ग्राम बालीडीह लाया गया था। ''लेबेत उचुर'' एवं अन्य समारोह के अवसर पर वर्ष 1952 में घरजमाई रूप में विवाह संपन्न किया गया था और तब से आपत्तिकर्त्ता और उसकी पत्नी मुन्नी हंसदा भागमत उर्फ मातला हंसदा के घर में निवास कर रहे हैं। भागमत उर्फ मातला हंसदा, जिसकी मृत्यु वर्ष 1970 में हुई, द्वारा दिनांक 21.7.1962 का रजिस्टर्ड घरजमाई विलेख निष्पादित किया गया था और उसकी मृत्यु के बाद प्रश्नगत संपत्ति आपत्तिकर्ता के कब्जा में आयी।

7. मामले में अभिवचनों से, यह प्रतीत होता है कि आपत्तिकर्ता ने अभिवचन किया है कि भागमत उर्फ मातला हंसदा की मृत्यु के बाद उसने और उसकी पत्नी ने जे॰ बी॰ सं॰ 19, मौजा बालीडीह, कुल क्षेत्रफल 31 बीघा, 19 कट्ठा 8 धूर से गठित भूमि विरासत में पाया। अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 में आपत्तिकर्ता की पत्नी को प्रतिवादी सं॰ 1 के रूप में अभियोजित किया गया था, जिसने पक्षों के बीच संबंध स्वीकार करते हुए लिखित कथन दाखिल किया लिखित कथन में, मुन्नी हंसदा ने अभिवचन किया है कि पक्षों के पूर्वजों ने मित्रतापूर्वक अपने-अपने हिस्सों में भूमि का आवंटन स्वीकार किया और इस पर कृत्य किया। लिखित कथन के पैराग्राफ सं॰ 18 में आपत्तिकर्ता की पत्नी ने कथन किया है कि वह और उसका पति भागमत उर्फ मातला हंसदा मौजा बालीडीह के जमाबंदी सं॰ 19 के प्रति विधिपूर्ण अभिधान रखने वाले विधिपूर्ण स्वामी हैं। लिखित कथन के पैराग्राफ सं॰ 29 में आगे कथन किया गया है कि आपत्तिकर्ता की पत्नी एवं आपत्तिकर्ता का मौजा बालीडीह में संपूर्ण जमाबंदी सं॰ 19 के ऊपर अस्तित्वयुक्त अभिधान एवं विधिपूर्ण कब्जा है। आपत्तिकर्ता की पत्नी द्वारा घरजमाई रूप में विवाह के तथ्य का भी विनिर्दिष्टत: अभिवचन किया गया था। अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 में मंगत मुर्मू घरजमाई रूप में आपत्तिकर्ता के साथ प्रतिवादी सं॰ 1 मुन्नी हंसदा के विवाह के संबंध में विनिर्दिष्ट विवाद्यक विरचित किया गया था। अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 वादीगण के पक्ष में डिक्री किया गया है और घरजमाई रूप में विवाह के विवाद्यक का उत्तर प्रतिवादी के विरुद्ध दिया गया है। सी॰ पी॰ सी॰ की धारा 47 आदेश 21 नियम 97 सहपठित धारा 151 के अधीन आवेदन में आपत्तिकर्ता ने अभिवचन नहीं किया है कि केवल वह भागमत उर्फ मातला हंसदा की संपत्तियों का विधिक उत्तराधिकारी हैं। विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर किया है कि घरजमाई के रूप में विवाह के विवाद्यक पर विचारण न्यायालय द्वारा अविश्वास किया गया है। मैं पाता हूँ कि आपत्तिकर्ता द्वारा दाखिल आवेदन अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 में उसकी पत्नी द्वारा दाखिल लिखित कथन की प्रतिमूर्ति है। ''**सिल्वर लाइन फोरम प्रा॰ लि॰ बनाम राजीव ट्रस्ट एवं एक अन्य, (1998)3 SCC 723,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विचारण न्यायालय मात्र इसलिए प्रश्न विनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि प्रतिरोधक ने इसे उठाया है। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह आवश्यक है कि प्रतिरोधक अथवा अवरोधक द्वारा उठाए गए प्रश्न को उसके एवं डिक्री धारक के बीच विधित: उद्भूत होना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–

> *"14. ;g Li"V g fd fu"iknu U;k;ky; fofuf'pr dj ldrk g fd D;k çfrjkèkd vFkok vojkèkd fMØh }kjk vkc) 0;fDr g vkj og lifÙk fjDr dju l budkj djrk gA og ç'u Hkh lfgrk d vkn'k 21 fu;e 97 (2) e vuè;kr U;k; fu.k;udkjh çfØ;k d vrxr ijh rjg vkrk gA mle mfYyf[kr U;k;fu.k;u dk foLrr tkp vFkok lk{; dk lxg.k vrxLr dju dh vko';drk ugh gA U;k;ky; LohÑr rF;k ij vFkok çfrjkèkd }kjk fd, x, çdFkuk ij Hkh U;k;fu.k;u dj ldrk gA fu'p; gh] U;k;ky; ,l fofu'p;dj.k d fy, i{kk dk lk{; nu dk fun'k n ldrk g ;fn U;k;ky; bl vko';d le>rk gA***

8. जैसा ऊपर गौर किया गया है, आपत्तिकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद्यक कि वह मृतक भागमत उर्फ मातला हंसदा का विधिक उत्तराधिकारी है और इस प्रकार, उसकी अनुपस्थिति में अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 में कार्यवाही नहीं किया जाना चाहिए था, पहले ही विचारण न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया है। प्रतिवादी अथवा आपत्तिकर्ता ने अपील दाखिल करके अभिधान वाद सं॰ 54 वर्ष 1998 में निर्णय को चुनौती नहीं दिया है।

9. पूर्वोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए मैं अभिधान निष्पादन केस सं॰ 11 वर्ष 2006 में दिनांक 6.9.2010 के आक्षेपित आदेश तथा सिविल विविध अपील सं॰ 9 वर्ष 2010 में दिनांक 30.8.2013 के आदेश में गलती नहीं पाता हूँ और तद्नुसार, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

---

ekuuh; vkjî vkjî ilkn ,o joh ukFk oek] U;k;efrx.k

फुलेन्द्र महतो उर्फ टीका महतो एवं एक अन्य

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 1421 of 2005. Decided on 24th March, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 560 वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूंटी, रांची द्वारा पारित दिनांक 6.9.2005 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा 12.9.2005 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–हत्या–साझा आशय–अपीलार्थीगण की भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302/34 के अधीन दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया गया–खेत की जुताई को लेकर विवाद के कारण शत्रुता–घटना अभियोजन साक्षियों द्वारा तथा सूचनादाता द्वारा देखी गयी तथा सभी सामग्रियों द्वारा सम्पोषित हुई–चक्षुदर्शी साक्ष्य बिल्कुल सुसंगत एवं सम्पोषक हैं, विषद प्रतिपरीक्षा के बावजूद उनके साक्ष्य में कोई दुर्बल पक्ष प्रकट नहीं हुआ है–घटना के आधे घंटे के भीतर फर्दबयान अभिलिखित, अभियोजन के लिए कोई नयी कहानी तैयार करने का कोई अवसर नहीं था–घटना स्थल तथा पुलिस थाना के बीच दूरी दो किलोमीटर है, सूचनादाता तथा अन्य व्यक्तियों के लिए इतने कम समय के भीतर पुलिस थाना जाना तथा घटना स्थल पर वापस आना संभव नहीं था, अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा फर्दबयान अभिलिखित किये जाने के प्रदत्त स्थान तथा समय पर अविश्वास करने का कोई कारण तथा अवसर नहीं है–यह स्थापित दृष्टिकोण है कि संबंधियों तथा हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य को सीधे ही त्यक्त नहीं किया जा सकता है एवं स्वतंत्र गवाहों द्वारा सम्पोषण के बिना भी उनके साक्ष्यों पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है, बशर्ते की उनके साक्ष्य सुसंगत तथा सम्पोषक हों, अंतर्निहित दोष एवं दुर्बलता से मुक्त हों तथा यह पूर्ण रूप से विश्वास योग्य हो–चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्यों द्वारा पूर्ण रूप से सम्पोषित–अपील खारिज। (पैराएँ 6 से 16)

निर्णयज विधि.–2015(1) East Cr. Cases 321(S.C.)—Distinguished.

अधिवक्तागण.–Ms. Nivedita Kundu, For the Appellants; Mr. M.B. Lal, For the State.

नवी नाथ वर्मा, न्यायमूर्ति.–दोनों अपीलार्थीगण ने किसी शांति देवी के साथ किसी महेश्वर महतो (इसमें इसके पश्चात् 'मृतक' के तौर पर निर्दिष्ट) की अभिकथित रूप से मानव वध रूपी हत्या कारित करने के कारण विचारण का सामना किया था। प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, खूंटी, रांची के विद्वान न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दिनांक 6.9.2005 के निर्णय द्वारा दोनों

अपीलार्थीयों की दोषसिद्धि की थी एवं सत्र विचारण सं॰ 560 वर्ष 2003 में पारित दिनांक 12.9.2005 के दंडादेश द्वारा उन्हें सश्रम आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश सुनाया था।

2. जिन आरोपों के परिणामत: अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण हुआ था, वह निम्नवत हैं:–

तीनों अभियुक्तों तथा मृतक के बीच शत्रुता थी तथा वे सभी एक ही परिवार से संबंधित थे। वर्तमान दोनों अपीलार्थियों का पिता, अर्थात्, खुदी राम महतो सबसे बड़ा भाई था, मृतक दूसरा भाई था तथा सबसे छोटा भाई उषा राम महतो था। घटना के कुछ दिनों पहले, दोनों अपीलार्थियों ने जबरन खेत की जुताई की थी जो मृतक की माता के हिस्से में आता था तथा मृतक द्वारा की गयी अभ्यापत्ति पर, अपीलार्थी संजय महतो ने मृतक तथा उसके भाई को गंभीर परिणाम की धमकी दी थी। 10.10.2002 को, घटना के दिन लगभग 6–6.30 बजे पूर्वाह्न में, सूचनादात्री ललिता देवी अपने मृतक पति महेश्वर महतो के साथ शौच क्रिया के लिए दमारी मोड़, सोनाहातु की ओर गयी थी तथा शौच क्रिया करने के उपरान्त, सूचनादात्री अपने घर वापस आ गयी थी तथा पानी लाने जा रही थी जब उसने शांति देवी एवं अपने पति के बीच कुछ कहा–सुनी होते हुए देखा था एवं इस दौरान, अपीलार्थी फुलेन्द्र महतो उर्फ टिक्का महतो बलुआ से लैस होकर तथा संजय महतो कुल्हाड़ी से लैस होकर वहां आ गये थे एवं उसके पति को उपहतियां कारित की थी। जब उसके पति ने अपने आप को बचाने के लिए चीख पुकार की थी, सूचनादात्री ने रोना प्रारंभ कर दिया था एवं संत्रास भी किया था जिसपर उसकी गोतनी कौशल्या देवी तथा उसके देवर उषा राम महतो वहां आ गये थे परन्तु उस समय तक अपीलार्थीगण उसके पति के सिर पर कई उपहतियां कारित कर चुके थे तथा उपहतियां होने के उपरान्त, उसके पति ने वहां से भाग जाने का प्रयास किया था परन्तु खेत में नीचे गिर पड़ा था। अपीलार्थीगण ने उसके पति पर और प्रहार किये थे जिसके परिणामत: उसकी मृत्यु हो गयी थी एवं भाग गये थे। सूचनादात्री के घर के निकट टाऊ गांव में उसी दिन घटना के तुरंत बाद सात बजे पूर्वाह्न में बुन्दु पुलिस थाना के सब–इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार महतो द्वारा सूचनादात्री ललिता देवी (अ॰ सा॰ 10) का फर्दबयान (प्रदर्श 5) अभिलिखित किया गया था। पुलिस थाना के प्रभारी पदाधिकारी के निर्देश पर उक्त सब–इस्पेक्टर कृष्ण कुमार महतो (अ॰ सा॰ 11) ने अन्वेषण प्रारंभ किया था, शव की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श 6) तैयार की थी तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अन्वेषण के पूरा होने पर, अन्वेषण पदाधिकारी ने अभियोग पत्र दाखिल किया था जिसके उपरान्त संज्ञान लिया गया था एवं मामला सत्र न्यायालय भेज दिया गया था। दोनों अपीलार्थीयों समेत तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन आरोप विरचित किया गया था जिससे अपीलार्थीगण ने इनकार किया था एवं दोषी न होने का अभिवाक् किया था तथा विचारण किये जाने का दावा किया था।

3. अभियोजन ने अपीलार्थीगण तथा एक अन्य अभियुक्त शांति देवी के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर ग्यारह गवाहों को परीक्षित किया था। इसमें से, अ॰ सा॰ 1 लहरू महतो, अ॰ सा॰ 2 देव नाथ महतो, अ॰ सा॰ 3 सागर प्रसाद महतो, अ॰ सा॰ 4 विष्णु महतो, अ॰ सा॰ 5 बहादुर महतो यह सभी अनुश्रुत गवाह हैं। अ॰ सा॰ 1 रक्त से सनी मिट्टी के अभिग्रहण का एक गवाह है, अ॰ सा॰ 3 एवं अ॰ सा॰ 5 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के गवाह हैं, अ॰ सा॰ 6 कौशल्या देवी सूचनादात्री की भाभी है, अ॰ सा॰ 7 उषा राम महतो मृतक का भाई है, अ॰ सा॰ 9 लोकेश कुमार महतो मृतक का पुत्र है तथा अ॰ सा॰ 10 ललिता मेहता सूचनादात्री है तथा यह घटना के चश्मदीद गवाह हैं। अ॰ सा॰ 11 कृष्ण कुमार महतो अन्वेषण पदाधिकारी है। अ॰ सा॰ 8 डॉ॰ अजीत कुमार चौधरी ने महेश्वर महतो के शव का 10.10.2002 को शव परीक्षण किया था एवं निम्नांकित उपहतियां पायी थी:–

> *(i) uhp dh vfLFk rFkk efLr"d n0; dk dkVr g, vx&i'p voLFkk e fLFkr flj d ck; vx VEikjy {k= ij xgk dh xgjkb rd x;k 13 x 4 cm vkdkj dk ,d fNfnr ?kkoA*

(ii) uhp d vxy fgLl rFkk efLr"d n0; dk dkVr g, fl j d ck; VEikjy vkDlhihVy {k= ij vfLFk dh xgjkb rd x;k 11 x 3 cm vkdkj dk ?kkoA

(iii) ck;h ik'o xnu ij 7 cm dh yckb rd ck; ckg; d.k dk dkVr g, ck; ckg; d.k ij 5 x 1 cm vkdkj dk eyk;e mÙkdA

(iv) uhp vofLFkr vfLFk dk vkf'kd :i l dkVr g, fcYdy i'p voLFkk e vofLFkr fl j d eè; Hkkx d lkeu d {k= ij vfLFk dh xgjkb rd x;k 6 x 1 cm vkdkj dk ?kkoA

(v) ck; dèk d Åij 5 cm yEck j[kh; dVkoA Øfu;y xgk e jDr rFkk jDr d FkDd ekt n FkA

(vi) ck;h Vej vfLFk d fupy Hkkx d vfLFkHkkx d lkFk ck; tkM ij ck;h tk?k d ik'o i{k ij Ropk dh xgjkb rd x;k 4 x 2 cm vkdkj dk fonh.k ?kkoA

पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श 3 के तौर पर अंकित की गयी थी। चिकित्सक ने उपरोक्त सभी उपहतियों को मृत्युपूर्व पाया था। चिकित्सक की राय में छिद्रित घाव कठोर एवं कुंद पदार्थ द्वारा कारित किये गये थे तथा उपहति संख्याएं (i), (ii) एवं (iv) मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त पायी गयी थी क्योंकि वह गंभीर प्रकृति की थी। बचाव पक्ष ने भी एक गवाह गणेश महतो को परीक्षित किया था। दं॰ प्र॰ सं॰ की धारा 313 के अधीन अभियुक्त व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये थे जिनमें अपीलार्थीगण तथा एक अन्य अभियुक्त शांति देवी ने पूर्ण रूप से अभिकथन से इनकार किया था एवं निर्दोष होने का दावा किया था। विचारण न्यायालय ने अ॰ सा॰ 6, 7, 9 एवं 10 के साक्ष्य तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करके, दोनों अपीलार्थियों के दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित किया था तथा उपरोक्त यथाकथित ढंग से उनकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश किया था। तथापि, विचारण न्यायालय ने शांति देवी को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप से दोषमुक्त कर दिया था।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों 6, 7, 9 एवं 10, जो अतिहितबद्ध हैं तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध शत्रुतापूर्ण हैं, के साक्ष्य पर भरोसा करके त्रुटि कारित की थी। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त सभी साक्षीगण के साक्ष्य दुर्बलताओं तथा विरोधात्मकताओं से पूर्ण थे तथा भरोसा किये जाने योग्य नहीं थे। गंभीरतापूर्वक यह भी तर्क दिया गया था कि उपरोक्त गवाहों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुधार किये गये थे तथा यह अति अनधिसंभाव्य है कि यद्यपि उपरोक्त साक्ष्यों ने अपीलार्थीगण को मृतक पर प्रहार करते हुए देखा था परन्तु मृतक की रक्षा करने या बचाने का प्रयास तक नहीं किया था। विद्वान अधिवक्ता ने **2015(1) East. Cr. Cases 321 (SC) [दिलीप कुमार मंडल एवं एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]** में रिपोर्ट किये गये निर्णय पर भी भरोसा करते हुए निवेदन किया कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य से, यह परिलक्षित होता है कि कोई पूर्व योजना नहीं थी, अचानक हुए उकसावे के कारण झगड़ा हो गया था तथा जैसा कि अभियोजन साक्षियों से स्पष्ट है, अपीलार्थीगण ने उपहतियां कारित की थी। अतएव, चूँकि अपीलार्थीगण का कार्य भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 300 के अपवाद 4 की परिधि के भीतर आता है, अवर न्यायालय को अपीलार्थीगण की या तो भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 के भाग I या भाग II के अधीन दोषसिद्धि करना चाहिए था।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त निर्दिष्ट तर्कों का प्रतिरोध करते हुए, विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जोर देकर आग्रह किया है कि यद्यपि कुल मिलाकर चार चक्षुदर्शी साक्षीगण के सुसंगत तथा सम्पोषक साक्ष्य हैं, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा चिकित्सीय साक्ष्य की अंतर्वस्तुओं के साथ विचार किये जाने पर केवल सूचनादात्री (अ॰ सा॰ 10) का साक्ष्य ही अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि का आधार बनने के लिए पर्याप्त है। यह भी तर्क दिया गया था कि घटना के तुरंत बाद फर्दबयान दर्ज किया गया था तथा, अतएव, झूठ मूठ फंसाये जाने की कोई अधिसंभाव्यता उद्भूत नहीं होती है।

6. अब चक्षुदर्शी साक्ष्यों को निर्दिष्ट करने पर, यह ध्यान में आता है कि सूचनादात्री–अ॰ सा॰ 10 ने अभियोजन मामले की संपूर्णता में इसका समर्थन करते हुए कथित किया है कि घटना के दिन आवाज सुनकर, वह अपने घर से खेत की ओर दौड़ पड़ी थी तथा फुलेन्द्र महतो उर्फ टिक्का की माता शांति देवी तथा अपने पति के बीच कुछ कहा–सुनी होते हुए देखा था परन्तु उसने उसकी बातचीत पर ध्यान नहीं दिया था तथा बाल्टी में पानी लाने के लिए चली गयी थी परन्तु उसने पुनः झगड़े की आवाज सुनी थी एवं अपने पति की आवाज भी सुनी थी एवं पाया था कि अपीलार्थी टिक्का उर्फ फुलेन्द्र उसके पति के सिर, कान एवं पैर पर बलुआ से उपहतियां कारित कर रहा था तथा संजय भी उसके सिर, कान तथा पैर पर फावड़े से उपहतियां कारित कर रहा था। शांति देवी अपने हाथ में एक लाठी लिए हुई थी तथा अपीलार्थीगण को इस गवाह के पति का काम तमाम करने के लिए उकसा रही थी। चोट खाने के उपरान्त, उसका पति खेत की मेड़ के निकट गिर पड़ा था तथा जब यह गवाह घटनास्थल के निकट पहुंची थी, अपीलार्थीगण एवं अन्य अभियुक्त भाग गये थे। इस गवाह को अपने पति के शरीर पर कई उपहतियां मिली थी तथा वह बोलने तक की स्थिति में नहीं था। इस दौरान उसकी गोतनी कौशल्या देवी, उसके देवर उषा राम महतो तथा एक अन्य भैंसुर लहरू महतो वहां आ गये थे परन्तु उस समय तक, उस गवाह का पति महेश्वर महतो की उपहतियों के फलस्वरूप मृत्यु हो चुकी थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस चरण में निवेदन किया कि यद्यपि फर्दबयान में, सूचनादात्री ने मात्र यह कथित किया था कि संजय महतो ने उसके पति पर फावड़े से प्रहार किया था तथा फुलेन्द्र महतो ने उसके पति पर बलुआ से उपहतियां कारित की थी परन्तु न्यायालय में अपने साक्ष्य में, उस गवाह ने कुछ सुधार किये हैं ऐसा विनिर्दिष्टतः वर्णित करते हुए कि अभियुक्त संजय महतो तथा फुलेन्द्र महतो ने मृतक के सिर, कान तथा पैर पर फावडा एवं बलुआ से उपहतियां कारित की थी। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यथानिर्दिष्ट उक्त सुधार इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उसके परिसाक्ष्य पर संदेह उत्पन्न कर सकें। यह सुस्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रत्येक विवरण से अंतर्विष्ट कोई विश्वकोष नहीं होता है।

7. अन्य चश्मदीद गवाहों अ॰ सा॰ 6, अ॰ सा॰ 7 तथा अ॰ सा॰ 9 के साक्ष्य सूचनादात्री–अ॰ सा॰ 10 के साक्ष्य के सदृश हैं, जो उनके द्वारा सभी तात्विक विशिष्टियों में सम्पोषित किया गया था। अ॰ सा॰ 6 कौशल्या देवी ने कथित किया है कि लगभग 6–6.30 बजे पूर्वाह्न में, वह अपनी बाड़ी से सब्जियां तोड़ने जा रही थी तथा जब डमारी मोड़ के निकट पहुंची थी, टिक्का महतो, संजय तथा शांति देवी का शोर सुना था तथा वह वहां रूक गयी थी। उस स्थान जहाँ से हल्ला सुनाई दे रहा था, वह वहां से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी जहां वह खड़ी थी तथा उसने देखा था कि संजय अपने हाथ में फावड़ा लेकर तथा टिक्का महतो बलुआ लेकर मृतक महेश्वर महतो, जो उसका देवर था, के सिर, कान एवं पैर पर प्रहार कर रहे थे तथा सिर पर उपहति के कारण, मस्तिष्क द्रव्य बाहर आ गये थे। इस गवाह ने यह भी सम्पुष्ट किया है कि उसके पति उषा राम महतो, उसकी गोतनी लतीता देवी तथा कई अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। तथापि, प्रतिपरीक्षा में, उसने अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक को कारित उपहतियों की संख्या की जानकारी होने से इनकार किया था। अ॰ सा॰ 6 के पति अ॰ सा॰ 7 उषा राम महतो ने घटनास्थल के निकट उसकी उपस्थिति सम्पुष्ट की थी ऐसा कथित करते हुए कि लगभग 6.30 बजे पूर्वाह्न में, वह शौच क्रिया के लिए जा रही थी तथा जब सोनाहातु सड़क पर अपनी माता के जमीन के निकट पहुंची थी, देखा था कि शांति देवी तथा मृतक के बीच कुछ कहा सुनी हो रही थी एवं उनके बातचीत पर कोई ध्यान दिये बिना, वह आगे बढ़ गयी थी एवं शौच क्रिया से निवृत्त होने के उपरान्त जब वह वापस आ रही थी, उसने टिक्का महतो तथा संजय महतो को मृतक पर बलुआ तथा फावड़े से प्रहार करते हुए देखा था। इस गवाह ने प्रहार के विवरण प्रदान करते हुए यह भी सम्पुष्ट किया है कि संजय तथा टिक्का ने कपाल के बायें हिस्से पर तथा पैर पर उपहतियां कारित की थी तथा चोट खाने के उपरान्त, मृतक नीचे गिर

पड़ा था एवं उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस गवाह ने यह भी सम्पुष्ट किया है कि मस्तिष्क द्रव्य सिर से बाहर आ गये थे तथा ललिता देवी, उसकी पत्नी कौशल्या देवी तथा मृतक के पुत्र लोकेश घटना स्थल के निकट थे। तथापि, इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा के दौरान कथित किया है कि जब वह घटना स्थल के निकट पहुंचा था, उस समय तक अपीलार्थीगण भाग चुके थे। इस गवाह ने उसके परिवार तथा अपीलार्थीगण के परिवार के बीच शत्रुता का होना स्वीकार करते हुए कथित किया है कि उस मामले के निस्तारण के पहले वर्तमान मामला दाखिल किया गया था जिसमें इस गवाह की दोषसिद्धि की गयी है तथा उसने अपीलार्थीगण एवं उसके परिवार के बीच निकट संबंध को भी सम्पुष्ट किया है। मृतक का पुत्र अ॰ सा॰ 9 लोकेश कुमार महतो घटना के दिन अवयस्क था तथा फरवरी, 2005 में जब न्यायालय में उसका अभिसाक्ष्य दर्ज किया गया था, उसकी आयु केवल 12 वर्ष आकलित की गयी थी। इस गवाह ने परिसाक्ष्य दिया है कि प्रात:काल में जब वह जागा था, उसने अपनी माता की चीत्कार सुनी थी तथा वह बता रही थी उसके पिता की हत्या कर दी गयी है। इस गवाह ने यह भी सम्पुष्ट किया है कि वह अपने पिता पर हुए हमले का एक गवाह है ऐसा कथित करके कि टिक्का ने उसके पिता के सिर तथा कान पर बलुआ से प्रहार किया था तथा संजय ने फावड़े से उसके पिता पर प्रहार किया था एवं तत्पश्चात भाग गये थे। प्रकटत:, घटना प्रात:काल में लगभग 6.30 बजे पूर्वाह्न में हुई थी तथा घटना उस दूरी से आसानी से देखी जा सकती थी जैसा कि गवाहों में कुछ के द्वारा कथित किया गया था।

8. मामले के अन्वेषण पदाधिकारी अ॰ सा॰ 11 ने परिसाक्ष्य दिया है कि एक अफवाह सुनने के उपरान्त कि सोनाहातु सड़क के निकट डुमरी गांव में किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गयी है, स्टेशन डायरी सं॰ 280 दिनांक 10.10.2002 में इसकी प्रविष्टि करने के उपरान्त, वह पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल आया था जो डेमारी गांव में है, तथा वहां पर एक शव पड़ा हुआ पाया था। गांव के लोगों से पूछताछ करने के उपरान्त, उसने मृतक की विधवा ललिता मेहता उर्फ बेबी का फर्दबयान अभिलिखित किया था, तथा पंचनामा तैयार करने के उपरान्त, शव को पोस्टमार्टम के लिए आर॰ आई॰ एम॰ एस॰, राँची भेज दिया था। अन्वेषण पदाधिकारी ने घटना स्थल का वर्णन प्रदान किया है तथा गवाहों का साक्ष्य अभिलिखित करने के उपरान्त घटना स्थल से मिट्टी से सना रक्त संग्रहित किया था एवं अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 7) तैयार की थी परन्तु अभिगृहित मिट्टी कभी भी विधि विज्ञान परीक्षण के लिए नहीं भेजी गयी थी। प्रतिपरीक्षा के दौरान, इस गवाह ने यह भी अभिपुष्ट किया है कि उसे मृतक के परिवार के किसी सदस्य से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसने अफवाह सुनी थी तथा इसके उपरान्त घटना स्थल आ गया था। इस गवाह ने यह भी अभिपुष्ट किया है कि सूचनादात्री का घर घटना स्थल से लगभग 150 गज की दूरी पर अवस्थित था।

9. ऊपर चर्चा किया गया चक्षुदर्शी साक्ष्य बिल्कुल सुसंगत तथा सम्पोषक है। विषद् प्रतिपरीक्षा के बावजूद, उनके साक्ष्यों में कोई भी दुर्बलता प्रकट नहीं हुई है। उनके साक्ष्य अकाट्य, सच्चे तथा विश्वास योग्य हैं।

10. यहां, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन को ध्यान में लेना चाहेंगे कि अ॰ सा॰ 10–सूचनादात्री ने अपने साक्ष्य में कथित किया है कि चोटें खाने के उपरान्त जब उसके पति की मृत्यु हो गयी थी, वह अपने भैंसुर समेत अन्य व्यक्तियों के साथ बुन्दू पुलिस थाना गयी थी तथा समूची घटना सुनायी थी जिसके आधार पर फर्दबयान अभिलिखित किया गया था एवं उसका हस्ताक्षर प्राप्त किया गया था परन्तु प्राथमिकी के परिशीलन से, यह प्रतीत होगा कि सूचनादात्री ललिता देवी का फर्दबयान उसके अपने गांव ताऊ में उसके घर के निकट अभिलिखित किया गया था। प्रकटत:, घटना लगभग 6.30 बजे पूर्वाह्न में घटित हुई थी तथा अ॰ सा॰ 11, जो अन्वेषण पदाधिकारी है, के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि ऐसी अफवाह सुनने के उपरान्त कि डुमरी गांव के निकट सोनाहातू सड़क पर एक व्यक्ति की हत्या

कर दी गयी है, वह पुलिस स्टेशन डायरी में प्रविष्टि करने के उपरान्त पुलिस बल के साथ डुमरी गांव की ओर दौड़ पड़ा था जहां उसे शव मिला था तत्पश्चात उसने 7 बजे पूर्वाह्न में सूचनादात्री ललिता देवी का फर्दबयान दर्ज किया था एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी एवं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अतएव, न्यायालय में तथा फर्दबयान में सूचनादात्री के परिसाक्ष्य में अंतर निर्णायक प्रकृति का नहीं है क्योंकि घटना के आधे घंटे के भीतर फर्दबयान दर्ज कर लिया गया था। यह केवल बोलचाल की अभिव्यक्ति थी कि कोई किसी दी गयी परिस्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। चूँकि फर्दबयान घटना के आधे घंटे के भीतर अभिलिखित किया गया था, अभियोजन के पास कोई कहानी तैयार करने का कोई अवसर नहीं था। औपचारिक प्राथमिकी में, घटना स्थल तथा पुलिस थाना के बीच की दूरी 2 किलोमीटर दर्शायी गयी है। सूचनादात्री तथा अन्य व्यक्ति के लिए इतने कम समय के भीतर पुलिस थाना जाना और फिर वापस घटना स्थल पर लौट आना संभव नहीं था तथा अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा फर्दबयान अभिलिखित करने के दिये गये स्थान तथा समय पर अविश्वास करने का कोई कारण एवं अवसर नहीं है।

11. अ॰ सा॰ 11 अन्वेषण पदाधिकारी के साक्ष्य से, यह परिलक्षित होगा कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य में कतिपय विलोप तथा असंगतताएं सामने आयी थी परन्तु वह उपरोक्त यथाकथित अभियोजन मामले की बुनियाद के केन्द्रीय तत्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करनेवाली तात्विक तथा निर्णायक असंगतताएं नहीं हैं। स्वाभाविक तथा सत्यपूर्ण गवाहों के साक्ष्य में कुछ छोटी मोटी भिन्नताओं तथा विलोपों का उत्पन्न होना अवश्यंभावी है। यह सही है कि सभी गवाह संबंधी हैं तथा हितबद्ध हैं। परन्तु साथ ही साथ अपीलार्थीगण के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं क्योंकि पक्षकारों के बीच भूमि विवाद के कारण उनके बीच मुकदमें चलते रहे हैं परन्तु केवल इसी कारण से, उनके साक्ष्य अस्वीकार नहीं किये जा सकते हैं। यह सुस्थापित दृष्टिकोण है कि संबंधियों तथा हितबद्ध गवाहों के साक्ष्य सीधे ही त्यक्त नहीं किये जा सकते हैं तथा स्वतंत्र गवाहों द्वारा सम्पोषण के बिना भी उनके साक्ष्यों पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। बशर्ते की उनके साक्ष्य अंतर्निहित दोष तथा दुर्बलता से मुक्त रहते हुए सुसंगत तथा सम्पोषक हो तथा यह पूर्ण रूप से विश्वसनीय हो। चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा पूर्ण रूप से सम्पोषित हैं। **[(2001) 1 SCC 337]** में रिपोर्ट किये गये **राजस्थान राज्य बनाम हनुमान** के मामले में ऐसा ही दृष्टिकोण लिया गया था।

12. जहां तक विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन का संबंध है कि अचानक हुए उकसावे के कारण घटना घटित हुई थी तथा इस प्रकार, अवर न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषपूर्ण रूप से अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि की थी, बल्कि अपीलार्थीगण की भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 304 के भाग I या भाग II में दोषसिद्धि की जानी चाहिए थी, अभियोजन साक्षीगण के परिसाक्ष्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच पहले से शत्रुता थी तथा किसी उकसावे के बिना एवं साझा आशय के अनुसरण में, अपीलार्थीगण, जो फावड़े तथा बलुआ से लैस थे, ने शरीर के नाजुक अंगों पर उपहतियां कारित की थी जिसके परिणामत: मृतक की तत्काल मृत्यु हो गयी थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत **दिलीप कुमार मंडल एवं एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** के निर्णय **(ऊपर)** में, अचानक उकसावा हुआ था जब मृतक की बैलगाड़ी अभियुक्त व्यक्तियों के खेत में चली गयी थी जिसके परिणामत: पक्षकारों के बीच कहासुनी हो गयी थी एवं अभियुक्त व्यक्तियों ने उपहतियां कारित की थी। प्रस्तुत मामले में, अपीलार्थीगण मृतक के परिवार की जमीन पर जबरन जुताई कर रहे थे तथा जब विरोध किया गया था, उन्होंने उपहतियां कारित की थी। अतएव, उस निर्णय के मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णत: भिन्न हैं।

13. हमारी राय यह है कि अपीलार्थीगण की ओर से अपनी निर्दोषिता को अधिसंभाव्य बनाने के लिए तथा अभियोजन मामले को संदिग्ध बनाने के लिए प्रस्तुत समूचा तर्क किसी गुण तथा बल से रहित है एवं इसे सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाना है।

14. दोनों अपीलार्थीगण के प्रकट कृत्यों तथा भूमिका के बारे में अ॰ सा॰ 6, 7, 9 एवं 10 के अकाट्य, विश्वसनीय तथा भरोसे के योग्य साक्ष्य की दृष्टि में, विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 34 लागू की गयी है।

15. उपर जो चर्चा किया गया है तथा सम्परीक्षित किया गया है, उसकी दृष्टि में संहिता की धारा 302 सह-पठित धारा 34 के अधीन अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि एवं दंडादेश बरकरार रखा जाता है।

16. परिणामत:, अपील खारिज की जाती है। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण में से एक फुलेन्द्र महतो उर्फ टिक्का महतो सलाखों के पीछे है। वह दंडादेश का शेष भाग भुगतेगा। अन्य अपीलार्थी संजय महतो जमानत पर हैं, उसे अधिनिर्णीत दंडादेश को भुगतने के लिए इस निर्णय की तिथि से एक पखवाड़े के भीतर उसे अवर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के एक निर्देश के साथ उसका जमानत बंध पत्र एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है जिसमें विफल होने पर, अवर न्यायालय उसका आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी कराने के लिए बाध्यकर उपाय करेगा।

---

ekuuh; Jh pUn'k[kj] U;k;efr

मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (3782, 2395, 3788 में)

cuke

झारखंड राज्य एवं अन्य (सभी में)

W.P.(C) Nos. 3782, 3788 of 2013 with 2395 of 2012. Decided on 11th March, 2015.

मोटर यान अधिनियम, 1988–धाराएँ 194, 199 एवं 200–ओभरलोडिंग–अपराध का समन–यह आज्ञापक नहीं है कि केवल प्राधिकृत पदाधिकारी ही अपराध का समन कर सकता है बल्कि यह अपराधों का समन करने में अभियुक्तों की इच्छा की शर्त्त पर होता है–अभियोजन मामले के संस्थित होने के पहले या बाद भी अपराध का समन किया जा सकता है–याची द्वारा दायिता पर प्रश्न उठाया गया–प्रत्यर्थी द्वारा मांग की मात्रा के साथ हस्तक्षेप नहीं किया गया–अभिनिर्धारित, उसके समर्थन में सामग्रियां प्रस्तुत करके मांग की मात्रा को चुनौती देने का विकल्प याची के लिए खुला रहेगा–डी॰ टी॰ ओ॰ याची को अपराध का समन करने के लिए जुर्माने का भुगतान करने हेतु विवश करके मांग प्रवर्तित नहीं कर सकता है, आदेश का यह भाग अभिखंडित–याचिका अनुज्ञात। (पैराएँ 8 एवं 9)

निर्णयज विधि.–(1996) 5 SCC 359—Relied upon.

अधिवक्तागण.–M/s Indrajit Sinha, Suchitra Pandey, Amitabh Prasad, For the Petitioner; M/s Ajit Kumar, Atanu Banerjee, Saket Upadhyay, For the Resp.-State.

आदेश

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 सह-पठित धारा 199 के निबंधनों में जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा की गयी मांग से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिकाएं दाखिल की गयी हैं। सभी मामलों में, विधि का एक सम्मिलित प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तथा अतएव, ये सभी तीन रिट याचिकाएं एक साथ सुनी गयी हैं तथा इस सम्मिलित आदेश द्वारा निस्तारित की जा रही हैं। मामलों में अंतर्ग्रस्त मुद्दे का निर्णय करने के लिए डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ संख्या 3782 वर्ष 2013 में तथ्यों को विस्तार से ध्यान में लिया गया है।

डब्ल्यू॰ पी॰ सी॰ संख्या 3782 वर्ष 2013

2. संक्षिप्त रूप से कथित करने पर, मामले के तथ्य यह है कि याची-कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अधीन पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। यह ई-निलामी के माध्यम से विभिन्न

उपभोक्ताओं को कोयले का विक्रय करती है तथा सफल (bidder) को परिदाय आदेश उपलब्ध कराये जाते हैं। सफल bidder अपनी ओर से उनके द्वारा खरीदे गये कोयले का परिवहन कराने के लिए वाहनों की व्यवस्था करते हैं। खाली ट्रकों का प्रारंभ में याची–कंपनी के भार–पुल पर भार लिया जाता है तथा ट्रकों पर कोयले के लदान के उपरान्त भेजे जाने वाले कोयले की मात्रा अभिनिश्चित करने के लिए भार–पुल पर इसका पुनः भार लिया जाता है। यह कथित किया गया है कि ट्रक चालकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आर॰ सी॰ पुस्तिका, कर टोकन इत्यादि के आधार पर आर॰ एल॰ डब्ल्यू॰ भार के अनुसार कोयले की प्रेषित मात्रा का आकलन किया जाता है। कोयले के परिवहन में संलग्न वाहनों के विवरण उपलब्ध कराना याची कंपनी के लिए आवश्यक बनाते हुए उपायुक्त, धनबाद द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था। बाद में, मोटर यान अधिनियम की धाराओं 113 तथा 114 के उल्लंघन के लिए जुर्माने का भुगतान करने का याची–कंपनी को निर्देश देते हुए मांग की नोटिसें निर्गत की गयी थी। व्यथित होकर, याची ने उसे निर्गत तीन भिन्न मांग की नोटिसों के विरूद्ध तीन रिट याचिकाएं दाखिल की हैं। रखी गयी मांग के विवरण निम्नवत् हैं:–

क्रम सं॰	केस सं॰	मांग की नोटिस/पत्र संख्या तथा तिथि	राशि
1.	W.P.(C) No. 3782 of 2013	551 dt. 21.05.2013	19,04,000/-.
2.	W.P.(C) No. 2395 of 2012	5233 dt. 30.09.2010	27,42,300/-.
3.	W.P.(C) No. 3788 of 2013	594 dt. 05.06.2013	2,86,90,000/-

3. प्रत्यर्थी संख्याओं 1 एवं 2 की ओर से जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा एक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है ऐसा कथित करते हुए कि याची एक कंपनी होने के नाते अपने या अपने अभिकर्त्ता या कंपनी की व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी या जिम्मेदार किसी व्यक्ति द्वारा कारित अपराध के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजित किये जाने की दायी है। आंतरिक परिवहन के लिए कोयले के भार मापन हेतु प्रयुक्त भार–पुल याची कंपनी का है तथा इस प्रकार, याची ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराओं 113/114/115 के अतिलंघन में एक मोटर यान का चलाया जाना कारित कराया है या अनुज्ञात किया है तथा इस प्रकार, यह अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही किये जाने की दायी है। याची–कंपनी अभिकथित रूप से निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों का कोयले के आंतरिक परिवहन के लिए इस्तेमाल कर रही है। स्वयं याची–कंपनी ने भार–पुल तथा मात्रा के प्रेषण के विवरण उपलब्ध कराये हैं। यह कथित किया गया है कि मोटर यान अधिनियम की धारा 200 के अधीन समन की शक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी में निहित है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिशीलन किया।

5. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिन्हा निवेदन करते हैं कि दिनांक 21.5.2013, 30.9.2010 तथा 5.6.2013 के पत्र में अंतर्विष्ट आक्षेपित मांग इस आधार पर अभिखंडित किये जाने की दायी है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 के अधीन दायिता का कोई अभिनिर्धारण नहीं हुआ है। मांग की आक्षेपित नोटिस मात्र यह कथित करती है कि परिकलित विवरणों के साथ आर॰ एल॰ डब्ल्यू॰ भार के तुलना पर, यह पाया गया है कि वाहनों पर भार से अधिक कोयला लदा हुआ था। किसी भी दशा में, मोटर यान अधिनियम की धारा 200 के अधीन प्रावधान का तभी आश्रय लिया जा सकता है जब अभिकथित अधिक भार लादने वाला (ओभरलोडर) अपराध के शमन के लिए सहमत हो जाता है तथा अन्यथा नहीं। चूँकि, वर्तमान मामले में, याची–कंपनी ने अपनी दायिता से इनकार किया

है, जिला परिवहन पदाधिकारी, धनबाद शास्ति का भुगतान करके याची को अपराध का शमन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। याची के विद्वान अधिवक्ता **''पी॰ रत्नाकर राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य'' (1996) 5 SCC 359** तथा **''परमजीत भसीन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य'' (2005) 12 SCC 642** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं।

6. उपरोक्त के विरूद्ध, प्रत्यर्थी–झारखंड राज्य के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अपर महाधिवक्ता याची–कंपनी के साथ विभिन्न संसूचनाओं को निर्दिष्ट करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि याची–कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के आधार पर, जुर्माने की राशि की गणना की गयी है तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 सह–पठित धारा 199 के निबंधनों में जुर्माने का भुगतान करने के लिए मांग निर्गत की गयी थी। यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि वाहन तथा कोयले के लदान से संबंधित आंकड़े स्वयं याची–कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये थे, जहां तक वाहन पर ओभरलोडिंग करने के लिए जुर्माने का भुगतान करने के दायिता का संबंध है, इसपर विवाद नहीं किया जा सकता है।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा रखे गये तर्कों को निर्दिष्ट करने के पहले, मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों पर एक संक्षिप्त दृष्टिपात आवश्यक है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 113 उपबंधित करती है कि परिवहन यानों के परमिट निर्गत करने के लिए राज्य सरकार शर्त्तें विहित कर सकती है। यह भी उपबंधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटर यान या ट्रेलर का चालन नहीं करेगा या नहीं करायेगा, जिसका लदान रहित भार यान के निबंधन के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट लदान रहित भार से अधिक हो या जिसका लदान सहित भार निबंधन के प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट सकल यान भार से अधिक हो। धारा 114 उपबंधित करती है कि अगर राज्य सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि धारा 113 के अतिलंघन में माल वाहन या ट्रेलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह चालक के लिए वाहन को एक भार मापक युक्ति के पास जाना अपेक्षित बना सकती है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 निम्नवत् पठित है:–

*194. **vuK; Hkkj l vfèkd Hkkj oky ;ku dk pykuk-**&[(1) dkb Hkh 0;fDr tk èkkjk 113, 114 ;k èkkjk 115 d mYy?ku e ekVj ;ku pykrk g ;k pyokrk g ;k pyku dh vuefr nrk g de l de nk gtkj #i, d vFknM vkj vfèkd Hkkj gr çR;d vfrfjDr Vu d fy; ,d gtkj #i; rd d vFknM l nfMr fd;k tk;xk vkj vfèkd Hkkj uhp mrkju e gku oky 0;; dk Hkxrku dju gr mÙkjnk;h gkxk vkj vfèkd Hkkj dk de dju e gku oky 0;; d Hkxrku d fy; mÙkjnk;h gkxkA*

(2) ;ku dk dkb Mkboj tk :du l vkj èkkjk 114 d vèkhu bl fufeÙk çkfèkÑr vfèkdkjh }kjk ,lk dju d fun'k fn, tku d i'pkr ;ku dk Hkkj dju l bdkj djrk g vFkok Hkkj dju l io eky dk gVkrk g ;k gVokrk g] og teku l] tk rhu gtkj :i, rd dk gk ldxk] nMuh; gkxkA

8. यह भी प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 113(4) के अधीन जब यह पाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति, जो यान चला रहा हो या मोटर यान या ट्रेलर के प्रभार में हो, मोटर यान या ट्रेलर के मालिकों की जानकारी में या उनके आदेशों के अधीन ऐसा करता है, अपराध कारित होने के संबंध में एक उपधारणा उद्भूत होती है। **''पी॰ रत्नाकर राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य'' (1996) 5 SCC 359** में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 194 तथा धारा 200 के प्रभाव पर विषद् रूप से विचार किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 194 एक दांडिक उपबंध है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराओं 113 से 115 के उल्लंघन के लिए दांडिक प्रतिबंध तथा

दोषसिद्धि का प्रावधान करती है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 194 धारा 200 की उप-धारा (1) के अधीन प्रगणित अपराधों की शमन के लिए राशि विनिर्दिष्ट करने हेतु अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रत्यायोजित करने के संबंध में मार्गनिर्देश प्रदान करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह आज्ञापक नहीं है कि केवल प्राधिकृत पदाधिकारी अपराध का शमन कर सकता है बल्कि, यह अपराध का शमन कराने में अभियुक्त की ईच्छा पर निर्भर होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन मामला संस्थित किये जाने के पहले या बाद में भी अपराध का शमन किया जा सकता है। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याची-कंपनी ने अपनी दायिता पर विवाद किया है तथा अतएव, याची-कंपनी को जुर्माना अदा करने का निर्देश देकर जिला परिवहन पदाधिकारी याची-कंपनी को अपराध का शमन करने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इसके प्रतिकूल, प्रत्यर्थी-झारखंड राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री अजित कुमार निवेदन करते हैं कि जहां तक आक्षेपित पत्रों में अंतर्विष्ट मांग की राशि का संबंध है, राज्य सरकार के लिए याची-कंपनी के विरूद्ध अभियोजन प्रारंभ करके मांग प्रवर्तित करने का विकल्प खुला हुआ है।

9. अभिलेख पर लायी गयी सामग्रियों से, मैं पाता हूँ कि प्रत्यर्थी-झारखंड राज्य द्वारा गणना की गयी राशि याची-कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों/आंकड़े के आधार पर है तथा अतएव, जहां तक मांग की मात्रा का सवाल है, मैं मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं हूँ, परंतु, याची-कंपनी के लिए इसके समर्थन में सामग्रियां प्रस्तुत करके मांग की मात्रा को चुनौती देने का विकल्प खुला होगा। जहां तक जुर्माने का भुगतान करने के लिए याची-कंपनी द्वारा दिये गये आक्षेपित निर्देश का संबंध है, मेरा मत है कि जिला परिवहन पदाधिकारी अपराध का शमन करने हेतु जुर्माने का भुगतान करने के लिए याची-कंपनी को विवश करके मांग प्रवर्तित नहीं कर सकता हैं। परिणामस्वरूप, आदेश का यह अंश एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना वसूल करने हेतु मोटर यान अधिनियम के निबंधनों में उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही का आश्रय लेने का विकल्प राज्य सरकार के लिए खुला हुआ है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों में अभिकथित उल्लंघन का याची-कंपनी के दोषी होने का संबंध है, इस न्यायालय ने मामले की गुणावगुणों की जांच नहीं की है।

10. उपरोक्त निबंधनों में यह रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

---

ekuuh; ohjUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

दुखना मुण्डा

cuke

बिहार राज्य (अब झारखंड)

Criminal Appeal (D.B.) No. 361 of 2000. Decided on 18th March, 2015.

सत्र विचारण सं॰ 288 वर्ष 1998 में विद्वान प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित दिनांक 12 मई, 2000 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 302/34–हत्या–साझा आशय–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन आरोपों के लिए अपीलार्थीगण दोषी तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्त–एक अपीलार्थी की 23.8.2005 को मृत्यु हो गयी–अभियोजन

मुख्यतः सूचनादाता के बयान पर अवलंबित है–अभियोजन कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहा है, अभियुक्त ने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्ति प्राप्त की थी–सूचनादाता ऐसा कथित करने में बिल्कुल स्पष्ट रहा था कि दोनों अभियुक्तों ने मृतक को उपहति कारित की थी–पोस्टमार्टम शरीर पर छह उपहतियां प्रकट करता है तथा यह सभी तीन उपहतियां तीक्ष्ण धारदार हथियार द्वारा कारित की गयी थीं–अभिनिर्धारित, अभियोजन संदेह के किसी छाया से परे अभियुक्त के विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के आरोप को सिद्ध करने में सक्षम रहा है। (पैराएँ 8 एवं 9)

अधिवक्तागण.–None, For the Appellant; Mr. H.K. Shikarwar, For the State.

वीरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–कुल मिलाकर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 तथा 324/34 के आरोप के लिए दुखना मुण्डा तथा शिव दयाल मुण्डा नामक दो अभियुक्तों ने विचारण का सामना किया था। विद्वान प्रथम अपर न्यायिक आयुक्त, रांची के दिनांक 12 मई, 2000 के निर्णय के माध्यम से उन्हें भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन आरोप के लिए दोषसिद्ध किया गया था तथा भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया था, उससे व्यथित होकर, उन्होंने वर्तमान अपील दाखिल की है।

2. अभिलेख प्रकट करते हैं कि दुखना मुण्डा के संबंध में तात्विक दंडादेश के निलंबन के लिए आग्रह न्यायालय द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2008 के आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था, जिस दिन न्यायालय को सूचित किया गया था कि अभियुक्त-शिव दयाल मुंडा की 23.8.2005 को मृत्यु हो गयी थी। तद्नुसार, प्रस्तुत अपील का उपशमन हो गया था तथा दुखना मुंडा के संबंध में यह अस्तित्व में रही थी, उसे भी परिहारों समेत उसके समूचे सारगर्भित दंडादेश के भुगत लेने के उपरान्त कारागार से रिहा कर दिया गया है जैसा कि राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमें उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट से मालूम होता है।

3. स्थिति चाहे जो भी हो, अभियुक्त दुखना मुंडा के संबंध में प्रस्तुत अपील पर अभी भी गुणावगुणों पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

4. संक्षेप में, जैसा कि 9 नवम्बर, 1997 को पुलिस द्वारा अभिलिखित बया ओराँव के प्रारंभिक बयान (फर्दबयान) से मालूम पड़ता है, अभियोजन का मामला यह है कि 8 नवम्बर, 1997 को आठ बजे अपराह्न में दोनों अभियुक्त शिव दयाल मुंडा तथा दुखना मुंडा उसके घर आये थे तथा उसके पिता एटवा ओराँव (इसमें इसके पश्चात् 'मृतक' के तौर पर निर्दिष्ट) को अभियुक्त शिव दयाल मुंडा की पत्नी पर काले जादू का इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ उनके घर चलने को कहा था तथा उनके आग्रह पर मृतक उनके साथ उनके घर चला गया था एवं जब आधे घंटे के उपरान्त सूचनादाता शिव दयाल मुंडा के घर गया था, उसने देखा था कि अभियुक्त शिव दयाल मुंडा तथा दुखना मुंडा वहां पर बैठे हुए थे। उसने मृतक को अपने घर वापस जाने को कहा था तथा तत्पश्चात् सभी चारों व्यक्तियों ने वह स्थान छोड़ दिया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त शिव दयाल मुंडा तथा दुखना मुंडा उससे तथा मृतक से आगे गये थे तथा जब मृतक पुल के निकट पहुंचा था, शिव दयाल मुंडा ने उसपर फरसा से वार किया था। जिसपर उसका पिता (मृतक) नीचे गिर पड़ा था तथा जब उसने अपने पिता को बचाने का प्रयास किया था, अभियुक्त दुखना मुन्डा ने उसपर (मृतक) फरसा से प्रहार किया था एवं उसने फरसा पकड़ लिया था, परिणामस्वरूप, उसे भी उसके बायें पैर पर उपहति आयी थी। उसने संत्रास किया था, जिससे छोटन मुण्डा आकर्षित हुआ था, उसने भी मृतक को बचाने का प्रयास किया था एवं उसकी दायी आंख तथा बायें हाथ पर उपहति आई थी। घटना के परिणामतः एटवा ओरांव की मृत्यु हो गयी थी। पूर्वोक्त अभिकथनों पर, पुलिस थाना में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी जो तांतिसिलवाई पुलिस थाना केस सं॰ 45 वर्ष 1997 थी।

5. अन्वेषण के पूरा होने पर, दोनों अभियुक्तों को विचारण पर रखा गया था एवं अंततः भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया था एवं सश्रम आजीवन कारावास का दंडादेश सुनाया गया था।

6. हम यहां यह अभिलिखित करते हैं कि अभियुक्त के मूल अधिवक्ता मुख्य अपील पर जिरह करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं तथा हमने भी न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र के तौर पर किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने की आवश्यकता भी अनुभव नहीं की थी क्योंकि इससे मामले में अनावश्यक रूप से और विलम्ब हुआ होता। अतएव, हमने समूचे अभियोजन साक्ष्य की सूक्ष्मतापूर्वक पुन: छानबीन की है।

7. हम सभी आठ अभियोजन साक्षीगण के बारे में विस्तृत परिचर्चाओं में जाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अभियोजन का मामला मुख्यत: प्रथम सूचनादाता बया ओराँव के बयान पर अवलंबित है। हम इस तथ्य के प्रति सजग हैं कि अभियोजन, अभियोजन साक्षी छोटन मुण्डा तथा प्रथम सूचनादाता (अभियोजन साक्षी बया ओराँव) के संबंध में भी कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहा है, परन्तु अभियुक्तों को उसके कारण लाभ पहुँचा है क्योंकि उन्होंने भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 324/34 के अधीन आरोप से दोषमुक्ति प्राप्त की है। तथापि, जहां तक भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302 के अधीन मुख्य आरोप के लिए दोनों अभियुक्तों की संलिप्तता का सवाल है, यह अ॰ सा॰ 1 बया ओराँव के बयान को खंडित नहीं करेगा। वह ऐसा कथित करने में अतिस्पष्ट है कि दोनों अभियुक्तों ने मृतक के शरीर पर उपहति कारित की थी।

8. हमने अ॰ सा॰ डॉ॰ अजित कुमार चौधरी द्वारा तैयार की गयी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी परिशीलन किया है, जिन्होंने मृतक के शरीर का शव परीक्षण किया था तथा मृतक के शरीर पर कुल मिलाकर छह उपहतियां पायीं थी तथा यह सभी उपहतियां तीक्ष्ण धारदार हथियार द्वारा कारित की गयी थीं। चिकित्सक द्वारा उल्लिखित की गयी उपहतियां निम्नवत् प्रत्युत्पादित हैं:–

^^fNfnr ?kko

(i) dkey mÙkd] jDr ufydkvk] blkQxl] 'okl uyh rFkk ikpo ljokbdy d'k:d dk i.k :i l dkVr g, xnu d lkeu oky rFkk fupy fgLl ij vfLFk dh xgjkb rd 9 × 2 cm vkdkj dk ?kkoA

(ii) ioxkeh migfr d 1 cm Åij eyk;e mÙkd] jDr ufydkvk] blkQxl] 'okl uyh rFkk pkFk ljokbdy d'k:d dk i.k :i l dkVr g, xnu d eè; Hkkx e lkeu d fgLl ij vfLFk dh xgjkb rd 8 x 2 cm vkdkj dk ?kkoA

(iii) ioxkeh migfr d 1 cm Åij eyk;e mÙkd] jDr ufydkvk] blkQxl] 'okl uyh rFkk rhlj ljokbdy d'k:d dk i.k :i l dkVr g, xnu d Åijh fgLl d lkeu oky Hkkx ij vfLFk dh xgjkb rd 5 x 2 cm vkdkj dk ?kkoA

(iv) eyk;e mÙkd rFkk uhp dh vfLFk dk i.k :i l dkVr g, ck; vxB ij vfLFk dh xgjkb rd x;k 3 x 2 cm vkdkj dk ?kkoA

(v) eyk;e mÙkd] jDr ufydkvk] jfM; l rFkk vyuk vfLFk dk i.k :i l dkVr g, ck;h vxHktk d fiNy rFkk fupy fgLl ij vfLFk dh xgjkb rd 5 x 2 cm vkdkj dk ?kkoA

(vi) uhp dh vfLFk i.k :i l dkVr g, ck;h gFkyh ij vfLFk dh xgjkb rd 6 x 1 cm vkdkj dk ?kkoA ?kko d LFky ij jDr rFkk jDr d FkDd ektn FkA

vkrfjd

lyhgk dh fofn.krk d lkFk ck;h vkj l NBh l ydj ukoh rd dh ilfy;k VVh gb FkhA vkfr; xgk e jDr rFkk jDr d FkDd ektn FkA vkrfjd vx fuLrt iM pd FkA

9. विचारण के दौरान यथा प्रकटित अभियोजन मामले की संपूर्णता में इसका मूल्यांकन करने पर, हमारी सुविचारित राय यह है कि अभियोजन युक्तिसंगत संदेह की किसी छाया से परे दोनों अभियुक्तों के

विरूद्ध भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 302/34 के अधीन आरोप को सिद्ध करने में सक्षम रहा है। कुल परिणाम यह है कि प्रस्तुत अपील किसी भी गुण से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

10. मूल अभिलेख विचारण न्यायालय को वापस भेजे जायें।

---

ekuuh; ohjUnj flg] e[; U;k;kèkh'k ,o vij'k dekj flg] U;k;efr

छोटु गोराईं

cuke

झारखंड राज्य

Criminal Appeal (D.B.) No. 311 of 2014. Decided on 25th March, 2015.

सत्र विचारण सं 322 वर्ष 2008 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, XIII, धनबाद द्वारा पारित दिनांक 8.5.2009 के दोषसिद्धि के निर्णय तथा दिनांक 12.5.2009 के दंडादेश के विरूद्ध।

भारतीय दंड संहिता, 1860–धाराएँ 376(2)(g) एवं 342–सामूहिक बलात्संग तथा दोषपूर्ण परिरूद्धता–अपीलार्थी दोनों अपराधों के लिए दोषसिद्ध तथा क्रमशः जुर्माना के साथ दस वर्षों एवं एक वर्ष के कारावास से दंडित–अभियुक्त के लिए दंडादेश का अल्पीकरण–मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करके अभियुक्त का दंडादेश घटाकर भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन सात वर्षों की न्यूनतम विहित अवधि किया गया–भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 342 के अधीन दोषसिद्धि बरकरार–अपील खारिज। (पैराएँ 7 से 10)

निर्णयज विधि.–(2003) 11 SCC 736—Relied upon.

अधिवक्तागण.–Mr. Ram Prakash Singh, For the Appellant; Mr. Shekhar Sinha, For the State.

वीरेन्दर सिंह, मुख्य न्यायाधीश.–प्रारंभ में ही, यहां इसे उल्लिखित किये जाने की आवश्यकता है कि जब वित्तीय कठिनाई के कारण अपीलार्थी अपने लिए किसी अधिवक्ता की व्यवस्था नहीं कर सका था, उसने वर्तमान अपील में अपने मामले का बचाव करने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार से आग्रह किया था। इसी कारण से JHALSA ने अधिवक्ता श्री राम प्रकाश सिंह को यह मामला सौंपा है।

2. अपीलार्थी छोटू गोराईं (इसमें इसके पश्चात् 'केवल अभियुक्त' के तौर पर निर्दिष्ट) ने अनील गोस्वामी तथा अशोक रवानी नामक अपने दो सह-अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(g) के आरोप के लिए विचारण का सामना किया था एवं विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, XIII, धनबाद के दिनांक 8.5.2009/12.5.2009 के आक्षेपित निर्णय द्वारा उक्त आरोप के लिए दोषसिद्ध किये गये थे तथा 10 वर्षों का सश्रम कारावास भुगतने एवं 1,000/- रुपये का जुर्माना चुकाने का दंडादेश सुनाया गया था, जिसके व्यतिक्रम में तीन महीनों का सश्रम कारावास भुगतना था। उसपर उसके अन्य सह-अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अधीन भी आरोप लगाया गया था तथा उक्त आरोप के लिए तद्नुसार दोषसिद्ध किया गया था, जिसके लिए उसे तथा उसके सह-अभियुक्तों को एक वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश सुनाया गया है। दोनों दंडादेशों के साथ-साथ चलने का आदेश किया गया है।

3. यहां इसे उल्लिखित किये जाने की आवश्यकता है कि दोनों सह-अभियुक्तों, अर्थात्, अनील गोस्वामी तथा अशोक रवानी ने अपनी दोषसिद्धि तथा दंडादेश पर प्रश्न उठाते हुए अपनी पृथक दांडिक अपीलें-दांडिक अपील (एस॰ जे॰) संख्या 485 वर्ष 2009 तथा दांडिक अपील (एस॰ जे॰) संख्या 625

वर्ष 2009–दाखिल की थीं तथा दिनांक 7 जनवरी, 2010 के निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलें अनुज्ञात कर दी गयी हैं। उक्त अपीलों के अभिलेख प्रस्तुत अपील से संलग्न कर दिये गये हैं।

4. अभियुक्त के लिए उपस्थित होनेवाले विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रकाश सिंह कथित करते हैं कि वर्तमान अपीलार्थी के दोनों सह–अभियुक्तों द्वारा एक बार दोषमूक्ति अर्जित कर लेने पर, प्रस्तुत मामला सामूहिक बलात्संग का मामला नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह मात्र बलात्संग का एक मामला है। उन्होंने निवेदन किया कि अन्य सह–अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में अभियोक्त्री पर इस आधार पर अविश्वास किये जाने के उपरान्त कि उसने स्वयं सह–अभियुक्तों की संलिप्तता से इनकार किया था, जब वह गवाह कक्ष में आयी थी, तथा यह बुनियादी दोष अपने आप में अभियुक्त की भी अभिकथित संलिप्तता के संबंध में इसपर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त होगा। परन्तु, वह मामले के गुणावगुणों पर जिरह में सम्मिलित हुए बिना केवल अभियुक्त के दंडादेश की अवधि घटाकर सात वर्षों की न्यूनतम विहित अवधि करने का आग्रह करते हैं क्योंकि अभियुक्त अबतक पहले ही छह वर्ष तथा लगभग ग्यारह महीने की सजा भुगत चुका है। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने अभियोक्त्री के चिकित्सीय साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो एक विवाहित महिला है जिसके दो बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ा 18 वर्ष का है।

विद्वान अधिवक्ता ने दंडादेश के अल्पीकरण पर **राजेश बनाम गोवा राज्य** के मामले **(2003) 11 SCC 736** में दिये गये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये आग्रह का प्रबल रूप से विरोध नहीं करते हैं।

6. यद्यपि, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता मामले के गुणावगुणों के संबंध में जिरह में सम्मिलित नहीं हुए हैं, फिर भी हमने अपील का प्रथम न्यायालय होने के नाते तथा अपील के विचारण का सातत्य होने के नाते समूचे साक्ष्य की दोबारा छानबीन की है। हमारी राय में, दो भिन्न अपीलों में इस न्यायालय द्वारा उसके दोनों सह–अभियुक्तों के दोषमुक्त किये जाने की दशा में भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376(2)(g) के अधीन अभियुक्त की दोषसिद्धि छेड़छाड़ किये जाने की अधिकारी है। तथापि, उसकी भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धि की जाती है। भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 342 के अधीन भी उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है।

7. जहां तक दंडादेश वाले अंश का संबंध है, सभी पहलूओं से वर्तमान मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों की संपूर्णता पर विचार करते हुए, न्याय के उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरे होंगे, अगर अभियुक्त का दंडादेश घटाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन विहित सात वर्षों की न्यूनतम अवधि कर दिया जाता है। तद्नुसार आदेश दिया गया।

8. तथापि, भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 342 के अधीन उसपर सुनाया गया एक वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश अक्षत रहेगा। दोनों दंडादेश साथ–साथ चलेंगे।

9. इस प्रकार, मुख्य अपराध तथा दंडादेश वाले अंश के संबंध में इसमें ऊपर यथा इंगित परिवर्तन के सिवाय प्रस्तुत अपील गुणावगुणों पर खारिज की जाती है।

10. चूँकि वर्तमान अपील झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दाखिल की गयी है, निर्णय की प्रतिलिपि JHALSA के सदस्य सचिव को भेजी जाय, ताकि अभियुक्त, जो कारागार में रह रहा है, को अविलम्ब प्रस्तुत अपील के परिणाम से अवगत कराया जा सके। JHALSA के माध्यम से अभियुक्त को भी निर्णय की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जायेगी।

11. विद्वान विचारण न्यायालय को भी निर्णय की सूचना दी जायेगी।

12. संबद्ध न्यायालय को विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख प्रेषित किये जायें।